

श्रीकेशवमिश्रप्रणीता

तर्कभाषा

हिन्दीव्याख्यासहिता

व्याख्याकार

श्रीधदरीनाथशुक्रः

वाराणसेयसस्तुतविश्वविद्यालये

न्यायवैशेषिकविभागस्य


प्राप्त्यापक व्याख्यात्मक

प्रकाशक :

मोतीलाल वनारसीदास

दिल्ली : वाराणसी : पटना :

मोतीलाल बनारसीदास
 चौक, वाराणसी
 बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली—७
 अशोक राजपथ, पटना (बिहार)



थी सुन्दर लाल बैन, मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी, द्वारा
 प्रकाशित तथा भोहनलाल, केशव मुद्रणालय, पाण्डेपुर पिसनहरिया,
 वाराणसी, द्वारा मुद्रित।

PREFACE

The Tarkabhasa of Keśavamisra is a useful manual of Navya-Nyaya. It is indeed a fact that almost every important branch of philosophical literature in Sanskrit which was written after Gangeśa Upadhyaya had composed his magnum opus, the *Tattvacintamani*, cannot be understood and appreciated unless the reader is acquainted with the technical terms and expressions of neo-logic. It is, therefore, that writers of the Nyaya Vaishika school felt it necessary to compose short treatises which would enable the beginner to equip himself with the knowledge of the technical terms of Navya Nyaya and their meanings. Keśavamisra's *Tarkabhasa* is one such endeavour which is popular among our teachers and students of neo-logic. The usefulness of this Nyāya text has been widely recognised and it has found a place in the curriculum of study in Sanskrit examinations held in different parts of our country.

In this context an edition of this text is a desideratum and particularly so if it be accompanied by a commentary in one of our regional languages. The present edition of the *Tarkabhasa* contains a commentary in lucid Hindi by one of our front rank Naiyayikas of the day Pandit Badri Nath Šukla, Professor and Head of the Department of Nyaya at Varanseya Sanskrit University. It is indeed very gratifying to note that the scholar has taken adequate pains to elucidate the text with as much clarity as possible. He has discussed the derivation of almost all the important technical terms to show how their meanings are to be found out. At places he has also demonstrated how the deeper implications of this text are to be studied. To cite an example, even the ordinary student

of Sanskrit knows that a definition must be free from the three defects of avyapti, ativyapti and asambhava. But he is to answer which particular fallacy of reasoning is involved if any definition suffers from any one of these three defects. Thus he must know that in the case of avyapti, the hetu is bhūgūsiddha, in the case of ativyapti it is vyabhicāri, while in the case of asambhava it is svarupasiddha. The learned author, I am confident, has done a distinct service to our present-day teachers and students of Indian philosophy in general and of Navya Nyāya in particular by writing fairly exhaustive comments on a subject which is difficult to grasp. It is expected that scholars who would read them would be able to understand the cardinal and more obscure texts of Indian philosophy.

I wish the edition will receive wide appreciation from those for whom it is intended.

August 20, 1968

Gaurinath Śastrī,
Vice-chancellor,
Varanaseya Sanskrit University,
Varanasi

प्रस्तावना

भारतवर्ष समार के समय देशो में सदगे प्राचीन और सब में अद्यगम्य है। उसका 'भारत' यह नाम जहाँ एक और 'भरतस्य इदम्-महायज्ञ भरत द्वारा संगठित-उनकी नीतियों पर परिचालित राष्ट्र' के अर्थ में अन्वर्थ है, वही हूँसरी और 'भा ज्ञान में, रत-सैललम् तत्त्वज्ञान के अर्जन में निरन्तर व्यापृत' इस अर्थ में भी अन्वर्थ है। उसकी पहली अन्वर्थता उसके उस प्राचीनतम यज्ञानिक समाजरचना से प्रमाणित होती है जो वर्णान्ध्रमव्यवस्था के नाम से चिरविदित है और जो आज भौतिक विज्ञान के उत्कर्ष के इस मध्याह्न काल में भी अपना शिर उठाए हुए हैं और दूसरी अन्वर्थता इस राष्ट्र के विद्याप्रेसी सज्जनों की उस चिरगत ज्ञानसाधना से प्रमाणित होती है जिसके कलम्बरूप सञ्जृत भावा के माध्यम से उच्च कोटि के बनेको यास्त्र आज भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में, ऐसी विद्याओं में 'आन्वीक्षिकी' का स्थान सर्वप्रथम है। उसके बारे में न्यायदर्शन, प्रथमसूत्र के वात्यायनभाष्य में उद्धृत यह उक्ति सर्वथा सत्य है—

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी भवता ॥

आन्वीक्षिकी सम्पूर्ण विद्याओं का प्रकाशक, समस्त कर्मों का साधक और समग्र धर्मों का आश्रय है।

आन्वीक्षिकी—

'आन्वीक्षिकी' का अर्थ है प्रत्यक्षादृष्ट तथा भास्त्रश्रुत विद्यों के तात्त्विक स्वरूप को अद्यगत करने वाली विद्या। इस विद्या का ही नाम है न्यायविद्या वा न्यायशास्त्र। जैसा कि वात्यायन ने कहा है—

प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा । तथा प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिको—न्यायविद्या—'न्यायशास्त्रम्' (न्यायभाष्य १ सूत्र)

आन्वीक्षिकी में स्वयं न्याय का तथा न्याय को प्रणाली में अन्य विद्यों का प्रतिपादन होने से उसे न्यायविद्या वा न्यायशास्त्र कहा जाता है।

इसे यत्र तत्र हेतुविद्या, हेतुशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि अन्यान्य नामों से भी व्यवहृत किया गया है।

न्याय—

'न्याय' विचार की उस प्रणाली का नाम है जिसमें वस्तु-तत्त्व के निर्धारणार्थ सभी प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। वात्स्यायन ने 'प्रभाणः अर्थपरीक्षणं न्यायः' (न्या. भा. १ सू.) कह कर यही मत व्यक्त किया है।

'न्याय' शब्द में उस वाक्यों के समुदाय को भी अभिहित किया जाता है जो अन्य पुरुष को अनुमान के माध्यम से किसी विषय का बोध कराने के उद्देश्य से प्रयुक्त किये जाते हैं। वात्स्यायन ने उसे 'परमन्याय' कह कर वाद, जल्प, वितण्डास्य विचारों का मूल एवं तत्त्वनिर्णय का आधार बताया है। जैसे—

'साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूहे भिद्दिः परिसमाप्तते, तस्य पश्चाय-
यथाः प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्यायायवा उन्यन्ते। तेषु प्रमाणसमयायः।
आगमः प्रतिज्ञा, हंतुरुमानम्, उदाहरणं प्रत्यक्षम्, उपमानमुपमानम्, सर्वे-
पामेकार्थसमयाये सामर्यप्रदर्शनं निगमनमिति। सोऽयं परमो न्याय इति।
एतेभ्य यादजल्पवितण्डाः प्रधर्तन्ते, नातोऽन्यथेति। तदाश्रयो च तत्त्वव्यवस्था।'

(न्या० भा० १ सू०)

जिस अर्थ का साधन करता थभी है उसको सिद्धि जिस वाक्यसमूह का प्रयोग करने पर सम्पन्न होती है, प्रतिज्ञा आदि पाच वाक्य उस वाक्यसमूह-न्यायवाक्य के अवयव कहे जाते हैं। उन वाक्यों में सभी प्रमाणों का समावेश होता है। जैसे प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण का, 'हंतु' में अनुमान प्रमाण का, 'उदाहरण' में प्रत्यक्ष प्रमाण का और 'उपमन्य' में उपमान प्रमाण का। 'निगमन' से एक अर्थ के साधन में सभी प्रमाणों के योगदान का प्रदर्शन होता है। यह शब्दसमूह 'परमन्याय' है। इसके द्वारा वाद, जल्प, वितण्डास्यक कथायें की जाती हैं। इसके बिना वाद आदि कथायें समझव ही नहीं हो सकती। तत्त्वनिर्णय भी इसी पर आधित होता है।

न्यायशास्त्र के भेद—

भारत के धार्मिक वाद्यमय में न्यायशास्त्र के दो भेद माने गये हैं। वैदिक न्याय और अवैदिक न्याय। वैदिकन्याय को धार्मिक ऐतिहासिकों ने 'ज्ञाहणन्याय' वी सज्जा दे रखी है। यह न्याय गोतमीय न्याय, काणाद न्याय, कापिल न्याय, पातञ्जल न्याय, जैनिनीय न्याय और वैदिक न्याय के रूप में पर्लिचित और पुणित हुआ है। इन सभी न्यायों में गोतमीय न्याय ही अपने स्वरूप और विषय के विस्तार तथा अपनी गरिमा और गमीरता के कारण 'न्यायशास्त्र' के भौतिक पूर्ण नाम से अभिहित होता है। अवैदिक न्याय के दो भेद हैं—जौदन्याय और जैनन्याय, जिनको चर्चा वाद में की जायगी।

न्यायशास्त्र के प्रसरक शोतम मूर्ख ने 'निःश्रेयस-भोक्ष' को ही उस शास्त्र का

प्रयोजन माना है और उसे प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से साध्य बताया है। यथा—

प्रभाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तरु, निर्णय, वाद, जल्प वितण्डा, हेत्याभास, च्छल, जाति, निमहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः-
श्रेयसाधिगमः । (न्या० द० ११११)

मूलि का अभिप्राय यह है कि न्यायशास्त्र के अध्ययन में पदार्थों का तत्त्वज्ञान होता है और उससे आनन्दत्व का साक्षात्कार होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका कम यह है—

तत्त्वसाक्षान्वार में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति मिथ्याज्ञान की निवृत्ति से राग, द्वेष, मोहत्व दोषों को नवृत्ति, दोषों की निवृत्ति से घर्म एव अधर्मरूप प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति में पुनर्जन्म को निवृत्ति और पुनर्जन्म की निवृत्ति से समस्त दुःखों की आन्यन्तिक निवृत्तिहृष अपवर्ग-नि श्रेयस-मोक्ष की प्राप्ति । यथा—

‘दुःखजन्मप्रवृत्तिठोपमि’याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्गः ॥
(न्या० द० १११२)

न्यायशास्त्र का बाय ग्रन्थ है ‘न्यायमूल’। जिसे न्यायदर्शन भी कहा जाता है। यह महर्षि गौडम को अपनी रचना है जो जगत् की विविध यातनाओं से पीड़ित प्राणिवर्ग के वल्याणार्थ को गई है। जैसा कि गङ्गाशोषणाद्याय ने अपने ‘तत्त्वचिन्तामणि’ ग्रन्थ के आरम्भ में कहा है—

‘अथ जगदेव दुःखपङ्क्तिमग्नमुदिधीर्पुः अष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यर्हित-
तमामान्वीशिकों परमकारणिको मुनिः प्रणिनाय’ ।

न्यायदर्शन में कुल पाँच अध्याय हैं। प्रथेक अध्याय में दो आह्वाक हैं। प्रथम अध्याय में ग्यारह प्रकरण, एकसठ्यून, द्वितीय अध्याय में तेरह प्रकरण, एक सौ तैतीस मूल, तृतीय अध्याय में सोलह प्रकरण एक सौ पंतालीस मूल; चतुर्थ अध्याय में बीस प्रकरण, एक सौ बठारह मूल और पञ्चम अध्याय में चौबीस प्रकरण, सठसठ मूल हैं। इस प्रकार न्यायदर्शन के ५०८ मूलों में प्रमाण आदि सोलह पदार्थों का विशद वर्णन किया गया है।

दो धारायें—

गौलमप्रणोत वैदिक न्यायशास्त्र के समग्र वाह्यमय को दो धाराओं में विभक्त किया जा सकता है— प्रमेयप्रधान और प्रमाणप्रधान। जिसमें प्रमेय के प्रतिपादन की प्रधानता होती है उसे प्रमेयप्रधान और जिसमें प्रमाण के प्रतिपादन की

प्रधानता होती है उसे प्रमाणप्रधान कहा जाता है। गीतम से गङ्गेशोपाध्याय के पूर्व तक के न्यायविद् विडानों की कृतिया प्रमेयप्रधान है और गङ्गेशोपाध्याय की तत्त्व-चिन्तामणि तथा उस पर आधारित परबर्ती विडानों की समग्र कृतियाँ प्रमाणप्रधान हैं। प्रमेयप्रधान प्रन्वराणि को प्राचीनन्याय तथा प्रमाणप्रधान ग्रन्थराणि को नव्यन्याय कहा जाता है।

'न्यायदर्शन' में प्रमेय के प्रतिपादन की प्रधानता है, प्रमाण के प्रतिपादन की प्रधानता नहीं है, वर्णोंकि पांच अध्यादों के 'न्यायदर्शन' के बोडे ही गूढ़ प्रमाण के प्रतिपादन में विनियुक्त है। जैसे प्रथम अध्याय, प्रथम आहिक, प्रमाण-लक्षण-प्रकरण के ६, द्वितीय अध्याय, प्रथम आहिक, प्रमाणसामान्यपरीक्षा-प्रकरण के १३, प्रत्यक्षपरीक्षा-प्रकरण के १२, अनुमानपरीक्षा-प्रकरण के ५, उपमान-परीक्षा-प्रकरण के ४, शब्दसामान्यपरीक्षा-प्रकरण के ८, शब्दविदीपरीक्षा प्रकरण के १० तथा द्वितीय अध्याय, द्वितीय आहिक, प्रमाणसामान्यपरीक्षा प्रकरण के १२ सूत्र। इस प्रकार 'न्यायदर्शन' के ५२८ सूत्रों में केवल ७० सूत्रों में ही प्रमाण का प्रतिपादन किया गया है। बन्ध समस्त सूत्रों में आत्मा आदि १२ प्रमेय तथा उनके किसी प्रभेद में अन्तर्भूत होने वाले पदार्थों का प्राप्तपादन है। अतः प्रमेय के प्रतिपादन की प्रधानता वे कारण 'न्यायदर्शन' प्रमाणप्रधान ग्रन्थ है इस मूलग्रन्थ के प्रमेयप्रधान होने से इस ग्रन्थ में स्वैकृत क्रम में पदार्थों का प्रतिपादन करने के लिये जो ग्रन्थ प्रणीत हुये हैं वे सब भी प्रमेयप्रधान हैं। 'न्यायमूल' में गङ्गेशोपाध्याय के पूर्व तक के प्राप्त सभी ग्रन्थ या तो 'न्यायमूल' के क्रम से रचित हैं या किसी प्रमेय-विशेष का प्रधानरूप से प्रतिपादन करने के लिये प्रणीत हैं, अतः वे सब ग्रन्थ प्रमेय-प्रधान हैं और प्रमेयप्रधान होने से 'प्राचीनन्याय' हैं।

गङ्गेशोपाध्याय की 'तत्त्वचिन्तामणि' में 'प्रमाण' का बड़ा गम्भोर और विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। अतः वह तथा उसकी दीक्षा, प्रटीका, टिप्पणी आदि के हृष में अथवा उसके किसी एक अश के 'वस्तृत विवेचन के हृष में जो ग्रन्थ प्रणीत हुये हैं, वे सब प्रमाणप्रधान हैं और प्रमाणप्रधान होने से 'नव्यन्याय' हैं।

प्राचीनन्याय और नव्यन्याय में जो भेद है वह मुख्यतया उनको भाषा और शब्दों पर आधारित है। उन दोनों के शब्दों की भाषा और शब्दों में इनका पर्याप्त और स्पष्ट अन्तर है जो साधारण अव्यौत्ता को भी तिरोहित नहीं रह पाता। प्राचीनन्याय के ग्रन्थों में जहाँ शकारता, विशेषता, मसर्गता प्रतियोगिता, अनुयोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छेषता, निरूपता, निरूप्ता आदि शब्द कठिनाई से प्राप्त होते हैं वहीं नव्यन्याय के ग्रन्थों में इनकी भरमार रहती हैं। नव्यन्याय के ये शब्द

उसमें प्रवेश चाहने वाले अध्येताओं को ठीक उसी प्रकार भयावने लगते हैं जैसे किसी महान् अरण्य में प्रवेश करने वाले मनुष्यों को सिंह, व्याघ्र आदि उसके बड़े बड़े हितक जाना ।

दोनों की शैली में भी महान् भेद है : प्राचीन न्याय वो भाषा सरल और निराडम्बर होने पर भी प्रायोगिक शैली के कारण इतनी सशिख एवं साकेतिक होती है कि उसका प्रतिपाद्य विषय अनेकत्र शीघ्रता से स्फुट नहीं हो पाता । बहुत से अनुमान ऐसे प्रयुक्त होते हैं, जैसी वो दु शीलना के कारण ही जिनका अनुमानत्व स्पष्ट नहीं हो पाता । पक्ष, साध्य और हेतु की विशद प्रतिपत्ति मही हो पाती । किन्तु नव्यन्याय की भाषा बाढ़म्बर-पूर्ण तथा अन्तर से स्वरूपत दुर्गम होने पर भी शैली को शालीनता के कारण अर्थतः अत्यन्त स्पष्ट होती है । पारिभाषिक शब्दावली का परिचय रहने पर भाषा वा शैली के बारण प्रतिपाद्य विषय के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । वही कोई अस्पष्टता नहीं रहती । विषय तथा प्रतिपादन दोनों के गुण दोग चन्द्रमा की धबलिमा और कालिमा के समान रूपेष्ट दीख पड़ते हैं ।

प्राचीनन्याय और नव्यन्याय में एक और भी अन्तर है । वह यह कि प्राचीन न्याय में विषय का प्रतिपादन स्थूल होता है । उसके विचार तलस्पर्शी नहीं होते । वे विषय के बाह्य क्षेत्र वा ही स्पर्श कर रहा जाने हैं । किन्तु नव्यन्याय में विषय का प्रतिपादन सूक्ष्म होता है । सूक्ष्म ही नहीं परम सूक्ष्म होता है । उसके विचार विषय के सर्वाङ्ग का स्वर्ण करते हैं । वे उसके अन्तर में प्रविष्ट हो उसे निर्ममता के साथ खुरेंदते हैं । उसका कठोर और तिष्ठक परीक्षण कर उसके दबेत और काले दोनों पक्ष अध्येता के समझ प्रस्तुत करते हैं । अनेक बालोचक दो उसके सूक्ष्मतम प्रतिपादन को 'बाल की खाल निकालना' कह कर उसका उपहास करते हैं ।

ही सो, तथ्य यह है कि न्यायशास्त्र के, प्राचीनन्याय और नव्यन्याय नाम के जो दो प्रश्नान प्रतिष्ठित हैं उनका आधार है प्रतिपाद्य विषय वा गौणप्रधानभाव तथा भाषा और शैली की भिन्नता । किन्तु दोनों प्रस्थानों का मूल स्रोत एक ही है, और वह है पूर्वनिर्दिष्ट 'न्यायदर्शन' अथवा 'न्यायसूत्र' ।

'न्यायदर्शन' का प्रणेता—

'न्यायदर्शन—न्यायसूत्र' के प्रणेता के विषय में विद्वानों में मतभेद है और उसके कई प्रामाणिक आधार हैं । जैसे—

(१)—क—कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत् ।

गोतमेन तथा न्यायं सार्ग्यं तु कपिलेन वै ॥

(पचपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय २६३)

काणादने महान् वैशेषिक शास्त्र की, गोतम ने न्यायशास्त्र को दधा विधिल ने मार्य-
शास्त्र की रचना की ।

र—एवा मुनिप्रबरगोतसूत्रवृत्तिः
श्रीविश्वनाथकृतिना सुगमाल्पवर्णा ।
श्रीकृष्णचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चलरीक-
श्रीमन्त्तिरोमणिवचःप्रचयैरकारि ॥

(न्यायसूत्र, विश्वनाथवृत्ति)

'विश्वनाथ' ने औरूप्य के चरणबद्ध के भ्रमरभूत तार्किकशिरोमणि रपुत्राय के
वचनों के अनुसार मुनिप्रबर गोतम के न्यायसूत्रों पर मुबोध और सक्षिप्त शब्दों में इस
'वृत्ति' का निर्माण किया ।

ग—मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम् ।
गोतमं तमवेतैव यथा वित्त्य तथैव सः ॥
 नैपथ, सर्ग १६ ।

जिस व्यक्ति ने ऐसे न्यायशास्त्र का उपदेश दिया जिसके अनुसार चेतत मानव मक्क
होने पर चेतनारहित हो पत्थर जैसा हो जाता है उस गोतम को गोतम ही—पूरा बैलही
समझो ।

इन प्रामाणिक वचनों द्वाया विद्वन्समाज की प्रसिद्धि और धारणा के अनुसार 'न्याय-
सूत्र' के रचयिता हैं—गोतममुनि ।

२—भो काद्यपरगोत्रोऽस्मि । साङ्घोपाङ्गं वेदभर्धीये । मानवीर्यं धर्मशास्त्रं
माहेश्वरं योगशास्त्रं, वार्हस्पत्यमर्थशास्त्रं, मेधातिथेन्व्यायशास्त्रं, प्रचेतसं
श्राद्धकल्पं च । (प्रतिमानाटक, अड्क ५)

मैंने अड्डा—उपाड्डो सहित वेद का, मनुके धर्मशास्त्रका महेश्वरके योगशास्त्रका
वृहस्त्रिके अर्थशास्त्रका, मेधातिथिके न्यायशास्त्रका और प्रचेतस् के श्राद्धकल्पका
आध्ययन किया है ।

इस वचन के अनुसार न्यायशास्त्र के निर्माण है—मेधातिथि ।

(३)—क—योऽक्षपादमृप्तिं न्यायः प्रत्यभाद् चदसां चरम् ।

तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमर्थतयत् ॥

(न्यायभाष्य)

वक्तावों में श्रेष्ठ कृष्ण अक्षपाद को जिस न्याय का स्वत रूपरूप हुआ, वात्स्यायन
ने उस पर इस भाष्य—न्यायभाष्य की रचना की ।

ख—यदक्षपादः प्रवरो मुनीना शमाय शास्त्रं जगतो जगाद् ।
कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतोः करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥
(न्यायवार्तिक)

मुनियों में परम श्रेष्ठ अक्षपाद ने जगत् को तापमुक्त करने के लिये जिस न्यायशास्त्र का उपदेश किया, उस शास्त्र के सम्बन्ध में कुतार्किको हारा फँलाये गये अज्ञान को नष्ट करने के लिये उस शास्त्र के ऊपर मैं निवन्ध की रचना करूँगा ।

ग—अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते व्युत्पादिते च भगवता पक्षिलस्त्वामिना किमपरमवशिष्यते, यदर्थं वार्तिकारम्भः ?

(न्या. वा तात्पर्यटीका)

जब भगवान् अक्षपादने मोक्षप्रद न्यायशास्त्र का प्रशंसन कर दिया और भगवान् पक्षिलस्त्वामी-वात्स्यायनने उसकी व्याख्या कर दी, तब व्या शोप रह गया जिसे बताने के लिये वातिक के निर्माण की आवश्यकता हुई ?

घ—अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्यायपादपः ।

मान्द्रामृतरसस्त्वन्दफलसन्दर्भिर्भरः ॥

(न्यायमञ्जरी १ परिं ०)

अक्षपादने अमृतरससे भरपूर फलों से लड़े विशाल न्यायबृक्ष का विरोपण किया है ।

इन बच्चों के अनुसार न्यायशास्त्र के प्रणेता है—अक्षपाद ।

प्रश्न यह उठाना है कि उक्त भीनो नाम एक ही व्यक्ति के है या भिन्न-भिन्न व्यक्ति के हैं ? यदि तीनो नाम एक ही व्यक्ति के हो तब तो इस बात को प्रमाणित कर देने भर को आवश्यकता है और अन्य कोई समस्या नहीं है । हाँ, यदि तीनो नाम भिन्न व्यक्ति के हो तो यह निर्णय करना एक बड़ा समस्या होगी कि उन तीन व्यक्तियों में कौन व्यवित न्यायशास्त्र का रखियता है ? यदि किसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रमाण भिल भी जाय तो फिर इस प्रश्न का उत्तर देना एक दुष्कर कार्य होगा कि जब प्रमाणों द्वारा यह निर्दिष्ट हो जाता है कि अमुक व्यक्ति न्यायशास्त्र का निर्माता है तब अन्य दो व्यक्तियों को उहाँका निर्माता कहने का बद्या बाधार और बया अभिप्राय है ?

इस जटिल प्रश्न के अमाधान में निम्न बच्चन से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है ।

मेधातिथिर्महाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः ।

विमृद्ध्य तेन कालेन पल्ल्याः संस्थाव्यतिक्रमम् ॥

(महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय २६५)

पल्ली के मध्यादा-बनिक्रमणका विचार कर महान् प्राज्ञ मेपातिथि गौतम उस समय से दग्धस्पा में व्यवस्थित हुये ।

इस महाभारतीय वचन से मेघातिष्ठि और गोतम की एकता प्रमाणित हो जाने से अब न्यायशास्त्र के दो ही रचयिता रह जाते हैं - गोतम और अध्यपाद। अन, अब इतना ही निश्चय करना शोप रह जाता है कि गोतम और अध्यपाद दो व्यक्ति हैं अथवा उन दोनों नामों का कोई एक ही व्यक्ति है ?

गोतम और अध्यपाद नाम के दो व्यक्तियों ने न्यायशास्त्र और रचनाओं ही इस बात की उपर्युक्ति दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो यह कि दोनों व्यक्तियों ने मिल थार अपने सम्मिलित प्रयास से समान उत्तरदायित्व के साथ न्यायशास्त्र के निर्माणकार्य को सम्पन्न किया हो, और दूसरा यह कि एक ने दूसरे के विचारों का सकलन कर और उसमें व्यपेक्षित अग को अपनी ओर से जोड़कर उसे सूत्रात्मक भाषा में अनुवाद किया हो। इन प्रवारों में पहला प्रकार तभी सम्भव हो सकता है जब दोनों व्यक्ति एक समय में एक माय रहे हों तथा मिल कर साहित्यरचना वा कार्य किये हों। इसी प्रकार दूसरा पक्ष तभी सम्भव हो सकता है जब किंगों एक के नाम से न्यायदर्शन के विषय विकीर्णत्व में यन सभ विद्यमान रहे हों और वाद में दूसरे व्यक्ति ने उन सब का सकलन कर उन्हें अनुवाद किया हो। पर इन दोनों बातों में कही कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अत महीं मानना उचित प्रतीत होता है कि गोतम और अध्यपाद नाम के दो व्यक्ति न्यायशास्त्र के रचयिता नहीं हैं किन्तु न्यायशास्त्र का रचयिता एक ही व्यक्ति है। गोतम और अध्यपाद उमोंके दो नाम हैं। एक ही व्यक्ति को किसीने गोतमनाम से और किसी ने अध्यपादनाम से न्यायशास्त्र का रचयिता कहा है। तात्परतिमित्र ने तो न्यायशास्त्र के रचयिता को उक्त दोनों नाम से अभिहित किया है। जैसे 'न्यायप्रार्थितकतात्पर्यटीका' के आगम्भ में

‘अथ भगवता अक्षपादेन निःशेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते’ इस वाक्य मेनि.शेयद के हेतुभूत न्यायशास्त्रको भगवान् अक्षपाद से प्रणीत कहा गया है और ‘न्यायसूचीनिवन्दन’में

यदलम्भि शिर्मिष्टि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्निनाम् ।

श्रीगोतमसुगवीनामतिजरतीना समुद्दरणात् ॥

स सारजलविसेतौ वृष्टेतौ सकलदुखशमहेतौ ।

एतस्य फलमयिलमपितमेतेन प्रीयतामीशः ॥

इस वाक्य से न्यायशास्त्र को गोतममूलि की विरन्तस्त सुगवी-सु-दरवाणी कहा गया है।

न्यायशास्त्रनिर्माता के उक्त दो नामों में ‘गोतम’ यह स्वाभाविक नाम है और ‘अध्यपाद’ यह औपाधिक नाम है। भाष्यकार वात्म्यायन वातिककार उद्धोतकर, टीकाकार वाचस्पतिमित्र, न्यायमञ्जरीकार जगन्मतभू आदिग दृष्ट्युत लङ्घरणों के अनुमार इस औपाधिक नाम से ही न्यायशास्त्र के निर्माता की चर्चा की है। ‘अध्यपाद’ नाम की

औपाधिकता के विषय में नपादिकमण्डली में सुख्यात इस किम्बदन्ति की चर्चा बहुधा होती है कि गोतममनि का मन विरन्तर तत्त्वचिन्तन में लगा रहता था नव को उसका सह योग नहीं मिल पाता था अत चलत समय व गिरवर आहत हो जाया करत थे। इस लिय महश्वर न कृपा कर उनके पर म एक ऐसे नय नव की रचना वर दी जिसे मन के सहयोग की अपेक्षा न थी। इस नय नव के मिलन से व अक्षणादनाम से प्रतिछट्ठ हृष और उनके दोनों बायों चलन किरण और तत्त्वचिन्तन करन की वायाप दूर हो गई। न्यायसूत्रकार गोतम कौन?

वदसहिता ब्राह्मण उपनिषद् पुराण मनुस्मृति ५८मीक्षिरामायण महाभारत अदि में गोतम को चर्चा अतकड़ प्राप्त होती है जैसे—

सभायते गोतम इन्द्र नव्यमत्स्थद् ब्रह्म हरियोननाय ।

मुनीथाय न शवसान नोधा प्रातमद्यु धिया वसुनगम्यात् ॥

(कृष्ण ८ अष्टक ५ अध्याय ६२ श्लोक)

विदहो ह माधवोऽप्मि वश्वानर मुखे वभत् । तस्य गोतमो राहूण ऋषि पुराहित आस । (गतपथ १ काण्ड ४ अध्याय)

इमावेव गोतममारद्वााावयमेव गोतमोऽय भारद्वान इमावेव विश्वामित्रजमद्ग्रा अवमेव विश्वामित्राऽयमेव नमद्गिरिमावेव वसिष्ठ कृत्यपावयमेव वसिष्ठोऽय कृत्यपा वाग्नानि ।

(वह० उप० अध्याय ब्राह्मण)

अथोशिन इति रथात आसाद् विद्वान् ऋषि पुरा ।

पञ्ची वै ममता नाम वभूनाम्य महात्मन ॥

माऽशपत्त तत ब्रुद्ध व्यमुक्तो वृहस्पति ।

यस्मात्त्वमीदूश काल गमस्थोऽपि निष्पधसि ।

मामेवमुक्तवास्तस्मात्तमा दार्ढं प्रवेश्यति ॥

ततो दीयतमा नाम शापान् स्फूर्त्यनायत ।

गोऽभ्याहते नमसि गोतमस्तु ततोऽभयत् ॥

(मास्य २८ अ०)

मेधातिथिमहाप्राङ्मो गोतमस्तपमि स्थित ।

(महाभारत गाँ०१८ अ० २६६ अ०)

नमद्गिन्मर्द्धाजो विश्वामित्रात्रिगोतमा ।

वसिष्ठकृत्यपागस्त्वा मुनयो गोत्रकारिण ॥

(मन० १ अ०)

ये थोड़े से वचन उदाहरणार्थं उद्भूत किये गये हैं। ऐसे और भी बहुत से वचन हैं जिनसे बनेक गोतमो वा अस्तित्व अवगत होता है। अब प्रश्न यह होता है कि इन गोतमो में किस गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की? किन्तु प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर देने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि ये सभी गोतम भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं अथवा किसी एक ही व्यक्ति का भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न रूप में गोतम नाम से उल्लेख किया गया है। इन दो पक्षों में पहले ही पक्ष में यह प्रश्न उठेगा कि किस गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की?। दूसरे पक्ष में एक ही गोतम होने से उत्तर प्रश्न को सम्भावना ही नहीं हो सकती। किन्तु विवार करने पर दूसरा पक्ष ठीक नहीं जेचना चाहो कि उपर्युक्त गोतमों के जन्म, कर्म, नित्रित आदि में महान् अन्तर है। अत पहले पक्ष में उक्त प्रश्न का उत्थान सम्भव होने से यह निर्णय करना आवश्यक है कि इन विभिन्न गोतमों में किस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की है?

उत्तर में यही कहा जा सकता है कि इस बात का जब कही कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि इन सभी गोतमों ने जिस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की, तब न्याय-शास्त्र के व्यवेता-अध्यापकों की परम्परा में जो प्रसिद्धि है उसी के आधार पर इस प्रश्न का समाधान करना उचित है। परम्परा यही बताती है कि मिथिला में जनकपुर के निकट जिस गोतम का आश्रम था, जो विदेहराज जनक के पुरोधा थे, जिसकी पत्नी अहल्या को धीराम के चरणरब स्मर्ति से शिक्षात्व से मुक्ति मिली थी, वे वहे तपस्थी, योगी तथा अगाध ज्ञान ने मम्मन यथकारणिक महूषि थे। उहोने ही न्यायदर्शन का प्रणयन कर मिथिला को न्यायविद्या की जन्मभूमि होने का गोरख प्रदान किया था।

परम्परा की इस उक्ति में पूर्ण मत्यना प्रतीत होती है, वर्णों कि न्यायविद्या का प्रादुर्भाव यदि मिथिला में न होवर कही अन्यत्र हुआ होना तो मरसे पहले मिथिला में ही उसके अध्ययन-अध्यावन का प्रचार चाहो होगा। और वाचस्पतिमित्र, उदयनारायण, गन्तव्योत्ताप्याय जैसे वडे-वडे नैषायिकों का मर्वप्रयम प्रादुर्भाव मिथिला में ही वर्णों होता?

‘न्यायमूर्त्र’ वा रचना को इन अधिक प्राचीन मानने पर प्रश्न यह उठता है कि थाटि ‘न्यायमूर्त्र’ इतना प्राचीन है तब चौथे अध्याय के सूत्रों में शून्यवाद, वाह्यार्थभद्र-वाद आदि अवाकीन वौद्धमतों का मानने केरे सम्भव हो सकता है।

इन प्रश्न के उत्तर में न्यायमञ्जरीकार जयननमद्व वा निम्न पक्षियाँ प्रस्तुत वी जा गठती हैं।

‘आदिमर्गात्प्रभृति चेऽवदिमा विद्याः प्रवृत्ताः, संक्षेपविस्तारविवक्षया तु तौनौस्त्रै कर्त्तु नाच्यश्रुते’।

वैः के समान सम्पूर्ण विद्यार्थी गृष्णि के आरम्भशास्त्र में ही विद्यमान हैं। जब शोई

पुरुष किसी विद्या का संझेप वा विस्तार की विवक्षा से नये ढंग से वर्णन करता है तब उसे उस विद्या का कर्ता कहा जाता है।

जथन्तभट्ट का यह दृष्टिकोण सर्वथा उचित है। 'न्यायसूत्र' में जिन मतों का निराप्त किया गया है वे सब अत्यन्त चिरमध्यन हैं। वे किसी विशेष समय में किसी विशेष पुरुष के मस्तिष्क में 'इदम्प्रथम' रूप में उद्भावित नहीं हुए हैं। उन्होंने पुरातन मतों को बुद्ध आदि ने अपने समय में परिष्कृत और पल्लवित किया है। इस लिये शून्यवाद आदि मतों को अवर्चीन मान कर इनके परिष्कारक और प्रचारक पुरुषों के पीछे 'न्यायसूत्र' को खोचना युक्तिमय नहीं है। अन्यथा वेद, उपनिषद्, आदि में भी उन मतों का निर्देश हीने के कारण उनकी भी बौद्धकाल से पश्चाद्भाविता माननी पड़ जायगी, जिसे आज का कोई आधुनिक ऐतिहासिक भी मानने को तैयार नहीं हो सकता।

इस प्रकार न्यायशास्त्र के पण्डितों की परम्परा के अनुसार ब्रेतायुग में विद्यमान एवं हर्षिणी गोतमद्वारा मिथिला की पावन अवनी में निश्चेयस के स्रोत 'न्यायसूत्र' की रचना सिद्ध होती है।

आधुनिक इतिहासकार उक्त परम्परा की उपेक्षा कर इतिहास-अन्वेषण की अवर्चीन प्रणाली के अनुसार अपना मत निर्धारित करते हुए कहते हैं कि 'न्यायसूत्र' में विभिन्न काल के विभिन्न दार्शनिक मतों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें बौद्धमत का प्रामुख्य है। अत उन सबों को दृष्टि में रखते हुए जब 'न्यायसूत्र' की रचना के काल का विचार किया जाता है तब वह ईसा प्रथम शती के पूर्व कथमपि नहीं जा पाता, अतः 'न्यायसूत्र' की रचना का समय ईसा द्वयी शती के मध्य तक मानना बुद्धिमत प्रतीत होता है।

आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कथन है कि गोतम और अक्षपाद एक व्यक्ति नहीं, किन्तु दो भिन्न व्यक्ति हैं। न्यायशास्त्र का निर्माण बहुत कुछ गोतम ने ही किया था। बाद में अक्षपादने गोतमद्वारा प्रस्तुत की गयी सारी मामप्री को लेकर अपने मूर्तन विचारों का सन्निवेश करते हुए 'न्यायशास्त्र' की क्रमबद्ध रचना की जो आज हमारे सम्मुख विद्यमान है। अक्षपाद के समय के लोग यह जानते थे कि 'न्यायशास्त्र' की रचना एकमात्र अक्षपाद की अपनी ही कृति नहीं है किन्तु उसका बहुत सा भाग गोतम की प्रज्ञा की देन है अत उसी समय से कुछ लोग उस कृति को गोतमोय कृति, कुछ लोग अक्षपादीय कृति, और कुछ लोग गोतमाक्षपादीय अथवा अक्षपादगोतमीय कृति कहने लगे और यह व्यवहार परम्परा में उत्तराकाल में भी अनुसूत हो गया। इस प्रकार आधुनिक इतिहासकारों के मत से 'न्यायशास्त्र' गोतम और अक्षपाद के मिलित चिन्तन और प्रयत्न को देन है।

प्राचीनन्याय के कतिपय आचार्य—

वात्स्यायन—

प्राचीनन्याय के आचार्यों में वान्स्यायन का प्रमुख स्थान है। इन्होंने अश्वराद गौतम के 'न्यायसूत्र' पर एक भाष्य की रचना की है जो 'न्यायभाष्य' तथा 'वात्स्यायनभाष्य' इन नामों से प्रसिद्ध है और वह उच्च कोटि के प्राचीन तथा अवैचोग परम्परा के अनेक विद्वानों के टीकाग्रन्थों से मणित है।

न्यायभाष्यकार का नाम—

'न्यायभाष्य' निर्माता के नाम के विषय में कई भत्त हैं। सत्य न्यायभाष्यकारने अपने दो 'वात्स्यायन' नाम से निर्दिष्ट किया है। जैसे—

योऽक्षपादमृपि न्याय प्रत्यभाद् वदतां वरः ।

तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवत्यत् ॥

वात्स्यकार 'भारद्वाज' ने भी अपने 'न्यायवात्तिक' के अन्त में इन्हों नाम से न्यायभाष्यकार का स्मरण किया है। जैसे—

यद्यक्षपादप्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जग्नी ।

अकारि महतस्य भारद्वाजेन वार्तिकम् ॥

वाचस्पति निधने 'न्यायवात्तिकतत्पर्यटोका' के आरम्भ में 'न्यायभाष्यकार' को 'पतिल स्त्रामी' के नाम से निर्दिष्ट किया है। जैसे—

'अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे व्युत्पादिते च भगवता पश्चिलस्वामिना किमपरमविश्वते यदयु वार्तिकारम्भः' ।

हेमवन्द के अभिधारचिन्नामणि मर्त्यकाण्ड में वान्स्यायन के आठ नाम बताये गये हैं। जैसे—

वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यदचणकात्मजः ।

द्रामिलः पश्चिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽद्भुतस्च मः ॥

पूर्योत्तम देव वै निकाण्डशोषोग, शहूकर्ण में निष्ठ वचन उगलत्व होता है।

विष्णुगुप्तमनु कौण्डिन्यदचणकयो द्रामिलोऽद्भुत ।

वात्स्यायनो मल्लनागपश्चिलस्वामिनावपि ॥

इन सब वचनों को देखने में इनको वान हो निश्चिवाद आन पड़नो है वि 'न्यायभाष्यकार' 'वात्स्यायन' और 'पश्चिल' यह दो नाम बहुममत हैं। किर भी यह निश्चिवत है, नहीं कहा जा सकता, कि यह इनका मुख्य नाम है अथवा इनमें कोई एक मुख्य

है और दूसरा औपाधिक है, क्योंकि दोनों बातें सम्मत हैं। यह ही सकता है कि इस नामों में 'बात्स्यायन' नाम सास्कारिक हो तथा 'पशिल' नाम व्यावहारिक-युकाह हो, और इस प्रकार दोनों नाम प्रमुख हों।

अथवा यह भी हो सकता है कि गोत्र का निर्देशक होने से 'बात्स्यायन' नाम औपाधिक हो और 'पशिल' नाम मुख्य हो, या 'बात्स्यायन' नाम ही मुख्य हो और 'पशिल' नाम 'पशिण—प्रतिपशिण, लाति-आदते-निप्रहस्याने गृह्णाति' इस व्युत्पत्ति से 'पशिणियों' के निरहकर्ता अर्थ में, अथवा 'पशिण—घणान् लाति-आदते-सन्नेहं सहृपं गृह्णाति' इस व्युत्पत्ति से 'पशी पर्यन्त प्राणियों' के प्रति कृपालु—स्नेहो अर्थ में औपाधिक हो। पर जब मुझे अपनी समझ की बात बहानी होगी तो मैं यहीं बहाना चाहूँगा कि इन दोनों नामों में बात्स्यायन नाम ही मुख्य है, क्योंकि इस नामका निर्देश स्वयं भाष्यकारने किया है अत उस निर्देशको गोप वा निर्देश गही भाना या समता, क्योंकि यदि उसे गोत्र का निर्देश भाना जायगा तो उस गोत्र के अनेकों व्यक्ति होने के कारण उस निर्देश से भाष्यकार का व्यक्तिगत परिचय नहीं होगा। फलत उस निर्देश को कोई उपयोगिता न होगी।

बात्स्यति मिथ ने जो 'पशिल' नाम का निर्देश किया है उसे औपाधिक नाम का निर्देश भाना जा सकता है, क्योंकि विनय और यदा के द्वारा मुख्य नाम वा निर्देश न होकर औपाधिक नाम का निर्देश होना ही उचित है। भाष्य में अनेक प्रतिपक्षी मतों का स्पष्टज्ञ है, अतः 'प्रतिपक्षी के निप्रहकर्ता' अर्थ में अथवा पक्षी के समान जो अन्यज्ञ है उनके हितार्थ 'न्यायसूत्र' पर भाष्यनिराश करने की कृपा के कारण 'सर्वभूतकाशगिक' अर्थ में 'पशिल' इस औपाधिक नाम का निर्देश सर्वथा उचित हो सकता है।

बात्स्यायन का निवासस्थान—

बात्स्यायन के निवासस्थान के सम्बन्ध में विच्छार करने पर यह बात अधिक सगत प्रतीत होती है कि न्यायसूत्रकार गौतम के समान न्यायभाष्यकार बात्स्यायन को भी मिथिला का हो निवासी भाना जाय, क्योंकि जब 'न्यायसूत्र' का निर्माण मिथिला में हुआ, तब यह स्वाभाविक है कि उसके भाष्य का निर्माण भी मिथिला में ही हो, क्योंकि मिथिला में बने 'न्यायसूत्र' के अध्ययन अध्यापन, व्याख्यान और बन्नुव्याख्यान को मुविद्या और सम्भावना उतने मुद्रर पूर्वकाल में जितनी मिथिला में हो सकती थी, उतनी मिथिला से दूरवर्ती किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो सकती थी। यदि 'न्यायसूत्र' के निर्माणकाल और न्यायभाष्य के निर्माणकाल के परस्पर विश्वकर्मा को देखते हुये यह सम्भावना भी की जाय कि इतनी लम्बी ब्रह्मि मे-

अद्यपाद गोतम के 'न्यायमूल' तथा वात्स्यायन के 'न्यायभाष्य' में लम्बा कालविप्रकर्प है, पर वह कितना है और 'न्यायभाष्य' की रचना का वास्तव समय क्या है ? इस बात का 'इदमित्य' हृषि से निर्णय बरताय है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर न्यायशास्त्र के प्राचीन पण्डितों में वात्स्यायन के सम्बन्ध में जो मान्यता चिरकाल से प्रतिष्ठित है, उसके अनुमार साररूप में यही कहा जा सकता है कि 'वात्स्यायन' 'अद्यपाद गोतम' के समान ही योगप्रभव अलौकिक प्रतिभा से सम्पन्न एक महान् ऋषि थे । मिथिला में ही कही उनका आश्रम था । महर्षि गोतम ने 'न्यायमूल' द्वारा जिन अर्थतत्त्वों का उपदेश किया था, वे विभिन्न भतवादों में पहुँचें होने लग गये थे । अत वात्स्यायन ऋषि ने 'न्यायमूल' के वास्तव अर्थ को स्वच्छ और सुव्वोध करने के लिये उम पर एक भव्य भाष्य का निर्माण किया ।

आद्युनिक ऐतिहासिकों का मत उन्हें मत में अत्यन्त भिन्न है । उनमें अधिक लोगोंने 'वात्स्यायन' शब्द को गोत्र का निर्देशक, 'पश्चिलस्वामी' शब्द को मुह्यनाम और 'द्रामिल' शब्द को जातीय वा देशीय उपाधि का सूचक मान कर न्यायभाष्यकार को वात्स्यायन गोत्रीय बताते हुए उन्हें 'पश्चिलस्वामी द्रामिल' नाम से व्यषटिष्ठ किया है । उनका इहना है कि भाषाप्रवाह के तरङ्गों के घात-प्रतिघात से 'द्रामिल' का 'द्राविड़' हो जाना वा 'द्राविड़' का 'द्राविल' हो जाना दु शक नहीं है । एवं पश्चिलस्वामी नाम में मद्रास में प्रचलित रामस्वामी, शिवस्वामी, कुपूर्ण्वामी, चिन्मात्रामी आदि नामों का नितान्त साम्य है ।

न्यायदर्शन, द्वितीय अध्याय, प्रथम आह्लिक, ४२ वें सूत्र के भाष्य में वर्तमान काल के अस्तित्व का समर्पण करते समय भाष्यकार ने—

'नानाविधा चैकार्था क्रिया पचतीति—स्थाल्यधिश्रयणमुदकासेचनं तण्डुलावपनमेधोऽपसर्पणमन्यभिज्ञवालनं दर्वीघटृनं मण्डस्त्रावणमधो-ऽवतारणमिति'

कह कर चावल पकाने को प्रक्रिया का निर्देश किया है । यह प्रक्रिया मद्रास में विदेश प्रचलित है ।

इन वातों से ज्ञात होता है कि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन मद्रास के निवासी थे और उस समय के प्रसिद्ध शिकाकेन्द्र 'काञ्ची' नगर में जो अब 'कञ्चीवरम्' नाम से प्रसिद्ध है, रहते थे ।

समय के विषय में उनका बहना है कि न्यायदर्शन, प्रथम सूत्र के भाष्य में उपलब्ध मान—

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥

यह वाक्य चौथी व शती के प्रथम चरण में स्थित वाणवय के अर्द्धशास्त्र का वाक्य है। इसी प्रकार न्यायदर्शन ५, अ० २ आ० १० वें मूल के भाष्य में उपलग्नमान 'दृश दार्डिमानि, पठपूपाः' थह वत्तय दूसरी शती में विद्यमान पतञ्जलि के महाभाष्य का वाक्य है। अन न्यायभाष्यकार का समय चौथी शती है।

भारद्वाज-उद्योतकर —

भारद्वाज-उद्योतकर अवाव आर्य प्रतिभा में सम्पन्न एक महान् नैयायिक है। इन्होंने वात्स्यायन के न्यायभाष्य पर एक महनीष ग्रन्थ की रचना की है जो 'न्यायवार्तिक' के नाम से प्रस्ताव है। इस ग्रन्थ में न्यायमूल और न्यायभाष्य दोनों की व्याख्या की गई है। ग्रन्थ का आरम्भ निम्नाङ्कित पद से होता है।

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद् ।

कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥

वाचस्पतिमध्य ने अपनो 'न्यायवार्तिकात्पर्यटीका' में इस इलोक की व्याख्या के प्रस्तुत में 'न्यायवार्तिक' की रचना का प्रयोगन बताते हुये कहा है कि—

'यद्यपि भाष्यकृता कुतन्युत्पादनमेतत् तथापि दिङ्नागभृतिभिर्वा चीनैः कुहेतुसन्तमससमुत्थापनेनान्छादितं शास्त्रं न तत्त्वनिर्णयाय पर्याप्तमित्युद्योत-करेण स्वनिवन्धोद्योतेन तदपनीयते'

मुनिवर अक्षयादने जगत् को सब प्रकार के दुखों से निर्मुक्त करने के उद्देश्य से न्यायशास्त्र का प्रणयन किया और वात्स्यायन ने उस पर भाष्य लिख कर उसे सर्व-सापारण के लिये सुनोष बना दिया। किन्तु दिङ्नाग आदि अर्वाचीन बोद्ध नैयायिकों ने कुतके के निविड तम का प्रसार कर मूल और भाष्य दोनों को अभिभृत कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप भास्त्रदारा पदार्थों का तत्त्वनिर्णय दुर्घट हो गया। इसलिये 'उद्योतकर-भारद्वाज' ने न्यायशास्त्र को उसके निसर्ग निर्मल रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने के हेतु बोद्ध नैयायिकों के समस्त कुतर्कन्तमस को निरस्त करने के लिये अपने ग्रन्थहृष्प उद्योत का अवधोतन किया।

वार्तिककार कौन ?

'न्यायवार्तिक' के अन्त में निम्न इलोक उपलब्ध होता है।

यदक्षपादप्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जगौ ।

अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम् ॥

इम इलोक से ज्ञात होता है कि न्यायवार्तिक 'भारद्वाज' की कृति है, किन्तु वाचस्पति मिथ ने न्यायवार्तिक को 'उद्योतकर' की वाजी बतायी है, और इसकी पुष्टि के लिये

'भ्यायवातिकनापर्यटोका' के आरम्भ और अन्त दोनों स्थानों में इस वात का उल्लेख किया है।

आरम्भ का वचन इस प्रकार है—

उद्योतकरणवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात् ।
इच्छमि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्नानाम् ॥

कुतर्कपूर्ण निघनो के दुस्तर पङ्क में पड़ी हुई 'उद्योतकर' की अतिज्ञीण गवी-वाणी वा उद्धार कर कुछ पुण्य अवित बरता चाहता है।

अन्त का वचन इस प्रकार है—

यद्युलभ्यमि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्नानाम् ।
उद्योतकरणवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात् ॥
मसारजलधिसेतौ वृपवेतौ सकलदुरसशमहेतौ ।
कलमसिलमपितमेतेन प्रीयतामीशः ॥

कुतर्कपूर्ण निघनो के दुस्तर पङ्क में पड़ी हुई 'उद्योतकर' की अतिज्ञीण गवी-वाणी का उद्धार बरने में जो कुछ पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है उसका सम्पूर्ण फल सासारभागर के सेतु, दुखों वा विनाश करने वाले भगवान् वृपमध्वज को समर्पित करता है, इससे भगवान् शब्दर प्रसन्न हो।

इम प्रकार 'वार्तिक' के उपर्युक्त शब्दों के अनुसार वार्तिककारका नाम 'भारद्वाज' है और वाचस्पतिमिथ के शब्दों के अनुसार वार्तिककारका नाम 'उद्योतकर' है। 'वासदत्ता' में 'वसुवद्व' ने भी 'भ्यायस्थितिभिव उद्योतकरस्वस्पाम्' वह वर 'उद्योतकर' नाम से ही वार्तिककार का स्मरण किया है। अब प्रश्न यह होता है कि वार्तिक के उक्त पद्म में भारद्वाज वा उल्लेख वार्तिककार के गोत्र का सूचक है अथवा नाम का सूचक है? इसी प्रकार वाचस्पति मिथ के उक्त कथनों में 'उद्योतकर' शब्द का उल्लेख वार्तिककारके नाम का सूचक है अथवा गुणमूलक उपाधिका सूचक है! यदि वार्तिक का 'भारद्वाज' शब्द गोत्र का और वाचस्पति मिथ का 'उद्योतकर' शब्द उपाधिका सूचक भाना जायगा तो वार्तिककार वा नाम अज्ञान के अन्धकार में ही पड़ा रह जायगा। अत उन दोनों शब्दों में किसी वो नाम का सूचक अवश्य मानना होगा? पर यह तिथ्य कैसे हो कि उक्त शब्दों में कौन सा शब्द नामपरक है? इस सम्बन्ध में मेरा विषय कैसे हो कि उक्त शब्दों में कौन सा शब्द नामपरक है? इस सम्बन्ध में मेरा विषय कैसे हो कि 'वार्तिक' का 'भारद्वाज' शब्द गोत्रपरक नहीं है, किन्तु नामपरक ही है, क्योंकि यदि उसे गोत्रपरक भाना जायगा तो भारद्वाज गोत्र के अनेक व्यक्ति

होने के कारण उससे वातिककार का व्यक्तिगत परिचय न हो सकेगा और उस दशा में वातिककार के लिये उम शब्द के प्रयोग की कोई सार्वकर्ता ही न होगी। अतः यही मानवा उचित प्रतीत होता है कि वातिककार ने 'भारद्वाज' शब्द से अपने गोत्र की मूलना नहीं दी है बिन्दु अपने नाम की ही सूचना दी है।

वातिककार के प्रति वाचस्पति मिथ के हृदय में अपार धड़ा है। अतः उन्होंने अपने ग्रन्थ 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका' में वातिककार का उल्लेख उनके नाम से नहीं किया है अपि तु उनको कृति 'न्यायवातिक' को बौद्ध नैयायिकों के कुतर्व-तमस का अपनयन करने वाला उद्योत मान कर 'उद्योतकर' को उपाधि से ही उनका स्मरण विद्या है। मेरे इस कथन की पुष्टि उनके पूर्वोक्त वाचय के 'उद्योतकरेण स्वनिवन्धोद्योतेन तदपनीयते' इस भाग से भी सम्बन्ध होता है।

इस प्रकार 'न्यायवातिककार कौन ?' इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 'उद्योतकर' इस औपाधिक नाम से प्रसिद्ध 'भारद्वाज' नाम के ऋषि वा ऋषिकल्प विदान् ही न्यायवातिककार है।

स्थान—

न्यायवातिककार के स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग उनके 'पाशुपताचार्य' उपाधि के आधार पर उन्हें कश्मीरी बनाते हैं। उनका कहना है कि कश्मीर पाशुपतसम्प्रदाय की आविर्भावभूमि है। वहाँ के विद्वानों ने अपन को पाशुपतसम्प्रदाय से सम्बद्ध मानने में अपना गोरव माना है। अतः 'पाशुपताचार्य' उपाधि से अभिहित होने वाले न्यायवातिककार को कश्मीरनिवासी मानना ही उचित है।

कुछ लोगों ने उन्हें भी मैथिल ही माना है। उन लोगों का कथन है कि न्यायशास्त्र के मूलकर्ता गोतम और भाष्यकर्ता बाल्यायन दोनों मैथिल हैं। वातिककार के परदर्ती वाचस्पति मिथ और उदयनाचार्य भी मैथिल हैं। अत वीच में एक वातिककार को कश्मीरी वहना उचित नहीं प्रतीत होता।

समय—न्यायवातिककार के समय के बारे में अभी तक केवल इतना ही निश्चय हो पाया है कि वह बौद्ध विद्वान दिग्नान वग्रवन्धु और नागार्जुन वे परबर्ती हैं, यदोकि उन्होंने न्यायवातिक में इन विद्वानों के नामों का वर्णन किया है। नाय ही यह में तिविवाद है कि यह 'वामवदत्ता' के रचयिता 'मुवन्धु' के पूर्ववर्ती हैं यदोकि मुवन्धु ने अपने उम गदकाःप्रम्य में 'न्यायस्थितिमिव उद्योतकरस्वरूपा... 'यामयदत्ता ददर्श' उम प्रकार वातिककार उद्योनकर का स्पष्ट निर्देश किया है।

नव्यन्याय के कतिपय आचार्य

गङ्गेश वा गङ्गेश्वर उपाध्याय—(१२०० ई० त०)

गङ्गेश मिथिला के मर्दश्रेष्ठ नैयायिक है। 'दरमङ्गा' के दक्षिणपूर्व कोण में 'बामला' नदी के तट पर स्थित 'कोरियाब' नामक प्राग में एक वात्मणविहारलुकुल में इनका नम्न हुआ था। पहले पर्याप्त समय तक ये अध्ययन से विरत थे, किन्तु काली द्वीप भाराधना से जब इन्हें न्यायनिष्ठात पण्डित होने का वरदान प्राप्त हुआ तब इन्होंने अध्ययन आरम्भ किया और थोड़े ही समय में ये न्यायशास्त्र के उज्ज्वल विद्वान् हो गये। ये मौलिक चिन्तन में निरान्त पृथु तथा असाधारण प्रतिभा से सम्पन्न थे। इन्होंने 'इदम्प्रयम्' पद्धति के एक नवीन एव पूर्णतया मौलिक महान् प्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' को रचना कर 'नव्यन्याय' को जन्म दिया। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में इनका यह वर्णन सर्वाया सत्य है कि—

यतो मणेः पण्डितमण्डनक्रिया प्रचण्डपापण्डतमस्तिरक्रिया ।

विपक्षपक्षे न विचारचातुरी न च स्वसिद्धान्तवचोदरिद्रिता ॥

यह ग्रन्थ एक ऐसा बहुमूल्य मणि है जिसमें पण्डित जनों का मण्डन, प्रचण्ड पापण्ड-रूपी अन्वकार का विनाश, तथा विपक्षीदल के विचारकोशल का लोप होता है और साथ ही अपने सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करने में किसी प्रकार की दरिद्रता-वृद्धि नहीं रहने पाती।

इस ग्रन्थ का दूसरा नाम 'प्रमाणचिन्तामणि' भी है। यह चार खण्डों में विभक्त है— प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अब्द। प्रत्येक खण्ड में 'दर्शनान्तर' के विरोधो मतों का तथा न्याय के अनेक पूर्ववर्ती मतों का निराकरण कर नूतन निर्दोष सिद्धान्तों की स्थापना की गई है।

यह ग्रन्थ अपनी असाधारण गरिमा और अमित महिमा के कारण अपने निर्माण-समय से ही मिथिला के तत्कालीन विशिष्ट नैयायिकों द्वारा अध्ययन-अध्यापन में परिगृहीत हो गया और कुछ ही दिनों में इस मणि की अलौकिक प्रभा से भारत का प्रत्येक भाग उद्घारित होने लगा। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से इस ग्रन्थ के अध्ययन-अध्यापन तथा मनन और चिन्तन के केन्द्र ही बन गये। बगाल के 'नवद्वीप' विद्वापीठ के नैयायिकों ने तो अपनी प्रतिभा के निक्षण पर इसे अच्छे प्रकार बसवर इसको और भी समुज्ज्वल तथा प्रभामम्पन बना दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि नवद्वीप के नैयायिकमुकुट 'रघुनाथ विरोमणि' को 'दीविति', 'मधुरानाथ तरकागीर' का 'रहस्य' 'जगदोदय तर्काल द्वार' को 'जागदोदयी' तथा 'गदाधर भट्टाचार्य' की 'गदाधरी' इन टीकोपटीकावों के साथ यह ग्रन्थ सदा के लिये नैयायिकों के अध्ययन-अध्यापन का विषय बन गया।

यह कथन पूर्णतया सत्य है कि १२ वीं शती से आज तक न्यायशास्त्र का जो सल्कार, परिद्धिकार और विस्तार हुआ है तथा इस अवधि में लिखे गये सस्कृत वाह्यमय की अन्य शाखाओं के ग्रन्थों में जो नूतनता और विवारणम् भीरता उपलब्ध होती है उस सबका धैय 'गङ्गैशोपाच्याम' के 'तत्त्वचिन्तामणि' को ही है।

नवीन प्रामाणिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठापना की पटुता के कारण ही ये 'सिद्धान्तदीक्षागुरु' कहे जाते थे, जैसा कि स्वयं इन्होंने प्रन्थ के आरम्भ में अपने विषय में अधस्तन पद्म में बहा है—

अन्वीक्षानयमाकलव्य गुरुभिर्जात्वा गुरुणां भतम् ।
चिन्तादिव्यविलोचनेन च तयोः सार विलोक्याखिलम् ॥
तन्त्रे दोपगणेन दुर्गमतरे 'सिद्धान्तदीक्षागुरु'
गङ्गेशस्तनुते मितेन वचसा श्रीतत्त्वचिन्तामणिम् ॥

'पुन्रे यशसि तोये च त्रिभिर्भाग्यपरीक्षणम्'

'सुखोपयुक्त, लोक में सुखण और अपने द्वारा बनवाये गये कूप आदि वे जल का मार्गुर्य इन तीन बालों से मनुष्य के भाग्य की परीक्षा होती है' इस उक्ति के अनुसार ये बड़े भास्त्रशाली पुरुष थे, क्यों कि जिस प्रकार इन्होंने अपने अगाध ज्ञान से लोक में अपने धर्म के विस्तारक 'तत्त्वचिन्तामणि' जैसे शून्यरत्न की रचना की थी उसी प्रकार अपने दारीर में न्यायविद्या के पारगत 'वर्धमान उपाच्याय' जैसे पुत्ररत्न को भी उत्पन्न किया था। गङ्गेश अपने पुनर्वर्धमान के शब्दों में 'न्यायाम्भोजननङ्ग' और 'भीमासापारदण्डी' है। वर्धमान ने उसी रूप में उनको बन्दना की है।

न्यायाम्भोजपतञ्जाय सीमांसापारदृद्धवने ।
गङ्गेऽवराय गुरुये पित्रेऽत्र भवते नमः ॥

गङ्गेश भगवान् शब्द को 'ओम्' पर से वाच्य, परमहृषालु तथा समस्त जगत् का व्याप्तय मानवर इहां, विष्णु, महेश इस त्रिमूर्ति के रूप में उनकी उपासना करते थे, जैसा कि 'तत्त्वचिन्तामणि' के उनके महाल श्लोक से व्यक्त है।

गुणातीतोऽपीश्वरिगुणसचिवस्त्वश्वरमयः
त्रिमूर्तिः भन सर्गम्भितिविलयकर्माणि तनुते ।
कृपापारायारः परमगनिरेकविजगती
नभन्तम्भै कर्मैचिद्भितमहिन्ने पुरभिदे ॥

तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्यायें—

तत्त्वचिन्तामणि के ऊपर बड़े बड़े नैयायिकों ने अनेक व्याख्यायें लिखी हैं। उनमें ‘रघुनाथशिरोमणि’ की ‘दीधिति’ ‘पञ्चधरमिश्र’ का ‘आलोक’ तथा ‘भयुरानाथ तर्कवागीश’ का ‘रहस्य’ ये तीन व्याख्यायें अत्यन्त प्रौढ़ और अति प्रसिद्ध हैं।

दीधिति में मूलग्रन्थ के अर्थ को स्फुट करने के साथ अनेक नूतन विचारों का भी विस्तृत समावेश किया जया है। उसकी ओर उसके व्याख्येय ग्रन्थ की गम्भीरता के कारण उस पर कई प्रौढ़ व्याख्यायें निर्मित हुई हैं जैसे—

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| १-रामबद्र तर्कवागीश की | ‘तत्त्वचिन्तामणिदीधितिटीका’। |
| २-रघुदेव न्यायवालहुआर की | ‘दीधितिटीका’। |
| ३-हनु न्यायवाचमणि की | ‘तत्त्वचिन्तामणिक्षीधितिप्रकाशिका’। |
| ४-जयग्राम न्यायपञ्चानन का | ‘तत्त्वचिन्तामणिगूढायविदातन’। |
| ५-रामबद्र सार्वभौम की | ‘दीधितिटीका’। |
| ६-कृष्णदास सार्वभौम को | ‘तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्रसारिणी’। |
| ७-भवानन्द सिद्धान्तवागीश की | ‘तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्रकाशिका’। |
| ८-जगदीश तर्कालहुआर पो | ‘जगदीशी’ टीका। |
| ९-गदावर भट्टाचार्य की | ‘गदावरी’ टीका। |

दीधिति के ऊपर लिखी गई व्याख्याओं में ‘जगदीशी’ और ‘गदावरी’ का स्थान सर्वोपरि है और अपनी विशिष्टता के कारण दीधिति की यही दो टीकाएं पठन-पाठन में विवेप्रयोगिक हैं। तथा अनन्तरवर्ती अनेक विद्वानों ने इन टीकाओं पर क्रोडपत्रों का प्रग्रहण किया है।

‘पञ्चधरमिश्र’ का ‘आलोक’ तत्त्वचिन्तामणि के अर्थ को आनोखित करने वाली एक विशद व्याख्या है। आलोक के क्षेत्र भी विद्वानों न अनेक व्याख्यायें लिखी हैं। जैसे—

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| १-हरिदास न्यायवालहुआर भट्टाचार्य की | ‘मायालोकटिष्णी’। |
| २-भयुमूदत ठवकुर का | ‘तत्त्वचिन्तामण्यालोकहट्टकोद्दार’। |
| ३-भहेश ठवकुर का | ‘आलोकदर्पण’। |
| ४-देवनाथ ठवकुर का | ‘तत्त्वचिन्तामण्यालोकपरिशिष्ट’। |
| ५-कृष्णदास सार्वभौम की | ‘भमुमानालोकप्रसारिणी’। |
| ६-भवानन्द सिद्धान्तवागीश का | ‘पत्यभालोकमारमञ्जरी’। |
| ७-गुणानन्द विद्यावागीशका | ‘वद्वालोकविवेक’। |
| ८-गदावर भट्टाचार्य की | ‘तत्त्वचिन्तामण्यालोकटोका’। |

मधुरानाथ तर्कवागीशका 'रहस्य' तत्त्वचिन्तामणि के समस्त भाग को अत्युत्तम व्याख्या है। इसमें मूलग्रन्थ का समग्र रहस्य बड़ी मुद्रों जैलो में उद्घाटित हुआ है। यह व्याख्या इन्होंने स्पष्ट है कि प्रतिभाशालो अध्येता विना टीका के ही इसे समझ सकते हैं। मूलग्रन्थ पर 'रहस्य' नाम की साक्षात् टोका के अतिरिक्त इन्होंने 'दोधिति' और 'आलोक' पर भी 'रहस्य' नाम को टीकाएं लिखी हैं।

'दोधिति' 'आलोक' और 'रहस्य' के अतिरिक्त 'तत्त्वचिन्तामणि' की ओर भी कई व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं। जैसे—

१-वणाद तर्कवागीश भट्टाचार्य की	'मणिव्याख्या'
२-हरिदाम न्यायालङ्घार की	'तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशिका'
३-वर्धमान उपाध्याय का	'तत्त्वचिन्तामणिप्रकाश'
४-शङ्कर मिश्र का	'तत्त्वचिन्तामणिमयूख'
५-हरिचंद्र मिश्र का	'तत्त्वचिन्तामणिप्रकाश'
६-रघुदेव की	'तत्त्वचिन्तामणिगूढार्थदीपिका'
७-हरिराम तर्कवागीश की	'तत्त्वचिन्तामणिटीका'
८-शवानन्द सिद्धान्तवागीश की	'तत्त्वचिन्तामणिटीका'
९-जगदीश भट्टाचार्य का	'तत्त्वचिन्तामणिमयूख'
१०-गदाधर भट्टाचार्य की	'तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या'
११-वाचस्पति मिश्रका	'अनुमानखण्ड'

बड़ी उत्तम और बड़ी ज्ञानवर्पक वात हो, यदि 'तत्त्वचिन्तामणि' का एक ऐसा उत्पादन हो जिसमें इन सभी व्याख्याग्रन्थों के उन अशोक का समावेश हो जो दूसरे व्याख्याग्रन्थों से गतार्थ नहीं होते।

इनिहास के गवेषक विद्वानों ने इनके पन्थ में 'सप्तपदार्थी' कार 'शिवादित्य मिश्र', 'हाल्डन' कार 'श्रीहरि' और पृथिव्यानीकल्प 'धीराचस्मितिमिथ' आदि महान् विद्वानों के निरैक्षण्य के आधार पर बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनको विद्यमान माना है।

प्रश्नावधार मिश्र —

'प्रश्नावधारमिथ' मिश्रिला के उद्ग्रुट नैदायिक थे। इनका दूसरा नाम या जयदेव। इन्होंने राज्ञेन्द्रोपाल्पत्रप के 'तत्त्वचिन्तामणि' पर 'आलोक' नाम के विग्रह टीकाग्रन्थ का निर्माण किया था। ये जैसे उच्चकोटि के नैदायिक थे वैसे ही मुप्रसिद्ध नाटकार भी थे। इनके 'प्रश्नावधारमिथ' भी नाटकग्रन्थों में बड़ी प्रसिद्धि है। यह इतिहासवेत्ता विद्वानों द्वारा १३ वीं शती के उत्तरार्ध में विद्यमान माने गये हैं।

वासुदेव सार्वभौम—

‘वासुदेव सार्वभौम’ बहुवसुन्धरा के अनमोल मणि हैं। इन्होने मिथिला में रहकर वही के प्रसिद्ध नैयायिक पक्षधर मिथ से तत्त्वचिन्तामणि का विधिवन् अध्ययन किया था। ऐसो किम्बदन्ति है कि मिथिला के नैयायिक अपने देश की निधि न्यायविद्या को मिथिला से बाहर ले जाने को अनुमति किसी को नहीं देते थे। वासुदेव सार्वभौम इस दानको जानने थे। अतः इन्होने छात्रजोवन में वही सम्पूर्ण तत्त्वचिन्तामणि और न्यायकुमुमाञ्जलिको अध्यरथ कण्ठ कर लिया और बासी आकर उन्हें लिपिबद्ध किया। इस प्रकार न्यायशास्त्र वो नवद्वीप में लेजाकर इन्होने वही न्यायशास्त्र के अध्ययन के लिये एक विद्यापोठ की स्थापना की। इतिहासवेत्ता इन्हें १३ वीं शती के उत्तरार्ध और १४ वीं शती के पूर्वी म अवस्थित मानते हैं।

रघुनाथ शिरोमणि—

तार्किकशिरोमणि ‘रघुनाथ’ नवद्वीप के अडितीय नैयायिक है। इन्होने पहले वासुदेव सार्वभौम और बाद में पक्षधर मिथ से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था। इन्होने तत्त्वचिन्तामणि पर ‘दीर्घिति नाम की अद्भुत टीका की रचना की है और उसमें अपने दोनों गुरुओं तथा पूर्ववर्ती अन्य अनेक नैयायिकों के भतों को बालोचना की है। अपनी असाधारण प्रतिभा और तर्कशक्ति से न्यायशास्त्र के अनेक पुरातन सिद्धान्तों का युक्तिपूर्वक खण्डन कर इन्होने अनेक नूतन सिद्धान्तों की उद्घावना की है। इन्होने अपनी चिन्तनशीलता और बौद्धिक क्षमता को इस प्रकार प्रकट किया है—

विदुपा निवहैरिहैकमत्याद् यददुष्टं निरटद्विं यद्दुष्टम् ।
मयि जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुतां तदन्यथैव ॥

मधुरानाथ तर्कवागीश—

‘मधुरानाथ’ नवद्वीप के सुदीप प्रतिभासम्पन्न महान् नैयायिक थे। इनके असाधारण वेदुप्य के सम्मान में विद्वत्यमाज ने इन्हें ‘तर्कवागीश’ की उपाधि से अलड़कृत कर रखा था। तत्त्वचिन्तामणि पर ‘रहस्य’ नामकी इनकी टीका न्याय की पण्डित-भण्डली में अत्यन्त समादृत है। यह सर्वथा सत्य है कि मधुरानाथ के ‘रहस्य’ के विना चिन्तामणि के अनेक स्थल ‘रहस्य’ ही रह जाते हैं। इतिहासवेत्ता इन्हें १६ वीं शती में विद्यमान मानते हैं।

जगदीश तर्कालङ्घार—

‘जगदीश’ अपने समय के न्यायशास्त्र के उच्चकोटि के विद्वानों में सर्वमान्य थे। इन्होने ‘रघुनाथ’ की ‘दीर्घिति’ पर विस्तृत टीकाग्रन्थ की रचना की है, जो ‘जागदीशो’

नाम से विष्णुत है। 'तर्कमूर्ति' और 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' आदि इनके कई मौलिक प्रत्य हैं। विद्वानोंने 'जगदीशस्य सर्वस्वं शब्दशक्तिप्रकाशिका' कह कर इनकी 'शब्द-शक्तिप्रकाशिका' की प्रत्यक्षित की है। वह ऐतिहासिकों द्वारा १७ वीं शती में विद्यमान भाने गये हैं।

गदाधर भट्टचार्य—

'गदाधर भट्टचार्य' शब्दोप के स्वतन्त्रधन्य नैवायिक है। इन्होंने रघुनथ की 'दीपिति' पर अत्यन्त विस्तृत और परिष्कृत टीकाप्रत्य की रचना की है जो 'गदाधरी' नाम से विष्णुत है। व्युत्पत्तिवाद, दान्तिवाद आदि इनके कई ऐसे मौलिक प्रत्य हैं, जो इनकी मौलिक चिन्तन की असाधारण विद्यगता के साक्षी हैं। इतिहास-वैतानों द्वारा यह १७ वीं शताब्दी में विद्यमान भाने गये हैं।

प्रकरणप्रत्य और उनके निर्भाता—

न्यायशास्त्र में 'प्रकरणप्रत्यों' को सख्ता पर्याप्ति है। पदार्थों के परिचय के लिए इन प्रत्यों को बड़ी उपयोगिता है। अत. कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणप्रत्यों और उनके रचयिता विद्वानों की थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है।

पराशर उपपुराण में 'प्रकरण' की परिभाषा निम्न प्रकार से की गई है।

शास्त्रकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् ।

आहुः 'प्रकरणं' नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः ॥

जिस ग्रन्थ में किसी एक शास्त्र के प्रतिपादा विषयों में किसी एक ही विषय का प्रधानतया प्रतिपादन होता है और साथ ही सम्बद्ध शास्त्र में अतिरिक्त शास्त्र के विषयों का भी प्रथोजनानुसार समावेश किया गया होता है, विद्वज्ञ उमे 'प्रकरणप्रत्य' कहते हैं।

न्यायशास्त्र के प्रकरणप्रत्य चार विभागों में रखे जा सकते हैं।

१—न्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ जिनमें प्रमाणपदार्थ का प्रधान रूप से और प्रमेय, सराय आदि पन्द्रह पदार्थों का गोग रूप से वर्णन होता है।

२—न्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ, जिनमें न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के साथ वैशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि छ पदार्थ भी वर्णित होते हैं पर स्वतन्त्ररूप से नहीं किन्तु न्यायदर्शन के पदार्थों के किसी वर्ग में अन्तर्भुक्त होकर।

३—न्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ, जिनमें न्यायदर्शन के प्रमाणों को वैशेषिक दर्शन के पदार्थों को किसी थेबी में अन्तर्भुक्तिकर कर वैशेषिक के द्रव्य, गुण आदि पदार्थों के साथ उनका प्रतिपादन किया जाता है।

४-न्यायशास्त्र के ऐसे ग्रन्थ, जिनमें न्याय और वैदेशिक दर्शन के कठिपय विषयों का उन दर्शनों को शैली से पृथक्-पृथक् वर्णन होता है।

प्रथम विभाग के प्रकरणग्रन्थों के रचयिता

भासर्वज्ञ (१० वीं शती)

'भासर्वज्ञ' के देश और काल का निर्णय दुश्क संपदा जाता है। कश्मीरी सर्वज्ञमित्र और सर्वज्ञदेव के नामसाम्य के आधार पर इन्हें कश्मीर का निवासी बहु जा सकता है।

इतिहासज्ञों का कथन है कि १४ वीं शती के अन्त में स्थित घैन विद्वान् गुणरत्न की 'पद्मदर्शनमवृत्ति' में और १४ वीं शती के द्वितीय चरण में स्थित गलघारो राजदेवर के 'पद्मदर्शनमुच्चवय' में भासर्वज्ञ का तथा १० वीं शती के अन्त में विद्यमान घौढ़ विद्वान् रत्नकीर्ति की 'अपोहसिद्धि' में भासर्वज्ञ के 'न्यायसार' की प्रसिद्ध टीका 'न्यायभूषण' का उल्लेख प्राप्त होता है, इस लिए 'भासर्वज्ञ' को १० वीं शती के द्वितीय चरण में अवस्थित माना जा सकता है।

न्यायसार—

'न्यायसार' भासर्वज्ञ का एक अनमोल प्रकरण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का असरमन निमाद्वित मञ्जुलस्त्रोक के साथ हुआ है।

प्रणाम्य शम्भुं जगतः पर्ति परं समस्ततत्त्वार्थविदं स्वभावतः ।

शिशुप्रबोधाय मवाऽभिधास्यते प्रमाण, तद्भेद, तदन्यलक्षणम् ॥

इस ग्रन्थ में प्रमाण लक्षण के प्रसङ्ग में अशय और विषयक वीं चर्चा करके प्रयाप्त के तीन भेद बताये गये हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इस सख्यामाम्य के वारण यह ग्रन्थ सास्य और जीन दर्शन के अनुरूप तथा उपमान के साथ उक्त तीन प्रमाण मानने वाले न्यायदर्शन एवं प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानने वाले घौढ़दर्शन के विषय हैं।

प्रत्यक्ष—

प्रत्यक्ष के दो मुख्य भेद माने गये हैं 'दीगिक' और 'लोकिक'। 'दीगिक' के दो भेद बताये गये हैं 'युक्त' और 'अयुक्त'। 'अयुक्त' के दो भेद कहे गये हैं 'आद' और अनार्प। लोकिक प्रत्यक्ष के छ. भेद बताये गये हैं—द्वारण, रासन, चालुप, स्पार्शन, धावण और धानस।

अनुमान—

अनुमान के दो भेद बताये गये हैं 'स्वार्थानुमान' और 'परार्थानुमान'। स्वार्थानुमान को अवयवसाध्य बताकर उसी के सन्दर्भ में निर्णय, वाद, जन्य, वितण्डा, छल, जाति और निप्रहरण्यानों का परिचय दिया गया है।

शब्द—

शब्दप्रमाण के दो भेद वर्णित हैं दृष्टार्थक—लौकिक आत्माक्य और अदृष्टार्थक—वेदवाक्य।

प्रमेय—

प्रमेय के चार भेद बताये गये हैं—दुःख, दुःखारण, दुःखतिवृति और दुःखनिवृति का उपाय।

मोक्ष—

मोक्ष में दुःख की निवृति के साथ शाश्वत सुख की प्राप्ति का समावेश किया गया है।

उक्त प्रचार से प्रभाण के मुह्य प्रतिपादन के साथ न्यायदर्शन के प्राय अन्य सभी पदार्थों का वर्णन इस ग्रन्थ में सम्पन्न हुआ है और साथ ही न्यायदर्शन में अप्रतिपादित मोक्ष की शाश्वतमुख्यपूर्वका आदि का भी विस्पृण है, जब 'प्रकरण' को उक्त परिभाषा के अनुसार प्रथमविमाणीय प्रकरण ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

द्वितीयविभाग के न्यायशास्त्राय प्रकरण ग्रन्थ

वरदराज (१० वीं शती)

'वरदराज' सम्भवत आनन्द प्रदेश के निवासी थे। इन्होने 'तर्हिककरक्षा' नामक एक सुप्रसिद्ध प्रकरणग्रन्थ की रचना की है और उसके तात्पर्य के अवदोत्तनार्थ उस पर 'सारमधृह' नाम की एक व्याख्या भी लिखी है। विष्णुस्वामी के शिष्य ज्ञानपूर्ण ने 'लघुदीपिका' और महिलनाय ने 'विष्णुग्रन्थ' टीका की रचना कर उसका पर्याप्त धोतवर्धन किया है।

इस ग्रन्थ में न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का निष्पत्ति करते हुये 'प्रमेय' के मध्य में आत्मा, शरीर आदि वारह पदार्थों के साथ द्रव्य, गुण आदि छ पदार्थों का भी परिप्रेक्षण करके उनका विशद प्रतिपादन किया गया है। प्रमेय के मध्य में द्रव्य आदि छ पदार्थों का अन्तर्भवि यदि इष्ट है तब अश्वपाद ने 'अन्य प्रमेयों के समान द्रव्य आदि प्रमेयों का भी लक्षण और परीक्षा द्वारा प्रतिपादन क्यों नहीं किया?' इष्ट प्रश्न का उत्तर इन्होने यह बहकर दिया है कि द्रव्य, गुण आदि पदार्थों का ज्ञान सामान् मोक्ष का साधन नहीं है अत एव उक्ता निष्पत्ति अश्वपाद ने नहीं किया क्योंकि मोक्षसाधक ज्ञान के विषयों का प्रतिपादन ही उन्हें अभिप्रेत था, जैसा कि 'तर्हिककरक्षा' के निम्न पद से स्पष्ट है।

मोक्षे साक्षादनङ्गत्यादक्षपादैर्णं लक्षितम् ।

तन्त्रान्तरातुसारेण पट्कूं द्रव्यादि लक्ष्यते ॥

‘तार्किकरक्षा’ मे वाचस्पतिमिश्र और उदयनाचार्य का निर्देश करते हुए निम्न पद्धति का उल्लेख किया गया है ।

आलोच्य दुस्तरगभीरतरान् प्रबन्धान्

चाचस्पतेहृदयनस्य तथा परेपाम् ।

सारो भवात्र समगुलत वाचदूके

नित्यं कथासु विजिगीषुभिरेप धार्यः ॥

इस इलोक के अनुसार ‘वरदराज’ निश्चितरूप से इन लोगों के बाद के हैं । १४ वीं शती मे लिखे गये ‘माधवाचार्य’ के ‘सर्वदशनसङ्ग्रह’ मे इनका उल्लेख है । अत इनका उस समय से पहले का होना विश्वित है । ऐतिहासिकोंने अपनी गावेषणिक प्रणाली से तार्किकरक्षाकार वरदराज को १२ वें शतक के मध्य मे अवस्थित होने की सम्भावना बत्त की है ।

केशवमिश्र (१३ चौ, शता, तृतीय चरण)

‘केशव मिश्र’ अपने समय के भिन्निला के थेषु नैयायिको म अन्यतम हैं । इन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ ‘तर्कभाषा’ नामक एक प्रकरण ग्रन्थ की रचना की है जो न्यायदर्शन के महानद मे प्रवेश पाने के लिए मुड़ौल सौपान के समान है ।

बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशमल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन ।

संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मर्येषा ॥

‘तर्कभाषा’ की रचना के इस चट्टेश्वर की पूर्ति मे ‘तर्कभाषा’ पूर्णरूप से सदाप मिद्द है । न्यायदर्शन मे कहे गये बारह प्रमेयों मे चौथे प्रमेय ‘अर्थ’ के मध्य वैशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि छ पदार्थों का परिगणन कर इस ग्रन्थ मे उनका भी सुदोध बर्णन किया गया है ।

न्यायदर्शन तथा वैशेषिक दर्शन के प्रन्थो मे अनेकत्र विलरे हुये कठिनपय विशेष ज्ञातव्य विषयों का संधित एव मुन्दर सकलन कर उन्हों परम मुगम वना प्रन्थकार ने कैवल छात्रों को ही नहीं अपिलु विद्वानों वी भी प्रशासनोपय सहायता की है । यह कहने मे कोई अविशयोक्ति नहीं है कि उचितस्पत से अध्ययन कर यदि इस ग्रन्थ का अम्बस्त रखा जाय तो न्याय, वैशेषिक दोनों दर्शनों के समग्र प्रमेय करामलभवत् हो सकते हैं । इस गुण-

इनकी एक कमनीय कृति है जो न्याय, वैशेषिक दर्शनों का एक विशाल प्रकरणप्रन्थ है। प्रन्थ का बारम्भ पुरुषोत्तम परमात्मा को बन्दना से किया गया है जो इम प्रकार है—

नाथः सहजत्यवति यो जगदेकपुत्रः
प्रीत्या ततः परमनिर्वितिमादधाति ।
तस्मे नमः सहजदीर्घकृपानुवन्ध—
लघ्वनितत्त्वतनवे पुरुषोत्तमाय ॥

‘बल्लभाचार्द’ ने अपनी बल्कभा के नाम पर इस प्रन्थ का नामकरण किया है और एक इलड पद्य के द्वारा पन्नीर्पा तथा प्रन्थर्पा ‘लीलावती’ ना वर्णन करते हुए प्रतिपाद्य द्रव्य आदि पदार्थों का उल्लेख किया है। वह सुन्दर पद्य इस प्रकार है—

द्रव्यं नाधिकमुद्देवलो गुणगणः कर्मधिकं श्लाघ्यते ।
ज्ञातिर्विष्फुलितिमागता न च पुनः श्लाघ्या विशेषस्थितिः ।
सम्यन्धः सहजो गुणादिभिरयं यत्रास्तु सत्प्रीतये
माऽन्वीक्षानयवेऽमकर्मकुशला श्रीन्यायलीलावती ॥ २ ॥

इस पद्य में प्रतिपाद्य विषय के रूप में वैशेषिक दर्शन के ‘धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्य-गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्’ इन सूत्र के अनुसार द्रव्य आदि छः भाव पदार्थों का ही निर्देश किया गया है। इस निर्देश से ‘अभाव’ पदार्थ वैशेषिक को मान्य नहीं है, ऐसा किसी को भ्रग न हो जाय, एतदर्थं उन्होंने भावरदार्थ के पद्विव विभाग का उपपादन करते हुए ‘अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिपिद्म्य न्यायदर्शने भानसेन्द्रियतासिद्धिवदत्राय-विरोधाद्यम्युपगमसिद्धान्तमिद्वत्वात्’ इस प्रन्थभाग से अभाव को अम्युपगम-सिद्धान्तसिद्ध कह कर उमे वैशेषिकसम्भव बताया है।

‘बल्लभाचार्द’ ने इस प्रन्थ में वैशेषिक के पद्विव भाव पदार्थों में दूसरे पदार्थ ‘गुण’ के वर्ग में परिणित बुद्धि का विद्या—यथार्थज्ञान और अविद्या—अयथार्थज्ञान इस प्रकार दो भेद बताकर विद्या वे साधन के रूप में न्यायदर्शन के चतुर्विध प्रमाणों का प्रतिपादन किया है।

उच्चक्षेत्र के नीयाधिकों द्वारा लिखित जिन टीका-उपटीका ग्रन्थों से ‘न्यायलीलावती’ की मुपमा विद्वानों के बौद्ध नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं वे इस प्रकार हैं—

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| १—न्यायलीलावतीप्रकाश, | वर्द्धमान उपाध्यायकृत । |
| २—न्यायलीलावतीदीधिति, | रघुनाथपिठोमणिकृत । |
| ३—न्यायलीलावती कण्ठाभरण, | शङ्कुरमिथकृत । |

४—न्यायलीलावतीप्रकाशविवेक, मयुरानाथतर्कवागीशकृत, (उपटीका)।
५—न्यायलीलावतीप्रकाशविवृति, भगवीरथउकुखृत, (उपटीका)।

इतिहासज्ञों का कथन है कि न्यायलीलावती में १० वीं शती के चतुर्थ चरण में विद्यमान उदयनाचार्य का निर्देश है तथा १३ वीं शती के प्रथम चरण में वर्तमान वर्षमान ने इस प्रन्थ पर व्याख्या लिखी है अतः इन दोनों के मध्य १२ वीं शती में इस प्रन्थ के रचयिता 'बल्लभाचार्य' की स्थिति सम्भव प्रतीत होती है।

अञ्जम्भट् (१७ वीं शती, प्रथम चरण)

दक्षिण भारत की परम्परागत मान्यता के अनुसार 'अञ्जम्भट्' 'चित्तूर' जिला के निवासी आनन्द पण्डित हैं। इनका बनाया 'तर्कसप्रह' एक अत्यन्त सुप्रसिद्ध और निरान्त लोकप्रिय प्रन्थ है। इसके बारम्ब और उपसहार में क्रम से निम्नलिखित दो पद प्राप्त होते हैं ।

नियाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् ।

बालाना सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः ॥

कणादन्यायमतयोर्धार्यालव्युत्पत्तिसिद्धये ।

अञ्जम्भटेन विदुपा रचितस्तर्कसप्रह- ॥ १ ॥

दूसरे श्लोक से स्पष्ट है कि 'तर्कसप्रह' न्याय और वैशेषिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला वालोपयोगी प्रन्थ है। इस प्रन्थ में वैशेषिक दर्शन के द्रव्य गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थों का प्रतिपादन बड़ी सुस्पष्ट एवं सुदोष भाषा में किया गया है। अन्त में 'सर्वेषामपि पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात् सप्तेव पदार्था इति सिद्धम्' कहकर न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का वैशेषिक के द्रव्य, गुण आदि सात पदार्थों में अन्तर्भाव सूचित किया गया है। इस प्रन्थ के ऊपर 'अञ्जम्भट्' ने स्वयं एक टीका लिखी, जिसका नाम 'तर्कसप्रहदीपिका' है। इस टीका के अन्तिम भाग में द्रव्य आदि पदार्थों में न्यायदर्शनोक्त सोलह पदार्थों का अन्तर्भाव बड़े मुन्दर और सरल ढंग से दिखाया गया है।

'तर्कसप्रहदीपिका' के ऊपर नीलकण्ठ भट्ट ने 'प्रकाश' नाम को एक टीका लिखी है जो 'नीलकण्ठी' नाम से प्रसिद्ध है और नीलकण्ठी के ऊपर नीलकण्ठ के पुत्र लद्मोनृगिर्हन भास्करोदया नाम को एक विस्तृत और प्रामाणिक टीका लिखी है और उसे अर्ध-नारीश्वर शिव को निम्नाद्वित पद-गत्य द्वारा अवित किया है।

श्रीमत्यग्निहोत्रमण्डलीकुमुदिनीराकासुधादीधिते:

पुत्रसन्त्य च नीलकण्ठविदुपोलक्ष्मीनृसिंहाभिभः ।

र्थमत्तात्विनिर्मिता कृतिभिमां न्यायात्वान् मङ्गुका

तेन स्यान्मुदितो हिमाचलसुवावामार्घदेहः शिवः ॥

श्रीमद्विष्णुमूर्तिप्रसादलब्धानवद्यविद्यनिखिलवेदशास्त्राभ्युखसर्वतन्त्रस्वतन्त्र-स्थानल्पान्तेवासिंपद्मास्यजितदिङ्गमण्डलविद्वद्गजविविधग्रन्थनिवन्धनपदुत्तर-सिद्धान्तपारीणकुशलपण्डितमण्डलविकचकुमुद्वतीरमणायमानाद्वैतज्ञानामृतो-दग्गरथारासम्पातनिरन्तरविडम्बितप्रावृष्टेण्यवारिवाहव्यूहमहामहोपाध्यायश्री-नीलकण्ठभृत्यरणकमलव्यानावलब्धसन्मतिकतत्सूतुसूरिश्रीलक्ष्मीनृसिंहविर—चिता तर्कसंप्रहदीपिकाप्रकाशव्याख्या भास्करोदयाख्या श्रीनीलकण्ठस्य प्रीतये सम्मोभूयात् ।

(१) दीपिका (२) प्रकाश और (३) भास्करोदया टीकाओं के साथ तर्कसंप्रह वर्षाई के निर्णय सागर प्रेस में १६१५ ई० में प्रकाशित हुआ है । इन टीकाओं के अतिरिक्त गोवर्धन मिथ की (४) न्यायकोणियों टीका और चन्द्राज चिह्न की (५) पदकृत्य टीका भी वडो व्युत्पादक टोकायें हैं ।

तर्कसंप्रह भाषासारह्य, शंक्लीसौन्दर्य, स्वल्पकायना और विषयप्रतिपादन की पूर्णता वी दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी और अतीव जनप्रिय होने के कारण देश की विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकृत है । इसलिये इस ग्रन्थ पर वरावर टीकायें लिखी जाती रही हैं । कई लोगों ने अप्रेजो और हिन्दी में भी इसका अनुवाद विया है ।

तर्कसंग्रहदीपिका में व्याख्यों के राजा विभूवन तिलक की चर्चा और तर्कसंप्रह की एक हस्तलि सत्र प्रति पर २७२४ ई० के उल्लेख के आधार पर अन्तममट्ट को १७ वीं शती में विद्यमान माना जाना उचित ज्ञात होता है । इन्होंने अपने जीवन का अधेक भाग वाराणसी में व्यतीत किया था और वहीं काशीलाभ प्राप्त किया था ।

विश्वनाथ न्यायपद्मानन (१७ वीं शती, तृतीय चरण)

विश्वनाथ न्यायपद्मानन 'रघुनाथ शिरोमणि' की शिष्य-परम्परा में नवद्वीप के थेष्ट नेयायिक है । इनका 'भाषापरिच्छेद-कारिकावली' न्याय और वैशेषिक का एक सुप्रशस्त 'प्रकरण' ग्रन्थ है । अपने एक अल्पमति किन्तु परम भक्त छात्र के अनुरोध पर इन्होंने इस भाषापरिच्छेद—कारिकावली पर एक व्याख्या लिखी थी । जैसा इन्होंने हस्य कहा है ।

निजनिर्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः ।

विश्वदीकरथाणि कौतुकान्तनु राजीवदयावशम्पदः ॥

वह व्याख्या 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' के नाम से पण्डितरामाज में सुप्रसिद्ध है ।

'कारिकावली' का आरम्भ शुद्धवन्दना और 'गुच्छावली' का आरम्भ गिववद्दना से हुआ है । जैसे—

नूतनजलधरहृचये गोपव्यूढीदुकूलचीराय ।

तस्मै कृष्णाय ममः संसारमहीनहस्य धीजाय ॥ [कारिकावली]

चूडामणीकृतविपुर्वलयीकृतवासुकिः ।

भयो भयतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः ॥ [मुक्तावली]

‘मुक्तावली’ की ‘दिनरूरी’ और ‘रामहरी’ दीक्षाओं में इन श्लोकों की पाण्डित्यपूर्ण मनोरम व्याख्या की गई है ।

विश्वनाथ अपनी ‘पिङ्गलप्रकाशिका’ के

विद्यानिवासमूनोः कृतिरेपा विश्वनाथस्य ।

विदुपामतिसूक्ष्मधियाममत्सराणां मुदे भविता ॥

इस वचन के अनुसार ‘विद्यानिवास’ के पुत्र हैं । विद्यानिवास के ‘दानकाण्ड’ दाम की पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति म० म० हरप्रसाद शास्त्रों की ‘नेपालशब्दसूची’ की भूमिका में उल्लिखित ।

सर्वेषां मौलिरित्तानां भट्टाचार्यमहात्मनाम् ।

एतद्विद्यानिवासानां दानकाण्डाख्यपुस्तकम् ॥

व्योमेन्दुशरदीतांशुमितशाके विद्योपतः ।

शूद्रेण कविचन्द्रेण विलिख्य परिद्वोधितम् ॥

इस वचन के अनुसार १५१० शक (१५८८ ई०) में ददार हुई थी ।

जै० ए० एस० बी० प० ६; सं० ७ में प्रकाशित म० म० हरप्रसादशास्त्री के लेख में उद्धृत

रसवाणतिथी शकेन्द्रकाले घटुले कामतिथी शुची सिताहे ।

अकरोन्मुनिसूत्रवृत्तिमेता ननु वृन्दावनविषयिने म विश्वनाथः ॥

इस वचन के अनुसार विश्वनाथ ने १६३४ ई० में ‘म्यायसूत्रवृत्ति’ का निर्माण किया था । इन सब तथ्यों के आधार पर उन्हें १७ वीं शती के पूर्वार्ध म विद्यमान मानना संगत प्रतीत होता है ।

इस प्रथम में भी वैशेषिक के सततिविध पदार्थों म द्वितीय पदार्थ गुण के अन्तर्गत वृद्धि के एक प्रभेद यथार्थ अनुभव के प्रसङ्ग में म्यायशास्त्रोत्तरवृद्धि प्रमाण का प्रतिपादन किया गया है ।

जगदीश तर्कालङ्कार (१७ वीं शती)

‘जगदीश’ ‘नवदीप’ के महामहिम नव्य तीयाधिक है । इनका वैदुष्य बहुमुखी था । इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रन्थों की रचना की है । पर वहुज व्ययेताथों के लिये अध्ययन की सामग्री

इस पद के नरसिद्धान्त' शब्द से सूचित होता है कि इस प्रथा में जिन मतों का सम्बन्धित किया गया है उन्हें उन मठों को मानन वाले चाहे जितना भी कौन्ता स्थान दें पर वह नरमत हैं सामाजिक नर के मत हैं। और जिस मत का इस प्रन्थ में समर्थन किया गया है वह गोतम गृष्णि से प्रतिष्ठापित हान के कारण आर्य मत है। इस प्रन्थ पर 'शापानन्त' न 'भ्यापसिद्धान्तदीपटीका' नाम की व्याख्या लिख कर इसको उपर्यागिता की वृद्धि की है।

वशीय परम्परा के अनुसार शक्तिपर और मणिधर अपना प्रक्षा की लीक्षणता और प्रतिष्ठानों के मत पर भीण आक्रमण करने की प्रवृत्ति के कारण यिह और व्याघ्र कहे जाते थे और इसा किय इनके बनाय 'पामिलभण गिहव्याग्रलक्षण' कहे जाते थे। गङ्गापायाध्याय न अपन तत्त्वनिर्णायकि के अंतर्गत अनुमानखण्ड के व्याप्तिप्रबरण में इन उधानों को दापप्रस्त बताया है। यदि इस परम्परा की सत्य माना जाय तो १२ वीं शती में गङ्गाध्याय के पूर्व शक्तिपर वा समय सिद्ध हो सकता है।

माधवाचार्य (१४ वीं शती)

श्रीमत्सायणदुग्धाद्धिकर्त्तुभेन महोजसा ।

नियते माधवार्येण सर्वदर्शनसग्रह ॥

इस सबदशनसग्रह के वचन के अनुसार माधवाचार्य सायण वे वशज हैं। वही सायण जो सम्भवत वदा के भाष्यकर्ता हैं। इन्हाँन अपन सबदशनसग्रह में सभी वैदिक अधिदिक दशाना के सिद्धान्तों का पाठ्यक्यन निरूपण किया है। न्याय और वैशिष्टिक दशानों का क्रम से अक्षपाददशन और जीलूक्यदशन के नाम से इस प्रथा में सन्निवेश किया गया है। पर्याप्त प्रावृत्त भाषा में प्रमुख विषयों का वर्णन इस प्रन्थ में विव्यस्त है।

(१) सबदशनसग्रह के अतिरिक्त जो ग्रन्थ उनकी कृति के रूप में जात हैं, वे यह हैं।

(२) जैमिनीयन्यायमालाविस्तर ।

(३) कथानिषय ।

(४) परायारस्मृतिव्याख्या ।

ये १४ वीं शती के द्वितीय चरण से लगभग उस शती के अंत तक विद्यमान थे।

जयन्तभट्ट (१० वीं शती)

जयन्तभट्ट पदवाक्यप्रमाणपाराकारीष पण्डित हैं वैदिक अवैदिक सभी दशानों में इनकी गति अप्रतिहत है। जिसी शास्त्र में कही भी इनकी मति कुण्ठित नहीं होती। ये जैसे उच्चकोटि के शास्त्राधिकुशल वक्ता हैं उसी प्रकार उच्चकोटि के मधुरवाक रससिद्ध

कवि भी है। 'जमिन्द' ने प्रथमे 'कादम्बरीकथामार' के उपक्रम में इनके सम्बन्ध में सत्य ही कहा है।

'व्यक्ता कवित्यवक्तृत्वफला यस्य सरस्वती'

जयन्तभट्ट अपनी यश प्रथा से गम्भीर दिग्मण्डन को उद्दापित करने वाले महापण्डित श्रीचन्द्र' के शिवरक असंज्ञ थे। 'विद्वज्जन नववृत्तिकार' वह कर इनको प्रशस्ता करते थे। शास्त्रार्थसभाओं में प्रतिवादियों पर मदैव 'विजय प्राप्त' करने के कारण इन्होने 'जयन्त' नाम से प्रभिद्वि प्राप्त को थी। इस तथ्य को इन्होने 'न्यायमञ्चरी' के निम्नाद्वित उपाधि पर्याय में घटा पकट किया है।

यादेऽग्रामज्ञयो जयन्त इति यो विलयातकीतिः क्षिता-
वन्धर्थी 'नववृत्तिकार' इति य शंसन्ति नाम्ना वुवाः।
सुनुव्याप्रविगन्तरम्य यदासा 'चन्द्रम्य' चन्द्रत्विपा
चक्रे चन्द्रकलावनूलचरणाध्यायी स धन्या कृतिम् ॥

न्यायमञ्चरी 'जयन्तभट्ट' की परमोल्ह कृति है। यह गोतम के न्यायमूर्त्रों की सोधे व्याख्या करने वाली अभिनव वृत्ति है। जयन्त के शब्दों में यह

न्यायोपधिष्ठनेभ्योऽयमाहत परमो रमः ।
इदमान्वीक्षिकीक्षीरान्वयनीतमिषोद्धृतम् ॥

यह न्याय के जाद ग्रन्थों का परमरस और भान्वीक्षिकी के क्षीर का निसर्गनिर्भर नवनोत है।

न्यायमञ्चरी में न्याय के प्रमाण प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के नाम पर सोलह प्रकरण हैं और ये सब प्रत्यक्ष वारह आह्वानी का म अन्तर्भुक्त हैं। पहले के छ आह्वानों में 'प्रमाण' प्रकरण पूरा हुआ है। इन प्रकरण में अर्थात् अनाव (अनुपलक्ष्य), सम्भव और ऐतिह्य के प्रमाणात्व का खण्डन कर तथा जारीक के प्रत्यर्थकप्रमाणवाद, दोद और वैत्तिक के प्रत्ययानुमान प्रमाणद्वयवाद तथा भाव्य के प्रत्ययानुमानशब्द-प्रमाणत्रयवाद का खण्डन कर एवं यथदर्शन के प्रत्यक्ष अनुमान, उद्यान और शब्द, इन चार प्रमाणों की प्रतिष्ठापना को गई है और न्याय के प्रमाणचनुग्रहवाद के समर्थन के सन्दर्भ में वैदिक, अर्द्धवैदिक सभी दर्शनों के प्रत्यक्षप्राप्त अन्य मतवादों का निर्मम निराकरण किया गया है। यात्र से नव तक लीन आह्वानी में 'प्रमेय' प्रकरण पूर्ण हुआ है जिसमें 'आत्मा' से 'अद्वर्ग' तक न्यायग्रन्थोंक वारह प्रमेयों का विशद प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकरण में आत्मा, वुद्धि और अपश्च वारह प्रमेयों का विरूपण बड़ा महत्वपूर्ण है। इस निरूपण में विभिन्न

दर्शनों के विरोधी नहों का थड़ा रेस्ट्रक्चर और अनुत्तर गुलिक्षणवृंदक खण्डन किया गया है। सशय आदि शेष चौदह प्रकारण दश से बाहर तक तीन आहिकों में पूर्ण हुये हैं।

‘न्यायमञ्जरी’ भाषासौष्ठव, अर्थगामीर्य, विपर्यचातुरलघु और प्रतिपादनदात्य इन सभी दृष्टियों से महतीय, अनुशोलनीय तथा अम्भसनीय है।

‘जयन्त’ ने ‘न्यायमञ्जरी’ में प्रत्यक्षलक्षणमूल को व्याख्या के सन्दर्भ में ‘अन्नाचार्य-स्वावदाचक्षते, साधु चोदित, सत्यमीदृश एवार्य ज्ञानाना क्रमः, इत्यादि रूप में ८१ ई० में स्थित ‘वाचस्पति’ मिथ के मत का निर्देश किया है। ११वीं शती में स्थित जैनविद्वान् ‘देवमूर’ ने ‘स्पादादरस्ताकर’ के दूसरे परिच्छेद में—

यदत्र शक्तिसंसिद्धौ मज्जत्युदयनद्विपः ।

जयन्त ? हन्त का तत्र गणना त्वयि कीटके ॥

बहुकर ‘जयन्त’ का असूयापूर्वक उल्लेख किया है। अत इतना तो निर्विवाद है कि जयन्त ८१ ई० के बाद और ११०० ई० के पूर्व विद्यमान थे। ‘कादम्बरीकथासार’ में ‘जयन्तभट्ट’ के पुत्र अभिनन्द ने उनको राजा मुक्तापीड़ के अभास्तय शक्तिस्वामी’ का प्रपोत्र बताया है। कश्मीरनरेश ‘मुक्तापीड़’ का समय ८ वीं शती का मध्य माना जाता है। उस समय में मन्त्रिपद पर स्थित ‘शक्तिस्वामी’ और उनके प्रपोत्र ‘जयन्त’ के बीच यदि १५० वर्ष का अन्तर माना जाय तो ‘जयन्तभट्ट’ को १० वीं शती के प्रथम चतुर्थीय में स्थित माना जा सकता है।

न्यायशास्त्र के तीन रूप—

यदि न्यायशास्त्र के समस्त विकास को तीन काल में विभाजित किया जाय तो यह काल न्यायशास्त्र का मध्यकाल और इसके पूर्व का काल बाह्यकाल और इसके बाद का २०० से १००० तक का काल अन्त्य काल कहा जायगा। आद्य काल का न्याय ‘प्राचीन-न्याय’, मध्यकाल का न्याय ‘साम्राज्यिक न्याय-प्राचीन न्याय की उत्तरशाखा’ और अन्त्य काल का न्याय ‘नव्यन्याय’ कहा जायगा।

अर्द्धेन्द्रिक न्याय—

रिस गोत्पीय न्यायशास्त्र का परिचय अभी दिया गया वह बैंदिक न्याय है। बैंदिक न्याय में येद वा अकाटप्रमाण माना जाता है। इन्तु भारत दर्य में ऐसे भी दो न्याय नामन प्रचलित हैं त्रिन्हे बौद्धन्याय और जैनन्याय शब्द में अभिहित किया जाता है और बिमन बैंद वा प्रामाण्य वा बड़े आपद्ध से ग्रहण किया गया है। इन दोनों दो अनेक हो नहो इन्तु अपिक्तर मान्यतामें बैंदिक न्याय न अन्यन्त विस्तृ है। इन्तु यह होने पर भी ये अपने विकास के लिये बैंदिक न्याय के विस्तृत स्पष्ट में अपर्मर्श हैं। यद्यपि इन दोनों के माध्य चिर सपर्वं के फलस्वरूप बैंदिक न्याय वा भी पर्याप्त विकास

और विस्तार हुआ है तथापि उसका एक अपना मौलिक रूप भी है जो इन से नितान्त अप्रभावित है। इन न्यायों के विषय में तो ऐसा लगता है कि इनकी मौलिकता भी वैदिक न्याय से पूर्ण रूप से प्रभावित है। ४०० ई० से १२०० ई० तक का काल अवैदिक न्याय के परमोत्कर्ष का काल माना जाता है।

बौद्धन्याय—

बौद्धन्याय चार सम्बद्धायों में विभक्त है वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक। इनमें प्रथम दो 'हीनयान' के तथा अन्तिम दो 'महायान' के अन्तर्गत हैं। 'हीनयान' का सम्बन्ध 'स्थविरवादी' सङ्घ से और 'महायान' का सम्बन्ध 'महा-साधिक' संघ से है। पहला संघ बुद्धविनयों को परिवर्तनीय तथा दूसरा संघ उसे अपरिवर्तनीय मानता है। यही दोनों में उल्लेखनीय भेद है।

वैभाषिक—

वैभाषिक न्याय में पदाथ के 'विषयी' और 'विषय' के रूप में दो भेद माने गये हैं और दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है। विषयी में रूप, वेदना भजा, सस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कृणों का, चक्षु आदि छ इन्द्रिय तथा रूप आदि उनके छ विषय और विज्ञान इन तीन भातुओं का समावेश होता है। विषय में रूपरूप, चित्तधर्म, चैत्तधर्म और रूपचित्तचित्रप्रयुक्त धर्म इन चार 'स्त्रहन'—हेतुप्रत्ययजन्य धर्मों का तथा आवादा, प्रतिसद्यानिरोध—प्रज्ञापूर्वक निरोध और अप्रतिसद्यानिरोध प्रज्ञानिरपेक्ष निरोध, इन तीन 'अस्त्रहन' हेतुप्रत्ययजन्य धर्मों का समिक्षण होता है। इस न्याय में जगत् को वैधानिक, सस्कृत तथा अस्कृत धर्मों का समर्पित रूप, सत्य, प्रत्यक्षवेद्य तथा धरणम—दूर मान कर 'अहंत्' पदको प्राप्ति और 'दु याभावरूप निवणि' को मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया है।

वैभाषिक न्याय की विशेष जातकारी के लिये काण्डायनोपत्र, वसुवन्धु, स्थिर-मनि, दिनांग, धर्मोमित्र तथा राज्यभद्र प्रभूति बौद्ध विद्वानों के प्रन्थों का अवलोकन करना चाहिये।

सौत्रान्तिक—

इस न्याय में बुद्ध के मूलात्मक वचनों के यथार्थत अर्थ को विशेष महत्व दिया जाता है। इसकी पदार्थकल्पना वैभाषिक के समान ही है। भेद वेवल इतना ही है कि वैभाषिक भत में ज्ञेय और ज्ञान दोनों को प्रत्यक्ष माना जाता है और सौत्रान्तिक भत में ज्ञान को प्रत्यक्ष तथा ज्ञेय को अनीन्द्रिय एवं ज्ञानानुमेय माना जाता है।

सौत्रान्तिक न्याय का समुचित परिचय प्राप्त करने के लिये कुमारलाल, श्रीलाल, धर्मग्रात, बुद्धदेव आदि बौद्ध पण्डितों के प्रन्थों का अनुशोलन करना चाहिये।

योगाचार -

इस व्याध में 'विज्ञानवाद' को दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में मान्यता दी गयी है। विज्ञानवाद के अनुसार 'विज्ञान' ही एकमात्र सत्य वस्तु है। चित्, मन और विज्ञप्ति उसी के नाम हैं। विज्ञन के दो भेद हैं प्रवृत्तिविज्ञान और आलयविज्ञान। सकार के सम्पूर्ण व्यवहार प्रवृत्तिविज्ञान से समुद्रूत होता है। 'अहम्' बाकार का ज्ञान आलय विज्ञान है। आलय विज्ञान ही इस मत के अनुसार आत्मा है। दोनों प्रकार के विज्ञान स्वप्रकाश एवं क्षणिक हैं। जगत् की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वह विज्ञान का विवर्त-मात्र है। उपकी केवल व्यावहारिक ही सत्ता है। परमार्थ सत्ता तो केवल विज्ञान की ही है। इन मत के अनुसार आत्मनूत ज्ञानप्रवाह को नितान्त निर्मल बनाना ही मनुष्य का मुरुप और अन्तिम घटेय है।

यामाचार न्याय को पूर्णतया हृदयङ्गम करने के लिये मैत्रेयनाथ, जसच्छ, वसुवन्धु, स्विरमति, दिनांग शङ्करज्ञामो, धर्मपाठ तथा धर्मकीर्ति आदि बीद्र पण्डितों के प्रन्थों का परिशोल करना चाहिये।

माध्यमिक—

माध्यमिक न्याय रा दार्शनिक सिद्धान्त है 'शून्यवाद'। इसके अनुसार जेय और ज्ञान दोनों ही दार्शनिक हैं। इस मत में एकमात्र पारमार्थिक 'शून्य' ही है और वह गन्, यस्तु, मदयत तथा मदसद्विकल्पण, इन चार कोटियों से मुक्त है। जगत् इस 'शून्य' का ही विवर्त है। विवर्त का मूल है 'सर्वति' जो 'ब्रह्मिदा' और 'वासना' के नाम से भी अभिहित होती है। इस मत के अनुसार कर्मरूप क्षेत्रों की निवृत्ति होने पर मनुष्य 'निर्वाण' को प्राप्त कर छोड़ उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है जैसे तेढ़ और बत्ती गमास होने पर 'प्रदोष'।

इन न्याय के विस्तृत और विशद ज्ञान के लिए नागार्जुन, आर्द्देव, बुद्धालित, नात्रिविरुद्ध, चन्द्रीर्णि, गान्धिनदि और पानिराधित आदि बीद्र ताकिसों के प्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये।

चारों सम्प्रदारों की ऋतिप्रय ममान मान्यतायें -

प्रमाण—बीद्रन्याय में दो प्रमाण माने गये हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। उनमें भी 'स्वतन्त्रण वस्तु' मात्र का प्राहुक होने में केवल 'निविकल्पक' प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 'सविकल्पक' तो मात्र जाति आदि काल्पनिक पदार्थों का प्राहुक होने से वप्रमाण हो देता है।

व्याप्ति बीद्रन्याय में व्याप्ति का क्षेत्र वैदिक न्याय की अपेक्षा गीयित्र माना गया है। उसमें अनुमान 'तदुन्यति' और 'तत्तादात्म्य' ही व्याप्ति के उपजीव्य हैं। आदाय

यह है कि जिन पदार्थों में परस्पर 'कार्यकारणभाव' वा 'तादात्म्य' होता है उन्ही में 'व्याप्यव्यापकभाव होता है।'

न्याय बोद्धन्याय में न्याय-अनुमान वाक्य के दो ही अवयव माने गये हैं 'उदाहरण' और 'उपनय'। इस अवयवद्वयात्मक न्याय से ही विश्व की क्षणिकता, विज्ञान-मात्रता, पुद्यलन्नरात्म्य तथा धर्मन्नरात्म्य आदि का साधन कर 'मर्वगून्यता' सिद्धान्त की प्रतिष्ठा को गई है।

सत्ता—बोद्धन्याय में 'अर्थक्षियाकारित्व' को 'सत्ता' का लक्षण मानकर और स्थिर पदार्थ में उसे अनम्भव बता कर समस्त भावात्मक पदार्थों को क्षणिक भावा गया है।

सद्देतु—बोद्धन्याय में किसी हेतु की सद्देतुता के लिये उसे पलसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षामत्त्व, इन तीन अनुमायक रूपों से सम्पन्न होना व्यावश्यक माना गया है। गोतमीय न्याय में स्वीकृत अवधितत्व और वस्त्रप्रतिपक्षत्व को नवावश्यक बताया गया है।

हेत्वाभास—बोद्ध न्याय में वैशेषिक की भाँति तीन ही हेत्वाभास माने गये हैं—विषद्, असिद्ध और व्यभिचारी।

कथा—बोद्ध न्याय में भी कथा के बाद, जल्प और वितण्डा भेदों का वर्णन किया गया है, किन्तु अन्त में सिद्धान्तत वाक्यकथा को ही प्राप्त भाव कर जल्प और वितण्डा को त्यज्य बनाया गया है। कथा के निरूपण के सन्दर्भ में छल, जाति और नियहस्थान का भी यथोचित प्रतिपादन किया गया है। इन विषयों के बारे में बोद्ध न्याय के मन्तव्य को ठीक ढंग से समझने के लिये उपायहृदय, न्यायविन्दु और वादन्याय आदि प्रम्य द्वारा देखें।

आर्यसत्त्व—बोद्ध न्याय के सभों सम्प्रदायों में भार 'आर्य सत्त्व' माने गये हैं दुख, दुखसमुदय, दुखनिरोध और दुखनिरोध का मार्ग। इनमें दुखसमुदय का अर्थ है—दुख का कारण। 'भवनक' ही दुख का बारंण है। उसकी साम्प्रदायिक नाम है 'प्रतीत्यसमुत्ताद'। उसके १२ अङ्ग होते हैं—ज्ञित्वा, स्तकार, विज्ञान, नाम-रूप, क्षायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति-जन्म और जरापरण। इनमें प्रथम दो पूर्व जन्म से, मध्य के आठ वर्तमन जन्म से तथा अन्त के दो भावों जन्म से सम्बद्ध हैं। चौथे आर्यसत्त्व को 'अष्टाङ्गयोग' के रूप में वर्णित किया गया है। उसके नाम हैं—सम्पर्ग जन्म, सम्पर्ग वचन, सम्पर्क, कर्मान्ति, सम्पर्ग आजीव, सम्पर्ग व्यायाम, सम्पर्क सृष्टि तथा सम्पर्क-

समाधि । इन योगद्वारे के सेवन से यथार्थ प्रश्ना का आविर्भाव होता है और उसी से 'भवधक' का विनाश होकर 'मोक्ष' की प्राप्ति होती है ।

चार भावनायें—मोक्ष मार्ग पर बाहुद्ध होने के लिये बार भावनाओं को आवश्यक माना गया है । वे हैं—सब कुछ दुखमय है, सब क्षणिक है, सब स्वलक्षण है तथा सब शून्य है । इन भावनाओं के अन्यास से सासारिक आसक्ति का क्षय होता है और उसके कलस्वरूप मनुष्य मोक्षमार्ग का सफल परिक बन जपने चरम लक्ष्य 'गिर्वाण' की ओर बग्रसर होता है ।

नालन्दा विश्वविद्यालय

'विहार' में 'राजगिरि' के निकट 'नालन्दा' में बौद्धों का अखिल भारतीय स्तर का एक महान् विश्वविद्यालय था जो नालन्दा विश्वविद्यालय के नाम से ख्यात था । उसके सम्मुखारामों छात्रालयों में तीन सहस्र से अधिक भिक्षु छात्र निवास करते थे । उसम रत्नसामर, रत्नोदधि और रत्नरञ्जक नाम के तीन बड़े विशाल पुस्तकालय थे जिनमें समग्र बौद्ध साहित्य सुरक्षित था । इस विश्वविद्यालय को सत्कालीन राजाओं का पूर्ण आध्यात्मिक प्राप्ति था जिसके पलस्वरूप इस विश्वविद्यालय को दो भौ में अधिक प्राप्ति थी । धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, बोवमित्र, ज्ञानचन्द्र, शीलभद्र, कमलशील आदि प्राध्यापकों के कारण इस विश्वविद्यालय की बड़ी प्रतिष्ठा थी । यह अनुमनत ४५० ई० से ७५० ई० तक उपरि की पराकाष्ठा पर विद्यमान था । बौद्ध न्याय के विकास और सर्वर्धन में इस विश्वविद्यालय का भग्नान् योगदान था ।

बौद्ध न्याय मानवी, पाली और सस्कृत इन तीन भाषाओं में विकसित और पह्लवित हुआ है अत विकासक्रम से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये इन भाषाओं का ज्ञान अपेक्षित है ।

जैनन्याय—जैनन्याय भी दो भारायें हैं 'इवेताम्बर' और 'दिग्म्बर' । दोनों का प्रमुख मिदान्त है 'अनवान्वयाद' ।

अनेकान्तवाद—अनकान्तवाद का आशय यह है कि सद्वार की प्रत्येक वस्तु परम्पर विद्वद् प्रश्नोत होन वाले अनन्त घमों वा भिन्नाभिन्न वाक्य हैं । वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनों की जा विनिप्र मान्यतायें हैं, अपेक्षाभेद-दृष्टिमत से व सब शर्त हैं । उनम किसी एक वा यथार्थ मानना और अन्या को अथार्थ मानना ठीक नहीं है । वस्तु को कुछ परिमित रूपाये हो दागना नयदृष्टि है प्रमाणदृष्टि नहीं । 'नयदृष्टि' का अर्थ है एकान्ती दृष्टि और 'प्रमाणदृष्टि' का अर्थ है 'सर्वान्तीष्ठि दृष्टि' ।

नय—वस्तु को एकान्त भाव से किसी एक ही रूप में वा कुछ ही रूपों में प्रहृण करने वाले ज्ञान का नाम है 'नय' । 'नय' के मुख्य दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक के तीन भेद हैं—नैगम, सप्रह और व्यवहार । पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—जट्जुत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवम्भूत । सभी 'द्रव्यार्थिक' नय वस्तु के केवल 'सामान्य' अथ को ही प्रहृण करते हैं । इसी प्रकार सभी 'पर्यायार्थिक' नय वस्तु के केवल 'विशेष' अथ को ही प्रहृण करते हैं । फलत, किसी भी नय से सामान्य—विशेष उभयात्मक वस्तु का साकल्येन प्रहृण नहीं होता ।

प्रमाण—वस्तु को विविध रूपों में प्रहृण करने वाले ज्ञान को 'प्रमा' के अर्थ में तथा उस ज्ञान के साधन को 'प्रमाकरण' के अर्थ में 'प्रमाण' कहा जाता है । प्रमाण के दो भेद हैं—'प्रत्यक्ष' और 'परोक्ष' । वस्तु को विशद रूप में प्रहृण करने वाले प्रमाण का नाम है 'प्रत्यक्ष' और अस्तदृष्ट रूप में प्रहृण करने वाले प्रमाण का नाम है 'परोक्ष' । प्रत्यक्ष के दो भेद हैं—साध्यव्यवहारिक और पारमार्थिक । 'पारमार्थिक' प्रत्यक्ष का प्रादुर्भाव मन और इन्द्रिय की सहायता के बिना केवल आत्मशक्ति से ही सम्पन्न होता है जब कि 'साध्यव्यवहारिक' प्रत्यक्ष के प्रादुर्भाव में मन, इन्द्रिय आदि बाह्य उपकरणों की भी अपेक्षा होती है । परोक्ष के दो भेद हैं—बनुमान और शब्द । अनुमान से होने वाले बोध को 'अनुभिति' तथा शब्द से होने वाले बोध को 'शावदबोध' कहा जाता है ।

सम्भद्गी नय—किसी वस्तु के परम्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भावान्वात्मक दो अशो का समन्वय बताने के लिये इन वाक्यों का प्रयोग होता है उनकी सहया सात हैं उन सातों वाक्यों के समूह का ही नाम है 'सम्भद्गीनय' । इसी का दूसरा नाम है । 'स्याद्वाद' जिसमें आजकल पूरे जैनदर्शन का व्यपदेश होने लगा है । इसे समझने के लिये उदाहरण के रूप में निम्न वाक्यों को लिया जा सकता है ।

"आत्मा स्याद् अस्ति, स्यात्मास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् अवक्तव्यः, स्याद् अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्यात्मास्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च" । इन वाक्यों का क्रम से अर्थ यह है आत्मा का अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, वह अस्ति, मास्ति उभयात्मक भी है, उसकी वास्तविकता को व्यक्त करनेवाले शब्द के न होने से वह अवक्तव्य भी है, यह अस्ति होकर भी अक्तव्य है, नास्ति होकर भी अक्तव्य है और वह अस्ति-नास्ति उभयात्मक होकर भी अवक्तव्य है ।

इस सम्भद्गी नय से यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा के सम्बन्ध की उक्त सभी मार्यताओं दृष्टिभेद से सम्भव और युस्तुत है ।

कथा जैनन्याय में भी कथा के तीन भेद बताये गये हैं—वाद, जल्प और वितण्डा। पर इनमें केवल 'वाद' को ही उपादेय माना गया है और शेष दो को केवल हेय ही नहीं कहा गया है अपितु उनका सामिनिवेश दण्डन भी किया गया है।

छल और जाति—इन न्याय में भी छल और जाति का परिचय दिया गया है कि तु वादात्मक कथा के ही उपादेय होने के कारण उनके प्रयोग का साम्राह नियेष कर दिया गया है।

निग्रहस्थान—जैनन्याय में वैदिकन्याय और बौद्धन्याय के निग्रहस्थानों का खण्डन कर अपने ढग में 'उनका निष्पत्ति किया गया है और उसके स्वर्गमें जय, पराजय के तिणायिक तत्त्व का भी प्रतिपादन किया गया है जैनन्याय म प्रतिवादी को किसी प्रकार मृक कर देने मात्र में ही वादों को विजयी नहीं माना जाता किन्तु जब वह प्रतिवादी के विजेधा तर्कों का खण्डन कर अपने पक्ष को प्रमाणों द्वारा प्रतिष्ठित कर देता है तभी उसे विजयो समझा जाता है।

न्यायवाक्य जैनन्याय में वैदिकन्याय वा बौद्धन्याय के समान न्यायवाक्यों को काई नियत मरणा नहीं गई है किन्तु उसे प्रतिपाद्य पृष्ठ को योग्यता पर निर्भर किया गया है। जब इन भन्त म स्थिति के अनुसार एक से पाँच तक न्यायवाक्यों के प्रयोग का जीचित्य माना जाता है।

सद्देतु—जैनन्याय में किमी हेतु को सद्देतुरा के लिये उसे पश्चस्त्व, सप्तस्त्व, विष्ट्रिस्त्व अवाधित्व और असत्प्रतिपक्षत्व इन पाच रूपों से अथवा आद के तीन रूपों से सम्पन्न होने को आवश्यक नहीं माना जाता। उसके अनुसार किमी हेतु को सद्देतु होने के लिये उसे माध्य का अविनाभावी होना मात्र पर्याप्त है।

हेत्वाभास—इस न्याय में 'खेताम्बर परम्परा में' हेत्वाभास के तीन ही भेद माने गये हैं विहङ्ग, अभिङ्ग तथा व्यभिचारी। किन्तु 'दिगम्बर परम्परा' में 'अकिञ्जितकर' को जोड़कर उनकी सम्प्याधार चार दो गई है।

जैनन्यायका तत्त्वज्ञान—

जैन न्याय म कुल भात तत्त्व माने गये हैं—जीव, वजीव, धार्षव, वन्य, सदर, निर्जरा और घोण।

जीव जीव वह है जिसमें उपयोग-बोधव्यापार का उदय हो। बोधव्यापार चैनन्य-दाकिं का धार्य है और यह जीव में स्वाभाविक है। जीव की मृत्यु अनन्त है और उसका परिमाण दहस्यारी है।

अजीव—जिसमें बोधब्यापार की उत्थादिका चैतन्यशक्ति नहीं होती। वह जगोव कहा जाता है। उसके दो भेद हैं 'अस्तिकाय' और 'अनस्तिकाय'। अस्तिकायरूप अजीव के चार भेद हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। 'अस्तिकाय' का अर्थ है 'प्रदेशसमूह' तथा 'अवयवसमूह'। प्रथम में धर्म, अधर्म और आकाश का तथा दूसरे में पुद्गलों का समावेश होता है। पदार्थों की गति के निमित्तभूत द्रव्य को धर्म, उनकी स्थिति के निमित्तभूत द्रव्य को 'अधर्म' उन्हें स्थान देने के निमित्तभूत द्रव्य को 'आकाश' तथा जीवन मरण के निमित्तभूत द्रव्य को 'पुद्गल' कहा जाता है। 'अनस्तिकाय' का एक ही भेद है और वह है 'काल'।

आत्मव जीव को कर्मबन्धन में डालन वाले जीवब्यापार को 'आत्मव' कहा जाता है। वह भन, वाक् और काय से जनित होने के कारण त्रिविध माना जाता है।

बन्ध—बारतप्रदेशों के साथ कर्मपुद्गलों के मम्बन्ध का नाम है 'बन्ध'। वह मिष्ट्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कपाय और योग इन पात्र हेतुको से उत्पन्न होता है।

सबर मन, वचन और शरीर की कुत्सित प्रवृत्तियों के निरोध का नाम है 'सबर'।

निर्जीरा—तप, समय आदि के सेवन से चिरसञ्जित शुभ-अशुभ कर्मों के आणिक विनाश को 'निर्जीरा' कहा जाता है।

मोक्ष—समस्त कर्मबन्धनों के आत्मनितक विनाश का नाम है 'मोक्ष' और उसका उपयोग है— सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चर्त्तरण का सरत सेवन।

जैनव्यायकी विस्तृत एव प्रामाणिक जानकारी के लिये उमास्वाति, कुन्दकुन्दाचार्य, समतभद्र, सिद्धदर्शन, अकलद्वय, बादिराजमूरि, देवमूरि, हेमचन्द्र, मलिलपेणमूरि और यशोविजय आदि जैन विद्वानों के ग्रन्थों का अध्ययन आवश्यक है।

तर्कभाषा की प्रस्तुत व्याख्या क्यों लिखी गई?

'तर्कभाषा' की प्रस्तुत द्विन्दी व्याख्या लिखने के कई कारण हैं। एक तो यह कि यह ग्रन्थ न्याय और वैदेशिक दर्शन के प्रतिपाद्य विषयों का ज्ञान कराने वाली अपने हांग को अनुपम पुस्तक है। अकेले इसके अध्ययन से दोनों शास्त्रों दा समीक्षीय परिचय प्राप्त हो जाता है। दूसरा कारण यह कि इस पुस्तक की जितनी भी व्याख्याय है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, वह सब जनक स्थानों में अपूर्ण एव अपर्याप्ति है। मूल-ग्रन्थ में ऐसे नई स्थल हैं जिनका यथए मर्मज्ञान उन व्याख्याग्रन्थों से नहीं हो पाता। अतः ऐसे स्थलों को दृष्टि भर उनकी मुख्यधता के ग्रन्थादनार्थ एक नये व्याख्याग्रन्थ की आवश्यकता पड़ी। तीसरा कारण यह कि देश की अनेक परीक्षाओं में पाठ्यग्रन्थ

के रूप में निर्धारित होने के कारण इसका पठन—पाठन वही मात्रा में हो रहा है कि इनु उस पर इधर नये लेनको द्वारा जो कई व्याख्यायें लियी गई हैं उनमें अनेकत्र अस्तराता तो है ही, साय ही कुछ प्रूटिया भी हैं। अतः यथासम्भव उनसे मुक्त व्याख्या को रचना अत्यावश्यक थी जिसमें अध्येता के अस्पष्ट और प्रूटिशूर्पं विषयज्ञान के अर्जनश्लेषा का परिहार हो सके। औया कारण यह है कि सस्कृतप्रभ्या के निषावान्, यदास्यो प्रकाशकं 'भोतीलाल यनारसोदात्, दिल्लो' शिष्यको एक अच्छी शामा वाराणसो में ऐस सस्कृत-वाङ्मयकी स्तुत्य सेवा कर रहो हैं, के वर्तमान रणधार लाला थीमुन्दरलाल तथा श्रीशान्तिलाल की प्रेरणा, जिसने मुझे प्रस्तुत ग्रन्थ की एक हिन्दी व्याख्या लिखने वो विवश किया ।

उक्त कारणों से यह व्याख्या प्रस्तुत थो गई है। इसमें यथासम्भव मूलग्रन्थ के प्रत्येक स्थल का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया गया है और यथापेद भुज विस्तृत विवेचन तथा अनेकत्र अनेक विषयों के सम्बन्ध म अन्य दर्शनों के दृष्टिकोण का सन्निवेदा किया गया है। इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि प्रतिपादि विषय का विशद विवेचन हो किन्तु विशदीकरण के प्रयास में वह भाषादीर्थित्य न बाने पाये जिसके कारण बहुधा आधुनिक व्याख्याग्रन्थों में अनजाने विषयसम्बन्धी प्रूटिया स्थान पा जाती हैं।

मुझे वही प्रमन्तता होंगी और सम्भवत दार्शनिक विषयों पर अन्य हिन्दी ग्रन्थों को लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी, यदि मेरे इस लघु प्रयास से विद्वानों को कुछ मनस्तोप और विद्याविद्यों को कुछ अपेक्षित अर्थबोध सम्भव हो सका ।

मूलग्रन्थ की विषय-सूची

क्र०	विषय	पृ०
१.	ग्रन्थरचना का प्रयोजन तथा उसकी प्रतिक्रिया	१
२.	न्याय शास्त्र के प्रमाण आदि १६ पदार्थ एवं शास्त्र की विविध प्रवृत्ति उद्देश, लक्षण, परीक्षा का निर्वचन	४५
[प्रमाणपदार्थ : पृ० १८-६२]		
३.	प्रमाण का लक्षण	१८
४.	प्रमा का लक्षण	१८
५.	करण का लक्षण	२७
६.	कारण का लक्षण	२९
७.	कारणत्व और कार्यत्व का लक्षण	३३
८.	कारण के व्यतिरेकवित्त लक्षण का संणदन	३५
९.	कारण के भेद	३८
१०.	अपुतभिद का लक्षण और उदाहरण	४०-४५
११.	समवायिकारण का लक्षण और उदाहरण	४७
१२.	द्रव्य के स्वगत गुण के प्रति कारणता पर वाक्यों तथा उसका परिचार	४८-५६
१३.	द्रव्य का लक्षण और उसकी परीक्षा	५०
१४.	असमवायिकारण का लक्षण तथा उदाहरण	५१
१५.	निमित्तकारण का लक्षण तथा उदाहरण	५६
१६.	प्रमाण के 'अनविगतार्थगन्तुत्व' लक्षण का संणदन	५८
[प्रत्यक्षनिष्पत्ति : पृ० ६४-१०५]		
१७.	प्रत्यक्ष का लक्षण और विभाग	६४
१८.	प्रत्यक्ष प्रमा और उसके करण के तीन स्वरूप और तीन करण	६४-७७
१९.	इन्द्रियसन्निकर्ता के छ. भेद और उनके उदाहरण	७९-८४

क्र.	विषय	पृ०
२०	साविकल्पक के प्रत्यक्षत्व के सम्बन्ध में आंशेप और उसका समाधान	१०६
[अनुभाननिरूपण : पृ० १०५-१३१]		
२१	अनुभान का लक्षण	१०५
२२	लिङ्गपरामर्श और व्याप्ति के लक्षण	१०६
२३	व्याप्ति के अनोपाधिकत्व लक्षण के प्रसग में उपाधि का लक्षण और उदाहरण	१०७-१०८
२४	विविध लिङ्गज्ञान	१११
२५	प्रथम लिङ्गज्ञान के अनुभानत्व का खण्डन और तृतीय लिङ्गपरामर्श के अनुभानत्व की स्थापना	१११-१२
२६	स्वार्थानुभान और परार्थानुभान	११२-११३
२७	अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्ति	११४
२८	अन्वयव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी और केवलान्वयी हेतु तथा उनके गमकतोष्यिक रूप	११७-१२२
२९	अनुभान के दो ज़रूर व्याप्ति और पद्धतिर्मता	१२०
३०	पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के लक्षण और उदाहरण	१२२
३१	हेत्वाभास के लक्षण और उसके पाँच भेद	१२४
३२	असिद्ध के तीन भेद वाच्यासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्यवासिद्ध तथा उनके उदाहरण	१२५
३३	व्याप्त्यवासिद्ध के दो भेद, द्विविध्य का कारण और उदाहरण	१२५
३४	विशद	१३८
३५	घनैकान्तिक के तीन भेद और उनके उदाहरण	१३९
३६	प्रकरणसम के लक्षण और उदाहरण	१४१
३७	कालात्ययापदिष्ट के लक्षण और उदाहरण	१४१
[उपभाननिरूपण : पृ० १४२]		
३८	उपभान प्रभाण	१४२

क्र०

विषय

पृ०

[शब्दनिरूपण : पृ० १४२]

३८	शब्दप्रमाण, वाच तथा वाक्य के लक्षण	१४१
४०	शब्दबोध के कारण	१४९-१५२
४१	पद का लक्षण तथा पदज्ञान और वाक्यज्ञान की अनुपस्थिति की देखा और उसका समाधान	१५३-१५४

[अर्थापत्तिनिरूपण : पृ० १७१-१७२]

४२	अर्थापत्ति के पृथक् प्रामाण्य को परीक्षा और केवलव्यतिरेकी अनुमान में उसका अन्तर्भाव	१७१-१७२
----	--	---------

[अभावनिरूपण : पृ० १७३-१७६]

४३	अभाव के प्रमाणत्व का खण्डन	१७३
४४	अभाव के इन्द्रियग्राह्यत्व पर वाक्येय और उसका परिहार	१७४-१७६

[प्रामाण्यनिरूपण : पृ० १८७-१९६]

४५.	प्रामाण्य के स्वतस्त्व और परतस्त्व का विचार	१८७-१९६
४६.	ज्ञातता के पदार्थान्तरत्व का खण्डन और विषयतात्मत्व का समर्थन	१९०-१९२
४७.	ज्ञातता के प्रामाण्यानुमापकत्व का खण्डन	१९३
४८	मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान के तथा अनुमान से प्रामाण्य के ज्ञान का समर्थन	१९५-१९६

[प्रमेयनिरूपण : पृ० १९८-३६३]

४९	प्रमेय के वारह भेद	१६८
५०	आत्मा का लक्षण और मानसप्रत्यक्ष तथा अनुमान से उसकी सिद्धि का समर्थन	१६८
५१.	शरीर के दो लक्षण	२२१
५२	ईद्रिय के लक्षण और भेद	२२४

प्रक्र.	विषय	पृष्ठ
५३	धारण वादि पात्र यात्रा इन्द्रियों का निरूपण	२२३-२३२
५४	मन के इन्द्रियत्व का समर्थन और ज्ञानेन्द्रियों में प्रमाणत्व का प्रतिपादन	२३३
५५	अर्थ के द्व्यादि छ भेद	२३५
५६	द्रष्टव्य का लक्षण और उसके पृथक् वादि तर्फ भेद	२३६
५७	पृथ्वानिरूपण	२४१
५८	जलनिरूपण	२४३
५९	तेज का निरूपण	२४६
६०.	वायुनिरूपण	२५५
६१	कार्यद्रव्यों को उत्पत्ति और उनके विनाश का क्रम	२५८-२६०
६२.	परमाणुनिरूपण	२६२
६३	द्रवणुक और अणुक की उत्पत्ति का निरूपण	२६४-२६५
६४	आकाशनिरूपण और शब्द से आकाश के अनुमान की प्रक्रिया	२६८
६५	पात्रनिरूपण तथा परत्व-व्येष्टित्व और अपरत्व-व्यिष्टित्व से उसके अनुमान की विधि	२७३
६६	दिक् का निरूपण तथा द्वूरत्व, स मोष्य से उसके अनुमान की विधि	२७६
६७.	आत्मा का पुनः निरूपण	२८२
६८	मन का पुनः निरूपण	२८३
६९.	गुण का लक्षण और उसके खौबीस भेद	२८४-२२७
७०.	कर्म और सामान्य	३२६-३३५
७१.	विशेष	३३६
७२	समवाय	३३८
७३.	अवश्यकी	३३८
७४	अभाव	३३६-३४५
७५.	वात्सार्थ-ज्ञानभिन्न अर्थ का उपपादन	३४५
७६	बुद्धि और उसके भेद तथा उन यमों के लक्षण	३४८-३५५
७७	ज्ञान की निराकारता का उपपादन	३५७

क्र०	विषय	पृ०
७८-१९०-८०	मन, प्रवृत्ति और दोष	३५८
८०-८२-८३	प्रेत्यभाव, फल और तुङ्ग	३६०
८४.	अपवर्ग और उसका साधन	३६१-३६३
८५	मशाय	३६६-३६७
८६-८७	प्रयोजन और दृष्टान्त	३७०
८८.	सिद्धान्त	३७१
८९.	धर्मव	३७३
९०.	तर्क	३७५-३७७
९१-९२-९३-९४.	निर्णय, वाद, जल्प और वितणा	३७७
९५	हेत्वाभास	३७८-३८४
९६.	छल	३९५
९७.	जाति	३९६
९८.	निप्रहस्त्यान	३९८



ध्याल्यागत विषयों की सूची

[प्रारम्भिक पद]

बाल शब्द का प्रसिद्ध अर्थ और प्रकृतोपयोगी अर्थ १, जलस शब्द का अर्थ और उसके प्रयोग का प्रयोजन २, न्याय का परिभ्रषा ३-२, युक्ति का लक्षण और उसकी प्रमाणसहकारिता ३, ग्रन्थ के 'तर्कभाषा' नाम की अव्यर्थता ३, 'मया' शब्द से तर्कभाषाकार के बोध की विधि ५, द्रष्टव्यनिर्माण के पूर्व ग्रन्थ में 'एतत्' शब्द के प्रयोग की उपपत्ति ४, उद्देश, लक्षण और परीक्षा, उद्देशलक्षण के समस्त पदों का कृत्य ५-६, अनुबन्ध का लक्षण, उसके चार भेद-विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी ६-८, ।

[लक्षण]

लक्षण का लक्षण ९, लक्षण के तीन दोप अव्यासि, अतिव्यासि और असम्भव का निरूपण १०-१०, लक्षण के अन्य चार दोप आत्माशय, अन्योन्याशय, चक्रक और अप्रसिद्धि का निरूपण १०-११, लक्षण के प्रयोजन व्यावृति और व्यवहार १२-१३ । लक्षण के अव्यासि आदि दोपों का हेतुदोपत्व और उसका चीज १२-१३, परीक्षा का निर्वचन १४, शास्त्र की श्रिविधि प्रवृत्ति की उपयोगिता १४, शास्त्र की चौथी प्रवृत्ति विभाग के सम्बन्ध में विभिन्न विडानों के मतों की आलोचना और प्रवृत्ति के त्रैविध्य का प्रतिपादन १५-१६, आचार्य शोधर द्वारा प्रवृत्ति के त्रैविध्य की आलोचना और प्रवृत्ति के त्रैविध्य-समर्थन की समीक्षा ।

[प्रमाणपदार्थ]

प्रामाणसामान्य के लक्षण की आवश्यकता तथा न्यायमूल में उसके स्वतन्त्र कथन न करने और तर्कभाषा में उसका स्वतन्त्र कथन करने का अनिश्चय १८-१९, "यथार्थ-नुभवः प्रमा" इस लक्षण का पदकृत्य और प्रसङ्ग से सत्य, विर्यय और तर्क का निरूपण १९-२२, प्रमाणलक्षण में यत्तर्वद देने पर सत्य, विर्यय और तर्क तीनों में अतिव्यासिप्रदर्शन का प्रयोजन २२-२३, अनुभव का निर्वचन, २३-२४, ज्ञान और उसके भेद, २४, स्मृति के दो लक्षण और उनके पदकृत्य २४-२५, ।

प्रत्यभिज्ञा स्मरण न होकर शुद्ध अनुभव क्यो? २५, प्रत्यभिज्ञा तृतीय स्तर के समान ज्ञान का तृतीय भेद है इस भृत का प्रतिपादन २५-२६, स्मृति के दो भेद-अप्रमुच्छ-विषय और प्रमुच्छविषय २६, अनुभव का लक्षण और उसका भेद २६-२७ ।

कारण के 'साधकतम करणम्' लक्षण का निवेदन २३, साधारण कारण और असाधारण कारण का वर्णन २७, करण के 'व्यापारवद् असाधार्य कारणम्' कारणम्, लक्षण का विवर विवेचन २८, प्रभागलक्षण के प्रसङ्ग में कहरण का लक्षण बठ्ठने का प्रयोजन २९।

[कारण]

कारणलक्षण के "पूर्वभाव" अता की व्यास्था २९-३०, कारणलक्षण के "निम्रत!" अता की व्यास्था ३१, लक्षण के लनन्यवासिद्ध अता की व्यास्था ३१-३२, अन्यवासिद्ध के लक्षण और उसके ५ भेदों का विस्तृत सोदाहण विवेचन ३२-३५।

कारण के अन्वयव्यतिरेकघटित लक्षण के भूलोक्त पण्डन का उपयोग ३५-३६, कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कारणता का व्यतिरेकमात्रघटित लक्षण ३६, कारणता की व्यतिरेकत्वता में उदयनाचार्यद्वारा प्रदर्शित दोष ३७, व्यतिरेकघटित कारण-लक्षण के भूलोक्त सण्डन की स्थोधा ३७-३८, कारण का विभाग कारणता के विभाग पर ही वार्यित है इस दृष्टि का प्रतिपादन ३८-३९।

[अयुतसिद्ध]

अयुतसिद्ध शब्द का व्युत्पत्तिलक्ष्य वर्य स्तोर उमका लक्षण ४०-४१, 'वर्यो गच्छे एक अविनश्वद् अपराधितमेव अवतिष्ठो तो व्युतसिद्धो' अयुतसिद्ध के इस मूलोक लक्षण के प्रत्येक पद का विस्तृत पर्योजन तथा अविनश्वद् शब्द के तिष्ठृष्ट वर्य का निरूपण ४१-४२ अयुतसिद्ध के लक्षण में सख्तालय दित्व का महो किन्तु दुर्दिविषेष-विवरणलक्षण दित्व का प्रवेश उक्तित है, इसका प्रतिपादन ४३, अवपत्त-वदपदो, गुण-गुणी आदि के अयुतसिद्धत्व का उपयोग ४५-४७।

समवायिकारण का लक्षण और उसके दो लक्ष्य दिखाने का प्रयोजन ४७-४८, इक्षु में गुण ते समवायिकारणस्व वी अतुपत्ति की शक्ति और समाधान ४७-४९, इक्षु के दो लक्षणों का शक्ता-समाधान के साथ स्वयं ५१, असमवायिकारण का लक्षण और उसके सम्बूर्ण पदों का विस्तृत प्रयोजन ५२-५३, असमवायिकारण के दो उदाहरण प्रदर्शित करने का अविप्राप्त ५४-५५, निनित कारण का पित्राद निरूपण ५६, "अनविगतार्थगमन्तु प्रथाणम्" इस शास्त्रान्तरीय प्रमाणलक्षण का शक्ता-समाधानपूर्वक लक्षण ५८-५९, अनुभव और स्मृति के समान रूप से यथोर्थ होते हुए जी एक्ति की जगत् न भासने के बास्तवित्यपिक्षद्वारा कमिति कारण का समर्थन ६०-६१, तर्कभावाकार और वाचस्पति पित्र के प्रमाणलक्षणों की तुलना ६२।

“व्यार्थनुभवः प्रमा” “अनिगतार्थगत् प्रमा” इन लक्षणों की तुलना ६३, प्रमा की उत्पत्ति में समान उपयोगिता होने पर भी क्यों इन्द्रियादि ही प्रमाण कहे जाते हैं और प्रमाता आदि प्रमाण नहीं कहे जाते इस तथ्य का निरूपण ६३-६४, करण के प्रन्योक्त लक्षणों की अपूर्णता तथा उसकी उचित परिभाषा ६३-६४, इन्द्रियजन्म प्रमा को ही साक्षात्कार कहने और अन्य प्रमा को साक्षात्कार न कहने का रहस्य ६४-६५, प्रमासे वस्तुप्रहण के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रमा और वस्तु के सामोप्य का उपपादन ६५, प्रमा और प्रमाकरण में व्युत्पत्तिभेद से प्रमाण शब्द का प्रयोग ६६।

[प्रत्यक्ष]

प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष विषय, इन तीन भिन्न वस्तुओं में व्युत्पत्तिभेद से प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग ६६, प्रत्यक्ष के अवान्तरभेद के बोधक सिद्धिलक्षण और निविकल्पक शब्द की व्युत्पत्ति तथा उनका निरूपण ६६-६७, अबोध बालकों और गूण व्यक्तिओं का ज्ञान और निविकल्पक ज्ञान का आशिक साम्य ६७-६८, निविकल्पक ज्ञान की सत्ता में प्रमाण ६७-६८, निविकल्पक प्रत्यक्ष के विषय ६८-७०, निविकल्पक ज्ञान के चार लक्षण ७०, निविकल्पक प्रमा है या नहीं ? इसकी परीक्षा ७०-७२, निविकल्पक प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में बोद्ध, जैन, अद्वैत वेदान्त और विशिष्टाद्वैत वेदान्त के मत और उनका परस्पर सामन्जस्य ७२-७३, निविकल्पक प्रत्यक्षबी नरसिंहाकारता-निविकल्पक के दो भेद विशुद्ध और मिश्र ७३-७४, मिश्र निविकल्पक के दो विषय आन्तर और बाह्य ७४-७५, निविकल्पक ज्ञान के दो भेद अनुभव और स्मृति ७५,

प्रत्यक्षप्रमाण के ३ भेद और उनके ३ व्यापार और तीन कल ७५-७८, अवान्तर व्यापार-कारण का प्राण ७८-७९।

[सन्निकर्प]

इन्द्रियार्थ सन्निकर्प के ६ भेद तथा विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्प का वर्ध और उसके अनेक भेद ७६-८०, दूर से वस्तु के परिमाण आदि की अप्रत्यक्षता की उपपत्ति के लिए प्रत्यक्ष के प्रति कारण माने जाने वाले इन्द्रिय के चार सन्निकर्प ८१, विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्प से अभाव और समवाय के घटण की विधि ८२-८५, सन्निकर्प के लौकिक अलौकिक भेद ८६, अलौकिक सन्निकर्प के ३ भेद ८६, सामान्यलक्षण सन्निकर्प का स्वरूप सामान्य और सामान्यज्ञान तथा उसकी प्रतियोगिता और अनुयोगिता के नियमक सम्बन्ध ८६-८८, सामान्यज्ञानरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्प के सम्बन्ध में प्राचीन और नवीन मत तथा उनके औचित्य-अनोचित्य का विवेचन ८८-८९, सामान्य लक्षण सन्निकर्प की साधक युक्तिया तथा उसके सम्बन्ध में रघुनाथ शिरोमणि और

पश्चपर मिथ्र का मतभेद १०-१२, ज्ञानलक्षण सम्प्रिकर्ण का स्वरूप, प्रयोजन और उसकी प्रतियोगिता—अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध १२-१३, सामान्यलक्षण और ज्ञानलक्षण का पश्चपर भेद १३, योगज सम्प्रिकर्ण का स्वरूप, उसकी आवश्यकता और उसकी प्रतियोगिता और अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध और उसके भेद १४-१५, अलीकिक सम्प्रिकर्ण और तर्कभाषाकार १५, विषय के साथ इन्द्रियनिकर्ण की विवि १५-१६।

प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अन्यदर्शनों के मत—

सास्यमत १६-१०३, अद्वैतवेदान्तमत १००-१०१, बौद्धमत १०१-१०५, प्रसगतः जाति और जपोह के सम्बन्ध में न्याय-वैदेषिक और बौद्धदर्शन के विवार १०२-१०५।

[अनुमान]

लिङ्ग परामर्श के ३ भेद और उनके उदाहरण १०५-१०७, हेतु के साथ साध्य के 'स्वाभाविकनम्बन्ध' को व्याप्तिस्थिता तथा व्याप्तिप्राप्तक उपाय १०७-११०, तृतीय लिङ्ग परामर्श को अनुमिति के प्रति कारण मानने में युक्ति १११-११३, स्वार्थानुमान ११३, परार्थानुमान, उसके प्रतिज्ञा आदि ५ अवयव और उनकी उपयोगिता ११४-११५।

अन्यव्यव्यतिरेकी हेतु, अन्यव्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्ति के लक्षण ११५-११८, केवलव्यतिरेकी हेतु और उसके उदाहरण ११८-१२०, केवलान्वयी हेतु और उसके उदाहरण १२०-१२१, अन्यव्यव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी और केवलान्वयी हेतु की अनुमापकता के प्रयोजक रूप १२१-१२२, अनुमान के दो अग व्याप्ति और पक्षधर्मता १२२, पक्ष, सप्तक और विषय १२२-१२३।

अन्यव्यव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी हेतु के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हीन मत—उदयनाचार्य के अनुसार व्याप्तिप्राप्तक सहचार के भेद से हेतुका भेद १२३, गगशोपाध्याय के मत से व्याप्ति के भेद से हेतु का भेद १२४, दीर्घितिकार रघुनाथ के मत से साध्य के भद्र से हेतु का भद्र १२४-१२५ तर्कभाषाकार के मत से दृष्टान्तभेद से हेतुभेद १२६।

[हेत्वाभास]

व्युत्पत्तिभेद से दुष्टहेतु और हेतुगत दोष में हेत्वाभास शब्द का प्रयोग १२६, हेत्वाभास के ५ भेद, व्यसिद्ध के ३ भेद आध्यासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्तत्वासिद्ध के लक्षण और उदाहरण १२६-१२७।

व्याप्तत्वासिद्ध के दो कारण—व्याप्तिप्राप्तक प्रभाण का अभाव और उपाधियुक्तता १२७, प्रयम कारण से होने वाले व्याप्तत्वासिद्ध का उदाहरण १२७, शपिकत्व के अनुमान

में सत्त्वहेतु न्यायिग्राहक प्रमाण के अभाव से व्याप्त्यत्वासिद्ध है अथवा उपाधियुक्त होने से ? इस बात का न्याय और बोद्धमतों के अनुसार विवेचन १२७-१२९, दूसरे व्याप्त्यत्वासिद्ध का उदाहरण १२९-१३०, व्याप्त्यत्वासिद्ध के अन्य उदाहरण १३०-१३१, विशद—१३१-१३२ ।

अनंकान्तिक १३२, साधारण अनंकान्तिक और असाधारण अनंकार्मिक तथा अनुपसंहारी के विषय में तर्कभाषाकार के दृष्टिकोण की सूचना १३२-१३३ ।

'प्रकरणसम' का अर्थ, लक्षण, उदाहरण और नामान्तर १३३-१३४, कालात्ययादिष्ट शब्द का अर्थ उसका लक्षण, उदाहरण और नामान्तर १३४, हेत्वाभास के विभाग के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य १३४-१३५ ।

अनुमान का प्रामाण्य—अनुमान के अप्रमाणित पक्ष का उपपादन, खण्डन और अनेक युक्तियों से उसके प्रमाणत्व का समर्थन १३५-१३८ ।

अनुमान के भेद—अनुमानभेद के सम्बन्ध में दार्शनिकों की दो प्रसिद्ध परम्पराएँ तथा उनमें वाचस्पति मिथ द्वारा सामजिक्य का स्थापन १३८-१४०, अनुमान भेद के सम्बन्ध में तर्कभाषाकार का मत १४१, पराचानुमान के सम्बन्ध में न्याय-वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, बीदू और गैत के मत १४१-१४२ ।

यमकतीपरिकरूप १४२ ।

हेत्वाभास के विषय में न्याय और वैशेषिक के मत १४२ ।

[उपमान]

उपमानप्रमाण के सम्बन्ध में न्याय और वैशेषिक दर्शन के दृष्टिभेद के कारण का विवेचन और उसके प्रामाण्य का प्रतिष्ठापन १४३-१४७, उपमान प्रमाण का लेन १४७-१४८ ।

[शब्दप्रमाण]

शब्दप्रमाण का लक्षण और पदकृत्य १४६-१५०, पद और वाक्य की परिभाषाएँ १५०-१५४, वर्ण के क्षणिक होने से पद और वाक्य के ज्ञान को अनुपस्थिति की शक्ति और उसका विस्तृत समाधान १५४-१५७, शब्दप्रमाण्य के विषय में विभिन्न दर्शनों के मत और उनकी समीक्षा १५७-१६१, शब्दबोध को कारणसामग्री १६१-१६२, पद-व्यार्थ के सम्बन्ध के विषय में विभिन्न दर्शनों के मत और उनकी समीक्षा १६२-१६५, शब्द के व्याक्यार्थ के स्वरूप के विषय में विभिन्न दर्शनों के मत और उनकी समीक्षा १६५-१६७, अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद १६७-१६८, शब्दार्थसम्बन्धज्ञान के

साधन १६८-१६९, पर्सिके आध्य का विष्णुपण और उस सम्बन्ध में विभिन्न मत १६९-१७१ ।

अथर्विति प्रमाण के सम्बन्ध में न्याय, मीमांसा वादि दर्शनों की मान्यताये १७१-१७३,

अभाव के प्रमाणत्व पक्ष का उपपादन और खण्डन १७३-१७४, अभाव के साथ ईश्वरनिर्णयसमिकर्ण का उपपादन और उसके विशेष-विशेषभावस्वरूप का विशद विवेचन १७४-१८०, ऐतिह्य, सम्भव और चेष्टा के प्रमाणान्तरत्व का खण्डन १८१ ।

[प्रामाण्यवाद]

प्रामाण्य के ज्ञान के सम्बन्ध में न्यायमत, मीमांसा के विभिन्न मत, साल्यमत, बोद्धमत और जैनमत का प्रतिपादन १८१-१८७, कुमारिल के मतानुसार ज्ञातता की स्थापना और न्यायमत से उसका खण्डन १८७-१९५, न्यायमत से प्रामाण्य के प्राहक केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी अनुमानों का प्रतिपादन १९५-१९७ ।

[प्रमेय]

प्रमेय के बारह भेद तथा प्रत्यय और बनुमान प्रमाण से आत्मा का साधन १६८-२०३ ।

[आत्मा का परिमाण]

आत्मा के परिमाण के विषय में न्यायवैशेषिक मत और उसमें सम्भावित दोषों का उपपादन और उनका परिहार २०४-२०८, जैनमत २०८-२०६, वेदान्तमत २०६-२१० ।

ईश्वरनिरूपण, ईश्वर के सम्बन्ध में अन्य दर्शनों के मत २१०-२२० ।

शरीर के विभिन्न लक्षण और उसके सम्बन्ध में अन्य अवश्य ज्ञातव्य वाले २२१-२२४ ।

इन्द्रिय का लक्षण और उसके विषय में अनेक अवश्य ज्ञातव्य वाले २२४-२२७ ध्याणेन्द्रिय तथा उसके लक्षण के पदकृत्यों पर विशिष्ट विचार २२८-२२९, रसेन्द्रिय २२६-२३१, चक्षु इन्द्रिय २३१, त्वक् इन्द्रिय २३२, श्वोत्र इन्द्रिय २३२-२३३, मन २३३-२३४, इन्द्रियों में प्रमाण २३४-२३५ ।

[अर्थ]

न्यायवैशेषिक मतों में अर्थ का स्वरूप २३५-२३६, तर्कभायाकार के पत ये अथ का स्वरूप २३६, वैशेषिक के सत्त पदार्थ और न्याय के १६ पदार्थों की मान्यताओं का सहेतुक प्रतिपादन २३६-२३७, चार विद्याये और उनके प्रस्थान २३७-२३८ ।

[द्रव्य]

द्रव्य के लक्षण और भेद २४६-२४०, तम के विषय में भीमासकमत और नैयायिकमत २४०-२४२, पृथ्वीनिरूपण २४२-२४३ समस्त पृथ्वीपर पाक का प्रभाव २४४, शीलुपाक और फिठरपाक का मनोरम स्पष्टीकरण २४४-२४७, जलनिरूपण २४७-२४९ तेज-निरूपण २४८-२५३, वायुनिरूपण २५५-२५८ ।

द्रव्यों का उत्पत्तिक्रम २५८-२५९, द्रव्यों का विनाशक्रम २६०-२६२,

परमाणु का विशद निरूपण, द्विघणुक, अणुक और चतुरणुक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शका और समाधान २६५-२६७, आकाशनिरूपण २६८-२७३, काल-निरूपण २७३-२७५, दिक्ष-निरूपण २७६-२८२, आत्मा का अवशिष्ट निरूपण २८२, मन के सम्बन्ध में अवशिष्ट निरूपण २८३-२८४ ।

[गुण]

गुण का लक्षण और भेद २८४-२८५ रूप का लक्षण और उसमें 'विशेषगुण' के प्रबोध पर विशेष विचार २८५-२८६ रसनिरूपण और उसके लक्षण में 'विशेषगुण' के प्रबोध पर विशेष विचार १८७-२८८, गन्धनिरूपण २८८, स्पर्शनिरूपण तथा प्रसङ्ग से 'उद्भूत' शब्दार्थ का प्रतिपादन २८९ ।

सरूपानिरूपण—

(क) सरूपा का सपद्वकृत्य लक्षण (ख) सरूपा की उत्पत्ति २६०-२६१ ।

द्वित्व का जन्म, प्रत्यक्ष और विनाश २६१-२६४, नाश्य और नाशक में द्विविध विरोध—सहानवस्थान और वध्यधातुकभाव की समीक्षा २६४-२६७ ।

परिमाणनिरूपण—

(क) लक्षण भेद तथा कारण २९८, (ख) परमाणुगत द्वित्व के उत्पादक और नाशक का शाद्वासमाधानपूर्वक प्रतिपादन २६६, (ग) महत् और क्षीर्ध में तथा अनु और हस्त्व में क्या अन्तर है? ३००, पृथक्त्व, भेद से पृथक्त्व की अनन्यथा-सिद्धता ३००-३०१ ।

सम्योगनिरूपण—

सम्योग का सामान्य लक्षण, सम्योग के तीन भेद और उनके सोदाहरण लक्षण तथा विभु द्रव्यों के परस्पर सम्योग का विचार एव सम्योगनाश की विधि ३०१-३०३ ।

विभागनिरूपण—

(क) विभाग का सामान्य लक्षण, विभाग के निविध भेद, उनके सोदाहरण लक्षण ३०४, (ख) विभागज विभाग का विशेष निरूपण, विभागनाश, अवयव और

अवयवी में युतसिद्धि को आपत्ति और उसका परिद्वार ३०५-३०७, परत्व और अपरत्व (दिवहत तथा कालकृत) ३०७-३०८, गुणत्व ३०९-३१०, द्रवत्व ३१०, स्नेह ३११,

शब्द—

(क) लक्षण सपदकृत्य, मूल स्थान से थोक तक शब्द के पहुँचने की विधि, शब्द का कारणमूलक विभाग ३११-३१५।

(ख) कर्म तथा बुद्धि के विभागावस्थायित्व का उपपादन और शब्द में उसका अतिवेश ३१५-३१७, (ग) शब्द का नाश कैसे होता है ? इस प्रश्न का विशद उत्तर ३१७, (घ) शब्द के अनित्यत्व का साधन ३१८-३१०।

बुद्धि —

बुद्धि का सपदकृत्य लक्षण तथा तर्कसप्रहोक्त लक्षण को समीक्षा तथा बुद्धि के विविध भेद ३१६-३२१ सुख, दुःख, इच्छा, द्रेष और प्रयत्न ३२३-३२५, धर्म, अधर्म ३२५-३२७।

सप्तकार —

लक्षण, पदकृत्य, भेद और उद्घोषक ३२७-३२८।

[कर्म]

लक्षण और भेद ३२६, ।

[सामान्य]

लक्षण, सम्बन्ध, आधर्य, भेद और चार साधक ३२६-३३०, जातिबाधक और उनके उदाहरण ३३०-३३३, सत्ताजाति के सम्बन्ध में विशेष विचार ३३३-३३५, जाति के विषय में बोद्ध और न्यायमत तथा 'अगोह' की चर्चा ३३५-३३६, ।

[विशेष]

लक्षण, विशेष को निर्विशेषता, विशेषसाधक युक्ति, विशेष के आधर्य, आकाश, काल और दिक् में उसके अस्तित्व में युक्ति ३३६-३३८, ।

[समवाय]

लक्षण और प्रसङ्ग से अवयव से अतिरिक्त अवयवी का साधन ३३८-३४६, ।

[अनाव]

लक्षण और उसके समस्त भेद अन्योन्याभाव तथा प्रागभाव, छवि और अत्यन्ताभाव इस विविध समर्गाभाव का विशद विवेचन ३३९-३४५, प्रागभावविचार

के प्रसङ्ग से सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का प्रतिपादन ३४२-३४४, बोह्ल दर्शन के चार सम्प्रदाय, योगाचार का विज्ञानवाद, विज्ञानवाद के सम्बन्ध में शाकर दर्शन और योगाचार का दृष्टिभेद ३४५-३४८, बुटि, उसके यथार्थ और अयथार्थ-दो भेद, अयथार्थ के सशय, तर्क और विपर्यय-भेदों का लक्षण आदि द्वारा प्रतपादन ३४८-३५०, भ्रमस्थल में प्रतिद्वंपात्र स्थातियों का विशद वर्णन तथा अन्य स्थातियों के विषय में सक्षिप्त सूचना ३५०-३५५, स्मरण का लक्षण, भेद, स्मरण के कारण, सत्कार के उद्वोधक तथा स्मृतिप्रमोप ३५५-३५७, ज्ञान की साकारता और निराकारता का विचार ३५७-३५८, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल और दुःख ३५८-३८१, अपवर्ग-मोक्ष का स्वरूप, उसके साधन, मोक्ष साधन के विषय में तर्कभाषाकार का मत तथा मोक्ष के विषय में अन्य शास्त्रों के मत ३८१-३८६ ।

[सशय]

लक्षण, विभाग, सशय के भेदों का लक्षण आदि द्वारा निरूपण, सशय के वर्गीकरण के बार में न्यायसूत्र और तर्कभाषा के दृष्टिभेद ३८६-३८६ सशय और समुच्चय में भेद ३८६-३८० ।

[प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त] ३८०-३८२ ।

[अवयव]

प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और नगमन का लक्षण तथा उदाहरण, अवयवों की सम्बन्ध के विषय में विभिन्न मत ३८३-३८५ ।

[तर्क]

लक्षण और उसके विषय में विविध विचार ३८५-३८७ ।

[निर्णय, वाद, जल्द वितणा]

निर्णय आदि के लक्षण, वितणा का प्रयोजन तथा उसके विषय में अनक मत ३८७-३८९ ।

[हेत्वाभास]

लक्षण, भेद, विभिन्न हेत्वाभासों के साकर्य की चाहूँ और उसका समाधान ३८९-३९८, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, प्रकरणसम और वालात्ययापदिष्ट इस पञ्चविध हेत्वाभास का विस्तृत और बहुविषयपूर्ण विवरण ३९१-३९३, लक्षणदोषों का हेत्वाभास में अन्तर्भव ३९४-३९५ ।

[छल, जाति निग्रहस्थाप]

छल आदि के लक्षण तथा उनके विषय में महत्वपूर्ण बनेक नूतन सूचनाएं ३९६-४०८ ।

श्रीविष्णवाथो विजयते

तर्कभाषा

(श्रीकैश्वरमिथस्य)

वालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशमहेन वाच्छ्रद्धलुसः श्रतेन ।

संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभापा प्रकाश्यते तस्य कृते मर्यैपा ॥

जो आलसी वाहक थोड़े से ही अध्ययन से न्यायशास्त्र में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए मैं (केशवभिंश) सदिस युक्तिया से युक्त इस 'तक्क-भाषा' ग्रन्थ की रचना करता हूँ।

३८

इस पद्धति में आये 'बाल' शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। बाल शब्द का अर्थ होता है बच्चा, वह बच्चा जो मौं का दूध पीता है, अब्रोध होता है, पर यहाँ वह बच्चा अमीष नहीं है, यद्यु तो वह बच्चा अमीष है जिसने काव्य, बोप, व्याकरण आदि का आवश्यक अध्ययन कर शास्त्रीय विषय को समझने और धारण करने की क्षमता अंजित कर ली है पर न्यायशास्त्र का अध्ययन न किये होने के कारण न्यायशास्त्र के लिये बालक है।

अल्लस—

उक्त चालक के लिये 'अलस' इस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है आलसी, जालसी का अर्थ है कठोर परिक्षम में घबड़ाने वाला। इस विशेषण की प्रसुत प्रत्यक्ष में वही सार्थकता है, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी न होगा, जिसे कठोर परिक्षम से कोई घबड़ाइट न होगी वह थोड़े से ही अध्ययन से न्यायशास्त्र में प्रवेश मात्र ही क्यों चाहेगा, वह तो विस्तृत अध्ययन कर न्यायशास्त्र में पारगत होना चाहेगा, फिर उसके लिए 'तर्कभाषा' जैसे लंबु प्रन्य की क्या उपयोगिता होगी।

न्यायनिय—

‘न्यायनद’ गंड का अर्थ है न्यायशास्त्र, वह शास्त्र जिसमें ‘न्याय’ का विस्तृत वर्णन हो अथवा जिसमें ‘न्याय’ के माध्यम से प्रतिपाद्य विषयों का विस्तृत

‘न्याय’ का है, इस सम्बन्ध में सर्वेष में यहीं वहा जा सकता है कि ‘न्याय’ विचार की वह प्रगती है जिसमें किसी वस्तु-तत्त्व का निर्णय बनाने के लिये सभी

प्रमाणों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि वास्त्वायन ने 'न्याय-दर्शन' के प्रथम सूत्र के भाष्य में कहा है 'प्रमाणैरधंपरीक्षणं न्यायः'। समस्त प्रमाणों से पदार्थ की स्तीदा करना 'न्याय' है। 'न्याय' शब्द में उस वाक्यसमूह को भी व्यवहृत किया जाता है जो दूसरे पुरुष को जनुमान द्वारा किसी विषय का घोथ कराने के लिए प्रयुक्त होता है, वास्त्वायन ने उसे 'परम न्याय' कहा है और उसे बाद, जल्म और वितण्डा-स्त्रप विचारों का मूल तथा तत्त्वनिर्णय का आधार बताया है, इस सम्बन्ध में उनके शब्द इतने प्रकार हैं—

'साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूहे सिद्धि परिसमाप्ते तथा पद्मायशा. प्रतिशाद्य. समूहमपेक्ष्यावयवा उच्चन्ते। तेषु प्रमाणसमाय। जागम प्रतिशा, हेतुरनुमानम्, उदाहरण प्रत्यहम्, उपनयनमुपमानम्, सर्वेषामेकार्थस्मयाये सामर्थ्य-प्रदर्शन निगमनमिति, सोऽपि परमो न्याय इति, एतेन वाइज्ञानिकं प्रर्दन्ते नातोऽन्यथाति, तदाक्षया च तत्त्वव्यपरस्था'।

नियम पदार्थ का साधन करना है उसकी सिद्धि जितने शब्दों के प्रयोग से सम्पन्न होती है उनमें शब्दों का समूह 'न्याय' है। प्रतिशा आदि उसके पाच अवयव हैं, किन्तु वे मुख्य जर्थ में उसके अवयव नहीं हैं क्योंकि न्यायशास्त्र के जनुलार जो जिस द्रव्य का समायिकारण होता है वही उसका अवयव होता है, 'न्याय' यत्, कोई द्रव्य नहीं है और प्रतिशा आदि उसके समायिकारण नहीं है अतः वे उसके वास्तव अवयव नहीं हो सकते, उन्हें 'न्याय' का अवयव कहने का कारण रह है कि 'न्याय' यत् क्तिष्य शब्दों का एक समूह है और प्रतिशा आदि उस समूह में प्रविष्ट हैं अतः उस समूह की दृष्टि से वे उसके अवयव कहे जाते हैं। उन अवयवों में प्रमाणों का सन्निवेश है। प्रतिशावाक्य शब्दप्रमाण के रूप में प्रतिशावाक्य जर्थ की प्रतिपत्ति में सहायक होता है। उदाहरणवाक्य प्रत्यक्षप्रमाण के सहयोग का जापक है और उपनय वाक्य उपमान प्रमाण का योगदान सुचित करता है। निगमन वाक्य ने एक पदार्थ के साधन में समस्त प्रमाणों के सन्निवेश की अवगति होती है। प्रतिशा आदि पाचों वाक्यों का यह समूह 'परम न्याय' है, इसी से बाद, जल्म और वितण्डा-स्त्रप विचारों की प्रगृहि होती है। इसके पिना किसी अन्य प्रकार से नहीं होती। तत्त्वनिषय भी इसी पर निर्भर होता है।

प्रवेश—

प्रवेश का अर्थ होता है सीतर ज्ञान, किन्तु प्रकृति में इह अर्थ सम्भव नहीं है, क्योंकि न्यायशास्त्र ऐसा कोई सावयव द्रव्य नहीं है जिसका कोई भीतरी भाग हो, जिसमें जानेकी सम्भावना समभी जाय, किन्तु यहाँ प्रवेश का अर्थ है परिचय-ज्ञान।

अपि—

‘अपि’ शब्द का अर्थ होता है ‘भी’ जिससे किसी के समुचय को प्रतीति होती है, पर यहाँ उसका ‘भी’ अर्थ नहीं किन्तु ‘ही’ अर्थ अभिमत है और उसका सम्बन्ध ‘गाल’ के साथ न होकर ‘अल्प’ के साथ है जिसके कारण ‘अल्पेन अपि’ का अर्थ हो जाता है ‘थोड़ा ही’।

श्रुत—

श्रुत का अर्थ है अवण-अध्ययन। गुरुमुत्से अध्ययन अथवा इत्य किसी पुस्तक से अध्ययन।

संक्षिप्तयुक्ति—

यहाँ प्रयुक्त युक्ति शब्द युज् धातु ने करण अर्थ में विहित नित् प्रत्यय से निर्भयन् होने वाला युक्ति शब्द है, किसी वस्तु के सम्बन्ध में जो शास्त्रीय वा लैकिक मान्यता स्वीकृत है उसका प्रौचित्य जिसके द्वारा प्रनिपादित हो उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति वस्तु का स्वतन्त्र साधन नहीं है। किन्तु वस्तु के साधक प्रमाण का सहायक है, वह कहीं विस्तार में भी प्रयुक्त होती है और कहीं सद्वेष से भी प्रयुक्त होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका प्रयोग सद्वेष से किया गया है क्योंकि आलसी गालक के लिये निर्मित होने से इसमें युक्ति का विस्तार वाङ्मीय नहीं है।

‘तर्कभाषा’ यह प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम है। यह नाम नितान्त अन्वर्य है क्योंकि इस में प्रायः उन सभी प्रमुख पदार्थों का भाषण-कथन किया गया है जो तर्क के निकाय पर धरे उत्तरते हैं। तर्क के सम्बन्ध में न्यायदर्शन में महर्षि गौतम ने कहा है ‘अविचातत-स्वेऽयं कारणोपपत्तितस्त्वशानार्थमूलतर्कः’। जिस पदार्थका तत्त्व निर्णीत नहीं है, जिसके स्वरूप के सम्बन्ध में परस्परविवर्द्ध विभिन्न मान्यतायें हैं, उस पदार्थ के तत्त्व एवं वास्तव स्वरूप का निर्णय करने के लिये जो युक्तिगूर्वक विचार होता है उसे तर्क कहा जाता है और इस तर्क से जिस रूप में वस्तु प्रतिष्ठित होती है वह रूप उस वस्तु का तत्त्व अर्थात् निजी स्वरूप माना जाता है। सभी विश्वादप्रस्त विषय इस तर्क की क्सीटी पर कसे जाते हैं, इस लिये सभी विषय ‘तस्यन्ते-नकेण-नकोऽप्तु-प्रमाणेन विद्यीकिष्टने, तत्-तो निर्णीयन्ते’ तर्क शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार तर्क शब्द में व्यपदिष्ट होते हैं, ऐसे सभी तर्कविषयों का कथन इस ग्रन्थ में होने से इस ग्रन्थ का ‘तर्क-भाषा’ यह नाम अत्यन्त अन्वर्य है।

प्रकाशयते—

तर्क भाषा स्नान है। उस ज्ञान का अभिभावन करने वाली उसकी सहज भाषा भी शूष्म होने से अप्रशाप्ति रहती है, दूसरे को जवाब नहीं हो पाती, परतः वैतरी

‘प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनहृषान्तसिद्धान्ताव्यवरक्षिर्जयाद्ब्रह्मवितण्डा-
देत्याभासच्छुलजातिनिप्रहस्यानानां तत्त्वज्ञानान्त्रिःधेयसाधिगमः, इति न्यायशास्त्र-
स्यादिमं सूत्रम्।

अस्यार्थः—प्रमाणादिपोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिर्भवतीति ।

न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं—सम्यग् ज्ञानं तावद्वयति यापदेपासुरेशलक्षण-
परीक्षा न कियन्ते । यदाह भाष्यकारः—‘त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रयृत्तिरुद्देशो
लक्षणं परीक्षा चेति’

उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनम् । तत्त्वास्मिन्नेव सूत्रे कुतम्, लक्षणं त्वसा-
धारणधर्मवचनम्, यथा गोः सास्नादिमत्त्वम्, लक्षितस्य लक्षणसुपपत्तेः न वैति
विचारः परीक्षा । तेनैते लक्षणपरीक्षे तत्त्वज्ञानार्थं कर्तव्ये ।

वाणी में उक्ता अवतारणा अदेखिन होता है, यही जब ‘प्रकाशते’ एवं के प्रयोग
से सूचित की गई है ।

मया—

तत्त्वज्ञान से निष्प्रेयत—मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह न्यायदर्शन का पहला सूत्र है।

इसका अर्थ यह है—प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

प्रमाण आदि पदार्थों का तत्त्वज्ञान-सम्बन्ध ज्ञान-यथार्थज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक इनका—प्रमाण आदि सम्बन्ध पदार्थों का उद्देश, लक्षण और परीक्षा न कर ली जाय, जैसा कि भाष्यकार—न्यायदर्शन के भाष्यकार्ता वात्स्यायनने कहा है—इस शास्त्र की—न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति—रचना उद्देश लक्षण और परीक्षा इन तीन रूपों में है अर्थात् इस शास्त्र के तीन कार्य हैं—उद्देश करना, लक्षण जाना और लक्षण के सुकृत्य—ज्ञानस्त्र की परीक्षा करना।

उद्देश—

‘उद्देशो लक्षणं परीक्षा च’ इस भाष्यवाक्य में जाये उद्देश शब्द का अर्थ है नाम मात्र से वस्तु का सभीतन—यथार्थ कथन करना। जब किंतु पस्तु के सम्बन्ध में और तुल्य न कहकर केवल उसके नाममात्र का ही कथन किया जाता है तब वह कथन उस पस्तु का उद्देश कहा जाता है।

उद्देश के इस लक्षण में से यदि ‘वस्तु’ शब्द को निकाल दिया जाए तो ‘नाममात्रेण सभीतनम्’ इतना ही लक्षण होगा जिसका अर्थ होगा नाममात्र का सभीतन। उस दशा में यदि प्रमाण आदि शब्द स्वरूपमानपरक होंगे तो प्रमाण आदि शब्दों का वह स्वरूपनिहेश भी प्रमाण आदि पदार्थों का उद्देश कहा जाने चाहेगा, ऐसा न हो इसलिये उद्देश के लक्षण में ‘वस्तु’ शब्द का सन्निवेश किया गया है, ‘वस्तु’ शब्द वा सन्निवेश होने से प्रमाण आदि शब्दों का स्वरूप कथन प्रमाण आदि पदार्थों का उद्देश न कहा जा सकेगा क्योंकि वह क्यन नाममात्र का क्यन है नाम द्वारा वस्तु—प्रमाण आदि पदार्थों का कथन नहीं है।

इसी प्रकार उत्तर लक्षण में से यदि ‘नाममात्रेण’ यह अर्थ निकाल दिया जाए तो ‘वस्तुसभीतनम्’ इतना ही लक्षण जानेगा और उस दशा में लक्षण द्वारा वलु का कथन भी वस्तुसभीतनरूप होने से उद्देश कहलाने लगेगा। फलत लक्षण आदि में उद्देश के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, ऐसा न हो, एतदर्थ उक्त लक्षण में ‘नाममात्रेण’ इस अर्थ का सन्निवेश किया गया है। इस सन्निवेश से लक्षणकथन वस्तु का उद्देश न कहा जा सकेगा क्योंकि उसमें नाम मात्र से वस्तु का कथन नहीं होता।

मात्र पद को निकालकर ‘नामा वस्तुसभीतनम् उद्देश’ यह भी उद्देश का लक्षण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस दशा में नाम और लक्षण दोनों के सम्मिलित कथन में उद्देश लक्षण की अतिव्याप्ति होगी।

‘सकीर्तन’ में से ‘स’ शब्द को निकालकर ‘नाममानेण वसुकीर्तनम्’ को भी उद्देश वा लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर किसी अन्य वस्तु के नाम से किसी वस्तुवन्तर का कथन भी उद्देश कहलाने लगेगा, और ‘स’ शब्द का सम्प्रिवेश करने पर उक्त प्रकार का कथन असम्भव कथन होने से उद्देश कहलाने का अधिकारी न होगा।

इस प्रकार उद्देश के उक्त लक्षण के प्रत्येक वद का प्रयोजन अवगत करने से यह स्पष्टीकरण प्राप्त होता है कि उद्देश में किसी वस्तु के नाम का स्वस्थरूपन मात्र नहीं होता, उसके लक्षण आदि का कथन नहीं होता और न किसी वस्तुवन्तर के नाम से कथन होता किन्तु जिस वस्तु का जो प्रसिद्ध नाम होता है उस नाम मात्र से उस वस्तु का कथन होता है, फलतः उद्देश—वाक्य में प्रयुक्त होने वाले तत्त्व नाम के तत्त्वानार्थपरक होने से न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रयुक्त प्रमाण, प्रमेय आदि शब्दों का अर्थ है प्रमाण पदार्थ, प्रमेय पदार्थ आदि।

और यह—प्रमाण आदि पदार्थों का उद्देशात्मक कथन इसी भूत में—न्यायदर्शन के गूँडोंके पहले सूत्र में ही कर दिया गया है।

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र का लक्ष्य प्रमाण आदि पदार्थों का उद्देश मात्र कर देना ही नहीं है क्योंकि यदि उतना ही लक्ष्य होता तो उस सूत्र को ‘निम्नहस्थान’ शब्द पर ही समाप्त कर दिया गया होता, पर ऐसा न करके उन पदार्थों के तत्त्वज्ञान के प्रयोजन का भी प्रतिपादन किया गया है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भूतकार को प्रमाण आदि पदार्थों के उद्देश के साथ इस सूत्र से अनुबन्ध-चतुष्टय का प्रतिपादन भी अभिप्रेत है।

अनुबन्धचतुष्टय—

अनुभवश्चात्—स्वद्वानोचर वधनन्ति—आसङ्गायन्ति—प्रवर्तयन्ति इति अनुबन्ध—अनुबन्ध शब्दकी इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुबन्ध उन्हें कहा जाता है जिनका ज्ञान होने से किसी शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति होती है। वे वस्तु चार हैं—विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी।

विषय—

• विषय का अर्थ है किसी शास्त्र या ग्रन्थ की प्रतिपाद्य वस्तु, जैसे न्यायदर्शन का विषय है प्रमाण आदि सोलह पदार्थ। जब तक प्रारम्भ में ही अध्येता को सामान्य रूप से यह ज्ञात न होगा कि अमुक शास्त्र या ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्या है तब तक उस शास्त्र या उस ग्रन्थ के अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो विषय अध्येता को ज्ञात-विशेष रूप से अवगत नहीं होता उसके द्वारा ज्ञानने के उद्देश्य से वह किसी शास्त्र या ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहता है और अमुक शास्त्र या अमुक

ग्रन्थ किसी ऐसे ही विषय का प्रतिपादक है जो उसे शात नहीं है यह शात उसे तभी शात हो सकती है जब प्रारम्भ में ही प्रतिपाद्य का निर्देश कर दिया जाय। बस, इसी दृष्टि से विषय को अनुबन्ध—शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रबर्तक माना जाता है।

सम्बन्ध—

सम्बन्ध का इस सन्दर्भ में अर्थ है शास्त्र या ग्रन्थ के साथ विषय का प्रतिपादकत्व अथवा विषय के साथ शास्त्र या ग्रन्थ का प्रतिपाद्यत्व सम्बन्ध। अध्ययन में प्रवृत्ति के लिये अध्येता को इसका ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि आरम्भ में विषय का यदि उल्लेख कर दिया जाय किन्तु उसका प्रतिपादन न किया जाय, अपितु प्रसंग आदि वश अन्य विषय के ही प्रतिपादन में शास्त्र या ग्रन्थ की समाप्ति कर दी जाय तो उस दशा में आरम्भ में विषय का ज्ञान हो जाने पर भी उस विषय के जिजासु अध्येता की उस शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती अतः उसे इस चात का भी ज्ञान आवश्यक है कि अमुक शास्त्र या अमुक ग्रन्थ अमुक विषय का प्रतिपादक है अथवा अमुक विषय अमुक शास्त्र या अमुक ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है। इस प्रकार शास्त्र या ग्रन्थ में विषय के प्रतिपादकत्व का अथवा विषय में शास्त्र या ग्रन्थ के प्रतिपाद्यत्व का ज्ञान यास्त्राध्ययन या ग्रन्थाध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति के लिये आवश्यक होने से विषय का शास्त्र या ग्रन्थ के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध भी एक अन्यतम अनुबन्ध है।

प्रयोजन—

प्रयुक्ते प्रयोजनयति वा प्राधान्येन यत् तत्वयोजनम्, अथवा प्रयुज्यते प्रवत्यते येन तत्त्वयोजनम्, प्रयोजन शब्द की इस अनुत्पत्ति के अनुसार प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रधान प्रवर्तक। जिस मूल उद्देश्य के लिये मनुष्य यत्नशील होता है वही प्रयोजन-प्रवानप्रवर्तक होता है। इसके अनुसार मनुष्य को समस्त प्रवृत्ति का मूल प्रयोजन होता है सुख की प्राप्ति और दुःख का निरास। मनुष्य या तो सुख के लिये यत्नशील होता है या दुःख के निरास के लिये प्रयत्नशील होता है, उसके यह मूलभूत प्रयोजन जिन साधनों ते सम्बन्ध होते हैं वे भी प्रयोजन भहलाते हैं पर वे मूलभूत-मुख्य प्रयोजन न होकर शब्दान्तर प्रयोजन-उपरायात्मक प्रयोजन होते हैं। शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति के लिये उसे इस प्रयोजन का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है, क्योंकि अध्येता को किसी शास्त्र या ग्रन्थ के विषय का ज्ञान तथा विषय और शास्त्र या ग्रन्थ के बीच प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी जब तक उसे उस शास्त्र या ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान की उपयोगिता का, उसके प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता तब तक उस शास्त्र या ग्रन्थ के

अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, इस प्रकार प्रवृत्ति के लिये विषयशान के प्रयोजन का ज्ञान आवश्यक होने से गियरशान का प्रयोजन भी एक अन्यतम अनुचर्ण्य कहा जाता है जो सभी अनुचर्ण्यों में प्रधानतम होता है।

अधिकारी—

जिस कार्य के लिये मनुष्य अपने आपको अधिकारी-अहं समझता है उसी में उसकी प्रवृत्ति होती है, अन्य कार्यों के समान ही किसी शास्त्र या किसी ग्रन्थ के परिचय में प्रवृत्ति होने के लिये भी मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि वह उस शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी है। यह अधिकारिता सुखशत्या दो जातों पर निर्भर होती है, एक है इष्टसाधनता और दूसरी है कृतिसाधनता। जिस कार्य को मनुष्य अपने इष्ट का साधन तथा अपने प्रयत्न से साध्य समझता है उसके समादान में वह प्रवृत्ति होता है, इस प्रकार अपने को किसी कार्य के लिए अधिकारी समझने का अर्थ है उस कार्य को अपने इष्ट—प्रयोजन का साधन समझना तथा अपने प्रयत्न से साध्य समझना। शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्ति होने के लिये भी यह समझदारी—इष्टसाधनता और कृतिसाधनता का ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार अधिकारी भी एक अन्यतम अनुचर्ण्य होता है और इसी लिये शास्त्र या ग्रन्थ के आरम्भ में उसके ज्ञान का उत्थापन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

उक्त रीति में किसी शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्ति होने के लिये विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी इन अनुचर्ण्यों का ज्ञान आवश्यक होने से प्रत्येक शास्त्र या ग्रन्थ के आरम्भ में किसी न किसी रूप में उनका प्रदर्शन किया जाता है। उनमें विषय और प्रयोजन का तो शब्दातः स्पष्ट प्रतिपादन किया जाता है और सम्बन्ध तथा अधिकारी का प्रतिग्रादन विषय और प्रयोजन के प्रतिपादन द्वारा किया जाता है, शास्त्र या ग्रन्थ का विषय वहा देने से उन दोनों के प्रतिपाद्यप्रतिपादक भाव सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है क्योंकि जो शास्त्र या ग्रन्थ जिस वस्तु का प्रतिग्रादक न होगा उसका यह वस्तु विषय ही न हो सकेगा, इसी प्रकार प्रयोजन का आखणन कर देने से अधिकारी का भी ज्ञान सुकर हो जाता है क्योंकि प्रयोजनेच्छु मनुष्य ही उस प्रयोजन के निष्पग्नक शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी होता है।

न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के रूप में उसके विषय का तथा निष्पेक्ष-मोक्ष के रूप में उसके मूलभूत प्रयोजन का शब्द द्वारा स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है और सम्बन्ध तथा अधिकारी की सूचना उसी के माध्यम से दी गई ह। प्रमाण आदि सोलह पदार्थ न्यायशास्त्र के विषय हैं, न्यायशास्त्र उन विषयों का प्रतिपादक है। प्रमाण आदि पदार्थों के तत्त्व ज्ञान द्वारा मोक्ष को मुलभूत

करना उसका प्रयोजन है और मोक्ष के लिये प्रमाण आदि पदार्थों का जिशानु उसके अध्ययनका अधिकारी है।

तर्कभाषा के प्रारम्भिक पद्य में भी उक्त चारों अनुकूलों का प्रदर्शन किया गया है। उसके अनुसार न्यायशास्त्र के प्रतिपाद्य प्रमाण आदि सोलह पदार्थ तर्कभाषा के प्रतिपाद्य विषय हैं, तर्कभाषा उनका सचेष से प्रतिपादिक है, न्यायशास्त्र में प्रवेश-न्यायशास्त्र के प्रतिपाद्य पदार्थों का सहित परिचय उसका प्रयोजन है और मोक्ष प्राप्ति के लिये उन पदार्थों के विशद तत्त्व शान के निमित्त उनके सहित परिचय ये इच्छुक पूर्णेच प्रकार के बालक उसके अध्ययन के अधिकारी हैं।

लक्षण—

उक्त भाष्य-वाक्य में आये लक्षण शब्द का अर्थ है दृष्टिक्षयन और लक्षणक्षयन का अर्थ है असाधारणधर्म का प्रतिष्ठान। असाधारणधर्म लक्षणीय पदार्थ के उस धर्म को कहा जाता है जो समस्त लक्षणीय प्रदार्थों में रहता है और जट्ठप में नहीं रहता, दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि जो धर्म लक्ष्यनावच्छेदक का समनियत होता है वह लक्ष्यभूत पदार्थ का असाधारणधर्म अर्थात् लक्षण कहा जाता है। जैसे जब सास्नादिमत्त्व-गलक्ष्मल आदि को गी का लक्षण कहा जाता है तब गी लक्ष्य होता है और गलक्ष्मल आदि उसका लक्षण होता है क्यों कि गी लक्ष्य है उसमें लक्ष्यना है। गोत्व रक्षयता का अवच्छेदक-नियामक है। यतः गोत्व लक्ष्यभूत सभी गी में रहता है और गी में भिन्न महिप आदि अलक्ष्य पदार्थों में नहीं रहता। गलक्ष्मल लक्ष्यतावच्छेदकी भूत गोत्व का समनियत धर्म है। ‘लदूव्याप्त्यत्वे सति तद्व्यापकत्वे तत्समनियतत्वम्’ इस परिभाषा के अनुसार जो जिसका व्याप्त होते हुये जिसका व्यापक भी होता है वह उसका समनियत धर्म कहलाता है। जैसे गलक्ष्मल गोत्व का व्याप्त होने हुये उसका व्यापक भी है क्यों कि जिसमें गोत्व नहीं रहता वैसे महिप आदि पदार्थों में न रहने से गलक्ष्मल गोत्व का व्याप्त होता है और गोत्व के जिसे अध्रय है उन सभी में रहने से गलक्ष्मल गोत्व का व्यापक है। इस प्रकार गोत्व का व्याप्त और व्यापक दोनों होने से गलक्ष्मल गोत्वका समनियत धर्म होता है और समनियत होने में ही गलक्ष्मल गी का लक्षण होता है। प्रकृत में प्रमाण आदि पदार्थ लक्ष्य हैं, प्रमाणपदार्थत आदि लक्ष्यनावच्छेदक धर्म हैं, प्रमाणकरणत आदि उनके समनियत होने से प्रमाण आदि पदार्थों के लक्षण हैं।

लक्षण के दोप—

लक्षण के तीन दोप होते हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव। अव्याप्ति का अर्थ है ‘लक्ष्यैकदेशाद्यत्तिव्यलक्ष्य के किसी एक भाग में न रहना, अथवा लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्व-लक्ष्यनावच्छेदक के किसी आधय में रहने वाले अभाव का प्रतियोगी होना, जैसे कर्तुरत्व-चितकरणेन को यदि गी का लक्षण कहा जाय

तो उसमें अव्यासितोप होगा क्यों कि कर्वुरल्व लक्ष्यभूत गोसमुदाय के एक भाग लाल, काले किसी एक ही वर्णके गी में नहीं रहता या लक्ष्यताच्छेदकभूत गोत्व के आथवा लाल, काले आदि किसी एक ही वर्ण के गी में कर्वुरल्व का अभाव है और उस अभाव का खुरुरल्व प्रतियोगी है।

अतिव्यासि का अर्थ है अलक्ष्यवृच्छित्व-लक्ष्य से भिन्न पदार्थ में रहना अथवा लक्ष्यतावच्छेदकभावसमानाधिकरणत्व—लक्ष्यतावच्छेदक के अभाव के अधिकरण में रहना, जैसे शृङ्खित्व-सींग होने को यदि गी का लदण कहा जाय तो अतिव्यासि दोप होगा क्योंकि लक्ष्यभूत गी से भिन्न भैस आदि को भी सींग होती है अथवा लक्ष्यतावच्छेदकभूत गोत्व के अभाव के अधिकरण भैस आदि को भी सींग होती है।

असम्भवका अर्थ है लक्ष्यमात्रावृच्छित्व-किसी भी लक्ष्य में न रहना, अथवा लक्ष्यतावच्छेदक के व्यापक अभाव का प्रतियोगी होना, जैसे एकशफल्व को-गीच में कटी न होकर एक ही खुर होने को यदि गी का लदण कहा जाय तो असम्भव दोप होगा, क्योंकि गी दे खुर के गीच में कटी होने से लक्ष्यमात्र में-पूर गोसमुदाय में एक-शफल्व नहीं रहता, अथवा लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व के सभी आश्रयों में रहने से एक-शफल्वका अभाव लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक है और एकशफल्व उस अभावका प्रतियोगी है, इस प्रकार गी का एकशफल्व लदण असम्भव दोप से ग्रस्त है।

उपर्युक्त तीनों दोषोंमें किसी भी एक दोप के होने पर लक्षण अलदण बन जाता है, इसलिये जिस पदार्थ का जो धर्म इन तीनों दोषों से रहित होता है वही धर्म उस पदार्थ का लक्षण होता है, एक पदार्थ के ऐसे कई धर्म हो सकते हैं अतः एक लक्ष्य के अनेक लक्षण बन सकते हैं।

लक्षण के अन्य दोप—

लक्षण के अव्यासि जादि दोप जो बताये गये हैं वे ऐसे हैं जो लक्षण का जानने योग्य कोई रूप जरूर प्रस्तुत हो जाता है तब उपर्युक्त होते हैं किन्तु लक्षण के कुछ अन्य दोप भी हैं जिनके कारण लक्षण का कोई जानने योग्य रूप प्रस्तुत ही नहीं हो पाता, वे हैं आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक और अप्रसिद्धि।

आत्माश्रय—

स्वशानसापेक्षशानविषयत्वम् आत्माश्रय —किसी वस्तु का अपने शान के लिये अपेक्षणीय शान का विषय हो जाना आत्माश्रय है, आत्माश्रय की इस परिभाषा के अनुसार यह दोप उस स्थिति में होता है जब किसी लक्षण का निर्वचन करने पर उसके शानमें उसीका शान अपेक्षणीय हो जाता है, जैसे यदि यह कहा जाय कि 'गी से भिन्न में न रहनेवाली और सम्पूर्ण गी में रहनेवाली जाति' गी का लक्षण है, तो इस लक्षण

में आत्मात्रय दोप होगा क्योंकि गौके लक्षणमें गौ का प्रवेश हो जाने से गौ के शान में गौ का ही शान अपेक्षणीय हो जाता है फलतः अपेक्षणीय शानके अभाव में अपेक्षक शान सम्भव नहीं हो पाता।

अन्योन्याश्रय—

स्वशानसापेक्षशानसापेक्षशानविषयलक्ष्म् अन्योन्याश्रयः—किसी वस्तु का उसके शान के लिए अपेक्षणीय शान के निमित्त अपेक्षित शान का विषय हो जाना अन्योन्याश्रय है, अन्योन्याश्रय की इस परिभाषा के अनुसार जब किसी वस्तु के शान का सम्पादन करने में अपेक्षणीय शान को उस वस्तु के ही शान की अपेक्षा हो जाती है तब अन्योन्याश्रय दोप होता है। जैसे यदि यह कहा जाय कि गौ का लक्षण है सास्नागलकर्मबल और सास्ना का लक्षण है गौ के गले के नीचे लट्टकने वाला चर्म, तो गौ के इस लक्षण में अन्योन्याश्रय दोप होगा क्योंकि गौके शान'को सास्ना का शान अपेक्षणीय है और सास्ना के शान को गौ का शान अपेक्षित है, फलतः दोनों शान के एक दूसरे के आधित होने से दोनों ही सम्भव नहीं हो सकते।

चक्रक

स्वशानसापेक्षशानसापेक्षशानविषयलक्ष्म् चक्रकम्। किसी वस्तु का उसमें शान के लिये अपेक्षणीय शान को अपेक्षित शान के निमित्त अपेक्षणीय शानका विषय हो जाना चक्रक है, चक्रक की इस परिभाषा के अनुसार जब किसी वस्तु के शान के सम्पादन में अपेक्षणीय शान को जिस शान की अपेक्षा होती है उस शान के उदय में उसी वस्तु का शान अपेक्षित हो जाता है तब चक्रक दोप होता है। जैसे यदि गौ का लक्षण किया जाय 'गोत्व' और गोत्व का लक्षण किया जाय सास्नाहीन पदार्थमें न रहनेवाली और सास्नायुक्त सम्पूर्ण पदार्थोंमें रहनेवाली जाति, एव सास्नाका लक्षण किया जाय गौ के गले के नीचे लट्टकनेवाला चर्म, तो गौ के लक्षणका इस प्रकार निर्वचन करनेपर चक्रक दोप होगा क्योंकि गौ के शान का लिए गोत्व का शान और गोत्वके शान के लिये सास्ना का शान एव सास्ना के शान लिये पुनः गौ का ही शान अपेक्षित हो जाता है। फलतः गौ के शान में गौ के ही शान के अपेक्षणीय हो जाने से उसका उदय अशक्य हो जाता है।

अप्रसिद्धि—

लक्षण के निर्बन्ध रूपरूप में किसी अशा का असत्त्व अप्रसिद्धि है, जैसे यदि गौ का लक्षण किया जाय असरोमरसनत्त्व-रोमयुक्त रसनान्जिह्वा का न होना, तो इस लक्षण में अप्रसिद्धि दोप होगा क्योंकि लक्षण के रूपरूप में रसना की सरोमता अस्त् है।

लक्षण को इन सभी दोषों से भी मुक्त होना आवश्यक है।

लक्षण का प्रयोजन—

लक्षण के दो प्रयोजन होते हैं—व्याख्याति और व्यवहार, जैसा कि कहा गया है ‘व्याख्यातिर्वचनवाही गा लक्षणस्य प्रयोजनम्’। व्याख्याति का अर्थ है—लक्ष्य में रहने वाला उसके सजातीय और विजातीय पदार्थों का भेद, जैसे पशुओं की चर्चा के सन्दर्भ में जब गलक्षण गी का लक्षण इत्यादा जाता है तभी लक्ष्य गी में उसके सजातीय अथवा आदि पशुओं का तथा उसके विजातीय मनुष्य आदि पदार्थों का जो भेद शात होता है वह भेद ही व्याख्याति कहा जाता है, यह व्याख्याति लक्षण का उत्तराधि प्रयोजन नहीं होता किन्तु इस्यु प्रयोजन होता है, अर्थात् लक्षण से लक्ष्य में व्याख्याति का जनन नहीं होता अपेक्षित पूर्णता, विद्यमान व्याख्याति का ज्ञान होता है, इस प्रकार मुख्य रूप से व्याख्यातिशान के लक्षण का प्रयोजन होने से उसके विषय व्याख्याति में भी लक्षण के गोंग प्रयोजनात्मक होता है ।

लक्षण का दूसरा प्रयोजन है व्यवहार, व्यवहार का अर्थ है लक्ष्य में लक्ष्यनोधक पदार्थिणी की प्रवृत्ति—उत्तरा प्रयोग । जैसे गोत्व जाति को यदि गोपदार्थ का लक्षण कहा जाय तो उस लक्षण का प्रयोजन होगा गोपदार्थ में लक्ष्यनोधक गोपद के प्रयोग की सिद्धि । यह प्रयोगात्मक व्यवहार लक्षण का—लक्षणशान का उत्तराधि प्रयोजन होता है । वह प्रयोजन गुरुखतया उष्ण लक्षण का होता है जो वस्तुमात्र का लक्षण होता है अर्थात् केवलान्वयी होता है जैसे जेय, वाच्य आदि के जेयत्व, वाच्यत्व आदि लक्षण । इन टट्टों के अनुसार ज्ञान का विषय होने वाले पदार्थ को जेय पद से और पदरूपन का विषय होने वाले पदार्थ को वाच्य पद से व्यवहृत किया जाता है, अतः समस्त पदार्थ जेय और वाच्य पद से व्यवहृत होते हैं ।

यह ज्ञानत्व है कि सभी व्यावर्तक लक्षण व्यवहारीपर्याकरण नहीं होते और न सभी व्यवहारीपर्याकरण लक्षण व्यावर्तक होते हैं, किन्तु कुछ लक्षण व्यावर्तक भी होते हैं और व्यवहारीपर्याकरण भी होते हैं । जैसे गलक्षण गी का व्यावर्तक लक्षण है, व्यवहारीपर्याकरण नहीं है क्योंकि उसे व्यवहारीपर्याकरण तभी माना जा सकता है जब उसे गोपद का प्रवृत्तिनिमित्त माना जाय और उसे प्रवृत्तिनिमित्त नहीं माना जा सकता क्योंकि गोत्व की अपेक्षा वह गुरुतर है । जेयत्व, वाच्यत्व आदि को जेय, वाच्य आदि का व्यावर्तक लक्षण नहीं माना जा सकता क्योंकि उनकी व्याख्या व्याख्याति असिद्ध है । किन्तु गोत्व जाति को गी का व्यावर्तक और व्यवहारीपर्याकरण दोनों प्रकार का लक्षण माना जा सकता है ।

अन्यानि आदि दोनों से व्यावर्तक और व्यवहारीपर्याकरण दोनों प्रकार के लक्षणों के लक्षणत्व की हानि होती है, जैसे व्यावर्तक लक्षण में यदि अव्याप्ति दोष होगा तो उस लक्षण को हेतु बना कर सम्पूर्ण लक्ष्य रूप पक्ष में अलक्ष्य भूत पदार्थों के भेद का

अनुमान करने पर लक्ष्य के एक भाग रूप पौरुषेश में लक्षण के न होने से लक्षणात्मक हेतु भागासिद्धि दोष से ग्रस्त हो जायगा और भागासिद्धवृत्त के एक भाग में न रहने वाले हेतु का समस्त लक्ष्यात्मक पक्ष में शान न हो सकने से सम्पूर्ण लक्ष्य में उस लक्षणात्मक हेतु से अलक्ष्यमेद का अनुमान न हो सकेगा, फलत. ऐसे लक्षण में व्यावर्तकत्व-इतरभेदानुमापकत्व रूप लक्षणत्व की हानि हो जायगा।

इसी प्रकार लक्षण यदि अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त होगा तो लक्षणात्मक हेतु अलक्ष्य-वृत्ति होने से इतरभेद-अलक्ष्यमेद रूप साधका व्यभिचारी होगा, फलत उसमें इतर-भेदात्मक साध्य की व्याप्ति का शान न हो सकने से इतरभेदानुमापकत्वरूप लक्षणत्व की हानि होगी।

लक्षण यदि असम्भव दोष से ग्रस्त होगा तो लक्षणात्मक पक्ष में न रहने के कारण लक्षणात्मक हेतु स्वरूपस्थिर हो जायगा और उस दशा में उक्त लक्षणात्मक हेतु में पद्धत्यर्थका का शान न हो सकने से उस हेतु से लक्ष्य में इतरभेद का अनुमान म हो सकेगा, फलत. असम्भवग्रस्त लक्षण के इतरभेदानुमापकत्व रूप लक्षणत्व की हानि होगी।

उक्त दोषों से ग्रस्त होने पर व्यवहारीपर्याकृति लक्षण के भी लक्षणत्व की हानि होगी, क्योंकि जो लक्षण अव्याप्त होगा उसे व्यवहारीपर्याकृति माननेपर वह लक्ष्य के जिस भाग में न रहेगा उसमें लक्ष्यबोधक पदविशेष का व्यवहार न हो सकेगा, फलत उसे व्यवहारीपर्याकृति न माने जा सकने के कारण उसमें व्यवहारीपर्याकृत्वरूप लक्षणत्व की हानि होगी।

इसी प्रकार जो लक्षण अतिव्याप्त होगा—अलक्ष्य वृत्ति होगा उसे व्यवहारीपर्याकृति मानने पर वह जिस अलक्ष्य में रहेगा उसमें भी लक्ष्यबोधक पदविशेष का व्यवहार ग्रस्त होगा, फलत. उसे भी व्यवहारीपर्याकृत्वरूप लक्षणत्व की हानि होगी।

जो लक्षण असम्भव दोष से ग्रस्त होगा, किसी भी लक्ष्य में न रहेगा उसे व्यवहारीपर्याकृति मानने पर किसी भी लक्ष्य में लक्ष्य बोधक पदविशेष का प्रयोग न हो सकेगा प्रत्युत वह यदि अलक्ष्यवृत्ति होगा तो जिन अलक्ष्यों में वह रहेगा उनमें उक्त पदवे के प्रयोग की आपत्ति होगी, फलत: उसे भी व्यवहारीपर्याकृत्वरूप लक्षणत्व की हानि होगी, इसलिए किसी का चाहे कोई व्यावर्तक लक्षण उताया जाय और चाहे व्यवहारीपर्याकृत्वरूप लक्षण उताया जाय, प्रत्येक को अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोषों से मुक्त रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

परीक्षा—

‘परित ईदण परीक्षा’ इस व्युत्थान्ति के अनुसार विसी विषय की रूप प्रकार से देख-भाल करने को, पूर्णहृष में उसकी जान इन्हें को परीक्षा कहा जाता है। इसे न्यायशास्त्र की तीसरी प्रवृत्ति माना गया है और इसे न्याय-भाष्य में तथा उसका अनुचरण करते हुये इस तरंगभाग मध्य में भी लक्षण के युलायुक्तत्व विचार तक ही सीमित कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत सन्दर्भ में किसी पदार्थ की परीक्षा करते हुये केरल इतना ही देखना है कि जिस उद्दिष्ट पदार्थ का जो लक्षण बताया गया है वह उसका उपयुक्त लक्षण है या नहीं, उसमें उसका अविकल परिचय प्राप्त होता है या नहीं, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव दोनों में से कोई दोष है या नहीं, उसका स्वरूपानन्द न्याय में उसका सम्भव भुक्त है या नहीं। परीक्षा का परिचय देते हुये वही जात न्यायभाष्य में इस प्रकार कही गई है—‘उद्दिष्टस्य यथा लक्षणमुपयते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा’ जो पदार्थ उद्दिष्ट हुआ है, जिसका जो लक्षण बताया गया है उसका वह लक्षण उपयते है या नहीं, प्रमाणों से इस बात का निर्णय करना परीक्षा है। इस प्रकार न्यायदर्शन में तथा इस ग्रन्थ में परीक्षा का सम्बन्ध मुख्यरूप से लक्षण के ही साथ है।

शास्त्र की विविध प्रवृत्ति—

उद्देश, लक्षण और परीक्षा, जो यह तीन प्रवृत्तियाँ चराई गई हैं उन सबकी अनन्यथासिद्ध उपरोक्तिना है, क्योंकि शास्त्र की रचना जिए उद्देश्य से हुई है उसकी सिद्धि इन तीनों के बिना हो ही नहीं सकती। न्यायशास्त्र की रचना पदार्थों का सम्यग् ज्ञान सम्पन्न करने के लिये हुई है, तो जब तक पदार्थ का उद्देश न किया जायगा, जब तक यह न बताया जायगा कि वे दीन से और किनने पदार्थ हैं जिनका सम्यग् ज्ञान अपेक्षित है तब तक उनका सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कैसे किया जा सकेगा, इसे लिये जातव्य पदार्थों का उद्देश सर्वप्रथम आवश्यक है, इसी प्रकार पदार्थ का उद्देश साप्रकर देने में, उनका नाम मार भना देने में भी उनका सम्यग् ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी पदार्थ के सम्यग् ज्ञान की परिविमें अन्य पदार्थों में उसकी विलक्षणता का ज्ञान नुस्खा है और वह एकमात्र उसके लक्षण में ही साध्य है, अतः लक्षण के बिना पदार्थ का सम्यग् ज्ञान सम्भव न होने से उद्देश के अनन्तर लक्षण का अभिधान किया जाता है। लक्षण का अभिधान दो प्रकार से होता है, कभी उद्देश के चाद विभाग और विभाग के चाद लक्षण और कभी उद्देश के चाद लक्षण और उद्देश के चाद विभाग, जैसा कि न्यायदर्शन, प्रथमाध्याय, प्रथम आहिक के तीसरे सत्र के भाष्य में बताया गया है—

‘तत्रोद्दिष्टस्य प्रविमनस्य लक्षणमुच्यते, यथा—प्रमाणस्य प्रमेयस्य च। उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च विभागवचन, यथा—छुटस्य’।

प्रमाण और प्रमेय प्रथम सूत्र में उद्दिष्ट हुये हैं, उद्देश के अनन्तर क्रम से तीसरे और नवें सूत्र में उनका विभाग किया गया है और विभाग के पश्चात् विभाग किये हुये प्रमाण और प्रमेयों का पृथक् पृथक् लक्षण किया गया है। किन्तु छुल के विषय में इससे विपरीत प्रक्रिया अपनाई गई है, क्यों कि प्रथम सूत्र में छुल का उद्देश करके पुनः उसके प्रतिपादन का जवाब उपस्थित होने पर प्रथम अध्याय, द्वितीय आहिक के दशबे सूत्र में उसका लक्षण किया गया है और लक्षण के अनन्तर अग्रिम सूत्र में उसका विभाग किया गया है। इस प्रक्रियाभेद का भी कारण है और वह यह कि जिस पदार्थ का सामान्य लक्षण उसके सामान्य नाम की व्याख्या से ही अवगत हो जाता है उसका स्वतन्त्र रूप से सामान्य लक्षण न प्रता कर उद्देश के अनन्तर उसका विभाग कर दिया जाता है जैसे प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण शब्द का जर्ख है प्रमा का करण और प्रमेय शब्द का जर्ख है प्रमाका विषय, जब इन नामों की व्याख्या में ही प्रमाण और प्रमेय के लक्षण का लाभ हो जाने से उनका कोई सामान्य लक्षण न प्रता कर उद्देश के अनन्तर उनका विभाग कर दिया गया, किन्तु छुल शब्द की शाब्दिक व्याख्या से छुल का कोई लक्षण नहीं जान होता जब छुल का उद्देश करने के अनन्तर उसका पहले लक्षण प्रताया गया और जब लक्षण से उसका सामान्य परिचय प्राप्त हो गया तब उसके विशेष परिचयाथ उसका विभाग किया गया।

इस विभाग को लेकर उद्योगनकर ने न्यायवाचिक म तथा जयन्त मट्ट ने न्यायमञ्चरी में इस आशय का प्रश्न उठाया है कि जब शास्त्र की विभागात्मक एक चौथी प्रवृत्ति भी प्राप्त होती है, तो भाष्यकार ने शास्त्र की जो तीन ही प्रवृत्ति जताई हैं वह उचित नहा है, इस प्रश्न का उन्होंने जड़ा उचित उत्तर भी प्रस्तुत किया है, और यह वह कि विभाग शास्त्र की कोई स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं है जाप्तु वह भी एक प्रकार से पदार्थ का उद्देश ही है क्यों कि दोनों के लक्षण समान हैं। तार्थ यह है कि जिस प्रकार उद्देश म पदार्थ के नाम मात्र का ही कथन होता है ठीक उसी प्रकार विभाग म भी नाममात्र का ही कथन होता है। सामान्य उद्देश और विभागात्मक उद्देश म अन्तर केवल इतना ही है कि सामान्य उद्देश में पदार्थ के सामान्य नाम का कथन होता है और विभागात्मक उद्देश म पदार्थ के विशेष नाम का कथन होता है, जैसे न्यायदरशम के प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय आदि पदार्थों के प्रमाण, प्रमेय आदि सामान्य नामों का निर्देश है और प्रमाण तथा प्रमेय के विभाजक सूत्रों म प्रमाण के प्रत्यक्ष, जनुमान आदि तथा प्रमेय के आत्मा, शरीर आदि विशेष नामों का निर्देश है।

इस प्रश्न और उत्तर से सम्बद्ध न्यायवाचिक तथा न्यायमञ्चरी के वाक्य क्रम से इस प्रकार है—

“त्रिविद्या चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरल्पुनम्, उद्दिष्टविभागश्च न विविधाया शास्त्र-
प्रवृत्ताक्तन्तर्भवतीति, तरमादुद्दिष्टविभागो मुक्तः, न, उद्दिष्टविभागस्योददेश एवान्तर्भावात्,
उद्दिष्टविभाग उद्देश एवान्तर्भवतीति, वस्मात् । लक्षणसामान्यात्, समान लक्षण
नामधेयेन पदार्थाभिधानमुद्देश इति ।” (न्या० धा० १, १, ३)

शास्त्र की प्रवृत्ति निर्विव गया है, यह कहा गया है, किन्तु उस त्रिविद्या प्रवृत्ति में
उद्दिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव नहीं होता है, यत् उद्दिष्ट के विभाग को भी शास्त्र की
एक स्वतन्त्र प्रवृत्ति मानना उचित है । (यह प्रश्न है, इसका उत्तर यह है कि) विभाग को
शास्त्र की स्वतन्त्र प्रवृत्ति मानना उचित नहीं है, यतः उद्देश और विभाग दोनों के
समान लक्षण होने से उद्देश में ही उद्दिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव हो जाता है । नाम-
मात्र से पदार्थ का अभिधान, यह उद्देश और विभाग दोनों का समान लक्षण है ।

“ननु च विभागलदणा चतुर्थपि प्रवृत्तिरत्येव, भेदवल्तु प्रमाणसिद्धान्तच्छुलादिपु-
तथा व्यवहारात्, सत्यम्, प्रथममूलोद्दिष्टे भेदवति पदार्थं भवत्येव विभागः, उद्देश-
स्थापनपायात् उद्देश एवासी । सामान्यसम्बन्धा कीर्तनमुद्देशो. प्रकारभेदसम्बन्धा कीर्तन-
विभाग इति । तथा चोद्देशतयैव तत्र तत्र भाष्यकारो व्यवहरति ‘अयथार्थः प्रमाणोद्देशः’
इत्याचेष्टे ‘तत्त्वमाद् । यथार्थ एव प्रमाणोद्देशः’ इति च समाधानमभिधानः । तत्पात्
त्रिविद्यैव प्रवृत्ति ॥” (न्या० म० प्रमाण प्रकरण)

विभागस्तु चोर्धा भी शास्त्र की प्रवृत्ति है ही, क्योंकि प्रमाण, सिद्धान्त, छुल आदि
जिन पदार्थों में अवान्तर भेद है उनमें विभागात्मक प्रवृत्ति व्यवहृत है । सत्य है, प्रथम
सूत्र में बताय गये अवान्तर भेदवाले पदार्थ का विभाग किया गया है, किन्तु वह
उद्देश व लक्षण से सम्बन्धित होने के कारण उद्देश ही है, सामान्य नाम से पदार्थ का
कथन उद्देश है और विशेष नाम से पदार्थ का कथन विभाग है, उद्देश तथा विभाग
में ऐक्य होने के बारण ही प्रमाण का विभाग करने के अवान्तर ‘प्रमाण का यह उद्देश
अयथार्थ है’ इस आचेष्ट को प्रस्तुत कर उसके निराकरण की युक्ति बता ‘इसलिए
प्रमाण का यह उद्देश यथार्थ ही है’ ऐसा समाधान करते हुये भाष्यकार ने तत्त्व-
स्थल म उद्देश के रूप में ही विभाग का व्यवहार किया है, इसलिये शास्त्र की प्रवृत्ति
निर्विव ही है ।

यह स्पष्टगति है कि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने प्रवृत्ति का यह त्रैविद्य न्याय-
शास्त्र व ही सम्बन्ध में बताया है, यह अन्य सब शास्त्रों के लिये न मान्य ही है और
न सर्वत्र प्राप्य ही है, इसलिये वैशेषिक दर्शन के ‘प्रशस्तपाद-भाष्य’ की अपनी
‘कन्दूली’ वरन्म म जाचार्य श्वीधर ने प्रवृत्ति व त्रैविद्य की आलोचना कर वैशेषिक
शास्त्र की प्रवृत्ति व त्रैविद्य का समर्थन करते हुए लिखा है कि—

‘अनुद्दिष्टेषु पदार्थेषु न तेषा लक्षणानि प्रवर्तन्ते निविषयत्वात्, अर्द्दतेषु च तत्प्रतीत्यभावं कारणभावात्, अत पदाथ्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य शास्त्रस्यभयथा प्रवृत्तिः, उद्देशो लक्षण च, परीक्षायात्मु न नियम, यत्राभिहिते लक्षणे प्रवादात्मरब्याज्ञेयात् तत्त्वनिक्षयो न भवति तत्र परपूज्युदासार्थं परीक्षाविधिरधिक्यते, यत्र तु लक्षणाभिधानसामध्यदिव तत्त्वनिक्षय स्यात् तत्राय व्यर्थो नार्थते, योऽपि विविधा शास्त्रप्रवृत्तिमिल्लिते तत्पापि प्रयोजनादीना नास्ति परीक्षा, तत्पत्त्वं हेतोलक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्ते इति, एन चेदर्थप्रतीत्यनुरोधात् शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्ण त्रिविषये’ ।

तात्पर्य यह है कि पदार्थ युत्पादक शास्त्र में उद्देश और लक्षण वह दो प्रवृत्तियाँ हो अनिवाय रूप से जपेहैं इन्हाँके पदा गा का उद्देश-नाम मात्र से कथन यदि न किया जायगा तो उनके लक्षण भाव न आये जा सकेंगे, क्याकृ जन कोई विषय, कोई लक्षणीय पदार्थ उपस्थित ही न होगा तर लक्षण किसका होगा ? आर जप लक्षण न होगा तर कारण के अभाव से पदा गा तत्त्व ज्ञान भी कैसे हो सकेगा ? इसलिये पदार्थ क व्युत्पादन-पदाथ का सम्बन्ध अनुरोध रखने के लिये जो शास्त्र प्रवृत्त हो, उसकी उद्देश और लक्षण वह दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ परमावश्यक हैं, किन्तु परीक्षाविधिक प्रवृत्ति का कोई नियम नहीं है, उसका होना अनवाय नहा है। हा, जिस पदार्थ का लक्षण यहाँ देने पर भी विरोधी मतभाव के कारण उसका तत्त्व निक्षित न हो सके, उम पदार्थ क परपूज्यदिवोंवी मत के निराकरण के लिये उस पदार्थ की अथवा उसके लक्षण की परीक्षा अवश्य की जानी चाहिये, किन्तु जिस पदार्थ का तत्त्वनिक्षय लक्षण के कथन मात्र से ही हो जाता है, उसके सम्बन्ध से म किसी प्रकार की परीक्षा अपेक्षणीय नहीं है, जिस (न्यायभाष्यकार वाल्याभन) ने शास्त्र की त्रिविधि प्रवृत्ति मानी है, उनके यहाँ भी प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गयी है, यह क्या ? इसीलिये कि प्रयोजन आदि का परिशान लक्षणमात्र स ही सम्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति म यही जात उचित है कि पदार्थ की प्रवृत्ति क अनुरोध से ही शास्त्र की प्रवृत्ति मानी जाय, न कि यह आग्रह किया जाय कि शास्त्र की प्रवृत्ति त्रिविधि होनी ही चाहिये ।

इस प्रस्तुति में इनना कह दना आवश्यक एव उचित प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक दर्शन के व्याख्याता जाचार्न श्रीवर्गने न्यायभाष्यकार गात्यायन के शास्त्र की प्रवृत्ति क त्रिविषयक रूप की तो जालीनना की है, वह उचित नहीं जान पड़ती । उसका अंतिमित्य तर होना, जन गात्यायन ने यह कहा होता कि तमीं शास्त्रों म तथा शास्त्र के सभी नियमों म तीन प्रवृत्तियाँ आवश्यक हैं, पर उन्होंने ऐसा न कहकर सष्ठ कहा है कि ‘त्रिविधि चाल्य शास्त्रल्य प्रवृत्ति’ इस न्यायशास्त्र की तीन प्रवृत्तियाँ हैं । उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि इस शास्त्र क तमीं नियमों म तीन प्रवृत्तियाँ हैं, किन्तु उन्होंने देखा कि प्रमाण, प्रमय और समय जो इस शास्त्र के सर्वप्रमुख प्रतिपाद्य हैं, उनके

[१] प्रमाणपदार्थनिरूपणम् ।

त ग्राद्यपि प्रथमसुधिष्ठित्य प्रमाणसर तायन्त्रदग्नुच्यते, प्रमाणरणं प्रमाणम् ।
अत्र च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षणम् ।

न तु प्रमाणाः करणं च त् प्रमाणं तर्हि तस्य फलं वज्रं, चरणस्य करवरं
नियमात् ।

सत्यम्, प्रमा एव फलं साध्यमिल्यर्थः । यथा हितापरणस्य परदोषितिर्व
फलम् ।

का पुनः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम् ?

उच्यते—यदार्थानुभवः प्रमा । यस्याव इत्यदधाराना मंशय-विपर्यय-
तर्कहानानां निरामः । अनुभव इति स्मृतिर्गतः । * नातविपर्यये ज्ञानं स्मृतिः ।
अनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम् ।

सम्बन्ध म सूतकार ने तीन प्रश्नियों न प्राप्तिया न प्राप्तिया ह, अतः 'प्राप्तान्वेन व्यपदेशाः भवन्ति'
न्याय के अनुसार कह दिया कि इस शास्त्र की तीन प्रश्नियों ह, यह तो उन्होंने कहे
नहीं कि उभी यास्त्रों में तथा उनके सभा विषयों में यह तीन प्रश्नियों आवश्यक है,
अतः ज्ञानार्थ धीरुष की उक्त आलोचना उन्नित नहीं करी जा सकती ।

प्रमाण आदि पदार्थों के तत्त्व ज्ञान के लिए उनके उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा भी
आवश्यक है, सो उद्देश्य तो न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में ही कर दिया गया, अतः
आगे के प्रन्थ म उनके लक्षण और उनकी परीक्षा करनी है ।

उन सोलह पदार्थों में भी प्रमाण का उद्देश्य पहले किया गया है, अत उनका
लक्षण पहले बताया जाता है, इस सन्दर्भ म यह ध्यातव्य है कि न्यायदर्शनकारने स्वयं
प्रमाणज्ञानान्वयका कोई लक्षण नहीं बताया है, किन्तु उद्देश्य के जनन्तर उसका विभाग—
उसके अधान्तर मेंइका प्रदर्शन ही किया है, जिस पर स्वभावत यह प्रश्न उठता है
कि जब तक प्रमाण का सामान्य परिवर्य न होगा वब तक उसके सम्बन्धमें विशेष
जिक्कास्त नहीं हो सकती, अत उसका सामान्य परिवर्य देनेके द्वेषु नूत्रकारको पहले
उसका लक्षण बताना चाहिये था, फिर उन्होंने ऐसा न कर उसका विभाग कैसे कर
दिया । इस स्वाभाविक प्रश्नका उत्तर भाष्यकार वारस्यायनने यह दिया है कि प्रमाण
सांदर की गणितिक व्याख्यासे ही प्रमाण का लक्षण जबकान हो जाता है अतः उसके
पृथक् लक्षण की जावश्यकता न समझकर नूत्रकारने उसका लक्षण नहीं किया । इस
प्रतको भाष्यकारने इन शब्दोंमें कहा है—

'उपलब्धिसावनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवैचनसामध्याद् गोद्यम् । प्रसीयतेऽ-
नेतेति करणा वा भासनो हि प्रमाणशब्दः' (पा भा १, १, ३)

भाषण यह है कि उद्देश्यसंक्षेप में प्रयुक्त प्रमाण शब्द 'प्र'उत्तरगुणवत्त 'मा'धातु से 'करण-धाराग द्वारा असाधारण कारण' रूप अर्थ को बताने वाले 'ल्युट्' प्रत्यय से निष्पत्त है। 'मा' धातु का जर्ब है रान और 'प्र' से सुकृ 'मा' का जर्ब है प्रकृष्ट इन—यथावतान, जिसे उक्त भाष्य वाक्य में 'उपलब्धिं' शब्द से अभिहित किया गया है। 'ल्युट्' का अर्थ है 'करण' जिसे 'साधन' शब्द से निर्दिष्ट किया गया है, इसके अनुसार प्रमाण शब्द का अर्थ होता है उपलब्धिं का साधन—प्रमा का करण। इस प्रकार प्रमाण शब्द के निर्वचन में ही प्रमाण का प्रमाकरणशब्द रूप लक्षण इतना ही जाता है, इसी लिये इन्हीं मूल भूतका नहीं किया गया।

'तर्कभाषा' का निर्माण यत जालसी गालझो ये लिये किया गया है जो प्रमाण शब्द के निवचन जादि व भूमेले भूत नहीं पड़ना चाहेंगे अत तर्कभाषाकार ने उक्त भाष्य के आवार पर 'प्रमाकरण प्रमाणम्—प्रमा का करण प्रमाण है' प्रमाण का यह स्पष्ट लक्षण लिख दिया।

'प्रमाकरण प्रमाणम्' इस लक्षण वाक्य में 'प्रमाण' शब्द लक्ष्य का गोधक है और 'प्रमाकरण' शब्द लक्षण का गोधक है, उसके अनुसार प्रमाणरूप लक्ष्य का लक्षण दुआ प्रमाकरणत्व।

इस लक्षण के सम्बन्ध में यह प्रश्न होता है कि जब प्रमा का करण प्रमाण है तब उसका फल—कार्य बनाया जाना चाहिये क्यों कि जो करण होता है वह नियमेन फलबान् होता है, करण का कोई न कोई फल अवश्य होना है। इस प्रश्न का उत्तर यह है—सच है कि करण का कोई न कोई फल अवश्य होना है। तदनुसार प्रमाकरणरूप प्रमाण का भी फल है जौर वह फल प्रमा ही है। जिस प्रकार छेदन-काटने के करण फरसे का छेदन-काटना ही फल-कार्य है उसी प्रकार प्रमा के करण प्रमाण का भी प्रमा ही उचित फल है।

फिर प्रश्न होता है कि वह प्रमा क्या है जिसके करण को प्रमाण कहा जाता है। उत्तर है—यथार्थ अनुभव प्रमा है। प्रमा शब्द का जर्ब है यथार्थ अनुभव, प्रमा का लक्षण है यथार्थ अनुभवत्व। तात्पर्य यह है कि जो अर्थ जैसा है यदि उसका अनुभव भी ऐसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की प्रमा कहा जायगा। जैसे सामने दियने वाली रस्तु यदि रस्ती है और रस्ती के रूप में ही उसका अनुभव हो रहा है तो वह अनुभव रस्ती की प्रमा माना जायगा।

यथार्थ अनुभव-प्रमा है—इस लक्षण वाक्य में यथार्थ शब्द हो रख कर सराय, विपर्य और तर्क इन अवधार्य अनुभवों का तथा अनुभव शब्द को रख कर यथार्थ स्मरण का नियाकरण किया गया है।

जिस शान का विषय पहले कभी शात रहता है उस शान को स्मृति-न्यरण कहा जाता है और जो शान स्मृति से भिन्न होता है अर्थात् जिस शान का विषय पहले शात नहीं रहता है उसे अनुभव कहा जाता है।

प्रमाण का लक्षण बताया गया है कि जो 'प्रमा का करण' हो वह प्रमाण है, इस लक्षण में 'प्रमा' और 'करण' का सम्बन्ध है। अत जब तक इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक इन दोनों के सम्बन्ध से उने प्रमाण-स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। यत उन लक्षण में 'प्रमा' का प्रवेश पहले है और 'करण' का बाद में, अत 'करण' की व्याख्या बाद के लिये छोड़ कर 'प्रमा' की व्याख्या पहले की गई है, दूसरी जात यह भी है कि 'करण' कायसारेक्ष होता है अत जिस करण का जो काय होता है उसे जाने बिना करण को ज्ञान पाना सम्भव नहीं होता इस लिये भी 'प्रमा के करण' को उताने पर पूर्व प्रमा को उताना आवश्यक होने से पहले प्रमा का प्रतिपादन किया गया है। किसी भी पदार्थ का प्रतिपादन उसके लक्षण के द्वारा तुकर होता है अत 'प्रमा' का प्रतिपादन करते हुये उसका लक्षण बताया गया है 'यथार्थनुभव प्रमा'। जो अनुभव यथार्थ हो वह प्रमा है। प्रमा के इस लक्षण में दो अश हैं 'यथार्थ' और 'अनुभव' इनमें से यदि पहले अश को लक्षण से निष्काल दिया जाए तो 'अनुभव' मान ही शेष रहेगा और यदि उतने मात्र को ही प्रमा का लक्षण माना जायगा तो जो अनुभव प्रमारूप नहीं है उनमें प्रमा-स्वरूप की अतिव्याप्ति होगी, जैसे सराय, विर्यय और तर्हन्ये जनुभव तो है पर प्रमा नहीं है, अत इनमें अतिव्याप्ति के निवारणार्थ प्रमा के लक्षण में 'यथार्थ अश' का सम्बन्ध आवश्यक है। यथार्थ' का सम्बन्ध हो जान पर इन अनुभवों में प्रमा-लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी क्यों कि ये अनुभव यथार्थ—यथार्थनुसारी नहीं हैं। उदाहरणार्थ सराय को लिया जा सकता है।

संशय—सराय एक ऐसा अनुभव है जो एक अथ को परस्पर विरोधी दो रूपों में ग्रहण करता है, वे दो रूप साधारणतया भावाभावात्मक होते हैं अर्थात् उन दो रूपों में एक भावात्मक और दूसरा अभावात्मक होता है। जैसे सामने तुच्छ दूरी पर जन कोई ऐसी वस्तु दीख पड़ती है जिसकी जचाई किसी स्थाणु—ठृठे पेड़ की अथवा किसी अन्य वस्तु की—किसी पुरुष की हो सकती है। किन्तु उसमें स्थाणु का अथवा अन्य वस्तु का—किसी पुरुष का कोई विरोध लक्षण नहीं दीख पड़ता तब उस वस्तु के विषय में कोई निश्चय न होकर इस प्रकार का सन्देह होने लगता है कि 'यथा स्थाणु वा' अथवा 'यथा स्थाणुवा पुरुषो वा'। पहले सन्देह का अथ है—सामने दीख पड़ने वाली वस्तु स्थाणु है या स्थाणु नहीं है, इसमें सामने दीख पड़ने वाली एक ही वस्तु स्थाणुत्व और स्थाणुत्वभाव इन परस्परविरोधी दो रूपों में शात होती है। इनमें पहला रूप भावात्मक और दूसरा रूप अभावात्मक है। दूसरे

सन्देह का जवाब है—सामने दीख पड़ने वाली वस्तु स्थाणु है या पुरुष है। इसमें एक ही वस्तु स्थाणुत्व और पुरुषत्व इन दो रूपों में ज्ञात होती है, ये दोनों रूप भावात्मक हैं।

कोई भी वस्तु परस्पर पिरोधी दो रूपों का आधय नहीं हो सकती, अतः सामने दीख पड़ने वाली वस्तु कोई एक ही वस्तु हो सकती है चाहे वह स्थाणु ही हो, और चाहे वह अस्थाणु ही वा पुरुष ही हो, तो फिर जो ज्ञान एक ही वस्तु को परस्परविरोधी दो रूपों में ग्रहण करता है वह यथाथ—अर्थात् उसी कैसे हो सकता है, वह तो निर्विवाद रूप में अयथाथ ही है। अतः प्रमा के लक्षण में यथार्थ अश को रखने पर सशय-सन्देह में प्रमान-लक्षण की जटिलता नहीं हो सकती।

विषयव्यय—

विषयव्यय का अर्थ है अनपरीत ज्ञान, जिस पदार्थ का जो जपना स्वरूप होता है, जपना धर्म होता है, उस स्वरूप से उसका ज्ञान न होकर उसके विषयविरीत रूप से ज्ञान उसका ज्ञान होता है, तब वह ज्ञान विषयव्यय कहा जाता है, जैसे सूर्य के तीव्र प्रकाश में चमकती हुई सीधी का ज्ञान जव दीपी के रूप में होकर चादी के रूप में होता है, जैसे फलम्बनव्यवहार जाता 'इय शुनि—यह सीधी है' ऐसा व्यवहार न कर 'इद रजतम्—यह चादी है' ऐसा व्यवहार करता है, तो इस व्यवहार का मूलभूत ज्ञान—चादी के रूप में सीधी का ज्ञान विषयव्यय कहलाता है। दशनग्राही में इस राजन को भिन्नज्ञान, यथा वजान, अन्यथाख्याति विषयव्यय, अविद्या, अध्यात्म, अग्रमा, भ्रम आदि शब्दों से व्यवहृत किया गया है।

प्रमा के उन लक्षण में यथार्थ पद न देने पर विषयव्यय—भ्रमात्मक अनुभव में अविद्यासि होगी, और उन पद का प्रमा लक्षण में प्रवश करने पर अनिव्यासि न होगी, यथा कि भ्रम में पदार्थ का जपने स्वरूप से ग्रहण न हो कर अन्य पदार्थ के रूप से ग्रहण नहीं रखा जाए वह न अनुभवी—'यथा अव तथा अनुभव' नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में चमकती दीपी का जव चादी के रूप में अनुभव होता है तब वह अपने अपने विषय भारी के समान नहीं होता इन्हुंने उसके विषयविरीत चादी के समान होता है। अतः अपने अपने विषय व्यवहार में वह प्रमा व मध्य में परिगणित नहीं होता।

तर्क—

तर्क एक ज्ञानात्मक ज्ञान है, क्या कि व्याप्त का जारीप से जो व्यापक का जारीप होता है उस ही तर्क कहा जाता है, जैसे धूम यदि वही का व्यभिचारी होगा तो वही न उत्त्वन न होगा 'धूमो यदि वहि व्यभिचारी स्याद्, वहिनन्यो न स्यात्' यह एक तर्क है, इसमें परिला अथ व्याप्त का जारीप है और दूसरा अर्थ व्यापक का जारीप है, इस तर्क में वह विषयविरीत अनुभाव फलित होता है कि 'क्या कि धूम वही से उत्पन्न

होता है इस लिये वहिं का व्यभिचारी नहीं हो सकता 'यस्माद् धूमो वहिजन्य तस्माद् धूमो न वहिव्यभिचारी'। इस प्रकार यह तर्क धूम में वहिव्यभिचारारामाव के निश्चय का सम्पादन कर धूम में वहिव्यभिचार के सशय होने की सम्भावना समाप्त कर देता है। जिसके फलस्वरूप धूम में वहिव्यासि के निश्चय का उदय होकर धूम से वहिं के अनुमान का जन्म होता है। हाँ, तो यह अनुमान यथार्थ स्वयं प्रमा है पर उसे सम्भव करने वाला उक्त तर्क अप्रमा है क्यों कि वह वहिं के अव्यभिचारी धूम को वहिव्यभिचारी रूप में और वहिं से जन्य धूम को वहिं से अजन्यरूप में ग्रहण करता है। यदि प्रमा के लक्षण से यथार्थ अश को निकाल कर अनुमव मात्र को ही प्रमा का लद्दण माना जायगा तो उक्त 'तर्क' में उस लक्षण की अतिव्यासि होगी क्यों कि वह भी एक अनुभव है, और जब लक्षण में यथार्थ अश रहेगा तो उससे 'तर्क' की व्यापृति हो जायगी। क्यों कि यह जैसा उसका अर्थ है वैसा नहीं होता किन्तु उसके विपरीत होता है, जैसा कि उक्त तर्क में घटा है कि उसका अर्थ-धूम जो वसुत वहिं का अव्यभिचारी है और वहिं से जन्य है उसे वह उस रूप में ग्रहण न कर वहिं के व्यभिचारी और वहिं से अजन्य रूप में ग्रहण करता है।

इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'यथार्थानुभव' इस प्रमा लद्दण में यथार्थ अश का सचिवेश न करने पर सशय, विपर्यय और तर्क इन तीन प्रकार के अप्रमाणनों में इस लद्दण की व्यतिव्यासि होगी।

इस प्रस्तुति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उक्त अप्रमा शानों में किसी एक में भी अतिव्यासि होने से जब लद्दण दूषित हो सकता है तब तीनों में अतिव्यासि मूल्यात्मक करने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि उक्त तीनों अप्रमा-शान एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण हैं, जैसे उनमें किसी एक ही प्रकार की अप्रमा में अतिव्यासि की सूचना करने पर दूसरे प्रकार की अप्रमाणी में अतिव्यासि का जान न होता और उस स्थिति में लद्दण की 'परीक्षा' अधूरी रह जाती, जैसे तीनों में अतिव्यासि की सूचना का निनान्त सार्थकत्व है। यदि यह पूछा जाय कि यज्ञ तीनों अप्रमा शान अपने अपने अर्थ को उनके रामन्दर रूप में न ग्रहण कर विपरीत रूप में ही ग्रहण करते हैं, तो उनमें क्या विलक्षणता है, तो इसका उत्तर यह है कि तीनों में अयथार्थत्व अश में समानता हीन पर भी अन्य अश में कुछ मौलिक अन्तर है, जैसे विपर्यय विपरीतरूप में ही सही, पर उस रूप में जग्ने जग्न का नामधारण करता है, यह जब सीधी की चाढ़ी के रूप में ग्रहण करता है तो वह चाढ़ी के रूप में सीधी का नामधारण कर देता है। उसे दुरिया की विधि में नहीं स्थाना। किन्तु सशय और तर्क जग्ने जग्न के अर्थ को दुरिया में होकर देते हैं उसका नामधारण नहीं कर पाते। क्यों कि सशय जग्ने जग्न के परस्परविद्योधी दो स्त्री में ग्रहण करता है और एक अर्थ के परस्पर विद्योधी दो रूप हैं।

नहीं सकते फलतः उसका अर्थ दो हिंदों में दोलायित होता रहता है, किसी एक रूप में अवधारित नहीं हो पाता। तर्क जपने अर्थ को एक ही रूप में ग्रहण करता है पर जिस रूप में ग्रहण करता है उस रूप में वह उसका अवधारण नहीं कर पाता क्यों कि तर्क का विषयभूत अर्थ तर्क की उत्पत्ति के पूर्व अन्य रूप में अवधारित रहता है जैसे 'धूम यदि बहु का व्यभिचारी होगा तो बहिजन्य न होगा' इस तर्क के पूर्व उसका विषय धूम बहु के अव्यभिचारी और बहिं से जन्य-रूप में अवधारित रहता है। तो फिर जब तर्क के पूर्व उसका विषय किसी रूप में अवधारित रहता है तब तर्क से किसी विपरीत रूप में उसका अध्यागण कैसे हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विषय एक अवधारणात्मक अप्रमाण है और सशय एवं तर्क अवधारणात्मक अप्रमाण है। अनवधारणात्मक अप्रमाणों में भी यह अन्तर है कि सशय जिस रूप में अपने अर्थ को ग्रहण करता है उस रूप में अथवा उससे विपरीत रूप में उसका अर्थ उसके पूर्व में अवधारित नहीं रहता किन्तु तर्क जपने अर्थ को जिस रूप में ग्रहण करता है उससे विपरीत रूप में उसका अर्थ उसके पूर्व अवधारित रहता है जैसा कि उदाहृत तर्क में स्पष्ट रहता दिया गया है।

प्रमा के 'यथार्थनुभव' इस लक्षण में अनुभव अश का समावेश न कर यदि 'यथार्थ' इतनाही लक्षण रहा जायगा तो उसका स्वरूप यह होगा कि जो ज्ञान यथार्थ हो, अर्थ के अनुहार हो वह प्रमा है। लक्षण का यह स्वरूप रखने पर मृत्तिमरणात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, और जब लक्षण में अनुभव अश का समावेश कर यथार्थ ज्ञान मात्र को नहीं किन्तु यथार्थ अनुभव को प्रमा का लक्षण माना जायगा तब स्मरण में अतिव्याप्ति न होगी, क्यों कि 'जनु-प्रमाणव्यापाशरादनन्तर भवति य. सोऽनुभवः' अनुभव शब्द की इस व्युत्पत्ति के जनुसार प्रमाण-व्यापार के अनन्तर उत्पत्ति होने वाला ज्ञान ही अनुभव कहलाता है, स्मरण की उत्पत्ति में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती किन्तु पूर्वानुभव से जैसा सक्षाक कर जाता है, उद्घोषक का सज्जिधान होने पर वैसा ही स्मरण हो जाता है, अतः प्रमाण-व्यापार के जनननार उत्पत्ति न होने के कारण स्मरण अनुभव से भिन्न होता है, इस लिये प्रमा के लक्षण में अनुभव अश का समावेश कर देने से स्मरण में उसकी अतिव्याप्ति का परिहार हो जाता है।

स्मरण के अनुभव से भिन्न होने का कारण केवल यहीं नहीं है कि उसमें अनुभव शब्द की उक्त व्युत्पत्ति की सगति नहीं होती किन्तु उसका यह भी एक कारण है कि अनुभवत्व एक जाति है जो प्रत्यक्ष, जनुर्मिति, उपमिति और शब्दज्ञेय को अनुभव के रूप में ग्रहण करने वाले अनुव्याप्ताय-मानसिग्रह्यत्व से तिद्द होती है, वह जाति जिस ज्ञान में रहती है उसे अनुभव कहा जाता है, स्मरण में वह जाति नहीं रहती अतः स्मरण अनुभव शब्द से व्यपदिष्ट नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जब किसी मनुष्य को किसी

विषय के प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति जथवा शाब्दशोध का उदाह होता है तब उसे भी इस विषय का अनुभव करता है' ऐसी प्रतीति होती है किन्तु न इसी विषय का स्मरण होता है तब ऐसी प्रतीति नहीं होती, जब प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों में अनुभवत्व जाति मानी जाती है और स्मरण में अनुभवत्व जाति नहीं मानी जाती।

ज्ञान और उसके भेद—

ज्ञान जात्या का वह विशेष गुण है जिसे स्वरार द्वे सार व्यग्रहार चलते हैं, जिसे ज्ञान नहीं होता वह फ़िसी प्रकार का कोई व्यग्रहार नहीं कर सकता। यह गुण प्रधानतया चेतन का जड़ से पृथक् करता है, इसके दो भेद होते हैं अनुभव और स्मृति। जिस ज्ञान का विषय पहले कभी जात रहता है उसे स्मृति नहीं जाता है और जो ज्ञान स्मृति से भिन्न होता है, जिसका विषय पहले कभी जात नहीं रहता उन अनुभव कहा जाता है।

स्मृति—

यह अभी बताया गया है कि स्मृति का विषय पहले ने ज्ञान रहता है। वह फ़िरी नये विषय को प्रभाया में नहीं स्वातीं किन्तु जो विषय कभी ज्ञात होकर उपरे स्वाक्षर में लिखा पड़ा रहता है कही हमारे स्वाक्षर का उद्घोषण होने पर हमारे ज्ञान ग प्रकाशित होने लगता है। स्वाक्षर में स्मृति की इस उत्तर्ति के ज्ञाधार पर उसका एक दूसरा लक्षण भी प्रसिद्ध है और वह है 'सरकारगमावजन्य ज्ञान स्मृति'। इस लक्षण में 'सरकारगम' इस अर्थ का सन्दर्भ न करने पर 'नन्य ज्ञान स्मृति' इतना ही लक्षण न चाहा है जिसकी अतिव्याप्ति प्रत्यक्ष, अनुमिति आदि सभी जन्य ज्ञानों में प्रसन्न होती है अत उसके नियारणार्थ उम अशा का सन्दर्भ आवश्यक है। 'मात्र' पद को लक्षण से पृथक् कर देने पर 'सरकारजन्य ज्ञान स्मृति' इतना ही लक्षण शेष नहीं है जिसकी अतिव्याप्ति 'प्रत्यभिना'—परिचयात्मक प्रत्यक्ष म होती है क्यों कि वह भी स्वाक्षरजन्य ज्ञान है, जैसे पूर्व में देखा हुआ घड़ा जय पुन कभी आप के सामने आता है तब स्वैव 'अय भ—यह घड़ा है' देखल इसी रूप में उसका प्रत्यक्ष नहीं होता निष्ठु पूकदशन ने घड़े के सम्बन्ध म जो अपना स्वाक्षर ढाल रखा है उसके उद्दृढ़ हो जाने म कभी 'म एव अय'—'मह वही घड़ा है' इस रूप म भी होता है। इस प्रत्यक्ष म 'म एव नहीं' इस अशा से सामने दीख पड़न जाले टेंडे की पूरदृष्टि विदेन होती है जो इस सरकारजन्य न सामने पर सम्भव नहीं है।

अब प्रत्यभिना म अनिव्याप्ति के परिचार लक्षण म 'मात्र' पद का प्रयोग आवश्यक नाना जाता है। इस पद से कवल इन्द्रिय ॥ व्याघ्रति भभिन्नत है न कि समस्त अन्य पदार्थों की, इस लिये लक्षण का अव्यय यह निष्पत्र होता है । कि 'इन्द्रियाजन्य सरकार-

दो भेद के भाव में शान के तीन भेद होंगे स्मृति, अनुभव और प्रत्यभिशः जोर उनके ब्रह्म से लक्षण होंगे 'परतात्मारबन शान स्मृति' 'धाराग्रन्ध शानम् अनुभवं' तथा 'सक्षा-रन्द्रियोभवज्ञय शान प्रत्यभिशः'। जो शान किंचिं प्रभाव से उत्पन्न न हो एव सप्ताह माह से उत्पन्न हो उसे स्मृति, जो शान सम्भाव से उत्पन्न न हो उसे अनुभव और जो सक्षात् एव इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न हो उसे प्रत्यभिशः कहना चाहिये। इन्तु कई भाषाकार को यह विकल्प सम्भव नहीं प्रतीत होता, उन्होंने तो स्मृति और अनुभव शांतो लक्षण बताया है उसे यथाभूत स्वयं भ्रष्ट करने पर शान के स्मृति और अनुभव वे दो ही भेद प्रतीत होते हैं। अन लोकानुभव के जापार पर प्रत्यभिशः को अनुभव एवं भ्रष्ट में एव प्रत्यक्ष म उसका अन्तर्मात्र मानना—यही शान नामायाकार को अभिमान जान पड़ती है। इस विधि में उसमें अतिव्याप्ति के परिसारपूर्वक तर्कभाषाकारी स्मृतिलक्षण में शान पद का स्थिरकरण कर 'शानमात्रविद्यकशान' स्मृति का यही उत्तर मानना उचित है।

स्मृति के भेद—

स्मृति की कोई अवगततर जात नहीं होती यत उसके जाति-मूर्तक भेद नहीं होते, ही यह व्यवस्था होता है कि वह सौदैव अनुभव का सर्वांश में अनुपर्यन्त नहीं करती। यह तो ठीक है कि वह अनुभव का अतिक्रमण तो कभी नहीं करती, अनुभव में न आय विषय को कभी ग्रहण नहीं करती पर यदा कदा अनुभव के द्रुद्ध अश को छोड़ कर भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्मृति प्रमुखविषया स्मृति कही जाती है। यह उस विधि में उत्पन्न होती है जब पूर्वानुभव द्वारा उत्पादित सक्षात् के द्रुद्ध ही अश का उद्घोषण होता है और द्रुद्ध का उद्घोषण नहीं हो पाता। इस प्रकार पूर्वानुभव के पूर्ण और आशिक अनुवर्तन के जापार पर अप्रमुखविषया और प्रमुखविषया ऐसे दो भेद स्मृति के कहे जा सकते हैं।

अनुभव—

अनुभव का लक्षण अभी जापाय गया है कि 'स्मृतिभिश शान' अनुभव है। इस लक्षण में से 'स्मृतिभिश' इस अश को पृथक् कर देने पर केवल 'शान' ही शेष रहेगा और उतने मात्र का लक्षण मानने पर स्मृति में अतिव्याप्ति होगी। इसी प्रकार उच्च लक्षण गे मे स्मृति पद को हटा देने पर 'भिश शान' इतना ही शेष रहेगा। उतने मात्र का भी अनुभव का लक्षण नहीं माना जा सकता क्यों कि उतने मात्र का भी स्मृति में अतिव्याप्ति होगी यह स्मृति भी शान है तथा खैतर सभी पदार्थों से भिन्न है। यदि उस लक्षण मे शान पद को निकाल कर 'स्मृतिभिश' इतने ही की लक्षण माना जाय तो यह भी ठीक नहीं हो सकता क्यों कि उस दशा मे घट, पट आदि वास्तविक पदार्थों मे तथा

कि पुनः करणम् ? साधकतम् करणम् । अतिशयितं साधकं साधकतम् प्रकृष्टं कोरणम् इत्यर्थः ।

इच्छा, द्वेष आदे आन्तर पदार्थों में अतिव्याप्ति होगी । अतः ‘स्मृतिमित्र ज्ञानम्’ अनुभव का इतना लक्षण आवश्यक है ।

अनुभव के भेद—

अनुभव के जातिमूलक चार भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शान्दयोध, जिनका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा ।

प्रमाण का यह लक्षण बताया गया है कि ‘प्रमाकरण प्रमाणम्-प्रमा वा करण प्रमाण है । इसमें ‘यथा व्याख्यानुभव प्रमा’ यथार्थ—जो अब जैसा है उसका अनुभव भी यदि वैसा ही हो तो वह अनुभव प्रमा है इस प्रकार ‘प्रमा पद की व्याख्या की गई । अब ‘करण’ पद की व्याख्या की जायगी ।

प्रश्न है कि प्रमाण के ‘प्रमाकरणम्’ इस लक्षण में ‘करण’ का क्या अर्थ है ? उत्तर है ‘साधकतम् करणम्’— जो जिस कार्य का साधकतम हो— अतिशयेन साधक हो, प्रकृष्ट कारण हो वह उस कार्य का करण होता है ।

तात्पर्य यह है कि एक कार्य के कई कारण होते हैं, उनमें कुछ राधारण कारण होते हैं और कुछ असाधारण कारण होते हैं, जिन कारणों की अपेक्षा तभी काया में होती है वे साधारण कारण कहे जाते हैं, उनकी सरका द है—ईश्वर, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय प्रयत्न, अटष्ठ-धर्मार्थम्, कार्य का प्रागभाव, दिक्, और काल । यह आठों कार्यमात्र के कारण होते हैं, इनका कार्यतावच्छेदक धर्म होता है ‘कार्यदृप्त’ । इन आठ कारणों से भिन्न जिनने भी कारण होते हैं वे सब असाधारण कारण कहे जाते हैं, जैसे कुलाल-कुम्हार, कपाल-जिन अवयवों के जोड़ से घड़ा जनता है, चक्रचाक जिस पर मिट्टी रखकर कपाल आदि के निर्माण द्वारा घड़ा बनाया जाता है, दण्ड-चाक वा छुभाने के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला दण्डा, चीवर-वह तान जिससे चाक पर घूमती हुई मिट्टी की पैदी काट कर घड़े का घड़ चाक से उतारा जाता है, सलिल-पानी, चाक पर घूमती मिट्टी को सवारने के लिये कुम्हार जिसका प्रयोग करता है; ये सब घट के असाधारण कारण कहे जाते हैं, इनका कार्यतावच्छेदक धर्म होता है ‘घटत्व’ जो कार्यमात्र का धर्म न हो कर केवल घटात्मक कार्य का ही धर्म है । इसी प्रकार तन्तुवाय-कपड़ा उनने वाला शिल्पी, चन्तु-सूत, तुरी-जिससे सूत जोड़े जाते हैं, बेमा-जिन दण्डों में सूत फसाकर कपड़े की बुनाई की जाती है, आदि पट के असाधारण कारण कहे जाते हैं । इन कारणों का कार्यतावच्छेदक धर्म है ‘पटत्व’ । यह भी कार्यमात्र का धर्म न हो कर केवल पटात्मक कार्य का धर्म है । इस प्रकार साधारण और असाधारण

कारण शा निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता है कि जो कार्यवाचन्त्युल—कार्यमात्र के कारण ही, वे साधारण कारण और जो कार्यव्याप्त घटना, पट्टर आदि धर्माच्चिह्नपर, पर गादि विशेष कारणों द्वे कारण ही वे असाधारण कारण कहे जाते हैं।

असा कारण कारणों में जो अनिश्चयुन-प्रश्न हो वह करण है। करणस्त का उस्सा-दन करने जाते अतिराष-प्रकार शा नाम है 'व्यापार'। इस लिये अनुवर्ती नैतिकियों ने 'करण' का लृप्त किया है 'व्यापाराभूत्याकारण करणम्'। इसका अर्थ यह है कि जो व्यापारद्वारा जिस काय का असाधारण कारण होता है वह उस काय का करण होता है। जैसे दण्ड, चक्र आदि इन्हाँद्वयधरोग द्वारा घट का, तुरी, वेमा आदि तनुसंयोग द्वारा पर का कारण होने से दण्ड, चक्र आदि घट के तथा तुरी, वेमा आदि पर के करण कह जाते हैं।

व्यापार

व्यापार शा है 'तदन्तरे सति तदन्यजनकत्व' (१) अथवा 'तदनकत्वा' प्रयोजकजनकत्व' (२) पहले वा जर्य है—जो जिस कारण से उत्पन्न होकर उसके द्विस काय का जनक होता है वह उस कारण का उस वार्य के प्रति व्यापार होता है जैसे कणलद्वयसंयोग दण्ड आदि से उत्पन्न ही दण्ड आदि के द्वयत्वक कार्य का जनक होता है जैसे इन्हाँद्वयसंयोग दण्ड कारणों का द्वयत्वक शार्दे के प्रति व्यापार है। दूसरे का न है—जो अभी जनकता से निसम निस कार्य के जनकत्व शा सम्बद्ध करता है वह उसका उस शय के प्रति व्यापार होता है, जैसे कणलद्वयसंयोग अभी उसका से दण्ड आदि में एवं उसके जनकत्व का सम्पादन करता है क्यों कि दण्ड आदि में यदि इन्हाँद्वयसंयोग की जनकता न हो तो दण्ड आदि में पर का जनकत्व नहीं हो सकता, अत इन्हाँद्वयसंयोग घण्टक काय के प्रति दण्ड आदि कारणों का व्यापार होता है। व्यापार शा भी दूसरा नाम है 'द्वार' जिसे जग कल की भाषा में 'माध्यम' कहा जाने लगा है।

व्या शा—द्वारमाध्यम भी इस परिभाषा के अनुसार किसी भी कार्य का अन्तिम कारण तर ताव के जन्य सम्बन्ध कारणों का व्यापार कहा जा सकता है और इस तावे जी तन कारण को छोड़ जन्य सभी कारणों को व्यापारत् असाधारण कारण रूप होने में कगज पद नी जहता प्राप्त होती है। एर सभी कारण 'करण' पद से व्यपरिष्ठ नहीं किये जाते। जैसे 'करण' के लक्षण म जाये 'व्यापारत्' का यह अर्थ करना आवश्यक है कि जिस काय के जैवन गृहण म वा जन्मजन्म म जिस कारण का स्वरूप सादात् उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होता। कल्पु उसके व्यापार का रहना उपरिथित होता है, जैसा या कर्ता जाय के जो जिस काय का साधात् सम्बन्ध से कारण न हो कर

ननु साधकं कारणम् इति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते, कि तत् कारणम् इति ।

उच्चते—यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च तत् कारणम् ।
यथा तनु—वेमादिकं पटस्य कारणम् ।

व्यापारघटित सम्बन्ध से ही कारण होता है वह उसका व्यापारवान् कारण कहा जाता है । ‘व्यापारत्व’ की ऐसी व्याख्या करने पर जो कारण कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में अथवा कार्य के जगमन्त्र में स्वयं साक्षात् उपस्थित रहते हैं या व्यापारघटित सम्बन्ध से कारण न हो कर साक्षात् सम्बन्ध से कारण होते हैं उन में ‘करणत्व’ की प्रसक्ति न हो सकेगी । जैसे तनु, तनुवाय आदि पट के अव्यवहित पूर्व में स्वयं उपस्थित रहते हैं तथा साक्षात् सम्बन्ध से ही कारण होते हैं अतः उन्हें पट का ‘करण’ नहीं कहा जाता । तुरी, वेमा आदि का पट के अव्यवहित पूर्व में रहना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं होता, वे अपना-अपना कार्य पूरा कर यदि नष्ट हो जाय तब भी पट की उत्पत्ति में फोई बाधा नहीं होती, और यदि वे अपरिहार्य होने से पट के अव्यवहित पूर्वकाल में रहते भी हैं तो भी वे स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगलृप्त व्यापारघटित सम्बन्ध से ही कारण होते हैं अतः उनका ‘करणत्व’ अनुशंशण रहता है ।

करण का लक्षण बताया गया है कि जो ‘साधकतम—अतिशययुक्त साधक हो, प्रकृष्ट कारण हो’ वह ‘करण’ है । इसके सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि ‘साधक’ और ‘कारण’ यह दोनों शब्द पर्याय-समानार्थक हैं, इस लिये जब ‘कारण’ का ही ज्ञान नहीं है कि वह क्या है तब ‘साधक’ का ज्ञान कैसे होगा और उस रियति में ‘साधकतम’ यह करणलक्षण कैसे ज्ञात हो सकेगा, अतः इस प्रश्न के उत्तर हेतु ‘कारण’ का लक्षण बताया जाता है, जो इस प्रकार है—‘यस्य कार्यात्पूर्वभावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च तत्त्वारणम्’ कार्य के पूर्व जिसकी उपस्थिति नियत हो और जो अन्यथासिद्ध न हो वह कारण है । जैसे कार्य-पट के पूर्व तनु, वेमा आदि की उपस्थिति नियत होती है और वे अन्यथासिद्ध नहीं होते अतः वे-तनु, वेमा आदि पट के कारण होते हैं ।

इस लक्षण में पूर्वभाव, नियत और अनन्यथासिद्ध ये तीन शब्द बड़े महत्व के हैं अतः उनका अर्थ तथा लक्षण में उनके सचिवेश का प्रयोजन समझ लेना आवश्यक है ।

पूर्वभाव का अर्थ है पूर्व में—कार्यकी उत्पत्ति के ठीक पूर्वकाल में, उस क्षण में जिसके ठीक अगले दण में कार्य को उत्पन्न होना है, उस आश्रय में जिसमें कार्य की उत्पत्ति होनी है, उस सम्बन्ध से जिससे कार्य को उत्पन्न होना है, उपस्थित रहना, अथवा न्याय की भाग्य में यो कहा जा सकता है कि कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध से कार्य के आश्रय में कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से रहना । जिस सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है वह कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध कहा जाता है,

जैसे पठ तनु म समवाय सम्बन्ध में उत्पन्न होता है अत वह पठ के लिये कारणतावच्छेदक सम्बन्ध है, जिस जाग्रत्य म काय ती उत्पत्ति होती है वह कार्य का जाग्रत्य होता है, जैसे पठ की उत्पत्ति तनु में होती है जत तनु कार्य-पठ का जाग्रत्य है, जिस लग म जाय ती उत्पत्ति होती है उसके ठीक पूर्व का लग अव्यहित पूर्व लग इहा जाता है, यह वह लग है जिसम काय के समस्त कारण एकत्र हो जाते हैं, कोई जाग्र प्रतीतशीर नहीं रह जाता और जाय की उत्पत्ति का कोई प्रतिक्रियक भी उपरिथत नहीं रहता, इस लग को काय का सामग्री लग भी कहा जाता है, सामग्री का अर्थ होता है कारण ती समवाय-प्रनिष्ठाभाव सहित समूर्ण कारणा का संचिधान।

काय के आश्रय में जिस सम्बन्ध में रह कर कारण काय का उत्पादक होता है उसे कारणतावच्छेदक सम्बन्ध कहा जाता है, यह सब कारणों के लिये एकरूप नहीं होता, किन्तु भिन्न भिन्न होता है। जैसे कार्य-पठ के आश्रय तनु में तनु तादात्म्य सम्बन्ध में, वेमा जादि विजातीय भयोग अथवा स्वप्रयोज्य विजातीयसयोग से और तनुसयोग समवाय सम्बन्ध में रह कर पठ का उत्पादन करते हैं जत तनु, वेमा जादि और तनुसयोग के लिये तादात्म्य, विजातीयसयोग और समवाय व्याकृप कारणतावच्छेदक सम्बन्ध होते हैं।

‘पूर्वभाव’ शब्द की इस व्याख्या में ‘पूर्व’ का अर्थ यदि अव्यवहितपूर्व न करके सीधा सादा पूर्वमात्र ही अर्थ किया जायगा तो जो पदार्थ जिस कार्य के पूर्व कभी रह चुका है किन्तु उसके ठीक पूर्व उपरिथत नहीं हो सका है वह भी उसका कारण कहलाने लगेगा, जैसे कोई तनु वा कोई वेमा जो किसी पठ के पूर्व कभी विद्यमान रहा पर उस पठ के ठीक पूर्व उपरिथत नहीं था तो वह तनु और वह वेमा भी उस पठ का कारण कहा जाने लगेगा, क्यों कि वह तनु और वेमा उस पठ के पूर्व कभी नियत रूप में रह चुका है और अन्यथासिद्ध में जायी जानेगानी परिमापा के जनुसार उस पठ के प्रति अन्यथासिद्ध नहीं है।

इसी प्रकार ‘पूर्वभाव’ के लिये अथ में से यदि ‘कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से कार्यान्ध्रय’ इस अश को निकाल दिया जायगा तो ‘कार्य के अव्यवहित पूर्व लग में कारणतावच्छेदकसम्बन्ध में रहना’ इतना ही शेष रवेगा। उस रिधति में जो तनु, वेमा जादि कारणतावच्छेदक समवाय सम्बन्ध में जिस पठ के जाग्रथभूत तनु में न रह कर कालिक सम्बन्ध से उसके जाग्रथभूत तनु म तथा कारणतावच्छेदक समवाय सम्बन्ध से अन्य पठ के जाग्रथभूत तनु म रहते हैं व भी उस पठ के कारण कहे जाने लगेंगे। ‘पूर्वभाव’ के यथोपलब्धित अर्थ म से कारणतावच्छेदक सम्बन्ध को निकाल कर ‘कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से रहना’ के व्यान में यदि ‘रहनामात्र’ ही रखा जायगा तो जो तनु, वेमा

तर्कभाषा।

आदि जिस पट के जाश्रयभूत तनु में कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से नहीं किन्तु कालिक सम्बन्ध से रहता है वह भी उस पट का कारण कहा जाने लगेगा, अतः 'पूर्व भाव' शब्द का जो अर्थ वर्ताया गया, कारण के लक्षण में उसे अविकल रूप से रखना आवश्यक है।

'नियत' शब्द का अर्थ है नियम युक्त होना, नियम का जर्य है व्याप्ति, व्याप्ति की निष्पत्ति व्याप्ति और व्यापक दोनों पर निर्भर होती है, इस लिये व्याप्ति का जाध्य होने से व्याप्ति भी नियत कहा जाता है और व्याप्ति का निरूपक होने से व्यापक भी नियत कहा जाता है, परिस्थिति के अनुसार नियत शब्द से कहीं व्याप्ति को जौर कहीं व्यापक को ग्रहण किया जाता है। कारण के मूलोच लक्षण में नियत शब्द से व्यापक अथ अभिमत है, और 'कार्यात्' 'पूर्वभाव' एवं 'नियत' तीनों शब्दों का मिलित अर्थ ग्राद्य है, अत 'कार्यात्मात् नियत' का जर्य है—कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध से कार्य के आश्रय में कार्य के अव्यवहित पूर्व लक्षण में रहने वाले अभाव का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से प्रतियोगी न होना। कारण के इस लक्षण से यह निष्कर्ष प्रस्तुत होता है कि अनन्यथासिद्ध होते हुये भी काय के किसी आश्रय में किसी सम्बन्ध से कभी रुद्ध लेने मात्र से कोई पदार्थ कारण नहीं हो सकता अपिन्दु कारण होने के लिये उसे कार्यनियतकाय का व्यापक होना जावश्यक है। कारण के लक्षण में 'नियत' शब्द का सन्निवेश कर उक्त रूप में उसका निर्बन्धन करने का फल यह होता है कि रासभन्मिद्वी होने वाले कुम्हार के गवे में घट्कारणत्व की अतिप्रसक्ति नहीं होती, क्योंकि वह कदाचित् किसी घट का पूर्ववर्ती तो हो जाता है, पर सभी घट का नियत पूर्ववर्ती न होने से घट का व्यापक नहीं होता। इस प्रस्तग में यह शङ्खा हो सकती है कि रासभ घट्कारण का नियत पूर्ववर्ती न होने से घट का व्यापक नहीं होता अतः वह घटसामन्य का कारण न हो परन्तु वह जिस किसी एक घट का नियत पूर्ववर्ती होता है उसका वह कारण क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि रासभ जिस विशेष घट का नियत पूर्ववर्ती है उसके प्रति अन्यथासिद्ध होने के कारण वह उसका भी कारण नहीं होता।

'अनन्यथासिद्ध' शब्द का अर्थ है अन्यथासिद्ध न होना, जौर अन्यथासिद्ध का अर्थ है प्रवृत्त कार्य के उत्पादन के लिये नहीं किन्तु दैववश, किसी अन्य प्रयोजनवश अथवा अपरिहार्यतावश कार्यञ्जन्म के पूर्व उपस्थित होने वाला, जैसे रासभ यदि किसी घट के जन्म के पूर्व दैवात् उपस्थित हो जाता है, या किसी अन्य कार्य से आ जाता है अथवा पहले से यवा रहता है तो वह उस घट के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, अन्यथासिद्ध की परिमाजित परिभाषा यह है कि जो पदार्थ जिस कार्य का नियत पूर्ववर्ती होता है किन्तु कार्यसारणमर्मज मनीषियों द्वारा उस कार्य के कारण रूप में

व्यवहृत नहीं होता वह उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है। इसके अनुसार राधम घटसामान्य के प्रति अन्यथासिद्ध नहीं होता किन्तु उसी घट के प्रति अन्यथा-सिद्ध होता है जिसका वह नियत पूर्ववर्ती होता है। फलतया कारण लक्षण में दिये गये 'नियत' शब्द और 'अन्यथासिद्ध' शब्द के चेत्र वह जाते हैं। 'नियत' शब्द से अनन्यथासिद्ध कार्यपूर्ववर्ती पदार्थों की और 'अनन्यथासिद्ध' शब्द से कार्यनियत पूर्ववर्ती अन्यथासिद्ध पदार्थों की व्याख्या होती है। दोनों शब्दों के व्यावर्तीनीय पदार्थों में इस प्रकार स्पष्ट अन्तर होने से इस प्रश्न को स्थान नहीं रह जाता कि अनन्यथासिद्ध शब्द से ही अनियत पदार्थों की भी व्याख्या हो जायगी अतः 'कारण' के लक्षण में नियत पद का प्रयोग जनावश्यक है।

कारण के लक्षण में 'अनन्यथासिद्ध' का सम्बिद्धेश किया गया है। अनन्यथासिद्ध का अर्थ है अन्यथासिद्धभिन्न, भेद एक अभाव है अन्यथासिद्ध उसका प्रतियोगी है, अभावशान में प्रतियोगी का शान कारण होता है, जरूर अन्यथासिद्ध के शान के विनाश अन्यथासिद्धभेद का शान नहीं हो सकता, इस लिये अन्यथासिद्ध क्षय है यह जानना परमावश्यक है।

अन्यथासिद्ध—

जो जिस कार्य का नियतपूर्वर्ती होते हुए भी उस कार्य का कारण नहीं कहा जाता वह उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होता है। विश्वनाथ न्यायपद्मानन्द ने उसके पाच भेद जानी वारिसाकली में उन्हें जैसे—

येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य ।

अन्य प्रति पूर्वभावे शात यत्पूर्वभावविज्ञानम् ॥

जनक प्रति पूर्ववृत्तिभावपरिक्षाय न यस्य शब्दते ।

अतिरिक्तभावपि यद्भवेत्तिवावश्यकपूर्वभाविनः ॥

एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिकम् ।

घण्डी दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम् ॥

हृतीय तु भवेद् व्योम कुलागजनकोऽपर ।

पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ ॥

येन सह पूर्वभाव—जिस धर्म से विशिष्ट में जिस कार्य की नियतपूर्ववर्तिता का ज्ञान होता है वह धर्म उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, जैसे 'दण्डः घटनियता पूर्ववर्ती—दण्ड घट का नियतपूर्ववर्ती है' इस प्रकार दण्डत्वविशिष्ट में घट की नियत-पूर्ववर्तिता का ज्ञान होता है अत दण्डत्व घट के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, अन्यथा सिद्ध की इस परिभाषा के अनुसार जिस कार्य के बो जो धर्म कारणतावच्छेदक होते हैं वे सब उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं।

यद्यपि पटोस्पत्तो देवादागतस्य रासभादे. पूर्वभावो विद्यते, तथापि नासी नियतः । तन्तुरूपस्य तु नियतः पूर्वभावोऽस्त्येव, किन्त्वन्यथासिद्धः पटरूपजननो-पक्षीणत्वात्, पटं प्रत्यपि कारणत्वे कैल्पनामोरवप्रसङ्गात् । ते नानन्यथासिद्ध-नियतपूर्वभावित्यं कारणत्वम् । अनन्यथासिद्धनियतपश्चाद्भावित्यं कार्यत्वम् ।

कारणमादाय वा यस्य—जिस पदार्थ में जिस कार्य की नियतपूर्ववर्तिता का शान उस कार्य के कारण के द्वारा ही होता है वह पदार्थ भी उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, जैसे दण्डगत रूप में घट की नियतपूर्ववर्तिता का शान घट के कारण दण्ड के द्वारा ही होता है, क्योंकि दण्डगत रूप दण्डपरतन्त्र है, दण्ड के बिना रह नहीं सकता अतः दण्ड के द्वारा ही उसम घट की नियतपूर्ववर्तिता शात हो सकती है, इसलिये दण्ड में रहने वाले रूप आदि घट के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं ।

अन्य प्रति पूर्वभावे शाते यलूर्वभावविश्वानभ्—जिस पदार्थ में जिस कार्य की नियतपूर्ववर्तिता किसी अन्य कार्य की नियतपूर्ववर्तिता के शान के पथात ही होती है वह पदार्थ भी उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, जैसे शब्दजनक आकाश में घट की नियतपूर्ववर्तिता का शान आकाश म शब्द की नियतपूर्ववर्तिता के शान के पथात ही हो सकता है, क्योंकि जब तक आकाश शब्दकारण थे रूप में सिद्ध न हो लेगा तब तक उसम घट की नियतपूर्ववर्तिता कैसे शात हो सकेगी, अत आकाश शब्दकारण के रूप में घट के प्रति अन्यथासिद्ध है ।

जनक प्रति पूर्वदृष्टितामपरिज्ञाय न यस्य एषाते—जिस पदार्थ में जिस कार्य की नियतपूर्ववर्तिता उस कार्य के कारण वी नियतपूर्ववर्तिता के शान के बिना शात नहीं हो सकती वह पदार्थ भी उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है । जैसे कुलालपिता में घट की नियतपूर्ववर्तिता घट के कारण कुलाल की नियतपूर्ववर्तिता के शान के बिना शात नहीं हो सकती अत युलालपिता कुलाल के रूप म घट का कारण होते हुये भी कुलाल पिता के रूप म घट के प्रति अन्यथासिद्ध है ।

अतिरिक्तमधार्यि यद् भवेत्तियतानश्यकपूर्वभाविन—जिस कार्य के प्रति जितने अवश्यक्लृत—रघु और नियतपूर्ववर्ती होते हैं उन सबसे जो भिन्न होता है वह उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता है, जैसे घट के प्रति दण्ड, चक्र आदि लघु नियतपूर्ववर्ती हैं, यसम उन सभसे भिन्न है अत वह घट के प्रति अन्यथासिद्ध है ।

अन्यथासिद्ध की उक्त परिभाषाओं में पाचवी परिभाषा पूर्व की चारो परिभाषाओं के चेत्र को आत्मसात् करने में रुमर्थ होने के कारण आवश्यक समझी जाती है ।

अभी कारण का यह लक्षण बताया गया है कि कार्य के पूर्व जिसका भाव—जिसकी उपस्थिति नियत और अनन्यथासिद्ध हो वह कारण है, इस लक्षण में 'नियत' और

‘अनन्यधासिद्’ इन दो अंशों से प्राप्तन मानने के लिये ‘यदि’ से लेकर ‘कल्पना गौरवप्रसारात्’ तक सा मन्थ प्रवृत्त है। जायग यह है कि यदि कारण के उक्त लक्षण में ने ‘नियत’ वेद और निश्चाल दिमा जायगा तो ‘कारण’ के पूर्ण जितना भाव—जिसमें उत्तरित अनन्यधासिद् हो यह कारण है, लक्षण का इतना ही मन्थ प्रचेगा और यदि उन्ने भी ही लक्षण भाव लिया जायगा तो पट की उत्तरति ये पूर्ण दैरप्रय जब कभी होइ रास्त आदि उत्तरित हो जायगा तब उसमें पठकारण के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि पट के पूर्ण उप गदन आदि का भी भाव है, किन्तु लक्षण में जब ‘नियत’ जाय का भी समावेश रहेगा तो दैरप्रय जाये रास्त आदि में पठकारणत्व की अनिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि रास्त आदि में पट का नियत पूर्णभाव नहीं है। इसी प्रकार उक्त लक्षण में से यदि ‘अनन्यधासिद्’ अंश से निश्चाल दिमा जायगा तो ‘कारण’ के पूर्ण जितना भाव नियत हो यह कारण है’ लक्षण का इतना ही पठरूप प्रचेगा और यदि उन्ने भी ही लक्षण का लक्षण भाव जायगा तो उन्नु के रूप में पठकारणत्व की अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि पट के पूर्ण में तनुरूप का भाव—अस्तित्व नियत है। किन्तु कारणलक्षण में जब अनन्यधासिद् अंश का सम्बिहेश होगा तब यह अनिव्याप्ति न होगी, क्योंकि तनुरूप में पट का पूर्णभाव नियत भवस्य है पर पट के प्रति अनन्यधासिद् नहीं है, क्योंकि तनुरूप में पट का जो पूर्णभाव है यह पठरूप के उत्पादन में ही परिसमाप्त हो जाता है, अतः तनुरूप को पठरूप का कारण मानने के साथ यदि पट का भी लाल भाव जायगा तो यह एक गुण कल्पना होगी।

इस सन्दर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि तनुरूप में पठकारणत्व की कल्पना में क्या गौरव है? विचार करने पर एक तो यह गौरव प्रतीत होता है कि पठकारणत्व में दो अश्य हैं—एक पट के प्रति नियत पूर्णभाव और दूसरा अनन्यधासिद् तिद्वय, तो इन दो अंशों में तनुरूप में पहला अश्य तो सहज सिद्ध है किन्तु दूसरा अश्य सिद्ध नहीं है, अतः तनुरूप को पट के प्रति यदि कारण मानना होगा तो उसमें दूसरे अश्य की कल्पना करनी होगी। यह अकल्पना कल्पना—नूरन कल्पना ही एक गौरव है। दूसरा गौरव यह होगा कि यदि तनुरूप को पट का कारण माना जायगा तो नूल्यन्याय में तन्तु के स्थान आदि अन्य गुणों को भी कारण मानना होगा। तीसरा गौरव यह होगा कि तनुरूप यदि पट का कारण होगा तो सम्भाव्य सम्बन्ध से ही कारण होगा, क्योंकि उसी सम्बन्ध से वह पट का नियत पूर्ववर्ती है, और उस सम्बन्ध से कारण होने पर वह पट का असमवायिकारण होगा, क्योंकि असमवायिकारण का यही लक्षण है कि जो कार्य के समवायि कारण में समवाय अथवा रसमवायितमय सम्बन्ध से कियमान रहकर कारण होता है वह असमवायिकारण होता है। अतः पट के समवायिकारण तन्तु में समवाय सम्बन्ध में कियमान होकर पट का कारण होने से

यत्तु कहिचाह—‘कार्यानुरूपान्वयव्यतिरेकि कारणम्’ इति । तदनुरूपम् । नित्यविभूतां व्योमादोनां कालतो देशतद्य व्यतिरेकासंभवेनाकारणत्वप्रसङ्गात् ।

तनुरूप को पट का असमविकारण होना अनिवार्य है, और यदि वह पट भा अस-
मविकारण माना जायगा तो कभी तनु और तनुरूपोग के रहते किसी प्रकार यदि
तनुरूप का नाश होगा तो ‘असमविकारण’ के नाश से कार्यदृश्य के नाश का नियम
होने में तनुरूप के नाश से पठनाश की आपत्ति होगी जो तनु और तनुरूपोग के
रहते कथमपि मान्य नहीं हो सकती । फलतः इस आपत्ति के प्रतिरोध के लिये तनु
और तनुरूपोग दोनों को पठनाश का परम्परसायेद प्रतिमन्बहु मानना होगा ।
दोनों को परम्परसायेद प्रतिमन्बहुक मानने का परिणाम यह होगा कि जब तक तनु
और तनुरूपोग दोनों विद्यमान रहेंगे तब तक किसी भी कारण से पट का नाश नहीं
होगा और जब उनमें से किसी भी एक का नाश होगा तब दूसरे के रहते भी पट का
नाश हो जायगा, वैसे तनुरूपोग का नाश होने पर तनु के रहते पट का नाश हो
जाता है एवं तनु का नाश होने पर तनुनाश के जम्मजान में तनुरूपोग के रहते
तनुनाश के दूसरे ज्ञान में पट का नाश हो जाता है, तो इस प्रकार तनुरूप को पट
का कारण मानने पर तनुरूप के नाश से पठनाश की आपत्ति के परिहारार्थ तनु और
तनुरूपोग में पठनाश के प्रति परम्परसायेद प्रतिमन्बक्त्व की कल्पना ही तीव्रा
गौरव है ।

कार्य के पूर्व जिसका भाव-सञ्जिधान, नियत और अनन्यथासिद्ध होता है, वह कारण
कहा जाता है एवं जो अनन्यथासिद्ध नियत के समविधान के पश्चात् उत्तम होगा है,
वह कार्य कहा जाता है । कारण और कार्य के इस सर्वमान्य व्यवहार के आवार पर यह
माना जाता है कि अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्व-अन्यथासिद्ध न होते हुए
कार्य के पूर्व नियत रूप से रहना—यह कारणत्व-कारण का लक्षण तथा अनन्यथासिद्ध-
नियतपश्चाद्वानित्व—अनन्यथासिद्ध नियत का सञ्जिधान होने के पश्चात् होना—यह
कार्यत्व-कार्य का लक्षण है । कारण और कार्य के इन लक्षणों के अनुसार पट के
प्रति अन्यथासिद्ध न होकर पट के पूर्व नियन रूप से उपस्थित होने के नाते तुरी,
वैमा आदि पट के कारण कहे जाते हैं और उन सबों के सञ्जिधान के पश्चात् उत्पन्न
होने से पट उन सभी का कार्य कहा जाता है ।

कार्य-कारण के स्वरूप की भीमाता करने याले मनीषियों वा कोई वर्ग यह कहता है
कि कार्य द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाय, वह कारण है ।
अन्वय का अर्थ है भाव-होना और व्यतिरेक का अर्थ है अभाव-न होना । अन्वय के
अनुकरण का अर्थ है ‘तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्’-कारण के होने पर कार्य का होना जोर

व्यतिरेक के अनुकरण का अर्थ है—‘तदभावे तदभावः’ कारण के न होने पर कार्य का न होना। इस अनुकरण के निर्दोष होने पर—कभी इसका भङ्ग न होने पर कारणता का निश्चय होता है। जैसे तुरी, वेमा आदि के होने पर पट होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पट का कारण कहे जानेवाले तुरी, वेमा आदि सब उपस्थित हीं और पट न हो, इसी प्रकार तुरी, वेमा आदि के न होने पर पट नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि तुरी, वेमा आदि न हो किन्तु पट हो जाय, फलत् पट के द्वारा तुरी, वेमा आदि के अन्वय और व्यतिरेक का निर्दोष अनुकरण किये जाने पर नाते तुरी, वेमा आदि को पट का कारण माना जाता है।

न्याय-वैशेषिक शास्त्र के विद्वान् कारण के इस लक्षण को अखुक्त मानते हैं। उनका कथन यह है कि कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाय, केवल उसको यदि कारण माना जायगा तो जो नित्य और विमु-व्यापक द्रव्य है, जैसे आकाश, काल, दिक्, आत्मा और ईश्वर, वे किसी कार्य के कारण न हो सकेंगे, क्योंकि नित्य-सभी समय म विद्यमान होने से किसी समय म, तथा विमु-सभी दिग्देश में विद्यमान होने से किसी दिग्देश म उनका व्यतिरेक-अभाव नहीं होता। फलत् किसी काय के द्वारा उनके व्यतिरेक का अनुकरण किये जाने की सम्भावना न होने से किसी कार्य के प्रति उनका कारण होना सम्भव न हो सकता। इसपर यदि यह कहा जाय कि आकाश आदि का व्यतिरेक न होने से याद उनमें कारणत्व सम्भव नहीं है तो वे अकारण ही रहे, क्या हानि है? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश यन्दि का तथा अपने साथ होने वाले मूर्त द्रव्यों के स्थोग आदि गुणों का कारण माना जाता है। एव दिक्-तथा काल अपने में उत्पन्न होने वाले स्थोग आदि गुणों का असाधारण कारण तथा कार्यमात्र का साधारण कारण माना जाता है। आत्मा अपने म उदय होने वाले शान, इच्छा आदि विशेष गुणों तथा स्थोग आदि सामान्य गुणों का कारण एव अनेक कार्यों का कर्ता-रूप कारण माना जाता है, ईश्वर भी अपने म उत्पन्न होने वाले स्थोग आदि सामान्य गुणों का असाधारण कारण तथा कार्यमात्र का कर्ता-रूप साधारण कारण माना जाता है, अतः इन सभी मान्यताओं का भङ्ग होने के भय से आकाश आदि को अकारण नहीं माना जा सकता। इसलिये आकाश आदि कारणद्रव्यों में अव्याप्त होने से ‘कार्यानुकृतान्यव्यतिरेकि कारणम्’ कारण का यह लक्षण मान्य नहीं हो सकता।

कुछ विद्वानों ने ‘कार्यव्यतिरेकप्रयोजकव्यतिरेकप्रतियोगित्व’ को कारणत्व—कारण का लक्षण माना है, उनका आशय यह है कि कारण के अभाव से ही कार्य का अभाव होता है, अतः इसके आधार पर कारण का यह लक्षण मानना उचित प्रतीत होता है कि ‘जिसका अभाव कार्य के अभाव का प्रयोजक हो वह कारण है’। किन्तु उपर्युक्त रीति से

आकाश आदि नित्य विभु द्रव्यों में अव्याप्त होने से वह लक्षण भी विद्वन्मान्य नहीं हो सकता।

सुप्रसिद्ध नैवायिक उदयनाचार्य ने भी अपनी न्यायकुमुमाङ्गलि में कारणता के व्यतिरेकतन्त्र न होने का निर्देश किया है, उहोने स्पष्ट कहा है—

पूर्वभावो हि हेतुत्वं मीयते वेन वेनचित् ।

न्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिवीरन्यथा न हि ॥ (न्याय कृ० प्र० स्त०)

आशय यह है कि कारणता व्यतिरेकतन्त्र नहीं है किन्तु पूर्वभाव—अनन्यथासिद्ध—कायनियतपूर्ववार्तापि—स्वरूप है अत नित्य और व्यापक पदाथ म भी वह सुधट एव सुधोष है, यदि कारणता व्यतिरेकतन्त्र होगी तो नित्य विभु पदार्थ का व्यतिरेक सम्भव न होने मे वह कारण न हो सकेगा और उस स्थिति मे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा, क्योंकि नित्य विभु पदार्थ को सिद्ध करने गले प्रमाण उ है कारणस्त्र म ही सिद्ध करते हैं ऐस जाकाश शब्द के समवायिकारण, जात्मा ज्ञान आदि गुणों के समवायिकारण, काल येष्टत्व और कनिष्ठत्व तुद्धि के नियामक कालिक परत्व और अपरत्व के नियित्तकारण, दिक् दूरत्व और सामीप्य तुद्धि के नियामक दैशिक परत्व और अपरत्व के नियित्तकारण और ईश्वर कायमात्र के नियित्तकारणकर्ता के रूप म ही अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, किन्तु कारणस्त्र जब व्यतिरेकतन्त्र होगा तभ तो वह उन पदार्थों भ सम्भव ही न होगा तो फिर कारणात्मना उनकी सिद्धि कैसे हो सकेगी, फलत उनका अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा।

इस सादर्भ म वह व्यशेषरूप से विमशनीय है कि कारण के व्यतिरेकघटित उक लक्षण की जाकाश आदि नित्य विभु पदार्थों म जो अव्याप्ति प्रतायी गई है वह वास्तविक है या आपातिक है? विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक अव्याप्ति अत्यान स्थूल विचार पर ही आधित है, वास्तव म वह नितान्त निर्मूल है, क्योंकि व्यतिरेकप्रतित उन लक्षण का विचार करते हुए जो यह यत कही गई है कि जाकाश आदि नित्य हैं अत किसी काल म और विभु हैं अत किसी देश मे उनका व्यतिरेक सम्भव नहीं है, इसलिये उनमे उन लक्षण अव्याप्त है, वह ढीक नहीं है, क्योंकि उक लक्षण भ कालगत और देशगत व्यतिरेक का सम्बिद्ध ही नहीं है। लक्षण का लो स्पष्ट आशय यह है कि जिस सम्बद्ध म जिसका सचिधान होने पर जिस काय का जाम होता है और असचिधान होने पर जाम नहीं होता वह उस सम्बन्ध से उस काय का कारण होता है। समवाय सम्बन्ध से शब्द के प्रति तादात्म्य सम्बद्ध से आकाश कारण है, इसकी उपरपति केवल इसी अत्यायव्यतिरेक पर निर्भर है कि जिसमें आकाश तादात्म्य सम्बन्ध से है उस आकाश मे समवाय सम्बद्ध

तच्च कारणं त्रिविधम्, समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् । तत्र यत्समवेत्त
कार्यमुत्पत्तेते तत् समवायिकारणम् । यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारणम् ।
यतस्तन्तुपूर्वे पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिपु ।

से गुब्द पैदा होता है और जिसमें आकृत्य तादात्म्य सम्बन्ध से नहीं है, उस पृथिवी आदि में गुब्द समवाय सम्बन्ध से नहीं पैदा होता । किसी काल में नित्य पदार्थ का अभाव न होने से तथा किसी देश में विभु पदार्थ का अभाव न होने में ऐसल इतना ही कहा जा सकता है कि कारणता को व्यतिरेकतन्त्र मानने पर नित्य पदार्थ कालिक सम्बन्ध से एवं ग्रिमु पदार्थ देशिक सम्बन्ध से कारण न हो सकेंग, क्योंकि उन सम्बन्धों से उन्हें कारण माना ही नहीं जाता । जब व्यतिरेकघटित कारणलक्षण में जो जापासें ज्ञायी गयी है वह अत्यन्त निगधार है ।

उत्तर लक्षण में लक्षित कारण समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण के भेद में तीन प्रकार का होता है, उनमें समवायिकारण यह होता है जिसमें कार्य समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, जैसे तन्तु सूत्र पट-कपड़े का समवायिकारण है, क्योंकि तन्तुओं में पट समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, तुरी जादि कारणों में पट समवाय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न होना अत तुरी आदि को पट का समवायिकारण नहीं माना जाता ।

इस सार्दर्भ में इस गत को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उत्तर विभाग को वास्तव में कारण का विभाग नहीं माना जा सकता, क्योंकि उत्तर विभाग की कारण का विभाग मानने पर समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व और निमित्तकारणत्व को ही कारण का विभाजक धम मानना होगा जो कथमपि सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि विभाजक धम वही होता है जो विभाज्यतावच्छेदक धम का साक्षात् व्याप्त तथा परस्पर विरुद्ध होता है, जैसे जब द्रव्य का विभाग किया जाता है तब द्रव्य विभाज्य होता है, उसमें विभाज्यता रहती है, द्रव्यत्व विभाज्यतावच्छेदक होता है और पृथिवीत्व, जलत्व आदि धम द्रव्यत्व का साक्षात् व्याप्त तथा परस्पर विरुद्ध होने से द्रव्य के विभाजक होते हैं । प्रस्तुत में यदि कारण को विभाज्य माना जायगा तो उसमें विभाज्यता रहेगी, कारणत्व विभाज्यता का अवच्छेदक होगा, समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व और निमित्तकारणत्व उसके साक्षात् व्याप्त हैं अत वे विभाजक होंगे, पर यह तर ही सकता है जब वे धम परस्पर विरुद्ध हों, किन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि जो कारण एक कार्य का समवायिकारण होता है वही दूसरे कार्य का निमित्त कारण होता है, इसी प्रकार जो एक कार्य का असमवायिकारण होता है वही दूसरे कार्य का निमित्त कारण होता है, जैसे तन्तु पट का समवायिकारण है किन्तु उसी तन्तु से जब कोई वस्तु जाती है तब वह

उस स्वरूप का निमित्त कारण होता है। इसी प्रकार तनुओं का सम्बोध पट का असम्बायिकारण होता है किन्तु अपने धर्म का प्रतियोगिकविधया और अपने प्रत्यक्ष का विपर्यविधया निमित्तकारण होता है, अतः सम्बायिकारणत्व और अस्बायिकारणत्व का निमित्तकारणत्व के साथ विरोध न होने में वे तीनों धर्म कारण के विभाजक नहीं चल सकते। यदि यह कहा जाय कि उक्त विभाग कारणसामान्य का विभाग नहीं है किन्तु एक कार्य के कारण का विभाग है, अर्थात् सम्बद्ध विभाग-अन्यथा का तालिका यह है कि एक कार्य का कारण सम्बायिकारण, असम्बायिकारण और निमित्तकारण के भेद से तीन प्रकार का होता है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं हो सकता क्योंकि जिस कार्य का जो सम्बायिकारण या असम्बायिकारण होता है वह उस कार्य का निमित्तकारण नहीं होता अतः एक कार्य के सम्बायिकारणत्व, असम्बायिकारणत्व और निमित्तकारणत्व में परस्पर विरोध होने से उनके विभाजक होने में कोई वाचा नहीं हो सकती, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक काय के सम्बायिकारणत्व और निमित्तकारणत्व में भी विरोध नहीं है, जैसे वाल अपने म उत्पन्न होने वाले सम्बोध यादि गुणों का सम्बायिकारण भी होता है और निमित्तकारण भी होता है, क्योंकि वाल जब कार्यमान का निमित्त कारण है तो उसे स्वरूप सम्बोध आदि का निमित्त कारण होना अनिवार्य है।

अतः अन्योनक कारणविभाग का समर्वन कारणताविभाग के आधार पर करना होगा अर्थात् यह कहना होगा कि उक्त अन्य द्वारा सम्बायिकारण, असम्बायिकारण और निमित्तकारण के भेद से कारण के तीन भेद विवरित नहीं हैं, अपि तु सम्बायिकारणता, असम्बायिकारणता और निमित्तकारणता के भेद से कारणता के तीन भेद विवरित हैं। ऐसा मानने पर कारणता विभाज्य होगी, कारणतात्व विभाज्यतावच्छेदक होगा और कारणतात्व का साक्षात् व्याप्त तथा परस्पर विशद्ध होने से सम्बायिकारणतात्व, असम्बायिकारणतात्व और निमित्तकारणतात्व विभाजक होगे। कल्पतः कारणता के विविध होने से कारण में भी विविधत्व का गौण व्यवहार हो सके गा। प्रथम में कारण का नैविध्य इसी गौण व्यवहार के आधार पर बताया गया प्रतीत होता है।

अभी कहा गया है कि पट सम्बाय सम्बन्ध से तनुओं में उत्पन्न होता है तुरी आदि में नहीं। इस पर प्रभ होता है कि पट का सम्बन्ध जैसे तनु के साथ है वैसे ही तुरी आदि के भी साथ है तो फिर क्यों पट सम्बाय सम्बन्ध से तनुओं में ही उत्पन्न होता है तुरी आदि में नहीं उत्पन्न होता। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, यह शत ढीक है, कि पट का सम्बन्ध तनु और तुरी दोनों के साथ है, पर वह एक ढङ्ग का नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध दो प्रकार का होता है सम्बोध और सम्बाय। उनमें दो अयुतसिद्ध

ननु तन्नुसवन्य इव तुर्यादिसंयन्धोऽपि पटस्य विगते; तन् कथं तन्नुपदेव पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिपु ?

सत्यम्, द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्चेति । तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, अन्ययोस्तु संयोग एव ।

क्षी पुनरयुतसिद्धी ? ययोर्मध्ये एकमविनश्यदपराधितमेवायतिष्ठने तायुन-सिद्धी । तदुक्तम्—

तायेवायुतसिद्धी द्वी विज्ञानव्यी ययोऽद्योः ।

अनश्यदेकमपराधितमेवायतिष्ठते ॥

पदार्थों का समवाय सम्बन्ध होता है और अन्य-नुसिद्ध दो पदार्थों का संयोग ही सम्बन्ध होता है । तनु और पट अयुतसिद्ध हैं, भत. उन दोनों में समवाय सम्बन्ध है और इसीलिए पट तनु में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है । तुरी और पट अयुत-सिद्ध नहीं हैं, किन्तु अन्य-युतसिद्ध हैं, भत. उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं, किन्तु उनमें सम्बन्ध होता है और इसीलिए तुरी आदि में पट समवाय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न होता ।

प्रभ होता है कि वे दो अयुत लिद पदार्थ कीन हैं, जिनमें समवाय सम्बन्ध होता है ? उत्तर है कि ‘ऐसे दो पदार्थ, जिनमें जोइ एक अपनी अविनश्य अवस्था में अर्थात् असे विनाश की सामग्री की जनुप्रेथित-दशा में दूसरे में प्राप्ति होकर ही अवस्थित रहता है, अयुत सिद्ध कहे जाते हैं’ ।

अयुतसिद्ध की इस परिभाषा को समझने के पूर्व ‘अयुतसिद्ध’ शब्द के लहज अर्थ को दृष्टिगत कर लेना आवश्यक है । यह शब्द अ, तुत और सिद्ध इन तीन शब्दों से बना है । इन तीनों शब्दों में ‘युत’ शब्द का अत्यधिक महत्त्व है, वह ‘अयुतसिद्ध’ शब्दार्थ का मेहदण्ड है, वह ‘यु मिश्रणमिश्रणयो’ इस धातुपाठ के अनुसार अमिश्रण-अमिलन-असम्बद्ध अर्थ को बताने वाले ‘यु’ धातु से ‘क्त’ प्रस्तय के सम्पर्क में निष्पत्त हुआ है । उसका अर्थ है अमिथित-अमिलित-असम्बद्ध । जो दो पदार्थ परस्पर में अमिलिन-असम्बद्ध होकर सिद्ध हों, वे युतसिद्ध कहे जाते हैं, जैसे दण्ड-पुरुष, दृश्य-पत्नी, स्त्री-पुरुष आदि । ये युताल परस्पर में आरम्भ से ही सम्बद्ध नहीं होते, किन्तु प्रभमत आपस में असम्बद्ध रहते हैं, याद में एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं । ‘युत’ शब्द के पूर्व में लगा ‘अ’ शब्द युतसिद्ध की भिन्नता का प्रतिपादन करता है । फचत, ऐसे दो पदार्थ जो कभी युतसिद्ध-नृपक्-सिद्ध नहीं होते, किन्तु आरम्भ से ही एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं अर्थात् ऐसा कोई दण नहीं होता, जब दोनों विद्यमान हों

किन्तु आपस में सम्बद्ध न हो, अयुतसिद्ध शब्द से व्यवहृत होते हैं, अयुतसिद्ध शब्दार्थ का यही मर्म उक परिभाषा द्वारा वर्णित हुआ है और मूल में उद्धृत कारिका से भी अभिहित किया गया है। कारिका का अर्थ सुस्पष्ट है कि उन्हीं पदार्थों को अयुतसिद्ध समझना चाहिये, जिन दोनों में से कोई एक अनश्यत् रहने के समय दूसरे में आधित ही रहता है।

अयुतसिद्ध की उक परिभाषा को पूरे रूप में समझने के लिए उसके प्रत्येक पदकी सार्थकता का विचार आवश्यक है। परिभाषा का स्वरूप है 'यदो मध्ये एकम् अविनश्यद् अपरावितम् एव अवातिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ'। इसमें यदि "एक" शब्द को न रखा जाय तो परिभाषा का अर्थ यह होगा कि जिन दो पदार्थों में अविनश्यत्, जिसके विनाश की सामग्री सञ्चित नहीं है, अन्य में आधित होकर ही अवरिथित होता है, वे दो पदार्थ अयुतसिद्ध होते हैं। अब यदि 'एक' शब्दरहित इस परिभाषा को ही अयुतसिद्ध की परिभाषा माना जायगा तो तनु-पट यादि अयुतसिद्ध न हो सकते, क्योंकि उन दोनों में तनु और पट दोनों ही जाते हैं, पर उनमें केवल पट ही अविनश्यद् जनस्था में तनु में आधित होता है, न कि तनु भी पट में आधित होता है, अतः उक परिभाषा में 'एक' शब्द को रखकर यह गूचित किया गया है कि अयुतसिद्ध कहे जानेवाले पदार्थों में दोनों का एक दूसरे में आधित होना अपेक्षित नहीं है, किन्तु किसी एक का ही अराधित होना अपेक्षित है।

उक परिभाषा में यदि 'अविनश्यत्' शब्द को न रखा जाय तो परिभाषा का स्वरूप होगा 'यदो मध्ये एकम् अपरावितम् एव अवातिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ'। अब यदि इतने को ही पूरी परिभाषा मान लिया जायगा तो जो अयुतसिद्ध पदार्थ दो वे दोनों नित्य होते हैं, जैसे नित्य द्रव्य और उसमें जाधित एकत्व सत्या, परिमाण, एक-पृथक्ता, जाति और विशेष, नित्य गुण और उनमें रहनेवाली जातिया, एवं जो अयुतसिद्ध पदार्थ दो के दोनों एक साथ ही नष्ट होते हैं, जैसे एक साथ नष्ट होने वाले घट और कपाल। यह स्थिति तब आती है, जब दोनों के विनाश की तैयारी एक साथ प्रारम्भ होनी है। उदाहरणार्थ घट का नाश घट के उत्तरादक कपाल-द्वय-स्योग के नाश से होता है और कपाल का नाश कपाल के उत्तरादक कपालिका-द्वय स्योग के नाश से होता है, तो फिर जब पहले ज्ञान में कपाल और कपालिका दोनों में एक साथ किया होगी, तब दूसरे ज्ञान सक्रिय कपाल का निष्क्रिय कपाल के साथ और सक्रिय कपालिका का निष्क्रिय रूपालिका के साथ विभाग होगा एवं तीसरे द्वण सक्रिय कपाल का निष्क्रिय कपाल के साथ पहले से जो घटोत्पादक स्योग या तथा सक्रिय कपालिका का निष्क्रिय कपालिका के साथ पहले से जो कपालोत्पादक स्योग या, उन दोनों का नाश होगा और चौथे ज्ञान घट तथा कपाल का एक साथ ही नाश होगा। इस प्रकार कपाल के

नाश से नष्ट होने वाला पट अपने पूरे समय में कपाल में आधित ही रहता है।

इसी प्रकार जिन अयुतसिद्ध पदार्थों में आधित का नाश आश्रय के रहते ही होता है, जैसे अन्यवसयोग के नाश से नष्ट होने वाले अवयवी, राक से नष्ट होने वाले पृथिवी के विशेष गुण, अपेक्षाकुद्धि के नाश से नष्ट होने वाले द्वित्व, द्वित्वभूत इदं गुण, क्रिया-विभाग कम से नष्ट होने वाले स्योग एवं आकाश और आत्मा के विशेष गुण। ये तीन प्रकार के अयुतसिद्ध पदार्थ तो 'अविनश्यत्' पद से रहित उक्त परिभाषा से संगीत होंगे परन्तु जिन अयुतसिद्ध पदार्थों में आश्रयभूत पदार्थ के नाश से आधित पदार्थ का नाश होता है उनका संग्रह न हो सकेगा, जैसे तनु के नाश से नष्ट होने वाले पट और तनु के गुण एवं कर्म। जायात्र यह है कि, तनु पट का समवायिकारण है और तनुयोग असमवायिकारण है, पट का नाश कभी तनु के नाश से, कभी तनुसयोग के नाश से और कभी दोनों के नाश से होता है, तो जब तनुसयोग के नाश से पट का नाश होगा तब तो पट अपने पूरे समय में तनु में आधित ही रहेगा पर जब तनुनाश से अथवा तनु और तनुसयोग दोनों के नाश से पट का नाश होगा तब कारण कार्य में पौर्यावर्त का नियम होने से तनुनाश पहले होगा और पठनाश बाद में होगा। फलतः एक ही दण सही पर तनुनाश के उत्तरसिद्ध-दण में पट तनु में अनाधित ही रहेगा। तो इस प्रकार तनु और पट के मध्य में तनु तो कभी पदार्थित होता ही नहीं किन्तु पट भी सदैव तनु में आधित ही नहीं रहता, इसलिये अयुतसिद्ध की परिभाषा में 'अविनश्यत्' पद का सञ्चिवेश न करने पर तनु के नाश से नष्ट होने वाला पट और तनु यह दोनों उक्त परिभाषा ने संगीत न हो सकेंगे, 'अविनश्यत्' पद को परिभाषा में रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि उसका अर्थ है विनाशसामग्री से असञ्चिह्नित। तनुनाश की दशा में पट अविनश्यत् नहीं है क्योंकि तनुनाश पठनाश का चरम कारण है अतः उस दशा में अपने विनाश की सामग्री के साथ होने से वह विनश्यत् है न कि अविनश्यत्, अविनश्यत् तो अपने जन्मकाल से अपने आश्रयभूत तनुओं और अपने उत्पादक तनुसयोगों के स्थितिकाल तक ही रहता है और उतने काल में वह तनु में आधित ही रहता है।

उक्त परिभाषा में यदि 'अपराधित' शब्द को न रखा जायगा तो 'यदोः मध्ये एकम् अविनश्यत् एव अवतिप्रते तौ अयुतसिद्धौ' इतना ही बचेगा और यदि उतने को ही पूरी परिभाषा माना जायगा तो कपाल और घटध्वस भी अयुतसिद्ध हो जायगे, क्योंकि उन दोनों में घटध्वस यदा अविनश्यत् ही रहता है, 'अपराधित' को परिभाषा में सञ्चिविष्ट रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि कपालनाश के बाद घटध्वस अविनश्यत् तो रहता है पर अपराधित-कपालाधित नहीं रहता। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार का दोष तो 'अपराधित' शब्द रखने पर भी होगा, जैसे आत्मा में शान आदि का खंस

सैदै अविनश्यत् और अपराधित-आत्माधित ही होता है अत उच परिभाषा म 'यदो मध्ये' का अर्थ 'यदो भावयो मध्ये' करना होगा तो किर किसी भी घस जौर उसके आधय म अयुतसिद्धत्व की आपत्ति न होगी, जत 'अपराधित' शब्द के रहने का उच प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'अपराधित' शब्द के अभाव में घस और उसके आधय में अयुतसिद्धत्व की आपत्ति न होने पर भी घट और आकाश म जयुतसिद्धत्व की आपत्ति होगी क्योंकि उन दोनो म आकाश सदा अविनश्यत् ही रहता है, और 'अपराधित' शब्द के रहने पर यह दोष न होगा, क्योंकि आकाश अनानित इव्य होने के कारण अपराधित नहीं होता। इस पर यदि यह कहा जाय कि इस दोष का परिहार तो क्वल आधित' शब्द क सामवश स हो जायगा 'अपर शब्द के उपादान की साधकता किर भी नहीं होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस र्हियात म वृक्ष और पौधे भी अयुतसिद्ध हो जायगे, क्योंकि उन दोनो म दोनो ही अविनश्यत् अवस्था म उपने अपन जाग्रत्या म जाधित हो रहते हैं। 'अपर शब्द का रखने पर यह दाय न होगा, क्योंकि 'यदो मध्ये' का जन्य 'अपर' के साथ मानने स 'यदो मध्ये' एकम् आवनशब्द् यदो मध्ये अपरा शतवय अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ इस प्रकार पारभाषा का स्फूर्त होगा वृक्ष और पौधा इन दोनो म कोइ भी अविनश्यत् अवस्था म सदा उन दोनो में स किसी अपर म ही आधित नहीं होता, क्योंकि आपस म अस्युक्त होने न समय वे अविनश्यत् रहत भी एक दूसरे म आधित नहीं रहते। यदो मध्ये का सन्दर्भ 'एकम् क साथ भी मानना होगा अन्यथा 'एकम् अविनश्यत् यदो मध्ये अपरानितमेव अवातष्ठते तौ अयुतसिद्धौ यह परिभाषा का स्फूर्त होगा और उस दशा म वृक्ष और पौधे भ पुन अयुतसद् गत्व की अनिप्रसाक्त होगी, क्यान उन दोनो क गीत चाहे जिस विसी को भी जर शब्द से लै उसम कोई न कोई नैस उसका रूप आद अविनश्यद् अवस्था म आधित रहता ही है। और जब 'यदो मध्ये' का सन्दर्भ 'एकम् क साथ भी होगा तब यह दोष न होगा, क्योंकि वृक्ष और पौधे क मध्य म स कोइ भी एक वृक्ष या पौधी उन दोनो में से किसी भी अपर म-पक्षी या वृक्ष म अपने अविनश्यत् अवस्था म जानित ही नहीं होता। इसी प्रकार उच परिभाषा म यदि 'एव' शब्द को न रखा जायगा तो भी वृक्ष और पौधे म अयुतसिद्धत्व की प्रसन्नि होगी क्योंकि उन दोनो के सदुत्त रहने के समय उन दोनो म से एक-पक्षी अपनी अविनश्यत् अवस्था म अपर-वृक्ष म आधित रहता है, 'एव' शब्द को परिभाषा म सञ्जिविष्ट रखने पर यह दोष न होगा, क्योंकि उन दोनो क अस्युक्त रहने के समय पक्षी अविनश्यत् होते हुए भी वृक्ष म आधित नहीं रहता।

अयुतसिद्ध की उच-परिभाषा विषयक प्रगति विचार के समापन के पूर्व 'अविनश्यत्'

शब्द के अर्थ पर थोड़ा और विचार कर लेना आवश्यक है। 'अविनश्यत्' का अर्थ किया गया है—विनाश की सामग्री से असनिहित, पर यह अर्थ उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि स्थृष्टिकाल में प्रतिक्षण किसी न किसी पदार्थ के विनाश की सामग्री से सन्धिहित ही होगा, फलतः 'अविनश्यत्' शब्द से किसी का ग्रहण सम्भव न होने से अयुतसिद्ध की उक्त परिभाषा प्राप्त न हो सकती, इस दोष के परिहारार्थ चार्द 'अविनश्यत्' शब्द का अर्थ 'अपने विनाश की सामग्री से असनिहित' किया जायगा तो प्रत्येक जन्यभाव पदार्थ के अपने विनाश के अव्यग्रहित-पूर्व क्षण में अपने विनाश की सामग्री से सन्धिहित होने के कारण कोई भी जन्यभाव पदार्थ कभी भी अपने विनाश की सामग्री से असनिहित नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि भेद व्याप्त्यवृत्ति होता है, अपने प्रतियोगी में कदापि और कथमपि नहीं रहता, अतः जो पदार्थ कभी अपने विनाश की सामग्री से सन्धिहित नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि भेद व्याप्त्यवृत्ति होता है, अपने विनाश की सामग्री से सन्धिहित-भिन्न न हो सकेगा, फलतः 'अविनश्यत्' शब्द से जन्यभाव पदार्थों का ग्रहण सम्भव न होने के कारण जन्यभाव पदार्थ-पट आदि और उनके आधय तनु आदि अयुतसिद्ध शब्द से व्यपदिष्ट न हो सकेंगे। इस दोष के निगरणार्थ यदि 'अविनश्यत्' शब्द से 'अपने विनाश की सामग्री के असनिधान काल में रिथत' अर्थ लिया जाय तो यह दोष नहीं होगा, क्योंकि जिस काल में जिस पदार्थ के विनाश की सामग्री का असनिधान होगा उस काल में रिथत होने से वह पदार्थ उस काल में 'अविनश्यत्' शब्द से भाव्य हो सकेगा, किन्तु इस अर्थ को स्वीकार करने पर जाति आदि नित्य पदार्थ 'अविनश्यत्' शब्द से एहीत न होगे, क्योंकि उनका विनाश न होने के कारण वे अपने विनाश की सामग्री के असनिधान काल में रिथत नहीं कहे जा सकते, फलत नित्यगुण, जाति और विशेष पदार्थ अपने अपने आधयों के साथ अयुतसिद्ध न हो सकेंगे। अत उक्त परिभाषा को 'अविनश्यत्' शब्दार्थ की दुर्व्वचता के सकृद में मुक्ति पाने की सम्भावना न होने के कारण उक्त परिभाषा को इस रूप में परिवर्तित कर देना होगा कि 'स्वाधयोभवाश्वयावकालवृत्तिस्वाश्रयैककद्विस्वाश्रयत्वम् अयुतसिद्धत्वम्'। इसका अर्थ यह है कि जिस द्वित्व के दोनों आधय जितने समय रहते हों उतने समय उन आधयों में से कोई एक यदि दूसरे आधय में नियमेन जाग्रित रहे तो उस द्वित्व के दोनों आधय अयुतसिद्ध होंगे; जैसे तनु-पटगत द्वित्व के आधय तनु और पट दोनों जितने समय—पट के जन्म-क्षण से पट-विनाश के अव्यग्रहितपूर्व क्षण तक—रहते हैं, उन सारे समयों में उस द्वित्व का एक आधय-पट उसके दूसरे आधय तनु में नियमेन जाग्रित ही रहता है अतः उस द्वित्व के आधय तनु और पट अयुत-सिद्ध होते हैं, इसी प्रकार गोत्वन्नत द्वित्व के गी और

यथा अवयवावयविनी, गुण-गुणिनी, क्रिया-क्रियावन्ती, जाति-व्यक्ती, विशेष-नित्यद्रव्ये चेति । अवयव्यादयो हि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवा-वत्तिष्ठन्तेऽविनश्यन्तः । विनश्यदवस्थास्त्वनाश्रिता एवावत्तिष्ठन्तेऽवयव्यादयः । यथा तनुनाश सति पटः, यथा वा आश्रयनाश सति गुणः । विनश्यत्ता तु विनाशकारणसामग्रीसान्निध्यम् ।

तनुपटी अप्यवयवावयविनी, तेन तयोः सम्बन्धः समवायोऽयुतसिद्धत्वात् । तुरीपटयोस्तु न समवायोऽयुतसिद्धत्वाभावात् । न हि तुरी पटाश्रिता एवावत्तिष्ठते, नापि पटस्तुर्याश्रितः, अतस्याः सम्बन्धः संयोग एव । तदेव तनुसमयेतः पटः ।

गोत्व दोनो आश्रय जितने समय—गौ के जन्म काल से गौ के विनाश के अव्यग्रहित पूर्व क्षण तक—रहते हैं उन सारे समयों में उस द्वित्व का एक आश्रय-गोत्व उसके दूसरे आश्रय-गौ में नियमेन आश्रित ही रहता है अतः उस द्वित्व के आश्रय गौ और गोत्व अयुतसिद्ध होते हैं । बृहू और पक्षी में रहने वाला द्वित्व ऐसा नहीं है क्योंकि उसके दोनों आश्रय बृहू और पक्षी जितने समय तक रहते हैं उतने समय के भीतर उन दोनों के असंयुक्त होकर रहने का समय भी आता है किन्तु उस समय उन दोनों में से कोई भी एक किसी दूसरे में नियमेन आश्रित ही नहीं होता, अतः उस द्वित्व के आश्रय बृहू और पक्षी अयुतसिद्ध नहीं होते ।

परिभाषा के इस स्वरूप पर यह प्रश्न हो सकता है कि द्वित्व सख्यास्वरूप होने के कारण गुण है अतः यह द्रव्य में ही रहेगा, गुण आदि में नहीं रहेगा तो किर गुण, क्रिया, जाति और विशेष पदार्थ अपने आश्रयों के साथ अयुत-सिद्ध कैसे हो सकेंगे, इसके उत्तर में यह कहा जाना उचित है कि उक्त परिभाषा के स्वरूप में सख्यात्मक द्वित्व का प्रवेश नहीं है किन्तु बुद्धिविशेषविषयत्वात्मक द्वित्व का प्रवेश है । गुण आदि में सख्यात्मक द्वित्व भले न रहे पर बुद्धिविशेषविषयत्वात्मक द्वित्व के रहने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जैसे द्रव्य में ‘इदमेकम्, इदमेकम्—इति इमे द्वे’ इस प्रकार की बुद्धि होती है वैसे ही गुण-गुणी और जाति-व्यक्ति आदि में भी इस प्रकार की बुद्धि होती है, अतः बुद्धिविशेषविषयत्व-रूप द्वित्व के द्वारा गुण-गुणी आदि में भी अयुतसिद्धत्व निर्विवाद है ।

अयुतसिद्ध का लक्षण अभी अनुपद में ही बताया गया है, अब उसके लक्ष्य बताये जा रहे हैं । अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया-क्रम और उसका आश्रय, जाति और व्यक्ति-जाति का आश्रय—जिसमें जाति व्यक्ति-प्रमाणद्वारा सिद्ध होती है, तथा विशेष और नित्य द्रव्य परस्पर में अयुतसिद्ध होते हैं । क्योंकि अवयवी, गुण, क्रम,

जाति और विशेष विनश्यत् रहते हुये कम से अवयव, गुणी-द्रव्य, कियावान् मूर्ति द्रव्य, व्यक्ति और नित्य द्रव्य में जाभित ही होकर अवस्थित होते हैं। उनमें जो जनित है वे जब विनश्यत् अवस्था में पहुँचते हैं—उस समय वे अनाधित ही अवस्थित होते हैं, जैसे तनुनाश के समय पर और आश्रयनाश के समय गुण। किसी भी पदार्थ की विनश्यत् अवस्था उसी समय होती है जब उसके विनाश की पूरी सामग्री समिहित होती है। तनुनाश पर्याप्ताश का चरम कारण है और कारण-कार्य में पौर्वार्थ होना जावश्यक है जब तनुनाश को पर्याप्ताश के अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान तथा एषाश से तनुनाश के दूसरे क्षण में उत्त्वद्यमान मानना होगा। इसी प्रकार आश्रयनाश भी गुणनाश का चरम कारण होता है अत उसे भी गुणनाश के अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान तथा गुणनाश को आश्रयनाश के दूसरे क्षण में उत्त्वद्यमान मानना होगा। इसलिये तनुनाश के जनक्षण में पर और तनुगत गुणों का जनाधित होकर अवस्थित रहना अपरिहार्य है, क्योंकि घर से और प्रतियोगी में कालिक विरोध—एकद्वाल में अवस्थित न होने का नियम होने के कारण तनुनाश के जनक्षण में तनुनाश ही रहेगा तनु नहीं रहेगा किन्तु पर एव तनुगत गुण उस क्षण में भी रहेंगे क्योंकि उनके नाश का कारण तनुस्वरूप आश्रय का नाश उस क्षण के पूर्व नहीं था अवितु उसी क्षण में उपस्थित हुआ है अत उनके नाश को उस क्षण में न होकर अगले क्षण में होना है, इस प्रकार पर तथा तनुगत गुणों का नाश होने के पूर्व जब तनुस्वरूप आश्रय नष्ट हो जाता है और तनु से अन्य कोई उनका आश्रय होता नहीं तो उस समय एक क्षण के लिये उनका अनाधित होकर अवस्थित रहना जनिवार्य है।

तनु और पर भी अवयव और अवयवी हैं अत अयुतसिद्ध है और इसी नाते उनमें समवाय सम्बन्ध है। तात्पर्य यह है कि अवयव और अवयवी होने वे नाते तनु और पर दोनों जिनमें समय तक रहते हैं उतने समय तक उनमें स्वयंसिद्धी पर अवयव तनु में जाधित ही रहना है, इसलिये यह पर अपनी अविनश्यता के पूरे समय अर्थात् विनाश वे चरम कारण तनुनाश का सञ्जिधान होने के पूर्व अपने सारे समय में तनु में जाधित ही रहकर अवस्थित होता है जब तनु और पर अयुतसिद्ध हैं, अयुतसिद्धों में समवाय सम्बन्ध का नियम है इसलिये उन दोनों में समवाय सम्बन्ध है। तुरी और पर में अयुतसिद्धान्व का अभाव है जब उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं है। तुरी और पर में अयुतसेन्द्र क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उन दोनों में कोई भी अपनी जरिनश्यता के सारे समय में दूसरे में जाधित ही नहीं रहता, जैसे न तुरी ही पराधित ही रहकर अवस्था होती और न पर ही तुरी में जाधित ही होकर अवस्थित होता है किन्तु दोनों जन्मी नरिनश्यत् अवस्था में कभी-कभी पराहत लम्बे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर एक दूसरे में जाधित होकर रहने की जात ही क्या है। इसलिये अयुत-

'यत्समवेत्' कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम् । अतस्तनुरेव समवायिकारणं पटस्य, न तु तुर्यादि । पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम् । एवं मृत्पिण्डोऽपि घटस्य समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम् ।

सिद्ध न होने से उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं होता किन्तु सानिध्य का अवसर होने पर उनमें संयोग ही सम्बन्ध होता है ।

प्रयुतसिद्ध और उनके बीच सम्भावित सम्बन्ध के विषय में जो उद्धु चर्चा अब तक की गई उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक कारण से तनु और पट अयुतसिद्ध हैं और ऐसा होने से उनमें समवाय सम्बन्ध है एवं पट तनु में सम्बेन—समवाय सम्बन्ध से आधित है ।

कारण के तीन भेद जाये गये हैं—समग्रायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण । अब क्रम ने उनका लक्षण बताया जायगा । उनमें समग्रायिकारण का लक्षण इस प्रकार है—

जिस पदार्थ में कार्य सम्बेत—समवाय सम्बन्ध से आक्षित होकर उत्पन्न होता है अर्थात् उत्पत्ति के समय ही कार्य जिसमें समवाय सम्बन्ध से आक्षित हो जाता है, अथवा यों कहा जाय कि समवाय सम्बन्ध से कार्य के प्रति तादारम्य सम्बन्ध से जो कारण होता है, वह कार्य का समग्रायिकारण—समवाय सम्बन्ध से कार्य का आधारभूत कारण होता है । पट यतः तनु में ही सम्बेत होकर उत्पन्न होता है तुरी आदि में नहीं अतः तनु ही पट का समग्रायिकारण है तुरी आदि नहीं, तुरी आदि तो उसका एक निमित्तकारण-मात्र है ।

पट स्वगत—अपने में उत्पन्न होने वाले रूप आदि गुणों का एवं यथावसर स्व में उत्पन्न होने वाले कर्म का समग्रायिकारण होता है । इसी प्रकार मृत्पिण्ड-मिट्टी का कपड़लालक लोदा भी पट का समग्रायिकारण होता है, क्योंकि पट उसमें सम्बेत होकर उत्पन्न होता है और दण्ड आदि उसका समग्रायिकारण नहीं होता क्योंकि दण्ड आदि में वह सम्बेत होकर नहीं उत्पन्न होता, अतः दण्ड आदि उसका निमित्तकारण-मात्र होता है । पट भी स्वगत रूप आदि गुणों तथा यथावसर स्व में उत्पन्न होने वाले कर्म का समग्रायिकारण होता है ।

इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठ सकता है कि समवायिकारण के कई उदाहरण क्यों दिये गये, जैसे पट के लिये तलु और एगत रूप आदि के लिये पट, एवं पट के लिये मृत्पिण्ड और घटगत रूप आदि के लिये घट । इस प्रश्न के उत्तर में यह बहना उचित प्रतीत होता है कि तनु और मृत्पिण्ड को क्रम से पट और घट के समग्रायिकारण के रूप में जो उदाहृत किया गया है वह यह बताने के लिये कि जितने भी द्रव्यात्मक

ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदेव तदगतरूपादयोऽपि, इति समान-काक्षीनत्वाद् गुणगुणिनाः सब्येतरविषयाणवत् कार्यकारणभाव एव नास्ति पौर्वापर्याभावाद्, अतो न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम्। कारणविशेषत्वात् समवायिकारणस्य ।

कार्य होते हैं वे सब सावयव होते हैं और उनके अवयव ही उनके समवायिकारण होते हैं, क्योंकि वे अपने अवयवों में ही समवेत होकर उत्पन्न होते हैं। यह ज्ञात केवल एक द्रव्यात्मक कार्य को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने पर स्पष्ट नहीं हो सकती थी अतः दो उदाहरणों द्वारा सभी द्रव्यात्मक कार्यों के सम्बन्ध में उक्त नियम की सूचना दी गई। इसी प्रकार पठ और घट को स्वगत रूप आदि के समवायिकारण के रूप में जो उदाहृत किया गया है वह यह बताने के लिये कि जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं वे सब अपनी उत्पत्ति के समय निर्गुण और निर्धिक्य होते हैं, क्योंकि द्रव्य जब स्वगत गुण और किया का समवायिकारण हैं तो उनमें पौर्वापर्य अर्थात् द्रव्यात्मक कारण का गुणात्मक कार्य के पूर्व और गुणात्मक कार्य का द्रव्यात्मक कारण के बाद होना आवश्यक है, क्योंकि कारण और कार्य के जो लक्षण चतुर्ये गये हैं कि 'अनन्यथासिद्धनियनपूर्व-भावित्वं कारणत्वम्' और 'अनन्यवासिद्धनियतपश्चाद्भावित्वं कार्यत्वम्' उनके अनुसार कारण और कार्य की यही कसीटी है कि कारण कार्य से पहले हो और कार्य कारण के बाद। यह यह शातब्द है कि द्रव्य निर्गुण तो केवल अपनी उत्पत्ति के दृष्टि में ही होता है, दूसरे दृष्टि उसमें रूप आदि करिपय गुणों का उदय हो जाता है, क्योंकि अवयवगत रूप आदि उनके कारण द्रव्य के जन्मक्षण में सन्निहित रहते हैं पर निर्धिक्य तो दूसरे दृष्टि तक रहना पड़ता है क्योंकि किया के कारणभूत सद्योग आदि गुणों का सन्निधान द्रव्य के जन्मक्षण में नहीं रहता। हा तो यह नियम भी केवल एक जन्यद्रव्य को उदाहरणरूप में प्रस्तुत करने पर ज्ञात नहीं हो सकता था अतः रूप आदि के समवायिकारण के रूप में दो जन्यद्रव्य उदाहृत किये गये।

स्वगत रूप आदि गुणों के समवायिकारण के रूप में जो घट आदि का उदाहरण दिया गया है उसके विषय में यह शाफ्त होती है कि समवायिकारण का यह उदाहरण ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय घट आदि द्रव्यों की उत्पत्ति होती है उसी समय उसमें रूप आदि गुणों की भी उत्पत्ति होती है यह मानना आवश्यक है क्योंकि इस भाव्यता के कई कारण हैं एक तो यह कि घट आदि द्रव्य कभी एक दृष्टि भी निर्गुण नहीं देखे जाते, दूसरा यह कि यदि अपने जन्मक्षण में वे निर्गुण होंगे तो दूसरे दृष्टि उनका चालुप्रपत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य न चालुप्रपत्यक्ष के कारणभूत रूप आदि गुण पूर्व में विद्यमान न रहते, तीसरा कारण यह है कि घट आदि द्रव्य अपने जन्मक्षण में यादि निर्गुण होंगे तो उस दृष्टि वे द्रव्य ही न कहे जा सकेंगे, क्योंकि द्रव्य का

अत्रोच्यते—न गुणगुणिनोः समानकालीन जन्म । किन्तु द्रव्यं निर्गुणमेव प्रथमसुत्पद्यते, पश्चात् तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते । समानकालोत्पत्ती तु गुण-गुणिनोः समानसामधीकत्वाद् भेदो न स्यात्, कारणभेदनियतत्वात् कार्यभेदस्य । तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घट उत्पद्यते, गुणेभ्य । पूर्वभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम् । तदा कारणभेदोऽप्यस्ति, घटो हि घटं प्रति न कारणमेकस्यैव पौर्वपर्याभावात् । न हि स एव तमेव प्रति पूर्वभावी पश्चाद्भावी चेति । गुणान् प्रति तु पूर्वभावित्वाद्वयति गुणाना समवायिकारणम् । लक्षण है । गुण, जो उस क्षण में उनमें अनुपस्थित रहेगा । तो इस प्रकार जब घट आदि के जन्म के समय ही उनके रूप आदि गुणों का भी जन्म होना जायश्यक है तब गुण और गुणी में समानकालीनत्व—सहोत्रपलत्व होने से ठीक उल्ली प्रकार कार्यकारणभाव न हो सकेगा जैसे पशु के एक साथ उत्पन्न होने वाले दाहिनी और बाईं दो सींगों में कार्यकारणभाव नहीं होता, क्योंकि कारण और कार्य में जब पूर्वभावित्व और पश्चाद्भावित्व का नियम है तब सहभावी पदार्थों में कार्यकारणभाव किस प्रकार हो सकेगा । और इस प्रकार जब घटादिगत रूपादि गुणों और घटादि द्रव्यों में कार्यकारणभाव ही नहीं सम्भव है तब यह निर्विवाद रूप में मानना होगा कि घटादि द्रव्य स्वयंत रूपादि गुणों के समवायिकारण नहीं हो सकते क्योंकि समवायिकारण एक विशेष कारण है । अन. जिस सामान्य कारण की ही योग्यता नहीं प्राप्त है वह विशेष कारण कैसे हो सकता है ।

उक्त शब्दों के उन्नर में यह कहा जाता है कि गुणी और गुण का जन्म एक काल में नहीं होता किन्तु द्रव्य पहले निर्गुण ही उत्पन्न होता है, उसमें समवेत गुण पीछे उत्पन्न होते हैं, यदि गुण और गुणी का जन्म एक काल में माना जायगा तो गुणी को कारण-सामधी को ही गुण का उत्पादक मानना होगा क्योंकि गुणी द्रव्य की और द्रव्यगत गुण की यदि भिन्न भिन्न कारणसामग्रिया मानी जायेंगी तो नियमेन उनका एक समय में ही सत्रियान जावश्यक न होगा और उस दशा में एक काल में ही द्रव्य और तदूगत गुणों की उत्पत्ति का नियम न बन सकेगा ।

और जब द्रव्य और तदूगत गुण की उत्पादक सामधी एक होगी तब उन दोनों में भेद न हो सकेगा क्योंकि कारणभेद से ही अर्थात् भिन्न सामग्रियों से उत्पन्न होने से ही कार्यों में भेद होता है । इसलिये यही मानना उचित है कि पहले क्षण में घट निर्गुण ही उत्पन्न होता है और इसलिये स्वयंसमवेत गुणों के पूर्व में होने के नाते वह अपने गुणों का समवायिकारण होता है । ऐसा मानने पर घट एवं तदूगत गुणों के कारणों में भेद

नन्वेवं सति प्रथमे क्षणे घटोऽचाक्षुषः स्याद् अस्तिर्ब्यत्वाद् वायुवत् । तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं, यन्महत्त्वे सत्युद्भूतरूपवत् । अद्रव्यं च स्यात्, गुणाश्रयत्वाभावात् । 'गुणाश्रयो द्रव्यम्' इति हि द्रव्यलक्षणम् ।

सत्यम्, प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्णते, तदा का नो हानिः ? न हि सगुणोत्तत्तिपक्षेऽपि निमेपावसरे घटो गृह्णते । तेन व्यवस्थितमेतत्त्वं निर्गुण एव प्रथमं घट उत्पद्यते, द्वितीयादिक्षणेषु चक्षुषा गृह्णते । न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावाद्द्रव्यत्वापत्तिः, 'समवायिकारणं द्रव्यम्' इति द्रव्यलक्षणयोगात्, योग्यतया गुणाश्रयत्वाच् । योग्यता च गुणात्यन्ताभावाभावः ।

भी हो सकेगा, क्योंकि एक वस्तु मे पूर्वार्थ का अभाव होना है अर्थात् यह सम्भव नहीं है कि वही वस्तु उसी वस्तु के प्रति पूर्वार्थी भी हो और पक्षाद्वारी भी हो अतः यह अपने आप का कारण तो नहीं होगा परन्तु अपने गुणों के प्रति पूर्वार्थी होने से उनका समवायिकारण होगा ।

घट को प्रथम क्षण में— अपनी उत्तरति के क्षण में निर्गुण मानने पर कई शङ्खायें होती हैं, एक तो यह कि यदि घट प्रथम क्षण में निर्गुण होगा तो उस क्षण में उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि उस क्षण वह एक नीरूप द्रव्य होगा और जो नीरूप द्रव्य होता है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे नीरूप होने से वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । यह नियम है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है जिसमें महत्त्व और उद्भूत रूप रहता है और प्रथम क्षण में घट के निर्गुण होने से उस समय उसमें महत्त्व और उद्भूत रूप ये दोनों गुण नहीं रहते अतः उस समय घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

दूसरी शङ्खा यह होती है कि यदि घट प्रथम क्षण में निर्गुण ही उत्पत्ति होगा तो गुण का आश्रय न होने से उस समय यह द्रव्य न हो सकेगा क्योंकि, गुण का आश्रय ही द्रव्य होता है, यह द्रव्य का लक्षण है ।

इन दोनों शङ्खाओं के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह ठीक है कि प्रथम क्षण में यदि घट निर्गुण होगा तो उस समय उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष न हो सकेगा परं यदि उस समय उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष न हो तो हमारी—निर्गुण द्रव्य की उत्तरति मानने वालों की हानि स्पा होगी, क्योंकि जो सगुण द्रव्य की उत्तरति पानते हैं उनके मन में भी उत्तरति क्षण में घट का प्रत्यक्ष होता ही है यह नहीं छह जा सकता क्योंकि त्रितीय क्षण घट का जन्म होता है उसी क्षण यदि आप भी पलड़ गिर जाय, आप मुद

जाय तो उस क्षण घट के समुण होते हुये भी उसके साथ चन्द्र का संयोग सनिनकर्प न होने से उसमा चान्द्रप्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसलिये यही निश्चित मत है कि घट प्रथम क्षण में निर्णय ही उत्पन्न होता है, चन्द्र से उसका प्रत्यक्ष उस समय नहीं, किन्तु दूसरे तीसरे आदि क्षणों में ही होता है।

प्रथम क्षण में घट के निर्णय होने से उस समय उभयमुण का आश्रयत्व न होने के नाते वह द्रव्य न हो सकेगा, यह जो शङ्खा की जाती है वह उचित नहीं है क्योंकि 'गुणात्मयो द्रव्यम्' जो मुण का आश्रय हो वह द्रव्य है, द्रव्य का यह लक्षण न मानकर 'समवायिकारण द्रव्यम्' तो किंसी कार्य का समवायिकारण हो वह द्रव्य है, द्रव्य का यह लक्षण माना जायगा और यह लक्षण द्रव्य में उसके उत्पत्ति-क्षण में भी है क्योंकि दूसरे क्षण में उत्पन्न होने गाले स्वगत मुणों का वह उस समय भी समवायिकारण है। इसरर यह शङ्खा ही सम्भवी है कि इस दूसरे क्षण की मान्यता देने पर दूसरे क्षण में उत्पन्न होने गाले अपने मुणों के प्रति समवायिकारण होने से जन्य द्रव्य अपनी उत्पत्ति के समय से द्रव्य हो जायगा पर अपनी विनाशावस्था में अर्थात् अपने विनाश के अव्यवहित पूर्व क्षण में द्रव्य न हो सकेगा क्योंकि अगले क्षण अर्थात् उसके विनाश क्षण में उसम किसी सम्बेत कार्य का जन्म न होने से उसकी विनश्यता के दण में उत्तमे किसी कार्य का समवायिकारणत्व नहीं है, इसके समझान में यह कहा जा सकता है कि समवायिकारणत्व को द्रव्य का क्षण न मानकर समवायिकारणयोग्यत्व को द्रव्य का क्षण माना जायगा अतः विनश्यद्रवस्थ द्रव्य में समवायिकारणत्व न होने पर भी उस समय उसमें द्रव्यत्व—द्रव्यपदार्थत्व का लोप न होगा क्योंकि समवायिकारणत्व का अवच्छेदक द्रव्यत्व जाति ही समवायिकारण योग्यता है और वह विनश्यद्रवस्थ द्रव्य में भी विद्यमान है, इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से द्रव्य क्षण की समीक्षा करने पर 'गुणात्मयो द्रव्यम्' इस क्षण को भी 'गुणात्मयोग्य द्रव्यम्' के रूप में द्रव्य का क्षण मानकर जन्य द्रव्य में उसके जन्म-क्षण में गुणात्मयोग्यत्व क्षण के द्वारा द्रव्य पदार्थत्व का उपरादन किया जा सकता है क्योंकि गुणात्मनाभाव-प्रतियोगित्वधिकरण गुणाभाव का अभाव ही गुणात्मयोग्यता है और वह जन्य द्रव्य में उसके उत्पत्ति के समय वयपि गुणाभाव है पर दूसरे क्षण में उसमें गुणाभाव के प्रतियोगी मुण का उदय होने से वह अभाव प्रतियोगित्वधिकरण नहीं है अतः प्रतियोगित्वधिकरण गुणाभाव का अभाव द्रव्य का उत्पत्ति के क्षण में भी द्रव्य में विद्यमान है। इसलिए यह सिद्धान्त सर्वथा समीचीन है कि प्रथम क्षण में—अपनी उत्पत्ति के क्षण में द्रव्य निर्णय ही उत्पन्न होता है और रूप आदि उसके सम्बेत मुण उसमें दूसरे क्षण 'उत्पन्न होते हैं।

असमवायिकारणं तदुच्यते-यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्यम् ।
यथा तन्तुसंयोगः पटस्याऽसमवायिकारणम्, तन्तुसंयोगस्य गुणस्य पटसमवायि-
कारणेषु तन्तुपु गुणिषु समवेतत्वेन समवायिकारणं प्रयासन्नत्वादनन्यथासिद्ध-
नियतपूर्वभावितत्वेन पटं प्रति कारणत्वाच ।

असमवायिकारण शब्द का सीधा अर्थ है—असमवायी कारण अर्थात् किसी कार्य का वह कारण, जो उसका समवायी-समवाय सम्बन्ध से आश्रय न हो, किन्तु इस शाब्दिक अर्थ को असमवायिकारण का लद्धण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि इसे लद्धण माना जायगा तो निमित्त कारण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि निमित्त कारण भी काय का समवाय सम्बन्ध से आश्रय नहीं होता, जैसे दण्ड, चक्र आदि घट का निमित्त कारण है और घट का समवायी नहीं है, अतः शब्द लभ्य अर्थ को त्यागकर असम-
वायिकारण का लद्धण इस प्रकार बताया जा रहा है कि—

जो किसी कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्न-विद्यमान होता है तथा जिसमें उस कार्य के प्रति सामर्थ्य-कारणत्व अवधृत-निश्चित होता है, वह उस कार्य का असमवायि-
कारण होता है । उदाहरणार्थं तन्तुसंयोग को लिया जा सकता है । तन्तुसंयोग एक गुण है, वह पट के समवायिकारण तन्तुरूप गुणी में समवेत होने से पट के समवायिकारण में
प्रत्यासन्न है तथा पट के प्रति अन्यथासिद्ध न होने से एव पट के प्रति नियत पूर्ववर्ती होने से उसमें पट के प्रति सामर्थ्य-कारणत्व निश्चित है ।

असमवायिकारण के इस लद्धणमें से समवायी शब्द को हटा कर यदि ‘यत्कारण-
प्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्ये तद्समवायिकारणम्’ जो किसी कार्य के कारण में प्रत्यासन्न तथा
उस कार्य के कारण रूप में निश्चित होता है, वह उस कार्य का असमवायिकारण होता है’ यह लद्धण किया जायगा तो चक्षु-घट संयोग में, जो घट-चक्षुप का निमित्त कारण है, घटचक्षुप के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति
प्रियत्व के निमित्त कारण होने से घट घटचक्षुप का निमित्त कारण है और चक्षु-घट
संयोग उसमें प्रत्यासन्न है तथा प्रत्यक्ष में इन्द्रियार्थ-सञ्चिकर्प के निमित्त कारण होने से
वह घटचक्षुप के कारण रूप में निश्चित है । और जब असमवायिकारण के लद्धण में
‘समवायिकारणे प्रत्यासन्नम्’ का सञ्चिकेत्य होगा तो उक्त अतिप्रसक्ति न होगी, क्योंकि घट
घटचक्षुप का समवायिकारण नहीं है, अतः उसमें प्रत्यासन्न चक्षु-घटसंयोग घटचक्षुप के
समवायेकारण में प्रत्यासन्न न होने से उसके प्रति असमवायिकारण होने की अर्हता न
प्राप्त कर सकेगा ।

असमवायिकारण के उक्त लक्षण में से विशेष्य भाग अर्थात् 'अवधृतसामर्थ्य' अशक्ति निकाल कर यदि 'यत्समवायिकरणे प्रत्यासन्न तदसमवायिकारणम्'—जो किसी कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्न होता है वह उस कार्य का असमवायिकारण होता है, इतना ही लक्षण किया जायगा तो किसी कार्य के प्रति जो अन्यथासिद्ध है अथवा नियतपूर्ववर्ती नहीं है किन्तु उस कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्न है उसमें उस कार्य के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, वैसे तनुम्भव एव तनुमत्तिकासयोग पट के प्रति अन्यथासिद्ध और अनियत पूर्ववर्ती होने में पट के समवायिकारण तनु में प्रत्यासन्न होने पर भी पट के असमवायिकारण नहीं है। किन्तु असमवायिकारण वे लक्षण में 'अवधृतसामर्थ्य' भाग वे न रहने पर उनमें पट के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति अनिवार्य है।

असमवायिकारण के उत्तर लक्षण में 'जग्यत्' शब्द को दग्धकर यदि 'यत्समवायिकारणे प्रत्यासन्न समर्थ तदसमवायिकारणम्'—जो किसी कार्य के समवायिकारण में प्रत्यासन्न हो और उस काय वे प्रति समर्थ-कारण हो वह उस कार्य का असमवायिकारण होता है, यह लक्षण किया जायगा तो यह अपने ज्ञान में आत्माश्रय दोष से ग्रस्त हो जायगा। कहने का नात्पर्य यह है कि यदि असमवायिकारण के लक्षण में कारणत्व का प्रवेश होगा तो लक्षण के ज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की अपेक्षा होगी और असमवायिकारण में कारणत्व का ज्ञान असमवायिकारणत्व के रूप में ही होगा क्योंकि असमवायिकारण में जो कारणता होगी वह असमवायिकारणतारूप ही होगी, फलतया असमवायिकारण के कारणत्व-घटित लक्षण के ज्ञान में असमवायिकारणता के ही ज्ञान की अपेक्षा हो जाने से लक्षण अपने ज्ञान में आत्माश्रयग्रस्त हो जायगा। और जब अवधृत राष्ट्र रखा जायगा तब लक्षण में कारणत्व का सन्निवेश नहीं होगा। किन्तु कारणत्वेन अवधृतत्व का सन्निवेश होगा। उस दशा में लक्षणज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की अपेक्षा न होकर कारणत्वेन अवधृतत्व के ज्ञान की अपेक्षा होगी और वह ज्ञान कारण राष्ट्र के व्यवहार द्वारा सम्पन्न हो जायगा। आशय यह है कि जिस वस्तु में जिस कार्य के कारणत्व का व्यवहार उपलब्ध होगा उस वस्तु में उस कार्य का कारणत्व अवधृत है यह कल्पना हो जायगी। क्योंकि व्यवहार के प्रति व्यवहर्त्त्व का निश्चय कारण होता है अतः जिस वस्तु में जब तक जिस व्यवहर्त्त्व का निश्चय न होगा, तब तक उस वस्तु में उस व्यवहर्त्त्व का व्यवहार ही नहीं हो सकता। फलतया तनुसयोग में पटकारणत्व की अज्ञानदशा में भी पटकारणत्व के व्यवहार को देख कर पटकारणत्वेन अवधृतत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा।

लक्षण में से पूरे विशेषज्ञभागों को निकाल कर यदि अवधृतसामर्थ्यमात्र को असमवायिकारण का लक्षण माना जायगा तो समवायिकारण और गिमित्तकारण में भी

एवं तनुरुपं पटस्पस्य असमवायिकारणम् ।

असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, अतः विशेषण भाग को लक्षण में रखना अनिवार्य है ।

जो जिस काय के समवायिकारण में प्रव्याख्यन तथा अवानुतसामध्ये होने पर भी उस कार्य का असमवायिकारण नहीं माना जाता लक्षण में तत्तद् भिन्नत्व का निवेश भी करना होगा, अतः ज्ञान आदि में इच्छा आदि के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति न होगी ।

इसी प्रकार तनु का रूप पट के रूप का असमवायिकारण होता है ।

प्रश्न होता है कि असमवायिकारण के लक्षण को हृदयगम कराने के लिये कोई एक उदाहरण पर्याप्त था तो किर तनुसयोग और तनुरुप यह दो उदाहरण वयों प्रदर्शित किये गये ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कार्य दोप्रकार के होते हैं—भावात्मककार्य और अभावात्मककार्य । उनमें अभावात्मककार्य को घस्स कहा जाता है । वह केवल निमित्त कारणों से उत्पन्न होता है उसमें समवायिकारण और असमवायिकारण की अपेक्षा नहीं होती । भावात्मककार्य तीन होते हैं—द्रव्य, गुण और काम । इन तीनों की उत्पत्ति में समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकरण ये तीनों प्रकार के कारण अपर्याप्ति होते हैं । इस स्थिति में असमवायिकारण का लक्षण बताते हुये यदि उसके लक्षण को उदाहृत करते समय उक्त तीनों भावात्मककार्यों में से किसी एक के ही असमवायिकारण को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो अन्य दो भावात्मककार्य के असमवायिकारण के सम्बन्ध में कोई प्रकाश न पड़ता, फलतया असमवायिकारण के परिचय का प्रयास नितान्त अधूरा होता । अतः तनुसयोग के उदाहरण द्वारा समस्त जन्य द्रव्यों के असमवायिकारणों को संकेतित कर तनुरुप के उदाहरण द्वारा उन सभी जन्य गुणों के असमवायिकारणों को संकेतित किया गया जो अपने आधारभूत द्रव्य के समवायिकारणगत गुणों से प्रादूर्भृत होते हैं । इन दो उदाहरणों से सभी प्रकार के असमवायिकारण सुगम हो जाते हैं । क्योंकि जो गुण अपने आधारभूत द्रव्य के समवायिकारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं उन गुणों के तथा कर्म के असमवायिकारण द्रव्य के असमवायिकारणों के समर्णील होते हैं । अर्थात् जैसे द्रव्य के असमवायिकारण अपने कार्य के साथ एक आधय में प्रत्यालक्षण होते हैं वैसे ही जकारणगुणपूर्वक गुण तथा कर्म के असमवायिकारण भी अपने कार्य के साथ एक आधय में प्रत्यालक्षण होते हैं । जैसे पाकज रूप आदि का असमवायिकारण अग्निस्योग अपने कार्य पाकज रूप आदि के साथ प्रत्यमान पटरुप एक आधय में, ज्ञान, इच्छा आदि आधमगुणों का असमवायिकारण आग्नेयन सदोग अपने कार्य कान, इच्छा,

ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणम्, तेन तद्रूतस्यैव कस्यचिद्वर्मेस्य
पटरूपं प्रति असमवायिकारणत्वमुचितम्, तस्यैव समवायिकारणप्रत्या.

सन्नत्वात् न तन्तुरूपस्य; तस्य समवायिकारणप्रत्यासन्त्यभावात्।

मैवम्, ^{पृष्ठ ५२८} तत्समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि ^{पृष्ठ ५१६} परम्परया
^{पृष्ठ ५२७} समवायिकारणप्रत्यासन्नत्वात्।

आदि के साथ आत्मारूप एक आथय में तथा दृढ़ के पते आदि में होने वाले कर्म-
कर्मन का असमवायिकारण वायुपूर्णस्योग अपने कार्य कर्मन कर्म के साथ वृद्धपूर्णरूप
एक आश्रय में प्रत्यासन्न होता है। इस लिये किसी एक द्रव्यात्मक कार्य के असमवायिकारण
में असमवायिकारण के लक्षण का समन्वय प्रदर्शित कर देने पर सभी अकारण-
गुणपूर्वक गुण तथा कर्म के असमवायिकारणों में उस लक्षण का समन्वय मुगम हो जाता
है। अतः उस प्रकार के गुण तथा कर्म के असमवायिकारणों को उदाहरण के रूप में
प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परन्तु वारणगुणपूर्वक गुणों के असमवा-
यिकारण द्रव्य के असमवायिकारणों से भिन्न स्वभाव के हैं, वे अपने कार्य के साथ एक
आश्रय में प्रत्यासन्न न होकर अपने कार्य के समवायिकारण के साथ एक आश्रय में
प्रत्यासन्न होते हैं, जैसे पटरूप का असमवायिकारण तन्तुरूप अपने कार्य पटरूप के, साथ
पटात्मक एक आश्रय में प्रत्यासन्न न होकर उसके समवायिकारण पट के साथ तन्तुरूप
एक आश्रय में प्रत्यासन्न होता है अतः पट के असमवायिकारण तन्तुरूप भ असमवा-
यिकारण के लक्षण का समन्वय शात हो जाने पर भी तन्तुरूप में पटरूप के असमवायिकारण
के लक्षण का समन्वय मुड़ेय नहीं हो सकता। अतः पट के असमवायिकारण तन्तुरूपों
को उदाहृत करने के पश्चात् पटरूप के असमवायिकारण तन्तुरूप को भी पृथक् उदाहृत
करना पड़ा।

तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण है, असमवायिकारण के इस दूसरे उदाहरण के
समन्वय में यह प्रश्न उठता है कि अभी दूर्व म असमवायिकारण का जो लक्षण बताया गया
है उसके अनुसार पट के ही किसी धर्म के पटरूप का असमवायिकारण मानना उचित
नहीं है क्योंकि तन्तुरूप पटरूप के समवायिकारण पट में प्रत्यासन्न नहीं है अतः असम-
वायिकारण के उक्त लक्षण के सन्दर्भ में तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण बताना
संगत नहीं है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह राहा उचित नहीं है, क्योंकि
जो जिस कार्य के समवायिकारण के समवायिकारण में प्रत्यासन्न होता है वह उस
कार्य के समवायिकारण में भी परम्परया—परम्परासमन्वय से प्रत्यासन्न होता
है। अतः तन्तुरूप जब पटरूप के समवायिकारण पट के समवायिकारण तन्तुरूप में प्रत्यासन्न

निमित्तकारणं वदुच्यते यज्ञ समवायिकारणं, नाष्टसमवायिकारणम्;
अथ च कारणं तत् । यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम् ।

५ तदेतद्वावानोमेव विविधं कारणम्, अभावस्य तु निमित्तमात्रं, तस्य
वचिदप्यसमवायात्, समवायस्य तु भावद्वयधर्मत्वात्। १४५७५

तदंतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सानिशयं तदेव करणम् । तेन व्यवस्थितमैतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणभिति ।

है तब वह परम्परा के समवायिकारण पट में भी परम्परा सम्बन्ध से अर्थात् स्वसम्बायि-
सम्बायसम्बन्ध से प्रत्यासन है, क्योंकि तनुरूप के स्वसम्बायिसम्बाय में 'इ' का अर्थ
होगा तनुरूप, उसका समवायी होगा तनु और उसमें समवाय है पट का, इसलिये
स्वसम्बायि समवायसम्बन्ध में तनुरूप परम्परा के समवायिकारण पट में प्रत्यासन होने से
परम्परा का असमवायिकारण हो सकता है। कहने को जाश्न यह है कि असमवायिकारण
के उक्त लक्षण में प्रत्यासनना केवल समवाय सम्बन्ध से अभिमत न होकर समवाय,
स्वसम्बायिसम्बाय इन दोनों मध्ये किसी भी एक से द्वारा विवरित है, अतः किसी कार्य
के समवायिकारण में समवाय सम्बन्ध में प्रत्यासन रहने वाला कारण जैसे उस कार्य का
असमवायिकारण होता है ऐसे किसी कार्य के समवायिकारण में इसमवायि-समवायसम्बन्ध
में प्रत्यासन रहनेवाला कारण भी उस कार्य का असमवायिकारण होगा।

न्यायमुक्तीवली में असमवायिकाध्य का लक्षण बताते हुये समवाय को कार्येनार्थप्रत्यासृति और स्वसमवायिकाध्य को कारणेनार्थप्रत्यासृति शब्द से अभिहित किया गया है।

वैशेषिकदर्शन के उपकार में इसी सन्दर्भ में समवाय को लक्षी और स्वतंत्रतावाचित समवाय को महती प्रत्यासंति शब्द से सम्बोधित किया गया है।

समकायिकारण और असमकायिकारण का परिचय देने व प्रधात् अब निमित्तकारण का परिचय दिया जाता है।

निमित्तशारण—

जो जिस कार्य का न समरपितारण हो और न असमरपिकारण हो किन्तु उस कार्य का कारण हो वह उस कार्य का निमित्त कारण होता है। उदाहरणात्मक पट के निमित्त कारण वेमा आदि को लिया जा सकता है। वेमा आदि में समयत होकर पट नहीं उत्पन्न होता, वह पट का असमरपितारण भा नहीं है क्योंकि वह पट के समरपितारण तन्तु में समरोग अथवा स्वसमरपितमताय सम्बन्ध संग्रहालय नहीं होता, किन्तु पट का कारण होता है क्योंकि वह पट के प्रति अन्यथालिङ्ग न होने कुछ पट के प्रति नियन्त्रणवर्ती होता है अतः वह (वेमा आदि) पट का निमित्तकारण होता है।

इस लक्षण में भी कारणत्व का सन्निवेश न कर कारणत्वेन निश्चितत्व का ही सन्निवेश करना होगा, अन्यथा ऐमा आदि में निमित्तकारणता से अतिरिक्त परकारणता न होने से निमित्तकारणता के रूप में ही परकारणता का ज्ञान करना होगा और उस स्थिति में पठ की निमित्तकारणता के ज्ञान में उसी के ज्ञान की अपेक्षा हो जाने से निमित्त कारण का कारणत्वधृष्टि लक्षण अपने ज्ञान में आत्माध्रय दोष से ग्रस्त हो जायगा। और जड़ कारणत्व का सन्निवेश न होकर कारणत्वेन निश्चितत्व का सन्निवेश होगा तब निमित्तकारण के लक्षणज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की अपेक्षा न होगी किन्तु कारणत्वेन निश्चितत्व के ज्ञान की अपेक्षा होगी और वह ज्ञान कारणत्व के व्यवहार को देखने से ही सम्पन्न हो जायगा।

समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण यह तीन प्रकार के कारण भावात्मक कार्यों-द्रव्य, गुण और कर्म के ही होते हैं, अभावात्मक कार्य-व्यवस का वेबल निमित्तकारण ही होता है, उसके समवायिकारण और असमवायिकारण नहीं होते क्योंकि यह दोनों कारण उसी कार्य के होते हैं जो समवाय सम्बन्ध में आधित हो सकता है। समवाय यत दो भावात्मक पदार्थों में ही होता है, अत विस्तीर्णी भी पदार्थ में अभावका समवाय न होने से अभावात्मक कार्य का कोई समवायिकारण तथा असमवायिकारण नहीं हो सकता।

इन तीन कारणों में से जो ही कारण किसी भी प्रकार सातिश्य अन्य कारणों की अपहा उत्कृष्ट होता है वही करण होता है। करण के सम्बन्ध में इस सदित वचन्य से यह सबैत मिलता है कि केवल निमित्तकारण ही करण नहीं होता अपि तु स्थिति के अनुसार समवायिकारण और असमवायिकारण भी करण का पद प्राप्त कर सकते हैं। इस सदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि समवायिकारण और असमवायिकारण कभी करण के रूप में व्यवहृत नहीं होते अत करण के दो लक्षण मानने होंगे—एक वास्तव और एक व्यवहारी-पर्याक। ‘सातिश्य कारण करणम्, इसे करण का वास्तव लक्षण तथा ‘व्यापारवद् असाधारण कारण करणम्, इसे करण का व्यवहारीपर्याक लक्षण माना जा सकता है। समवायिकारण और असमवायिकारण किसी हाइ से अन्य कारणों की अपेक्षा सातिश्य होने से वस्तुदृष्ट्या करण तो होंगे पर वह अपने कार्य के प्रति व्यापारद्वारा कारण न होने से करण पद से व्यवहृत न होंगे।

इस प्रकार प्रमा और करण की व्याख्या पूर्ण होने से प्रमाण का यह लक्षण निश्चित हो गया कि जो प्रमा का करण होता है वह प्रमाण होता है।

यत् अनधिगतार्थगन्तु प्रमाणमिति लक्षणम् । तत्र, एकस्मिन्नेव घटे 'घटोऽयं, घटोऽयम्' इति धारावाहिकज्ञानानां गृहीतप्राहिणामप्रामाण्यप्रसङ्गात् ।

न च अन्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगतार्थगन्तुता, प्रत्यक्षेण सूक्ष्मकालमेदानाकलनात् । कालमेदये हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णां यौगपद्याभिमानो न स्यात् । क्रिया, क्रियातो विभाग, विभागात् पूर्वसंयोगानाशः, ततश्चोच्चरसंयोगोत्पत्तिरिति ।

दुमागिल भट्ट के अनुयायी मीमांसकों तथा कतिपय बौद्ध विद्वानों ने प्रमाण का लक्षण इस प्रकार किया है कि जो ज्ञान अनधिगतपूर्व-पूर्व में अज्ञात अर्थ को प्रहण करता है, वह प्रमा होता है और जो उस ज्ञान का करण होता है, वह प्रमाण होता है । जैसे किसी घड़े पर मनुष्य की दृष्टि पहले पहल पढ़ने पर उस घड़े का जो पहला ज्ञान होता है, वह अनधिगत अर्थ को प्रहण करता है, क्योंकि उस ज्ञान से गृहीत होनेवाला घड़ा उस ज्ञान के पूर्व अज्ञात रहता है, अतः वह ज्ञान प्रमा है और उसे जन्म देनेवाला मनुष्य का नेत्र प्रमाण है ।

इस लक्षण से लक्षणकर्ता का आशय यह प्रतीत होता है कि किसी प्रमाण का प्रमाणत्व इसी बात पर निर्भर है कि वह किसी नये विषय का ज्ञान कराये, अतः जिससे किसी नये विषय का—प्रथमतः अज्ञात विषय का ज्ञान सम्बादित न हो, वह प्रमाण पद से व्यवहृत होने का अविकारी नहीं है । प्रमा का प्रमाण भी इसी बात पर निर्भर है कि वह किसी नये विषय को प्रहण करे, यदि कोई ज्ञान पूर्वज्ञात अर्थ को भ्रहण करता है, तब तो वह केवल 'मा' सावारण ज्ञानमात्र होगा, उसका प्रकर्ष क्या होगा, वह प्रमा नैसे होगा, अतः प्रमा और प्रमाण होने के लिये विषय की नवीनता-पूर्व अशातता अनिवार्य है ।

इस सन्दर्भ म यह कथन भी सम्भवतः असुगत न होगा कि यथार्थ अनुभव को प्रमा तथा यथार्थ स्मृति को प्रमाभिन्न कहनेवाले नैयायिकों का भी यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि अनधिगत अर्थ को प्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमा और अधिगत अर्थ-मात्र को ही प्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाभिन्न है । यदि ऐसा न हो तो यथार्थ अनुभव को प्रमा और यथार्थ स्मृति को प्रमाभिन्न बदले का कोई उचित आवार नहीं रह जाता । क्योंकि दानों में कवल यही इतना अन्तर तो है कि अनुभव पूर्व अहात अर्थ को प्रहण करता है और स्मृति स्वैरेव पूर्वज्ञात ही अर्थ को प्रहण करती है, अतः नैयायिकोंके प्रमाणदृग्गति में 'अनधिगतार्थंगन्तुत्वं' का यन्त्रतः सन्ति वेश न होने पर भी तारपर्यंत-

उसका सन्निवेश मानना तथा 'यथार्थानुभवः प्रमा' इस लक्षण में अनुभव शब्द को उठाका सूचक मानना उचित प्रतीत होता है।

किन्तु तर्कभाषाकार का कथन यह है कि 'अनधिगतार्थगन्तु प्रपाणम्' प्रमा का यह लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमा का यह लक्षण मानने पर एकही घट को ग्रहण करने वाले अनेक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का जब अव्यहित वस्तु से जन्म होता है, और जिन्हे धारावाहिक ज्ञान कहा जाता है, जिन सबों को सभी ज्ञानों में प्रमा माना गया है उनमें प्रमा के उक्त लक्षणानुधार केवल पहला ही ज्ञान प्रमा होगा और दूसरे सभी ज्ञान अप्रमा हो जायगे क्योंकि पहला ज्ञान ही अनधिगत अर्थ को ग्रहण करेगा, दूसरे सभी ज्ञान अप्रमा हो जायगे। अपने पूर्ववर्ती ज्ञान से अधिगत अर्थ को ही ग्रहण करेंगे। इस प्रकार धारावाहिक स्थल में दूसरे, तीसरे आदि प्रमात्मक ज्ञानों में प्रमा के उक्त लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी।

इस पर यदि यह कहा जाय कि धारावाहिक ज्ञानों का आधार केवल 'घटः, घटः, घटः' इस प्रकार नहीं हो - किन्तु 'घटोऽयम्, घटोऽयम्, घटोऽयम्', इस प्रकार होता है, इससे स्पष्ट है कि धारावाहिक ज्ञान केवल घट को ही ग्रहण नहीं करते किन्तु घट के साथ उसके इदन्तव को भी ग्रहण करते हैं और इदन्तव का अर्थ है चर्त्मानकालसम्बन्ध, और वर्तमान काल है तत्त्व दण्डन्। इस प्रकार यह अत्यन्त सुस्पष्ट है कि जो 'घटोऽयम्' ज्ञान जिस क्षणात्मक सूक्ष्म कालखण्ड में उत्पन्न होता है वह घट के साथ उस दृष्टि के सम्बन्ध का ग्राहक होने के कारण उस दृष्टि का भी ग्राहक होता है और वह दृष्टि पूर्वदृष्टि भी न रहने के कारण पूर्ववर्ती ज्ञान से अज्ञात रहता है। इस प्रकार धारावाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत दूसरे, तीसरे ज्ञानों में घट अशु को लेकर यहीतग्राहित्व होने पर भी ज्ञान अशु को लेकर अग्रहीतग्राहित्व होने से उनमें प्रमा के उक्त लक्षण की अव्याप्ति नहीं हो सकती, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षात्मक धारावाहिक ज्ञानों को सूक्ष्म कालखण्ड का ग्राहक नहीं माना जा सकता, कारण कि प्रत्यक्ष ज्ञान यदि सूक्ष्म कालखण्डों को ग्रहण करेगा तो किया से लेकर स्थेयगति पदार्थों में अर्थात् अव्यवहित क्रम से उत्पन्न होने वाले किया, विभाग, पूर्वस्थेयगताश और उत्तरस्थेयग इन चार पदार्थों में यौगिक-एक काल में उत्पन्न होने का अभिमान-भ्रम नहीं सकेगा। कहने का आशय यह है कि किया, विभाग, पूर्वस्थेयगताश और उत्तरस्थेयग इन चारों में कार्य-कारणभाव है, अर्थात् निया विभाग का, विभाग पूर्वस्थेयगताश का और पूर्वस्थेयगताश उत्तरस्थेयग का कारण है। कार्य कारण में भिन्नकालीनता स्वामाविक है, अतः यह चारों पदार्थ भिन्न-भिन्न अव्यवहित चर्णों में उत्पन्न होते हैं, यह बात सुनिश्चित है, किन्तु इन चर्णों में इतनी अविक सूक्ष्मता और व्यवदानशून्यता है कि इनमें परस्परभिन्नता नहीं प्रतीत होती, फलतः इन चर्णों में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में भिन्नकालीनता की भी प्रतीति नहीं होती और इसका परिणाम यह होता है कि इन विभिन्न चर्णों में उत्पन्न

होने वाले क्रिया, विभाग आदि जारी पदार्थों में एककालीनता का भ्रम होने लगता है। परन्तु प्रत्यक्षज्ञान से यदि द्वारायत्मक सूक्ष्म कालखण्डों का ग्रहण शक्य माना जायगा तो क्रिया, विभाग आदि के उत्पत्तिज्ञानों में परस्परभिन्नता का ग्रहण सम्भव होने से उन द्वणों से उत्पन्न होने वाले क्रिया, विभाग आदि पदार्थों में भिन्नकालीनत्व का भी जो अभ्र होता है उसकी उपर्युक्ति न हो सकेगी, अत इस सर्वसम्मत भ्रम के अनुरोध से यही मानना उचित है कि प्रत्यक्षज्ञान द्वारा सूक्ष्म कालाखण्डों का ग्रहण नहीं होता। इसलिये धारावाहिक ज्ञानों को तत्त्वज्ञ का ग्राहक मान कर दूसरे, तीसरे ज्ञानों में पूर्वज्ञान से अलगत दूसरे, तीसरे द्वारा को लेकर अग्रहीतग्राहित्व का उपयादन कर उनमें प्रमाणज्ञान का समन्वय नहीं संगत नहीं हो सकता। फलत धारावाहिक ज्ञानों के मध्यवर्ती दूसरे, तीसरे ज्ञानों में अव्याप्ति होने से 'अनधिगतार्थगत् तु प्रमाणम्' को प्रमा का लक्षण नहीं माना जा सकता।

इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि पूर्वज्ञात अर्थ मात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान भी प्रमा माना जायगा तो सामान्यज्ञानों से प्रमायक ज्ञान का प्रकार क्या होगा, किस विशिष्टता के आधार पर उसे सामान्य 'मा-ज्ञान' से प्रथक् कर प्रमाशब्द से व्यवहृत किया जायगा, इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना उचित होगा कि प्रमा, अप्रमा आदि ज्ञानमेंदों से अतिरिक्त कोई सामान्यज्ञान नहीं होता, इसलिये प्रमा के सामान्यज्ञान से पृथक् और प्रहृष्ट होने का कोई अर्थ नहीं है, किन्तु प्रमा को पृथक् और प्रकृष्ट होना है अप्रमा से। और अप्रमा ने प्रमा के वैशिष्ट्य के दो स्वष्ट आधार हैं, एक यह कि प्रमा किसी वस्तु को अन्यथा ग्रहण नहीं करती किन्तु जो वस्तु जैसी होती है उसे उसी रूप में ग्रहण करती है और दूसरा यह कि प्रमा से प्रवृत्त होने वाला मनुष्य अपने प्रयत्न में सफल होता है जब कि अप्रमामूलक मनुष्य का प्रयत्न विफल होता है।

इस प्रसङ्ग में जो यह बात कही गई कि नैयायिका द्वारा यथार्थ अनुभव को प्रमा और यथायथ स्मृति को प्रमाभिन्न कहने का भी आधार यही हो सकता है कि अनुभव और स्मृति में यथार्थता जैसा भी साम्य होने पर भी अग्रहीतग्राही होने से अनुभव प्रमा तथा अग्रहीतग्राही होने में स्मृति अप्रमा होती है, ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तत्काल यह स्पष्ट कर दिया गया है कि धारावाहितज्ञानस्थल में दूसरे, तीसरे ज्ञानों में अव्याप्ति होने में अग्रहीतग्राहित्व को प्रमात्मक नहीं माना जा सकता।

हाँ, अग्रहीतग्राहित्व को प्रमात्मक का नियामक न मानने पर यह प्रश्न असमाधित रह जाता है कि जब अनुभव और स्मृति में यथार्थता में सर्वेषां साम्य है तब यथायथ अनुभव को प्रमा से भिन्न मानने का क्या गहराय है। इस प्रश्न के समाधान का न्यायवादितकरणरीक्षा में श्रीकाच्छस्त्रिमित्रने जो बात कही है

वह अत्यन्त उक्तिसगत और प्राप्ति प्रतीत होती है। उन्होंने कहा है कि नैयायिकों ने जो यथार्थ अनुभव को प्रमा और यथार्थ स्मृति को प्रमा से भिन्न माना है वह लोकव्यवहार के आधार पर माना है। लोकव्यवहार का चक्र महत्व होता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, सभी विचारकों को उसकी उपर्युक्ति करनी पड़ती है। जो उपर्युक्ति परीक्षा करने पर निर्दोष प्रतीत होती है वह प्राप्ति होती है और जो सदोष प्रतीत होती है वह व्याख्य होती है। लोक में यथार्थ अनुभव को प्रमा शब्द से व्यवहृत किया जाता है और यथार्थ स्मृति को प्रमा शब्द से व्यवहृत नहीं किया जाता। लोक की इस व्यवहारस्थिति का उपरादन करना आवश्यक है, ‘अनधिगतार्थगन्तव्य’ से इस व्यवहार का उपरादन नहीं किया जा सकता क्योंकि धारावाहिक दूसरे, तीसरे ज्ञानों में अनधिगतार्थगन्तव्य न होने पर भी प्रमाशब्द का व्यवहार होता है अतः अनुभव और स्मृति में जातीय भेद मान कर उस जातीय भेद को ही लोक के उक्त व्यवहार का उपरादक मानना उचित है। इसीलिये तकभाषाकार ने ‘यथार्थज्ञान प्रमा’ न बहकर ‘यथार्थानुभव. प्रमा’ कहा है और स्मृति को अनुभवत्व जाति से शून्य मान कर स्मृति में प्रमाशब्द का व्यवहार न होने का समर्थन किया है। इस आशय को व्यक्त करने वाला बाचस्पतिमिथ का वचन इस प्रकार है—

“प्रमाणाधन हि प्रमाणम्, न च स्मृति. प्रमा, लोकाधीनादवारणो हि शब्दार्थसम्बन्धः। लोकश्च स्फङ्कारमात्रजननम् स्मृतेरन्यामुपलब्धिमर्थव्यभिचारिणी प्रमामाच्छ्वेतः, तस्मात्तेऽनुः प्रमाणमिति न स्मृतिदेहती प्रसङ्गः। अनधिगतार्थगन्तव्य च धारावाहिकविशानानाम् विगतार्थगोचराणा लोकसिद्धप्रमाणभावानाम् प्रामाण्य विहर्तीति नाद्रियामहे” (न्या० वा० ता० टी० पृ० २१)

प्रमा का साधक-करण प्रमाण होता है, स्मृति प्रमा नहीं वही जाती क्योंकि शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का अवधारण अर्थात् अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उचित है—यह निचय लोकव्यवहार के अधीन है, लोक स्फङ्कारमात्र से उत्पन्न होनेवाली स्मृति को प्रमा शब्द से व्यवहृत नहीं करता किन्तु उससे भिन्न अर्थ की अव्यभिचारिणी उपलब्धि को प्रमाशब्द से व्यवहृत करता है। इसलिये अर्थ का अव्यभिचारी अनुभव ही प्रमा है और उसका करण प्रमाण है, अतः स्मृति के करण में प्रमाणलक्षणकी अविद्यासि नहीं हो सकती। अनधिगतार्थगन्तव्य को प्रमात्व वा प्रमाणत्व का नियामक नहीं मान सकते क्योंकि उस दशा में धारावाहिक ज्ञानों में जिनमें प्रमाणत्व लोकसम्मत है, अधिगतार्थप्राप्ति होने से प्रमाणत्व का विधात हो जायगा।

धीवाचस्पति मिथ के उक्त वचन से स्मृति और प्रमा में यह वैलक्षण्य विदित होता है कि स्फङ्कारमात्र से उत्पन्न होने वाली अर्थ की उपलब्धि स्मृति है और स्मृति से भिन्न अर्थ की अव्यभिचारिणी उपलब्धि स्मृतिभिन्न यथार्थज्ञान प्रमा है।

ननु प्रमाणाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमात्-प्रमेयादीनि, तान्यपि कि करणानि उत्ते नेति ?

उच्यते-सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादी सति अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम् । प्रमाणाः साधकत्वादिशेषेऽप्यनेनैवोत्कर्त्तेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वादतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणमित्युक्तम् । अत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणं, न प्रमात्रादि ।

तानि च प्रमाणानि चत्वारि । तथा च न्यायसूत्रम्—

प्रत्यक्ष अनुभान उपमान-शब्दाः प्रमाणानि । इति ।

तर्कभाषाकार के व्याख्यानुभवः प्रमा इस प्रमालक्षण को तथा श्रीवाचस्पतिमिश्र के उक्त उच्चतरगम्य 'स्मृतेरन्याऽर्थाद्यभिचारिणी उपलब्धि प्रमा' इस प्रमालक्षण का दुल्लासमुक्त विवेचन करने से यह तथ्य समुच्चीन होता है कि तर्कभाषाकार ने अनुभवत्व और स्मृतित्व यह ज्ञान की दो ज्ञानात्मक जातिया स्वीकार कर प्रमालक्षण का प्रणयन किया है और उसमें अनुभवत्व जाति का सञ्जिवेश कर स्मृति की व्यावृत्ति की है, किन्तु श्रीवाचस्पतिमिश्रने अनुभवत्व जाति को आखों से ओझल रख अपने प्रमालक्षण में स्मृतिभेद का प्रवेश कर द्वृति में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति का परिहार किया है ।

नेयाधिक, वशेषिक तथा अभ्य दार्शनिकों ने जो प्रमा के लक्षण बताये हैं उन सभी की समीक्षा करने पर 'जनविगतार्थगत्प्रमाणम्' प्रमा का यह लक्षण तर्कभाषाकारोक्त 'व्याख्यानुभव प्रमा' इस न्यायसम्मत लक्षण के समक्ष नगण्य प्रतीत होता है, क्योंकि अनधिगत अर्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को ही प्रमा मानने पर धारावाहिक ज्ञान स्थल में दूसरे, तीसरे ज्ञानों के प्रमात्वरक्षणार्थ उन्हें पूर्व ज्ञान से अनधिगत दूसरे, तीसरे ज्ञानों का ग्राहक मानना पड़ता है, पर वैष्ण भानने पर भी यह ज्ञान तो प्याँ की रक्षा रह जाती है कि धारावाहिक दूसरे; तीसरे ज्ञान व्यष्ट जादि पदार्थों के विषय में तो प्रमा किर भी न हो सकेंगे क्योंकि वे पदार्थ पूर्ववर्त्ता ज्ञान से अधिगत हैं, यदि यह वह ज्ञाय कि दूसरे, तीसरे ज्ञान अधिगत अश में प्रमात्मक नहीं ही है, प्रमात्मक केवल उत्तने ही अश म है जितना नवीन-प्रथमतः अनधिगत है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि लोक धारावाहिक ज्ञानों को पूरे अश में प्रमा मानता है, अतः उक्त लक्षण 'प्रतिअश पदार्थी भिन्नरे' केवल इस क्षणिकवाद में ही सम्भव हो सकता है, रिपरवाद में तो इसी मान्यता असम्भव ही है ।

प्रमा के कारण तो बहुत है जैसे प्रमाता, प्रमेय आदि, तो क्या वे भी प्रमा के कारणप्र-प्रमाण हैं अथवा नहीं ?

इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि प्रमाता और प्रमेय के उपस्थित रहने पर भी प्रमा की उत्तरति नहीं होती किन्तु इन्द्रियसंयोग आदि का सञ्चिधान होते ही विना किसी विलम्ब के प्रमा की उत्तरति होती है, अतः इन्द्रिय संयोग आदि ही प्रमा का कारण है, प्रमाता, प्रमेय आदि नहीं । यद्यपि प्रमा का साधकत्व-कारणत्व, प्रमाता, प्रमेय, इन्द्रियसंयोग आदि में समान है किन्तु इसी उत्कर्ष से कि प्रमाता, प्रमेय आदि के रहने भी प्रमा का जन्म नहीं होता पर इन्द्रियसंयोग आदि के सञ्चिहित होते ही प्रमा का जन्म होता है, प्रमाता आदि की अपेक्षा इन्द्रियसंयोग अतिशयित-प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है अतिशयित-उत्कृष्ट साधक को साधकतम कहा जाता है और साधकतम ही कारण होता है, उसके अनुसार इन्द्रियसंयोग आदि ही प्रमा का कारण-साधकतम होने से प्रमाण होता है और प्रमाता आदि उत्करीति से साधकतम न होने के कारण प्रमाण नहीं होता ।

इस सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कारण का सञ्चिधान होने पर कार्य-जन्म में विलम्ब न हो अर्थात् जिस कारण की उपस्थिति के बाद कार्य जन्म में कारणान्तर की प्रतीक्षा न हो वह कारण करण होता है और जिन कारणों के रहने पर भी कार्य-जन्म के लिये अन्य कारण की प्रतीक्षा हो वे कारण करण नहीं हैं । जैसे प्रमाता-प्रत्यक्ष करने वाला व्यक्ति, प्रमेय-प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तु, इन्द्रिय, प्रमेय के साथ इन्द्रिय का सञ्चिकर्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमा के प्रमुख कारण हैं, इनमें प्रमाण, प्रमेय और इन्द्रिय के विद्यमान होते हुये भी प्रत्यक्ष प्रमा का उदय तभी तक नहीं होता जब तक प्रमेय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता, किन्तु उक्त सन्निकर्ष के सम्बन्ध होते ही प्रत्यक्षप्रमा का उदय हो जाता है, उक्त सन्निकर्ष हो जाने पर प्रत्यक्ष प्रमा के उदय में किसी कारणान्तर की प्रतीक्षा नहीं होती, अतः प्रमेय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष प्रत्यक्षप्रमा का करण होने से प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है ।

किन्तु विचार करने पर करण की यह परिभाषा परिपूर्ण नहीं प्रतीत होती । क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार इन्द्रिय सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष प्रमा का करणत्व दुःसाध्य हो जायगा क्योंकि कई चार उसका सञ्चिधान होने पर भी प्रत्यक्षप्रमा का उदय अविलम्बेन नहीं हो पाता, उसके बाद भी कारणान्तर की अपेक्षा होती है । जैसे अन्धकार में घड़ के साथ चक्का का चयोग होने पर भी घड़ का चालुप्र प्रत्यक्ष तभी तक नहीं होता जब तक प्रकाश का सन्निधान नहीं हो जाता, इस प्रकार इन्द्रिय सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्षप्रमा के उत्पादन में कारणान्तर के सन्निधान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अतः कोई सावध

कि पुनः प्रत्यक्षम् ?

साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम् । साक्षात्कारिणी च प्रमा, सा परो-
च्यते या इन्द्रियज्ञा । सा च द्विधा सविकल्पक-निर्विकल्पकभेदात् । तस्या-
करणं त्रिविषय-कदाचिद् इन्द्रियम्, कदाचिद् इन्द्रियार्थसंनिकर्पः,
कदाचिज्ञानम् ।

इसलिये साधकतम नहीं माना जा सकता कि उसे कार्य के उत्पादन में कारणान्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, किन्तु इस लिये साधकतम माना जाता है कि लोक ने अनादिकाल से उसे साधकतम के रूप में व्यवहृत कर रखा है, अतः किसी कार्य के करण में उसके अन्य कारणों की अपेक्षा यहीं पैशिष्ठ्य है कि लोक में वह उस कार्य के करण रूप में अनादिकाल से व्यवहृत है और अन्य कारण उस रूप में व्यवहृत नहीं हैं । इसलिये करण की जो भी परिभाषा की जाय, चाहे वह 'साधकतम करणम्' हो या 'व्यापारवद् असावारण कारण करणम्' हो वह सब केवल दुद्धिवैशाश्वफलक है अथवा करण के सम्बन्ध में लोकव्यवहार के आधार की गवेषणा का एक प्रयास है । करण की उच्चत परिभाषा तो यही हो सकती है कि जो जिस कार्य के करण रूप में अनादिकाल से लोक में व्यवहृत हो वह उस कार्य का करण है और व्यवहार की यह परम्परा उस पुरुष को इच्छा पर प्रतिष्ठित है जो उस कार्य का और उसके कारणों का आद्य उद्घावक है ।

प्रमाण-जितके लक्षण के निर्वचन की भूमिका में यह सब बातें अब तक कहीं गई हैं, के चार भेद हैं । जैसा कि न्यायसूत्र में कहा गया है—प्रमाण चार है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ।

प्रमाण के चार भेद चताये गये, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । प्रश्न होता है कि इनमें प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण और स्वरूप क्या है ? उत्तर है कि वस्तु को साक्षात् करनेवाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात् करनेवाली प्रमा उस हो कहा जाता है जो इन्द्रियजन्य होती है ।

इन्द्रियजन्य प्रमा ही साक्षात्कारिणी प्रमा कही जाती है और जो इन्द्रियजन्य नहीं होती जैस अनुमिति, उपमिति और यान्द्योध वह साक्षात्कारिणी प्रमा नहीं कही जाती, इसका रहस्य यह है कि इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाली प्रमा ही वस्तु को साक्षात् करती है अन्य प्रमा वस्तु को साक्षात् नहीं करती, क्योंकि वस्तु को साक्षात् करने का अर्थ है वस्तु के साक्ष द्वानेपर उसे ग्रहण करना, साक्ष का अर्थ है अचेष इन्द्रियेण संहित ।—सन्निकृष्ट । साक्ष—इन्द्रियसन्निकृष्ट । स्पष्ट है कि जिस प्रमाण का जन्म इन्द्रिय

से होगा वही वस्तु को ग्रहण करने में वस्तु के साथ इन्द्रिय-सञ्चिकर्य की अपेक्षा करने से इन्द्रियसञ्चिकृष्ट वस्तु की प्राहक होगी और जिसका जन्म इन्द्रिय से न होगा उसे प्रमेय वस्तु के साथ इन्द्रियसञ्चिकर्य की अपेक्षा न होने से उसमें वस्तु का साक्षात्कारित्व-इन्द्रियसञ्चिकृष्ट वस्तु का ग्राहकत्व न होगा ।

आशय यह है कि प्रमा का जन्म आत्मा म होता है, अत आत्मगत प्रमा से वस्तु का ग्रहण तभी सम्भव होगा जब प्रमा और वस्तु का सामीप्य हो । यह सामीप्य वाद्य वस्तु के साथ सीधे तो होगा नहीं किन्तु होगा इस परम्परा से कि आत्मा का स्योग हो मन से, मन का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का वस्तु से । तो इस प्रकार वस्तु का इन्द्रिय से, इन्द्रिय का मन से और मन का आत्मा से स्योग होने पर वस्तु आत्मा के निकटस्थ हो जायगी और इस स्थिति में आत्मा म उत्पन्न होनेवाली प्रमा का वस्तु के साथ सामीप्य होने से उसे वस्तु को ग्रहण करने म कोई कठिनाई न होगी ।

इस सन्दर्भ में यह ध्यान देनेकी बात है कि प्रमा और विषय के सामीप्य-सम्पादन की यह प्रणाली इन्द्रियजन्य प्रमा म ही लागू होती है अभ्य में नहीं, क्यों कि जो प्रमा इन्द्रियजन्य नहीं होती, उसके उदय में इन्द्रिय के साथ मन के स्योग की और प्रमेय वस्तु के साथ इन्द्रियस्योग की आवश्यकता नहीं होती, अत उस प्रमा का वस्तु के साथ सामीप्य का सम्पादन इस पद्धति से नहीं हो सकता । प्रभ होगा कि तो फिर इन्द्रियाजन्य प्रमा का वाद्य वस्तु के साथ सामीप्य होगा या नहीं ? यदि नहीं होगा तो वह प्रमा वस्तु को कैसे ग्रहण करेगी ? और यदि होगा तो कैसे होगा ? क्योंकि इन्द्रियजन्य प्रमा का वस्तु के साथ सामीप्य-सम्पादन की उत्क पद्धति इस प्रमा के सम्बन्ध में सम्भव नहीं है । उन्नर यह है कि इन्द्रियाजन्य प्रमा और प्रमेय वस्तु पे परस्पर सामीप्य की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उसका करण आत्मा में सीधे सन्निहित होता है और उस करण में प्रमेय वस्तु सीधे सन्निहित रहती है । जैसे अनुमितिप्रमा का करण व्यासिशान अथवा परामर्श अनुमिति के जात्रयभूत आत्मा म समवेत रहता है और व्यासिशान अथवा परामर्श में विषय रूप से अनुमेय वस्तु सन्निहित रहती है । इसी प्रकार उपमितिप्रमा और शाव्दप्रमा का भी प्रमेय वस्तु के साथ सामीप्य उनके आत्मगत ज्ञानात्मक कारणों के द्वारा होने म कोई कठिनाई नहीं होती ।

उपर्युक्त सन्दर्भ स्पष्टीकरण से यह सुविदित हो जाता है कि क्यों इन्द्रियजन्य प्रमा साक्षात्कारिणी प्रमा कही जाती है और इन्द्रियाजन्य प्रमा क्यों साक्षात्कारिणी प्रमा नहीं कही जाती ?

इस सन्दर्भ में प्रमाण शब्द और प्रत्यक्ष शब्द के प्रयोगश्चेष्ट के सम्बन्ध में थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है ।

प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमा और प्रमाकरण दोनों में उपलब्ध होता है। जैसे 'अनधिगताचयन्तु प्रमाणम्' इस प्रमालङ्घण में प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमा के लिये किया गया है और 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि' इस व्यायसूत्र में प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमाकरण के लिये किया गया है।

प्रमा और प्रमाण इन दो भिन्न अर्थों में 'प्रमाण' इस एक शब्द का प्रयोग आधार-हीन नहीं है, किन्तु विभिन्न व्युत्पत्तियों पर आधृत है। प्रमा में प्रयुक्त होनेवाला प्रमाण शब्द प्रपूर्वक मा धातु से भाव म होनेवाले ल्युट् प्रत्यय से निष्पत्त होता है, अत उस प्रमाण शब्द का वही अर्थ है, जो प्रपूर्वक मा धातु का है, क्योंकि भाव प्रत्यय का प्रकृत्यर्थ से अधिक कोई अर्थ नहीं होता, अत प्रमा में प्रयुक्त होनेवाले भाव ल्युट् प्रत्ययान्त प्रमाण शब्द का प्रमा ही अर्थ है। प्रमाकरण में प्रयुक्त होनेवाला प्रमाण शब्द प्रपूर्वक मा धातु से करण अर्थ को प्रकरण करनेवाले ल्युट् प्रत्यय से निष्पत्त होता है, अत उस प्रमाण शब्द का अर्थ होता है प्रमाकरण, इस प्रकार प्रमा और प्रमाकरण में प्रमाण शब्द के प्रयोग को देखकर किसी प्रकार के भ्रम म नहीं पड़ना चाहिये।

इसी प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग इन्द्रियजन्य प्रमा, उस प्रमा के करण और उस प्रमा के विषयभूत पदार्थ इन तीन विभिन्न वस्तुओं म होता है। इन तीन विभिन्न वस्तुओं में एक 'प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग भी आधारशून्य नहीं है, वह भी प्रत्यक्ष शब्द की विभिन्न तीन व्युत्पत्तियों पर आधृत है। जैसे 'प्रति-विषय प्रति गतम् अक्षम् इन्द्रिय यथै प्रयोजनाय तत् प्रत्यक्षम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष शब्द इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का वोधक होता है, क्योंकि उसी ज्ञानात्मक प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिये इन्द्रिय विषय के प्रति गमन करता है। 'प्रतिगतम्-विषय प्रतिगतम् अर्थात् विषय-सत्रिकृष्टम् अक्ष प्रत्यक्षम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्षप्रमा के करणका वोधक होता है, क्योंकि विषयसत्रिकृष्ट इन्द्रिय को ही मुख्यतया प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। 'प्रति य विषय प्रति गतम् अक्ष स प्रत्यक्ष' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्षप्रमा के विषयभूत अर्थ का वोधक होता है, क्योंकि जिस विषय के प्रति इन्द्रिय का गमन होता है जर्जात् जो अथ इन्द्रियसत्रिकृष्ट होता है, वही प्रत्यक्षप्रमा का विषय होता है।

इस प्रकार विभिन्न व्युत्पत्तियों के आधारपर प्रत्यक्षप्रमा, प्रत्यक्षप्रमाकरण और प्रत्यक्षप्रमा के विषय म प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होने में प्रत्यक्ष शब्दार्थ के विषय में भी किसी प्रस्तार का भ्रम नहीं करना चाहिये।

प्रत्यक्षप्रमा के दो भद्र हैं एविकल्पक और निविकल्पक। 'विकल्पदे-विनियोगे वस्तु यन स विकल्प —विशेषम्, तेन सहित सविकल्प, सविकल्पमेव सविकल्पकम्,

अथवा 'विकल्पयति—विशिनष्टि वस्तु यत् तद् विकल्पक-विशेषणम्, तेन सहित सविकल्पक-सविशेषणम्' इन व्युत्पत्तियों के अनुसार सविकल्पक शब्द का अर्थ है विशेषणयुक्त वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान में विशेषण और विशेष्य के अन्योन्य सम्बन्ध का भान होता है, जिस ज्ञान का उस ज्ञान के विषयभूत अर्थ के बोधक शब्द से अभिलाप-कथन होता है, उस ज्ञान को सविकल्पक कहा जाता है। सविकल्पक शब्द की डॉम व्याख्या के अनुसार अनुमिति, उपमिति, शास्त्रबोध और स्मृतिलिप ज्ञान भी उसकी परिधि में आ जाते हैं किन्तु उन ज्ञानों में सविकल्पक शब्द का प्रयोग नहीं होता, अन् यह शब्द विशेषणयुक्त वस्तु को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान में योगरूढ़ है। यह ज्ञान जिन विशेषणों के साथ वस्तु को ग्रहण करता है वे नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि हैं। अत 'नामजात्यादियोजनासहित ज्ञान सविकल्पकम्' कई लोग सविकल्पक का यह भी लक्षण करते हैं। यद ज्ञान विषयबोधक शब्द से अभिलिप्ति—ठपचहन होता है, तर 'अभिलापममग्योग्यप्रतिभास सविकल्पकम्, कुछ लोग सविकल्पक का यह भी लक्षण करते हैं। अब गौ—गोनामा, गोत्व (जाति) बाद, गौशुक, गौ ग०लुधि, गौनं मदिय, इस प्रकार के प्रत्यक्षात्मक सभी ज्ञान सविकल्पक के उदाहरण हैं। यही ज्ञान मनुष्य की सर्वविद्य प्रवृत्तियों और सर्वविद्य व्यवहारों का मूल है, सविकल्पक ज्ञान से ही प्रेरित हो मनुष्य विभिन्न कार्यों में व्यापृत होता है, इसी के आधार पर अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है, इसीलिये इसे 'अखिलाया लोकयात्राया मूलम्' कहा गया है।

'विकल्पेभ्यो-विशेषणम्यो निर्मुक निविकल्प, निर्विकल्पमेव निर्विकल्पकम्, अथवा विकल्पकेभ्यो—विशेषणम्यो निर्मुक निर्विकल्पकम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार विशेषण-हीन वस्तु के स्वरूपमात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञान अर्थे विषयभूत वस्तु में किसी प्रकार के विशेषण के सम्बन्ध का अवगाहन नहीं करता, किन्तु वस्तु के स्वरूपमात्र को विषय करता है, जिसका विषयबोधक शब्द से अभिलाप यवद्वार नहीं होता उसे निर्विकल्पक कहा जाता है। इसका परिचय 'गालमूर्त्ति-दिव्यानुसदश निविकल्पम्' कह कर दिया जाता है। अभिप्राय यह है कि जैसे अशोध बालकों या गूंगे यन्त्रों से तब किसी वस्तु का प्रत्यक्षदर्शन होता है तब उस वस्तु के नाम आदि का ज्ञान न होने में वे अर्थे उस ज्ञान से किसी अन्य पुरुष के प्रति प्रकट नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार यवद्वार और याक्षर्य-व्यक्तियों को भी जब किसी वस्तु का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है तब वे अर्थे उस प्रत्यक्ष को शब्द द्वारा प्रकट नहीं कर पाते। प्रश्न होता है कि बालकों वा गूंगे यन्त्रियों को तो उनके ज्ञान के विषयभूत वस्तु का नाम जात नहीं रहता तथा उनमें बोलने की क्षमता भी नहीं होती अतः उनके द्वारा उनके ज्ञान का प्रकर्ता न किया जाना तो समझ में आता है परं वयस्क

और वाक्पटु व्यक्तियों को जिस वस्तु का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है उन्हें तो उस वस्तु के नाम का शान होता है एवं उनमें बोलने की क्षमता भी होती है फिर वे अपने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को क्यों प्रकट नहीं कर पाते, उत्तर यह है कि किसी शान का अभिलाप्य—प्रकटीकरण उसी शब्द से होता है जो उस शान के विषयभूत वस्तु को ठीक उसी रूप में अवगत करा सके जिस रूप में वस्तु उस शान द्वारा अवगत होती है, निर्विकल्पक शान जिस रूप में वस्तु को प्रहण करता है, शब्द से वस्तु का उस रूप में प्रतिपादन सम्भव नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पक शान अविशिष्ट वस्तु को ग्रहण करता है और शब्द अविशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन कर नहीं सकता, क्योंकि व्यथाहार आदि द्वारा उसका सकेत विशिष्ट वस्तु में ही एहीत होता है, फलतः निर्विकल्पक शान के विषयभूत वस्तु का बोधक शब्द न होने से व्यस्त और वाक्पटु व्यक्ति भी उसे प्रकट करने में असमर्थ होते हैं।

इस विषय में यह ध्यान देने योग्य चात है कि निर्विकल्पक शान में बालक और गौंगे के शान की जो तुलना की गई है वह केवल इसी अश में कि वे दोनों ही शान शाता द्वारा अनभिलाप्य होते हैं, इस तुलना का यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिये कि जैसे निर्विकल्पक शान विशिष्ट वस्तु का ग्राहक न होकर वस्तु के शुद्ध स्वरूपमात्र का ग्राहक होता है, उसी प्रकार बालक और गौंगे का शान भी विशिष्ट वस्तु का ग्राहक न होकर वस्तु के शुद्ध स्वरूपमात्र का ही ग्राहक होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर जैसे निर्विकल्पक शान से शाता भी प्रवृत्ति नहीं होती उसी प्रकार बालक और गौंगे के शान से भी प्रवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु यह चात नहीं है क्योंकि बालक और गौंगे व्यस्त और वाक्पटु व्यक्तियों के समान ही अपने ज्ञान से अपने कायों में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं।

निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाण—

प्रथम होता है कि जब निर्विकल्पक शान अनभिलाप्य है, अप्रवर्तक है और विशिष्ट वस्तु का ग्राहक न होने से अप्रत्यक्ष है, तब उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण है। उत्तर है कि सर्विकल्पक प्रायद, जो इत्य मानसप्रथव्यविद् है, वही निर्विकल्पक प्रायद का अनुमानक है, अतः निर्विकल्पक प्रायद के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है। आशय यह है कि गो के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने पर गो का गोत्रविशिष्ट व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होना अनुभव सिद्ध है, क्योंकि प्रस्त्रेन गोदर्णा को 'मैं गो को देखता हूँ', इस रूप में भनने गोदर्णन का अनुभव-मानस प्रायद होना प्रायः सर्वसम्भव है। फिर इस प्रज्ञार गोत्र रूप से गो का जो सर्विकल्पक प्रायद होता है, उसके पूर्व में गोत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि गो का सर्विकल्पक प्रायद गोत्रविशिष्ट गो व्यक्ति को मद्दत

करने वाला एक विशिष्ट शान है, जिसमें गोव्यक्तिरूप विशेष्यभूत वस्तु में गोत्व विशेषण होकर भासित होता है, और विशिष्ट वस्तु को ग्रहण करनेवाले अनुभव में विशेषण का शान कारण होता है, अत पूर्व में यदि गोत्वरूप विशेषण का शान न होगा तो गोत्वविशिष्ट को ग्रहण करनेवाला अनुभव कैसे उत्पन्न होगा ? यत् गोत्वविशिष्ट व्यक्ति को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षात्मक अनुभव का होना संभवमत है, अतः उसके पूर्व में गोत्वरूप विशेषण के शान का होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार गौ के सविकल्पक प्रत्यक्ष के पूर्व गोत्व का जो शान सिद्ध होगा, उसे अनुमिति या शान्दबोधरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके पूर्व गोत्व की अनुमिति अथवा गोत्व के शान्दबोध की कारणसामग्री सञ्चिहित नहीं रहती, किन्तु उस शान की प्रत्यक्षरूप माना जा सकता है, क्योंकि गोत्व के प्रत्यक्ष का इन्द्रियसञ्चिकर्य-चक्षुःसम्बन्धगोप्यमाय रूप कारण सञ्चिहित रहता है। उस प्रत्यक्ष को सविकल्पक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सविकल्पक मानने पर गोत्व में किसी विशेषण का भान मानना पड़ेगा और उस दशा में उससे निर्विशेष गोत्व के रूप में गौ का सविकल्पक प्रत्यक्ष न हो सकेगा।

अत् गौ के सविकल्पक प्रत्यक्ष के पूर्व में होने वाले गोत्वशान को निर्विकल्पक प्रत्यक्षरूप ही मानना होगा, इस प्रकार सविकल्पकप्रत्यक्षमूलक अनुमान से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि निर्यात है।

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के विषय—

उक्त रीति से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि होने से साधारणतया यही प्रतीत होता है कि किसी वस्तु के साथ इन्द्रियसञ्चिकर्य होने पर जो पहला शान होना है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्षरूप होता है और वह केवल उसी वस्तु को ग्रहण करता है जिसे उसके अनन्तर होने वाले सविकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण के रूप में भासित होना होता है। इससे अनुसार गौ के साथ इन्द्रियसञ्चिकर्य होने पर उत्पन्न होने वाले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विषय केवल गोत्व होगा। पर इस बात को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि गो पदार्थ के गर्भ में तीन वस्तुयें हैं, गो, गोत्व और गो के साथ गोत्व का समत्रायसम्बन्ध। जब मनुष्य के खुले नेत्र के सामने कोई गौ आती है तब उसके नेत्र का सञ्चिकर्य गो, गोत्व और समवाय तीनों के साथ एक साथ ही होता है, तो फिर जब तीनों के साथ नेत्र का सञ्चिकर्य एक साथ ही होता है और तीनों को ग्रहण करने की ज़मता नेत्र में विद्यमान है तब उनमें से वेष्टल गोत्व का ही ग्रहण क्यों होगा ? अन्य दो का क्यों नहीं होगा ? इस लिये यह मानना ही सुनिश्चित है कि गो के साथ

इन्द्रियसंबिंदु पर होने पर जो पहला ज्ञान—निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है वह गो, गोत्व और समवाय तीनों को ग्रहण करता है, किन्तु वे तीनों उस ज्ञान में विशेषण, विशेष्य और संसाग के रूप में भासित न होकर विशुद्ध वस्तु के रूप में ही भासित होते हैं। क्योंकि गोत्व का विशेषण के रूप में भान तभी हो सकता है जब पूर्व में उसका ज्ञान हो क्योंकि विशिष्ट दुर्द्वा में विशेषणज्ञान के कारण होने से विशेषणरूप से भान होने के लिये पूर्व में विशेषण के स्वरूपज्ञान का होना आवश्यक है। इसी प्रकार गो का विशेष्य के रूप में भान भी तभी हो सकता है जब पूर्व में उसका ज्ञान हो, क्योंकि विशेष्य के रूप में वस्तु को ग्रहण करने वाले लौकिक प्रत्यक्ष में विशेष्यज्ञान के कारण होने से विशेष्य के रूप में भान होने के लिये पूर्व में उसका ज्ञान अनिवार्यतया अपेक्षित है। इसी प्रकार समवाय का संसर्ग के रूप में भान भी तभी हो सकता है जब उसके पूर्व समवाय के गो और गोत्व इन दोनों सम्बन्धियों का प्रत्यक्ष हो, क्योंकि सम्बन्ध के लौकिक प्रत्यक्ष में दोनों सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष के कारण होने से गो-गोत्व के समवाय को सम्बन्ध रूप में ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष के पूर्व गो और गोत्व के प्रत्यक्ष का होना आवश्यक है।

इस प्रकार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण, विशेष्य और संसर्ग के रूप में वस्तु का भान न होने से उसमें विशेषणता, विशेष्यता तथा संसर्गता यह तीन प्रकार की विषयताएँ नहीं मानी जातीं, किन्तु इन तीनों से विलद्दण एक त्रुटीय-चौथी प्रकार की विषयता मानी जाती है और इसी के आधार पर विशेषणताशृण्य ज्ञानम्, अथवा विशेष्यताशृण्य ज्ञानम्, अथवा संसर्गताशृण्य ज्ञानम्, अथवा विलक्षणविषयताशृण्य ज्ञानं निर्विकल्पकम्, इस प्रकार निर्विकल्पक का लक्षण किया जाता है।

यह ध्यातव्य है कि वैशेषिक दर्शन में समवाय का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, अतः उसके मतानुसार गो के साथ इन्द्रिय संबिंदु होनेपर उत्पन्न होनेवाले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के दो ही विषय होंगे गो और गोत्व।

निर्विकल्पक का प्रमात्म—

तर्कभाषाकार ने प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बता संविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से उसके दो प्रकार जाताये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें निर्विकल्पक का प्रमात्म इष्ट है, किन्तु प्रश्न यह होता है कि उन्होंने प्रमा का लक्षण किया है ‘यथा धर्मनुभवः प्रमा’ अर्थात् जो पदार्थ जैसा है, उसे बैठा ही ग्रहण करनेवाला अनुभव प्रमा कहलाता है, तो फिर निर्विकल्पक को प्रमा कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वह तो वस्तु के स्वरूपमात्र को ग्रहण करता है, न कि उसके किसी रूप में उसे ग्रहण करता है। उच्चर यह है कि प्रमा के उक्त लक्षण में जो यथार्थ शब्द प्रयुक्त किया गया है, उसका तात्पर्य प्रमा की यथा-

र्थता के प्रतिपादन में नहीं है, किन्तु यथार्थता के निषेध में है, अत. उक्त लक्षण का आशय यह है कि वस्तु को अन्यथा ग्रहण न करनेवाला अनुभव प्रमा है। यथार्थ शब्द के इस तात्पर्य में तर्कभाषाकार का सकेत भी प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने यथार्थ शब्द से सशय, विपर्यय और तर्कज्ञान की व्यावृत्ति बतायी है। यदि यथार्थ शब्द का 'अन्यथा अग्राहक' अर्थ न लेकर 'यथा अर्थ तथा अर्थग्राहक' अर्थे लिया जायगा, तब उससे सशय आदि की व्यावृत्ति कैसे होगी? क्योंकि सशय आदि भी अशुत् 'यथा अर्थः तथा अर्थग्राहक' होने हैं, अत यस्थ है कि उस शब्द से सशय आदि की व्यावृत्ति बता ग्रन्थकार ने 'अन्यथा अग्राहक' अर्थ में ही यथार्थ शब्द के तात्पर्य को संकेतित किया है और जब अर्थ को अन्यथा ग्रहण न करनेवाला अनुभव ही प्रमा माना जायगा, तब निर्विकल्पक के प्रमा होने में कोई चाला न होगी, क्योंकि यह अर्थ के स्वरूपमात्र का ग्राहक होने से अर्थ को अन्यथा न ग्रहण करनेवाला अनुभव है।

इस भन का उल्लेख विश्वनाथ न्यायप्रज्ञानन ने अपने भाषापरिच्छेद—कारिकावलीनामक ग्रन्थ की १३४ वीं कारिका म 'भ्रमभिन्न ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा-न्यायशास्त्र में भ्रमभिन्न ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, इस शब्द से किया है। यह प्राचीन न्याय का मत है। नव्यन्याय का मत इससे भिन्न है जिसका उल्लेख करते हुए कारिकावली में कहा गया है कि निर्विकल्पक ज्ञान भ्रम और प्रमा दोनों से नहिर्भूत है क्योंकि उन दोनों के लक्षण प्रकारता, विशेष्यता और सर्वर्गता से घटित होते हैं, जैसे— तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकरतदभावविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धावच्छिन्नतविष्ट्रिप्रकारतायालिङ्गान भ्रमः—तत्सम्बन्ध से तदभाव के आशय में तत्सम्बन्ध से तदस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान भ्रम कहा जाता है, उदाहरणार्थ सीधी में रजतत्व को ग्रहण करने वाला 'इद रजतम्' यह ज्ञान लिया जा सकता है। यह ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रजतत्वभाव के आश्रय सीधी में समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को ग्रहण करने से भ्रम कहा जाता है। इसी प्रकार तत्सम्बन्धेन तदाश्रयनिष्ठविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धावच्छिन्नतविष्ट्रिप्रकारतायालिङ्गान प्रमा—तत्सम्बन्ध से तदवस्तु के आशय में तत्सम्बन्ध से तदस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमा कहा जाता है, उदाहरणार्थ चादी में रजतत्व को ग्रहण करने वाला 'इद रजतम्' यह ज्ञान लिया जा सकता है, यह ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रजतत्व के आश्रय चादी में समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को ग्रहण करने से प्रमा माना जाता है। इस प्रकार भ्रम और प्रमा दोनों के लक्षण जब प्रकारता, विशेष्यता और सर्वर्गता से घटित हैं तब निर्विकल्पक, जिसमें प्रकार, विशेष्य और सर्वर्ग के रूप में किसी वस्तु का भान नहीं होता, भ्रम अभवा प्रमा कैसे हो सकता है? विश्वनाथ पञ्चानन ने कारिकावली में यही जात निम्न शब्दों में यही स्पष्टता से व्यक्त की है।

यथा—

तच्छून्ये तन्मतिर्या स्यादप्रमा सा निरुपिता, (गुण प्रकरण १२७)
अथवा तत्प्रकार यज्ञान तद्विशेष्यकम्,

तप्रमा।

(गुण प्र० १३५)

न प्रमा नापि भ्रमः स्यात्तिर्विकल्पकम्,
प्रकारतादिशस्य हि सम्बन्धानवगाहि तत्।

(गुण प्र० १३६)

निर्विकल्पक के प्रमात्व के विषय में अब तक जो कुछ कहा गया है वह न्यायन्वैशेषिक दर्शन का मत है, अन्य दर्शनों का मत इससे भिन्न है। जैसे बौद्ध दर्शन के मत में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही कास्तव में प्रमा है। दिहनागाचार्य के 'प्रमाणसमुच्चय' ग्रन्थ का 'प्रत्यक्ष कल्पनाऽपेद नामजात्याद्यसयुतम्' यह वचन दार्शनिक जगत् में नितान्त प्रसिद्ध है, इसके अनुसार कल्पनाहीन तथा नाम, जाति आदि से अद्युता अर्थात् निर्विकल्पक शान ही प्रमात्मक प्रत्यक्ष है, सविकल्पक प्रत्यक्ष आदि शान नाम, जाति आदि काल्पनिक पदार्थों को महण करने के कारण कथमपि प्रमात्मक नहीं हो सकते।

इस विषय में जैनदर्शन की मान्यता बौद्ध दर्शन से अत्यन्त विपरीत है, इसी कारण आचार्य हेमचन्द्र ने निर्विकल्पक को, जिसे जैनदर्शन में 'दर्शन' शब्द से व्यषटिष्ठ किया गया है, 'अनध्यवसाय' रूप मान कर उसे प्रमा की श्रेणी से सर्वधा बहिष्कृत कर दिया है।

हाँ, वेदान्तदर्शन ने निर्विकल्पक को प्रमा अवश्य माना है पर वह सामान्य निर्विकल्पक नहीं है किन्तु वह ऐसा विशेष निर्विकल्पक है जो उपनिषद् के 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' इन महावाक्यों से भागत्यागलक्षण के द्वारा अपरोक्ष अनुभव के रूप में उत्पन्न हो किसी आविष्यक पदार्थ को विषय न कर विशुद्ध ब्रह्मस्वरूपमात्र को ही प्रदण करता है, क्योंकि वेदान्तामत में अनधिगत, अवाधित अर्थ को प्रदण करने वाला शान ही प्रमा माना जाता है और ब्रह्म से भिन्न काई भी पदार्थ अवाधित नहीं होता।

निर्विकल्पक शानके सम्बन्ध में रामानुजाचार्य आदि वैष्णव वेदान्तियों का मत उक्त मठों से अत्यन्त विलक्षण है, जिसका सकेत श्रीनिवासाचार्य भी 'यनीन्द्रमतदीपिका' में प्रमुत की गई प्रत्यक्षविषयक चर्चा से प्राप्त होता है। जैसे—

'तच प्रत्यक्ष द्विविध निर्विकल्पकसविकल्पकमेदात्। निर्विकल्पक नाम गुणसरथा-नादिविशिष्टप्रथमपिण्डप्रह्लयम्, सविकल्पक तु सप्रत्यवमये गुणसरथानादिविशिष्टद्विती-

यादिपिण्डशानम् । उभयविधमप्येतद् विशिष्टविषयकमेव, अविशिष्टग्राहिणो शानत्यानुप-
लभ्मादनुपत्तेश्च ।

प्रत्यक्षज्ञान निर्विकल्पक और सविकल्पक के मेद से दो प्रकार का होता है । गुण,
सत्थान आदि के साथ किसी पिण्ड का जो पहला ज्ञान होता है, वह निर्विकल्पक है,
और गुण, सत्थान आदि के साथ किसी पिण्ड का जो दूसरा, तीसरा आदि ज्ञान
उत्पन्न होता है जिसमें पूर्वं ज्ञान के साम्य का आभास भी होता है, वह सविकल्पक
ज्ञान है, यह दोनों प्रकार का ज्ञान विशिष्ट वस्तु को ही विषय करता है, क्योंकि अविशिष्ट
वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञान की न तो उपलब्ध ही होती और न उपस्थिति ही हो
सकती है ।

इस कथन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई ज्ञान प्रामाणिक नहीं है जो विशेषविशेषण-
भाव से शून्य वस्तु के स्वरूपमात्र का ग्रहण करता हो, अतः निश्चय ही समस्त ज्ञान
सविकल्पक ही होते हैं, निविकल्पक भी सविकल्पक श्रेणी का ही ज्ञान है, उसे निर्वि-
कल्पक की सजा सापेक्ष है, जो सविकल्पक जिन सविकल्पकों की अपेक्षा अल्पविषयक है
अथवा जिसमें पूर्वं उसके विषयभूत वस्तु के ज्ञान का उदय नहीं हुआ है अर्थात्
किसी वस्तु का जो पहला ज्ञान है, जिसमें पूर्वज्ञान के विषयसाम्य का आभास सम्बन्ध
नहीं है वह अपने विषयभूत वस्तु के उत्तरवर्ती ज्ञानों की अपेक्षा निविकल्पक है । इस
अर्थ में निर्विकल्पक शब्द की यह अनुवन्नि उचित होगी कि 'निर्गत - नहिर्भूत - अविषयी-
भूतो विकल्प - उत्तरभावितविकल्पकम् विषयभूतो विकल्पविशेषो यस्मात् स निर्विकल्पक' ।
यह अनुवन्नि किसी पिण्ड के प्रथम सविकल्पक में समुचित रीति से उपस्थिति होती है,
क्योंकि वह नितान्त स्वाभाविक है कि किसी पिण्ड के पहले उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के
विषयभूत विकल्पो—विशेषणात्मक घटोंकी अपेक्षा बाद में उत्पन्न होने वाले उस
पिण्ड के ज्ञानों के विषयभूत विकल्प अधिक हों, जिनको ग्रहण न कर सकने के नाते
पूर्वं म उत्पन्न होनेवाला सविकल्पक बाद में उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक की अपेक्षा
निर्विकल्पक कहा जा सके । ज्ञान के तारतम्य की इस स्वाभाविकता में किसी पक्ष से
विवाद हाना सम्भव नहीं प्रतीत होता क्योंकि ज्ञान का क्रमिक विकास सर्वजनसम्मत है ।

निर्विकल्पक की नरसिंहाकारता—

निर्विकल्पक ज्ञान के दो रूप होते हैं—प्रियुद्ध निर्विकल्पक और मिश्र निवि-
कल्पक । विशुद्ध निर्विकल्पक उह ज्ञान होता है जो किसी भी अर्थ में विशिष्ट ही नहीं
होता, जैसे गो आदि के साथ चन्द्र का स्थोग होने पर गो, गोत्र के स्वरूपमात्र को
ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष । मिश्र निर्विकल्पक वह है जो मुख्य अर्थ में निर्विकल्पक होते
हुए किसी अर्थ में विशिष्टग्राही भी होता है, जैसे ज्ञान आदि प्रत्यक्ष योग्य सविषयक

पदार्थों का प्रथम प्रत्यक्ष । आशय यह है कि जब घट आदि पदार्थों का सविकल्पक शान उत्पन्न होता है तब सामान्य स्थिति में उसका अनुव्यवसाय-मानस प्रत्यक्ष होता है और वह इस प्रकार होता है कि घटशान उत्पन्न होने पर उसके साथ मन का सयुक्तसमवाय-रूप तथा उसमें सम्बेद ज्ञानत्व के साथ संयुक्तसम्बेदसमवाय-रूप सन्निकर्प होता है, जैसे मन से सयुक्त होता है आत्मा और उसका समवाय होता है घटशान के साथ, क्योंकि घटशान आत्मा में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मन से सयुक्त होता है आत्मा, उसमें सम्बेद होता है घटशान और उसका समवाय होता है ज्ञानत्व के साथ, क्योंकि ज्ञानत्व घटशान में समवाय सम्बन्ध से रहता है इस प्रकार घटशान और ज्ञानत्व के साथ मन का उक्त सन्निकर्प होने से घटशान और ज्ञानत्व के परस्पर समर्ग को ग्रहण न कर उन दोनों के स्वरूपमात्र को ग्रहण करने वाले निर्विकल्पक का उदय होता है, पर यह निर्विकल्पक विशुद्ध नहीं होता क्योंकि इसके पूर्व घट के साथ मन का ज्ञान-लक्षण सन्निकर्प उपस्थित रहने से इस निर्विकल्पक में ज्ञान के विशेषणरूप में घट का भान अनिवाय रहता है, अतः यह निर्विकल्पक 'ज्ञानज्ञानस्य' इस रूप में न उत्पन्न होकर 'घटज्ञानस्य' इस रूप में उत्पन्न होता है, अतः यह ज्ञान के बल ज्ञानत्व अश में ही निर्विकल्पक होता है ज्ञान अश में नहीं, ज्ञान अश में तो घट का ग्राहक होने से सविकल्पक ही होता है ।

मिथ निर्विकल्पक का जन्म के बल ज्ञान आदि सविषयक पदार्थों के ही विषय में नहीं होता किन्तु घट आदि निर्विषयक पदार्थों के विषय में भी होता है। उसे यो समझना चाहिये। किसी एक घट के साथ चक्षु का सयोग होने पर उस घट के समान ही अन्य देश और अन्यकाल में स्थित उन अन्य अगणित घटों का भी चाक्षुप्रत्यक्ष होता है जिनके साथ उस समय चक्षु का सयोग सम्भव नहीं होता, अन्तर के बल इतना ही होता है कि चक्षु से सयुक्त घट का जो प्रत्यक्ष होता है वह लौकिक कहा जाता है क्योंकि वह चक्षु से सयुक्त घट का जो प्रत्यक्ष होता है वह अलौकिक कहा जाता है क्योंकि वह अलौकिक—अलौकप्रसिद्ध सम्भव से होता है। मात्रीन नैयायिकों के मत में अन्य घटों का अलौकिक प्रत्यक्ष चक्षु संयुक्त घट के लौकिक प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न होता है क्योंकि उनके मन में किसी घट के लौकिक प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न होता है क्योंकि उनके मन में किसी घट के लौकिक प्रत्यक्ष के साथ ही अन्य घटों के अलौकिक प्रत्यक्ष का जन्म हो जाता है क्योंकि उनके मन में घटविषयक ज्ञान ही अन्य घटों के साथ चक्षु का अलौकिक सन्निकर्प होता है, अतः यह सन्निकर्प किसी घट के साथ चक्षु का संयोग होने पर घट और प्रत्यक्ष का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होने पर ही सम्भव हो जाता

कदा पुनरिन्द्रियं करणम् ? यदा निर्विकल्पस्था प्रमा फलम् । तथा हि— आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य है । फलतया जब चक्षुःसंयुक्त घट का लौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है उसी समय घटत्वशाननुप सामान्यलक्षणात्मक अलौकिक सन्निकर्प से अन्य घटों का अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार चक्षुःसंयुक्त घट और घटत्व के निर्विकल्पक के अनन्तर उस घट में लौकिक और अन्य घटों में अलौकिक एक प्रत्यक्ष का जन्म होता है । इस नवीन मत में यह भ्यान देने वी बात है कि घटत्व के निर्विकल्पक के अनन्तर चक्षुःसंयोगस्तु लौकिक सन्निकर्प और घटत्वशाननुप अलौकिक सन्निकर्प से जिस एक प्रत्यक्षज्ञान का जन्म होता है वह चेवल चक्षुःसंयुक्त घट में ही सविकल्पक होगा, अन्य घटों में वह निर्विकल्पक ही होगा, क्योंकि सम्बन्धावधयक प्रत्यक्ष म सम्बन्धविधयक प्रत्यक्ष के कारण होने से अन्य घटों का स्वरूपमानशाही प्रत्यक्ष जब तक उत्पन्न न हो लेगा तब तक उनमें घटत्व के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष न हो सकेगा, इससे स्पष्ट है कि किसी घट के साथ चक्षु का संयोग होने पर उस घट और घटत्व के निर्विकल्पक के बाद यो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है वह चक्षुःसंयुक्त घट में सविकल्पक और अन्य घटों में निर्विकल्पक होता है, इस प्रकार यह निर्विकल्पक भी सर्वाशा में निर्विकल्पक न होने से विशुद्ध निर्विकल्पक न होकर मिथ निर्विकल्पक है, ऐसे मिथ निर्विकल्पकों को नरसिंहाकार शान कहा जाता है क्योंकि वैसे नरसिंह को सर्वाशा में नर अथवा सिंहरूप न होने से विशुद्ध नर अथवा विशुद्ध सिंह न कह कर नरसिंह उभयात्मक विलक्षण व्यक्ति माना गया है । उसी प्रकार ऐसे जानों को सर्वाशा में निर्विकल्पक अथवा सर्वाशा में सविकल्पक न होने से नरसिंहाकार शान शब्द से व्यपदिष्ट किया गया है ।

निर्विकल्पक का भेद—

ज्ञान के दो मुख्य अवान्तर भेद हैं—अनुभव और स्मृति । अनुभव के चार भेद हैं—प्रत्यक्ष, अनुमिति उपमिति और शान्दब्दधोध । प्रश्न होता है कि ज्ञान के इन भेदों में निर्विकल्पक का समावेश किसमें है ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि तर्कभाषाकार को दृष्टि में निर्विकल्पक का समावेश तो चेवल प्रत्यक्ष में ही प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष के मध्य में ही उसका प्रदर्शन किया है, किन्तु इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि प्राचीन नैयायिकों ने विषयप्रमोप के द्वारा विशिष्टविधयक संस्कार से निर्विकल्पक स्परण का भी जन्म स्वीकार किया है और वेदान्तियों ने 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों से भाग्याशयलक्षण के द्वारा निर्विकल्पक शान्दब्दधोध का भी जन्म माना है ।

प्रत्यक्ष प्रमा का करण—प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकार का होता है—इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ-सन्निकर्प-प्रादृश विधय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प और ज्ञान । तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष

प्रकाशकारित्वनियमात् । ततोऽर्थसंनिकृष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पक नामजात्यादियो-
जनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किञ्चिदिदमिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं
करणं, छिदाया इव परशु । इन्द्रियार्थसन्निकर्षोऽवान्तरव्यापारः, छिदाकरणस्य
परक्षोरिव दारुसंयोगः । निर्विकल्पकं ज्ञानं फलं, परक्षोरिव छिदा ।

कदा पुनरिन्द्रियार्थसंनिकर्षः करणम् ?

यदा निर्विकल्पकामन्तरं सविकल्पकं नामाजात्यादियोजनात्मकं द्वित्योऽयं,
त्राद्वागोऽयं, इयामोऽयमिति विशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानमुत्पदयते तदेन्द्रियार्थ-
सन्निकर्षः करणम् । निर्विकल्पकज्ञानम् अवान्तरव्यापारः । सविकल्पकं ज्ञानं
फलम् ।

प्रमा का करण कभी इन्द्रिय होती है, कभी इन्द्रियार्थसन्निकर्ष होता है और कभी ज्ञान होता है । कब इन्द्रिय करण होती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब निर्विकल्पक-रूप प्रत्यक्षप्रमा फल होती है तब उसका करण इन्द्रिय होती है, इन्द्रिय से निर्विकल्पक-रूप प्रत्यक्ष प्रमा का उदय इस प्रकार होता है—पहले आत्मा का मन के साथ सयोग होता है, किंतु मन का इन्द्रिय के साथ सयोग होता है, उसके बाद इन्द्रिय का अर्थ-भाष्य विषय के साथ सन्निकर्ष-सम्बन्ध होता है । प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति के लिये अर्थ के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्ष का होना परमावश्यक है क्योंकि यह नियम है कि इन्द्रिया प्राप्त वस्तु को ही प्रकाशित करती है अर्थात् सन्निकृष्ट वस्तु का ही प्रत्यक्ष उत्पन्न करती है । अतः जिस वस्तु के साथ जिस इन्द्रिय का सन्निकर्ष जब तक न होगा तब तक उस इन्द्रिय से उस वस्तु का प्रकाश-प्रत्यक्षज्ञान न हो सकेगा, इस लिये किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होने के पूर्व उसके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष अपरिहार्य है ।

अर्थ के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होने के बाद अर्थसन्निकृष्ट इन्द्रिय से निर्विकल्पक ज्ञान का जन्म होता है, उस ज्ञान में वस्तु में नाम, जाति आदि की योजना नहीं होती अर्थात् यह ज्ञान वस्तु के नाम, जाति आदि को नहीं प्रदण करता किन्तु वस्तु के स्वरूप नाम को प्रदण करता है अतः उस ज्ञान का परिचय वस्तु के नाम, जाति आदि के द्वारा न देकर ‘परिक्षिद् इदम्’ यह उत्तर है, इस विशेषणवस्त्रोचक शब्द से ही दिया जाता है । इस निर्विकल्पक ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है, ठीक वैसे जैसे काटने की किया जा करण फूटा होता है । इन्द्रियार्थसन्निकर्ष उस निर्विकल्पक ज्ञान के उत्पादन में इन्द्रिय का अवान्तर (मध्यवर्ती) व्यापार होता है, यह भी ठीक वैसे जैसे घेन किया के करण फूटे जा लकड़ी के साथ सयोग उस किया के उत्पादन में फूटे जा अवान्तर व्यापार होना है । निर्विकल्पक ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकर्ष व्यापार के द्वारा इन्द्रिय का फल जायें होता है,

५७ (६)

कदा पुनर्ज्ञान करणम् ।

यदा उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा ।
निर्विकल्पक ज्ञान करणम्, सविकल्पक ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादिबुद्धयः ॥
फलम् । तज्जन्यतज्जन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः । यथा कुठारजन्यः कुठारदार
संयोगः कुठारजन्यच्छिद्वाजनक ।

अत्र कथिदाह—सविकल्पकादीनामपीन्द्रियमेव करणम् । यावन्ति
त्वान्तरालिकानि सत्रिकपांदीनि तानि सर्वाण्यवान्तरव्यापार इति ।

यह भी ठीक वैसे जैसे कटना लकड़ी के साथ फरस के संयोग रूप व्यापार द्वारा फरसे का
फल काय होता है ।

प्रस्तुत सन्दर्भ से स्पष्ट है कि जब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को प्रसा माना जावगा, तब
उसका करण इन्द्रिय होगी जो अर्थ के साथ सन्निकृष्ट होकर अर्थ का निर्विकल्पक प्राप्यकृ
उत्पन्न करगी और वही प्रत्यक्ष प्रमाण कही जायगी ।

कब इन्द्रियाधसनिकप करण होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब निर्विकल्पक
प्रत्यक्ष के बाद सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है जो वस्तु के साथ नाम, जाति आदि
के सम्बन्ध को ग्रहण करता है, वस्तु को विशेष्य और उसके गुण, धम आदि को विशेष-
ण रूप से विषय करता है तथा जो ‘डित्थोऽयम्—यह डित्थ नामवाला है, ‘ब्राह्मणो-
ऽयम्—यह ब्राह्मणवज्जातिवाला है’ ‘शमासोऽयम्—यह श्यामसूत्रपक्ष गुणवाला
है’ इन शब्दों से व्यवहृत होता है, तब इन्द्रियाधसनिकप करण होता है, निर्विकल्पक
ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है और सविकल्पक ज्ञान फल होता है ।

कब निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब उक्त
सविकल्पक ज्ञान के बाद उस ज्ञान के विषयभूत वस्तु के सम्बन्ध म हान बुद्धि—यह
वस्तु है—त्याग करने योग्य है, उपादान बुद्धि—यह वस्तु उपादेय—ग्रहण करने योग्य
है अथवा उपेक्षाबुद्धि—यह वस्तु उपेक्षणीय है अर्थात् न हैय ही है और न उपादेय
ही है, उत्पन्न होती है, तब निर्विकल्पक ज्ञान करण, सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार
और हानबुद्धि, उपादानबुद्धि अथवा उपेक्षाबुद्धि फल होनी है ।

अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु के ज्ञान के अजन की प्रक्रिया तबतक पूरी नहीं
होती, जबतक उसका हैय, उपादेय वा उपेक्षणीय रूप म निर्धारण नहीं हो जाता ।
फलतया जब मनुष्य किसी वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जानने का उपक्रम करता है, तब

उसे उस वस्तु के ज्ञान की पूर्णता के लिये उस वस्तु के सम्बन्ध में सुख्य रूप से तीन बातें जाननी होती हैं, उसका स्वरूप, उसका नाम, जाति आदि और उसकी उपयोगिता अर्थात् हेयता, उपादेयता अथवा उपश्यता । प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु के ज्ञानाचन की भूमिका म इन तीनों बातों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही सम्पादित होता है । इन तीनों में वस्तु के स्वरूप का शान-वस्तु का निविकल्पक शान इन्द्रिय से सम्पादित होता है । उसके नाम, जाति आदि का शान—वस्तु का सविकल्पक शान वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान से सम्पादित होता है और वस्तु की हेयता आदि का शान उसके सविकल्पक ज्ञान से सम्पादित होता है, अत इन्द्रिय, इद्रियाथसनिकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान वे तीनों निविकल्पकज्ञान, सविकल्पकज्ञान और हानादिदुद्धिरूप प्रमाण के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्णता इन तीनों के सव्यापार होने पर ही सम्पन्न होती है, अतः इन तीनों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है ।

अवान्तर व्यापार—

अवान्तर व्यापार की चर्चा अभी तत्काल की जा चुकी है, वह करण का प्राण है, उसके बिना करणत्व की निपत्ति हो ही नहीं सकती अत उसका परिचय देना आवश्यक समझ उसे इस प्रकार प्रभुः किया गया है कि जो जिससे जन्य होता है और जिसके जिस काय का जनक होता है वह उसका उस काय की उत्पत्ति के लिए व्यापार होता है, जैसे काष वे साथ कुठार का सयोग—लकड़ी पर फरसे का प्रहार कुठार से जाय होने तथा कुठार के काय छेदन—लकड़ी के कटान का जनक होने से लकड़ी काने में कुठार का व्यापार होता है । सीधी सी चात है कि लकड़ी और फरसा के आमने सामने विद्यमान रहने पर भी जब तक लकड़ी पर फरसे का प्रहार नहीं होता तब तक लकड़ी नहीं करती किन्तु जब लकड़ी पर फरसे का प्रहार होता है तब लकड़ी अवश्य करती है अत ११४ है कि लकड़ी काने के लिये उसे फरसे से आहत करने की अनिवाय अपेक्षा है और इसालिये लकड़ी पर फरसे का प्रहार, जिसे कुठार सयोग कहा जाता है, लकड़ी काने में फरसे—कुठार का व्यापार माना जाता है । ठीक इसी प्रकार किसी रसु व निविकल्पक ज्ञान के लिये उस वस्तु के साथ इन्द्रियसनिकर्ष की प्रय उस वस्तु वे सविकल्पक ज्ञान के लिये उस वस्तु वे निर्विकल्पक ज्ञान की तथा उस वस्तु को देय उपान्य अथवा उपभणीय स्वप म अवगत करने के लिये उस वस्तु वे सविकल्पक ज्ञान की अनिवाय अपदा होने के कारण उस वस्तु व निर्विकल्पक ज्ञान म उस रसु व खाय इद्रिय का सविकर्ष एव उस रसु के सविकल्पक ज्ञान व लिए उस वस्तु का निविकल्पक ज्ञान इन्द्रियाथसनिकर्ष का तथा उस वस्तु के हेयत आदि नी उद्धिय लिय उस रसु का सविकल्पक ज्ञान उस वस्तु के निविकल्पक

इन्द्रियार्थयोस्तु यः सत्रिकर्पः साक्षात्कारिप्रमादेतुः स पद्विध एव । तथा संयोगः, संयुक्तसमवायः सयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेष्यविशेषणाभावश्चेति ।

शान का अवान्तर व्यापार होता है क्योंकि इन्द्रिय से जन्य इन्द्रियार्थसन्निकर्प इन्द्रिय के कार्य निर्विकल्प शान का, एवं इन्द्रियार्थसन्निकर्प से जन्य निर्विकल्प शान इन्द्रियार्थ-सन्निकर्प के कार्य सविकल्पक शान का और निर्विकल्पक शान से जन्य सविकल्पक शान निर्विकल्पक शान के कार्य हेतु आदि की बुद्धि का जनक होने से इन्द्रियार्थसन्निकर्प, निर्विकल्पक शान और सविकल्पक शान कप से इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसन्निकर्प और निर्विकल्पक शान के अवान्तर व्यापार के लक्षण से साझीत होते हैं ।

प्रत्यक्ष प्रमाण के विविध करण के प्रतिपादन की आलोचना करने हए एक तार्किक समुदाय का कथन यह है कि जैसे इन्द्रिय निर्विकल्पक शान का करण है । उसी प्रकार सविकल्पक शान का भी वही करण है । अन्तराल में होनेवाले जितने भी सन्निकर्प आदि हैं, वे सब अवान्तर व्यापार हैं । आशय यह है कि निर्विकल्पक शानरूप प्रमाण के जनन में केवल इन्द्रियार्थ सन्निकर्प ही इन्द्रिय का अनान्तर व्यापार है, सविकल्पक शानरूप प्रमाण के जनन में इन्द्रियार्थसन्निकर्प तथा निर्विकल्पक शान यह दो उसके अवान्तर व्यापार हैं और हान आदि की बुद्धि के जनन में इन्द्रियार्थसन्निकर्प, निर्विकल्पक शान और सविकल्पक शान यह तीन उसके अवान्तर व्यापार हैं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिविध न होकर केवल प्रत्यक्षिध ही है और वह है इन्द्रिय । यदि यह बात न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण के पूर्वोक्त तीन भेद माने जायगे तो सविकल्पक शान आदि में जो इन्द्रिय-जन्यत्व का अनुभव होता है, जिसे 'चक्रुपा घट पश्यामि' इत्यादि शब्दों से अभिहित किया जाता है, उसकी प्रामाणिकता समाप्त हो जायगी ।

इन्द्रियार्थसन्निकर्प के, जिसे इन्द्रिय के व्यापार रूप में साक्षात्कारिणी—प्रत्यक्ष प्रमाण का करण कहाया गया है, छ. भेद है—संयोग, सयुक्तसमवाय, सयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव ।

विशेषणविशेष्यभाव का अर्थ है विशेषणता और विशेष्यता, यह दोनों स्वरूप-सम्बन्धविशेष हैं, यदि प्रतियोगी के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तो वह विशेषणता शब्द से अभिहित होगा और यदि अनुयोगी के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तो वह विशेष्यता शब्द से अभिहित होगा । इसके कई भेद हैं जैसे समुन्नविशेषणता, सयुक्त-समवेतविशेषणता, सयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता, विशेषणता, समवेतविशेषणता, समवेत-समवेतविशेषणता, सयुक्तविशेषणविशेषणता आदि ।

तत्र यदा चक्षुषा घटचिपयं ज्ञानं जन्यत तदा चक्षुरानन्दयम्, घटाप्यः, अनयोः सञ्चिकप संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात् । एवम् मनसाऽन्तरेणेन्द्रियेण यदात्मचिपयक ज्ञानं जन्यतेऽहमिति तदा मन इन्द्रियम्, आत्मार्थैः, अनयोः सञ्चिकर्पः संयोग एव ।

कदा पुनः संयुक्तसमवायसञ्चिकर्पः ? यदा चक्षुरादिना घटगतस्तुपादिकं गृह्णते घटे श्यामं रूपमस्तीति, तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटरूपमर्थः, अनयोः सञ्चिकर्पः संयुक्तसमवाय एव, चक्षुः—संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । एवं मनसात्मसमवेते सुतादौ गृह्णमाणे अयमेव सञ्चिकर्पं ।

* घटगतपरिमाणादिग्रहे चतुष्प्रयसञ्चिकर्पोऽप्यचिर्क कारणमिष्यते । सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्यप्रहणात् । चतुष्प्रयसञ्चिकर्पो यथा—इन्द्रियावयवैरथ्यावयविनाम्, इन्द्रियावयविनामर्थावयवानाम्, इन्द्रियावयवैरथ्यावयवानाम्, अर्थावयविनामिन्द्रियावयविना सञ्चिकर्पं इति ।

जब चक्षु से घट का ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षु इन्द्रिय होता है, घट अर्थ होता है और उन दोनों का सञ्चिकर्प उनका परस्पर संयोग ही होता है क्योंकि वे दोनों अयुतसिद्ध-अपृथक् सिद्ध नहीं हैं किन्तु उन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर न होने से वे दोनों ही युतसिद्ध-पृथक् सिद्ध हैं, अत उनमें परस्पर संयोग होने में कोई वाचा नहीं है । इसी प्रकार मनरूप आन्तर इन्द्रिय से जब आत्मा का ज्ञान होता है जिसे ‘अहम्’ शब्द से व्यपदिष्ट किया जाता है, तब मन इन्द्रिय होता है, आत्मा अर्थ होता है, उन दोनों का सञ्चिकर्प भी संयोग ही होता है ।

संयुक्तसमवाय कब सञ्चिकर्प होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब चक्षु आदि से घट के रूप आदि गुण, कर्म और जाति का ज्ञान होता है जिसे ‘घटे श्याम रूपम् अस्ति—घटे मे श्याम रूप है, ‘घट कर्मते—घटा हिलता है, ‘घटो द्रव्यम्—घटा द्रव्यरूप जाति का आधय है’ इन उन्होंने से व्यवहृत किया जाता है, तब चक्षु इन्द्रिय होता है, घट में रहने वाला रूप आदि गुण, कर्म और जाति अर्थ होता है, संयुक्तसमवाय इन्द्रियार्थसञ्चिकर्प होता है । इसी प्रकार आत्मा में समवेत समवाय सम्बन्ध से रहने वाले सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, देप और प्रयत्न इन गुणों का तथा आत्मत्व, द्रव्यरूप और सत्ता इन जातियों का मन से प्रत्यक्ष होने में भी यही—संयुक्तसमवाय ही इन्द्रियार्थसञ्चिकर्प होता है क्योंकि मन-इन्द्रिय से संयुक्त आत्मा में सुख आदि गुणों का तथा आत्मत्व आदि जातियों का समवाय सम्बन्ध होता है ।

यद अभी बताया गया है कि घट में रहने वाले गुण, कर्म और जाति का प्रत्यक्ष चक्षु आदि इन्द्रिय के संयुक्तसमवाय सञ्चिकर्प से होता है पर इस सम्बन्ध में यह

यदा पुनश्चक्षुपा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्णते तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादिसामान्यमर्व, अनयोः सन्निकर्पं संयुक्तसमवेतसमवाय एव, यतश्चक्षु-संयुक्ते घटे रूप समवेत तत्र रूपत्वस्य समवायात् ।

ध्यान में रखना आवश्यक है कि घट के रूप का प्रत्यक्ष तो इस सन्निकर्प से हो जाता है, पर उसके अन्य गुणों का वैवल इसी एक सन्निकर्प से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, अपि तु परिमाण आदि कई गुणों के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवाय से अतिरिक्त चार अन्य सन्निकर्पों को भी कारण मानना पड़ता है क्योंकि घट के पारमाण आदि गुणों के साथ चक्षु का संयुक्तसमवाय सन्निकर्प होने पर भी दूर से उन गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता ।

आशय यह है कि बीच मे कोई व्यवधान होने पर चक्षु का सयोग पर्याप्त दूर तक के द्रव्य के साथ होने के कारण उस द्रव्य के गुणों के साथ उसका संयुक्तसमवाय सन्निकर्प सम्पन्न हो जाता है, पर उस सन्निकर्प से उसके गुणों म वैवल उसके रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, किन्तु यह सब प्रत्यक्ष नहीं हो पाता कि उसका परिमाण क्या है ? उसकी सख्ता क्या है ? अत परिमाण आदि के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवाय से अतिरिक्त अन्य चार सन्निकर्पों को कारण मानना आवश्यक है जिनके अभाव मे दूर से परिमाण आदि के प्रत्यक्षाभाव की उपरत्ति की जा सके ।

वे चार सन्निकर्प ये हैं— (१) इन्द्रिय के अवयवों के साथ अर्थ-अवयवी का सयोग (२) इन्द्रिय-अवयवी का अर्थ के अवयवों के साथ सयोग (३) इन्द्रिय के अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का सयोग (४) और अर्थ-अवयवी का इन्द्रिय-अवयवी के साथ सयोग । ये चार सयोग ग्राह्य द्रव्य के दूर रहने की दशा मे नहीं सम्पन्न हो पाते, अत दूररूप घट आदि द्रव्यों के परिमाण आदि गुणों का उनके साथ चक्षु का संयुक्तसमवाय सन्निकर्प होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता ।

जब चक्षु से घटके रूप में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले रूपत्व आदि जातियों का महण होता है तब चक्षु इन्द्रिय होता है, रूपत्व आदि जातियां अर्थ होती हैं, चक्षु का उन जातियों के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्प होता है क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवेत होता है और उस रूप में रूपत्व का समवाय सम्बन्ध होता है ।

समवाय सन्निकर्प कर होता है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शब्द शोत्र कान से शब्द का महण-भूषण होता है तब शोत्र इन्द्रिय होता है, शब्द अर्थ होता है और शब्द के साथ शोत्र का समवाय सन्निकर्प होता है क्योंकि कर्णशक्तुली से अवच्छिन्न अर्थात् कान के मध्यमाण म स्थित आकाश ही शोत्र कहा जाता है अतः शोत्र आकाशस्वरूप है और शब्द आकाश का गुण है एव गुण और गुणी के बीच समवाय सम्बन्ध होता है,

कदा पुनः समवाय सन्निकर्पः ? यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्णते तदा श्रोत्रमिन्द्रिय, शब्दोऽथ, अनयोः सन्निकर्प समवाय एव । कर्णशक्तुस्यवच्छन्वं नभ श्रोत्रम् । श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाकाशगुणत्वाद् गुणगुणिनोश्च समवायात् ।

कदा पुनः समवेतसमवाय सन्निकर्पः ? यदा शब्दसमवेत शब्दत्वादिमामन्य श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्णते तदा आत्रमिन्द्रिय शब्दत्वादिसामान्यमर्थ । अनयोः सन्निकर्प समवेतसमवाय एव, श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् ।

कदा पुनर्धिशपणविशेष्यमाव इन्द्रियार्थसन्निकर्पो भवति ? यदा चक्षुपा संयुक्ते मूलते घटाभावो गृह्णते 'इह भूतले घटो नास्ति' इति, तदा विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध । तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाभावो विशेषण, इस लिये श्रोत्रहृषि आकाशात्मक गुणों के साथ उसके गुण शब्द का समवाय ही सन्निकर्प बन सकता है, अत स्पष्ट है कि श्रोत्र से शब्द के प्रत्यक्ष में शब्द के साथ श्रोत्र का समवायरूप सन्निकर्प कारण है, यह सन्निकर्प उसी शब्द के साथ उत्पन्न होता है जो दूर पर उत्पन्न हुये शब्द की धारा द्वारा श्रोत्रात्मक आकाश में उत्पन्न होता है ।

समवेतसमवाय सन्निकर्प कब होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब शब्द म समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली शब्दत्व आदि जातियों का श्रोत्र से प्रत्यक्ष होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय होता है, शब्दत्व आदि जातियों अर्थ होती है और जातियों के साथ श्रोत्र का समवेतसमवाय सन्निकर्प होता है क्योंकि श्रोत्र में समवेत होता है शब्द और उसम समवेत होता है शब्दत्व, अत शब्दत्व के साथ श्रोत्र के समवेतसमवाय सम्बन्ध वे होने में कोई बाधा नहीं होती ।

विशेषणविशेष्यमाव कब इन्द्रियार्थसन्निकर्प होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब चक्षु से संयुक्त भूतल में घट के अभाव का प्रत्यक्ष होता है जिसे 'इह भूतले घटो नास्ति—इह भूभाग म घटा नहीं है' इस शब्द संवर्हत किया जाता है तब घटाभावरूप अप के साथ चक्षु इन्द्रिय का विशेषणविशेष्यमाव अर्थात् चक्षु संयुक्तविशेषणता वा चक्षु संयुक्तविशेष्यतारूप सन्निकर्प होता है क्योंकि घटाभाव चक्षु से संयुक्त भूतल का विशेषण होता है और भूतल उस विशेषण का विशेष होता है । आराय यह है कि जिस भूतल में घट नहीं होता उस भूतल का घटाभाव संयुक्त अन्य भूतल से विशिष्ट-विलक्षण बना देता है जिससे वह भूतल घटाभाववद भूतल कहा जाने लगता है, इस प्रकार घटाभ्य भूतल का घटाभुक्त भूतल से विशेषक-व्यवच्छेदक होने के

भूतल विशेष्यम् । यदा च मनःसयुक्त आत्मनि सुखाद्यभावो गृह्णते 'अहं सुखरहितः' इति तदा मन सयुक्तस्यात्मन सुखाद्यभावो विशेषणम् । यदा श्रोत्र-समवेते गकारे घत्वाभावो गृह्णते तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावो विशेषणम् ।

कारण धगभाव भूतल का विशेषण और भूतल उसका विशेष्य-यज्ञबद्धेत्य कहा जाता है। यत् यह सर्वसम्मत तथ्य है कि इस प्रकार का विशेषणविशेष्यभाव 'उन्हीं पदार्थों में होता है जिनमें परस्पर कोई न कोई सम्बन्ध होता है, अत भूतल के साथ धगभाव का कोई न कोई सम्बन्ध आवश्यक है, वह सम्बन्ध सयोग नहीं हो सकता क्योंकि सयोग दो द्रव्यों में ही होता है, इन दोनों में एक ही अर्थात् भूतल ही द्रव्य है, धगभाव द्रव्य नहीं है अत इन दोनों में सयोग असम्भव है। समवाय सम्बन्ध भी इन दोनों के बीच सम्भव नहीं है क्योंकि वह सम्बन्ध दो भावात्मक पदार्थों में ही प्रभाणिद्ध है, कालिक और दैशिक सम्बन्ध भी इन दोनों के बीच नहीं माने जा सकते क्योंकि भूतल जैसे ज्ञाय मूल द्रव्यों के काल और अद्वैत की उपाधि होने से उनके साथ धगभाव का उक्त सम्बन्ध होनेपर भी ज्ञाया जादि नित्य पदार्थ जो काल, अद्वैत अथवा उनके उपाधि नहीं हैं, उनमें उक्त सम्बन्ध सम्भव न होने से उनके साथ अभाव का सम्बन्ध न हो सकेगा, अत अभाव के लिये कोई ऐसा ही सम्बन्ध मानना चाहिये जो अभाव के सभी विशेष्यों में रह सके, विचार करने पर ऐसे किसी अतिरिक्त सम्बन्ध के प्राप्त न होने से धगभाव और भूतल के स्वरूप को ही उन दोनों के बीच सम्बन्ध मानना होगा, इस प्रकार यदि अभावात्मक विशेषण के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तब उसे विशेषणता शब्द से व्यबहृत किया जायगा और यदि भूतल आदि विशेष्य के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तब उसे विशेष्यता शब्द से व्यबहृत किया जायगा, इसी जाति को संवेतित करने के लिये भूतल के साप धगभाव के सम्बन्ध को विशेषणविशेष्यभाव शब्द से अभिहित किया गया है। इस स्पष्टीकरण को सावधानी के साथ ध्यान में रखना आवश्यक है निःसे यह भ्रम न हो कि विशेषणविशेष्यभाव शब्द से विषयतात्मक विशेषणता और विशेष्यता विवक्षित है, क्योंकि यदि विषयता को उक्त शब्द से विवक्षित माना जायगा तब भूतल में धगभाव का प्रत्यक्ष होने के पूर्ण भूतल में विषयतात्मक विशेषणता और धगभाव में विषयतात्मक विशेषणता न हो सकने से भूतलनिष्ठ पठाभाव के साथ चढ़ु का सयुक्तविशेषणविशेष्यभाव सनिकप न हो सकने से भूतल में धगभाव का प्रत्यक्ष ही न हो सकेगा।

इसी प्रकार जब मन से सयुक्त ज्ञात्मा में सुखादि गुणों के अभाव का प्रत्यक्ष होता है जिसे 'अहं सुखरहित —मैं सुखहीन हूँ' ऐसे शब्दों से व्यबहृत किया जाता है तब

तदेवं संक्षेपतः पश्चिमसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशेष्यभाव-
लक्षणेनिद्र्यार्थसन्निकर्त्त्वेण अभाव इन्द्रियेण गृह्णते ।

“एवं समवायोऽपि । चक्षुःसम्बद्धस्य तन्तोर्विशेषणमूतः पटसमवायो गृह्णते
‘इह तन्तुषु पटसमवाय’ इति । तदेवं पोढा सन्निकर्त्त्वे वर्णितः । सप्रहश्च—

अक्षजा प्रसिद्धेन्द्रिया सविकल्पाऽधिकस्तिपका ।

करणं त्रिविधं तस्याः सन्निकर्त्त्वे पद्धतिः ॥

घट-तन्नील-नीलत्व-शब्द-शब्दत्व-जातयः ।

अभाव-समवायी च प्राण्याः सम्बन्धपट्कतः ॥

भी मन से सुनुक्त आत्मा म सुखाभाव के विशेषण होने स विशेषणविशेष्यभाव—मन सुनुक्त विशेषणता सन्निकर्त्त्वे होता है, और जब श्रोत्रसमवत् ‘ग’ वर्ण में घट्के के अभाव का प्रत्यक्ष होता है उस उमड़ भी विशेषणविशेष्यभाव अर्थात् श्रोत्रसमवेत्तविशेषणता सन्निकर्त्त्वे होता है ।

विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्त्त्वे के सम्बन्ध में सन्देप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सयोग, सुनुक्तसमवाय, सुनुक्तसमवेत्तसमवाय, समवाय और समवेत्तसमवाय इन पाच सन्निकर्त्त्वों म किसी एक से सम्बद्ध पदार्थ के विशेषणविशेष्यभावरूप सन्निकर्त्त्वे के द्वारा इन्द्रिय से अभाव का प्रत्यक्ष होता है । उदाहरणार्थ चक्षु से भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष चक्षु सुनुक्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्त्त्वे से होता है क्योंकि चक्षु से सयोग सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है भूतल और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है भूतलरूप घटाभाव के साथ । एव घटरूप में घटाभाव का प्रत्यक्ष चक्षु सुनुक्तसमवेत्तविशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्त्त्वे से होता है क्योंकि चक्षु से सुनुक्तसमवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है घटरूप और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है घटरूपरूप घटाभाव के साथ । इसी प्रकार घटरूपरूप रूपरूप म घटाभाव का प्रत्यक्ष चक्षु-सुनुक्तसमवेत्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्त्त्वे से होता है क्योंकि चक्षु स सुनुक्तसमवेत्तसमवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है घटरूप भरहन वाला रूपरूप और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है रूपरूपगत घटाभाव के साथ । ‘क’ म ‘खत्व’ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है श्रोत्रसमवेत्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्त्त्वे स, क्योंकि समवाय सम्बन्ध स थोड़े से सम्बद्ध होता है श्रोत्र म उत्त्वन ‘क’ और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है ‘क’ म रहनेवाला खत्वाभाव के साथ । खत्व म रहत्वाभाव का प्रत्यक्ष होता है श्रोत्रसमवेत्तसमवेत्तविशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से क्योंकि समवेत्तसमवाय सम्बन्ध से भोध के

सम्बद्ध होता है कल्प और उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है कल्प में रहनेवाले खलाभाव के साथ।

इस सन्दर्भ में सयोग आदि पाच सम्बन्धों का जो उल्लेख किया गया है उसे विशेषणविशेष्यभाव रूप छुटें सम्बन्ध का भी सूचक समझना चाहिये क्योंकि भूतलस्थ घटाभाव में भी पदाभाव का प्रत्यक्ष होता है पर भूतलस्थ घटाभाव सयोग आदि उक्त पाच सम्बन्धों में से किसी सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध नहीं होता है, अपितु सयुक्त-विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है अतः भूतलस्थ घटाभाव में पदाभाव का प्रत्यक्ष चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से होता है क्योंकि चक्षु से सयुक्त होता है भूतल उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है घटाभाव के साथ और घटाभाव का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है घटाभावस्थ घटाभाव के साथ।

इसी प्रकार समवाय भी विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्पे द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, जैसे तनुओं में पट के समवाय का प्रत्यक्ष, जिसे 'इह तनुषु पटसमवायः—इन तनुओं में पट का समवाय है' इस शब्द से अभिहित किया जाता है, चक्षुःसंयुक्तविशेषण-विशेष्यभाव सन्निकर्पे से होता है क्योंकि चक्षु से सयुक्त होता है इस तनु और उसमें विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध ने पटसमवाय के विद्यमान होने से उसके साथ तनु का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है।

समवाय के विषय में यह भ्यातव्य है कि उसका प्रत्यक्ष सयोग आदि उक्त छ. सम्बन्धों में सयोग, सयुक्तसमवाय और समवाय इन तीन सम्बन्धों ही में से किसी एक सम्बन्ध से सम्बद्ध पदार्थ के विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्पे से होता है क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म में ही समवाय का आवास होता है और उनमें द्रव्य सयोग सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध होता है तथा शब्द से अन्य सारे गुण एवं कर्म सयुक्तसमवाय सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध होते हैं और शब्द समवाय सम्बन्ध से ओवर इन्द्रिय से सम्बद्ध होता है। इस प्रकार छ. प्रकार के सन्निकर्पों का वर्णन किया गया।

प्रत्येक प्रमा के विषय में अब तक कही गई सब वातों को सज्जेत में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

इन्द्रिय जन्य प्रमा के दो मेद हैं—निर्विकल्पक और सविकल्पक। प्रत्यक्षप्रमा के करण तीन प्रकार के हैं—इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसन्निकर्प और निर्विकल्पक ज्ञान। प्रत्यक्षप्रमा के उत्तराद्ध सन्निकर्प छः प्रकार के हैं—सयोग, सयुक्तसमवाय, सयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव उनमें सयोग से पट आदि द्रव्य का, सयुक्तसमवाय से नील आदि गुणों का, सयुक्तसमवेतसमवाय से नीलत्व आदि जातियों

का, समवाय से शब्द का, सप्तवेतुष्प्रवाय से शब्दस्व आदि आतियों का और विशेषण-विशेष्यभाव से अभाव एव समवाय का प्रत्यक्ष होता है।

सन्निकर्प के लौकिक अलौकिक भेद—

अभी इद्विद्याथ सञ्जिक ५ के जो छु मेद चतावे गये हैं वे सब लौकिक साक्षण हैं, अर्थात् वे ऐसे सन्निकर्प हैं जो लोक म सबसाधारण जनों को बुद्धिगम्य हैं, जिन्हें सामाय जन सम्बन्ध के रूप में सरलता से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उक्त सञ्जिकम् इद्विद्य के समुख अपेक्षाकृत समीपत्वी स्थान म उपस्थित द्रव्य और तदगत रुण आदि के ही साथ होते हैं, पर इद्विद्य के कुछ साक्षण ऐसे अर्थों के साथ भी आवश्यकता वश मानने पड़ते हैं जो इद्विद्य के समुख एव समीपन होकर विरुद्ध दिशा म तथा बहुत दूर होते हैं, ऐसे अर्थों क साथ भी इद्विद्य का साक्षण मानना होता है जो सन्निकरपसापेक्ष इद्विद्य के समय अपना अस्तित्व ही नहीं रखते, इसके अतिरिक्त ऐसे अथ और इद्विद्य क बीच भी सञ्जनकर की अपद्वा होती है जिनम लोकगम्य ग्राल्म प्राहकभाव स्वभावत सम्भाव्य हा नहीं होता, इस प्रकार के जितने भी सा नकर होते हैं व लोक म सबजनगम्य न होने तथा अप्राप्तिद्वा होने स अलौकिक सा नकर कहे जाते हैं। लौकिक सन्निकरप से उत्पन्न होने वाल प्रत्यक्ष लौक और अलौकिक सञ्जनकर से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष अलौकिक कहे जाते हैं।

अलौकिक सन्निकर्प—

द्विस अला इक सन्निकरप की सृष्टि नवा अभी की गद है, उसम तीन भेद है— सामान्यलक्षण, शानलक्षण और योगज। सन्निकरप को प्रत्यासूचि शब्द से व्यवहृत किया जाता है, अत ये तानो सा-नकर सामान्यलक्षण प्रयाखाच, शानलक्षण प्रत्यासूचि और योगजप्रत्यासूचि शब्द स भा व्यपदृष्ट होत है। भावाशरच्छद् कारकावती में विश्वनाथ न व्या ए रुद्र स उल्लेख कर इह इस प्रकार प्रदर्शित किया है—

अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिवध परिवीर्जित ।

सामान्यलक्षणो शानलक्षणो योगजस्तथा ॥ (प्रत्यक्षगण्ड, ६३)

सामान्यलक्षण सन्निकरप—

।

सामान्यलक्षण म लक्षण शब्द का स्वरूप और जान अर्थ लन से सामान्यलक्षण से दो प्रकार य सामान्यलक्षण सञ्जनकर का बाय होता है—सामान्यवहन और सामान्यदान ।

सामान्य बा अथ है—सामान्यवहन अनेक आधियो म रात होन वाला भूमि। अत कोइ भी परम, चाह उत्तरा वास्तव आधिय एक हा हो वा अनेक, यदि अनेक

आध्र्यों में अवगत होता है तो वह सामान्य शब्द से ध्यवद्वत् होने लगता है, इस लिए कोई एक रूप आदि व्यक्ति भी जो बसुतः किसी एक ही द्रव्य में आश्रित होता है, वह भी अमोत्पादकदोष-वश यदि अन्य द्रव्यों में भी जात हो जाता है तो एक व्यक्ति मात्र में रहने वाला वह रूप आदि व्यक्ति भी इस सन्दर्भ में सामान्य कहा जाता है।

कोई सामान्य अथवा उसका ज्ञान उस समय इन्द्रिय का सन्निकर्प बनता है जब किसी आश्रय में इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्प से उसका ज्ञान होता है, जैसे जब किसी एक धूम के साथ चक्रु का संयोग होने पर उस धूम में धूमत्व का लौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है तब उस समय धूमत्व अथवा धूमत्वज्ञान समस्त धूमों के साथ चक्रु का सन्निकर्प बन जाता है क्योंकि धूमत्व समवाय सम्बन्ध से तथा धूमत्वज्ञान स्वविषयभूत-धूमत्वसमवाय सम्बन्ध से समस्त धूमों में विद्यमान होता है। प्रत्येक सम्बन्ध के लिए प्रतियोगी और अनुयोगी का होता है अतः इस सामान्य अथवा सामान्यज्ञानरूप सम्बन्ध का भी कोई प्रतियोगी तथा कोई अनुयोगी अवश्य होना चाहिये, तो फिर इस सम्बन्ध का प्रतियोगी तथा अनुयोगी क्या है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उत्तर यह है कि चाहे सामान्य को सम्बन्ध माना जाय और चाहे सामान्यज्ञान को सम्बन्ध माना जाय, दोनों का ही प्रतियोगी होगा इन्द्रिय और अनुयोगी होगा सामान्य का आश्रय, क्योंकि यह नियम है कि जिस सम्बन्ध के द्वारा जिससे किसी पदार्थ को सम्बद्ध किया जाता है वह उस सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है और जिससे सम्बद्ध किया जाता है वह अनुयोगी होता है, सामान्य अथवा सामान्यज्ञानरूप सम्बन्ध के द्वारा सामान्य का आश्रय का इन्द्रिय से सम्बद्ध करना है अतः इन्द्रिय इस सम्बन्ध का प्रतियोगी तथा सामान्य का आश्रय इस सम्बन्ध का अनुयोगी होगा।

प्रत्येक सम्बन्ध की प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध की अपेक्षा होती है क्योंकि ऐसा न मानने पर सम्बन्ध का कोई नियत पदार्थ ही प्रतियोगी और कोई नियत पदार्थ ही अनुयोगी न हो सकेगा, तो फिर इस सम्बन्ध की प्रतियोगिता और अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध क्या होंगे? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, उत्तर यह है कि सामान्य को सन्निकर्प मानने पर उसकी प्रतियोगिता का नियामक सम्बन्ध होगा स्वविषयकज्ञानविषयसंयोग, जैसे है धूमत्वसामान्य, स्वविषयक ज्ञान है इन्द्रियसन्निकर्प धूम या वाष्प में धूमत्व का ज्ञान, उसका विषय है धूम या वाष्प, उसका संयोग है इन्द्रिय में, अतः इन्द्रिय धूमत्वस्वरूप सामान्य सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है। इसी प्रकार जो सामान्य जिस सम्बन्ध से आश्रित होता है वह उसकी अनुयोगिता का नियामक होता है, जैसे धूमत्व को सन्निकर्प मानने पर उसकी अनुयोगिता का नियामक

समवाय होता है। और यदि सामान्यज्ञान को सन्निकर्ष माना जायगा तो उसकी प्रतियोगिता का नियामक होगा स्वविषयसंयोग, जैसे धूमत्वज्ञान को सन्निकर्ष मानने पर स्व है धूम या वाष्प में धूमत्व का ज्ञान, उसका विषय है धूम या वाष्प उसका संयोग है इन्द्रिय में अतः इन्द्रिय उसका प्रतियोगी होता है, उक्त उन्निकर्ष की अनुयोगिता का नियामक सम्बन्ध होगा स्वविषयसामान्याक्षरता, जैसे स्व है धूमत्वज्ञान, उसका विषयभूत सामान्य है धूमत्व, उसकी आश्रयता है धूम में, अतः धूम धूमत्वज्ञानात्मक सन्निकर्ष का अनुयोगी होता है।

इस प्रश्न में यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्यज्ञान जब मन का सन्निकर्ष माना जायगा तब उसकी प्रतियोगिता का नियामक उक्त सम्बन्ध न होगा किन्तु तब उसकी प्रतियोगिता का नियामक स्वाधयसंयोग होगा, जैसे धूमत्वज्ञान को मन का सन्निकर्ष मानने पर स्व है धूमत्वज्ञान, उसका आश्रय है आत्मा, उसका संयोग है मन में, अतः मन उसका प्रतियोगी है।

सामान्यज्ञान को सन्निकर्ष माननेवाले तार्किकों में मतभेद है, कुछ लोग सामान्यप्रकारक ज्ञान को तथा कुछ लोग सामान्यविषयक ज्ञान को सामान्यलक्षण सन्निकर्षप्रमाणते हैं, पहला मत प्राचीन मत अथवा साम्प्रदायिक मन कहा जाता है। पहले मत के अनुसार यह सन्निकर्ष तभी सम्भव होगा जब किसी पदार्थ में सामान्य का प्रकारविवर्या ज्ञान होगा, किन्तु दूसरे मत के अनुसार केवल सामान्यप्रकारक ज्ञान ही सन्निकर्ष न होगा अपि तु उसके समान ही सामान्यविषयक निविकल्पक, सामान्यविशेष्यक एवं सामान्यसमर्गक ज्ञान भी सन्निकर्ष होगा।

उक्ते में निष्कर्ष यह है कि मतभेद से सामान्यलक्षण सन्निकर्ष के चार स्वरूप मान्य है—सामान्य, इन्द्रियजन्य सामान्यप्रकारक ज्ञान, सामान्यप्रकारक ज्ञान तथा सामान्यविषयक ज्ञान। सामान्य को सन्निकर्ष मानने में यह त्रुटि होती है कि जब किसी अनियन्त्रित सामान्य की अविद्यमानता में उसका भ्रम होने पर उसके बास्तव आवृत्ति का अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा तो उसकी उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि उसका कारण अनियन्त्रित सामान्यरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्ष उस समय विद्यमान न हो सकेगा। इन्द्रियतया सामान्यज्ञान को सन्निकर्ष मानने में त्रुटि यह है कि इन्द्रिय के भेद से उस सन्निकर्ष का भेद होने से गौरव होगा। सामान्यप्रकारक ज्ञान को सन्निकर्ष मानने में यह त्रुटि है कि सामान्यविशेष्यक ज्ञान के अनन्तर अनुभव में आने वाले सामान्याभ्य के अलौकिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति न हो सकेगी। इन्हीं उच्च त्रुटियों को दृष्टिगत कर नवीन नेयादियों ने सामान्यविषयक ज्ञान को सामान्यलक्षण सन्निकर्ष मानकर इस प्रकार का कार्यकारणभाव स्वीकार किया है कि—

स्वप्रकारीभूतसत्त्वामान्याश्रयनिष्ठविषयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति स्वविषयी-भूतवत्त्वशामान्याश्रयनिष्ठविषयता उम्बन्ध से शान कारण होता है इसके अनुषार धूमत्व के शान से समस्त धूम को विषय करने वाले धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि धूमत्वशानरूप कारण स्वविषयीभूतसामान्याश्रयनिष्ठविषयता सम्बन्ध से समस्त धूम में रहता है, जैसे स्व है धूमत्वशान, उसका विषयभूत सामान्य है धूमत्व, उसका आश्रय है समस्तधूम, तनिष्ठ विषयता है ईश्वरशानीय धूमनिष्ठ विषयता, वह समस्त धूम में रहती है, अतः उक्तसम्बन्ध से धूमत्वज्ञान के समस्त धूम में विद्यमान होने से उनमें स्वप्रकारीभूतसामान्याश्रयनिष्ठविषयता सम्बन्ध से धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का जन्म-सबैथा सुषगत है, क्योंकि समस्त धूम में धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का उक्त सम्बन्ध अनुूण है, जैसे स्व है धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष, उसमें प्रकारभूत सामान्य है धूमत्व, उसका आश्रय है समस्त धूम, तनिष्ठ विषयता है उत्पन्न होने वाले धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष की विषयता, वह विषयता है समस्तधूम में, अतः उक्तविषयता सम्बन्ध से समस्त धूम में धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का जन्म न्याय है।

प्रत्युत कार्यकारणभाव के सम्बन्ध में इस प्रकार का एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे कारणभूत धूमत्वज्ञान के समस्त धूमविषयक न होने पर भी स्वविषयी-भूतसामान्याश्रयनिष्ठविषयता शब्द में ईश्वरशानीयविषयता को लेकर उक्त सम्बन्ध से धूमत्वज्ञान का अस्तित्व सप्तस्त धूम में हो जाता है उसी प्रकार कार्यभूत धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष भी ईश्वरशानीय विषयता को लेकर स्वप्रकारीभूतसामान्याश्रयनिष्ठ विषयता सम्बन्ध से उत्पन्न हो सकता है, तो फिर इस कार्यकारणभाव के आधार पर सामान्य-लक्षण सत्त्विकपूर्ण द्वारा समस्तधूम को विषय करनेवाले धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का उदय कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ईश्वरशान यतः कार्यमात्र का कारण होता है अतः उसकी विषयता कारणतावच्छेदक सम्बन्ध तो बन सकती है परं ईश्वरशान के अकार्य होने के कारण उसकी विषयता कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध नहीं बन सकती। इसलिये कार्यभूत धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष को समस्त धूम का ग्राहक मानना आवश्यक है।

सामान्यशान के सत्त्विकपूर्णवद्वाह में यह एक शार्त धूम में अवश्य रखी जानी चाहिये कि चाहा इन्द्रिय से सामान्यशान द्वारा सामान्य के समस्त आश्रयों को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष का जन्म उसी स्थिति में होगा जब सामान्य के किसी एक आश्रय के शास्त्रेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले लोकिक प्रत्यक्ष की सामग्री उपस्थित रहेगी, और जब इस प्रकार की कोई सामग्री न रहेगी उस दशा में सामान्य के समस्त आश्रय का चाहा प्रत्यक्ष न होकर केवल भानस प्रत्यक्ष ही उत्पन्न होगा।

सामान्यलक्षण सन्निकर्प क्यों ?

प्रश्न होता है कि जब अन्य देशस्थ तथा अन्यकालस्थ समस्त धूमों के प्रत्यक्ष होने का अनुभव लोक को नहीं होता तब उन सभी को इन्द्रिय सन्निकृष्ट बनाने की कोई आवश्यकता न होने से ज्ञायमान सामान्य अथवा सामान्यज्ञान को सन्निकर्प भानने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर म यह कहा जा सकता है कि यदि सामान्यलक्षण सन्निकर्प को स्वीकार न किया जायगा तो कई अनुपस्थितियां होगी, जैसे पर्वत में धूम को देखने पर दूर से पर्वतस्थ अग्नि का जो अनुमान होता है वह उक्त सन्निकर्प के अभाव में न हो सकता क्यों कि उक्त अनुमान के लिये पर्वत म अग्निव्याप्ति से विशिष्ट धूम के शानरूप परामर्श का होना आवश्यक है, और उसके लिये पर्वतस्थ धूम म पर्वतस्थ अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान अपेक्षित है जो पर्वतस्थ अग्नि और धूम के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प न होने से सम्भव नहीं है, और जब सामान्यलक्षण सन्निकर्प भाना जायगा तब पाकशाला, यज्ञशाला आदि स्थानों म अग्नि और धूम के साहचर्य-सह अवस्थान का प्रत्यक्ष होने पर अग्निस्थ तथा धूमस्थरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्प सावधानिक और सावकालिक अग्नि और धूम के इन्द्रिय सन्निकृष्ट हो जाने से समस्त धूमों म समस्त अग्नि के साहचर्य का अलोकिक प्रत्यक्ष सम्भव होने से समस्त धूम म समस्त अग्नि की व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हो जायगा और उसके आधार पर कालान्तर म पर्वतस्थ धूम के दृष्टिगोचर होन पर उक्त रीति से उसम पर्वतस्थ अग्नि की पूर्वानभूत व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हो जायगा और उसके ज्ञान स पर्वत म अग्निव्याप्ति से विशिष्ट धूम के शानरूप परामर्श का उदय हो सकने से पर्वत म अग्नि का अनुमान होने में कोइ लाधा न होगी ।

उक्त सन्निकर्प के अभाव म एक अन्य कारण स भी पर्वत म अग्नि का अनुमान न हो सकता, वह कारण है अनुमान म पर्वत के विशेषण रूप में भासित होनेवाले पर्वतस्थ अग्नि वे ज्ञान का अभाव । आशय यह है कि पर्वत में अग्नि का जो अनुमान होगा उसम पर्वतस्थ अग्नि विशेषण होगा, इसलिये वह अनुमान अग्निविशिष्टद्विरूप होगा अत विशिष्टद्विरूप म विशेषणज्ञान के कारण होने स उस अनुमान के लिये पूर्व म पर्वतस्थ अग्निस्थरूप विशेषण का ज्ञान अपेक्षणीय होगा जो सामान्यलक्षण सन्निकर्प को स्वीकार न करने पर पर्वतस्थ अग्नि के इन्द्रियसन्निकृष्ट न होन से सम्भव नहीं है ।

इसी प्रकार एक दो स्थानों म धूम म अग्नि का साहचर्य देखने पर इस प्रकार का सन्देह होता है कि 'धूम अग्निव्याप्ति न का' अर्थात् प्रायः इन्द्रियस्थ धूम के समान ही भेदा उत्तर पर धूम अग्नि स व्याप्ति है अथवा कोइ धूम अग्नि का व्यभिचारी

भी है। सामान्यलक्षण सन्निकर्प के अभाव में इस सन्देह का उदय न हो सकेगा, क्योंकि जो धूम सन्निहित है उसमें अग्नि की व्याप्ति व्यभिचाराभाव प्रत्यक्ष निर्णीत है अतः उसमें अग्नि के व्यभिचार का सन्देह नहीं हो सकता और जो धूम असन्निहित है उसके शान का कोई उपाय न होने से वह अशात है अतः उसमें भी उक्त सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि सन्देह में धर्मिशान कारण होता है। किन्तु जब सामान्य लक्षण सन्निकर्प माना जायगा तब यह सकट नहीं होगा क्योंकि किसी धूम का लौकिक प्रत्यक्ष होने पर धूमत्व या धूमस्तवशानरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्प से समस्त धूमों का अलौकिक प्रत्यक्ष हो जायगा, फलतः कोई धूम अशात नहीं रहेगा। अतः जो धूम असन्निहित है किन्तु सामान्यलक्षणसन्निकर्प द्वारा शात है उसमें अग्नि की व्याप्ति वा व्यभिचार का निर्णय न रहने से उसमें अग्निव्यभिचार का सन्देह होने में कोई वाधा न होगी।

सामान्यलक्षण सन्निकर्प न मानने पर तम का प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि जो जो तेज अपने का तथा अन्य को प्रकाशित करने हैं उन तेजों के अभावों का समुदाय अथवा उन सभी तेजों का सामान्याभाव ही तम कहा जाता है अतः उसका प्रत्यक्ष तभी होगा जब उसके प्रतियोगी भूत समस्त तेजों का शान हो क्योंकि अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी का शान कारण होता है, और सामान्यलक्षण सन्निकर्प के अभाव में समस्त तेजों के शान का कोई उपाय नहीं है। परं यदि सामान्यलक्षण सन्निकर्प माना जायगा तो किसी एक तेजका लौकिक प्रत्यक्ष होने पर तजट्टव वा तेजस्तवशानरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्प से समस्त तेजों का शान सम्भव होने में तेज के अभावरूप दम्प के प्रत्यक्ष में कोई वाधा न होगी।

सामान्यलक्षण सन्निकर्प न मानने पर प्रागभाव का प्रत्यक्ष न हो सकगा, क्योंकि प्रागभाव वा प्रतियोगी अनुत्पन्न पदार्थ ही होता है अतः उसके प्रत्यक्ष में प्रतियोगी के रूप में अनुत्पन्न पदार्थ का ही भाव मानना पड़ेगा और यह तभी सम्भव होगा जब उसके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प हो और अनुत्पन्न पदार्थ के साथ लौकिक सन्निकर्प हो नहीं सकता अतः शानलक्षण अलौकिक सन्निकर्प ही मानना होगा, किन्तु सामान्यलक्षण सन्निकर्प के अभाव में वह भी सम्भव न होगा। परं जब सामान्यलक्षण सन्निकर्प माना जायगा तब किसी एक घट का लौकिक प्रत्यक्ष होने पर घटस्तव वा घटस्तवशानरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्प से अनुत्पन्न घट का भी शान हो जायगा और फिर उस शानलक्षण सन्निकर्प से प्रागभाव के प्रत्यक्ष में उसका भाव होने में कोई वाधा न होगी।

सामान्यलक्षण सन्निकर्प के अभाव में सुख की इच्छा न हो सकेगी क्योंकि इच्छा उसी वस्तु की होती है जो शात और अप्राप्त होती है, किन्तु सुख शात और अप्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वही सुख अप्राप्त होगा जो अनुत्पन्न हो, और जा अनुत्पन्न होगा।

-वह सामान्यलक्षण के अभाव में किसी भी अन्य प्रकार से ज्ञात न हो सकेगा, किन्तु जब सामान्यलक्षण सन्निकर्ष माना जायगा तब किसी एक सुख का लौकिक प्रत्यक्ष होने पर सुखात्मक सामान्यलक्षण सन्निकर्ष से अनुत्पन्न अप्राप्त सुख का भी अलौकिक प्रत्यक्ष हो जायगा अतः उस ज्ञात अप्राप्त सुख की इच्छा होने में कोई बाधा न होगी।

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि दीधितिकार रघुनाथ शिरोमणि ने उक्त सभी प्रयोजनों का प्रकारान्तर से उपरादन कर सामान्यलक्षण सन्निकर्ष को अस्वीकृत कर दिया है।

इस विषय पर रघुनाथ और उनके गुरु पवधर मिश्र का मतभेद तथा शास्त्रार्थ सुप्रसिद्ध है। सामान्यलक्षण के विशद् रघुनाथ द्वारा उपस्थित किये गये तर्कों से जूते हुये मिश्र की यह क्रोधोक्ति न्यायजगत् में सर्वविदित है—

वक्तोजपानकृत् ज्ञान ? सरये जाग्रति रुद्रम् ।

सामान्यलक्षणा कथमादकस्मादपलघ्यते ॥

ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष—

जब कोई वस्तु ज्ञात होती है तब उस वस्तु के ज्ञान को उस वस्तु के साथ इन्द्रिय का ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष कहा जाता है, इस सन्निकर्ष के बल वस्तु किसी ऐसे ज्ञान का भी विषय बनती है जिसमें इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्ष से उसके भान की सम्भावना नहीं होती। जैसे घट का ज्ञान उत्थन होने पर वह ज्ञात घटके साथ मन का ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष होता है, और उस सन्निकर्ष से घटज्ञान के मानसप्रत्यक्ष में ज्ञान के विशेषणरूप में घट का भान होता है, यदि इस सन्निकर्ष को अस्वीकृत कर दिया जायगा तो ‘घट ज्ञानापि’ घटज्ञान के इस मानस प्रत्यक्ष में ज्ञान के विशेषणरूप में घट का भान के सम्भव होगा ! क्योंकि प्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्निकृष्ट वस्तु का ही भान होता है और घट के साथ घन का लौकिक सन्निकर्ष नहीं होता।

इसी प्रकार उक्त सन्निकर्ष के अभाव में सीधी में रजतात्म और रससी में सर्वत्व आदि का भ्रम न हो सकेगा क्योंकि सीधी और रससी के साथ इन्द्रिय सयोग होने की दशा में रजतात्म और सर्वत्व के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष के सम्भव न होने से सीधी और रससी में रजतात्म और सर्वत्व का भ्रम न हो सकेगा, पर ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष माननेपर उक्त भ्रम के होने में कोई बाधा न होगी क्योंकि उक्त भ्रम में रजतात्म और सर्वत्व का प्रकारविविधा भान होने से उसके पूर्व में उन घर्मों का ज्ञान अवश्य मानना होगा, किंतु उस ज्ञानात्मक सन्निकर्ष के द्वारा भ्रम में उन घर्मों के भान होने में कोई बाधा न होगी।

चन्दन के सौरभ-सुगन्ध का अनुभव जिसे पहले कभी हुआ रहता है उसे चन्दन के समुख आनेपर नेत्र से ही 'चन्दन सुरभि—चन्दन सुगन्धयुक्त है, ऐसा प्रत्यक्ष होता है, इस प्रत्यक्ष में सौरभ का भान लौकिक सन्निकर्प से सम्भव नहीं है, क्योंकि नेत्र के लौकिक सन्निकर्प से गन्ध स्वभावतः अप्राप्य है, अतः उक्त प्रत्यक्ष में सौरभ के भान को उपपत्र करने के लिए शानलक्षण सन्निकर्प को स्वीकार करना आवश्यक है।

इस शानलक्षण सन्निकर्प का अनुयोगी वही होता है जो इस ज्ञान का विषय होता है अनः विषयता ही इस सन्निकर्प की अनुयोगिता का नियामक होती है, और इस सन्निकर्प का प्रतियोगी कभी मन होता है और कभी बाध्य इन्द्रिया होती है, मन में इस सन्निकर्प की प्रतियोगिता का नियामक है स्वाध्ययस्योग, जैसे स्व है घटज्ञान उसका आश्रय है आत्मा, उसका स्थोग है मन में। बाध्य इन्द्रिया भी इस सन्निकर्प का प्रतियोगी होती है उनमें इस सन्निकर्प की प्रतियोगिता का नियामक है स्वाध्ययस्युक्तस्योग, जैसे स्व है रजतत्वादिका ज्ञान, उसका आश्रय है आत्मा, उससे संयुक्त है मन और मन से संयुक्त है बाध्य इन्द्रिया।

सामान्यलक्षण और शानलक्षण का परस्पर भेद—

प्रश्न होता है कि सामान्य को सामान्यलक्षण सन्निकर्प मानने पर शानलक्षण से उसका भेद तो स्कृप्त है किन्तु सामान्यज्ञानको सामान्यलक्षण सन्निकर्प मानने पर उन दोनों में स्वरूपकृत भेद तो सम्भव नहीं है तो फिर उन दोनों में क्या भेद है? उत्तर स्पष्ट है और वह यह है कि सामान्यलक्षण का अनुयोगी होता है उसके विषयभूत सामान्य का आश्रयभूत पदार्थ और शानलक्षण का अनुयोगी होता है उसका विषयभूत पदार्थ। इसी तथ्य को विशद करते हुए विश्वनाथ ने अपने भाषणरिच्छेद में कहा है कि—

आसच्चिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिध्यते ।

विषयी यस्य तथ्यैव व्यापारो शानलक्षणः ॥

शानलक्षण अपने विषयभूत पदार्थ के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प होता है और सामान्यज्ञानात्मक सामान्यलक्षण सन्निकर्प अपने विषयभूत सामान्य के आश्रय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प होता है। जैसे घटत्व का ज्ञान शानलक्षण सन्निकर्प के रूप में उपरियत होने पर घटत्व के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प होता है और उस सन्निकर्प से घटत्व का ही प्रत्यक्ष होता है, और जब वही परदर्शक का ज्ञान सामान्यलक्षण सन्निकर्प का कार्य करने को प्रस्तुत होता है तब वह घटत्व के आश्रय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्प होता है और उस सन्निकर्प से समस्त घटों का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है।

योगज सन्धिकर्त्त्व—

पुराण आदि शास्त्रों में यह उल्लेख बार बार प्राप्त होता है कि योगियों की समीपस्थ, समुच्चेदस्थ, वर्तमान, स्थूल वस्तुओं के समान ही दूरस्थ, पृष्ठस्थ, भूत, भवित्वस्थ तथा परम सूक्ष्म वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रश्न उठता है कि यह प्रत्यक्ष उन्हें कैसे सम्भव हो पाता है ? क्यों कि इन्द्रियों की क्षमता सीमित है, वह तो, जिन वस्तुओं के साथ उक्त छु सन्धिकर्त्त्व में कोई सन्धिकर्त्त्व सम्भव होता है, वेवल उन्हीं वस्तुओं के प्रत्यक्ष को जन्म दे पाती है, तो फिर दूरस्थ, पृष्ठस्थ, भूत और भावी पदार्थ जिनमें इन्द्रिय के उक्त सन्धिकर्त्त्व कथमपि सम्भव नहीं हैं, योगी को उनका प्रत्यक्ष कैसे हो जाता है ?

इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये योगज सन्धिकर्त्त्व को मान्यता दी गई है। आशय यह है कि लम्बे समय तक लगातार योग का अभ्यास करने पर सावधक में एक विशेष प्रकार के सामर्थ्य का उदय हो जाता है जिसे न्याय शास्त्र में योगज धर्म शब्द से अभिहित किया गया है, यह सामर्थ्य ही—यह धर्म ही सर्वदेशस्थ और सर्वकालस्थ समस्त उस्तुओं के साथ इन्द्रिय का सन्धिकर्त्त्व बन जाता है, फलत, जिन वस्तुओं के साथ इन्द्रिय के उक्त छु लोकिक सन्धिकर्त्त्व, तथा सामान्यलक्षण और ज्ञानलक्षणरूप अलौकिक सन्धिकर्त्त्व नहीं होते उनके साथ भी योगी की इन्द्रिय का यह योगज—योगाभ्यासजन्य धर्मरूप सन्धिकर्त्त्व हो जाता है, अत किसी स्थान और किसी भी काल की कोई एक वस्तु भी ऐसी नहीं बचती जो योगी की इन्द्रिय से सन्धिकृष्ट न हो, इसलिये सभी वस्तु योगी को प्रत्यक्षगम्य हो जाती है, कोई वस्तु उसके लिये अप्रत्यक्ष नहीं रहूँ पाती।

मन होता है कि योगज धर्म तो योगी के आत्मा में समवेत होता है, आत्मभिन्न वस्तुओं में तो रहता नहीं, फिर यह समस्त उस्तुओं के साथ इन्द्रिय का सान्नकर्त्त्व कैसे बन जाता है ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि योगज धर्म समवाय समवाय में योगी ने आत्मा में ही रहता है, यह ठीक है, किन्तु स्वाध्ययसमानकालिकाव्य सम्बन्ध में यह सर्वदेशस्थ और सर्वकालस्थ सभी वस्तुओं में रहता है, जैसे स्वाध्ययसमानकालिकाव्य में सर का अर्थ है योगज धर्म, उसका आश्रय है योगी की आत्मा, उसका समानकालिक है नसार का सम्मूण पदार्थ, अत इस सम्बन्ध में योगज धर्म के सर्वसमूहामी होने से समस्त पदार्थ इस योगजधर्मात्मक सम्बन्ध के अनुयोगी हो सकते हैं, इसी प्रकार योगी की इन्द्रिया इस सम्बन्ध का प्रतियोगी भी बन सकती है क्योंकि योगी की वाय इन्द्रियों के साथ योगजधर्म का स्वाध्ययसमुन्नयोग सम्बन्ध होता है और योगी के आनंद इन्द्रिय मन के साथ स्वाध्ययसमुन्नयोग सम्बन्ध होता है, अत इन सम्बन्धों के द्वारा इन्द्रिय के योगजधर्मात्मक सम्बन्ध के प्रतियोगी होने में कोई वाया नहीं है। कल्पत उक्त

सम्बन्धों के द्वारा वस्तुगत और इन्द्रियगत होने से योगज धर्म के उन दोनों के बीच सम्बन्धिकर्प होने में कोई अवश्यक नहीं हो सकती।

विश्वनाथ ने भाषापरिच्छेद-कारिकावली में इस सम्बन्धिकर्प का परिचय देते हुये इसके दो भेद जताये हैं—युक्त योगज और युज्ञान योगज। जो साधक युक्त अर्थात् सर्वथा योगसिद्ध हो जुका होता है उसका योगजधर्म युक्तयोगज कहा जाता है, इस सम्बन्धिकर्प से सिद्ध योगी को सब वस्तुओं का सदैव प्रत्यक्ष होता रहता है और जो साधक योगभ्यास में लगा होता है, जिसकी साधना समाप्त नहीं हुई होती है उसका योगज धर्म युज्ञानयोगज कहा जाता है, इससे वस्तुओं का प्रत्यक्ष युज्ञान योगी को उसी समय होना है जब वह साधान हो चिन्तन की मुद्रा में अवस्थित होता है। यही ग्रन्थ कारिकार्ध में यक्ति की गई है—

युक्तस्य सर्वदा भान चिन्तासदकृतोऽपर ।

अलौकिक सम्बन्धिकर्प और तर्कभाषाकार—

इन प्रियिव अलौकिक सम्बन्धिकर्पों के विषय में दार्शनिकों के बीच बहा मतभेद है, वेदान्त आदि दर्शनों में इन सम्बन्धिकर्पों को कोई मान्यता नहीं दी गई है। अनेक नैयायिक विद्वानों ने भी इसके सम्बन्ध में अपनी असमर्त प्रकट की है, इन सम्बन्धिकर्पों के विशद विभिन्न दर्शनमन्थों में जो बातें कही गई हैं उनकी चर्चा ने अनावश्यक विस्तार होगा, अन् उनका उल्लेख न करते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि तर्कभाषाकार को भी इन सम्बन्धिकर्पों के प्रियद कही हुई अन्यान्य विद्वानों की बातें सम्पर्कः मान्य हैं, अ-व्याख्या लौकिक सम्बन्धिकर्पों के समान अलौकिक सम्बन्धिकर्पों की भी सम्पूर्ण चर्चा उन्होंने अवश्य की होती।

विषय इन्द्रियों से किस प्रकार सम्बन्धिकर्प होते हैं?

दूरस्थ, पृष्ठस्थ, भूत और भावी पदार्थों का लौकिक प्रत्यक्ष न होने से यह निर्वाद है कि किसी भी पदार्थ के लौकिक प्रत्यक्ष के लिये उसक साथ इन्द्रिय का लौकिक सम्बन्धिकर्प होना आवश्यक है, पर प्रश्न है कि यह हो कैसे? क्योंकि इन्द्रिया तो द्रष्टा के शरीर में अवस्थित रहती हैं और प्राण्य वस्तुएँ शरीर से बाहर दूर विद्यमान होती हैं। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि द्रष्टा के शरीर में दो प्रकार की इन्द्रियों हैं—एक वह जो शरीर से बाहर जा विषय के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकती है और दूसरी वह जो शरीर से बाहर नहीं जा सकती किन्तु उनके निकट वस्तु के पहुँचने पर वह उनसे सम्पर्क स्थापित कर सकती है। पहले प्रकार में एक ही इन्द्रिय आती है और वह है चक्षु। चक्षु की रचना तेज के परमाणुओं से होती है, वह आँख के भीतर काली पुतली-

के ऊपरी भाग पर अवस्थित रहती है, तेज से उत्पन्न होने के कारण वह द्रुतगमी किरणों से सम्पन्न होती है, अत जब कभी दृष्टि की ओंख खुलती है तब तत्काल ही वह किरणों द्वारा यामने पड़ी बाहर की बस्तुओं पर पहुँच जाती है और उन्हे अपने सन्निकर्प स प्रत्यक्षगम्य बना देती है। अन्य सभी इन्द्रियों—जैसे ग्राण, रसना, त्वक् और श्वेत किसी भी रूप में अपने स्थान का परिस्थाग नहीं करतीं, जब वायु आदि के सहयोग स कोई गन्धयुक्त पदार्थ ग्राण के, कोई रसयुक्त पदार्थ रसना के, कोई स्पर्शयुक्त पदार्थ त्वक् क और कोई शब्द श्वेत के निकटवर्ती होता है तब ये इन्द्रियों अपने निश्चित स्थान पर ही अपने ग्राण वस्तु गूँद, रस, स्पर्श और शब्द से सन्निकर्प स्थापित कर उनका प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न करती है।

आन्तर इन्द्रिय मन भी अपने निविकृत स्थान की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता वह देह के भातर हा आत्मा और उसके सुख, दुःख आदि गुणों से अपना सम्पर्क स्थापित कर उसका प्रत्यक्ष करा देता है।

इस प्रकार सभी इन्द्रियों से सन्निकृष्ट पदार्थ का ही ग्रहण होने से न्यायशास्त्र में उन्हें प्राप्यकारी—प्राप्त अर्थात् सानन्दाश्वर वस्तु का प्रकाशक माना गया है।

प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अन्य दर्शनों के मत—

न्याय और वैशेषिक दृश्यन में ज्ञान को आत्मा का गुण माना गया है, इस मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन सचेत से किया गया, किन्तु साध्य, वाग, वदान्त आदि दृश्यनों में ज्ञान को आत्मा का गुण न मान कर बुद्धि-चित्त का धम माना गया है, अत उन दृश्यनों की मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्थापन का प्रकार न्यायवैशेषिक सम्मत प्रकार से भिन्न पड़ता है जैसे—

साध्यमत—

साध्यमत में बुद्धि, जिसे महत्त्व, अन्त करण, सत्त्व, चित्त आदि शब्दों से व्यवहृत किया गया है, एक तैजस पदार्थ के समान है, प्रमाणों द्वारा ग्राण पदार्थ के आकार में उसका परिणमन होता है, बुद्धि का यह अर्थाकार परिणाम ही ज्ञान कहलाता है, परिणाम सदैव परिणामी-परिणममान वस्तु में ही अधित होता है, अत यह अर्थाकार परिणामात्मक ज्ञान भी परिणामिनी बुद्धि में ही अधित होता है, इसीलिये ज्ञान आत्मधम या आत्मगुण न होकर बुद्धिम होता है। बुद्धि का यह अर्थाकार परिणाम यदि अनुमान, वा शब्द रूप परोऽनु प्रमाण से अथवा पदार्थ को ग्रहण करने के लिये शरीर से बाहर न जाने वाली ग्राण, रसना, त्वक् आदि इन्द्रियों से प्रादुर्भृत होता है तो यह ज्ञान के शरीर के भीतर ही होता है, किन्तु जब इवाच प्रादुर्भृत चब्द से होने

को होना है तब शरीर से बाहर विषय देश में चलु की किरणों के साथ बुद्धि का भी अग्रहः गमन होता है और वहीं विषय के आकार में उसका परिणमन होता है। ग्राह्य विषय यदि कोई मूर्त पदार्थ होता है, यदि उसका त्रिकोण, चतुर्भुज, गोल, लम्बा, चौड़ा, पतला, आदि कोई आकार होता है तो यह बुद्धिपरिणाम उसे ग्रहण कर लेता है। अर्थात् बुद्धि विषय देश में पहुँचने पर विषय के त्रिकोण आदि आकारों में ही परिणत हो जाती है, किन्तु यदि ग्राह्य विषय की कोई मूर्त नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता तब बुद्धि भी किसी आकार में नहीं परिणत होती, ऐसे विषय के सम्बन्ध में बुद्धि का परिणाम भी अमूर्त-अनाकार होता है। पर यह तो सत्य है कि ऐसे विषयों में होने वाला बुद्धिपरिणाम भी अर्थाकार परिणाम ही कहा जाता है। प्रश्न होता है कि ऐसे प्रष्ठों में आकार का क्या अर्थ होगा? उत्तर यह है कि ज्ञान शब्द से व्यवहृत होने वाले अर्थाकार बुद्धिपरिणाम में जिस आकार की चर्चा होती है वह अर्थ की मूर्ति, अर्थ की कोई आकृति नहीं होती किन्तु वह अर्थ के साथ बुद्धि का एक प्रकार का सम्बन्ध होता है, इसलिये अर्थाकार बुद्धिपरिणाम का अर्थ है बुद्धिगत अर्थ का सम्बन्ध, यह सम्बन्ध ही ज्ञान है जो प्रमाणों से प्रादुर्भूत होता है, यह चक्षु से तब प्रादुर्भूत होता है जब बुद्धि चलु का अनुगमन करती हुई विषयदेश में पहुँचती है, किन्तु प्रमाणों से इस बुद्धि-अर्थसम्बन्ध के उदय म अर्थदेश में बुद्धि के गमन की आवश्यकता नहीं होती।

इस सन्दर्भ में इतना और समझना आवश्यक है कि बुद्धि का विषयाकार परिणाम हो जाने मान से ही विषय की अवगति नहीं होती किन्तु उसके लिये चैतन्य-प्रकाश का सम्पूर्ण अधिकार होता है, बुद्धि निर्गतः जड़ होती है अतः उसमें वह प्रकाश नहीं होता, अतः विषय के आकार में परिणत हुई बुद्धि में चैतन्यधन-प्रकाशपुज्ञायक आत्मा-पुरुष के प्रतिविम्ब की आवश्यकता होनी है। जब बुद्धि इस प्रतिविम्ब को प्राप्त कर लेती है तो वह सबे प्रकाशपिण्ड के समान चमक उठती है और अपने समर्क में आये पदार्थ को प्रकाशित करने लगती है, इस प्रकार किसी पदार्थ के ज्ञान के समय दो घटनायें होती हैं, बुद्धि का विषयाकार परिणाम और विषयाकारपरिणता बुद्धि में पुरुष चैतन्य का प्रतिविम्ब। इन दोनों में पहले को प्रमा मानने पर उसे उत्पन्न करने वाली इन्द्रिय, लिङ्ग अथवा शब्द को प्रमाण कहा जायगा और दूसरे को प्रमा मानने पर विषयाकार बुद्धिपरिणाम को ही प्रमाण कहा जायगा।

बुद्धिगत अर्थाकार परिणाम को प्रमाण तथा पुरुष के साथ उक्त परिणाम के प्रति-सम्बन्धित सम्बन्ध का प्रमा मानने का पहले प्रबल और बहुसंख्यसम्भव है। योगदर्शन, व्यापमाध्य १, ७ में इसी पक्ष को मान्यता दी गई है, वहाँ का वचन इस प्रकार है—

‘इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्थूपरागात् तदित्या सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति प्रथमं प्रमाणम्, फलमविशिष्टं पौरुषेयक्षिचित् वृत्तिनिवोध’ ।

आशय यह है कि इन्द्रिय अपने स्थान से विषयदेश तक प्रणालिका नाली के समान फैल जाती है, निर्मल जल जैसा स्वच्छ चित्त-बुद्धितत्त्व उस नाली के रखे विषय देश में पहुँच कर विषय से सम्पर्क कर लेता है, उसके फलस्वरूप चित्त का अर्थाकार परिणमन होता है जिसे चित्तबृत्ति या बुद्धिबृत्ति कहा जाता है। पदार्थ में दो अरु होते हैं—सामान्य और विशेष। इन्द्रियजन्य उक्त वृत्ति में पदार्थ का सामान्य अरु गौण और विशेष अरु प्रधान होकर भासित होता है। यही वृत्ति प्रथम प्रमाण कही जाती है। पुहर में यह वृत्ति प्रतिविमित होती है, जिसके फलस्वरूप उसके साथ वृत्ति का एक सम्बन्ध सा बन जाता है जिससे उक्त वृत्ति का बोध पौरुषेय नहा जाने लगता है, पौरुषेय कहा जानेवाला यह बोध ही प्रमा कहा जाता है ।

अर्थाकार बुद्धिबृत्ति को प्रमाण और पुरुष में बुद्धि का प्रतिविम्ब पहने से पुरुष गतत्वेन उस वृत्ति के बोध को प्रमा मानने के पक्ष में एक बहुत ही स्पष्ट त्रुटि है जिसके कारण इस व्यापकसम्मत मन को ठीक उसी रूप में मान्यता देने में निष्पत्त मनीषी का बड़ी कठिनाई है। वह त्रुटि यह है कि अर्थाकार बुद्धिबृत्ति बास्तव में बुद्धि का धर्म होने से बुद्धि में ही आधिन होती है, पुरुष तो निर्भर्संक और बृद्धित्व है अतः वह उसमें कदाचि, कथमपि आधित नहीं हो सकती। फिर भी उसमें पुरुषप्रगतत्व का बोध इसलिये होता है कि वह अपनी आधारभूता बुद्धि के साथ पुरुष में प्रतिविमित होती है। ऐसी स्थिति में यह अद्यन्त दृष्टि है कि बुद्धिबृत्ति में पुरुषप्रगतत्व का बोध प्रतिविम्ब दोप्रमूलक भ्रम है। किंतु इस भ्रम को प्रमा रहने में क्या औचित्य है? इस प्रकार इस दृष्टि से पूरे सन्दर्भ पर विचार करने से यही निष्पत्त निकलता है कि इन्द्रिय, लिङ्ग और शब्द ही बास्तव में प्रमाण हैं और उनसे प्रादूर्भूत होने वाली अर्थाकार बुद्धिबृत्ति ही प्रमा है, बुद्धिबृत्ति में प्रतिविम्बमूलक पुरुषप्रगतत्व का बोध वो निया भ्रम है। हाँ, इस बोध का हान उगदान लक्षण व्यवहार में अनन्यथासिद्ध उपयोगिता है और इसकी प्रमाणप्रमाण का मनुष्य के व्यवहार पर, यदि इस बोध की क्रियमूला बुद्धिबृत्ति यथार्थ है, तो ऐसे भवान्ताय प्रमाण नहीं हो सकता। यवल इस कारण यदि इस बोध को प्रमा राज्य में अधिकृत किया जाय तो दूसरी जात है, पर इससे यथार्थ में इस बोध की प्रमा महता नहीं प्रत्याखित हो सकती। इसलिये व्यापमाण्य में उक्त पौरुषेय नाम की वा प्रमा कड़ी गदा है, ज्यासे की सरबता पर आस्था रख उक्त रीति से ही उस कृपन की उपर्युक्त करना उचित प्रतान होता है ।

बुद्धितत्त्व और पुरुष के द्वीच किसमें किसका प्रतिविम्ब होता है ?

बुद्धितत्त्व और पुरुष के मध्य कौन किसमें प्रतिविम्बित होता है, इस सम्बन्धमें दो मत प्रसिद्ध हैं, एक वाचस्पति मिथ का और दूसरा विशानभिन्न का। मिथ के मनानुसार बुद्धितत्त्व में पुरुष का प्रतिविम्ब होता है न कि पुरुष में बुद्धितत्त्व का, इस मत के समर्थन में उनकी ओर से यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु का प्रतिविम्ब उसी पदार्थ में मान्य हो सकता है जो प्रतिविम्ब को ग्रहण कर सके, बुद्धितत्त्व कर्तृस्वभाव से सम्भव होने के कारण प्रतिविम्ब को ग्रहण कर सकता है अतः उसमें प्रतिविम्ब का होना माना जा सकता है, पर पुरुष में प्रतिविम्ब का उदय नहीं माना जा सकता क्योंकि वह कृत्य अकर्ता होने के कारण प्रतिविम्ब को ग्रहण नहीं कर सकता। वाचस्पति मिथ ने साख्यकारिका की अपनी व्याख्या साख्यतत्त्वकीमुदी में पौच्छी कारिका का व्याख्यान करते हुये इस मत को स्पष्ट रूप में संकेतित किया है, उनका कथन इस प्रकार है—

‘सोऽयं बुद्धितत्त्वर्त्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिविम्बनस्तच्छ्रायापत्या ज्ञानसुखादिमानिव भवति ।’

इस वाक्य में आये ‘तप्रतिविम्बितः’ और ‘तच्छ्रायापत्या’ इन शब्दों में ‘तत्’ पद से बुद्धितत्त्व विविहित है अतः इस वाक्य का यह अर्थ होता है कि—

पुरुष बुद्धितत्त्व में प्रतिविम्बित होता है, जिसके कलशरूप उसमें बुद्धितत्त्व की ल्लायापत्ति-सादाश्यप्राप्ति हो जाती है और इस कारण वह बुद्धितत्त्व के ज्ञान, सुख आदि धर्मों से उन धर्मों के आश्रय जैसा हो जाता है। वास्तव में ज्ञान, सुख आदि से शून्य होते हुये भी वह उन धर्मों का आधार सा प्रगीत होने लगता है।

उक्त वाक्य में आये ‘तच्छ्रायापत्या’ शब्द का कई व्याख्याकारी ने ‘तत्तदादात्म्यापत्या’ अथवा ‘तदभेदापत्या’ अर्थ किया है, जिससे वाचस्पति मिथ का यह आशय प्रतीत होने लगता है कि बुद्धितत्त्व में पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ने से पुरुष में बुद्धितत्त्व के अभेद की प्राप्ति होती है, इस अभेदप्राप्ति के कारण बुद्धितत्त्व के ज्ञान, सुख आदि धर्म पुरुष में प्रतीत होने लगते हैं। किन्तु मिथ का यह आशय मानना उचित नहीं है क्योंकि विचार करने पर ज्ञात होता है कि पुरुष में बुद्धितत्त्व के धर्मों की प्रतीति होने के लिये उन दोनों में अभेदपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, उक्त प्रतीति तो उन दोनों में परस्पर भेद के अज्ञानमात्र से ही उभयन हो सकती है, अतः ‘तच्छ्रायापत्ति’ का “तत्तदादात्म्यापत्ति” अर्थ मानना अनावश्यक है, साथ ही यह अर्थ उचित भी नहीं है क्योंकि जहाँ कही भी किसी पदार्थ में किसी वस्तु का प्रतिविम्ब होता है वहाँ प्रतिविम्बित होने वाली वस्तु में प्रतिविम्बप्राप्ति पदार्थ के अभेद की प्रतीति नहीं देखी जाती, जैसे

दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पढ़ने पर मुख में दर्पण के अमेद की प्रतीति किसी को भी मान्य नहीं है।

विज्ञानभिक्षु के मतानुसार पुरुष में बुद्धितत्त्व का प्रतिबिम्ब पड़ता है न कि बुद्धितत्त्व में पुरुष का, उनके हस मत के समर्थन में यह चाल कही जाती है कि किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब उसी पदार्थ में उदित होता है जो प्रांतबिम्ब धारण के लिये अपेक्षित स्वच्छता से सम्पन्न होता है, पुरुष निर्वर्गतः निर्विकार होने से निरान्त स्वच्छ है अतः उसमें प्रतिबिम्ब का उदय युक्तिसगत है, बुद्धितत्त्व के विकारी होने से उसमें पुरुष जैसी स्वच्छता नहीं है, अतः उसमें प्रतिबिम्ब का उदय मानना उचित नहीं प्रतीत होता, बुद्धितत्त्व में पुरुष का प्रतिबिम्ब मानने में एक और बाचा है, और वह है पुरुष की निर्धारकता। आशय यह है कि प्रतिबिम्ब उसी वस्तु का मान्य होता है प्रतिबिम्बप्रादी पदार्थ में जिसकी कोई छाया पड़ती है, जिसका उसमें कुछ धर्म अवगत होता है, पुरुष यतः छायाहीन तथा निर्घर्मक है अतः उसका प्रतिबिम्ब मानने से बुद्धितत्त्व में उसकी कोई छाया नहीं पड़ सकती, उसमें उसका कोई धर्म नहीं अवगत हो सकता, इसलिये बुद्धितत्त्व में पुरुष का प्रतिबिम्ब नहीं माना जा सकता, विज्ञानभिक्षु ने अपने इस मत के समर्थनार्थ साख्यप्रवचन भाष्य १११३ में एक अत्यन्त उपयुक्त पद्य का उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है—

तस्मैविद्यपणे र्षारं समस्ता बलुदृष्टयः ।

इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीष तटद्रुमाः ॥

जिस प्रकार तालाब के तट पर उगे हृक तालाब में प्रतिबिम्बित होते हैं ठीक उसी प्रकार पुरुष के निकटवर्ती-पुरुष से भिन्न प्रतीत न होने वाले बुद्धितत्त्व की समस्त वृत्तियाँ चिदात्मक पुरुषरूप स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्बित होती हैं। तालाब और तट-द्रुम की उपमा से यह स्पष्ट है कि जैसे तटद्रुम की अस्वच्छता के कारण उसमें तालाब का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाता किन्तु स्वच्छ तालाब में तटद्रुम का ही प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार बुद्धितत्त्व के अस्वच्छ होने के कारण उसमें पुरुष का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता किन्तु स्वच्छ पुरुष में बुद्धितत्त्व का ही प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। अतः स्पष्ट है कि पुरुष में बुद्धितत्त्व का प्रतिबिम्ब होता है यह यह ही न्यायसगत है।

अद्वैत वेदान्त के मतानुसार प्रत्यक्ष शान के उदय की प्रक्रिया इस प्रकार है—

जब द्रेष्टा के बाद्य करण-नक्षु आदि इन्द्रिय का किसी वस्तु के साथ सम्पर्क होता है तब उस इन्द्रिय के माध्यम से उसके अन्तर्मण का भी उस वस्तु के साथ सम्पर्क हो जाता है और उस सम्पर्क के फलस्वरूप उस वस्तु के आकार में अन्तर्मण का

परिणाम होता है जिसे अन्तःकरण की वृत्ति कहा जाता है, वृत्ति और ग्राह्य वस्तु के एकदेशरूप होने से वृत्तिचैतन्य-ग्राहक चैतन्य और ग्राह्य चैतन्य में ऐक्य हो जाता है, ग्राह्य चैतन्य के साथ एकीभूत यह वृत्तिचैतन्य ही प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है जो उक्त रीति से सम्बन्ध होता है।

तथ्य यह है कि अद्वैतवदान्त के मन में अद्वितीय चैतन्य ही एकमात्र परमार्थभूत वस्तु है उक्ती में सारा जगत् अशानद्वारा कलित है, इस कलिप्त जगत् की भिन्न भिन्न वस्तुएँ उस चैतन्य का अवच्छेद करती हैं, उसमें नानात्व की परिकल्पना बरती है जिससे वह एक ही चैतन्य तत्त्व वस्तुओं से अवच्छिन्न होकर अनेक चैतन्य का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। अवच्छिन्न चैतन्य के मुख्यतया तीन भेद हो सकते हैं—प्रमातृ चैतन्य—अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अर्थात् ज्ञाता पुरुष, प्रमाणचैतन्य—प्रत्यक्षवच्छिन्न चैतन्य और प्रमेय चैतन्य अर्थात् विद्यावच्छिन्न चैतन्य। जब इन तीनों चैतन्यों में ऐक्य होता है तब प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इन चैतन्यों का ऐक्य उस स्थिति में होता है जब उनके तीनों अवच्छेदक, अन्तःकरण, वृत्ति और विषय एकत्र होते हैं, अवच्छेदकों का यह एकत्र समागम उसी दशा में होता है जब इन्द्रिय द्वारा विषय देश में अन्तःकरण और उसकी वृत्ति दोनों का सम्बिधान होता है, यह सम्बिधान प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया में ही सम्भव होता है क्योंकि उक्त प्रक्रिया में इन्द्रिय के माध्यम से अन्तःकरण का विषय-देश में गमन तथा वही उसकी विषयाकार वृत्ति का जनन होता है, इस प्रकार अन्तःकरण, वृत्ति और विषय के एकदेशरूप होने से उन तीनों से अवच्छिन्न चैतन्यों में भेद का तिरोधान हो उनमें एकत्र ची स्थापना हो जाती है।

बीद्रमत

बीद्रमत में अर्थजन्य ज्ञानको ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष माना जाता है अतः प्रत्यक्ष के निर्विकल्पक, सविकल्पक भेदों में केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष हो सकता है क्योंकि स्वलक्षण—अपने सहज स्वरूप से भिन्न सभी प्रकार के लक्षणों से शून्य वस्तुमात्र का विषय करनेके कारण एकमात्र वही तथाविध वस्तुरूप अर्थ से जन्य होता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष तो निर्विकल्पक द्वारा उपहित की गई वस्तु को नाम, जाति आदि कलिप्त पदार्थों से जोड़ता है, सत्य वस्तु को इन असत्य पदार्थों के परिवेष में झण करता है, अतः वह अर्थ—प्रमाणसिद्ध वस्तु से जन्य न होने के कारण प्रमाण नहीं हो सकता। आशय यह है कि बिस वस्तु को नाम, जाति आदि द्वारा व्यवहृत किया जाता है वह को अशात काल से प्रवृत्त एक स्वाभाविक कार्यकारणप्रवाह का घटक होने के कारण अपने स्वरूप में सत्य हो सकता है पर प्रकाश में आते ही उसे बिन नाम, जाति आदि पदार्थों से जोड़ दिया जाता है वे तो मनुष्य की एकमात्र कल्पना की ही देन है। उनमें

नाम की कालनिकता में तो किसी को कोई विवाद नहीं होता क्योंकि नाम के विषय में यह सर्वसाधारण मान्यता है कि नाम सभी सांखेतिक होते हैं, पर जाति की काल्पनिकता में विवाद है। न्यायवेशेषिक दर्शन में जाति को भावात्मक सत्य पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है और उसी दृढ़ता के साथ कहा गया है कि भावात्मक जाति को स्वीकार न करने पर अनुगत प्रतीति, अनुगत व्यवहार तथा अनेकों कायकारणभाव आदि की उपस्थिति न की जा सकती। जैसे विभिन्न देश और विभिन्न द्वाल की विभिन्न गो व्यक्तियोंमें यदि गांव जाति न होगी तो किसके आधार पर उन सभी में 'यह गी है, यह भा गी है, वह भी गी है' इस प्रकार एक दग की प्रतीति हो सकती। और किसके आधार पर उन सभी के लिए एक गो शब्द का प्रयोग हो सकेगा। इसी प्रकार विभिन्न पट्टी और तन्तुओंमें यदि पट्टव और तन्तुव जातियों न मानी जायगी तो पट्टवामान्य के प्रति तन्तुसमान्य कारण होता है इस कायकारणभाव का स्थापना किंठ आधार पर की जा सकेगी। अतः अनुगत प्रतीति, अनुगत व्यवहार और अनुगत कार्यकारणभाव आदि के उपपादनार्थ भावात्मक जाति का अभ्युपगम अनिवार्य है।

न्यायवेशेषिक दर्शन की इस जातिविषयक मान्यता के विस्तृद वीद मनीषियों का घंड तर्क है। क गोत्व आदि जातियोंका भावात्मक आस्तव मानने पर कई ऐसे सहृद उपरिधित होते हैं जिनका परिहार करना कथमपि सम्भव नहीं हो सकता, जैसे समस्त गो व्यक्तियोंमें एक गोत्व जाति का अस्तित्व मानने पर यह प्रश्न उठता है कि जब कभी कुहीं कोई एक गी उत्पत्त होती है तब उसी के साथ उस व्यक्ति में क्या गोत्व का भी उत्पात्त होती है? और जब कोई गो व्यक्ति नष्ट होती है तब क्या उस व्यक्ति के साथ उसमें शात होने वाला गोत्व भी नष्ट हो जाता है? उत्तर में 'हों' नहीं कहा जा सकता क्योंकि यदि गोत्व का जन्म और विनाश माना जायगा तो वह समस्त गी में आश्रित होने वाली एक नित्य जाति न हो सकती। और यदि उसका जन्म और विनाश न माना जायगा तथा यह प्रश्न होगा कि कहीं किसी गो व्यक्ति का जन्म होने पर उसमें गोत्व का सम्बन्ध कैसे होगा? क्या जहाँ गी का जन्म होता है वहाँ पइले से ही गोत्व अवास्थत रहता है और गी के उत्पन्न होते ही वह उस पर आरूढ़ हो जाता है अथवा किसी अन्य स्थान से आकर उस नयी गी का अपना आस्पद बनाता है? दोनों ही पक्ष दोपुक हैं, क्योंकि यदि गी की उत्पत्ति के पूर्व गी के उत्पत्तिस्थान में गोत्व का अस्तित्व माना जायगा तब वह स्थान भी गी हो जायगा क्योंकि गोत्व के सम्बन्ध से ही कोई सिद्धार्थ गी माना जाता है और यदि अन्य स्थान से उसका आगमन माना जायगा तो वह स्थान यदि गी से भिन्न होगा तो वहाँ से गोत्व का प्रस्थान न होने तक उसमें गोकुपता का आपत्ति होगी क्योंकि उनके सबस्य तक उसमें गोत्व का सम्बन्ध भा और याद वह स्थान अन्य गी ही होगा तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि गोत्व पूर्व के गी को सर्वथा

त्याग कर नई गी के निकट आता है अथवा उसमें रहते हुये। यदि पूर्व गी को त्याग कर आयेगा तो वह गी गी न रह जायगी और यदि उसमें रहते हुये आयेगा तो उसे सिकुड़ने और फैलने वाला रचर जैसा कोई अश्वान् पदार्थ मानना पड़ेगा और उस विधि में यह एक नित्य अमूर्त जातिरूप न हो सकेगा, क्योंकि नित्य पदार्थ में किसी प्रकार का सिकुड़न व फैलाव कभी नहीं होता और अमूर्त पदार्थ में जाने आने की किशा कभी नहीं होती। इन सब सकटों का सकैत करने वाली यह कारिका दाशनिक-समुदाय में अत्यन्त प्रसिद्ध है—

नायाति न च तत्रासीज चोत्पन्न न चाश्वत् ।
जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनकृतिः ॥

इस प्रकार बौद्ध विद्वानों की दृष्टि में जाति का अभ्युपगम क्लोदक्षम नहीं है।

जाति की कल्पना बौद्ध दर्शन की मान्यता के भी प्रतिकूल है, क्योंकि जातिवादी नैयायिक और वैशेषिकों ने ऐसे धर्म को जाति माना है जो नित्य तथा अनेक व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध से आश्रित होता है, जैसे गोत्व आदि धर्म नित्य तथा अनेक गी आदि व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध से आश्रित होने के कारण जातिस्वरूप माने जाते हैं। स्पष्ट है कि बौद्ध दाशनिक ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे धर्म की कल्पना उनकी 'सर्वे क्षणिकम्-सब कुछ क्षणिक हैं' इस मूल भावना के विवर्द्ध है।

कपाल कारण है, इस प्रकार यदि उबल व्यक्ति से दृष्टि से ही कार्यकारणमाव माना जायगा तब जिस घर व्यक्ति का निस कपाल व्यक्ति से ज म होने वाला है उस घर व्यक्ति और उस कपाल व्यक्ति के बीच कार्यकारण भाव का शान न होने से नये घट के उपरादनाधनय उपाल को ग्रहण करने में प्रवृत्ति न हो सकेगी, अतः इस प्रवृत्ति के उपरादनाधनय समस्त घर व्यक्तियों में एक घम्मव घर्म और समस्त कपाल व्यक्तियों में एह कशलतव घर्म को मान कर उन घर्मों द्वारा घर्म और कपाल के बीच अनुगत कार्यकारणमाव की कल्पना भी अपरिहार्य है। इस प्रकार विभिन्न कार्य कारण व्यक्तियों में अनुगत कायकारणमाव के अभ्युपगमार्थ भी जाति की बहना मान्य होती है। किन्तु चौदांदरान के अनुसार यदि ऐसे घर्मों का अस्तित्व न माना जायगा तो उन प्रयोजनों की उपराति न हो सकेगी।

इस प्रश्न के उत्तर में चौदों का कथन यह है कि अनेक गोव्यन्तियों में एक गच्छकार प्रतीति के उपरादनाधनय गार्द जाति को मान्यता देना आवश्यक नहीं है। क्योंकि उक्त प्रतीति की उपराति अपोहरूप गात्र से भी हो सकती है, तार्थ्य यह है कि उक्त प्रतीति का निर्गाहक गोत्व कोई जाति नहीं है किन्तु अतदृश्याङ्कत्व अनेभिन्नत्वरूप है, और वह अतदृश्याङ्कत्व स्वर्य अपोह है अर्थात् गोत्व भावात्मक है अथवा अभावात्मक, ज्ञानिक है अथवा स्थायी ऐसे ऊह—तक वितक की सीमा से पर है, इस प्रकार 'अपगत—विनिवृत्त ऊह—उसे विधो विविधो वितका यस्मात् स' इस अर्थ में गोत्व अपोहात्मक है और वही विभिन्न ऊहों में अनुगताकार प्रतीति का नियामक है। वास्तुरिधि तो यह है कि चौदांदरान की दृष्टि में कोई अनुगताकार यथार्थ प्रतीति है ही नहीं, यथार्थ प्रतीति जिस वस्तु को विषय करती है वह वस्तु अर्थ सभी वस्तुओं से सर्वथा विलक्षण, स्वमात्र में विश्वात, एकान्तरूप से स्वलक्षण होती है और जो प्रताति अनुगताकार जैसी लगती है वह यथार्थ नहीं होती, अत उसकी उत्पत्ति के लिये किसी प्रामाणिक अनुगत घम को मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

जाति की कल्पना का दूसरा आधारभूत प्रयोजन नताया गया है—विभिन्न काय करण व्यक्तियों में अनुगत कार्यकारणमाव का अभ्युपगम। चौदांदरान में यह प्रयोजन भी अमान्य है, क्योंकि कायकारण के सादर्भ में चौदों की यह धारणा है कि उत्पन्न होनेवाले काय के कारणों को कोई समझ नहीं कर जुगता नहीं है, किन्तु उत्पन्न समस्त कारण इवाभाविक दण से अपने कारणों के बल जब सहृदासभूत होते हैं, उगठन होते हैं, तब उस कार्य की उत्पत्ति होती है, इस दण से होने वाली यह कार्यांत्पत्ति प्रतीत्यसमृद्धाद् शुद्ध से व्यवहृत होती है। यही इस विषय में चौदा-

अ३८८ ननु निविकल्पकं परमार्थतः स्वलक्षणविषयं भवतु प्रत्यक्षम्, मविकल्पकं तु शब्दलिङ्गवदनुगताकारावगाहित्वात्मामान्यविषयं कथं प्रत्यक्षमर्थजस्यैव प्रत्यक्षत्वात् ? अर्थस्युच परमार्थतः सत एव सज्जनेकत्वात् । स्वलक्षणं तु परमार्थतः सत्, न तु सामान्यम्, नश्य प्रेमाणनिस्तोविषिभावभाइन्यव्यावृत्यात्मनस्तुच्छत्वात् । मैवम्, सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात् ।

तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम् ।

लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । येन हि अनुमीयते वदनुमानम् । लिङ्गपरामर्शेन चानुमीयतेऽतो लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । तच्च ध्रूमादिव्यानं मनुमिति प्रति करणतत्त्वात् । अरन्यादिव्यानं मनुमिति, तत्करणं धूमादिव्यानम् ।

दर्शन का मान्य सिद्धान्त है। फलतः विभिन्न कार्य-कारण व्यक्तियों में कोई अनुगत कार्यकारणभाव स्वीकार्य ही नहीं है किन्तु तत्त्व कार्य के प्रति तत्त्व कारणों को तत्त्वकार्यानुकूलकुर्वद्वयरूप से अनुगत ही कार्यकारण भाव है, अतः उक्त दूसरे प्रयोजन के निपित्त भी जात्यात्मक अनुगत धर्मों की कल्पना निरर्थक है। इस प्रकार युक्तियुक्त न होने आर निष्प्रयोजन होने से बौद्ध विद्वानों को जाति आदि किसी भी प्रामाणिक अनुगत धर्म का अस्तित्व मान्य नहीं है।

सामान्य-जाति के विषय में वर्णनी इस मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में बौद्ध विद्वानों का यह कथन है कि प्रत्यक्ष के निर्विकल्पक और सविकल्पक इन द्विविध भेदों में केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो सकता है क्योंकि वह पारमाधिक—सत्यभूत स्वलक्षण वस्तु को विषय करता है परन्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष तो शब्दज और लिङ्गज ज्ञान के समान अनुगत आकार का ग्राहक होने से सामान्यविषयक है, किंतु वह प्रमाणभूत प्रत्यक्ष केसे हो सकता है क्योंकि अर्थजन्य ज्ञान को ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष कहा जाता है और प्रमाणभूत कहे जाने वाले ज्ञान का जनक वही अर्थ होता है जो पारमाधिक—वास्तविक रूप में सत् तथा उस प्रत्यक्ष के पूर्व विद्यमान होता है, इस प्रकार का अर्थ केवल वही हो सकता है जो स्वलक्षण हो, जो स्वयं ही अपना लक्षण हो, जिसका अन्य कोई लक्षण न हो। सामान्य इस प्रकार का अर्थ नहीं हो सकता क्यों कि वह स्वलक्षण नहीं है।

अनुमान

प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में सदिगत चर्चा की गई, अब अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में चात की जायगी।

लिङ्गपरामर्श अनुमान है, क्योंकि जिससे अनुमिति की जाय वह अनुमान होता

कि पुनर्लिङ्गं कश्च तस्य परामर्शः ! उच्यते—व्याप्तिवलेनार्थगमकं लिङ्गम् । यथा धूमोऽग्नेर्लिङ्गम् । तथाहि 'यत्र धूमस्तत्रान्मि' इति साहृचर्यविनियमो व्याप्तिः, तस्यां गृहीतायामेव व्याप्ती धूमोऽग्निं गमयति, अतो व्याप्तिवलेनाग्न्यतुमापकत्वाद् धूमोऽग्नेर्लिङ्गम् । तस्य तृतीयं ज्ञानं परामर्शं ' तथाहि प्रथमं सावन्महानसादी भूयो भूयो धूमं पदयन् वहि पदयति, तेन भूयोदशेन धूमाग्न्योः स्वाभाविकं सम्बन्धमवधारयति 'यत्र धूमस्तत्रान्मि.' इति ।

है, लिङ्गपरामर्श से अनुमिति की जाती है अतः लिङ्गपरामर्श अनुमान है । धूम आदि का ज्ञान लिङ्गपरामर्शरूप अनुमान है क्योंकि वह अनुमिति का करण है, उससे अनुमिति की जाती है । अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है, धूम आदि का ज्ञान उदाहरण है ।

यह स्पष्ट है कि दूर से कही धूम दिखने पर उक्त स्थान में, जहाँ से धूम उठ रहा है, अग्नि के होने का ज्ञान होता है, अग्नि का यह ज्ञान धूमज्ञान के पश्चात् होने के कारण 'अनु पश्चात्-कर्त्यचिद् ज्ञानान् तर ज्ञायमाना मितिः-ज्ञानम् अनुमितिः' अनुमिति शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमिति है, और इस अग्निज्ञान रूप अनुमिति के पूर्व विद्यमान होने से, उपरका करण होने से 'अनुमीयते येन तद् अनुमानम्, अनुमितिरूपं वा अनुमानम्' अनुमान शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार धूमज्ञान अनुमान होता है किन्तु इस धूमज्ञान का लिङ्गपरामर्श के रूप में जानने के लिये लिङ्गपरामर्श को ज्ञानना आवश्यक है । लिङ्गपरामर्श में दो अर्थ है—एक लिङ्ग और दूसरा परामर्श, 'लीनम्-अन्तहितम्-अप्रत्यक्षम् अर्थं गमयति-बुद्धिविषयता नयति यत् तद् लिङ्गम्' लिङ्ग शब्द का इस व्युत्पत्ति के अनुसार लिङ्ग शब्द का अर्थ है लीन वर्थ का ज्ञापक, लीन अर्थ का ज्ञापन व्याप्ति के बल से होता है । अतः लिङ्ग का अर्थ है व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक-ज्ञापक । धूम अग्नि का लिङ्ग है, क्योंकि जहाँ धूम होता है—जिस स्थान पर धूम का जन्म होता है, उस स्थानपर आग्ने अवश्य रहना है, धूम में अग्नि के साथ ही रहने का यह नियम ही व्याप्ति है । इस व्याप्ति का ज्ञान होने पर ही धूम अग्नि का गमक होता है, इसलिये व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण धूम अग्नि का लिङ्ग होता है ।

धूमरूप लिङ्ग का तीसरा ज्ञान परामर्श कहा जाता है । आशय यह है कि धूम के तीन ज्ञान होने के पश्चात् अग्नि की अनुमिति का उदय होता है, महानस आदि में वहि धूम के सहवारदर्शन से 'बहिव्याप्त्यो धूमः' इस प्रकार बहिव्याप्त्यरूप से धूम का जो प्रथम बार दर्शन होता है वह धूम का पहला ज्ञान कहा जाता है, उसके बाद दूर से पर्वत आदि में जो धूम का दर्शन होता है वह धूम का दूसरा ज्ञान कहा जाता

यद्यपि 'यत्र यत्र मैत्रीतनयत्वं तत्र तत्र इयामत्वमपि' इति भूयोदर्शनं समानमवगम्यते, सथापि मैत्रीतनयत्वेऽयामत्वयोर्न स्वाभाविकः सम्बन्धः किन्त्वा पाधिक एव, शाकाद्यन्नपरिणामस्योपधेर्विद्यमानत्वात् । तथाहि इयामत्वे

हे, इस दूसरे धूमशान से पहले धूमशान के द्वारा उत्पन्न हुए व्याप्तिविषयक सकार का उद्घोषण होने से 'धूमो वहिव्याप्य'। इस प्रकार व्याप्तिविषय होकर जो 'वहिव्याप्य-धूमशान् पर्वतः' इस प्रकार पवत के साथ वहिव्याप्यधूम के सम्बन्ध का ज्ञान होता है वह धूम का तीसरा ज्ञान कहा जाता है, यही ज्ञान परामर्श कहा जाता है इसे अनुर्माता का चरम कारण कहा जाता है, और वाधक न रहने पर इस ज्ञान का जन्म होने के दूसरे छूट में अनुभिति का उदय अनिवाय होता है। इस तीसरे परामर्शरूप ज्ञान के दो मुख्य विषय होते हैं जिन्हे ग्रहण करने के कारण ही यह ज्ञान अनुर्माता का उत्पादक होता है, वे विषय हैं व्यासि और पक्षधर्मता । पक्षधर्मता का अर्थ है पक्ष के साथ हेतु का वह सम्बन्ध जिससे हेतु साध्य का व्याप्य होता है, यह तीसरा ज्ञान यतः व्याप्तिविषय हनु क वैशिष्ट्य को ग्रहण करता है और विशिष्टवैशिष्ट्यप्राही ज्ञान में विशिष्टप्राही ज्ञान-विशेषणतावच्छेदक रूप से विशेषण का ज्ञान कारण होता है अतः इस तीसरे ज्ञान के उदय के लिये पूर्व में हनु म साध्यव्यासि क ज्ञान की अपेक्षा होती है, किन्तु हेतु में साध्यव्यासि का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान को साध्य-व्यासि वा परिचय न हो, इसालए सबप्रथम व्यासि का परिचय देना और उसके ज्ञान का उपाय बताना आवश्यक है। तर्कभाषा में 'तथा हि प्रथम तावन्महानसादी भूयो धूम पश्यन् वहिं पश्यति' कहते हुये इसी आवश्यकता की पूर्ति का उपक्रम किया गया है, जिसका सक्षित इन्हु सुस्पष्ट आशय यह है कि हेतु के साथ साध्य के स्वाभाविक सम्बन्ध का नाम है व्यासि और उसके ज्ञान का उपाय है साध्य के साथ हेतु का पुनः पुनः दर्शन । धूम में आग्न की व्यासि को ज्ञानने का प्रक्रिया यह है कि मनुष्य पहले महानस आदि अनेक स्थानों में धूम और वहिं को साथ-साथ देखता है, धूम और वहिं का यह सहदर्शन धूम और वहिं का सहचार दर्शन कहा जाता है, इस दर्शन की पुनः पुनः आवृत्ति होने से धूम और आग्न के चीज़ स्वाभाविक सम्बन्ध का अवधारण इस रूप में होता है कि जहाँ धूम होता वहाँ अग्नि अवश्य होता है, धूम में अग्नि के स्वाभाविक सम्बन्ध का यह अवधारण ही धूम में वहिव्यासि का ज्ञान कहा जाता है ।

इस सन्दर्भ में यह प्रश्न होता है कि यदि हेतु में साध्यसहचार का पुनः पुनः दर्शन ही व्यासिज्ञान का कारण है तो मैत्रीतनयत्व में इयामत्व की व्यासि का ज्ञान क्यों नहीं होता और मैत्रीतनयत्व को इयामत्व का व्याप्य क्यों नहीं माना जाता क्योंकि

मैत्रीतनयस्यं न प्रयोजक, किंतु शारायनपरिणतिभेद एव प्रयोजक, प्रयोजकश्चापापि दत्युच्यते, न च पृमाग्न्योः सम्बन्धे कविदुपाधिरस्ति, अस्ति चेद् गोग्योऽग्नेयो वा ? अयोग्यस्य शङ्खितुमशक्यत्वाद् योग्यस्य चाञ्जुपलभ्य-मानत्वात् । यत्रापाधिरस्ति तत्रोपलभ्यते यथा, अग्नेष्ठू मसम्बन्धे आदेन्य-नसंयोगः । हिसात्वस्य चाऽधर्मसाधनत्वेन सह सम्बन्धे निपिद्तत्वमुपापि । मैत्रीतनयस्य च इयामत्वेन सह सम्बन्धे शारायनपरिणतिभेद । न चेद् धूमस्यान्निसाद्वये कविदुपाधिरस्ति, यदाभिव्यक्तोऽद्रद्यत, ततो दर्शनाभावान्नास्ति इति तर्कमहोरात्रिणानुपलभ्मनावेन प्रत्यक्षेणैवोपाध्यभावोऽवधार्यते । तथा च उपाध्यभावप्रहणजनितसंस्कारसहकृतेन भूयोदर्शनजनितसंस्कारसहकृतेन साद्वयप्राहिणा प्रत्यक्षेणैव धूमाग्न्योऽर्चाप्तिरवधार्यते । तेन धूमाग्न्यो स्वाभाविक एव ममन्ध न त्वीषापित्र । स्वाभाविकश्च सम्बन्धो व्याप्तिः । ५५५५५५

मैत्री के अनेक तनयों में श्यामवर्ण की प्रतीनि होने से मैत्रीतनयस्य में श्यामत्व के सहचार का पुनः पुनः दर्शन निर्विचाद सिद्ध है ।

इब प्रभ का उत्तर यह है कि यह सत्य है कि मैत्रीतनयस्य में श्यामत्व के सहचार, का भूयोदर्शन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार धूम में वहाँ के सहचार का भूयोदर्शन, किन्तु अन्तर यह है कि मैत्रीतनयस्य और श्यामत्व के बीच जो सम्बन्ध है वह स्वाभाविक नहीं किन्तु औदृष्टिक है और वह उपाधि है शाक आदि श्यामवर्ण के आहार का परिपाक । अभिप्राय यह है कि मैत्री नमक ली के आठ पुत्रों में से जो सात पुत्र श्यामवर्ण के हैं वे इसलिये श्याम नहीं हैं कि वे मैत्री के तनय हैं, क्योंकि यदि वे मैत्री का तनय होने के कारण ही श्याम होते तो मैत्री के आठवें तनय को भी गौर न हो कर श्याम ही होना चाहिये था क्योंकि श्यामवर्ण वाले सात पुत्र वित्त प्रकार नैत्री के तनय हैं उसी प्रकार गौर वर्ण वाला आठवें पुत्र भी मैत्री का तनय है । अत इष्ट है कि मैत्री के सात पुत्रों के श्याम होने का कोई और ही कारण है । जो उसके आठवें पुत्र में नहीं है और वह है गर्भावस्था में शाक आदि श्याम वर्ण के आहार का प्रवृण । तात्पर्य यह है कि मैत्री जब गर्भावस्था में शाक आदि श्याम वर्ण के खाद्य पदार्थों का सेवन करती थी तब उन पदार्थों के परिणाम से उसके शरीर में जो रक्त बनता था उसमें श्यामता होती थी, और उस रक्त से जिस बालक के शरीर का निर्माण होता था वह बालक श्याम वर्ण का होता था, इस प्रकार मैत्री ने गर्भावस्था में शाक आदि का सेवन कर जिन सात बालकों को जन्म दिया वे श्याम हुये और जिन बालक के गर्भस्थ रहने के समय शाक आदि का सेवन न कर दूध, मलाई, मक्खन आदि का उत्तम आहार प्रहण किया उस बालक का शरीर इन उत्तम आहारों के परिणाम से

बने गौर वर्ण के रक्त से निर्मित हुआ अतः वह ब्रालक श्याम न होकर गौर हुआ। इस प्रकार यह सुव्यक्त है कि मैत्री के सात पुत्रों का श्यामत्व मैत्रीतनयत्वप्रयुक्त नहीं है किन्तु शाकपाकजन्यत्वप्रयुक्त है, इसलिये मैत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व का जो सहचार सम्बन्ध है वह शाकपाकजन्यत्वरूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण औपाधिक है, श्वाभाविक नहीं है, अतः मैत्रीतनयत्व में श्यामत्व के सहचार का भूयोदर्शनरूप आहक के होने पर भी श्वाभाविक सम्बन्ध रूप आध्य के न होने के कारण मैत्रीतनयत्व में श्यामत्व की व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो पाता।

धूम में वहिं के सहचार का भूयोदर्शन होने पर धूम में वहि की व्याप्ति का ज्ञान इसलिये हो पाता है कि धूम के साथ वहि का जो सम्बन्ध है वह श्वाभाविक है। उसमें कोई उपाधि नहीं है। प्रभ हो सकता है कि धूम के साथ वहि के सम्बन्ध का प्रयोजक कोई उपाधि नहीं है। इस बात का निश्चय कैसे होगा? उत्तर यह है कि ऐसी किसी उपाधि की सम्भावना नहीं है, क्योंकि उपाधि दा ही प्रकार की हो सकती है, प्रत्यक्षयोग्य अथवा प्रत्यक्षायोग्य, उनमें प्रत्यक्षायोग्य किसी उपाधि के होने की शक्ता नहीं की जा सकती, क्योंकि शक्ता के लिये शक्तीय पदार्थ का स्मरण अपेक्षित होता है और स्मरण के लिये पूर्णतुभव की अपेक्षा होती है और अयोग्य का कोई भी पूर्णतुभव सम्भव नहीं है, क्योंकि अयोग्य का प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता और प्रत्यक्ष न होने पर किसी हेतु में उसकी व्याप्ति का ज्ञान तथा किसी शब्द का उसमें वृत्तिशान न होने के कारण उसका आनुमानिक अथवा यान्दिक अनुभव भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रत्यक्षयोग्य भी किसी उपाधि की सम्भावना नहीं की जा सकती क्योंकि यदि प्रत्यक्षयोग्य कोई उपाधि होती तो वह अवश्य उपलब्ध होती, क्योंकि जहाँ कहीं प्रत्यक्षयोग्य उपाधि होती है वहाँ वह उपलब्ध होती है जैसे अग्नि के साथ धूम के सम्बन्ध में जार्द इन्धन का सेवन, हिंसात्व के साथ अवर्मसाधनत्व के सम्बन्ध में नियिद्वत्व और मैत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व के सम्बन्ध में शाक आदि के आहार का विशिष्ट परिणाम—शाकपाकजन्यत्व।

आशय यह है कि जैसे ‘जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है’ इस प्रकार धूम में अग्नि के सहचार का भूयोदर्शन होता है जैसे ही महान् स आदि अनेक स्थानों में ‘जहाँ जहाँ अग्नि होता है वहाँ वहाँ धूम होता है’ इस प्रकार अग्नि में धूम के सहचार का भी भूयोदर्शन होता है, किन्तु धूम में अग्निसहचार के भूयोदर्शन से धूम में अग्नि के अनौपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्ति का ज्ञान होता है। पर अग्नि में धूम-सहचार के भूयोदर्शन से अग्नि में धूम के अनौपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि अग्नि में जो धूम का सम्बन्ध होता है वह अनौपाधिक नहीं होता किन्तु आर्द्ध इन्धन सेवन उपाधि से प्रयुक्त होता है, तात्पर्य यह है कि धूम का होना

केवल अग्नि के होने पर निर्भर नहीं है अपि तु अग्नि के साथ गीड़ी लकड़ी आदि के सहयोग पर निर्भर है, क्योंकि यदि केवल अग्नि के होने मात्र से धूम होता तो लोह के गोले को अग्नि में तथा देने पर लोह के गोले से भी धूम निकलता क्योंकि लोह के तपे गोले में भी अग्नि तो रहता ही है। अतः स्पष्ट है कि अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है किन्तु औपाधिक है और वह उपाधि अग्नि के साथ आद्रै हृदयन के सहयोग के रूप में प्रत्यक्ष उपलब्ध है।

इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रवचनों से 'जो जो हिंसा है वह सब अधर्म का साधन है' इस प्रकार हिंसार्व में अधर्मसाधनर्व के सहचार का भूयान् अवशेष होने पर भी हिंसार्व में अधर्मसाधनर्व के अनौपाधिक सम्बन्ध का शान नहीं होता क्योंकि हिंसार्व के साथ अधर्मसाधनर्व का सम्बन्ध भी स्वाभाविक नहीं है किन्तु औपाधिक है और वह उपाधि है निपिद्वर्व। तात्पर्य यह है कि कोई भी हिंसा केवल हिंसा होने के नाते अधर्म का साधन नहीं होती अपि तु 'मा हिंसात् सर्वभूतानि' आदि शास्त्रवचनों से निपिद्व होने के नाते अधर्म का साधन होती है, अत एव विभिन्न वज्ञों में शास्त्रवचन के आधार पर होनेवाली अनिपिद्व हिंसाओं से अधर्म का प्रादुर्भाव नहीं माना जाता, इस प्रकार हिंसार्व में अधर्मसाधनर्व के सम्बन्ध का प्रयोजक निपिद्वर्व उपाधि भी शास्त्रतः उपलब्ध है। इसी प्रकार मैत्रीतनयात्र में शमामत्व का सम्बन्ध भी औपाधिक ही है और वह उपाधि है शब्दपाकबन्धात् जो मैत्री के कथन आदि से उपलब्ध है। तो जिस प्रकार अग्नि के साथ धूम के सम्बन्ध में, हिंसार्व के साथ अधर्मसाधनर्व के सम्बन्ध में और मैत्रीतनयात्र के साथ शमामत्व के सम्बन्ध में आद्रैन्धनसयोग, निपिद्वर्व और शास्त्राकबन्धावर्ण उपाधिया उपलब्ध होती है उसी प्रकार धूम के साथ अग्नि का सम्बन्ध होने में भी यदि कोई प्रत्यक्षयोग्य उपाधि होती तो उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि अवश्य होती, यतः उसकी उपलब्धि नहीं होती अतः वह नहीं है इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई बाधा नहीं है।

उपर्युक्त वारों के आधार पर यह निस्संशय कहा जा सकता है कि धूम के साथ अग्नि के सम्बन्ध का प्रयोजक यदि कोई उपाधि होती तो वह अवश्य उपलब्ध होती यह तर्क और 'उपाधि की अनुपलब्धि' इन दोनों के सहयोग से प्रत्यक्ष प्रमाण से ही धूम के साथ अग्नि का सम्बन्ध होने में किंठी उपाधि के न होने का अवधारण होता है और इस अवधारण से उद्भूत संकार तथा धूम में अग्निके सहचार के भूयोदर्शन से उद्भूत संकार जित मनुष्य को होते हैं उसे धूम में अग्नि के सहचार को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से ही धूम में अग्नि की व्यासि का अवधारण होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धूम और अग्नि के मध्य स्वाभाविक ही सम्बन्ध है, औपाधिक नहीं और स्वाभाविक सम्बन्ध ही व्यासि है।

तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योऽर्वास्ती गृहामाणायां महानसे यद् धूमज्ञानं तत्प्रथमम् । पर्वतादी पक्षे यद् धूमज्ञानं तद् द्वितीयम् । तत् पूर्वगृहीतां धमाग्न्योऽर्वास्ति सूत्वा 'यत्र धूमस्तत्राग्निः' इति तत्रैव पर्वते पुनर्धूमं परामृशति 'अस्त्यत्र पर्वतेऽग्निना व्याप्तो धूम इति' तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम् । एतच्चायद्याभ्युपेतव्यम्, अन्यथा 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः' इत्येव स्याद्, इह तु कथमग्निना भवितव्यम् ? तस्माद् 'इहापि धूमाऽस्ति' इति ज्ञानमन्वेषितव्यम्, अयमेव लिङ्गपरामर्शः, अनुमिति प्रति करणत्वाच्च अनुमानम् । तस्माद् 'अस्त्यत्र पर्वतेऽग्निः' इत्यनुमितिज्ञानमुत्पदयते ।

ननु कथं प्रथमं महानसे यद् धूमज्ञानं तत्राग्निमनुमापयति ?
सत्यम्, व्याप्तेरगृहीतत्वाद् गृहीतायामैव व्याप्तावनुमित्युदयात् ।

अथ व्याप्तिनिश्चयोत्तरकालं महानस एवाग्निरनुमीयताम्,

मैवम्, अग्नेहृष्ट्येन सन्देहस्यानुदयात् । सन्दिग्धश्चायोऽनुमीयते । यथोक्तं भाष्यकृता—'नाऽनुपलब्धे न निर्णीतिऽर्थं न्याय प्रवर्तते, किन्तु सन्दिग्धे'
(गौ. सू. वा. भा. १. १. १.)

इस प्रकार धूम में अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान अजित करने की प्रक्रिया में महानस में धूम का जो ज्ञान होता है वह हेतु का प्रथम दर्शन है, पर्वत आदि पक्ष में जो धूम का ज्ञान होता है वह हेतु का दूसरा दर्शन है, 'जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होता है' इस रूप में धूम में अग्नि की पूर्वगृहीत व्याप्ति का स्मरण होकर 'पर्वत में अग्निव्याप्त धूम है' इस रूप में उसी पर्वत में धूम का जो पुनः परामर्श होता है वही हेतु का तृतीय दर्शन है । अनुमिति के लिये हेतु के इस तृतीय दर्शन को मान्यता प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि इस तृतीय दर्शन को न मानने पर पर्वत में कोई धूम का दर्शन मात्र होने से 'जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है' इस प्रकार धूम के साथ अग्नि के होने का केवल सामान्य-ज्ञान मात्र ही हो सकता है न कि धूम के होने से इस पर्वत में अग्नि को भी अवश्य होना चाहिये, यह भी ज्ञान हो सकेगा । अतः इस पर्वत में अग्निव्याप्त रूप से धूम का ज्ञान अपेक्षीय है, और यही ज्ञान लिङ्गपरामर्श है तथा अनुमिति का करण होने से अनुमान है, इसी ज्ञान से 'इस पर्वतमें अग्नि है' इस प्रकार की अनुमिति का उदय होता है ।

प्रश्न होता है कि महानस में धूम का जो पहला ज्ञान होता है उसी से अग्नि अनुमिति क्यों नहीं होती, उसके लिये पक्ष में साध्यव्याप्त रूप से हेतु के नीचे, तक जाने की क्या आवश्यकता है ? उत्तर है कि प्रश्न ठीक है किन्तु महानस में

अथ पर्वतगतमात्रस्य पुंसो यद् धूमज्ञानं तत्कर्थं नाग्निमनुमापयात् ? अस्ति चात्रान्निसन्देहः साधुकबाधुकप्रमाणाभावेन संशयस्य न्यायप्रतत्वात् ।

सत्यम्, अगृहीतव्याप्तेरिव गृहीतविस्मृतव्याप्तेरपि पुंसोऽनुमानानुदयेन व्याप्तिस्मृतेरप्यनुमितिहेतुत्वात् । धूमदर्शनाच्चोद्युद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्मरति 'यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान् यथा महानसम्' इति । तेन धूमदर्शने जाते व्याप्तिस्मृतौ भूतायां यद् धूमज्ञानं तत्त्वीयं 'धूमवांश्चायम्' इति तदेवान्निमनुमापयात् नान्यत् । यदेवानुमानं, स एव लिङ्गपरामर्शः । तेन व्यवस्थितमेतत्त्वात् परामर्शोऽनुमानान्मिति ।

तच्चानुमानं द्विविधम् । स्वार्थं, परार्थं चेति । स्वार्थं स्वप्रतिपत्तिहेतुः । तथादि, स्वयमेव महानसादी विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योव्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्वदूगते चामी सन्दिहान् । पर्वतवर्तिनीमविच्छिन्नमूलामध्रंलिहां धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्चोद्युद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्मरति 'यत्र धूमस्तत्राग्निः' इति ततो 'अत्रापि धूमाग्निः' इति प्रक्षिपद्यते तस्माद् 'अत्र पर्वतेऽग्निरत्यस्ति' इति स्वयमेष प्रतिपद्यते, तत् स्वार्थानुमानम् ।

के प्रथम दर्शन के समय धूम म वाहु को व्याप्ति का ज्ञान न होने से उस समय अनुमिति का उदय नहीं हा सकता, अनुमिति के प्रति व्याप्तिज्ञान के कारण होने से उसके अनन्तर हा अनुमिति का उदय हा सकता है । फिर प्रश्न होता है कि ठीक है धूम के प्रथम दर्शन के समय व्याप्ति का ज्ञान न होने से अनुमिति का जन्म न हो किन्तु महानस में धूम और आगि के सहबार दर्शन से धूम में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय होने पर महानस म हा अग्नि का अनुमति क्या नहीं होती । उत्तर है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि महानस म अग्नि प्रत्यक्ष दृष्टि है, अतः वहों अग्नि का सन्देह नहीं हो सकता, और नियम यह है कि जो पदार्थ जहाँ सन्दिग्ध होता है वहाँ उसकी अनुमिति होता है, जैसा कि भाष्यकार ने न्यायदर्शन के वात्यायनभाष्य, १, १, १ में कहा है—'नानुपलब्धे न निर्णयेऽर्थं न्यायः प्रवतते किन्तु सन्दिग्धे' अशात और निर्णय पदार्थ म अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध पदार्थ में ही होती है । फिर प्रश्न होता है कि अच्छा यह बताइये कि जिस मनुष्य को पहले धूम में व्याप्ति का ज्ञान ही चुका है वह जब पर्वत के पास पहुँचता है और धूम मात्र का दर्शन करता है तब उसे उतने मात्र से ही पर्वत में अग्नि की अनुमिति क्यों नहीं होती क्योंकि साधक प्रमाण-अग्नि का निश्चय और बाधक प्रमाण-अग्नि के अभाव का निश्चय न होने से सक्षय के न्यायप्राप्त होने के कारण उस समय उसे पर्वत में अग्नि का सथय भी रहता है । इस प्रकार पद्म में साध्य का सथय, ऐसु में साध्य-

यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पञ्चावयवमनुमानवाक्यं प्रयुहक्ते तत् परार्थानुमानम् । तथा 'पर्वतोऽग्निमान्, धूमवस्थात्, यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान् यथा महानसम्, तथा चाऽयं, तस्मात्तथा' इति । अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात् पञ्चरूपोपपञ्चलिङ्गात् परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते । तेनैतत् परार्थमनुमानम् ।

व्याप्ति का ज्ञान और पक्ष में हेतु का दर्शन, अनुमिति के जब यह तीनों का रण विद्यमान है तब अनुमिति का उदय क्यों नहीं होता ? उच्चर है कि प्रश्न ठीक है, किन्तु बात यह है कि जैसे व्याप्ति का ज्ञान न रहने पर अनुमिति नहीं होती उसी प्रकार व्याप्ति का विश्वरण हो जाने पर भी अनुमिति नहीं होती, अतः व्याप्तिश्वरण को अनुमिति का कारण माना जाता है । इस लिये पर्वत में धूम के दर्शन से पूर्व-गृहीत व्याप्ति के सहकार का उद्घोष होने पर 'जो जो धूम का आधय होता है वह-वह अग्नि का आश्रय होता है जैसे महानस' । इस प्रकार धूम में अग्नि की व्याप्ति का स्मरण होता है । इस प्रकार पक्ष में धूम का दर्शन, और व्याप्ति का स्मरण होने पर पक्ष में अग्निव्याप्ति रूप से धूम का जो तीसरा ज्ञान होता है वही अग्नि का अनुमापक होता है, अन्य ज्ञान नहीं होता है । वही ज्ञान अनुमान और लिङ्गपरामर्श कहा जाता है, अतः सुनिश्चित है कि लिङ्गपरामर्श ही अनुमान है ।

अब तक जिप्त अनुमान की चर्चा की गई उसके दो भेद हैं—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ।

स्वार्थानुमान—

स्वार्थानुमान वह अनुमान है जिससे स्वयं अनुमानकर्ता को साध्यानुमिति का लाभ होता है । जैसे कोई मनुष्य महानस आदि अनेक स्थानों में जाकर धूम और अग्नि के सहचार को देख धूम में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय करता है, उसके बाद पर्वत के पास पहुँचने पर पर्वत में उसे अग्नि का सन्देह होता है, किन्तु जब वहाँ मूल-स्थान से आकाश तक अविच्छिन्न रूप में कैले धूम को देखता है तब उस धूम में पूर्वगृहीत अग्निव्याप्ति के सहकार का उद्घोषन होकर 'जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होता है', इस प्रकार धूम में अग्नि की व्याप्ति का स्मरण होता है । उसके बाद पर्वत में अग्निव्याप्ति रूप से धूम का दर्शन होता है और इस दर्शन के कलशरूप उसे पर्वत में अग्नि की अनुमिति होती है । इस प्रकार यह साध्यानुमिति उसी मनुष्य को होती है जिसे पक्ष में साध्यव्याप्ति रूप से हेतु का निश्चयरूप अनुमान हुआ रहता है । अत एव यह अनुमान स्वार्थानुमान कहा जाता है ।

अनुमान के दो भेद बताये जा सकते हैं—एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान ।

उनमें स्वार्थानुमान का सदित परिचय भभी प्रस्तुत किया गया है, अब परार्थानुमान का परिचय देना है।

परार्थानुमान—

जब कोई मनुष्य स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर दूसरे मनुष्य को उस अनुमित अग्नि का रोध कराने के लिये पक्का रथ व वाक्य का प्रयोग करता है, तब उस वाक्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जो अनुमान होता है उसे परार्थानुमान कहा जाता है। जैसे 'पर्वतोऽग्निमान्—पर्वत अग्नि से युक्त है' (१) 'धूमवत्सात्—इसकी वह धूम से युक्त है' (२) 'या यो धूमवान् स शोऽग्निमान् यथा महानस्म—जो जो धूम से युक्त होता है वह अग्नि से युक्त होता है जैसे महानस—रघोऽधर' (३) 'तथा चायम्—पर्वत वैषा है अर्थात् अग्निनियन्त धूम से युक्त है' (४) 'तस्मात्तथा—इस लिये ऐसा है अर्थात् 'अग्नि से युक्त है' (५) इन पांच वाक्यों का प्रयोग होने पर श्रोता को उन वाक्यों द्वारा 'पर्वतोऽग्निमान्याप्यधूमवान्—पर्वत अग्निव्याप्य धूम से युक्त है' इस प्रकार का मानन बोध होता है, यह बोध ही परार्थानुमान है। इससे श्रोता की पर्वत में अग्नि की अनुमिति ठीक उत्तो प्रकार होती है जिस प्रकार उक्त वाक्यों का प्रयोग करनेवाले एक्ति को पढ़ते कभी अपने निजी प्रयास से पर्वत में अग्निव्याप्य धूम के ज्ञानरूप स्वार्थानुमानका उदय होकर पर्वत में अग्नि की अनुमिति हुई होती है।

यह परार्थानुमान जिन पांच वाक्यों से सम्बन्ध होता है उन पांचों के समूह को 'पात्र' कहा जाता है और उस समूह के एक एक वाक्य को 'प्रतिज्ञा'। इस वाक्य से पक्ष में साध्य के सम्बन्ध का बोध होता है। दूसरे वाक्य का नाम है 'प्रतिज्ञा'। इस वाक्य से पक्ष में साध्य के सम्बन्ध का बोध होता है। दूसरे वाक्य का नाम है 'देतु', इससे देतु में साध्य की ज्ञापनता का बोध होता है। तीसरे वाक्य का नाम है 'उदाहरण'। इससे देतु में साध्य की 'व्याप्ति' का बोध होता है, चौथे वाक्य का नाम है 'उपनय', इससे पक्ष में साध्यव्याप्य देतु के सम्बन्ध का अर्थात् पक्षधर्मना का बोध होता है। पाँचवे वाक्य का नाम है 'निगमन', इससे 'व्याप्ति' और पक्षधर्मना से युक्त देतु में अवशिष्ट और असत्यतिपक्षत्व के ज्ञापन के साथ पक्ष में साध्य के सम्बन्ध का ज्ञापन होता है।

अत्र पर्वतस्याग्निमत्त्वं साध्यं, धूमवत्त्वं हेतु । स चाऽन्यव्यतिरेकी, अन्वयेन 'व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्त्वात् । तथाहि, 'यत्र यत्र धूमवत्त्वं तप्त तग्निमत्त्वं, यथा महानसे, इति अन्वयव्याप्तिः, महानसे धूमाग्न्योर्व्यतसद्भावात् । एव 'व्यत्राग्निनास्ति तत्र वृमोऽपि नास्ति यथा महाद्वृदे' इतीयं व्यतिरेकव्याप्तिः, महाद्वृदे धूमाग्न्योर्व्यतिरेकस्य सद्भावदर्शनात् ।

व्यतिरेकव्याप्तेस्त्वयं कम—अन्वयव्याप्तो यद् व्याप्त्यं तदभावोऽत्र व्यापकः, यद्य व्यापकं तदभावोऽत्र व्याप्त्य इति । तदुक्तम्—

व्याप्त्य व्यापकरुभावो हि भावयोर्याहित्यते ।

तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतं प्रतीयते ॥

अन्वये साधनं व्याप्त्यं साध्यं व्यापकमित्यते ।

तदभावोऽन्यथा व्याप्त्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥

व्याप्त्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परम् ।

एवं परीक्षिता व्याप्ति सुकृतिभवति तत्त्वतः ॥

कु इलो वा. १२१-१२३

पद्मसत्त्व आदि उत्त पौच रूपों से युक्त होना जावश्यक होता है । उन रूपों में 'पद्मसत्त्व' का अर्थ है पद्म में रहना अर्थात् जिस धर्म में साध्य की अनुमिति होनी है उस धर्म में रहना । 'सपद्मसत्त्व' का अर्थ है सपद्म में रहना अर्थात् जिस धर्म में साध्य का निश्चय हो उसमें रहना । 'विपद्मासत्त्व' का अर्थ है विपद्म में न रहना अर्थात् जिस धर्म में साध्याभाव का निश्चय हो उसमें न रहना । 'अव्याधितसत्त्व' का अर्थ है पद्म में साध्य का नाय न होना अर्थात् जिस धर्म में साध्य की अनुमिति कराने के लिये हेतु प्रयुक्त है उस धर्म में साध्याभाव के निश्चय का न होना । 'असत्प्रतिपद्मसत्त्व' का अर्थ है सत्प्रतिपद्म का न होना अर्थात् जिस धर्म में साध्य की अनुमिति कराने के लिये हेतु प्रयुक्त है उसमें साध्याभावव्याप्त्य के निश्चय का न होना । पर्वत में अग्नि की अनुमिति कराने के लिये प्रयुक्त होने वाला धूम उक पौचों रूपों से युक्त होता है क्योंकि वह पद्म-पर्वत में रहने के कारण पद्मसत्त्व से, सपद्म-महानस में रहने के कारण सपद्मसत्त्व से, विपद्म-जलाशय में न रहने के कारण विपद्मासत्त्व से, पद्म-पर्वत में साध्य-अग्नि का बाब न होने से अव्याधितसत्त्व से और पद्म में साध्याभावव्याप्त्य-अग्न्यभावव्याप्त्य का निश्चय न होने से असत्प्रतिपद्मसत्त्व से सम्बन्ध होता है ।

इस प्रकार प्रतिज्ञा आदि पौच वाङ्मयों द्वारा होने वाला अनुमान यह पर्याप्त होता है—परप्रयोजन का सम्पादक होता है अतः वह परार्थानुमान कहा जाता है ।

इस परार्थानुमान में पर्वत में अग्निमत्त्व-अग्निसम्बन्ध अथवा अग्नि साध्य है, धूमसत्त्व-धूमसम्बन्ध अथवा धूम हेतु है और वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी है, क्योंकि उसमें अन्वय-

कश्चिद्देतुः केवलव्यतिरेकी । यथा—सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्त्वं हेतु । यथा—जीवच्छरीर सात्मक, प्राणादिमत्त्वात् । यत् सात्मक न भवति, तत् प्राणादिमत्त्वं भवति यथा घटः । न चेद् जीवच्छरीर तथा । तस्मान्न तथेति । अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्य, प्राणादिमत्त्वं हेतु । स च केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्तेरभावात् । तथाहि यत् प्राणादिमत्त्वं तत् सात्मक यथाऽनुमुक इति हप्तु न्तो नास्ति । जीवच्छरीर सर्वं पक्षं ‘एव ।

लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा पृथिवीलक्षण गन्धवत्त्वम् । विवादपद पृथिवीति व्यवहृतव्यम्, गन्धवत्त्वात्, यत्र पथिग्रीति व्यवहृत्यते तत्र गन्धवद् यथाऽप्यः प्रमाणलक्षण वा यथा प्रमाकरणत्वम् । तथाहि—प्रत्यक्षादिक प्रमाणमिति व्यवहृतव्यम्, प्रमाकरणत्वात् यत् प्रमाणमिति न व्यवहृत्यते तत्र प्रमाकरण यथा प्रत्यक्षाभासादि, न पुनस्तथेद, तस्मान्न तथेति । न पुनरत्र यत् प्रमाकरण तत् प्रमाणमिति व्यवहृतव्य यथाऽनुमुक इत्यन्वयदृष्टान्तोऽस्ति, प्रमाणमात्रस्य पक्षीकृतत्वात् । अत्र च व्यवहार साध्यो न तु प्रमाणत्वं, तस्य प्रमाफरणत्वाद्ब्रित्तोरभेदेन साध्याभेददोपप्रसङ्गात् । तदेव केवलव्यतिरेकिणो दर्शिता ।

इस प्रकार धूमवत्त्व में अन्वयव्यतिरेकी अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति होने से वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी है ।

इसी प्रकार अनित्यत्व आदि याध्यों के अनुमापक कृतकत्व आदि हेतुओं को भी अव्यव्यतिरेकी हेतु समझना चाहिये, जैसे ‘शून्देऽनित्य—शब्द अनित्य है’ ‘कृतकत्वात्—क्योंकि वह कृतक अर्थात् जाय है’ इस अनुमान में जन्यत्व अन्वयव्यतिरेकी हेतु है, क्योंकि जिस जिसम्^{*} ज यत्व रहता है उस उसमें अनित्यत्व रहता है जैसे घट में उन दोनों का अन्वय है, इसी प्रकार जिसम् अनित्यत्व का अभाव होता है उसमें जन्यत्व का भी अभाव होता है जैसे आकाश म अनित्यत्वं और जायत्व दोनों का अभाव है । फलत जैसे महानस में धूम और अग्नि का अन्वय तथा जलहृद में अग्नि और धूम का व्यतिरेक होने से अग्नि के अनुमान में धूम अन्वयव्यतिरेकी हेतु होता है उसी प्रकार घट में ज यत्व और अनित्यत्व का अन्वय तथा आकाश में अनित्यत्व और जन्यत्व का अन्वयव्यतिरेकी होने से अनित्यत्व के अनुमान में ज यत्व भी अन्वयव्यतिरेकी हेतु होता है ।

कोई हेतु केवलव्यतिरेकी होता है । जैसे सात्मकत्व के अनुमान में प्राणादिमत्त्व हेतु । इस हेतु द्वारा अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है । ‘जीवच्छरीर शामकम्—जीवित शरीर शामक—आत्मा स युक्त होता है, प्राणादिमत्त्वात्—क्योंकि वह प्राणादिमत्त्व होता है, यत् सात्मक न भवति तत् प्राणादिमत्त्व भवति—जो सात्मक नहीं होता

वह प्राणादिमान् नहीं होता जैसे घट। न चेदं जीवच्छ्रीर तथा—जीवित शरीर प्राणादि-हीन नहीं होता। तस्मान् तथा—इसलिये वह निरात्मक नहीं होता'। इस अनुमान में जीवित शरीर में सात्मकत्व साध्य है और प्राणादिमत्त्व हेतु है। यह प्राणादिमत्त्व हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु है क्योंकि उसमें अन्वयव्याप्ति नहीं है। ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जहाँ प्राणादिमत्त्व के साथ सात्मकत्व ज्ञात हो सके, क्योंकि ये दोनों धर्म जीवित शरीर में ही सम्भव हैं, अतः वही दृष्टान्त हो सकता था, पर उक्त अनुमान में समस्त जीवित शरीर के पक्ष में अन्तर्भूत होने के कारण दृष्टान्तरूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

लक्षण भी केवल व्यतिरेकी हेतु होता है, जैसे पृथिवी का लक्षण है गन्ध। उसे हेतु बना कर और पृथिवी को विवादात्मद वस्तु के रूप में पक्ष बनाकर इस प्रकार अनुमान का प्रयोग किया जाता है कि 'जिसमें यह निवाद-संशय है कि यह पृथिवी शब्द से व्यहृत हो अथवा न हो वह पृथिवी शब्द से व्यहृत होने योग्य है, क्योंकि उसमें गन्ध है, जो पृथिवी शब्द से व्यवहृत होने योग्य नहीं होता उसमें गन्ध नहीं रहता जैसे जल'। इस अनुमान में भी पृथिवी से अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें पृथिवी शब्द से व्यवहृत होने की योग्यतारूप साध्य तथा गन्धरूप हेतु का सहचार सम्भव हो और इसलिये उसे अन्वयी दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जल में उक्त साध्य और हेतु का अन्वय नहीं है किन्तु उन दोनों का व्यतिरेक है अतः उसे व्यतिरेकी दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अत एव पृथिवी का गन्धात्मक लक्षण केवल व्यतिरेकी हेतु के रूप में पृथिवी म पृथिवीशब्द से व्यवहृत होने की योग्यता का साधक होता है।

पृथिवी के गन्धात्मक लक्षण के समान प्रमाण का प्रमाकरणत्वरूप लक्षण भी केवल-व्यतिरेकी हेतु है। उस हेतु से अनुमान का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है—'प्रत्यक्ष, अनुमान आदि विवादात्मद पदार्थ प्रमाण शब्द से व्यहृत होने योग्य है, क्योंकि वे सब प्रमा के करण हैं, जो प्रमाण शब्द से व्यवहृत होने योग्य नहीं होते वे प्रमा के करण नहीं होते जैसे प्रत्यक्षाभास—मिथ्या प्रत्यक्ष, अनुमानाभास—मिथ्या अनुमान आदि। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमा के अकरण नहीं हैं, अतः वे प्रमाण शब्द से व्यवहृत होने के अयोग्य नहीं हैं'। इस अनुमान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जिसमें प्रमाकरण-त्वरूप हेतु और प्रमाण शब्द से व्यवहृत होने की योग्यतारूप साध्य रहते हों, क्योंकि ये दोनों धर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में ही सम्भव हैं और वे सब पक्ष में अन्तर्भूत हैं, अतः इस अनुमान में भी प्रत्यक्षाभास आदि व्यतिरेकी दृष्टान्त ही प्राप्य है।

इस अनुमान में उक्त रीति से प्रमाणशब्द का व्यवहार ही साध्य हो सकता है, प्रमाणत्व साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे साध्य करने पर प्रमाकरणत्व हेतु से उसका

कश्चिदन्यो हेतुः केवलान्वयी । यथा शब्दोऽभिधेयः प्रमेयत्वात् यत् प्रमेयं तदभिधेयं यथा घटः, तथा चायं, तस्मात्तथेति । अत्र शन्दस्य अभिधेयत्वं साध्यम्, प्रमेयत्वं हेतुः, स च केवलान्वयेव । यदभिधेयं न भवति, तत्प्रमेयमपि न भवति यथाऽमुक इति व्यतिरेकृष्टान्ताभावात् । सर्वत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टान्तः, स च प्रमेयश्चाभिधेयश्चेति ।

एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलव्यतिरेकिहेतुनां विद्याणां मध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पञ्चरूपोपपत्र एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, तत्वेकेनापि रूपेण हीनः । तानि पञ्चरूपाणि पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षव्याप्तिः, अधित्विषयत्वम्, असत्यतिश्वत्वं चेति । एतानि तु पञ्च रूपाणि भूमवत्त्वादौ अन्वयव्यतिरेकिणि हेतौ विद्यन्ते । तथाहि भूमवत्त्वं पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः; पर्वते तस्य विद्यमानत्वात् । एवं सपक्ष-सत्त्वं सपक्षे महानसे तद् विद्यत इत्यर्थ । एवं विपक्षान्महाहाद्वादू व्यावृत्तिस्तत्र नास्तीत्यर्थः । एवमव्याधितविग्रहं च भूमवत्त्वम् । तथाहि भूमवत्त्वस्य हेतोर्विधयः साध्यो धर्मः, तच्चान्निमत्त्वं, तत् केनापि प्रमाणेन न व्याधितं-न यण्डतमित्यर्थः । एवमभूतप्रतिपक्षत्वम्-असन् प्रतिपक्षो यस्येभ्यसत्यतिपक्षं भूमवत्त्वं हेतुः । तथा हि साध्यविपरीतसाधकं हेत्यन्तरं प्रतिपक्ष दस्युल्यते, स च भूमवत्त्वे हेतौ नास्त्वेव, अनुपन्नभावात् । तदेवं पञ्चरूपाणि भूमवत्त्वे हेतौ विद्यन्ते, तेनैवद्यूमवत्त्व-मन्निमत्त्वस्य—गमकम्-साधकम् ।

अग्ने पक्षधर्मत्वं हेतो पक्षधर्मतावलात् सिद्ध्यन्ति । तथाहि अनुमानस्य द्वे अङ्गे व्याप्ति पक्षधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः । पक्षधर्मतावलात् साध्यस्य पक्षसम्बन्धित्वं विशेषः सिद्ध्यति । पर्वतघर्मेण धूमवत्त्वेन वहिरपि पर्वतसम्बद्ध एवानुभीयते । अन्यथा साध्यसामान्यस्य व्याप्तिप्रवादेव सिद्धे कृतमनुमानेन ।

मेद न होने के कारण साध्य और हेतु में भेददोष का प्रसङ्ग होगा, और उस विधि में प्रत्यक्ष आदि पक्ष में प्रमाकरणत्व का निश्चय रहने पर सिद्धाधान और निश्चय न रहने पर हेत्वादिदि दोष होगा । अतः इस अनुमान में प्रमाणत्व को साध्य मानना उचित नहीं है । इन प्रकार तीन केवलव्यतिरेका हेतुओं का प्रदर्शन किया गया ।

धूम, कृतक्ष्य आदि अन्वयव्यतिरेकी तथा प्राणादिपत्त्व, गन्धवत्त्व और प्रमाकरणत्व आदि केवलव्यतिरेकी हेतुओं से अन्य कोई हेतु केवलान्वयी हेतु होता है । जैसे ‘शन्द

अभिवेद है—अभिवा अर्थात् शक्तिनामक वृत्ति के द्वारा पदबोध है, क्योंकि प्रमेय है—प्रमा अर्थात् यथार्थ ज्ञान का विषय है, जो प्रमेय होना है वह अभिवेद होता है जैसे घट प्रमेय होने से अभिवेद है, शब्द अभिवेयत्व के व्याप्त प्रमेयत्व का आश्रय है, अतः प्रमेयत्व से ज्ञाप्य अभिवेयत्व का आश्रय है। इस प्रकार के अनुमानप्रयोग में शब्द पक्ष, अभिवेयत्व साध्य और प्रमेयत्व हेतु होता है। यह हेतु वेवलान्वयी ही होता है, यह अन्वयव्यतिरेकी अथवा केवलव्यतिरेकी नहीं होना, क्योंकि इस अनुमान में अभिवेयत्वरूप साध्य और प्रमेयत्वरूप हेतु का आश्रयभूत घट, घट आदि अन्वयी दृष्टान्त ही सुलभ है। जो अभिवेद नहीं होना वह प्रमेय नहीं होना इस प्रकार का कोई पदार्थ व्यतिरेकी दृष्टान्त के रूप में प्राप्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रमाणसिद्ध पदार्थ ही दृष्टान्त होता है और जो प्रमाणसिद्ध है वह प्रमेय और अभिवेद ही होता है। अतः किसी भी पदार्थ में अभिवेयत्व और प्रमेयत्व का व्यतिरेक न होने से व्यतिरेकव्याप्ति के दुर्घट होने के कारण अभिवेयत्व के साधनार्थ प्रयुक्त होने वाला प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी ही हेतु हो सकता है।

अन्वयव्यतिरेकी, वेवलव्यतिरेकी और केवलान्वयी इन तीनों हेतुओं में जो अन्वयव्यतिरेकी हेतु होता है वह पौच रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य की अनुमिति करने में समर्थ होना है। यदि वह पौच रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन होता है, तो वह अपने साध्य के साधन में समर्थ नहीं होता। वे पौच रूप हैं, पद्मसत्त्व, सप्तशतत्व, विचलनव्याहृति, अवाचिनविषयत्व और असत्त्वतिपद्मत्व। ये गमस्तीप्रयिक-अनुमापकता के प्रयोजक रूप कहे जाते हैं, जो हेतु इन सभी रूपों से सम्बन्ध होता है वही अन्वयव्यतिरेकी हेतु के रूप में साध्य का अनुमापक हो सकता है। जैसे— धूमगत्व पर्वत में विद्यमान होने से पद्म-रवंत का धर्म है, इसलिये उसमें पहला रूप पद्मसत्त्व विद्यमान है। वह उपनू-महानस में जड़ों साध्य-अग्नि का निश्चय है, विद्यमान है, अतः उसमें दूसरा रूप सप्तशतत्व भी है। विचल-बलहृद में, जहाँ साधामाव-अग्नि के अभाव का निश्चय है, वह नहीं रहता, अतः उसमें तीसरा रूप विष्वद्वयावृत्ति भी है। धूमगत्व हेतु में जौधा रूप अवाचितविषयत्व भी है क्योंकि उसका विषय है अग्निमत्त्व रूप साध्यात्मक धर्म, जो पद्म-पर्वत में किसी भी प्रमाण से वाचिन-लण्डित नहीं है। उसमें पौचवॉं रूप असत्त्वतिपद्मत्व भी विद्यमान है, क्योंकि जिसका पतिरक्त विद्यमान न हो वही असत्त्वतिपद्म होता है और धूमगत्व का कोई प्रतिरक्त विद्यमान नहीं है। जैसे साध्य के साधनार्थ प्रयुक्त हेतु से भिन्न कोई हेतु जब साध्यविशेष अर्थात् साध्यविरोधी साध्याभाव के साधनार्थ प्रयुक्त होता है तब वही

यस्त्वन्योऽप्यन्वयव्यतिरेकी हेतु, स सर्वः पञ्चरूपोपपत्र एव सद्देतुः ।
अन्यथा हेत्वाभासोऽहेतुरिति यावत् ।

केवलान्वयी चतुरूपोपपत्र एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षाद्
व्याख्यात्तिर्णस्ति, विपक्षाभावात् ।

केवलान्वयितरेकी च चतुरूपोपपत्र एव । तस्य हि सपक्षसन्वं नाति
सपक्षाभावात् ।

के पुनः पक्ष-सपक्ष-विपक्षा^१ उच्यन्ते—संदिग्धवाध्यधर्मा धर्मी पक्ष,
यथा धूमानुमाने-पर्वत-पक्ष । सपक्षस्तु निश्चितसाध्यधर्मा धर्मी, यथा महानर्स
धूमानुमाने । विपक्षस्तु निश्चितसाध्याभावाववान् धर्मी, यथा तत्रैव महाहर्द इति ।

तदेव मन्वयव्यतिरेकि—केवलान्वयिति—केवलव्यतिरेकिणो दर्शिताः ।

साध्य के सावक हेतु का प्रतिपक्ष कहा जाता है, धूमवत्त्व हेतु का वैसा कोई प्रतिपक्ष
नहीं है क्योंकि वैसे किसी का उपलभ्म नहीं होता ।

इस प्रकार धूमवत्त्व हेतु में गमकतीपयिक उक्त पाँचों रूप विद्यमान हैं अतः
धूमवत्त्व हेतु अग्निमत्त्व का साधक होता है ।

अग्नि की पद्धतिमता धूमात्मक हेतु की पद्धतिमता के बल से छिद्र होती है क्योंकि
पक्ष में हेतुकी विद्यमानता हा पक्ष में साध्य की विद्यमानता का गमक होती है ।
ताथर्य यह है कि अनुमान के दो अङ्ग होते हैं—व्याप्ति और पक्षवर्तता । उनमें
व्याप्ति से 'जहाँ हेतु होता है वह साध्य होता है' इस प्रकार सामान्य रूप से ही हेतु
के पाठ्य में साध्य की लिंगदाती है, किन्तु पद्धतिमता-पक्ष में हेतु की विद्यमानता
के बल से 'इस पक्ष में यह साध्य है' इस प्रकार विशेष रूप से पक्ष में साध्य की लिंग
होता है । पर्वा में विद्यमान धूम से पर्वत म विद्यमान अग्नि की ही अनुभित होती
है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो अनुमान की ओर सार्थकता ही न होगी क्योंकि
हेतु के आध्य में साध्य की सामान्यसेद्धि तो व्याप्तिशान से ही सम्भव हो जाती है ।

धूम से अन्य भी जो कोई अन्यव्यतिरेकी हेतु होता है वह सब भी धूम के
समान उक्त पाँच रूपों से युक्त होने पर ही उद्देतु होता है, अन्यथा होने पर अपांत,
उक्त रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन होने पर हेत्वाभाव—अभ्युदेतु हो जाता है ।

केवलान्वयी हेतु उक्त रूपों म से तीसरा हर विश्वव्याप्ति को होड़ अन्य चार
रूपों से युक्त होने पर ही अन्य का साधक होता है, उक्तमें तीसरा रूप विश्वव्याप्ति
नहीं होता क्योंकि केवलान्वयी हेतु का जो साध्य होता है उसमा सर्वत्र सम्भाव होने से

केवलान्वयी हेतु का कोई विपक्ष नहीं होता, अतः उसमें विपक्षव्यावृत्तिरूप से सम्बन्ध होने की बात ही नहीं उठ सकती।

केवलव्यतिरेकी हेतु उक्त रूपों में से दूसरे रूप सपदासत्त्व को छोड़ अन्य चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य का साधक होता है, उसमें दूसरा रूप सपदासत्त्व नहीं होता, क्योंकि केवलव्यतिरेकी हेतु का जो साध्य होता है वह अनुमान से पूर्व कहीं सिद्ध नहीं रहता, क्योंकि अनुमान होने से पूर्व पक्ष में तो वह सन्दिग्ध ही रहता है और पक्ष से अन्य में उसका साध्य होने से उनमें उसके सिद्ध होने की कोई कथा ही नहीं हो सकती, अतः केवलव्यतिरेकी हेतु का सपदा न होने के कारण उसमें सपदासत्त्व के होने की बात ही नहीं उठ सकती।

प्रश्न होता है कि पक्ष, सम्बन्ध और विपक्ष किसे कहा जाता है? उत्तर है कि जिस धर्मी में साध्यात्मक धर्म सन्दिग्ध हो उसे पक्ष कहा जाता है, जैसे पर्वत में धूम से अग्नि का अनुमान करने पर पर्वत पक्ष होता है क्योंकि अनुमान से पूर्व पर्वत में अग्नि का होना सन्दिग्ध रहता है।

जिस धर्मी में साध्यात्मक धर्म का निश्चय हो उसे सपदा कहा जाता है जैसे उक्त अनुमान में महानत, क्योंकि उक्त अनुमान से पूर्व भी उसमें साध्य-अग्नि का सद्ग्राहक निश्चित रहता है।

जिस धर्मी में साध्याभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहा जाता है जैसे उक्त अनुमान में ही अलहृद, क्योंकि उसमें साध्य-अग्नि का अभाव निश्चित रहता है।

इस प्रकार अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी हेतुओं का प्रदर्शन किया गया।

इन हेतुओं के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि अन्वयव्यतिरेकी आदि तीन दण्डों में हेतुओं का जो विभाजन किया गया है उसके आधार के विषय में विद्वानों में मतभेद है। उदयनाचार्य जैसे प्राचीन नैयायिकों का मत यह है कि सभी अनुमान एकमात्र अन्वयव्याप्ति से ही सम्बन्ध होते हैं, चाहे किसी अन्यथी दृष्टान्त में हेतु और साध्य के अन्वयसहचार का ज्ञान हो, चाहे किसी व्यतिरेकी दृष्टान्त में दोनों के व्यतिरेक-सहचार का ज्ञान हो और चाहे दोनों प्रकार के दृष्टान्तों में एक ही साथ अन्वय-सहचार और व्यतिरेकसहचार दोनों का ज्ञान हो, उन सभी ज्ञानों से हेतु में साध्य की अन्वयव्याप्ति का ही ज्ञान होता है और सर्वत्र उसी ज्ञान से अनुमिति का उदय होता है। इस मत के अनुसार हेतु का विभाजन व्याप्तिप्राप्त सहचार के आधार पर होगा और वह इस प्रकार होगा कि जब 'जहाँ जहाँ हेतु रहता है वहाँ वहाँ साध्य रहता है' इस प्रकार हेतु में साध्य के अन्वयसहचारमात्र के ज्ञान से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान

होकर अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु केवलान्वयी हेतु कहा जायगा। इसी प्रकार 'जहाँ जहाँ साध्य नहीं रहता वहाँ वहाँ हेतु नहीं रहता' इस प्रकार जब साध्य के व्यतिरेक में हेतु के व्यतिरेकसहचारमात्र के ज्ञान से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होगा, उस समय हेतु केवलव्यतिरेकी हेतु कहा जायगा।

इसी प्रकार जब अन्वयसहचार और व्यतिरेकसहचार दोनों का एक साथ ज्ञान होने से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का जन्म होगा उस समय हेतु अन्वयव्यतिरेकी हेतु कहा जायगा।

इस प्रकार इस मत में एक ही हेतु कभी केवलान्वयी, कभी केवलव्यतिरेकी और कभी अन्वयव्यतिरेकी होगा।

तत्त्वचिन्तामणिकार गद्वैशोपाध्याय का मत यह है कि हेतु में साध्य के अन्वयसहचार के ज्ञान से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होता है, और साध्य के व्यतिरेक में हेतु के व्यतिरेकसहचार के ज्ञान से व्यतिरेकव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होता है, और जब दोनों प्रकार के सहचार का एक साथ ज्ञान होता है तब अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्तियों का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होता है। इस मत के अनुसार व्याप्ति के आधार पर हेतु का भेद होगा और वह इस प्रकार होगा कि जब हेतु में साध्य की अन्वयव्याप्तिमात्र का ज्ञान होकर केवल उस एक ही व्याप्ति के ज्ञान से अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु केवलान्वयी हेतु कहा जायगा।

जिस समय हेतु में साध्य की व्यतिरेकव्याप्तिमात्र का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होगा। उस समय हेतु केवलव्यतिरेकी हेतु कहा जायगा।

जिस समय दोनों प्रकार के सहचारों से दोनों प्रकार की व्याप्तियों का एक साथ ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु अन्वयव्यतिरेकी कहा जायगा।

इस प्रकार इस मत में भी एक ही हेतु कभी केवलान्वयी, कभी केवलव्यतिरेकी और कभी अन्वयव्यतिरेकी होगा।

दीधितिकार तार्किकशिरोदणि रघुनाथ का मत यह है कि साध्य के भेद में हेतु का भेद होता है। इस मत के अनुसार हेतु के प्रथम दो भेद किये जायें केवलान्वयी और व्यतिरेकी। व्यतिरेकी के दो भेद होने केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्याप्तिरेकी। जिस हेतु से केवलान्वयी—सर्वत्र रहने वाले साध्य का अनुमान होगा वह हेतु केवलान्वयी कहा जाएगा, और जिस हेतु से व्यतिरेकी—सर्वत्र न रहने वाले साध्य का अनुमान होगा वह व्यतिरेकी हेतु कहा जायगा। व्यतिरेकी साध्य का अनुमान जब किसी हेतु से

अतोऽन्ये हेत्वाभासा ।

ते च असिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्ति-कप्रकरणसम-कालात्ययापदिद्वयेदात् पञ्चैव ।

तत्र लिङ्गत्वेनानिश्चितो हेतु असिद्ध । तत्रासिद्धखिविध—आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्धो व्याप्त्यत्वासिद्धइच्छति । आश्रयासिद्धा यथा—गगनारविन्द सुरभि, अरविन्दत्वात्, सरोजारविन्दवत् । अत्र गगनारविन्दभावय, स च नास्त्येव । स्वरूपासिद्धो यथा—शब्दोऽनेत्यश्वालुपत्वाद्, घटवत् । अत्र चाक्षुपत्व हेतु, स च शब्द नास्त्येव, तस्य शावणत्वात् ।

व्याप्त्यत्वासिद्धस्तु द्विविध । एका व्याप्तिप्राहकप्रमाणाभावात्, अपरस्तू-पाधिसद्वाबात् । तत्र प्रथमो यथा—शब्द क्षणिक, सन्त्वान् । यत् सत तत् क्षणिक यथा जलधरपटल, तथा च शब्दादरिति । त च सत्त्वक्षणिकत्वयोऽव्याप्ति प्राहक प्रमाणमस्ति । सोपाधिकतया सत्त्वस्य व्याप्त्यत्वासिद्धी उच्यमानाया क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यनुपगत स्यात् ।

द्वितीया यथा कल्पन्तर्वतिनी द्विसात्वात्, कलुषाहाद्विसात्व । अत्र शृंधमेसाधनत्वे द्विसात्व न प्रयोजक, किन्तु निपिद्धत्वमेव प्रयाजकम्-उपाधिरिते यावत् । तथाह साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधि—इत्युपा-धिलक्षणम्, तच्चास्ति निपिद्धत्व । निपिद्धत्व हि साध्यस्याधर्मसाधनत्वस्य व्यापकम्, यतो यत्र यत्राधर्मसाधनत्व तत्र तत्रावश्य निपिद्धत्वमपीति । एव साधन द्विसात्वं न व्याप्तोति निपिद्धत्वम्, न हि यत्र यत्र द्विसात्व तत्र तत्रावश्य निपिद्धत्व, यद्यपशुहिसाया निपिद्धत्वाभावात् । तदेव निपिद्धत्वस्योपाधे सद्वा-चाद् अन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवि द्विसात्वं व्याप्त्यत्वासिद्धमेव ।

व्यतिरेकछहचारमयज्ञ के ज्ञान से व्याप्तिगत होकर सम्पादित होगा उस समय वह हेतु वेबलव्यापतरकी कहा जायगा और जब किसी हेतु से अन्वयछहचार और व्यतिरेक सहचार दोनों से व्याप्तिगत होकर सम्पादित होगा उस समय वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी हेतु कहा जायगा ।

इस प्रकार इस मतमें जिस हेतु का साध्य केवलान्वयी होगा उसे वेबलान्वयी और जिस हेतु का साध्य व्यतिरेकी होगा उसे कमो केवलव्यतिरेकी और कभी अन्वयव्यतिरेकी कहा जायगा ।

तक्षभाषाकार ने जो हेतु का विभाजन किया है वह दृष्टान्तमेद पर आधारित है, उसके अनुसार जिस हेतु म साध्य के उच्चार को महण करने के लिये अन्वयी दृष्टान्त तथा साध्याभाव म साधनाभाव के उच्चार को महण करने के लिये व्यतिरेकी दृष्टान्त

मुलभ है वह हेतु अन्यव्यतिरेकी और जिस हेतु में साध्य के अन्यसद्वार को ही प्रदण करने के लिये दृष्टान्त प्राप्य है व्यतिरेकसद्वार को प्रदण करने के लिये कोई दृष्टान्त प्राप्य नहीं है यह केवलान्यारी और जिस हेतु में साध्य के सद्वार का माहक कोई दृष्टान्त प्राप्य नहीं है किन्तु साध्यव्यतिरेक में हेतुव्यतिरेक के ही सद्वार का प्राप्त दृष्टान्त प्राप्य है वह ने उल्लिखितरेकी अनुमान होता है।

अन्यव्यतिरेकी, वेवलान्यारी और वेवलव्यतिरेकी इन तीन वर्गों में सद्वेतु का वर्णन किया गया, अब आगे हेत्वाभास—अपदेतु का वर्णन करना है।

हेत्वाभास शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ की जाती हैं एक है 'आभासन्त हेत्वाभासः, हेतोरभासा हेत्वाभासाः' और दूसरी है 'हेतुवद् आभासन्त हति हेत्वाभासः'। पहली व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ है हेतुगत दोष और दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ है, वास्तव में हेतु न होते हुये भी हेतु के समान प्रतीत होने वाला -दुष्ट हेतु।

न्यायराख के मूर्खन्य प्रथमों में हेतुगतदोषात्मक हेत्वाभास के कई लक्षण किये गये हैं उनमें जो बाहुल्येन चर्चित होता है वह इस प्रकार है—

जिसके ज्ञान से अनुमिति अथवा अनुमिति के कारण तृतीय लिङ्गपारामर्श का प्रतिक्रिया हो वह हेत्वाभास—हेतुगत दोष होता है। उसके पाँच मेद हैं—असिद्ध, विरोध, अनैशानिकत्व—व्यभिचार, प्रकरणसम्बन्ध—सत्प्रतिष्ठित और कालात्ययापदिष्टत्व—वाप्ति। इनमें प्रथम तीन के ज्ञान से अनुमिति के कारण पर्याप्ति का और अनितम दो के ज्ञान से अनुमिति का प्रतिक्रिया होता है।

जिन अनुमानों के प्रयोग में ये दोष प्राप्य होते हैं उन अनुमानों में प्रयुक्त होने वाले हेतु दुष्ट हेतु के अर्थ में हेत्वाभास होते हैं। उनके भी पाँच मेद हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनैशानिक—व्यभिचारी, प्रकरणसम्बन्ध—सत्प्रतिष्ठित और कालात्ययापदिष्ट—वाप्ति।
असिद्ध—

पाँच दुष्ट हेतुओं में असिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है, उसका लक्षण यह है कि जिस हेतु में लिङ्गत्व—पाति और पक्षमर्ता (दोनों अथवा दोनों में कोई एक) सिद्ध—निश्चित न हो वह असिद्ध है। उसके तीन मेद हैं—आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्यवासिद्ध। इनमें प्रथम दो में पक्षमर्ता सिद्ध नहीं हो पाती और तीसरे में व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती।

आश्रयासिद्ध—

जिस हेतु का आधय अर्थात् पक्ष सिद्ध—निश्चित न हो उसे आश्रयासिद्ध कहा जाता है। जैसे 'गमनारञ्जन्द सुरभिन्नाकाशकमल सुगन्धयुक्त है, 'अरविन्दवात्—

क्योंकि वह कमल है, जैसे तालाब का कमल'। इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होने पर अरबिन्दत्व हेतु आश्रयासिद्ध होता है क्योंकि उसना आश्रय अर्थात् जिस आश्रय—पद्म में साध्य के साधनार्थ वह हेतु प्रयुक्त है वह आकाशकमलरूप आश्रय सिद्ध नहीं है, क्योंकि आकाश में कमल का पुष्ट नहीं होता और जब उन्हेतु का पद्म ही सिद्ध नहीं है तो उक्त हेतु में पद्मधर्मता की सिद्धि सम्भव न होने से लिङ्गत्व मुतराम् असिद्ध है।

स्वरूपासिद्ध—

जो हेतु आश्रय—पद्म में अपने स्वरूप से सिद्ध न हो अर्थात् जिस हेतु का वह में अभाव हो उसे स्वरूपासिद्ध कहा जाता है, जैसे 'शब्दः अनित्यः—शब्दः अनित्यः—नश्वरः है, चाद्युपत्त्वात्—क्योंकि वह चाद्युपत्त है—चल्लु से लाद्याकृत होता है जैसे घट। इस अनुमान-प्रयोग में चाद्युपत्त हेतु है और वह हेतु शब्द—पद्म में नहीं ही है। क्योंकि उसमें श्रावणत्व है—वह धर्मण से एहीत होता है। अतः शब्द—पद्म में अपने स्वरूप से सिद्ध न होने के कारण उक्त अनुमान में चाद्युपत्त हेतु स्वरूपासिद्ध है।

व्याप्त्यत्वासिद्ध—

जिस हेतु में व्याप्ति सिद्ध न हो उसे व्याप्त्यत्वासिद्ध कहा जाता है, उसके दो ऐद है—एक वह जिसमें व्याप्ति का ग्राहक कोई प्रमाण न होने से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती, दूसरा वह जिसमें उपाधि होने से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती। उनमें पहले व्याप्त्यत्वासिद्ध का उदाहरण है—ज्ञानिकत्व का सार्वन करने के लिये प्रयुक्त होने वाला सत्त्व। जैसे 'शब्दः ज्ञानिकः—शब्दः ज्ञानिक है अर्थात् अपनी उत्पत्ति के अनन्तर उत्तरदृष्टि में नश्वर है, 'सत्त्वात्—क्यों कि वह सत् है', 'यत् सत् तत् ज्ञानिक यथा जलधर-पटलम्—जो सत् होता है वह ज्ञानिक होता है जैसे बादलों की पदा, तथा च शब्दादिः—शब्द आदि पदार्थ वैषा है—सत् है। इस अनुमान में ज्ञानिकत्व के साधनार्थ प्रयुक्त सत्त्व हेतु में ज्ञानिकत्व की व्याप्ति नहीं सिद्ध हो पाती क्योंकि सत्त्व में ज्ञानिकत्व की व्याप्ति का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। अतः व्याप्तिग्राहक अप्रमाण के अभाव से व्याप्ति की सिद्धि न होने के कारण ज्ञानिकत्व के अनुमानार्थ प्रयुक्त सत्त्व हेतु व्याप्त्यत्वासिद्ध है।

इच्छ हेतु को उपाधियुक्त होने के कारण व्याप्त्यत्वासिद्ध नहीं माना जा सकता क्यों कि वैषा मानने पर शब्द आदि पदार्थों में ज्ञानिकत्व है किन्तु वह सत्त्वप्रयुक्त न होकर अन्यप्रयुक्त है, यह मानना होगा। परन्तु यह भाव पदार्थस्यैर्यादी नैयायिकों को मान्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि शब्द आदि पदार्थों में ज्ञानिकत्व की अनुमिति कराने के उद्देश्य से सत्त्व हेतु का प्रयोग करने पर यदि उस हेतु को संपादिक मान कर

व्याप्त्वासिद्ध माना जायगा तो उससे देखल यही सिद्ध होगा कि सत्त्व में चूणिकत्व की व्याप्ति न होने से सत्त्व से चाणकत्व का अनुमान न हो सकेगा पर इससे यह तो नहीं सिद्ध हो सकगा कि शब्द आदि में चूणिकत्व नहीं है। हो सकता है कि शब्द आदि में चूणिकत्व किसी अन्य हेतु से प्रयुक्त हो जो सोपाधक न होने से चूणिकत्व का व्याप्त्य हो। किन्तु जब व्यासिमाहक प्रमाण के अभाव से सत्त्व को व्याप्त्वासिद्ध कहा जाता है तब उससे यह सकेत मिलता है, कि शब्द आदि पदार्थों में रहने वाले किसी धर्म में क्षाणकत्व का प्रमाण का भावक प्रमाण होगा भी तो उससे शब्द आदि में चूणिकत्व का व्याप्ति का भावक प्रमाण होगा भी तो उससे शब्द आदि में चूणिकत्व का अनुमान न हो सके क्योंकि वह धर्म शब्द आदि पदार्थों में स्वयं स्वरूपसिद्ध है।

यहीं इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि शब्द आदि में चूणिकत्व के साधनार्थ सत्त्व हेतु का प्रयाग करने में बौद्ध विद्वानों का क्या अभिप्राय है ?

ज्ञात यह है कि बौद्ध विद्वान् उसी पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं जो अथ क्रियाकारी होता है—किसी काय को उत्पन्न करता है। जो किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करता, उसे सत् मानने में कोइ युक्ति नहीं है। सधार का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी पदार्थ का उत्पादक होने से हा यत् होता है, अतः अनभिमत होने पर भी यह मानना ही होगा कि सधार का प्रत्येक पदार्थ चूणिक है क्योंकि चूणिक पदार्थ को ही किसी कार्य का उत्पादक माना जा सकता है, स्थिर पदार्थ को नहीं, क्योंकि यह नियम है कि जिस पदार्थ में जिस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वह उसे उत्पन्न करने में विलम्ब नहीं करता, फलतः जो पदार्थ जिस क्षण में स्वयं अस्तित्व में आयेगा उसके अनन्तर उचर क्षण में ही उसके सारे काय उत्पन्न हो जायगे, उसका कोई कार्य शोप न रह जायगा, अतः दूसरे क्षण उसके जस्तित्व का कोई प्रयोजन न होने से वह अपन दूसर क्षण म ही नष्ट हो जायगा। इस लिये यह निर्विवाद है कि सधार का प्रत्येक पदार्थ चूणिक है। इस चूणिकता का परिदृश्य उस स्थिति में हो सकता है यदि पदार्थों का विलम्ब स अपने कार्य का उत्पादक माना जाय, किन्तु यह सम्भव नहीं है, क्योंकि विलम्ब से कार्य का उत्पादन करना यदि उसका स्वभाव होगा तो ‘स्वभावो मूर्धन चतुर्ते’ के अनुसार उस पदार्थ के सारे जीवनकाल में उसका यह स्वभाव नना रहेगा जिसका परणाम यह होगा कि यह कभी किसी कार्य का उत्पन्न न कर सकेगा और जब वह अनुपादक होगा तो उसका अस्तित्व ही प्रमाणहीन हो जायगा।

बौद्धों के इस तर्क के विशद्द नैयायिकों का कथन यह है कि सधार का कोई पदार्थ किसी काय का उत्पादक होने से सत् नहीं होता किन्तु यत् होने से उत्पादक होता है अर्थात् पदार्थ द्वारा स्वयं अपन अस्तित्व में आता है तब वह अन्य किसी कार्य को उत्पन्न करता

है, दोनों बात हो सकती है, वह किसी कार्य को अपने जन्म के दूसरे ही द्वंद्य उत्पन्न कर सकता है और किसी को विलम्ब से भी उत्पन्न कर सकता है। विलम्ब से उत्पादक मानने पर वह उत्पादक ही न हो सकेगा, यह सोचना निरर्थक है, क्योंकि जो कपी उत्पादक ही नहीं होगा उसे विलम्बोत्पादक कैसे कहा जा सकेगा। क्योंकि विलम्बोत्पादक कहने का अर्थ ही यह है कि वह उत्पादक अवश्य है, पर उत्पादन में वह स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अन्य सहयोगियों की अपेक्षा करता है, अतः जिस कार्य के उत्पादन में अपाद्यत सहयोग उसे उसके जन्मदण्ड म ही प्राप्त हो जाते हैं उस कार्य को तो वह अपना उत्पत्ति के दूसरे द्वंद्य म ही उत्पन्न कर देता है, पर जिन कार्यों के उत्पादन में अपतित सहयोगी उसे विलम्ब से प्राप्त होते हैं उन कार्यों को वह विलम्ब से उत्पन्न करता है। अन. 'जो पदाथ जिन कार्यों के उत्पादन की ज्ञानता रखता है उन सभी कार्यों को वह उत्पन्न होते ही कर डालता है' यह नियम है, इसलिये बाद म उसकी कोइ उपयोगना न होने से बाद म उसका अस्तित्व अप्रामाणिक है, यह कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि पदार्थों का कार्योत्पादकता के सम्बन्ध म उक्त नियम ही अप्रामाणिक है अतः उस नियम के बल से पदार्थों का स्थिरता का प्रतिपेद नहीं हो सकता।

दूसर व्याप्तिकासिद्ध का उदाहरण इस प्रकार है—

यह म होने वाला हिंसा को पहले बनाकर उसमें अधमसाधनत्व की अनुमिति बरान के उद्देश्य से जब इस प्रकार अनुमान का प्रयोग किया जाता है कि 'यह म होने वाली हिंसा अर्थर्म का उत्पादिका है, क्योंकि वह भा हिंसा है, हिंसा जो भी हो वह सब अधम की उत्पादिका होती है, जैसे यह के बाहर की हिंसा'। तो इस अनुमान में प्रयुक्त हिंसात्व हेतु उधाधिग्रस्त होने से व्याप्तिकासिद्ध ही जाता है। उसे इस प्रकार व्याप्तिकासिद्ध कहने का आशय यह है कि कोई भा हिंसा इस लिए अर्थर्म की उत्पादिका नहीं होती कि वह हिंसा है किन्तु इस लिये अधम का उत्पादिका होती है कि वह शास्त्रत्वत् निपिद्ध है, यह के बाहर की हिंसा शास्त्रनिपिद्ध होने के कारण अधम उत्पन्न करती है किन्तु यह म होने वाली हिंसा शास्त्रनिपिद्ध नहीं है, किन्तु शास्त्रविहित है, अतः केवल हिंसा होने के कारण वह अधम का उत्पादन नहीं कर सकती।

हिंसा के अर्थसाधनत्व म हिंसात्व प्रयोजक नहीं होता किन्तु निपिद्धत्व प्रयोजक होता है, प्रयोजक को उपाधि कहा जाता है, अतः हिंसात्व हेतु म निपिद्धत्व उपाधि है। निपद्धत्व के उपाधि होने म कोई शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि वह उपाधि के लक्षण से अनुगत है। उपाधि का लक्षण है 'साध्यव्यापकत्वे सति साधना-व्यापकत्वम्' अर्थात् जो साध्य का व्यापक और साधन—हेतु का अव्यापक होता है उसे उपाधि कहा जाता है। उपाधि का यह लक्षण निपिद्धत्व में विद्यमान है, क्योंकि जिस जिस कर्म में अधमसाधनत्व है उन सभी कर्मों में निपिद्धत्व है, जैसे मद्यपान, परत्तीसेवन, मिथ्या-

भाषण, प्रवन का अपहरण आदि कहों में अधर्मसाधनत्व के साथ निपिद्धत्व विद्यमान है। इस लिये निपिद्धत्व अधर्मसाधनत्वरूप साध्य का व्यापक है। निपिद्धत्व हिंसात्वरूप साधन का अश्यापक है, क्योंकि हिंसात्व यज्ञ में होने वाली हिंण में विद्यमान है किन्तु उसमें निपिद्धत्व नहीं है। अभिप्राय यह है कि यद्यपि 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि—किमी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये' इस शास्त्रबचन से सारी हिंसा का निषेव प्रतीत होता है, पर सम्बन्ध हिंसा के निषेव म उन उत्तरत तात्त्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'अग्नीषोमीय पशुपालमेत् जग्मि और सोम देवता के उद्देश्य से पशुहिंसा करनी चाहिये' ऐसे अनेक शास्त्रबचनों से अनेक हिंसाये विद्वित हैं। अतः इन दोनों प्रकार के शास्त्रबचनों के सामाजिक और प्रामाण्य के लिये 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' इस बचन को बेवल उन हिंसाओं में ही सीमित कर देगा होगा जो किसी शास्त्रबचन से विद्वित नहीं हैं। फलत उक्त बचन से सम्बन्ध हिंसा का निषेव न होने के कारण यज्ञ में किंहित हिंसा में निपिद्धत्व हिंसात्व का अश्यापक हो जाता है। इस प्रकार निपिद्धत्व उपाधिलक्षण से युक्त हो जाता है। अन नदा कहीं हिंसात्व में अधर्मसाधनत्व की व्याप्ति है* वशों वह अन्यप्रयुक्त-ओषधिक है। इस लिये हिंसात्व में अवर्मसाधनत्व का अनौपाधिक सम्बन्ध न होने से हिंसात्व निष्पत्तय व्याप्त्वासिद्ध है।

माध्यविपर्यव्याप्ते हेतुर्विहद्वः । यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादात्मवत्, कृतकत्वं हि माध्यनित्यत्वविपरीतानित्यपत्वेन व्याप्तम्, यत्कृतकं तदनित्यमेव, न नित्यमित्यतो विरुद्धं कृतकत्वमिति ।

सब्यभिचारोऽनैकान्तिरुः । स द्विविधं माधारणानैकान्तिकोऽसाधारणानैकान्तिकयेति । तत्र पश्चसपक्षविपक्षवृत्ति साधारणः । यथा-शब्दो नित्यः प्रमेयत्वाद्, व्योमवत् । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुसत्त्वं नित्यानित्यवृत्ति । सपक्षाद् विपक्षाद् व्यावृत्तो य पक्ष एव वर्तते, सोऽसाधारणानैकान्तिक । यथा भूर्नित्या, गन्धवत्वात् । गन्धवत्वं हि सपक्षानित्याद्विपक्षाद्वानित्याद् व्यावृत्तं भूमात्रवृत्तिः ।

प्रकरणसमस्तु स एव यस्य हेतो साध्यविपरीतमायकं हेत्वन्तरं विद्यते । यथा शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मराहितत्वात्, शब्दो नित्योऽनित्यधर्मराहितत्वादिति । अयमेव हि सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते ।

पक्षे प्रमाणान्तरगव्युतमाध्याभागो हेतुर्विधितविषयः कालात्ययापदिष्ट इति चोच्यते । यथाग्निरसुष्ठुण ऋतंकत्वाज्ञलवत् । अत्र हि कृतकत्वद्वय हेतोः साध्यम-सुष्ठुणत्वं तदभाव प्रत्यक्षेणैवावधारितः, स्पार्शनप्रत्यक्षेणैवोण्गत्वोपलम्भात् ।

इति व्याख्यातमनुमानम् ।

जायगी, अतः नीलधूप हेतु का भी व्याप्तत्वासिद्ध होना^{*} भ्र रहे । इस पक्षार अन्यविध व्याप्तत्वासिद्ध के भी प्रामाणिक होने से उक्त दो ही प्रकार के व्याप्तत्वासिद्ध के कथन को निष्ठय ही सकेतमात्र मानना ही उचित है ।

(२) विरुद्ध

*

जब साध्य का साधन करने के लिए किसी ऐसे हेतुका प्रयोग कर दिया जाता है जो साध्य का व्याप्त न होहर साध्य के विरोधी साध्याभाव का व्याप्त होता है तब वह हेतु विरुद्ध कहा जाता है । जैसे शब्द को पत्र और अर्थात् को दृष्टान्त बनाकर शब्द में नित्यत्व का साधन करने के लिए यदि कृतकत्व-कार्यत्व हेतु का प्रयोग किया जायगा तो कृतकत्व विरुद्ध हेतु कहा जायगा, क्योंकि कृतकत्व नित्यत्व का व्याप्त न होकर नित्यत्व विरोधी अनित्यत्व का व्याप्त है अर्थात् जो कृतक-कार्य होता है वह अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता । इसलिए नित्यत्व के अनुमान में कृतकत्व विरुद्ध है ।

यह हेत्वाभास अन्य सभी हेत्वाभासों से निरूप्त है क्योंकि इसके प्रयोग से अनुमानप्रयोक्ता की बहुत बड़ी अशक्ता-अशता सूचित होती है, उसे इतनी भी

सूफ़ नहीं रहती कि वह जिस हेतु का प्रयोग कर रहा है, उससे उसके अपने अभिमत साध्य के साधन की जात तो दूर रही उलटे उससे उसके निवान्त अनभिमत साध्याभाव की सिद्धि गले पड़ जाती है।

(२) अनैकान्तिक—

जिस हेतु मे साध्य का व्याख्यातार होता है अर्थात् जो हेतु नियमेन साध्य के साथ नहीं रहता किन्तु कहीं साध्याभाव के साथ भी रहता है उसे अनैकान्तिक कहा जाता है। उसके दो भेद हैं—साधारण अनैकान्तिक और असाधारण अनैकान्तिक। साधारण अनैकान्तिक वह हेतु होता है जो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों मे रहता है। जैसे 'शब्दः नित्यः—शब्दः नित्यः है, प्रमेयस्थात्—क्योंकि वह प्रमेय है' व्योमवत्—जैसे आकाश इस अनुमान मे प्रमेत्व हेतु साधारण अनैकान्तिक है, क्योंकि वह पक्ष—शब्द, सपक्ष—आकाश आदि नित्य पदार्थ और विपक्ष—षट आदि अनित्य पदार्थ इन तीनों मे रहता है।

असाधारण अनैकान्तिक वह हेतु होता है जो सपक्ष और विपक्ष दोनों मे न रह कर केवल पक्ष मे ही रहता है। जैसे 'भूः नित्या—भूमि नित्य है, गन्धवस्त्वात्—क्योंकि उसमे गन्ध है' इस अनुमान मे गन्ध हेतु असाधारण अनैकान्तिक है, क्योंकि वह जिनमे साध्य—नित्यत्व निश्चित है उन आकाश आदि सपक्षों मे तथा जिनमे साध्या भाव—अनित्यत्व निश्चित है उन जल आदि विपक्षों मे न रह कर केवल पक्ष—भूमि मे ही रहता है।

यहाँ एक यह बात चर्चा करने योग्य प्रतीत होती है कि कठिपय नैयायिक विद्वानों ने अनुपस्थिती नाम का तीसरा अनैकान्तिक मान कर अनैकान्तिक के तीन मेद माने हैं। अनुपस्थिती का अर्थ है जिससे पक्ष मे साध्य का उपस्थिती—समर्पण न किया जा सके। जैसे जब विश्वमात्र को पक्ष बना कर किसी साध्य के साधनार्थ किली हेतु का प्रयोग किया जाता है तब वह हेतु अनुपस्थिती होता है, क्योंकि विश्व भर मे साध्य का सन्देह होने से कही भी हेतु मे साध्य के सहचार का निर्णय न हो सकने के कारण उस हेतु से पक्ष मे साध्य का उपस्थिती नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 'उर्वम् अनित्यम्—सब अनित्य है, प्रमेयस्थात्—क्योंकि सब प्रमेय है' इस अनुमान मे प्रयुक्त प्रमेयत्व को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अनुमान मे समस्त विश्वक पक्ष होने से सर्वत्र साध्य का स्थाय मानना होता है। चलत कहीं भी प्रमेयाव मे साध्य—अनित्यत्व के सहभाव का निश्चय न हो सकने से उसस पक्ष मे साध्य का उपस्थिती नहीं हो पाता, अनः उन अनुमान मे प्रमेयत्व हेतु अनुपस्थिती अनैकान्तिक होता है।

तर्कभाषाकार ने अनैकानिक के भेदों में इसका परिणाम नहीं किया है, क्यों कि उन्होंने विश्वमात्रपद्धक अनुमान को असम्भाव्य माना है। उनका आशय यह प्रतीत होता है कि जब कहीं हेतु में साध्य का व्याप्तिशान सम्भव रहता है तभी अन्यत्र साध्य के साधनार्थ अनुमान-प्रयोग का अवसर उपस्थित होता है। किन्तु जब साध्य विश्व ही पहले होगा, उपर्युक्त जगत् ही साध्यसन्देह से आकान्त होगा तब कहीं भी हेतु में साध्य के व्याप्तिशान की सम्भावना न होने से अनुमान का प्रयोग न हो सकेगा, अतः उनकी दृष्टि से उनके प्रकार के अनुशस्त्रारी अनैकानिक की कल्पना बुद्धिसमानहीं प्रतीत होती।

(४) प्रकरणसम

जब किसी हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का सावक अन्य हेतु विद्यमान होता है तब वह हेतु-साध्य के साधनार्थ प्रयुक्त हेतु 'प्रकरणसम' कहा जाता है।

'प्रकरण' शब्द दो प्रकार से बनता है, पूर्वक कृपातु से भार में ल्युट् प्रत्यय करने से तथा करण में ल्युट् प्रत्यय करने से। भावल्युट् से बने प्रकरण शब्द का अर्थ होता है परिस्थिति-(प्रकृत में) साध्यसन्देह की स्थिति। और करणल्युट् से बने प्रकरण शब्द का अर्थ होता है पूर्वकी परिस्थिति-साध्यसन्देह की स्थिति जिससे बनी रहे, अर्थात् जो साध्य-सन्देह को बनाये रहे। इस सन्दर्भ में प्रयुक्त प्रकरण शब्द करणल्युट् से बना हुआ है, अतः प्रकरणसम शब्द का अर्थ है—साध्यसन्देह पैदा करने वाले के समान। इसलिए किसी साध्य के साधनार्थ किसी एक हेतु का प्रयोग होने पर जब उस साध्य के विरोधी साध्याभाव के साधनार्थ किसी अन्य हेतु का प्रयोग कर दिया जाता है तब साध्याभावसाधक हेतु के साथ शात होने से साध्यसाधक हेतु साध्य का निष्ठायक नहीं हो पाता, उस हेतु का प्रयोग होने पर भी साध्यसन्देह की स्थिति पूर्ववत् बनी रहती है। अतः प्रकरण-साध्यसन्देह को बनाये रहने वाले साधारण धर्म के समान होने से वह हेतु प्रकरणसम कहा जाता है।

उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि जब शब्द में नित्यस्वसाधक एक हेतु का और अनित्यस्वसाधक अन्य हेतु का एक साथ प्रयोग वा ज्ञान होता है उस समय उक दोनों हेतु एक दूसरे के प्रति प्रकरणसम हो जाते हैं। जैसे 'शब्दः अनित्यः—शब्द अनित्य है, नित्यधर्मरहितत्वात्—क्योंकि वह नित्यत्वनियत धर्म से शृण्य है' यह, तथा 'शब्दः नित्यः—शब्द नित्य है, अनित्यधर्मरहितत्वात्—क्योंकि वह अनित्यत्वनियत धर्म से शृण्य है' यह, ये दोनों अनुमान जब एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तब अनित्यत्व का साधक नित्यधर्मरहितत्व और नित्यत्व का साधक अनित्यधर्मरहितत्व ये दोनों हेतु प्रकरणसम होते हैं, क्योंकि उन दोनों अनुमानों के उपरिस्थिति-काल

में या तो नित्यत्व और अनित्यत्व का अनुमित्यात्मक सशय होता है, या दोनों के एक दूसरे के कार्य का विरोधी होने से नित्यत्व और अनित्यत्व में किसी का मी निश्चय न हो सकने के कारण साध्यात्मदेह की स्थिति पूर्ववत् बनी रहती है।

प्रकरणसम को ही सत्यतिपक्ष भी कहा जाता है। जो लोग साध्यसाधक तथा साध्याभावसाधक अनुमानों के सह सन्निधान में साध्य और साध्याभाव की संतुल्यात्मक अनुमिति की उत्पत्ति मानते हैं वे उन अनुमानों में प्रयुक्त हेतु को प्रकरणसम कहते हैं और जो लोग उन अनुमानों को एक दूसरे का प्रतिपक्ष—विरोधी मानकर उनके अनुमित्यात्मक कार्यों का प्रतिक्रिया मानते हैं वे उन अनुमानों में प्रयुक्त हेतु को सत्यतिपक्ष कहते हैं।

(५) कालात्ययापदिष्ट

कालात्ययापदिष्ट का अथ है—उच्चत बाल का अत्यय—अतिग्रमण हो जाने पर अप्दिष्ट—प्रयुक्त होने वाला हेतु। जिस समय तक पक्ष में साध्य का बाध—साध्याभाव का निश्चय नहीं रहता उतना समय पक्ष में साध्य के साधनार्थ हेतु के प्रयोग का उच्चत बाल है, उसके अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात् किसी प्रमाण से पक्ष में साध्य का बाध हो जाने पर जब उसमें साध्य के साधनार्थ हेतु का प्रयोग होता है तब वह ऐड्कालात्ययापदिष्ट हो जाता है, उस समय साध्यसाधक हेतु का प्रयोग होने पर भी पक्ष में साध्यानुमिति का उदय नहीं हो रखता क्योंकि उसके विरोधी निश्चय का उदय अन्य प्रमाण द्वारा पहले ही सम्पन्न हो गया रहता है।

कालात्ययापदिष्ट हेतु को बाधितविपयक भी कहा जाता है। बाधितविपयक का अर्थ है, जिसका विषय बाधित हो अर्थात् विद्यवे साध्य का अभाव प्रमाणान्तरद्वारा पक्ष में अवधारित हो। उदाहरण के लिये आग्न म अनुष्ठान के साधनार्थ प्रयुक्त होने वाले हेतु को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैस 'आग्न. अनुष्ठ.—आग्न उष्णस्पृश्य-रूप्य है, कृतकल्पात्—क्योंकि नह कृतक-कार्य है' जलवत्—जैस जल' इस अनुमान म कृतकवे हेतु बाधितविपयक है, क्योंकि स्पाशन प्रत्यक्ष से आग्न मे उष्णता का उपलब्ध होने से यह सिद्ध है कि कृतकव हेतु के साध्य अनुष्ठान का अभाव—उष्णस्पृश्य आग्न म प्रत्यक्ष प्रमाण से अवधारित है।

हेत्वाभास के विभाग के ६४वंश में यह शात्र्य है कि दुष्ट हेतु क अर्थ में हेत्वाभास का जो पौच वर्गों में विभाग किया गया है उसका प्रयोजक हेतुदोषस्पृश्य हेत्वाभास नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म विभाग्य पदार्थ के वैद विभिन्न वर्गों में न रह कर चैक्ल एक ही वर्ग में रहता है और ऐसे विसी धर्म से न्यूनदृच्छा नहीं होता वही

धर्म विभाजक माना जाता है। जैसे पृथिवीवर, जलत्व आदि धर्म विभाज्य द्रव्य के पृथिवी, जल आदि कई बगों में नहीं रहते किन्तु केवल एक ही एक बग पृथिवी, जल आदि में ही रहते हैं तथा ऐसे किसी धर्म से न्यूनवृत्ति नहीं है, अतः वे द्रव्य के विभाजक होते हैं। पर असिद्धि, विरोध आदि हेतुदोष ऐसे नहीं हैं, वे तो विभाज्य दुष्ट हेतु के एक ही एक बग में नियन न होकर उसके कई बगों में रहते हैं, 'जैसे वायुः गन्धवान्-वायु गन्ध का आश्रय है, स्नेहात्—क्योंकि उसमें स्नेह है' इस अनुमान में प्रयुक्त स्नेह हेतु में असिद्धि, विरोध आदि पौचो दोष हैं, इस लिये वे दोष असिद्धि, विरुद्ध आदि में ही सीमित नहीं हैं किन्तु असिद्धि, विरुद्ध आदि में भी है और विरोध असिद्धि आदि में भी है। इसलिये इस विषय में यही कहना होगा कि दुष्ट हेतु के विभाजक असिद्धि आदि दोष नहीं हैं किन्तु असिद्धि, विरुद्ध आदि दोपतावच्छेदक धर्म हैं, अर्थात् दोपतावच्छेदक के पौच प्रकार होने से दोष के पौच प्रकार होते हैं और दोष के पौच प्रकार होने से दुष्ट हेतु के पौच प्रकार होते हैं। इस बात को गणेशोपाध्याय ने अपने तत्त्वाचिन्तामणि प्रन्थ के अनुमानिलण्ड में 'उपवेष्टसङ्करेऽप्युपाचरसङ्करत्' कह कर सत्तेति किया है।

अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में घोड़ा और परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जो इस प्रकार है।

अनुमान का प्रामाण्य—

प्रमाण के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्यात मतभेद है, विद्वानों का एक समुदाय ऐसा था जो कार्यकारणभाव को ही मान्यता नहीं देता था अतः उसके मत में प्रमाण-प्रमेयमाव की कोई सम्भावना न होने से उसकी दृष्टि में किसी प्रमाण का कोई अस्तित्व न था। न्यायकुन्तुमाङ्गलि के प्रथम स्तबक में—

'एषक्षत्वादनादित्वाद् वैचित्र्याद् विश्वृत्तिः ।

प्रथ्यात्मनियताद् भुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः' ॥

इस कारिका की अपनी 'प्रकाश' शास्त्र की व्याख्या में वर्धमानोग्रह्याद ने इस मत का दण्ड उल्लेख किया है।

वाद में चार्वाक दर्शन में कार्यकारणभाव को मान्यता मिली और उसके फलस्वरूप प्रमाणप्रमेयमाव की स्थापना हुई और एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता स्वीकार की गई। ऐसा समझा गया कि अनुमान प्रमाण का अस्तित्व हेतु—साध्य के व्याप्त्यव्यापकभाव पर आधित है और हेतु में उपाधियुक्त होने का सराय सम्भव रहने से अनीपाधिक-

सम्बन्धरूप व्याप्ति के निश्चय के अशक्य होने से व्याप्ति-व्यापकभाव को स्वीकृति देना असम्भव है।

दैशेपिक दर्शन में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किया गया और प्रत्यक्ष-योग्य उपाधि के अहात होने से उसे संशयनहृ मान कर तथा प्रत्यक्षयोग्य उपाधि की उपलब्धि न होने से उसका अभाव मान कर अनौपाधिकसम्बन्धरूप व्याप्ति की सुधोधता का प्रतिपादन कर अनुमान के प्रमाणत्व की बाधा का निरक्षण किया गया। साथ ही यह कह कर अनुमान के प्रमाणत्व का समर्थन किया गया कि यदि अनुमान को प्रमाण न माना जायगा तो सचार का सारा व्यष्टिहार ही लुप्त हो जायगा, क्योंकि कोई मनुष्य जब कुछ करता है तो इसी विधास से करता है कि उसके अमुक कार्य से अमुक फल की प्राप्ति होगी। पर अनुमान को प्रमाण न मानने पर यह विधास कथमपि सम्भव न होगा, क्योंकि जो कार्य अभी करना है, जो फल अभी माना है, वह तो अभी अस्तित्व ही में नहीं है, तो फिर जिस समय जिसका अस्तित्व ही नहीं है उस समय उसका प्रत्यक्ष कैसे हो सकेगा?

अनुमान को प्रमाण न मानने पर यह भी एक दुसरमार्थीय प्रश्न उठता है कि 'अनुमान प्रमाण नहीं है' यह कहने वाले को अनुमान का अप्रमाणत्व शात है या नहीं? यदि शात नहीं है तो उसका कथन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य उसी बात को कह पाता है जो उसे शात होती है, जो बात शात नहीं होती उसे न कोई कहता है और न कह ही सकता है। अतः यह मानना होगा कि अनुमान को अप्रमाण कहने वाले मनुष्य को अनुमान का अप्रमाणत्व शात है, और यदि यह माना गया कि अनुमान का अप्रमाणत्व शात है तो इस इड का तत्काल व्याग करना होगा कि उपाधि-सुन अथवा व्यभिचारी होने का सन्देह होने से व्याप्तिशान के दुर्घट होने के कारण अनुमान का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अनुमान का अस्तित्व ही न होगा तो उसमें अप्रमाणत्व का शान कैसे हो सकेगा! इसके साथ ही 'अनुमान प्रमाण नहीं है' इस आप्रह का भी परिव्याग करना होगा, क्योंकि अनुमान को छोड़ अनुमान के अप्रमाणत्व का दूसरा कोई शापक नहीं है।

इस सन्दर्भ में यह भी एक विचारणीय बात है कि 'अनुमान प्रमाण नहीं है' इस कथन की सार्यकता तो उसी मनुष्य के प्रति हो सकती है जिसे अनुमान में अप्रमाणत्व का अशान, सहय अथवा प्रमाणत्व का विरर्पय हो, अतः जिस मनुष्य के प्रति 'अनुमान प्रमाण नहीं है' यह जान कहनी है, कहने वाले को उसके उक्त अशान, सहय और विरर्पय का रिश्तान आवश्यक है, और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अशान आदि के जानने

का अनुमान को छोड़ अन्य कोई साधन नहीं है। फिर जिस साधन से दूसरे के अशान आदि का शान किया जायगा उसी का प्रतिवेद कैसे किया जा सकता है?

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि अनुमान को प्रमाण न माना जायगा तो प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व का भी निर्धारण कैसे होगा? क्योंकि प्रमाणत्व को स्थान ज्ञेय न मान कर अनुमान से ही ज्ञेय मानना होगा अन्यथा कभी उसका संशय न हो सकेगा।

यह भी स्पर्शीय है कि अनुमान को प्रमाण न मानने पर प्रत्यक्ष को भी प्रमाण मानना सम्भव न होगा, क्योंकि किसी भी वान को मान्यता तभी प्राप्त होती है जब वह प्रमाणसिद्ध होती है, अतः प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व की प्रमाणसिद्ध बनाना होगा, और वह प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणकी सत्ता न मानने पर सम्भव नहीं है, क्योंकि न्याय-वैशेषिक पत्रों में चक्षु आदि इन्द्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है और वे इन्द्रियों स्वयं अप्रत्यक्ष हैं, फिर उन अप्रत्यक्ष इन्द्रियों में प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणत्व का अवधारण कैसे सम्पादित हो सकता है? यदि यह वह जाय कि जो लोग प्रत्यक्षमात्र को ही प्रमाण मानते हैं उनके मत में ऐसी कोई चक्षु नहीं मान्य हो सकती जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध न हो अतः उनके मत में अप्रत्यक्ष इन्द्रियों का अस्तित्व ही नहीं है इन्हुंने शरीर के जिन दृश्य भागों में उन इन्द्रियों का अस्तित्व अन्य मतों में माना गया है, प्रत्यक्षमात्र-प्रमाणवादी के मत में शरीर के दृश्य भाग ही इन्द्रिय हैं और वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, फलतः इन प्रत्यक्ष सिद्ध इन्द्रियों में प्रमाणत्व के प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध होने में कोई वादा नहीं है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रियों भले प्रत्यक्षसिद्ध हों पर उनमें प्रमाकरणत्व-रूप प्रमाणत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाकरणत्व प्रमा से घटित है, अतः वह उसी प्रमाण से एहीत हो सकता है जिससे प्रमा एहीत होती है। साथ ही उसे जिन आधयों में एहीत होना है उन आधयों का भी उसके ग्राहक प्रमाणद्वारा मात्र होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक धर्म और धर्म दोनों एकप्रमाणगम्य न होंगे तब तक उनमें धर्म धर्मभाव—आश्रयाभितमात्र का ग्रहण नहीं हो सकता। इसीलिये जो धर्म और धर्म एक इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं होते उनके परस्परसम्बन्ध के अवधारण के लिये अनुमान की शरण लेनी पड़ती है, जैसे गन्व धारण से ग्राह्य होता है चक्षु से नहीं और उसका आश्रय पृथिवी चक्षु से मात्र होती है धारण से नहीं, इसलिये उन दोनों के सम्बन्ध को ग्राण या चक्षु से ग्राह्य न मान कर अनुमान से ग्राह्य माना जाता है। इसी प्रकार शब्द का ग्रहण श्वोत्र से होता है किन्तु उसके आश्रय आकाश का ग्रहण श्वोत्र से नहीं होता अतः शब्द के आश्रय रूप में आकाश का ग्रहण अनुमान प्रमाण से माना जाता है। ठीक उसी प्रकार नेत्रगोलक और उससे होने वाली रूप की प्रमा यह दोनों किसी

एक इन्द्रिय से गृहीत नहीं होते अतः उन दोनों का सम्बन्ध किसी भी इन्द्रिय से 'नेत्र-गोलक रूप में प्रमाण है' इस रूप में गृहीत नहीं हो सकता। फलतः यह निर्विचाद लिख देता है कि यदि अनुमान आदि प्रमाणों को स्वीकार न किया जायगा तो प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व का भी समर्थन न किया जा सकेगा। अतः 'प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष से भिन्न कोई प्रमाण नहीं है' यह मन कथमपि त्रुदिसगत नहीं हो सकता।

अनुमान के भेद—

अनुमान के सम्बन्ध में दार्शनिकों की दो परम्परायें प्रसिद्ध हैं—एक वैदिक और दूसरी अवैदिक। वैदिक परम्परा की दो शाखायें हैं—एक अनुमान के दो भेद मानने वाली और दूसरी उसके तीन भेद मानने वाली। पहली वैदिक परम्परा में वैशेषिक और मीमांसा दर्शन का समावेश है क्योंकि इन दोनों दर्शनों में अनुमान के दो भेद बनाये गये हैं, जैसे वैशेषिक दर्शन के 'प्रयुक्तपादभाष्य' में अनुमान का निरूपण करते हुये कहा गया है—'तत्तु द्विविध दृष्टि सामान्यतो दृष्ट च'। इसी प्रकार मीमांसादर्शन के शाब्दभाष्य १। १। ५ में कहा गया है—'तत्तु द्विविध प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्ध सामान्यतो दृष्टसम्बन्ध च'। इस प्रकार इन दोनों दर्शनों में अनुमान के दो भेद माने गये हैं—दृष्ट अथवा प्रत्यक्षनों दृष्ट तथा सामान्यतो दृष्ट। इन दोनों अनुमानों में अत्यन्त साम्य है। दूसरी वैदेक परम्परा में न्याय, साक्षर आदि दर्शनों का समावेश है क्योंकि उनमें अनुमान के तीन भेद बताये गये हैं। जैसे न्यायदर्शन में 'अथ तत्पूर्वक त्रिविषमनुमान पूर्वच्छेष्वत्तामान्यतो दृष्ट च' (१। १। ५) इस सूत्र से तथा साक्षरदर्शन में ईश्वरकृष्ण की साक्षरकारिका के 'त्रिविषमनुमानमाख्यातम्' (सा. का. ५) इस कारिकारी से अनुमान के तीन भेदों का स्वष्ट प्रतिपादन किया गया है। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक ने भी न्याय और साक्षर के समान ही अनुमान का त्रिविषय खीझा रखा है। चरक के सूत्रस्थान २१। २२ में स्वष्ट कहा गया है कि 'प्रत्यक्षगूर्वे त्रिविष त्रिकाल चानुभीयते'।

श्रीकाचत्पतिमिथन, जो पड्ददर्शनीवस्तुभ की उपाधि से अलदृकृत है और उसे दर्शनों पर जिनके महात्मपूर्ण व्याख्याप्रबन्ध उपलब्ध हैं, वैदिक परम्पराओं की इन द्विविध मान्यताओं में सामग्रीस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। उन्होंने अपनी 'साक्षयतत्त्व-कीमुदी' में पाचवी साक्षरकारिका की व्याख्या करते हुये अनुमान के द्विविध व और त्रिविषाद की मान्यताओं का समन्वयपूर्ण समर्थन किया है जो इस प्रकार है—

अनुमान के दो भेद हैं—बीत और अबीत। जो अनुमान साध्य साधन के अन्वयसहचार के आधार पर विधिरूप में—भावरूप में इसी साध्य के साधनार्थ प्रइच होता है उसे 'बीत' अनुमान कहा जाता है। 'तत्र अन्वयमुखेन

प्रवर्तमान विधायक वीतम्'। जो अनुमान साध्य साधन के व्यतिरेकघनार को आधार बनाकर प्रवृत्त होता है और किसी का विधायक नहीं अपितु प्रतिपेधक होता है उसे 'अवीत' अनुमान कहा जाता है 'निषेधमुखेन प्रवर्तमानम् अविधायकम् अवीतम्'। यह अवीत अनुमान ही न्यायदर्शन में 'शेषवत्' शब्द से व्यवहृत किया गया है 'तत्र अवीत शेषवत्'। शिष्यते परिशिष्यत इति शप । स एव विषयतया यस्य अस्ति अनुमानशानस्य तच्छेषवत् । तदाहु—प्रसक्तप्रविषेदे अन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्यय, परिशेषः । शेषवत् का अर्थ है शेषविषयक अनुमान । और शेष का अर्थ है परिशेष अर्थात् परिति—सब और स शेष—बचने वाला । ऐसा पदाथ जिस अनुमान से सिद्ध हो यह शेषवत् अनुमन होता है । जैसे शब्द गुण के आश्रय रूप म पृथक, जल, तेज, वायु, काल, दिक्, आकाश और मन ये भाठ द्रव्य प्रसक्त होते हैं, किन्तु शब्द शोन्म-ग्राह्य होता है और इन द्रव्यों के गुण शाश्रयग्राह्य नहीं होते अत उन द्रव्यों का प्रतिपेष हो जाता है, व शब्द के आश्रय रूप म स्वीकृत नहीं हो सकते क्योंकि गुण गुण आदि पदाथा म आश्रित होने के स्वभावत् अनहोने हैं । इस प्रकार प्रसक्त और अप्रसक्त दोनों वर्ग से अतिरक्त बच जाता है आकाश, वही अनुमान प्रमाण से शब्द के आश्रय रूप म सिद्ध होता है । इसलिये शब्द के आश्रयरूप म आकाश का यह अनुमान पृथिवी आदि प्रसक्त और गुण आदि अप्रसक्त पदाथा स शेष रह जाने वाले आकाश की विषय करन स शेषत् अनुमान होता है । यह पृथिवी आदि द्रव्यों में तथा गुण आदि अद्रव्यों में शब्द क निषेध का वोधन करते हुये शब्द के एक अतिरिक्त आश्रय आकाश का साधन करता है, इसलिये 'अवीत' का उक्त परिभाषा के अनुसार अवीत अनुमान कहा जाता है ।

बीत अनुमान क दो भेद होते हैं पूरवत् और सामान्यतो दृष्ट । 'बात च देखा पूरवत् सामान्यतो दृष्ट च' । पूरवत् का अर्थ है पूर्वविषयक, पूर्व का अथ है प्रसिद्ध और प्रसिद्ध का अर्थ है दृष्टस्वलक्षण सामान्य, अर्थात् वह सामान्य जिसका कोइ स्वलक्षण—स्व के लक्षित होने का आश्रय कही हृष्ट हो । ऐसे सामान्यों में उदाहरणार्थ वहित्य को प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि उसका स्वलक्षण—उसके लक्षित होने का आश्रय एक बहु रसोईंधर में हृष्ट है । अब जब उसी सामान्य के दूसरे स्वलक्षण का—दूसरे बहु का अनुमान पर्वत में किया जाता है तब वह अनुमान दृष्टस्वलक्षण—सामान्य विषयक होने से पूर्ववत् अनुमान होता है ।

दूसरे बीत—सामान्यो दृष्ट का अर्थ है उस सामान्य को विषय करने वाला जिसका अपना स्वलक्षण—अपना कोई आश्रय हृष्ट नहीं है किन्तु उसके व्यापक सामान्य

का स्वलङ्घण—आश्रय दृष्ट है, अतः यह सामान्य स्वरूपतः दृष्ट न होने से स्वयं दृष्ट नहीं है किन्तु अपने व्यापक सामान्य के दृष्ट होने से सामान्यतो दृष्ट है, और उसको विषय करने वाला अनुमान 'सामान्यतो दृष्ट' अनुमान है। जैसे कियात्व हेतु से जब रूपादिशान के करण का अनुमान होता है तब वह अनुमान सामान्यतो दृष्ट अनुमान होता है, क्योंकि वह अनुमान रूपादिशान के करणरूप में इन्द्रिय का साधन करता है और उसमें आश्रित इन्द्रियत्व ऐसा सामान्य है जिसका कोई स्वलङ्घण—आश्रय हम जैसे स्थूलदर्शी जनों को कभी दृष्ट नहीं है अपितु उसके व्यापक सामान्य—करणत्व का ही स्वलङ्घण—कुठार आदि आश्रय दृष्ट है। इस प्रकार सामान्यतो दृष्ट अर्थ को विषय करने के कारण क्रियात्व हेतु से रूपादिशान के करण चल्नु आदि इन्द्रिय का अनुमान 'सामान्यतो दृष्ट' अनुमान है।

यह बात साख्यकारिका पूर्ण की व्याख्या—साख्यतत्त्वकौमुदी में इन शब्दों में कही गई है—

वीत च द्वेष्य—पूर्ववत् सामान्यतो दृष्ट च। तत्रैक दृष्टस्वलङ्घणसामान्यविषय, तत्पूर्ववत्। पूर्वं प्रसिद्ध दृष्टस्वलङ्घणसामान्यमिति यावत्, तदस्य विषयावेन अस्ति अनुमानशानस्येति पूर्ववत्। यथा धूमाद् वह्नित्वसामान्यविशेषः पर्वतेऽनुमीयते, तस्य च वह्नित्वसामान्यस्य स्वतः त्रय वह्निविशेषो दृष्टो रसवस्याम्।

अपर च वीत सामान्यनोदृष्टम् अदृष्टस्वलङ्घणसामान्यविषय, यथेन्द्रियविषय-मनुमानम्। अत्र हि रूपादिविशानाना क्रियात्वेन करणवस्थमनुमीयते, यद्यपि करणवस्थसामान्यस्य छिरादौ वास्यादि स्वलङ्घणमुपलब्ध, तथापि यज्ञातीयस्य रूपादिशाने करणवस्थमनुमीयते तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्ट स्वलङ्घणं प्रत्यक्षेण। इन्द्रियजातीय हि तत्करणम्, न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलङ्घणमिन्द्रियविशेषः प्रत्यक्षगोचरोऽवर्गादशा यथा वह्नित्वसामान्यस्य स्वलङ्घणं वह्निः।

अनुमानविषयक अवैदिक परम्परा में चौदू तथा जैनदर्शन की अनुमानविषयक मान्यताओं का समावेश है। चौदू विद्वानों ने बहुत समय तक वैदिक परम्परा का अनुसरण करते हुये अनुमान का विविवत्व स्वीकार किया है, जिसका उल्लेख 'उपायहृदय' नामक ग्रन्थ में उल्लिख होता है। किन्तु आचार्य दिङ्गाम ने, जिनका समय ईशा की चतुर्थ शताब्दी माना जाता है, इस परम्पराका परिणाम कर अनुमान के विषय में एक नई परम्परा प्रतिष्ठित की और वही भविष्य के लिये चौदू दर्शन के मान्य सिद्धा त के रूप में स्वीकृत हुई।

जैनदर्शन में अनुमान के जो लक्षण, भेद आदि वर्णित हैं उनपर भी वैदिक परम्परा का वर्यात प्रभाव परिलिपित होता है जिसे जैनदर्शन के विभिन्न मन्यों के प्रमाण-प्रहरण में देखा जा सकता है।

तर्कभाषाकार का मत—

तर्कभाषा में अनुमान के न तो 'प्रत्यक्षतो दृष्ट' और 'सामान्यतो दृष्ट' नाम के दो मेद बताये गये हैं और न 'वीत' और 'अवीत' नाम के ही दो मेद बताये गये हैं। पूर्ववत्, शेषवत् तथा सामान्यतो दृष्ट नाम के तीन मेद भी नहीं बताये गये हैं, किन्तु नव्यन्याय की पद्धति का अनुसरण कर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान नाम के दो मेद बताये गये हैं। पर इसका यह अथ नहीं है कि न्याय-वैशेषिक के अन्य ग्रन्थों में वर्णित अनुमान के उक्त मेद तर्कभाषाकार को अभिमत नहीं है। तर्कभाषा में 'क्ये गये अनुमान-विभाजन का स्पष्ट आशय यही है कि अनुमान के जितने भी प्रकार धन तत्र वर्णित हैं वे सब स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की श्रेणी में अन्तर्मुक्त हो जाते हैं।

परार्थानुमान—

परार्थानुमान के विषय में यह ज्ञातः य है कि परार्थानुमान जिस वाक्य से सम्बन्ध होता है उसे 'न्याय' कहा जाता है और उसके घटक वाक्यों को 'न्यायावयव' कहा जाता है। न्यायावयव की सख्ता के विषय में विभिन्न दर्शनों की विभिन्न मान्यताएँ हैं। न्यायदर्शन में उनकी पाच सख्ता मानी गई है। उनके नाम हैं प्रातःशा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। वैशेषिक दर्शन में पहले वाक्य का नाम तो बहार रखा गया है पर अन्य चार वाक्यों के नाम न्यायदर्शन के नामों से सबथा भिन्न है, जैसे 'हेतु' का नाम 'अपदेश', 'उदाहरण' वा नाम 'निदर्शन' 'उपनय' का नाम 'अनुसन्धान' तथा 'निगमन' का नाम 'प्रत्यामनाय' बताया गया है।

न्यायदर्शन के 'प्रतिशाहेतदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा.' इस सूत्र के वात्स्यायनभाष्य में न्याय के दश अवयवों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रतिशा आदि से अतिरिक्त जिशासा, सशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन और सशयस्युदास का परिचय किया गया है। जैसे 'दशावयवान् एके नैयायिका वाक्ये सच्चते-जिशासा, सशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनः सशयस्युदास इति'। न्यायभाष्य में जिशासा आदि पाच अवयवों का खण्डनकर प्रतिशा आदि पाच अवयवों की ही मान्यता स्वीकृत की गई है।

भीमाणा और वेदान्त दर्शन में न्याय के तीन ही अवयव माने गये हैं—प्रतिशा, हेतु और उदाहरण अथवा उदाहरण, उपनय और निगमन।

चौद दर्शन में न्याय के दो ही अवयव माने गये हैं—उदाहरण और उपनय। जैनदर्शन में न्याय के अवयवों की कोई नियत सख्ता नहीं मानी गई है, अपि तु जिसके प्रति न्याय वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसकी अर्हता के अनुसार न्याय

के अवयवों का प्रयोग होता है, अतः उस दर्शन के अनुसार कभी पञ्चावयव, कभी चतुरवयव, कभी त्र्यवयव, कभी द्व्यवयव और कभी एकावयव का ही प्रयोग होता है।

गमकतौपयिक रूप—

हेतु के जिन रूपों का ज्ञान होने पर अनुमिति का उदय होता है, उन रूपों को गमकतौपयिक रूप कहा जाता है। गमकता का अर्थ है अनुमापकता और अौपयिक का अर्थ है प्रयोजक, इस प्रकार गमकतौपयिक का अर्थ है अनुमापकता का प्रयोजक। इन रूपों की सख्या के विषय में भी विभिन्न मत प्राप्त होते हैं।

वैशेषिक, साख्य और बीद दर्शन में इन रूपों की तीन सख्या मानी गई है—पद्मस्त्र, सप्तस्त्र और विस्त्रास्त्र, किन्तु न्याय दर्शन में अवधितविषयत्व और अस्त्रप्रति-पद्मस्त्र को भी गमकतौपयिक मान कर उनकी सख्या पाँच मानी गई है।

हेत्वाभास—

हेतु के इन गमकतौपयिक रूपों की मान्यता के आधार पर ही हेत्वाभास को भी मान्यता प्रदान की गई है। वैशेषिक आदि जिन दर्शनों में हेतु के गमकतौपयिक तीन रूप माने गये हैं उन दर्शनों में हेत्वाभास के भी तीन ही भेद माने गये हैं जैसा कि प्रशस्तरादभाष्य में उल्लिखित इन दो कारिकाओं से रगष है—

यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते ।
तदभावे च नास्त्येव तत्त्विन्द्रियमनुमापकम् ॥
विपरीतमतो यत्त्यादेवेन द्वितयेन च ।
विरदासिद्दसन्दिव्यमलिङ्ग काश्योऽन्तरीत् ॥

इनमें पहली कारिका से हेतु के पद्मस्त्र, सप्तस्त्र और विस्त्रास्त्र इन तीन रूपों का प्रतिग्रहन किया गया है और दूसरी कारिका से हेतुगत उन रूपों के ज्ञान के विरोधी विस्त्र, असिद्ध और सम्बद्ध इन सीन हेत्वाभासों का प्रतिग्रहन किया गया है।

‘यादवगत में यन गमकतौपयिक रूपों में अवधितविषयत्व और अस्त्रप्रतिपद्मस्त्र इन सभी पाँच सख्या मानी गई है अतः उनके ज्ञान के विपरीत वा गत पर दस्ताभासों की पाँच सख्या मानी गई है और उन्हें सम्यमित्यार, विस्त्र, असिद्ध, सम्बद्धतय और नामों से स्वबद्धत किया गया है।’

उपमानम्

अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसाहश्चिशिष्टपिण्डज्ञानम् उपमानम् । यथा गवयमजानन्तपि नागरिकोऽयथा गौस्तथा गवये इति वाक्यं कुतश्चिदारण्यक-पुरुषाच्छ्रुत्वा वनं गदो वाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसाहश्चिशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसाहश्चिशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम् उपमितिरण्यत्वात् । गोसाहश्चिशिष्टपिण्डज्ञानन्तरम् ‘अयमस्ती गवयशब्दचाच्य, पिण्डं इति संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धप्रतीतिरूपमितिः, सैव फलम् । इदं तु प्रत्यक्षानुभानो-साध्यप्रमाणाधकत्वात् प्रमाणान्तरमुपमानमस्ति ।

इति व्याख्यातमुपमानम् ।

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का प्रतिपादन करने के अनन्तर अब उपमान प्रमाण के प्रतिपादन का अवधर उपरिथत है, इससे पहले उक्ता अवधर नहीं था, क्योंकि किंतु भी पदार्थ का प्रतिपादन उस पदार्थ की जिज्ञासा होने पर ही सगत होता है और प्रत्यक्ष का प्रतिपादन करने के अनन्तर मनुष्य को पहले उपमान भी जिज्ञासा न होकर अनुमान भी ही जिज्ञासा होती है । अतः जब तक अनुमान की जिज्ञासा का उपशम न हो जाय तब तक उपमान की जिज्ञासा नहीं हो सकती और जब तक उसकी जिज्ञासा न हो तब तक उसके प्रतिपादन की सगति नहीं हो सकती ।

उपमान की जिज्ञासा से पहले अनुमान की जिज्ञासा होने के कई कारण हैं । एक तो यह कि प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सिद्धि उपमान के आवत्त न होकर अनुमान के आवत्त है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण धारने पर जब यह प्रश्न उठता है कि ‘प्रत्यक्ष प्रमाण है’ यह बात किस प्रमाण से सिद्ध होती है ? तब उसके उत्तर में अनुमान ही प्रस्तुत होता है, उपमान नहीं । अतः जब उपमान से पूर्व अनुमान ही प्रस्तुत होता है तब उपमान की जिज्ञासा न होकर अनुमान की ही जिज्ञासा का पहले होना निवान्त स्वभाविक है ।

दूसरा कारण यह कि उपमान की अपेक्षा अनुमान के प्रामाण्य में अल्प विवाद है, अनुमान को अप्रमाण कहने वाले लोग योग्ये हैं और उपमान को अप्रमाण कहने वाले लोग बहुत अधिक हैं, अतः उपमान के प्रामाण्य को प्रतिष्ठित करने में जितने विरोधी मतों का खण्डन करने की आवश्यकता है, अनुमान के प्रामाण्य को प्रतिष्ठित करने में उससे बहुत कम विरोधी मतों का खण्डन करने की आवश्यकता है, इसलिये उपमान का प्रामाण्य दुरुह है और अनुमान का प्रामाण्य सुगम है और मनुष्य का सम्भाव है कि जो बात उसे सुगम प्रतीत होती है उसकी जिज्ञासा वह पहले दरता है और जो बात उसे दुरुह प्रतीत होती है उसकी जिज्ञासा बाद में करता है ।

तीसरा कारण यह कि उपमान की अपेक्षा अनुमान का चेत्र अत्यधिक विस्तृत है, अनुमान से मनुष्य को अनन्त पदार्थों का परिज्ञान होता है और उपमान से अत्यन्त सीमित पदार्थों का ही ज्ञान होता है अतः उपमान की अपेक्षा अनुमान के अत्यधिक उपयोगी होने के कारण मनुष्य को पहले उसी की जिज्ञासा का होना अत्यन्त स्वाभाविक है। अस्तु ।

जब किसी अज्ञातनामा पदार्थ में किसी शातनामा पदार्थ के साहश्य का शान होता है और उस समय अतिदेशवाक्य—अज्ञातनामा पदार्थ का नाम बताने वाले वाक्य के अर्थ का स्मरण भी हो जाता है तब वह शान उपमान प्रमाण होता है, अर्थात् उससे उपमिति—अज्ञातनामा पदार्थ के नाम की प्रमा का उदय होता है। जैसे किसी ऐसे नागरिक पुरुष से, जिसने कभी गवय—नील गाय को नहीं देखा है, किसी आरण्यक पुरुष का परिचय होता है और वन्य पशुओं की चर्चाँ के प्रसङ्ग में गवय की चर्चा होने पर वह नागरिक पुरुष उस आरण्यक पुरुष से प्रश्न करता है कि 'कीदृशः गवयो भवति—गवय कैसा होता है,।।। किस प्रकार के पशु को गवय कहा जाता है?' उच्चर में आरण्यक पुरुष उसे बताता है कि 'गोसदृशः गवयो भवति—गवय गौ के सृदृश होता है अर्थात् गोसदृश पशु को गवय कहा जाता है'। अब वह नागरिक पुरुष जब कभी अरण्य में जाता है और वहों गौ के सृदृश किसी पशु को देखता है तब उस आंतर्देशवाक्य—आरण्यक पुरुष के पूर्व वाक्य 'गोसदृशः गवयो भवति' के 'गौ क सृदृश पशु को गवय कहा जाता है' इस अर्थ का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार इस स्मरण का संचिधान होने पर गोसदृश पशु का शान, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उपमिति प्रमा का करण होने से उपमान प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि उस शान के अनन्तर नागरिक पुरुष को इस प्रकार की प्रमाका उदय होता है कि 'अयमस्मी पिण्डः गवयशब्दवाच्यः—गौ क रूपान् दीखने वाला यह पशुपिण्ड गवयशब्द का वाच्यार्थ है अर्थात् इसी पशु का नाम 'गवय' है। इस प्रकार 'नीलगाय' सहौ के साथ 'गवय' सहा के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध का जो यह प्रमा हाती है वही उपमान प्रमाण का फल है। यह फल प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से असाध्य है, इसका साधक होने से उपमान एक अतिरिक्त प्रमाण है।

प्रश्न होता है कि जब सहा और सही के सम्बन्ध की प्रतीति जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से साध्य नहीं हो सकती, उसके लिये उपमान प्रमाण की आवश्यकता विद्यमान है तब वैशेषिक आदि जो दार्शनिक उस प्रमाण को नहीं मानते उनके मत में उक्त प्रतीति की उपर्युक्ति देसे होगी ।

इस प्रथम के "उच्चर में वैशेषिक की ओर से यह कहा जा सकता है कि नील गाय में गवय शब्द के वाच्यशब्द का निर्णय ऐसे रूप में नहीं करना है कि 'नीलगाय'

गवय शब्द का वाच्य है' किन्तु 'नीलगाय अमुक रूप से गवय शब्द का वाच्य है' इस रूप में करना है। वह रूप साधारणतया तीन प्रकार का हो सकता है—गोसदृशत्व, इदन्त्व और गवयत्व, क्योंकि गोसदृश पशु के दर्शनकाल में ये तीनों रूप नीलगाय में ज्ञात होते हैं। अतः यह विवेक कर लेना परमावश्यक प्रतीत होता है कि इन तीनों रूपों में किस रूप से नीलगाय को गवय शब्द का वाच्य मानना उचित है। विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि गोसदृशत्व रूप से वाच्य मानने पर केवल नीलगाय ही गवय शब्द का वाच्य न होगी, अपिनु गोसदृशत्व जिन अन्य पशुओं में रहेगा वे भी गवय शब्द के वाच्य हो जायेगे। दूसरी बात यह कि गोसदृशत्व इदन्त्व और गवयत्व की अपेक्षा गुरुतर है अतः उस रूप से नीलगाय को गवय शब्द का वाच्य मानने में गोरव भी है।

इदन्त्वरूप से भी नीलगाय को गवय शब्द का वाच्य मानना उचित नहीं है क्योंकि इदन्त्व तो केवल सामने दीखने वाली नीलगाय में ही विद्यमान है अतः उस रूप से नीलगाय को गवय शब्द का वाच्य मानने पर जो नीलगायें सामने उपस्थित नहीं हैं वे गवय शब्द का वाच्य न हो सकेंगी। दूसरी बात यह कि इदन्त्व पुरोवर्तित्व या पुरोहृशमानांत्वस्त्ररूप होने से गवयत्व की अपेक्षा गुरुतर है अतः उस रूप से नीलगाय को गवयशब्द का वाच्य मानने में गोरव है।

इस प्रकार विचार करने पर उक्त तीनों रूपों में गवयत्व ही ग्राह्य प्रतीत होता है, क्योंकि वह समस्त नालगायों में रहने वाली और नीलगाय से भिन्न किसी भी पदार्थ में न रहने वाली एक जाति होने से गोसदृशत्व और इदन्त्व की अपेक्षा निर्दोष और लघु है। इस प्रकार के विवेक के फलस्वरूप यह निश्चय होता है कि 'नीलगाय गवयत्वरूप से गवयशब्द का वाच्य है'। किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के विचार की अवतारणा के पूर्व इतना निश्चय हो जाना आवश्यक है कि 'कोई धर्म गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अवश्य है अथवा जिन पदार्थों को बताने के लिये गवयशब्द का प्रयोग होता है वे पदार्थ किसी एक निश्चित रूप से गवयशब्द के वाच्य है' क्योंकि जब तक यह निश्चय न हो लेगा तब तक इस विचार का उत्थान ही सम्भव नहीं हो सकता कि गोसदृशत्व, इदन्त्व और गवयत्व इन तीन रूपों में किस रूप को गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त मानना अथवा इन तीन रूपों में किस रूप से नीलगाय को गवयशब्द का वाच्य मानना उचित है। और उक्त निश्चय इस प्रकार के अनुमान से ही शक्य है कि 'कोई धर्म गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अवश्य है अथवा जिन पदार्थों में गवयशब्द का प्रयोग होता है वे पदार्थ अवश्य ही किसी एक निश्चित रूप से गवयशब्द के वाच्य हैं, क्योंकि गवयशब्द अनेक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला एक साधु शब्द है और ऐसे प्रत्येक साधुशब्द के लिये यह नियम है कि उसका कोई

एक धर्म प्रवृत्तिनिमित्त अवश्य होता है अथवा ऐसे शब्द जिन पदार्थों में प्रयुक्त होते हैं वे पदार्थ अवश्य ही किसी एक निश्चिन रूप से ऐसे शब्दों के बाब्द होते हैं। अनुमानद्वारा इसका निश्चय हुये विना उक्त विचार हो ही नहीं सकता और उक्त विचार के अभाव में उपमान प्रमाण से भी यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि 'गवयशब्द गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है अथवा नीलगाय गवयत्वरूप से गवयशब्द का वाच्य है'।

इस स्थिति में वैशेषिकदर्शन का मन्तव्य यही है कि जब 'गवय शब्द गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है' इस निश्चय पर पहुँचने के लिये उपमानप्रमाणवादी को भी इस अनुमान की कि 'अनेक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला साधु शब्द होने के नाते गवयशब्द किसी एक निश्चिन रूप से अनेक अर्थों का वाचक है' तथा इस तर्क की कि 'गवयशब्द को गोसहदात्र और इदन्त्व की अपेक्षा गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक मानने में दायराहिट और लाभ है' तब फिर उपमाननामक एक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना करना निर्यक है, क्योंकि 'गवयशब्द गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है अथवा नीलगाय गवयत्वरूप से गवयशब्द का वाच्य है' यह निश्चय उक्त तर्क के सहाय से उक्त अनुमानद्वारा भी सम्भव किया जा सकता है।

नियम—व्याप्ति में साध्य जिस रूप से प्रविष्ट नहीं रहता, विशेष प्रकार के तर्क के सहयोग से अनुमानद्वारा उस रूप से भी साध्य का अनुमित्यात्मक निश्चय प्राप्त किया जा सकता है, 'अतः अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक साधु शब्द किसी एक निश्चित रूप से अपने अर्थ का बाचक होता है' इस नियम में 'गवयश्वरूप से नीलगाय का बाचक' यद्यपि विशेष रूप से प्रविष्ट नहीं है तथापि 'गवयशब्द को गवयश्वरूप से नीलगाय का बाचक मानने में लाघव है' इस तर्क के सहयोग से उक्तनियममूलक अनुमान के द्वारा ही यह निश्चय प्राप्त किया जा सकता है कि 'गवयशब्द गवयश्वरूप से नीलगाय का बाचक है'। इसलिये उपमान प्रमाण की कल्पना अनावश्यक है।

नैदायिकों को इसके विपरीत यह पान्य है कि अनुमान के मूलभूत नियम—व्याप्ति में साध्य जिस रूप में प्रविष्ट होता है, अनुमानद्वारा उसी रूप से साध्य का अनुमित्यात्मक निश्चय प्राप्त किया जा सकता है अन्य रूप से नहीं, क्योंकि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है' इस नियम के आधार पर सम्बन्ध होने वाले अनुमान से अग्नित्वरूप से ही अग्नि के अनुमित्यात्मक निश्चय का होना अनुभवित है, न कि द्रव्यवस्थ, तेजस्व अथवा तद्रूपक्षित्व रूप में। अतः 'अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक साधु शब्द किसी एक निश्चित रूप से अपने अर्थ का बाचक होता है' इस नियम में विशेषरूप से 'गवयश्वरूप से नीलगाय की बाचकता' का प्रयोग न होने के कारण उक्तनियममूलक अनुमान से 'गवयशब्द गवयश्वरूप से नीलगाय का बाचक है' यह निश्चय नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिये इस निश्चय की प्राप्ति के लिये उपमान प्रमाण की कल्पना आवश्यक है, क्योंकि 'गवयशब्द को गवयश्वरूप से नीलगाय का बाचक मानने में लाघव है' इस लाघवज्ञानरूप तर्क के सहयोग से उपमान प्रमाण द्वारा 'गवयशब्द गवयश्वरूप से नीलगाय का बाचक है' अथवा नीलगाय गवयश्वरूप से गवयशब्द का बाच्य है' इस निश्चय के होने में कोई वाधा नहीं है।

उपमान प्रमाण का क्षेत्र—

उपर्युक्त चर्चा से यह प्रनीत होता है कि सजा और सजी का सम्बन्ध ही उपमान प्रमाण का क्षेत्र है और अप्रसिद्धनामा पदार्थ में प्रसिद्धनामा पदार्थ के सादृश्य का शान ही अतिदेशवान्यार्थ के स्मरण के सत्रिधान में उपमान प्रमाण है, पर न्यायदर्शन के वास्त्वायन भाष्य तथा उसकी विश्वनाथीय वृत्ति को देखने से उपमान प्रमाण के प्रमेय और स्वरूप के बारे में और अधिक प्रकाश पड़ता है एवं उसका क्षेत्र तथा स्वरूप और विस्तृत प्रतीत होता है। तदनुसार इस सन्दर्भ में इतना और बता देना आवश्यक है कि सजा और संही के सम्बन्ध के निश्चयार्थ जैसे अप्रसिद्धनामा पदार्थ में प्रसिद्धनामा पदार्थ के सादृश्वज्ञान को उपमान प्रमाण माना

आपवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः । वाक्यं त्वाकाङ्क्षायोग्यतासञ्जितिमतां पदानां समूहः । अत एव 'गौरश्चः पुरुषो हस्ती' इति पदानि न वाक्यम्, परस्पराकाङ्क्षाविरहात् । 'अग्निना सिङ्गेदि' ति न वाक्यं योग्यताविरहात् न इग्निसेक्योः परस्परान्वययोग्यताऽस्ति । तथाहि अग्निनेति तृतोयया सेकरूपं कार्यं प्रति करणत्वमने प्रतिपादितम् । न चाग्निः सेके करणीभवितुं योग्यः, ^{रेत्} कार्यकारणभावलभूणसम्बन्धेऽग्निसेक्योरयोग्यत्वादग्निना सिङ्गेदिति न वाक्यम् । एवमेकैकशः प्रहरे प्रदरेऽसहोऽचारितानि 'गामानय' इत्यादिपदानि न वाक्यम्, सत्यामपि परस्पराकाङ्क्षायां, सत्यामपि परस्परान्वय-योग्यतायां परस्परसान्निध्याभावात् । यानि तु साकाङ्क्षाणि योग्यतावन्ति सञ्जिहितानि पदानि तान्येव वाक्यम् । यथा 'ज्योतिष्टोमेन स्तर्गकामो यज्ञेत' इत्यादि । यथा च 'नदीतीरे पञ्च फलानि सन्ति' इति । यथा च तान्येव 'गामानय' इत्यादिपदान्यविलम्बितोधरितानि ।

उपमान प्रमाण के ग्राह विषय के सम्बन्ध में भीमासा दर्शन की यह मान्यता न्यायदर्शन को स्वीकार्य नहीं है । इस विषय में न्यायदर्शन की समीक्षा यह है कि गवय में गोसाहश्य का दर्शन होने पर ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य का शान उसी दशा में होता है जब मनुष्य को यह शान होता है कि 'मन्त्र का गोसाहश्य गौ के गवयसाहश्य के विना अनुपत्ति है' । यदि निर्विवाद है कि इस अनुपत्तिशान का उदय न होने तक गवय में गोसाहश्य का दर्शन होने पर भी ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य के शान नहीं होता । तो इस प्रकार जब ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्य के शान से पूर्व उक्त अनुपत्तिशान अवश्य अपेक्षिय होता है तब उक्त अनुपत्तिशान के रूपमें व्यतिरेक-व्याप्तिशान के विद्यमान होने के कारण ग्रामस्थ गौ में गवयसाहश्यशान को अनुमितिरूप मानने में कोई वाधा न होने से उसके निमित्त उपमान प्रमाण की कल्पना युक्तिसंगत नहीं कही जा सकती ।

इस विषय का विशद विचार न्यायकुसुमाङ्गलि के उपमानप्रमाण के निष्पत्ति-प्रकरण में प्राप्त किया जा सकता है ।

आपवाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है । आप का अर्थ है यथाभूत अर्थ का उपदेश करने वाला—जो यस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने वाला पुरुष । वाक्य का अर्थ है आकाश, योग्यता और सञ्जिति से युक्त पदों का समूह । आप और वाक्य शब्द के इस अर्थ के अनुसार शब्द प्रमाण का व्यरूप यह निष्पत्ति होता है कि ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथार्थ उपदेश करने वाले पुरुष से उचित, परस्परसाकाङ्क्ष, परस्पर-अन्वय-योग्य अर्थों के प्रतिशादक और परस्पर-

सन्निहित होते हैं। उदाहरण के लिए 'मुरभि चन्दनम्' यह वाक्य प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वाक्य के पद यथार्थ उपदेश पुरुष से उचारत है, क्योंकि इस वाक्य का प्रयोग करने वाले पुरुष का उपदेशव्य अर्थ-सुग-ध सुक चन्दन बख्तुत-सुगम्भाली होने से यथार्थ है। इस वाक्य के पद परस्परसाकाङ्क्षा भी है क्योंकि 'मुरभि' पद सुनने पर उपस्थित होने वाली 'किं मुरभि?' इस आकाङ्क्षा का शमन 'चन्दन' पद से और 'चन्दन' पद सुनने पर उपस्थित होने वाली 'कीदृश चन्दनम्' इस आकाङ्क्षा का शमन 'मुरभि' पद से होती है। इस वाक्य के पद परस्पर-अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक भाँ हैं स्यों कि चन्दन के साथ सीरम का सम्बन्ध प्रामाणिक होने के कारण उनम परस्पर आवत होने की योग्यता अनुष्टुप्त है। इस वाक्य के पद परस्परसाकाङ्क्षा भी है क्योंकि उन पदों में एक के उचारण के बाद दूसरे के उचारण में लम्ब नहीं किया गया है। इस लिये 'मुरभि चन्दनम्' यह वाक्य आस पुरुष से उचारत, परस्परसाकाङ्क्षा, परस्पर-आवययोग्य, सन्निधियुक्त पदों का समूहरूप होने से निश्चय एक प्रमाणभूत शब्द है।

वाक्य की उपस्थुत परिभाषा में आकाङ्क्षा, योग्यता और सन्निवेश का सन्निवेश किया गया है। प्रथम होता है कि वाक्य की परिभाषा में हन सबों के सन्निवेश का क्या प्रयोजन है? उत्तर यह है कि यदि आकाङ्क्षा का सन्निवेश न किया जायगा तो 'गीर, अश्व, पुरुष, इस्ती—गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी' इस प्रकार बोले गये इन पदों का समूह भी वाक्य कहलाने लगेगा। क्या कि इन पदों में भी परस्पर सन्निधान है और इनके अर्थों में भी परस्पर-अन्वय की योग्यता है, किन्तु यह पदसमूह बाल्लंबन में वाक्य नहीं है। अत प्रेसे निराकाङ्क्षा पदसमूहों में वाक्यत्व का पारहार करने के लिये वाक्य की परिभाषा में आकाङ्क्षा का सन्निवेश परमावश्यक है।

इसी प्रकार वाक्य की परिभाषा में यदि योग्यता का सन्निवेश न किया जायगा तो 'वहिना सिञ्चेत्—अ म से सींचा जाय' यह पदसमूह भी वाक्य कहलाने लगेगा, क्योंकि इस वाक्य के पद भी परस्परसाकाङ्क्षा और परस्परसन्निहित है, जैसे 'वहिना' पद सुनने पर उन्नित होने वाली 'वहिना किं कुर्यात्?' इस आकाङ्क्षा का शमन सिञ्चेत् पद से और सिञ्चेत् पद सुनने पर उन्नित होने वाली 'वेन सिञ्चेत्' इस आकाङ्क्षा का शमन 'वहिना' पद से होने के कारण 'वहिना' और सिञ्चेत् ये पद परस्परसाकाङ्क्षा हैं और एक के उचारण के बाद दूसरे के उचारण में लिलम्बन न होने से परस्पर सन्निहित है। किन्तु अग्री तो दाढ़क होता है, वह सींचने के काम में तो नहीं आ रहता, अत 'वहिना' और 'सिञ्चेत्' इन पदों के अर्थों में वहि शब्द के साथ मुनी जाने वाली तृतीया से जिल कायकारणभाव सम्बन्ध की प्रतीति होती है उस सम्बन्ध से उन अर्थों में परस्पर-अन्वय की योग्यता न होने के कारण 'वहिना सिञ्चेत्'

नन्वत्रापि न पदमि साकाङ्गाणि किन्त्यर्थीः, फलादीनामाधेयानां वीरायाधाराकाङ्गुतत्वात् । न च विचार्यमाणेर्थी अपि साकाङ्गाः । आकाङ्गाया इच्छात्मकत्वेन चंतनथर्मत्वात् ।

इस पदसमूह को बाक्य नहीं माना जाता, पर यदि बाक्य की परिभाषा में योग्यता का सन्निवेश न होगा तो इस पदसमूह के बाक्यत्व का परिहार पकारान्तर से न हो सकेगा । अतः तदर्थ बाक्य की परिभाषा में योग्यता का सन्निवेश अनिवार्य है ।

इसी प्रकार बाक्य की परिभाषा में यदि सन्निधि का सन्निवेश न किया जायगा तो 'गाम्' और 'आनय' इन पदों का साथ उच्चारण न कर यदि एक के उच्चारण के एक प्रहर बाद दूसरे का उच्चारण किया जायगा तो उस दशा में भी उन पदों के समूह को बाक्य कहा जाने लगेगा, क्योंकि उस समूह के पद भी परस्परसाकाश हैं और परस्पर-अन्वययोग्य अर्थों के प्रतिपादक हैं । विन्तु पदों में अविलम्बेन रहेच्चारण-रूप सन्निधि के न होने से उनके समूह को बाक्य नहीं कहा जाता, अतः विलम्ब से बोले जाने वाले परस्परसाकाश और परस्पर-अन्वययोग्य अर्थों के प्रतिपादक पदों के समूह में बाक्यत्व का परिहार करने के लिये बाक्य की परिभाषा में सन्निधि का प्रवेश परमावश्यक है ।

इस प्रकार बाक्य की परिभाषा में आकाङ्गा आदि के सन्निवेश की सार्थकता सिद्ध होने से बाक्य के स्वरूप के सम्बन्ध में यही निष्कर्ष निकलता है कि जो पद आकाङ्गा, अन्वययोग्य और सन्निहित होते हैं वे ही बाक्य कर्ते जाते हैं । जैसे 'ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गंकामो यजेत्—स्वर्गं की कामना करनेवाला पुरुष ज्योतिष्ठोमनामक यज्ञ करे' 'नदीतीरे पञ्च कलानि सन्निनदी के तट पर पौचं कल हैं' और अधिलम्ब से उच्चारण किये गये वही 'गाम् आनय—गौ का आनयन करो' इत्यादि पद । यह तीनों पद-समूह अलग-अलग तीन बाक्य हैं, क्योंकि इन समूहों में प्रविष्ट पद परस्परसाकाश, परस्पर-अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक और उच्चारण में विलम्ब न होने से परस्पर सन्निहित हैं ।

प्रश्न होता है कि बाक्य की परिभाषा में यदि आकाङ्गा का सन्निवेश न होगा तो अभी समूहापन जिन पदों को बाक्य कहा गया है वे पद भी बाक्य न हो सकेंगे क्योंकि आकाङ्गा—एक को दूसरे की अपेक्षा पदों में नहीं होती विन्तु अर्थों में होती है, जैसे 'नदीतीरे पञ्च कलानि सन्ति' इस बास्य के तीरे, कलानि, आदि पदों में परस्पर आकाङ्गा नहीं है क्योंकि वे तो एक दूसरे के विना भी अपना अस्तित्वलाभ कर सकते हैं, आकाङ्गा तो उन पदों के तीर और कलरूप अर्थों में है क्योंकि उनमें तीर आधार के रूप में तथा कल आधेय के रूप में प्रतीत होता है और तीर की आधारता कलरूप

सत्ययु ? अर्थात् स्तोत्रात् स्वपदश्चोतर्यन्योन्यविपयाकाङ्क्षाजनकत्वेन साकाङ्क्षा इत्युच्यन्ते, तद्द्वारेण तथ्यतिपादकानि पदान्यपि साकाङ्क्षाणीत्युपचर्यन्तेरा यद्या पदान्येवाधारं प्रतिपाद्याऽर्थात्तरविपयाकाङ्क्षाजनकानीत्युपचारात्, साकाङ्क्षाणि । एवमर्थाः साकाङ्क्षाः परस्परान्वययोग्याः, तद्द्वारेण पदान्यपि परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते ।

सन्निहितत्वं तु पदानामेकेनैव पुंसा अविलम्बेनोच्चरित्वम्, तच्च साक्षादेव परेषु संभवति नार्थद्वारा ।

तेनायमर्थं सम्पन्नः—अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतुः पदात्तरविपयामर्थाऽन्तरविपयां वा आकाङ्क्षा जनकानां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्यार्थप्रतिपादकानां सन्निहिताना पदानां समृद्धे वाक्यम् ।

आवेद्य के बिना नथा कल की अवैषयता तीर रूप आवार के बिना उपलब्ध नहीं हो सकती । यदि और मूलता से विचार किया जाए तो तीर और छलरूप अर्थों में भी आकाशा नहीं सिद्ध हा सकती क्षेत्रिक आकाशा इच्छारूप होने से वेतनका ही घर्म हो सकती है, तीर आदि अवेतन अर्थों का घर्म नहीं हो सकती ।

उत्तर है कि यह सब है कि आकाशा वेतन का ही घर्म है अतः वह अवेतन अर्थों और पदों में आधित नहीं हो सकती, किन्तु अवेतन अर्थों और पदों में उल्लङ्घा उपचार-आण्डित व्यवहार तो ही ही सकता है । कहने का आशय यह है कि अवेतन अर्थ आकाशा का आवश्य होने से यद्यपि वाक्यात् में साकाङ्क्षा नहीं होते तथापि अनना वेच कराने वाले पदों के शोता पुष्टप में अन्योन्यविपयक आकाशा का उत्पादक होने के कारण उपचार-ऐच्छिक नियित से साकाङ्क्षा कहे जाते हैं और इन साकाङ्क्षा कहे जाने वाले अर्थों के द्वारा उनका प्रतिपादन करने वाले पद भी उपचार से साकाङ्क्षा कहे जाते हैं । अथवा पद अपने अर्थ का प्रतिपादन कर अन्य अर्थविपयक आकाशा का उत्पादक होने से धीरे ही उपचार से साकाङ्क्षा कहे जा सकते हैं । इस पक्षार अर्थं उक्त शीति से परस्पराशकात् और परस्पर-अन्वययोग्य कहे जाते हैं तथा उनके द्वारा उनका प्रतिपादन करने वाले पद भी साकाङ्क्षा और परस्पर-अन्वययोग्य कहे जाते हैं ।

अर्थों और पदों भी साकाङ्क्षा ही वान सक्षिप्त एवं द्वारा रूप में इस प्रकार कही जा सकती है कि एक अर्थ में अन्य अर्थ की साकाङ्क्षा का अर्थ है अन्य-अर्थविपयक आकाशा का उत्पादकात् और एक पद में दूसरे पद की साकाङ्क्षा का अर्थ है दूसरे पद से प्रतिपाद्य अर्थविपयक आकाशा के उत्पादक अर्थ का प्रतिपादकात् । तात्पर्य यह है कि जो अर्थ जिस अर्थ के सम्बन्ध में आकाशा का उत्पादन करता है वह अर्थ

पदं च वर्णसमूहः । समूहश्चात्रैकज्ञानविपयीभावः । एवं च वर्णान्तां क्रमवत्तामाशुतरविनाशित्वेन एकदाऽनेकवर्णानुभवासंभवात् पूर्वपूर्ववर्णानिनुभूय अन्त्यवर्णश्चवणकाले पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृतेन अन्त्यवर्णसम्बन्धन्येन पदव्युत्पादनमयप्रहानुगृहीतेन श्रोत्रेण एकदेव सद्वसदनेकवर्णविगाहिनी

उस अर्थ में साकाश कहा जाता है । जैसे 'तीरे फलानि सन्ति' इस वाक्य का उच्चारण होने पर श्रोता को जब 'तीरे' शब्द से तीर रूप आधार का ज्ञान होता है तब उस ज्ञान के होते ही यह आकृता—विज्ञासा होती है कि तीर का आधेय क्या है? क्योंकि किसी आधेय के बिना कोई आधार नहीं हो सकता, अतः जब तक तीर का कोई आधेय न होगा तब तक तीर का आधारत्व नहीं उपलब्ध हो सकता । इस प्रकार आधेय के रूप में फलरूप अन्य अर्थविपयक आकृता का उत्पादक होने से तीररूप आधारभूत अर्थ फलरूप आधेयभूत अर्थ में साकाश होता है । तीर और फलरूप अर्थों के इस प्रकार साकाश होने से उन अर्थों का प्रतिपादन करने वाले 'तीरे' और 'फलानि' ये पद भी एक दूसरे में साकाश कहे जाते हैं, क्योंकि 'तीरे' पद अपने अर्थ तीररूप आधार का प्रतिपादन कर 'फलानि' इस दूसरे पद के प्रतिशब्द आधेयभूत फलरूप-अर्थविपयक आकृता का उत्पादक होता है ।

इस प्रकार पदों की साकाशता नो साकृत् तथा वास्तव न होकर साकाश अर्थों द्वारा पारम्परिक और औपचारिक होती है किन्तु उनकी परस्परसञ्जिति अर्थद्वारा न होकर साकृत् ही होनी है क्योंकि एक पुकाय द्वारा अविलम्ब से उच्चरित होने को ही सञ्जिति कहा जाता है और उच्चरित होना पद का अपना निजी धर्म है ।

वाक्य के सम्बन्ध में अब तक कही गई समस्त वार्तों के आधार पर वाक्य के स्वरूप के विपय में यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने अर्थ के प्रतिपादन द्वारा श्रोता को अन्यपदविपयक अथवा अन्य-अर्थविपयक आकृता को उत्पन्न करने वाले, परस्पर में प्रतीत होने वाले सम्बन्ध के योग्य अर्थों का प्रतिपादन करने वाले एवं एक पुरुषद्वारा अविलम्ब उच्चरित होने वाले पदों के समूह का नाम है वाक्य ।

वर्णों का समूह पद है । समूह का अर्थ है एक ज्ञान का विषय होना । समूह की इस परिभाषा के अनुसार किसी एक ज्ञान में भासित होने वाले वर्णों का नाम होता है 'पद' । इसी लिये घ, अ, ट और अ ये वर्ण क्रम से उच्चरित हो जब तक किसी एक व्यक्ति को एक साथ नहीं ज्ञात होते तब तक वे 'पद' नहीं कहे जाते, किन्तु जब के किसी एक व्यक्ति को एक साथ ज्ञात हो एक ज्ञान के विषय बन जाते हैं तब वे 'पद' इस नाम के अई होकर 'घट पद' कहे जाने लगते हैं । 'पट' 'मठ' आदि अन्य पदों की

पदप्रतीतिर्जन्यते, सहकारिदाह्यात् प्रत्यभिज्ञावत् । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षे खोलीतार्थपि पूर्वावस्था स्फुरत्येव । ततः पूर्वपूर्वपदानुभवजनितसंस्कारसहरूतेनान्त्यपदविपयेण श्रोत्रेन्द्रियेण पदार्थप्रत्ययानुगृहीतेनानेकपदावगाहिनी वाक्यप्रतीतिः क्रियते ।

२८२ तदिदं वाक्यमात्रपुरुपेण प्रयुक्तं सच्छब्दनामकं प्रमाणम् । फलं त्वस्य वाक्यार्थज्ञानम् । तच्चैतन्दृढलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम् । लोके त्वर्य विशेषो यः कश्चिदेवास्त्रो भवति, न सर्वः । अतः किंचिदेव लौकिकं वाक्यं प्रमाणं यदास्त्रवक्तृम् । वेदे तु परमास्त्रीमहेश्वरेण कृतं सर्वमेव वाक्यं प्रमाणं सर्वस्यैवास्त्रवाक्यत्वात् ।

भी यही रियति है । पद के लक्षण में समूह शब्द के संज्ञिवेश से यह क्वापि नहीं शोचना चाहिए कि पद सदा अनेकवर्णात्मक ही होता है, किन्तु बहुत वह एकवर्णात्मक भी होता है, कैसे विश्वावाची 'अ', मुखवाची 'क', आकाशवाची 'त' आदि ।

प्रश्न होता है कि पद जब एकवर्णात्मक भी होगा तब तो 'घट' यह एक पद न होकर कई पदों का समूह हो जायगा, उत्तर में यह कहा आ सकता है कि 'वर्णसमूहः' यह पद का पूरा लक्षण नहीं है यह तो उसके लक्षण के सम्बन्ध में एक संकेतमान है, उसका उचित लक्षण तो 'शक्तः साभिप्रायो वर्णो वर्णसमूहो वा पदम्' के रूप में किया जा सकता है । इसके अनुसार जो वण या वर्णसमूह किसी अर्थ में शक्त और साभिप्राय होता है वह पद होता है । पद के इस लक्षण के अनुसार घ, अ, ट, और अ, इन चार वर्णों का समूहरूप होनेपर भी 'घट' पद एकवर्णात्मक पदों का समूह न होगा किन्तु एक ही पद होगा, क्योंकि उस पद के अन्नभूत एक एक वर्ण किसी अर्थ में शक्त और साभिप्राय नहीं है अपि तु वे सब सम्भूय 'घटा' रूप अर्थ में शक्त हैं और उसी को बताने के अभिप्राय से उच्चरित है ।

अनेकवर्णात्मक पदों के सम्बन्ध में एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी होती है, वह यह कि अनेक वर्णों का समूह सम्भव कैसे होगा ? क्योंकि एक मनुष्य कई वर्णों का एक साथ उच्चारण तो कर नहीं सकता, जब भी वह वर्णों का उच्चारण करेगा तब क्रम से ही करेगा, और वण जब क्रम से ही उच्चरित होने तो क्रम से ही शत भी होगे, अतः एक एक वर्ण अलग अलग एक एक शान का विषय होगा, कई वर्ण किसी एक शान के विषय न होगे । यदि यह कहा जाय कि अनेकवर्णात्मक किसी एक पद के अन्नभूत सारे वर्ण जब उच्चरित हो जाते हैं तब उन सभी का एक साथ ही एक शान उत्पन्न होता है, अलग अलग एक एक वर्ण का शान नहीं होता । तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि क्रम से उच्चरित होने वाले वर्ण श्रोता के कान में क्रम से ही पहुँचेंगे और कान में पहुँचने पर कीर्ति वर्ण बेसुना रह नहीं सकता, अतः शान में क्रम-

ग्राम वर्णों का कमश्वरण ही युक्तिसगत हो सकता है, एककालिक अवण युक्तिसगत नहीं हो सकता। वर्णों के एककालिक थ्रवण में एक वाधा और है, वह यह कि अनेक वर्णों का एक काल में अवण होने के लिए एक काल में उन सभी वर्णों का संविधान अपेक्षित है, जो वर्णों के अपने जग्म के तीसरे द्वंद्व में स्वभावतः नश्वर होने के कारण कथमपि सम्भव नहीं है।

इस समस्या का बड़ा सरल और सुन्दर समाधान यह है—यह ठीक है कि वर्ण क्रम से ही उच्चरित होते हैं और अत्यन्त शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अतः एककाल में अनेक वर्णों का अवण सम्भव नहीं हो सकता, फर भी एक ऐसी विधि है जिससे क्रमोत्पन्न, आशुतरविनाशी वर्णों का एक काल में थोवद्वारा महण किया जा सकता है। वह विधि इस प्रकार है—किसी पद के अन्नभूत वण जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं उसी क्रम से थोवद्वारा उनका अनुभव होता है और उसी क्रम से अनुभवों द्वारा उनका सस्कार उत्पन्न होता है। इस क्रम से उस पद का अन्तिम वण जब कान में पहुँचता है तब इस अन्तिम वर्ण से सम्बद्ध हुआ थोव पूर्ण वर्णों के अनुभवों से उत्पन्न हुये इन सस्कारों के सहयोग से एक साथ ही विनष्ट और विद्यमान सभी वर्णों को विषय करने वाले एक पदशान को उत्पन्न करता है। विनष्ट और विद्यमान वर्णों की ग्राहकता में केवल यही अन्तर होता है कि विद्यमान वर्ण के साथ थोव का साक्षात् सम्बन्ध होता है और विनष्ट वर्णों के साथ संरक्षद्वारा होता है, अतः थोव-द्वारा उत्पन्न होने वाले पदशान में विद्यमान अन्तिम वर्ण का भान थोव के साक्षात् सम्बन्ध से होता है और विनष्ट हुये पूर्व वर्णों का भान उनके थोवज अनुभवों से उत्पन्न उनके सस्कारों से होता है।

थोवद्वारा एक काल में अनेक वर्णों के ग्रहण की इस विधि की मान्यता पद्व्युत्पादनसमयमह के अनुग्रहसे चिद्ध होती है। कहने का तार्त्त्व यह है कि न्याय वैशेषिकदर्शन में एक ज्ञान के विद्यभूत अनेक वर्णों में पद शब्द का सकेत किया गया है, यह सकेत अनेक वर्णों के एक ज्ञान का विषय हुये विना सम्भव नहीं है अतः अनेक वर्णों को एक ज्ञान का विषय बनाने के लिये कोई न कोई मार्ग छूँढ़ निकालना आवश्यक है। वह मार्ग यही है कि समव्याय के स्फान सस्कार को भी थोव का सहकारी मान लिया जाय, अर्थात् यह मान लिया जाय कि थोव जैसे अपने में समवेत विद्यमान वर्ण को ग्रहण करता है वैसे ही अपने द्वारा उत्पादित अनुभवों से उत्पन्न किये गये सस्कारों के विषयभूत विनष्ट वर्णों को भी ग्रहण करता है। अतः थोवद्वारा एक ज्ञान में विनष्ट और विद्यमान वर्णों के ग्रहण होने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, यदि एक ज्ञान के विषयभूत अनेक वर्णों में पद का सकेत न होता तो

अनेक वर्णों को एक ज्ञान का विषय बनाने की कोई चिन्ता न होती और तब श्रोत्रव अनुभवों द्वारा उत्पन्न सक्तारों को श्रोत्र का सहकारी मानने की कोई आवश्यकता न होती, अतः स्पष्ट है कि सक्तार और समवायद्वारा विनष्ट और विद्यमान वर्णों को श्रोत्रद्वारा एक साथ ग्रहण करने की उक्त विधि की मान्यता न्याय-वैशेषिक दर्शन के पदब्युत्पादनसमयमह पर ही आधारित है।

अतीत वस्तु को ग्रहण करने के लिये सक्तार को श्रोत्रेन्द्रिय का सहकारी मानने की कल्पना कोई अपूर्व कल्पना नहीं है किन्तु यह अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी स्वीकृत है। सक्तार यदि सुट्ट होता है तो उसे इन्द्रिय का सहकारी होने में कोई अस्वाभाविकता वा चाला नहीं होती। अन्यथा सक्तार यदि इन्द्रिय का सहकारी होने में सर्वथा अद्यम ही होता तो पूर्वदृष्टि पदार्थ का 'स एवाय घः—यह वही पड़ा है' इस प्रकार प्रथमित्तात्मक प्रत्यक्ष कैसे उत्पन्न होता ? क्योंकि प्रथमित्ता में अतीत पूर्ववस्था का भान होता ही है और वह सक्तार के सहयोग से ही सम्भव है।

अनेकवर्णात्मक पदों के ज्ञान की समस्या उक्त प्रकार से मुलभ ज्ञाने से पदसमूहरूप वाक्य के ज्ञान की भी समस्या अनायास ही मुलभ जाती है। जैसे किसी पद के अन्तिम वर्ण को ग्रहण करते समय पूर्व पूर्व वर्णों के श्रोत्रज अनुभवों से उत्पन्न सक्तारों के सहयोग से विनष्ट वर्णों को भी श्रोत्र ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार किसी वाक्य के 'अन्तिम पद' को ग्रहण करते समय पूर्व पूर्व पदों के श्रोत्रज अनुभवों से उत्पन्न पूर्व पूर्व पद-विषयक सक्तारों के सहयोग से विनष्ट हुये पूर्व पूर्व पदों को भी श्रोत्र ग्रहण कर सकता है, इस लिये कम से उच्चरित और अनुभूत होने वाले अनेक पदों को विषय करने वाले एक वाक्यशान की उत्पत्ति में कोई चाला नहीं है।

पूर्व पूर्व पदों के सक्तारों में श्रोत्र के सहकारित्व की यह कल्पना पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध की प्रतीति के अनुमद पर आधारित है, अर्थात् क्रमिक एवं दृष्टिक वर्णों के समूहरूप अनेक पदों का एक काल में सम्बन्धित सम्भव न होने पर भी उन पदों से उपरिथित होने वाले पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध का चोख होना अनुभवित है, यह चोख तभी हो सकता है जब अनेक पदों का ज्ञान एक साथ सम्भव हो, अतः उसे सम्भव ज्ञाने के उपाय की चिन्ता के कालस्वरूप इस बात को मान्यता प्रदान करना आवश्यक हो जाता है कि श्रोता विद्यमान अन्तिम पद को ग्रहण करते समय विनष्ट हुये पूर्वपदों को भी उनके सक्तारों के सहयोग से ग्रहण कर सकता है।

उक्तरीति से ग्रहण करने योग्य वाक्य जब किसी आस—यथार्थवक्ता पुरुष से प्रसुक होता है तब वह शब्दनामक प्रमाण होता है। उस वाक्यशान से जो वास्तवार्थ-अनु उत्पन्न होता है वही उत्त प्रमाण का फल होता है। यह शब्दप्रमाण छोक और

वेद में समान होता है। अन्तर के बल इतना ही होता है कि लोक में कोई कोई ही आस होता है सब लोग आस नहीं होते, अतः कोई कोई ही लौकिक वाक्य, जो आस पुरुष-द्वारा उच्चरित होता है, प्रमाण होता है, परन्तु वेद के परम आस महेश्वरद्वारा प्रणीत होने से उसका सभी वाक्य प्रमाण होता है, क्योंकि वह सभी आसवाक्य होता है।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बारें—

शब्द प्रमाण के सम्बन्ध में कुछ और भी महत्त्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा कर देना अर्थावश्यक प्रतीत होता है, जैसे शब्द को एक अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा की कारणसामग्री, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, उसके शान का उपाय, उसका आश्रय, इन सभी विषयों में अन्य दार्शनिक मतों की सक्तिसु समीक्षा।

शब्द का प्रामाण्य—

शब्दप्रामाण्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है, चार्वाक दर्शन के अधेता प्रत्यक्ष से भिन्न किसी भी प्रमाण का अस्तित्व नहीं मानते, अतः उनकी दृष्टि से शब्द किसी भी रूप में प्रमाण नहीं हो सकता। बौद्ध दर्शन के अधेता प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं, उनके मत में भी शब्द का प्रमाणत्व स्वीकृत नहीं हो सकता। वैशेषिक दर्शन के अधेता भी प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं, अतः उनके मत में भी शब्द का प्रामाण्य सम्भव नहीं है, किन्तु न्याय, साख्य, सीमाओं, वेदान्त आदि के अधेताओं ने शब्द को भी स्वतन्त्र प्रमाण माना है। प्रस्तुत प्रथम न्यायदर्शन के सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ रचित हुआ है अतः इसमें शब्द प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार कर उसका निरूपण किया गया है।

प्रश्न होता है कि जिन दशनों में शब्द का प्रमाणत्व स्वीकृत किया गया है उनके अधेताओं का मार्ग तो निष्कर्षित है, उनकी लोकयात्रा तो अक्लेशन सम्पन्न हो सकती है, पर जिन दशनों में शब्द का प्रमाणत्व स्वीकृत नहीं है, उनके अधेताओं की लोकयात्रा कैसे सम्भव होगी ? क्योंकि जब शब्द प्रमाण न होगा, शब्द में प्रमाजनन की चमता न होगी तो शब्द के प्रयोग की साधकता ही क्या होगी ? शब्द सुनने पर भी जब उससे किसी प्रमा का उदय सम्भव न होगा तो उसे श्रोत्रगम्य बनाने के लिए उसके उचारण का प्रयाप कोई क्यों करेगा ? और जब उसे सुन कर भी कोई उपलब्धि होने को नहीं है तब उसे सुनने के लिए भी कोई उत्कर्ण क्यों होगा ? फलतः शब्द का बोलना और सुनना निरर्थक होने से सधार अशब्द हो जायगा। शब्द का प्रमाणत्व न मानने वाले लोगों का अपने वर्ग के तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के साथ सब प्रकार का व्यवहार ही छुत हो जायगा।

उत्तर में चार्वाक के अनुयायियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि शब्द को प्रमाण न मानने का अर्थ यह नहीं है कि शब्द से किसी अर्थ का प्रमात्रमक ज्ञान ही नहीं होता, किन्तु शब्द को अप्रमाण कहने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि शब्द किसी ऐसे अर्थ में प्रमाण नहीं होता जो प्रत्यक्षसिद्ध न हो, अतः मूलभूत प्रमाण केवल प्रत्यक्ष ही है, शब्द तो प्रत्यक्षगृहीत अर्थ का केवल अनुबादक है, शब्द को सुनकर मनुष्य जो व्यवहार करता है वह इसी आधार पर करता है कि वह समझता है कि शब्द से जो बोध उसे हो रहा है वह प्रत्यक्षमूलक होने से यथार्थ है। इस प्रकार शब्द की उपयोगिता सम्भव होने से चार्वाकमत में भी शान्दिक व्यवहार की अनुपस्थिति नहीं हो सकती।

उक्त प्रश्न के उत्तर में बोद्ध दर्शन की ओर से भी इस प्रकार ही जात कही जा सकती है कि मूलभूत प्रमाण दो ही हैं प्रत्यक्ष और अनुमान। उन दोनों को प्रमाण मानना आवश्यक है क्योंकि जगत् में दो प्रकार की वस्तुयें अनुभव में आती हैं विशेष और सामान्य। विशेष का अर्थ है स्वलक्षण त्रुटिग्रन्थ भावात्मक व्यक्ति और सामान्य का अर्थ है अतद्व्याख्याचिलकृण अपेह। इनमें प्रथम के ग्रहणार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण की और दूसरे के ग्रहणार्थ अनुमान प्रमाण की स्वीकृति अपरिहार्य है। इन दोनों से भिन्न और कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती जिसके लिए शब्द को भी एक अतिरिक्त मूलभूत प्रमाण माना जाय। अतः शब्द प्रत्यक्ष और अनुमान से गृहीत अर्थ का अनुबादक-मात्र ही हो सकता है, स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हो सकता। शब्द को सुनकर मनुष्य जो व्यवहार करता है वह यही समझ कर कि शब्द से जो बोध हो रहा है वह प्रत्यक्ष और अनुमानमूलक होने से यथार्थ है, इस प्रकार इस प्रति में भी शब्दमूलकव्यवहार के लोप का भय नहीं रह जाता।

उक्त प्रश्न के उत्तर में वैशेषिक दर्शन की ओर से यह जात कही जा सकती है कि शब्द को प्रमाण न कहने का अर्थ यह नहीं है कि शब्द सुनने पर किसी प्रमा का उदय ही नहीं होता अथवा प्रमा के जनन में शब्द की कोई उपयोगिता ही नहीं होती। किन्तु उसका इतना ही तात्पर्य है कि शब्द सुनने पर प्रधा की उत्थिति अवश्य होती है पर वह प्रमा प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से होने वाली प्रमा से विजातीय नहीं होती, कभी शब्द अपने अर्थ की स्मृति उत्थन कर उस अर्थ को ग्रहण करने वाली अलौकिक प्रत्यक्षात्मक प्रमा के जन्म का प्रयोजक होता है और कभी अपने अर्थ को विषय करने वाली अनुमिति प्रमा के जन्म का प्रयोजक होता है। अनुमिति प्रमा का प्रयोजक दो प्रकार से होता है कभी अनुमिति में पक्ष उन कर और कभी लिङ्ग उन कर।

शब्द जब पक्ष उन कर अनुमिति का सम्बद्धन करता है तब इस प्रकार अनुमिति होती है—

'ये ये शब्द हन इन अर्थों के परस्पर-समर्गज्ञान से प्रयुक्त हैं क्योंकि परस्परसाकार, परस्परान्वययोग्य अर्थ के स्मारक और परस्पर सन्निहित हैं, जो जो शब्द इस प्रकार के होते हैं वे सब अपने अपने अर्थों के समर्गज्ञान से प्रयुक्त होते हैं'। इस अनुमिति में शब्द पक्ष होता है और उनके अर्थों का परस्पर सम्बन्ध साध्य का भाग होकर अनुमेय होता है।

शब्द जब लिङ्ग बनकर अनुमिति का सम्पादन करता है तब इस प्रकार की अनुमिति होती है—

'ये ये पदार्थ परस्पर सम्बद्ध हैं क्योंकि परस्परसाकार, परस्परान्वययोग्य अर्थों के अभियायक तथा परस्पर सन्निहित शब्दों से उपस्थित हुये हैं, जो जो पदार्थ ऐसे शब्दों से उपस्थित होते हैं वे सब परस्पर सम्बद्ध होते हैं'। इस अनुमिति में शब्दों द्वारा उपस्थित होने वाले अर्थ पक्ष होते हैं और उन अर्थों की उपस्थित कराने वाले शब्द ऐसा का भाग होकर अनुमापक होते हैं।

इस प्रकार इन शब्दपक्षक और अर्थपक्षक अनुमानों से उस शान की उपस्थिति होती है, जिसके द्वारा शब्द सुनने के अनन्तर थोता विभिन्न व्यवहारों में सलग्न होता है। ऐसी स्थिति में यदि शब्द का उचारण एवं अवण न होगा तो शब्द का शान और शब्दार्थ की उपस्थिति न होगी और फिर उस दशा में उक्त अनुमान किस प्रकार सम्भव होगे? अतः शब्द को एक स्वतन्त्र विज्ञातीय प्रमाण न मानने पर भी उसकी उपयोगिता निर्विवाद सिद्ध है।

शब्द को प्रमाण न मानने पर शब्दमूलक लोकव्यवहार के लोप के परिहारार्थ विभिन्न दर्शनों की ओर से उक्त प्रकार की जो वातें वही जाती हैं उनकी समीक्षा करते हुये नैयायिक विद्वानों का कथन है कि जब चार्वाक और बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को भी शब्द से लोकव्यवहार के लिये अपेक्षणीय यथार्थ बोध का उदय अवश्य मानना ही होगा तब शब्द को अप्रमाण कहने का कोई अर्थ नहीं हो सकता। यह कहना कि शब्द विस्तीर्णे ऐसे अर्थ की, जो अन्य प्रमाण से अवश्य न हो सके, प्रमा नहीं करा सकता, इसलिये अप्रमाण है, ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द से उपस्थित होने वाले तत्त्व अर्थों के अलग अलग प्रमाणान्तर से विदित होने पर भी उनका परस्पर सम्बन्ध तो शब्द के लिये नया ही होता है जो शब्दवन्य बोध से पूर्व प्रमाणान्तर से विदित नहीं रहता। यदि यह कहा जाय कि विभिन्न शब्दों से उपस्थित होने वाले विभिन्न अर्थों का परस्पर सम्बन्ध भी प्रमाणान्तर से अविदित नहीं होता किन्तु वहाँ को वह भी विदित रहता है अन्यथा उसे बताने के अभिप्राय से शब्द का उचारण ही कैसे होता? तो यह कथन

भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द को वक्ता के लिये तो प्रमाण होना नहीं है प्रमाण तो होना है श्रोता के लिये, और श्रोता को, शब्दार्थों के परस्पर का वह सम्बन्ध जो शब्द द्वारा बुनोवरित होता है, प्रमाणान्तर से अविदित रहता ही है। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार तो शब्द केवल श्रोता ही के लिये प्रमाण हो सकता है, वक्ता के लिये तो नहीं ही हो सकता है, अतः 'शब्द सबके लिये प्रमाण नहीं है' इस अर्थ में शब्द को अप्रमाण कहने में कोई निभाव नहीं है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि वक्ता सदैव वक्ता ही तो नहीं होता, वह कभी श्रोता भी होता है, तो जब वह श्रोता होगा तब उसके लिये भी शब्द प्रमाण होगा ही, अतः 'शब्द सबके लिये प्रमाण नहीं है' इस अर्थ में भी शब्द को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। हों 'सब शब्द सबके लिए सदा प्रमाण नहीं होता' इस अर्थ में शब्द को यदि अप्रमाण कहना हो तो, कहा जा सकता है, पर इस प्रकार के विशेष अभिप्राय से शब्द को यदि अप्रमाण घोषित करना हो तब तो प्रत्यक्ष को भी अप्रमाण घोषित किया जा सकता है क्योंकि सब प्रत्यक्ष भी सब के लिये सदा प्रमाण नहीं होते, जैसे किसी वस्तु को एक बार देख लेने के बाद वह वस्तु जब पुनः देखी जाती है तब इस पुनर्दर्शन का साधनभूत प्रत्यक्ष देखने वाले के लिये प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसी प्रकार आंख बन्द रहने पर हाय से छूकर चिठ्ठ वस्तु को पढ़ते जान लिया गया, आंख खुलने पर जब वह वस्तु आंख से देखी जाती है तब आंख उस वस्तु के लिये प्रत्यक्षप्रमाण नहीं हो सकती क्योंकि वह वस्तु स्पर्शन द्वारा पूर्वविदित होने के कारण आंख के लिये नवीन नहीं रहती।

इसलिये यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि शब्दों से होने वाले लोक्यवहार का अपलाप नहीं किया जा सकता, अतः शब्दों से यथार्थ वोध के उदय का भी अपलाप नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार जब वह यथार्थोचामक प्रमाण का जनक है तब उसके प्रमाणात्मक का अपलाप दुश्यक है, इसलिये चार्चा की और बोट दर्शन के अनुयायियों द्वारा शब्द के अप्रमाणात्मक कारण अंख के लिये नवीन नहीं रहती।

वैशेषिकों ने शब्द को अनुमान का अन्त मान कर उसके विवादीय प्रमाणों को जो अस्वीकार किया है, उस विषय में यह कहा जा सकता है कि शब्द को अनुमान का अन्त नहीं माना जा सकता, स्योहि शब्द मुझने के अनन्तर शब्द से उपरिषत होने वाले अध्यों के परस्पर सम्बन्ध का यदि अनुमान माना जायगा तब उन शब्दार्थों के साथ कभी उन अध्यों का भी अनुमान होने लगेगा जो शब्द से उपरिषत न होकर किसी अन्य साधन से उपरिषत होंगे और जिनके सम्बन्ध का अनुमानक द्वारे अन्य उपरिषत होगा। किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। शब्दार्थों के परस्पर सम्बन्ध के

बोध के साथ शब्दानुपस्थित्य अर्थों के परस्पर सम्बन्ध का बोध होते कभी नहीं देखा जाता। इसलिये यही मानना उचित है कि शब्द सुनने के अनन्तर शब्द से उपस्थित होने वाले अर्थों के परस्पर सम्बन्ध का जो बोध होता है वह एक विजातीय यथार्थबोध है और उसका करण होने से शब्द एक स्वतन्त्र विजातीय प्रमाण है।

शब्दबोध की कारणसामग्री—

शब्द से होने वाले विवातीय बोध को शाब्दबोध कहा जाता है, वह जिन विशेष कारणों के सामग्र्य—सन्निधान में उत्पन्न होता है, उनकी सख्त्या सात मानी गई है—पदशान (१) वृत्तिशान अर्थात् पद और पदार्थ का सम्बन्धशान (२) पदार्थभरण (३) आकाङ्क्षाशान (४) सन्निधि—आसन्ति का ज्ञान (५) योग्यताशान (६) और तात्पर्यशान (७)। इन कारणों के सन्निधान का क्रम यह है—एक मनुष्य जब किसी दूसरे मनुष्य को कोई बात बताने के लिये किसी वाक्य का प्रयोग करता है तब वह जिस क्रम से पूर्व पदों का उचारण करते हुये वाक्य के प्रयोग को पूरा करता है उस क्रम से पहले उन पदों का ध्वनि और उन ध्वनियों से उनके सहकारों का उदय होता है, बाद में उन सहकारों के सहयोग से अन्तिम पद के ध्वनि के समय ओवरड्राइव पूरे वाक्य का ज्ञान होता है। उसके साथ ही उस वाक्य के अङ्गभूत पदों में वीर्वर्णरूप आकाङ्क्षा तथा व्यवधानराहितरूप आसन्ति का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार वाक्यशान रूप एक ही ज्ञान से पदशान, आकाङ्क्षाज्ञान और आसन्तिशान यह तीन ज्ञान गतार्थ हो जाते हैं। उनके लिये कालान्तर की अपेक्षा नहीं होती। आकाङ्क्षा और आसन्ति को भ्रष्ट करने वाला वाक्यशान पदशानात्मक भी होता है। अतः वह पद-पदार्थ के पूर्वानुभूत परस्परसम्बन्ध का प्रथमतः स्थित सख्तकार को उद्युद्ध कर उसका स्मरणात्मक ज्ञान सम्पन्न करा देता है। इस प्रकार पद-पदार्थों के परस्परसम्बन्ध का ज्ञान हो जाने पर एक सम्बन्धी के ज्ञान के अपर सम्बन्धी का स्मारक होने के नियमानुसार पद-पदार्थसम्बन्धज्ञानात्मक पदरूप एक सम्बन्धी के ज्ञान से पदार्थरूप अपर सम्बन्धी का स्मरण उत्पन्न होता है। पदार्थों का स्मरण उत्पन्न हो जाने के बाद उनमें परस्पर-अन्वय की योग्यता का ज्ञान होता है और उसके बाद उन पदार्थों के बीच सम्भावित सम्बन्धों में किसी एक सम्बन्ध में वक्ता के वाक्य-तात्पर्य—वाक्यद्वारा उनोधयिता का ज्ञान होता है। इस प्रकार किसी वाक्य के अङ्गभूत पदों से उपस्थित होने वाले जिन पदार्थों के जिस सम्बन्ध में वक्ता के वाक्य-तात्पर्य का ज्ञान होता है, तात्पर्यशान के अनन्तर उन पदार्थों में उस सम्बन्ध का शाब्द-बोध उत्पन्न होता है।

तात्पर्यशान अर्थात् अमुक वाक्य से अमुक अमुक अर्थों के अमुक सम्बन्ध का बोध वक्ता को अभिप्रेत है इस प्रकार का ज्ञान स्पष्ट ही वाक्य को विषय करता है।

वाक्य के शरीर में पद, पदों का पौर्वार्थ और उनकी आसच्चि प्रविष्ट रहती है। अतः वह तात्पर्यशान, पदशान, आकांक्षाशान और आसच्चिशानरूप हो जाता है। वह वाक्य-धटक पदों के अर्थों और उनके सम्बन्ध को भी विषय करता है अतः वह पदार्थशान और योग्यनाशानरूप भी हो जाता है। इसलिये तात्पर्यशान के सन्निधानकाल में शाब्दबोध के प्राप्ति उत्तुकु सभी कारणों का सन्निधान हो जाने से शाब्दबोध के उदय में कोई वाधा नहीं रहती। अतः उसके अनन्तर शाब्दबोध का जन्म मानना सर्वथा सुसंगत है।

पद और पदार्थ का सम्बन्ध —

पद-पदार्थ के सम्बन्धशान को शाब्दबोध का अन्यतम कारण बताया गया है। अब विचारणीय यह है कि इस सम्बन्ध को मानने की आवश्यकता क्या है? इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है? और इसके शान का उपाय क्या है?

पद से अर्थ का बोध होता है, किन्तु सब पदों से सब अर्थों का बोध नहीं होता, अपि तु सामान्य विधि में नियत पदों से नियत अर्थों का ही बोध होता है। प्रश्न होता है कि यह वस्तुस्थिति क्यों है? कोई भी पद किसी भी अर्थ का स्वाभाविक ढग से बोधक स्थीर नहीं होता? उत्तर यह है कि पद तथा अर्थ के बीच एक सम्बन्ध होता है और वही पद से अर्थ के बोध का नियामक होता है। वह सम्बन्ध सब पदों और सब अर्थों के बीच नहीं होता किन्तु नियत पद और नियत अर्थों के ही बीच होता है। यही कारण है कि सब पदों से सब अर्थों का बोध न होकर नियत पदों से नियत अर्थों का ही बोध होता है, क्योंकि पद और अर्थ के बीच के इस सम्बन्ध के आधार पर यह नियम स्वीकृत है कि जो अर्थ जिस पद से सम्बद्ध होता है उस पद से उसी अर्थ का बोध होता है, अन्य असम्बद्ध अर्थ का नहीं होता।

पदविशेष से अर्थविशेष के बोध का नियमन करने के हेतु पद और अर्थ के बीच जो सम्बन्ध स्वीकार्य है उसका स्वरूप क्या है? वह हिमायक है। इस विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, उनमें प्रतिद्वं तीन मतों की चर्चा यहाँ की जायगी।

एक मत यह है कि शब्द और अर्थ में तादात्य सम्बन्ध है। तादात्य का अर्थ है प्रश्नशब्द अमेद—मेद को सहन करने वाला अमेद। इसके अनुसार अर्थ शब्द से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी होता है। जो अर्थ जिस शब्द से भिन्नभिन्न होता है उस शब्द से उस अर्थ का बोध होता है, सब अर्थ सब शब्दों से भिन्नभिन्न नहीं वहे व्याप्रात् सब अर्थों के साथ सब शब्दों का तादात्य नहीं होगा, इस लिए सब शब्दों से भुवानभूमि बोध नहीं होता। यह मत वैयाकरण और आष्ट्रारिकों को मान्य है।

महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरम्भ में 'वागर्थाविव समृक्ती' कह कर वार्षी और अर्थ के बीच इसी तादारम्य सम्बन्ध का सकेत किया है।

दूसरा मत यह है कि शब्द और अर्थ के बीच एक ऐसा सम्बन्ध है जो कहीं अन्यथा हृष्टचर नहीं है, उसका नाम है वाच्यवाचकभाव। सत्रेप के लिए उसे वाच्यता, वाचकता, अभिधा आदि नामों से भी व्यवहृत किया जाता है। इसके आधार पर ही शब्द को वाचक और अर्थ को वाच्य कहा जाता है। जिस शब्द से जो अर्थ वाच्य होता है अथवा जो शब्द जिस अर्थ का वाचक होता है उस शब्द से उस अर्थ का बोध होता है। यह सम्बन्ध भी सब पदों और सब अर्थों के बीच नहीं होता किन्तु नियत पदों और नियत अर्थों के ही बीच होता है। इस लिये इस मत के अनुसार भी सब पदों से सब अर्थों का बोध न होकर नियत पदों से नियत अर्थों के ही बोध की व्यवस्था होती है। मीमांसकों का यही मत है।

तीसरा मत यह है कि शब्द और अर्थ के बीच जो सम्बन्ध है वह सकेतरूप है। सकेत का अर्थ है—अमुक शब्द से अमुक अर्थ का बोध हो। अथवा 'अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधन करे' इस प्रकार की इच्छा। यह देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण करता है तब उस वस्तु का कोई नामकरण भी करता है अर्थात् वह इस प्रकार की अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि 'मेरी यह वस्तु इस नाम से समझी जाय' अथवा 'मेरी इस वस्तु का यह नाम हो।' उसकी इस इच्छा के अनुसार ही उसकी बनाई हुई वह वस्तु उस नाम से व्यवहृत होने लगती है। इस आधुनिक सकेत के आधार पर ही यह कल्पना की जाती है कि जिन अर्थों में जो शब्द परम्परा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, अवश्य ही उन अर्थों उन और शब्दों के बीच भी किसी पुरुष का वैसा ही सकेत है, और निश्चय ही वह अनादि पुरुष परमेश्वर के अनादि सकेत से अन्य नहीं हो सकता। यह सकेत ही शब्द और अर्थ के बीच का सम्बन्ध है। यहकि, अभिधा आदि इसी के नामान्तर है। यह सकेत भी सब पदों और सब अर्थों के बीच न होकर नियत पदों और नियत अर्थों के ही बीच होता है। अतः इस मत के अनुसार भी सब पदों से सब अर्थों के बोध का उदय न होकर नियत पदों से नियत अर्थों के ही बोध के उदय की व्यवस्था होती है। नैयायिकों का यही मत है।

उपर्युक्त तीनों मतों में पहले के दो मत विशुद्ध शास्त्रीय हैं, उन्हें लोकानुभव का कोई आधार नहीं प्राप्त है किन्तु तीसरा मत उक रीति से लोकानुभव पर—मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है अतः एकमात्र शास्त्रीय न होने से अधिक हृदय-ग्रन्थ है अतः पूर्व के दो मतों की अपेक्षा यह मत भ्रेष्टर प्रतीत होता है।

शब्द और अर्थ के बीच इस प्रकार का जो सम्बन्ध माना जाता है वह शब्दार्थ का सहज सम्बन्ध है। सामान्य स्थिति में इसी सम्बन्धद्वारा शब्द से अर्थबोध का उदय होता है, किन्तु कभी कभी ऐसी विशेष स्थिति भी होती है जब इस सम्बन्ध से काम नहीं चल पाता। जैसे किसी ने कहा 'गङ्गाया घोषः', गङ्गा का अर्थ होता है वह विशेष जलधारा जो हिमालय से भारतवर्ष के पूर्वी समुद्र तक अनवरत प्रवाहित होती है, और 'घोष' का अर्थ होता है 'आभीरप्ली' जहाँ अहीर लोग अपनी गायों के साथ निवार्द करते हैं, स्पष्ट है कि जलधारा में आभीरग्राम नहीं टिक सकता, अतः यह मानना पड़ता है कि 'गङ्गाया घोषः' इस वाक्य का गङ्गा शब्द अपने सहज अर्थ जलप्रवाह के बोधनार्थ नहीं प्रयुक्त है किन्तु उसके समीपस्थ तीर के बोधनार्थ प्रयुक्त है, किन्तु समस्या यह है कि गङ्गा शब्द से तीर का बोध हो वैसे ? स्योकि शब्द से अर्थबोध के सम्पादनार्थ शब्दार्थ के बीच जो सहज सम्बन्ध माना जाता है वह तीर और गङ्गा शब्द के बीच है नहीं। इसी समस्या के समाधानार्थ शब्द और अर्थ के बीच लक्षणात्मक एक अन्य सम्बन्ध की भी क्लिपना की जाती है। जहाँ शक्तिनामक सहज शब्दार्थ सम्बन्ध से विवक्षित अर्थ का बोध नहीं हो पाता वहाँ इस दूसरे सम्बन्ध से उसे सम्भव किया जाता है। 'गङ्गाया घोषः' के गङ्गा शब्द से तीर का बोध इस लक्षणात्मक सम्बन्ध से ही सम्भव होता है।

लक्षण के स्वरूप के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं जिनकी चर्चा विस्तार के भव्य से यहाँ नहीं करनी है। सामान्यतः शक्यार्थसम्बन्ध को लक्षण कहा जाता है। जैसे गङ्गा शब्द का शक्यार्थ है जलप्रवाह और उसका सामीप्य—एयोग सम्बन्ध है तीर के साथ। अतः गङ्गापदशक्यजलप्रवाहस्योग को तीर के साथ गङ्गा शब्द वा लक्षणात्मक सम्बन्ध कहा जाता है।

कुछ लोग शक्ति और लक्षण के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के बीच 'व्यञ्जना' नाम का भी सम्बन्ध मानते हैं। उनका कहना यह है कि कभी कभी शब्द से ऐसे अर्थ का भी बोध होता है जिनका बोधन शक्ति और लक्षणाद्वारा सम्भव नहीं हो पाता। जैसे 'गङ्गाया घोषः' इसी वाक्य में गङ्गा शब्द से लक्षण द्वारा तीर का बोध होने पर उसमें शीतलता और पावनता का भी बोध होता है, स्योकि यदि योध न होगा तो गङ्गा शब्द से तीर का बोध करने का प्रयास ही व्यर्थ हो जायगा। तीर की शीतलता और पावनता का यह बोध गङ्गा शब्द की शक्ति और लक्षण से सम्भाव्य नहीं है स्योकि उन अर्थों में गङ्गा शब्द की न यक्षित ही है और न लक्षण ही है, स्योकि उन अर्थों में गङ्गा शब्द का भ्याभाविक अर्भास्त्र प्रयोग नहीं होता अतः उन अर्थों में गङ्गा शब्द की शक्ति और लक्षण के साथ गङ्गा शब्द की शक्ति नहीं मानी जाती। एवं तीर की शीतलता और पावनता के साथ गङ्गा शब्द के

शक्याथ का सीधा सम्बन्ध नहीं होता अत गङ्गा य०द की उन अर्थों में लक्षण भी नहीं मानी जा सकती। साथ ही लक्षण से उन अर्थों का शोध मानने का कोई प्रयोगन भी नहीं है और प्रयोगन के बिना लाक्षणिक शोध की मायता नहीं हो सकती। अत ऐसे अर्थों के शोध के सम्बन्धनार्थ व्यञ्जना को मान्यताप्रदान करना आवश्यक है।

कहीं कहीं 'तात्पर्य' नामके एक चीजे सम्बन्ध को भी कल्पना कर शब्दार्थ के बीच चार प्रकार के सम्बन्ध माने गये हैं—शक्ति, लक्षण, वर्तना और तात्पर्य। शब्दार्थ के इन सम्बन्धों को 'वृत्ति' शब्द से भी व्यवहृत किया जाता है क्योंकि इन्हीं सम्बन्धों द्वारा अथ म य०द का उत्तन—यत्त्वहार होता है।

न्यायशास्त्र में शब्दार्थ के दो हो सम्बन्ध माने गये हैं यक्षिण और लक्षण, क्योंकि जिन अर्थों के बोध के लिये व्यञ्जना को मान्यता देने की बात कहीं गई है उनका बोध को मन से अचौकिक प्रत्यय के छन्द में और कहीं अनुमान से अनुमिति के रूप में सम्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार जिस वाक्यार्थशब्द के लिये 'तात्पर्य वृत्ति' मानने की आवश्यकता अन्य लोगों ने समझी है, न्यायशास्त्र के अनुकार उस शोध की उपर्याति वाक्यशास्त्र से हो सकती है, और वह सामर्थ्य शब्दार्थ वा सम्बन्धरूप न होकर वाक्य की रचनारूप अर्थात् वाक्य के अङ्गभूत शब्दों का पौर्वाधाररूप है।

शब्दार्थ क्या है ?

ऊपर के संदर्भ से यह खिद्द हो जुआ है कि अर्थ के साथ य०द का एक सहज सम्बन्ध होता है जिसे शक्ति कहा जाता है और उस सम्बन्ध के द्वारा ही शब्द से अर्थशोध का नियमन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह इस अर्थ क्या है ? जिसके साथ शब्द के शक्ति सम्बन्ध की मान्यता देना आवश्यक माना गया है।

उत्तर में नैयायिकों का कथन यह है कि शब्द का उच्चारण करने पर श्रोता को जिन अर्थों के बोध का होना सर्वानुभवसिद्ध है वह सब शब्द का अर्थ है, उन सभी अर्थों में शब्द की यक्ति है। जैसे गोशब्द का उच्चारण होने पर श्रोता को एक विशेष ज्ञाति और एक विशेष आकार के पशुज्यक्षियों का बोध होना सबलम्भत है। अत वह ज्ञाति, वह आहार तथा वह यक्ति जिनका बोध शब्द के अवण से सम्पन्न होता है, गोशब्द का अर्थ है। उन सभी अर्थों में गोशब्द की यक्ति है। उनका नाम है गोश, सामना—गठकम्बल—गते के नीचे लकड़ने वाली चन्दे की सादही और गो। इसी बात को महर्षि गौतम ने अपने न्यायदर्शन में 'जात्याकृनिव्यतय दाथ' इस सूत्र से अभिहित किया है। इस सूत्र म उल्लिखित 'आकृति' शब्द की यत्क्षया के सम्बन्ध में विद्वानों में मत भेद है, जैसे—

प्राचीन काल के विद्वानों ने आकृति शब्द के प्रसिद्ध अर्थ आकार—अवयवों के सम्मान को ही सूत्रस्थ आकृति शब्द से महण किया था किन्तु अर्बाचीन काल के विद्वानों ने उस अर्थ का परित्याग कर आकृति शब्द से जाति और व्यक्ति के सम्बन्ध को महण किया। इस प्रकार जाति, आकार और व्यक्ति शब्दार्थ है यह प्राचीन मत है तथा जाति, व्यक्ति और उन दोनों का समवाय सम्बन्ध शब्दार्थ है यह नवीन मत है।

मीमांसकों ने शब्दार्थ के विषय में इस न्यायमत को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने लोधव की टट्टि से आकृति और व्यक्ति का त्याग कर जातिमात्र को ही शब्द का अर्थ माना है, केवल उसी में शब्द की शक्ति स्वीकार की है। शब्द सुनने के बाद व्यक्ति का जो बोध होता है उसे अन्य प्रकार से उन्होंने उपर्युक्त किया है। जैसे प्रभाकर ने जातिमात्र को शब्द का शक्ति मानते हुये जाति और व्यक्ति में तुल्यवित्तिवेद्यता—समानसामग्रीग्राहता मान कर जातिबोधक सामग्री से ही व्यक्तिबोध की उपर्युक्ति की है। कुमारिल भट्ट ने शब्द से केवल जाति का ही बोध माना है, व्यक्तित का बोध अनुमान से उपर्युक्त किया है। मण्डनमित्र ने जाति का बोध शब्दशक्ति से और व्यक्तित का बोध लद्वा से माना है। श्रीकर ने जाति का बोध तो शचिद्वारा शब्दजन्य माना किन्तु व्यक्ति का बोध 'व्यक्तिके बिना जाति अनुपपत्ति है' इस अनुपपत्तिशानरूप अर्थार्पण के शब्दजन्य माना है।

शब्द की शक्ति केवल जाति में ही है व्यक्ति में नहीं, अतः व्यक्ति का बोध शब्दशक्ति से न होकर प्रकारान्तर से होता है, मीमांसकों का यह मत विचार करने पर उचित नहीं प्रतीत होता, क्यों कि शब्द सुनने के अनन्तर जब जाति और व्यक्ति दोनों का बोध समान रूप से ही होता है, दोनों के होने में कालभेद और प्रक्रियाभेद की कोई प्रतीति नहीं होती तब दोनों में यह अन्तर करना, कि जाति का बोध शब्दशक्ति से और व्यक्ति का बोध प्रकारान्तर से होता है, वैसे स्वीकृत्य हो सकता है। अतः जाति के समान ही व्यक्ति को भी शब्द का शक्ति मानना उचित है। यह कहना कि 'अनन्यलम्भः शब्दार्थः—जो अर्थ अन्य प्रकार से अवगत न हो सके, उसी को शब्दशक्ति मानना उचित होता है, अतः प्रकारान्तर से शात हो सकने के कारण व्यक्ति में शब्दशक्ति की कलमा अवगत है, ठीक नहीं है, क्यों कि जिन पद्धतियों से मीमांसकों ने व्यक्तिबोध के उपर्याप्तन का प्रयाप किया है उन समस्त पद्धतियों के सदोष होने से व्यक्ति की अन्यलम्भता ही अप्रामाणिक है। जैसे प्रभाकर के मत में यह दोप है कि व्यक्तिबोध ना उन शोर्द्धे कारण न माना जायगा तब जाति और व्यक्ति की तुल्यवित्तिवेद्यता के नियममात्र से उसकी उपर्युक्ति न हो सकेगी क्योंकि कोई भी कारण किसी कारण से ही उत्पन्न होता है, किसी नियममात्र से नहीं उत्पन्न होता।'

भट्ट के मत में यह दोष है कि व्यक्ति का बोध अनुमान से इस लिये नहीं माना जा सकता कि अनुमानजन्य बोध में वस्तु का भान पक्ष, साध्य और उन दोनों के सम्बन्ध के रूप में ही होता है, व्यक्ति इन तीनों में किसी भी रूप से अनुमानजन्य बोध का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि 'व्यक्ति शब्दशक्ति नहीं होती' इस मत में श्रोता को वह शात नहीं हो सकती और शात हुए विना अनुमानजन्य बोध में उसका भान सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमानजन्य बोध में पक्ष, साध्य या दोनों के सम्बन्ध के रूप में भान होने के लिये वस्तु को परामर्शाद्यक ज्ञान का विषय होना आवश्यक होता है। किन्तु व्यक्ति शब्द का अवण होने पर अनुशस्ति रहने के कारण परामर्श का विषय नहीं हो सकती।

मण्डनमिथ के मत में यह दोष है कि शब्द से व्यक्ति का बोध उस रिधात में भी होता है जब लदणा का ग्रीज न रहने के कारण लदणा नहीं मानी जा सकती, जैसे 'गाँ, अस्ति' कहने पर गोव में अस्तित्व के अन्यकी अनुपत्ति न होने से गो म गो शब्द की लदणा नहीं मानी जा सकती। अत व्यक्ति की अशक्ततापक्ष में उस वाक्य से गो व्यक्ति के अस्तेतत्वबोध का उपरादन नहीं किया जा सकता।

भीकर के मत में यह दोष है कि दो विजातीय प्रभाणों से एक ज्ञान का उदय नहीं होता अत शब्द और अर्थापत्ति के मिथ सहयोग से व्यक्तिबोध भी उपपत्ति नहीं की जा सकती।

सबसे मुख्य बात तो यह है कि शब्दशब्दण के अनन्तर ज्ञातिबोध और व्यक्तिबोध के होने में कभी नहीं प्रतीत होता, दोनों एक साथ ही उदित प्रतीत होते हैं और दोनों का एक साथ उदय व्यक्ति को अ यलम्य भानने पर सम्भव नहीं हो सकता, अत व्यक्ति की अन्यलम्यता प्रामाणिक न होने के कारण 'अन्यलम्य शब्दार्थ' के आचार पर व्यक्ति की शब्दशक्ति का परित्याग नहीं किया जा सकता।

अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद—

यह सर्वविदित है कि शब्दशब्दण के अनन्तर किसी एक पदार्थमात्र की अनुभूति नहीं होती किन्तु भिन्न भिन्न पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध की अनुभूति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न पदार्थों के परस्परसम्बन्ध का यह बोध कैसे होता है? क्या पदार्थों के परस्परसम्बन्ध में पद की शक्ति होती है और उसी के प्रभाव से उसका बोध होता है? अथवा उसमें पद की शक्ति नहीं होती किन्तु उसका बोध वाक्यसामर्थ्यवाक्यरचना के प्रभाव से अर्थात् वाक्यरचना के पदों के पौर्वार्थरूप आकाङ्क्षा के बल से सम्भव होता है? इस प्रश्न का उत्तर जिन दो प्रकारों से दिया गया है वे ही अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के रूप में व्यवहृत चुये हैं।

अभिहितान्वयवाद नैयायिकों को और मीमांसकों में कुमारिल को मान्य है। इस वाद का अभिप्राय यह है कि पदों से शक्तिदाता केवल उनके अर्थ ही अभिहित होते हैं उनके अर्थों का सम्बन्ध अभिहित नहीं होता' के अभिहित अर्थों का सम्बन्धबोध तो पदों के पीर्वापर्य रूप वाक्यसामर्थ्य से ही सम्पन्न होता है।

अन्विताभिधानवाद प्रभाकर का अभिमत पढ़ है। इस वादका आशय यह है कि शब्दजन्य बोध में उसी अर्थ का भान माना जा सकता है जो शब्ददाता उपस्थित हो, अन्यथा किसी शब्द का अवण होने पर उस शब्द के अर्थमात्र का बोध न होकर उन अनेक अर्थों का भी बोध होने चाहेगा जो उस शब्द से उपस्थित न होकर अन्य साधनों से उपस्थित होगे। तो किर जब शब्दजन्य बोध में शब्दार्थ का ही भान नियमेन मान्य है तब यदि पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध को शब्दशक्ति तथा शब्द से उस सम्बन्ध का अभिधान न माना जायगा तब शब्दजन्य बोध में उसका भान कैसे हो सकेगा? अतः यह स्वीकार करना आवश्यक है कि पद की शक्ति शुद्ध अर्थ में नहीं किन्तु अन्वित-सम्बन्धयुक्त अर्थ में होती है। इसलिये पद से शुद्ध अर्थमात्र का अभिधान नहीं किन्तु अन्वित अर्थ का अभिधान होता है।

यह अन्विताभिधान तीन प्रकारों में विकसित हुआ है। कार्यान्विताभिधान (१) इतरान्विताभिधान (२) और अन्विताभिधान (३)। इसमें कार्यान्विताभिधान ही प्रभाकर का मुख्य पक्ष है। इसके अनुसार प्रायेक शब्दबोध नियमेन कार्यविषयक ही होता है, अत कार्यत्वबोधक लिङ् आदि प्रत्यय जिस वाक्य में नहीं होते, उनसे शब्दबोध नहीं होता। शब्दबोध कार्यविषयक ही होता है यह नियम न मानने वाले लोगों को इतरान्विताभिधान पढ़ मान्य है। इतर अर्थ का लाभ पदान्तर से सम्भव होने के कारण कुछ लोग अन्विताभिधान पढ़ को ही मान्यता प्रदान करते हैं। गढ़ाचर के शक्तिवाद की हरिनाथी व्याख्या में अन्विताभिधान को भट्ट का मत कहा गया है, यह भट्ट कीन है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

शब्दार्थसम्बन्धज्ञान के साधन—

ऊपर यह बताया जा चुका है कि शब्दविशेष से अर्थविशेष के बोध के नियमतार्थ शब्द और अर्थ के बीच सम्बन्ध की कल्पना भावरक्षक है। अब यह बताना है कि अर्थ के साथ शब्द का सम्बन्ध होने पर भी जब तक वह शार्त नहीं होगा तब तक यह अर्थबोध का सम्बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यह अर्थात इनसे पर भी अर्थबोध का सम्बद्ध होगा तब किसी भी शब्द का अर्थ किसी के लिये अस्त। न रह सकेगा। यतः एव शब्दों से सरक्षे अर्थबोध नहीं होता, अतः यह मानना अनियार्थ है कि शब्दार्थसम्बन्ध शार्त होनेपर ही अर्थबोध का सम्बद्ध होता है। प्रसन होता है कि शब्दार्थसम्बन्ध

का ज्ञान किन उपायों से अर्जित किया जा सकता है ? उत्तर है कि उसके कई उपाय हैं, जिनका सम्रह इस प्रकार किया गया है—

शक्तिप्रह व्याकरणोपमानक्षेत्रात्माक्षाद् व्यवहारतत्त्वं ।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वर्द्धन्ति सांख्यिभ्यतः सिद्धपदस्य मुदाः ॥
लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपर्यातः ।

यह बताया जा चुका है कि शब्दबोध के सम्पादक शब्दार्थसम्बन्ध के दो भेद हैं शक्ति और लक्षण। उनमें शक्ति का ज्ञान व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष और विश्वरण इन आठ साधनों से सम्पादित होता है। इन आठों में व्यवहार शक्तिज्ञान का प्रथम और सर्वशेष उपाय है, क्योंकि बालक को, जिसे किंचि शब्द का अर्थ पढ़ते से ज्ञात नहीं रहता, प्रथमतः व्याकरण आदि साधनों से शक्तिप्रह नहीं हा रहता, उसे सबसे पहले अपने बढ़ों के व्यवहार—शब्दमूलक कार्यकलाप को देख कर ही शक्तिज्ञान सम्पन्न होता है, बाद में तुद्धि का क्रमिक विकार और आवश्यक शब्दों का परिचय हो जानेपर व्याकरण आदि से भी शक्तिज्ञान होता है।

दूसरे शब्दार्थसम्बन्ध—लक्षण का ज्ञान अन्वयानुपर्यातः या तात्पर्यानुपर्यातः के ज्ञान से सम्पन्न होता है, जैसे 'गङ्गाया धोय'। इस वाक्य को सुनने पर गङ्गाशब्द के मुख्य अर्थ जलप्रवाह का धोप के साथ आधाराधेयमात्र सम्बन्ध की अनुपर्यातः का ज्ञान होने से तीर में गङ्गा शब्द के शक्यसम्बन्धरूप लक्षण का ज्ञान होता है। एवं 'काव्यम्यो ददि रक्षयनाम्' इस वाक्य का अवण होने पर समस्त दधिविशातकों में काकशब्द के वक्तुतात्पर्य की अनुपर्यातः का ज्ञान होने से समस्त दधिविशातकों में काकशब्द की शक्यसम्बन्धरूप लक्षण का ज्ञान होता है।

शक्ति का आश्रय क्या है ?—

शब्दार्थसम्बन्धविषयक विचार के सन्दर्भ में यह बताया गया है कि जिस शब्द में जिस अर्थ की शक्ति या लक्षण ज्ञात होती है उस अर्थ का बोध उष शब्द से सम्पन्न होता है। प्रत्यन होता है कि जिसमें अर्थनिरूपित शक्ति का ज्ञान होनेपर शब्दबोध का उदय होता है, जो अर्थनिरूपित शक्ति का आश्रय होता है वह शब्द क्या है ? क्या जिन वर्णों को हम अपने कानों सुनते हैं वे वर्ण ही वह शब्द है ? अथवा उन वर्णों से अभिव्यक्त होनेवाला कोई अतिरिक्त पदार्थ शब्द है ? व्याकरणों का कहना है कि वह शब्द अनेक वर्णों का समुदायरूप नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण क्रमोऽस्मन् और सुनिक होते हैं अतः उनका समुदाय—एक ध्यान और एक काल में उनका होना अथवा एक ज्ञान का विषय होना सम्भव ही नहीं हो सकता। अतः सुनाई देने वाले

बर्ण के बल खानिमात्र है, शब्द नहीं है। शब्द तो वह है जो उन सभी वर्णों से अभिव्यक्त होता है। वह एक और नियं स्फोट ही अर्थनिरूपित शक्ति का आश्रय है, अर्थनिरूपिता शक्ति उसी में शात होकर शब्दबोध की उत्पत्ति का प्रयोजक होती है।

इस विषय में नैयायिकों का मत यह है कि क्रमोत्पन्न, क्षणिक, अनेक वर्णों के प्रक्षणन की उपपत्ति तो स्फोटवादी को भी किसी न किसी प्रकार अवश्य करनी होगी क्योंकि यदि इस प्रकार का शान न माना जायगा तब 'नदी' शब्द का उच्चारण होनेपर नदीरूप अर्थ के बोधक स्फोटकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी? यदि उस शब्द के प्रत्येक वर्ण या प्रत्येक वर्णशान को स्फोट का अभिव्यक्त माना जायगा तब प्रथम वर्ण के शान से ही स्फोट की अभिव्यक्ति हो जाने से दूसरे तीसरे वर्ण का उच्चारण व्यर्थ हो जायगा। यदि यह कहा जाय कि पूर्व पूर्व वर्ण से स्फोट की अपूर्ण ही—अस्पष्ट ही अभिव्यक्ति होती है किन्तु अथबोध के लिये उसकी पूर्ण—स्पष्ट अभिव्यक्ति अपेक्षित है, अतः तदर्थ अन्य वर्णों के उच्चारण की सार्थकता होगी, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'नदी' शब्द के प्रत्येक वर्ण की उभावा समान है अतः यदि पूर्व वर्णों से अपूर्ण—अस्पष्ट अभिव्यक्ति होनी तो अन्तिम वर्ण से भी अपूर्ण—अस्पष्ट ही अभिव्यक्ति होगी, उससे भी पूर्ण—स्पष्ट अभिव्यक्ति न हो सकेगी। यदि पूर्व पूर्व वर्ण के शान को अथवा उनसे होने वाली अपूर्ण—अस्पष्ट अभिव्यक्तियों को चरम वर्ण के शान का सहकारी मान उन सबों के सहयोगद्वारा चरमवर्णशान से स्फोट की पूर्ण—स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात कही जा सकती है तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णों के समान ही उनके शान अथवा उनसे होने वाली स्फोट की अपूर्ण अभिव्यक्तियों भी कर्मिक और क्षणिक हैं, फिर वे सब भी सम्भूय चरमवर्णशान का सहकारी कैसे हो सकेंगे? फलतः स्फोटवाद में भी यह कल्पना करनी होगी कि पूर्व पूर्व वर्णों के अनुमत्वों से उत्पन्न सकारों के द्वारा विनष्ट वर्णों को तथा भोवत्सनिकपैद्वारा विद्यमान अन्तिम वर्ण को महण करने वाला उन सभी वर्णों का एक शान उत्पन्न होता है और वही स्फोट का पूर्ण अभिव्यक्ति है। तो फिर जब अनेक वर्णों का एक शान सुष्टु हो दी सकता है तब उसी से अथबोध का उदय मिलने में कोई बाधा न होने के बारण उस प्रयोजन के अनुयोध से स्फोट की कल्पना निरर्थक है।

यदि यह कहा जाय कि स्फोट को स्वीकार न कर अनेक वर्णों को ही पद मानने पर 'एक पदम्' इस प्रकार पद में एकत्व का शान और व्यवहार न हो सकेगा, क्योंकि अनेक में एकत्व वालित होता है। और जब वर्णों से भिज स्फोट का अस्तित्व स्वीकार किया जायगा तब अनेक वर्णों से अभिव्यक्त होने वाले स्फोट के एक होने से स्फोट—एक पद में एकत्व के शान और व्यवहार में कोई बाधा न होगी, अतः स्फोट की कल्पना निरान्त न्यायरुपत है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अनेकत्व के साथ सम्पूर्ण

वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यत्र प्रमाणं, प्रमाणस्य सतः अन्तर्भास्त्रात् ।

४१०५

नन्वर्थापित्तिः पूर्थक प्रमाणस्ति । अनुपपद्यमानार्थदर्शनात् तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनम् अर्थापित्तिः । तथाहि 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुद्धके' इति हटे क्षुतं वा रात्रिभोजनं कल्पयते । दिवा अभुद्वजानस्य पीनत्वं रात्रिभोजनमन्तरेण नोपपद्यते तः पीनत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूतार्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम्, तच्च प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नं रात्रिभाजनस्य प्रत्यक्षाद्याविपयत्वात् ।

रूप एकत्व तथा सजातीयद्वितीयराहित्य—दूसरे सजातीय का अभावरूप एकत्व का ही विरोध होता है, अतः अनेक वर्णों में उस एकत्व का शान और व्यवहार भले न हो किन्तु एकशानविषयत्वरूप एकत्व का अनकृत्व के साथ कोई विरोध न होने से अनेक वर्णों में उस एकत्व के शान और व्यवहार के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती । अनेक वर्णों में एकशानविषयत्वरूप एकत्व के शान और व्यवहार के होने में बाधा उसी विधिति में हो सकती थी जब अनेक वर्ण को ग्रहण करने वाले एकशान का उदय ही न होता, किन्तु जब अन्तिम वर्ण के पर्वणकाल म सक्तारद्वारा पूर्व पूर्व विनष्ट वर्णों और ओत्रसमवायद्वारा विद्यमान अन्तिम वर्ण को ग्रहण करने वाले अनेकवर्णविषयक एकशान की उपर्यात्ति बता दी गई तब अनेकवर्णात्मक पद में भी एकशानविषयत्वरूप एकत्व के शान और व्यवहार के उपर्यात्ति होने में कोई बाधा न होने से यह स्पष्ट है कि पद में एकत्वरूप और एकत्वव्यवहार के अनुरोध से स्फोटात्मक पद की कल्पना सर्वथा निरर्थक है । तर्कभाषाकार ने 'एदसदनेकवर्णविगाहिनीं पदपतीतजन्यते' इह कर घोटकल्पना की इस निरर्थकता का ही संकेत किया है ।

उक्त रीति से एककाल में शात होने वाले अनेक वर्णों के इच्छात्मक या इच्छाविषयत्वात्मक शक्ति का आश्रय होने में भी कोई बाधा नहीं हो सकती क्योंकि भिन्नकालिक विषय और विषयी के बीच विद्यता सम्बन्ध सर्वमान्य है ।

अर्थापित्ति

०

चार प्रमाणों का वर्णन किया गया । इन वर्णित प्रमाणों से भिन्न दूसरा कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि जो भी प्रमाण हो सकता है उसका अन्तर्भाव इन्हीं चारों में हो जाता है । उदाहरणार्थ अर्थापित्ति प्रमाण का उल्लेख किया जा सकता है ।

मीमांसा, और वेदान्त दर्शनों में 'अर्थापित्ति' नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण माना गया है और उसके सम्बन्ध में यह चतापा गया है कि—

अर्थापित्ति शब्द भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों से प्रमाण और प्रमाण दोनों में प्रयुक्त होता है । 'अर्थस्य आपत्तिः यस्यात्—जिथसे अर्थ की आपत्ति—यथार्थ प्रतिपत्ति हो' इस

नैतर्त्तत्, रात्रिभोजनस्यानुमानविषयत्वात् । तथादि, अर्थं देवदत्तो रात्री भुंक्ते दिवा अभञ्जानत्वे सति पीनत्वात्, यस्तु न रात्री भुंक्ते नासी दिवाऽभञ्जानत्वे सति पीनो यथा दिवा रात्रावभञ्जानोऽपीनो, न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनैव रात्रिभोजनस्य प्रतीयमानत्वात् किमर्थमर्थापत्तिः पृथक्त्वेन कल्पनीया ।

व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थापत्ति शब्द अर्थ की विजातीय प्रमा के साधनभूत अर्थापत्ति-नामक प्रमाण का प्रतिपादन करता है । तथा 'अर्थस्य आपत्तिः—अर्थ की आपत्ति-विजातीय प्रमा' इस व्युत्पत्ति से अर्थापत्ति शब्द अर्थापत्तिनामक विजातीय प्रमा का प्रतिपादन करता है ।

अनुपश्चामान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा आता है और उस अर्थ के उपशादक की कल्पना को अर्थापत्ति प्रमा कहा जाता है ।

जैसे दिन में भोजन न करने वाले मनुष्य का पीनत्व—स्वास्थ्ययुक्त स्थूलता अनुपश्चामान अर्थ है और रात का भोजन उसका उपशादक अर्थ है । क्योंकि जो मनुष्य दिन में भोजन नहीं करता वह यदि रात में भी भोजन न करेगा तो स्वस्थ और स्थूल नहीं हो सकता ।

अब यदि ऐसा देखने या सुनने में आये कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह पीन—स्वस्थ और स्थूल है तो यह अवश्य कल्पना होगी कि वह रात में भोजन करता है ।

यहों 'दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त का पीनत्व रात के भोजन के विना अनुपश्चान्त्र है' यह ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है, और 'देवदत्त रात में भोजन करता है' यह कल्पना अर्थापत्ति प्रमा है ।

यह प्रमा रात्रिभोजन के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष न होने की दशा में भी उत्पन्न होती है अतः इसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता । यह परामर्श—रात्रिभोजनव्याप्त्यहेतु में पद्धतमतानिश्चय के अभावदशा में 'भी उत्पन्न होती है अतः इसे अनुमिति नहीं कहा जा सकता । यह सादृश्यग्रान्त और किसी अतिदेशवाक्य के अर्थस्मरण के अभाव में भी उत्पन्न होती है अतः इसे 'उपमिति नहीं कहा जा सकता । यह शब्द से रात्रि-भोजन की अनुपस्थितिदशा में भी उत्पन्न होती है अतः इसे शब्दबोध भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार देवदत्त में रात्रिभोजन की कल्पनारूप यह प्रमा अर्थापत्ति नाम की एक विजातीय प्रमा है और उस प्रमा का साधनभूत शान—दिन में भोजन न करने वाले देवदत्त का पीनत्व रात्रिभोजन के विना अनुपश्चान्त्र है—यह ज्ञान अर्थापत्ति नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण है ।

अभावः

ननु अभावाद्यमपि पृथक् प्रमाणमस्ति । तच्चाभावप्रहणायोऽनीकरणीयम्, तथाहि घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावो निश्चीयते, अनुपलब्धिश्चोपलब्धेरभाव इत्यभावप्रमाणेन घटाद्यभावो गृह्णते ।

नैतत्, यद्यत्र घटोऽभविष्यत् तर्दि भूतलमिवाद्रक्ष्यदित्यादितकं सहकारिणा अनुपलभसनाथेन प्रत्यक्षेणैवाभावप्रहणात् ।

न्यायदर्शन में दिन में भोजन न करने पर पीन दिखाई देने वाले देवदत्त में रात्रिभोजन की कल्पना को अनुमानसाध्य बताते हुये अर्थापत्ति को प्रमाणान्तर मानने की बात का खण्डन कर दिया गया है । उसका अभिप्राय यह है कि देवदत्त में रात्रिभोजन की जो कल्पना हाती है वह कोई विजातीय प्रमा नहीं है अपितु वह अनुमिति है, उसमें देवदत्त पक्ष है, रात्रिभोजन साध्य है, और दिनभोजनाभावविशिष्ट पीनत्व हेतु है । ‘दिन में भोजन करने वाले मनुष्य का पीनत्व रात्रिभोजन के बिना अनुपम्न है’ यह शान व्यतिरेकव्यास का शान है, क्योंकि साध्याभाव में साधनाभाव की व्याप्ति ही व्यतिरेकव्यास कहा जाती है और वह यहाँ भी है, क्योंकि रात्रिभोजनरूप साध्य के अभाव में दिनभोजनाभावविशिष्ट पीनत्वरूप हेतु के अभाव की व्याप्ति है अतः स्पष्ट है कि जो रात में भोजन नहीं करता वह दिन में भोजन न करते हुये पीन नहीं हो सकता । तो इस प्रकार उक्त कल्पना का साधनभूत ज्ञान जब रात्रिभोजनरूप साध्य की व्यतिरेकव्याप्ति से विशिष्ट दिनभोजनाभावविशिष्टपीनत्वरूप हेतु के परामर्शरूप में सुलभ है तब उक्त कल्पना को अनुमिति मानने में कोई वाधा न होने से अर्थापत्तिनामक अतिरिक्त प्रमा की कल्पना सर्वथा सुकिहीन ही है ।

अनेक विचारशील विद्वानों का मत है कि अभाव पदार्थ को प्रहण करने के हेतु ‘अभाव’ नामक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना आवश्यक है । प्रमाण के रूप में स्वीकरणीय ‘अभाव’ का अर्थ है उपलब्धि का अभाव । किसी पदार्थ की उपलब्धि के अन्य समस्त साधनों के होते भी जब उस पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो पाती तब उस पदार्थ के अभाव का अवधारण होता है । यह अवधारण अन्य प्रमाणों की अनुपस्थिति में पदार्थ की अनुपलब्धिमात्र से सम्पन्न होता है अतः अभाव के इस अवधारण के उपरादनार्थ अनुपलब्धि-उपलब्धि के अभाव को ‘अभाव’ नाम से एक अतिरिक्त प्रमाण मानने का औचित्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है । जैसे पर्यास प्रकाश में भूतल के साथ चक्षु का सन्निकर्ष होने की रियति में यदि भूतल में घट भी विद्यमान होता है तो उसके साथ चक्षु का सन्निकर्ष होने पर घट की उपलब्धि अवश्य होती है, अतः जब

नन्विन्द्रियाणि संबद्धार्थप्राहकाणि । तथादीन्द्रियाणि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारीणि
ज्ञानकरणत्वादालोक्यत्, यदा चक्षु-श्रोत्रे वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी यद्विरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् । त्वगादीनां तु प्राप्य प्रकाशकारित्वमुभयवादिसिद्धमेव, न
चेन्द्रियाभावयोः सम्बन्धादर्थिन्, संयोगसमव्यायी हि संबन्धी, न च ती तयोः स्तः;
द्रव्ययोरेव संशोग इति नियमाद्, अभावस्य च द्रव्यत्वाभावात् । अयुतसिद्धत्वा-
भावान् समवायोऽपि ।

कभी वैष्णी द्विष्टि में भी भूतल में घट की उपलब्धि नहीं होती तब अनायास ही यह बात
सुदृढ़ि में आती है कि घट की उपलब्धि के अन्य सभी कारणों के देशु हुये भी श्योप-
लब्धि का तो अभाव हो रहा है अवश्य ही वह शयभावमूलक है, क्योंकि भूतल में उस
समय यदि घट होता तो उसके साथ भी चक्षु का सन्निकर्ष होकर भूतल के समान
उसकी भी उपलब्धि अवश्य होती, यतः अन्य समस्त साधनों के होते भी इस समय
भूतल में घट की उपलब्धि नहीं हो रही है अतः इस समय भूतल में घट का अभाव है ।
इस प्रकार शयभाव के अस्तित्व में घट की अनुपलब्धि के रूप में अभाव नाम का एक
प्रमाण सिद्ध होता है ।

न्यायदर्शीन इस 'अभाव' प्रमाण को अपनी मान्यता नहीं प्रदान करता । उसका
कहना है कि घट की अनुपलब्धि शयभाव को ग्रहण करने वाला कोई स्वतन्त्र प्रमाण
नहीं है अतः तु वह चक्षु का सहायक है । उसकी सहायता से चक्षु ही शयभाव को
ग्रहण करता है, अतः प्रथम प्रमाण से ही शयभाव का ज्ञान सम्भव होने से उसके
ग्रहणार्थ अनुपलब्धि को अभावनामक अतिरिक्त प्रमाण की मान्यता प्रदान करना
अनावश्यक है ।

शक्ता होती है कि अभाव का ग्रहण चक्षु से नहीं हो सकता क्योंकि अभाव के
साथ चक्षु का कोई सम्बन्ध नहीं होता और यह नियम है कि इन्द्रिय स्वसम्बद्ध अर्थ
को ही ग्रहण करती है । सभी इन्द्रिय स्वसम्बद्ध अर्थ को ही ग्रहण करती हैं, यह बात
इस प्रकार वे अनुमान से सिद्ध होती है कि—

इन्द्रिय स्वशास्त्र-स्वसम्बद्ध वस्तु की प्रकाशिका है क्योंकि वे ज्ञान की जनिका
हैं, जो ज्ञान का जनक होना है वह स्वसम्बद्ध वस्तु का ग्राहक होता है, जैसे आलोक-
प्रकाश ज्ञान का कारण होने से स्वसम्बद्ध वस्तु का ही ग्राहक होता है ।

अध्यावा—

चक्षु और श्रोत्र स्वप्राप्त-स्वसम्बद्ध वस्तु के प्रकाशक—ग्राहक हैं क्योंकि वे दोनों
वाल इन्द्रिय हैं—आत्मा के बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय हैं । जो

विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एवं न संभवति, भिन्नोभयाधितेकत्वार्थं भावात्। सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवत्युभयसम्बन्ध्याधितश्चैकक्ष यथा, भेरोदण्डयोः संयोगः। स हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नस्तदुभयाधितश्चैरुक्ष्य। न च विशेषणविशेष्यभावस्तथा। तथा हि दण्डपुरुषयोर्विशेषणविशेष्यभावो न ताभ्यां भिन्नते। न हि दण्डस्य विशेषणत्वमर्थान्तरं नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वमर्थान्तरमपि तु स्तरूपमेव। अभावस्यापि विशेषणत्वाद् विशेष्यत्वाच्। न चाभावे कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्यादान्यतमस्य सम्भवः। तस्मादभावस्य स्वोपरक्तवृद्धिजनकत्वं यत् स्वरूपं तदेव विशेषणत्वं, न तु तदर्थीन्तरम्। एवं व्याप्यव्यापकत्वं कारणत्वादयोर्वाद्य इन्द्रिय होती है वह सब स्वसम्बद्ध चक्षु का ही प्रादृक होती है, जैसे त्वक् इन्द्रिय संयोग सम्बन्ध से स्वसम्बद्ध द्रव्य का, धाण आदि स्वसम्बद्ध सम्बन्ध से स्वसम्बद्ध ग्रन्थ आदि का प्रादृक होती है।

त्वक् आदि इन्द्रियों की स्वसम्बद्धप्राहकता उभय वादियों को अर्थात् जो वादी चक्षु और धोत्र को सम्बद्धप्राहक मानते हैं तथा जो वादी उन्हें असम्बद्धप्राहक मानते हैं, उन दोनों को अभिमत है, अतः उनके दृष्टान्त से चक्षु और धोत्र में स्वसम्बद्धप्राहकता का अनुमान कर यह खिदान्त स्वीकृत किया जा सकता है कि सभी इन्द्रिया स्वसम्बद्ध अर्थ को ही प्रहृण करती है।

अतः इस शब्दों के लिये पूरा अवसर है कि चक्षु अभाव का प्रादृक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव के साथ चक्षु का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

अभाव के साथ चक्षु का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता यह बात अभाव और चक्षु के बीच प्रसिद्ध सम्बन्धों के अभाव से खिद की जा सकती है। जैसे संयोग और समवाय ये दो ही प्रसिद्ध सम्बन्ध हैं। इनमें कोई भी अभाव के साथ चक्षु का सम्बन्ध नहीं बन सकता, कर्त्रों के संयोग सम्बन्ध दो द्रव्यों के ही मध्य होता है, अभाव द्रव्य नहीं है अतः उसके साथ चक्षु का संयोग नहीं हो सकता।

अभाव के साथ चक्षु का समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि समवाय सम्बन्ध अनुतसिद्ध पदार्थों के ही मध्य होता है और अभाव तथा चक्षु अनुतसिद्ध नहीं है क्योंकि दो दोनों एक दूसरे के अभाव में भी अपना अस्तित्वलाभ कर लेते हैं। अतः अवश्यव अवश्यवी, गुण-गुणी, कर्म-कर्मवान्, जाति-व्यक्ति और नित्यद्रव्य तथा विशेषण के समान अभाव और चक्षु के बीच समवाय सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

इस प्राचार अभाव और चक्षु के बीच संयोग और समवाय का अभाव होने से यह खिद होता है कि उनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं है- और जब उनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं है तब चक्षु से अभाव का प्रहृण कैसे सम्भव हो सकता है?

पृथुहा। स्वप्रतिवद्युद्दिजनकत्वस्वरूपमेव हि व्यापकत्वमन्यादीनाम्। कारण-त्वमपि कार्यनुकृतान्वयव्यतिरेकिशास्त्रमेव हि तन्त्वादीनां, न त्वर्थान्तरस्मैभावस्यापि व्यापकत्वात् कारणत्वात्। न द्युभावे सामान्यादिसंभवः। तदेव विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः। नाप्युभयाप्तितो विशेषणे विशेषणभावमात्रस्य संस्त्वाद् विशेष्यभावस्याभावाद्, विशेष्य च विशेष्यभावमात्रस्य सद्ग्रावात्, विशेषणभावस्यामावात्। नायेको, विशेषणं च विशेष्यं च तदौ भाव इति द्वन्द्वात्परः अथमाणो भावशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते, तथा च विशेषणभावो विशेष्यभावशेषेत्युपन्नम्। द्वावेतावेकश्च संबन्धः। तस्माद्विशेषणविशेष्यभावो न सम्बन्धः। एव व्याप्त्यव्यापकभावाद्योऽपि। सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तूभयनिरूपणीयत्वसाध्येणोपचारात्। तथा चासंबद्धस्याभावस्येन्द्रियेण प्रहणं न संभवति।

अतः इन्द्रियद्वारा अभाव का शान सम्बन्ध न होने से तदर्थं अनुपलिङ्ग को अभावनामक अतिरिक्त प्रमाण के रूप में प्रमाणत्व की मान्यता प्रदान करना आवश्यक है। १।

यदि यह कहा जाय कि अभाव के साथ इन्द्रिय का सयोग या समवाय सम्बन्ध भले न हो पर विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध तो हो ही सकता है। क्योंकि 'भूतलं घटाभावत्—भूतलं घटाभाव से विशिष्ट है' एव 'भूतले घटाभावः—घटाभाव भूतलं से विशिष्ट है' इस प्रकार की प्रतीतिया सर्वसम्मत है। इनमें पहली प्रतीति में घटाभावं विशेषण तथा भूतलं विशेष्य है और दूसरी प्रतीति में भूतलं विशेषण तथा घटाभावं विशेष्य है। इस प्रकार इन दोनों प्रतीतियों के अनुचार घटाभाव और भूतलं में विशेषणविशेष्यभाव निर्विवाद है और उसे भूतलं के साथ घटाभाव का तथा भूतलं द्वारा घटाभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध मानने में कोई व्याचार नहीं है। फलतः 'इन्द्रिय स्वसम्बद्ध अर्थं का' ही ग्राहक होती है। इस नियम के होते हुये भी इन्द्रिय से अभाव के प्रहण में कोई अवरोध न होने से अभाव के प्रहणार्थं अभावप्रतियोगी की अनुपलिङ्ग को अभावनामक एक अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्ट प्रतीतियों के अनुसार घटाभाव का तथा भूतलद्वारा घटाभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह दो व्यक्तिमो में आभित, आधयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न एक व्यक्तिरूप नहीं है।

कहने का आशय यह है कि सम्बन्ध होने के लिये 'तीन' चारों की आवश्यकता होती है—दो व्यक्तियों में आभित होना, आधयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न होना और स्वयं एक होना। 'यह तीनों चारों जिस पदार्थ में—घटित होती है—वही सम्बन्ध कहा जाने का अधिकारी होता है। जैसे मेरी—धौंसा और दण्ड का परस्पर संयोग। यह

स्योग भेरी और दण्ड इन दो व्यक्तियों में आश्रित है, दोनों से भिन्न है तथा स्वयं पक है, अतः वह भेरी और दण्ड के बीच का सम्बन्ध है। विशेषणविशेष्यभाव में यह तीनों बातें नहीं घटित होतीं, अतः उसे सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। जैसे 'दण्डी पुरुषः—पुरुष दण्ड से विशिष्ट है' इस प्रतीति में दण्ड विशेषण और पुरुष विशेष है अतः दोनों में विशेषणविशेष्यभाव है, किन्तु वह दण्ड और पुरुष इन दो व्यक्तियों में आश्रित, इन दोनों से भिन्न तथा स्वयं एकव्यक्तिरूप नहीं है, क्योंकि विशेषण-विशेष्यभाव का अर्थ है विशेषणता और विशेष्यता, इन दोनों में विशेषणता चेवल विशेषण में ही आश्रित होती है और विशेषण से भिन्न न होकर विशेषणस्वरूप ही होती है। इसी प्रकार विशेष्यता भी चेवल विशेष्य में ही आश्रित होती है और विशेष्य से भिन्न न होकर विशेष्यस्वरूप ही होती है। विशेषण और विशेष्य परस्पर भिन्न दो पदार्थ हैं अतः विशेषणस्वरूप विशेषणता और विशेष्यस्वरूप विशेष्यता भी परस्पर भिन्न दो पदार्थ हैं। इस लिये स्पष्ट है कि विशेषणविशेष्यभाव प्रातिस्विक रूप से जब एक व्यक्तिमात्र में आश्रित तथा अपने आश्रय से अभिन्न और परस्पर में भिन्न विशेषणता और विशेष्यतारूप है तब वह दो व्यक्तियों में आश्रित, दोनों से भिन्न एकव्यक्ति न होने से सम्बन्धरूप नहीं हो सकता।

जिस प्रकार दण्ड और पुरुष के बीच का विशेषणविशेष्यभाव विशेषणता और विशेष्यतारूप होने से दण्ड और पुरुष में आश्रित तथा दण्ड और पुरुष से भिन्न कोई एक पदार्थ नहीं है उसी प्रकार घटाभाव और भूतल के बीच का विशेषणविशेष्यभाव भी विशेषणता और विशेष्यतारूप होने से घटाभाव और भूतल में आश्रित, घटाभाव और भूतल से भिन्न कोई एक पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यदि घटाभाव और भूतल से भिन्न माना जायगा तब वह उससे भिन्न होने पर भी सर्वथा नवीन तो होगा नहीं, होगा तो द्रव्य आदि छः पदार्थों में ही कोई पदार्थ, और उस स्थिति में वह अभाव में आश्रित न हो सकेगा क्योंकि द्रव्य आदि छः पदार्थों में कोई भी पदार्थ अभाव में आश्रित नहीं होता, अतः यही चात मानुनी होगी कि अभाव में जो स्वोपरक्त-बुद्धि-भूतल घटाभावविशिष्ट है इस बुद्धि की जनकता है वही अभावगत विशेषणता है, और वह अभाव से भिन्न नहीं है किन्तु अभावस्वरूप ही है। इसी प्रकार उक्त बुद्धि की जनकता जो भूतल में है वही भूतलगत विशेष्यता है, वह भी भूतल से भिन्न नहीं है किन्तु भूतलस्वरूप ही है। फलतः घटाभाव और भूतल के बीच का विशेषणविशेष्यभाव दो व्यक्तियों में आश्रित, आश्रयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न एक व्यक्तिरूप न होने के कारण सम्बन्ध नहीं हो सकता। तो किर जब उसमें सामान्यसम्बन्धत्व ही सम्भव नहीं है तब उसमें भूतल के साथ अभाव का अस्तवा भूतलद्वारा अभाव के

वाय इन्द्रिय का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? अतः अभाव के प्रश्नार्थ अस्य प्रमाण शी कहना असंभव है ।

जिस प्रकार विशेषणविशेषध्यभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार व्याप्तिव्याप्ति भाव और कार्यकालभाव भावित भी सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि आग्रह, आदि में धूम आदि की जो व्यापकता है वह 'धूमादिः अन्यादिप्रतिवदः'— धूम आदि अग्नि आदि का व्याप्त है इस प्रकार की स्वप्रतिवदयुक्ति की अविनिष्ट जनकता से भिन्न नहीं है और जनकता अपने आधयभूत अग्नि आदि से भिन्न नहीं है । इसी प्रकार धूम आदि में अग्नि आदि की जो व्याप्तता है वह भी 'अन्यादिः धूमादिप्रतिवद्यता'— अग्नि आदि धूम आदि का व्यापक है । इस प्रकार की धूमादिप्रतिवद्यता अर्थात् धूमादिन्यापकतायुक्ति की जो धूमादिनिष्ट जनकता है, उससे भिन्न नहीं है और वह जनकता अपने आधयभूत धूमादि से भिन्न, नहीं है । अतः धूम और अग्नि के बीच जो व्याप्तिव्याप्तभाव—व्याप्तता और व्यापकता है, वह धूमाद्य और अग्निमात्र में अधिनिष्ट होने के कारण अपने दोनों सम्बन्धी धूम और अग्नि से भिन्न नहीं है, और परस्पर भिन्न धूम और अग्नि से अभिन्न होने के कारण परस्परभिन्न होने से प्रस्तुत नहीं है । फलतः सम्बन्ध होने के लिए अवश्य अपेक्षणीय उक्त तीनों स्त्रीों से हीन-होने के कारण व्याप्तव्यापकभाव सम्बन्ध के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार कार्यकारणभाव —कार्यता और कारणता भी उभयाधित तथा अपने आधय से भिन्न एकव्यनितरूप नहीं है, क्योंकि कारण के अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण करना ही कार्यता है, जो केवल कार्य में ही आधित तथा कार्यस्वरूप होने से उभयाधित तथा आधयभूत सम्बन्धी से भिन्न नहीं है । कार्य से अनुकूल अन्वय और व्यतिरेक से युक्त होना ही कारणता है, वह भी केवल कारण में ही आधित तथा कारणस्वरूप होने से उभयाधित तथा आधयभूत सम्बन्धी से भिन्न नहीं है । अतः सम्बन्ध होने के लिए वाङ्मयीय उभयाधितत्व, सम्बन्धिभिन्नत्व, और एकत्व इन तीन स्त्रीों से सम्पन्न न होने से कार्यकारणभाव—कार्यता और कारणता भी सम्बन्ध के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता ।

यह कहा जा चुका कि विशेषणविशेषध्यभाव विशेषण और विशेष्य के स्वत्व से भिन्न नहीं है । यह भी बताया जा चुका कि वह उभयाधित नहीं है । यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वह एकव्यक्तिरूप नहीं है । इस सब का यह कारण भी बता दिया गया कि यह विशेषणविशेषध्यभाव विशेषणता तथा विशेषताखला है अतः विशेषण-विशेष्य-रूप सम्बन्धियों से भिन्न, विशेषण-विशेष्य उभय में आधित एक व्यक्ति नहीं है ।

किन्तु प्रश्न यह है कि इस वात का आधार क्या है कि विशेषणविशेष्यभाव का अर्थ है विशेषणता तथा विशेष्यता। उच्चर यह है कि विशेषण विशेष्यभाव शब्द दो समासों द्वारा निरूपित होता है। पहले तो 'विशेषण च विशेष्य च विशेषणविशेष्ये' इस प्रकार विशेषण और विशेष्य शब्द में इन्द्र समाप्त होता है और उसके बाद 'तयोभवि' इस प्रकार उस इन्द्र का भावशब्द के साथ पर्याप्तरूप समाप्त होता है। यह नियम है कि 'इन्द्रान्ते इन्द्रादौ वा भूयमाण पद प्रत्येकमभिसम्बन्धते—इन्द्रसमाप्त से पूर्व वा उच्चर में सुनाई देने वाले शब्द का सम्बन्ध इन्द्र समाप्त के अन्तर्मूल प्रत्येक शब्द के साथ होता है। विशेषणविशेष्यभाव शब्द में 'विशेषणविशेष्य' इस इन्द्र समाप्त के उच्चर में 'भाव' शब्द सुनाई देता है, अतः अब नियमानुसार विशेषण और विशेष्य दोनों शब्दों के साथ उसका सम्बन्ध होने से 'विशेषणभाव' तथा 'विशेष्यभाव' ऐसे दो शब्द बुद्धिगत होते हैं, उनमें 'विशेषणभाव' का अर्थ है 'विशेषणता' और 'विशेष्यभाव' का अर्थ है 'विशेष्यता'। इस प्रकार 'विशेषण विशेष्यभाव' का अर्थ होता है विशेषणता और विशेष्यता। तो इस प्रकार विशेषणविशेष्यभाव जब विशेषणता पर्याप्त विशेष्यता के स्वरूप में उभयात्मक है, और विशेषणता केवल विशेषण में ही आधित तथा विशेषणस्वरूप है एवं विशेष्यता केवल विशेष्य में आधित तथा विशेष्यस्वरूप है तब उसका विशेषण विशेष्य से भिन्न न होना, विशेषण विशेष्य उभय में आधित न होना तथा एक व्यक्तिरूप न होना युक्तिसमगत ही है और उसी कारण उसका सम्बन्ध न होना भी सर्वथा न्यायसंगत ही है।

विशेषणविशेष्यभाव के समान ही व्याप्तव्यात्मकभाव, कार्यकारणभाव, आधाराधेयभाव, स्वस्वभिभाव, प्रतियोग्यनुयोगिभाव आदि का भी सम्बन्धत्व असिद्ध है।

प्रश्न होता है कि जब उच्चरीति से इन सबों में सम्बन्धत्व सिद्ध नहीं हो पाता तब किस आधार पर शास्त्रों में हमें सम्बन्ध शब्द से व्यवहृत किया जाता है? उच्चर है कि इनमें सम्बन्धत्व नहीं है, यह तो सत्य है, किन्तु इनमें सम्बन्ध का साधर्म्य है और वह है उभयनिरूपणीयत्व—उभय से चोयित होना। आशय यह है कि जैसे मेरी और दण्ड का संयोगवर्ग व मेरी और दण्ड के विना वोध्य नहीं होता किन्तु उन दोनों से ही वोध्य होता है उसी प्रकार विशेषण विशेष्यभाव आदि विशेषण और विशेष्य आदि युगल के विना वोध्य नहीं होते किन्तु उस युगल से ही वोध्य होते हैं, अतः उभयनिरूपणीयत्व—उभयत्रोध्यस्वरूप से सम्बन्ध का सधर्मा होने से वे सब सम्बन्ध न होते हुये भी उपचार—लक्षण से सम्बन्ध कहे जाते हैं।

उपर्युक्त उन्दर्भ से यह साफ़ है कि अभाव के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध न होने से अभाव इन्द्रिय से सर्वथा असम्भद्ध है और इन्द्रिय में स्वसम्पद अर्थ की ही माझता

का नियम है अतः इन्द्रिय से उसका ग्रहण शक्ति न होने के कारण उसके ग्रहणार्थ अभावनामक अविरिक्त प्रमाण की कल्पना अनिवार्य है।

- इस विषय में न्यायदर्शन का मन्तव्य यह है कि 'इन्द्रिय स्वस्त्रभद्र ही अर्थ का ग्राहक होती है' यह नियम भाव और अभाव सभी पदार्थों के लिये नहीं है किन्तु केवल भावात्मक पदार्थों के ही लिये है, अतः इन्द्रिय से किसी भावात्मक पदार्थ का ग्रहण तभी होगा जब वह इन्द्रिय से सम्बद्ध होगा, किन्तु अभाव को ग्रहण करने वे लिये उसके साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध की कोई अपेक्षा नहीं है, उसका ग्रहण तो इन्द्रियसम्बन्ध के बिना ही केवल विशेषणविशेषध्यभाव के आघार पर ही इन्द्रिय द्वारा ही सम्भव हो सकता है, अतः तद्यथ अभावनामक पृथक् प्रमाण की कल्पना अनावश्यक है।

यह कहता कि इन्द्रिय से यदि असम्बद्ध अभाव का ग्रहण माना जायगा तब किसी सञ्चिहित स्थान में किसी एक अभाव के ग्रहण के समय असञ्चिहित स्थानों में विद्यमान अन्य सभी अभावों के भी ग्रहण का अतिप्रसङ्ग होगा, ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव की ग्रहण होने के लिये अभाव में विशेषणता का होना आवश्यक है जो असञ्चिहित स्थानों के अभाव में सम्भव नहीं है, क्यों कि असञ्चिहित स्थान के अभाव सञ्चिहित स्थान में विद्यमान न होने के कारण सञ्चिहित स्थान में विशेषण नहीं हो सकते और असञ्चिहित स्थान के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न होने से असञ्चिहित स्थान में भी विशेषण नहीं हो सकते।

मुख्य बात तो यह है कि यह अतिप्रसङ्ग दोष अभावनामक पृथक् प्रमाण वे स्वीकारपक्ष में भी है क्योंकि जैसे इन्द्रिय का अभाव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बन पाता, अतः इन्द्रिय से असम्बद्ध अभाव का ग्रहण मानने पर जैसे एक अभाव के ग्रहण के समय अन्य सभी अभावों के ग्रहण की आपत्ति होगी उसी प्रकार अभाव प्रमाण से भी असम्बद्ध अभाव का ग्रहण मानने पर एक अभाव के ग्रहण के समय अन्य सभी अभावों के ग्रहण की आपत्ति होगी।

इस प्रकार यह दोष जब दोनों पक्षों में समान है तब किसी एक ही पक्ष में इसका उद्घावन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दोष का जैसा परिहार एक पक्ष में किया जायगा वैसा ही परिहार दूसरे पक्ष में भी कर दिया जा सकता है, अतः सभी वादी प्रतिवादियों ने यह मान्यता स्वीकार की है कि किसी विषय के ऊपर विचार करने समय जो दोष वादी और प्रतिवादी दोनों के मध्य में समानरूप से सम्भावित हो उसे के परिहार का दोनों पर समान दायित्व होने के कारण उसका उद्घावन किसी को न करना चाहिये।

जिस रीति से अर्थापत्ति और अभाव के पृथक् प्रमाणत्व का निराकरण किया गया है उसी रीति से ऐतिह्य, सम्बन्ध और चेष्टा के भी पृथक् प्रमाणत्व का निराकरण कर लेना चाहिये। जैसे 'इह बृक्षे यदः प्रतिवरुति—इस बृक्ष पर यज्ञ का निवार है' इस उक्ति को ऐतिह्य कहा जाता है। यह उक्ति यदि आप पुरुष की हो तो इसका अन्तर्भुव शब्द प्रमाण में हो सकता है और यदि अनास्त की हो तो प्रमाण ही नहीं होगी। जिस पात्र में एक मन धार्म्य आता है उसमें आधा मन धार्म्य का रखना सम्भव है—इस सम्भावना को सम्भवप्रमाण कहा जाता है। एक मन में आधे मन की व्याप्ति होने से इसका अन्तर्भुव अनुमान प्रमाण में हो सकता है। दो सख्या बताने के लिये दो उँगली के संकेत को चेष्टा प्रमाण कहा जाता है, इसे भी पृथक् प्रमाण मानना उचित नहीं है क्योंकि इससे उपयुक्त शब्द का स्मरणमात्र होता है, प्रमा तो शब्द से ही उत्पन्न होती है। अतः यह निर्विचाद रूप से मान्य है कि प्रश्नक, अनुमान, उपमान और शब्द यह चार ही प्रमाण हैं।

प्रामाण्यवाद—

३

अब तक प्रमाण का निरूपण किया गया। यह बताया गया कि पदार्थ का प्रमाणक ज्ञान किन साधनों से किस प्रकार प्राप्तुर्भूत होता है। अब आगे यह बताना है कि प्रमाण से उत्पन्न होने वाले पदार्थज्ञान के प्रामाण्य-प्रमात्र का ज्ञान किस प्रकार होता है। इस विषय में न्याय-वैशेषिक, साख्य योग और प्रीमाणा वेदान्त इन आस्तिक दर्शनों में ही पर्याप्त मतभेद है। न्याय-वैशेषिक की यह मान्यता है कि निर्विकल्पक प्रश्नक से अतिरिक्त जितने भी ज्ञान है उन सब की दो श्रेणियों हो सकती हैं यथार्थ-ज्ञान और अयथार्थज्ञान। यथार्थज्ञान को कभी प्रमा शब्द से और कभी प्रमाण शब्द से तभी अयथार्थज्ञान को कभी अप्रमा शब्द से और कभी अप्रमाण शब्द से व्यवहृत किया जाता है। जब यथार्थज्ञान को प्रमा शब्द से व्यवहृत किया जाता है तब उसके असाधारण धर्म को प्रामाण्य कहा जाता है और जब उसे प्रमाण शब्द से व्यवहृत किया जाता है तब उसके असाधारण धर्म को प्रामाण्य कहा जाता है। इसी प्रकार जब अयथार्थज्ञान को अप्रमा शब्द से व्यवहृत किया जाता है तब उसके असाधारण धर्म को अप्रमाण्य कहा जाता है और जब उसे अप्रमाण शब्द से व्यवहृत किया जाता है तब उसके असाधारण धर्म को अप्रामाण्य कहा जाता है।

प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों के आधयभूत ज्ञान को व्यवहार कहा जाता है। प्रत्येक व्यवसाय प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर अनुव्यवसायनामक मानसप्रश्नक से शहीद होता है। पर उसका प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अनुव्यवसाय से शहीद न होकर अनुमान से शहीद होता है। जैसे सरोवर आदि स्थान में जल देखकर

प्राप्ति मनुष्य जब उस स्थान पर पहुँचता है और जल पीकर असी प्राप्ति कुमारा है तब जल पाने के लिये हिये गये अपने प्रयास की सफलता को देख वह इस प्रकार अनुमान करता है कि उसे जो जलशान हुआ था वह प्रमाणभूत अर्थात् प्रमाणक या क्योंकि उस शान के आधार पर जल प्राप्त करने के लिये जो प्रयास किया गया वह सफल हुआ अर्थात् जिसे जब समझा गया वह जल के रूप में प्राप्त भी हुआ। किन्तु जब कोई मनुष्य प्रमाणीनिका—निर्वल स्थान में लहराती सूखे किरणों में जल देखकर जल पीने की इच्छा से बहों जाता है किन्तु जल नहीं प्राप्त कर पाता तब वह इस प्रकार अनुमान करता है कि उसे जो जलशान हुआ था वह अप्रमाणभूत अर्थात् अप्रमाणक या क्योंकि उस शान के आधार पर जल प्राप्त करने के लिये जो प्रयास किया गया वह विकल रहा, अर्थात् जिसे जल समझा गया वह जल के रूप में नहीं प्राप्त हुआ।

इस प्रकार जल का शान चाहे प्रमाणक हो और चाहे अप्रमाणक, स्वयं तो अनुव्यवस्थायनामक मानस प्रत्यक्ष से गृहीत होता है पर उसका प्राप्तार्थ—प्रमाण अर्थात् अप्राप्तार्थ—अप्रमाणव अनुव्यवस्थाय से नहीं गृहीत होता, किन्तु प्राप्तार्थ का प्रदर्शन सफल प्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमान से और अप्राप्तार्थ का प्रदर्शन विकलप्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमान से होता है।

इस लिये न्यायमन के अनुसार प्राप्तार्थ और अप्राप्तार्थ स्वतोप्राप्त नहीं होते किन्तु परतोप्राप्त होते हैं। अर्थात् जिन कारणों से प्राप्तार्थ और अप्राप्तार्थ के आधयभूत शान का शान होता है केवल उन्हीं कारणों से प्राप्तार्थ और अप्राप्तार्थ की शान नहीं होता अपि तु उनके लिये अन्य कारण की अपेक्षा होती है। जैसे बताया गया कि प्राप्तार्थशान के लिये सफलप्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमानरूप अन्य कारण की तथा अप्राप्तार्थशान के लिए विकलप्रवृत्तिजनकत्वहेतुक अनुमानरूप अन्य कारण की अपेक्षा होती है जबकि प्राप्तार्थ और अप्राप्तार्थ के आधयभूत शान का शान करने के लिये उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती क्योंकि वह तो अनुव्यवस्था से ही गृहीत हो जाता है।

न्याय की इस मान्यता का सीधा अर्थ यह है कि किसी वस्तु का प्रदर्शन या स्थाने करने के लिए मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिये उस वस्तु का शानमात्र अपेक्षित होता है न कि उस में प्रपात्र अथवा अप्रपात्र का निष्पत्ति भी अपेक्षित होता है।

इस न्यायमन का उल्लेख न्यायमज्जी, कन्दली आदि ग्रन्थों में विस्तृत और विस्तृत रूप में प्राप्त है।

मीमांसादर्शन की यह मान्यता है कि प्रामाण्य तो स्वतोग्राह्य है किन्तु अप्रामाण्य परतोग्राह्य है। प्रामाण्य स्वतोग्राह्य है इसका अर्थ यह है कि जिस कारणशामग्री ले प्रामाण्य के आधयभूत ज्ञान का ज्ञान होता है उसी कारणशामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ज्ञान हो जाता है, उसके लिये किसी अतिरिक्त कारण की अपेक्षा नहीं होती।

ज्ञानग्राहकशामग्री के विषय में मीमांसादर्शन की तीन मान्यताएँ प्रचिद हैं—एक प्रभाकर की, दूसरी कुमारिल भट्ट की और तीसरी मुरारमिश की।

प्रभाकर के मतानुसार ज्ञान स्वप्रकाश होता है, ज्ञान अपने जन्मदृष्टि में भी अज्ञात नहीं रहता, वह ज्ञायमान ही उत्पन्न होता है, और यह चात तभी सम्भव हो सकती है जब ज्ञान की उत्पादक सामग्री को ही ज्ञान का ग्राहक माना जाय, क्यों कि यदि ज्ञान का उत्पादक और ज्ञान का ग्राहक सामग्री भिन्न भिन्न होगी तो यह आवश्यक नहीं होगा कि दोनों सामग्रियों का सन्निधान सर्वदा साथ ही हो, कभी उनके सन्निधान में कालभेद भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञानग्राहक सामग्री का सान्निधान पहले हो जाय और ज्ञानग्राहक सामग्री का सन्निधान बाद में हो और जब ऐसा होगा तब ज्ञान उत्पन्न होकर भी अज्ञात रह सकता है, और उस विधि में ज्ञान की स्वप्रकाशना का भव्य हो जायगा। अतः ज्ञान के स्वप्रकाशन की रक्षा के लिये यह मानना आवश्यक है कि ज्ञानग्राहक सामग्री और ज्ञानग्राहक सामग्री में कोई भेद नहीं है। इसी लिए इस मत में घटज्ञान की सामग्री का सन्निधान होने पर उत्पन्न होने वाले ज्ञान का 'अय घट' यह आकार नहीं होता किन्तु 'घटमह जानामि' यह आकार होता है, क्योंकि उस ज्ञान में घट, घटज्ञान, और घटज्ञान मनुष्य इन तीन वस्तुओं का ज्ञान होता है और इसी लिये यह मत ज्ञान को त्रिपुटीविषयक मानने वाला मत कहा जाता है,

इस प्रकार प्रभाकर के मत में ज्ञान का उत्पादक सामग्री ही ज्ञान का ग्राहक सामग्री है और ज्ञानग्राहक सामग्री ही ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्राहक होती है अतः ज्ञान के साथ ही ज्ञान का प्रामाण्य भी होते ही जाता है। इस लिये ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब वह जैसे अपने विषयभूत घट को, अपने आप को तथा अपने आवश्यभूत ज्ञान को विषय करता है उसी प्रकार अपने प्रामाण्य को भी विषय करता है। फलतः उसका आकार जैसे 'अय घट' मात्र नहीं होता उसी प्रकार उसका आकार वे बल 'घटमह जानामि' भी नहीं होता किन्तु 'घटमह प्रमिणोमि' हो जाना है, क्योंकि उसमें घट, घटज्ञान और घटज्ञान मनुष्य के समान घटज्ञानगत प्रामाण्य का भी मान होता है।

कुमारिल भट्ट के, मतानुसार ज्ञान स्वयं अतीनिदेय होता है, किन्तु उससे विषय के कुन्तर ज्ञानानामक एक नवीन घर्म उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्षगम्य होता है, उसी

में उसके कारणभूत ज्ञान का अनुज्ञान होता है। इस पक्षार इव मत में शावदिव्यांशु अनुज्ञान ज्ञान का प्राइक होता है और उसी से ज्ञान के प्राप्तन्य का ज्ञान होता है उसके लिये किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं होती। अतः इव मत में भी प्राप्ताण्य का गतिशीलता अथानुज्ञानप्राप्ताद्वय सुरक्षित रहता है।

मुगरिमिथ का मत न्ययमत के अनुसूप्त है। न्यायमत के ज्ञान ही उनके मत में भी ज्ञान अनुवचाय से ही यदीत होता है, अन्तर केवल इनना ही है कि न्यायमत में अनुवचाय से उचल ज्ञान का ही प्रहण होता है, उसके प्राप्ताण्य का प्रहण नहीं होता, किन्तु मुगरिमिथ के मत में अनुवचाय से ज्ञान के प्राप्ताण्य का भी प्रहण होता है अर्थात् प्रमाण और कुमारिल के गत्यान उन्हें भी प्राप्ताण्य का ज्ञानप्राप्ताद्वय सामग्रीप्राप्ताद्वयरूप स्वतोप्राप्ताद्वय मान्य है यतः उनके मत में अनुवचाय ही ज्ञान का प्राइक है अतः उसी से ज्ञान के प्राप्ताण्य का ज्ञान माना जाना उचित है।

इव पक्षार प्रमाणर—गुरु, कुमारिल भट्ट और मुगरिमिथ इन तीनों प्रष्ठियों के मत में ज्ञान का प्राप्ताण्य स्वतो प्राप्त है। और स्वतो प्राप्त का अर्थ है अन्य कारण की अपेक्षा न कर केवल ज्ञानप्राप्ताद्वयसामग्री से ही गृहीत होना। इव लिये ह। तीनों मतों में ज्ञान का जो पहला ज्ञान होता है उसी से उसका प्रमाण आगा हो जाता है, किन्तु ज्ञान का अप्राप्ताण्य तीनों ही मतों में परतो प्राप्त है। अतः उगता ज्ञान केवल ज्ञानप्राप्ताद्वयसामग्री से ही नहीं सम्भव होता अपि तु ज्ञानाधीन पृष्ठियों के कहर ज्ञान वादि अन्य कारण का सत्रिधान होने पर ही सम्भव होता है।

प्रत्यन हो सकता है कि जैसे यह माना जाता है कि प्रमाणभूत ज्ञान के प्रथम ज्ञानकाल में ही उसका प्रमाणाण्य स्वतः ज्ञात हो जाता है उसी प्रकार यह भी करो नहीं माना जा। कि अप्रमाणभूत ज्ञान के प्रथमज्ञानकाल में ही उसका अप्रमाणाण्य भी स्वतः ज्ञात हो जाता है, उसे परतोप्राप्त मानने का क्या कारण है?

उत्तर में यदि कहा जा सकता है कि प्रत्येक ज्ञान के दो ही सुखय प्रयोजन होते हैं— ज्ञात अर्थ यदि अनुकूल है तो उसे प्राप्त करने के लिये ज्ञाता की प्रवृत्ति अथवा ज्ञात अर्थ यदि प्रतिकूल है तो उसके परिवर्याग के लिये ज्ञाता की निवृत्ति, किन्तु ज्ञान से इन दोनों प्रयोजनों का सम्बद्ध तभी होता है जब उसमें अप्रमाणाण्य का ज्ञान नहीं होता, परन्तु जब ज्ञान को अप्रमाण समझ लिया जाता है तब उससे प्रवृत्ति या निवृत्ति का उदय नहीं होता।

है। यह प्रयोजन भी ज्ञानद्वारा तभी सम्भव होता है जब उसमें अप्राप्य का ज्ञान नहीं होता।

अब यदि अप्राप्य को स्वतों ग्राह्य माना जायगा तब अप्रमाणभूत ज्ञान का उदय होते ही उसमें अप्राप्य भी गृहीत हो जायगा और उसका परिणाम यह होगा कि अप्रमाणभूत ज्ञान से न कभी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का उदय हो सकेगा और न कभी उससे विरोधी ज्ञान का प्रत्यवन्ध ही हो सकेगा, जब कि अप्रमाणभूत ज्ञान से भी इन प्रयोजनों का सम्पादन सर्वमान्य है।

उक्त प्रश्न के उत्तर में दूसरी बात यह कही जा सकती है कि प्राप्य को स्वतों-ग्राह्य मानने में युक्ति है और अप्राप्य को स्वतों ग्राह्य मानने में कोई युक्ति नहीं है, अब एवं प्राप्य को स्वतों ग्राह्य और अप्राप्य को परतों ग्राह्य माना जाता है; जैसे यह वस्तुस्थिति ज्ञानी जा सकी है कि किसी भी ज्ञान से प्रवृत्ति आदि का उदय तभी तक होता है जब तक उसमें अप्राप्य का ज्ञान नहीं होता, किन्तु जब उसमें अप्राप्य का ज्ञान हो जाता है तब उससे प्रवृत्ति आदि का उदय नहीं होता। अतः इस वस्तुस्थिति की रक्षा के लिये यह मानना आवश्यक है कि प्रवृत्ति आदि के लिये उसके कारणभूत ज्ञान में प्राप्य का निश्चय आवश्यक है। यह मान लेने पर उक्त वस्तुस्थिति की रक्षा हो जाएगी क्योंकि जब किसी ज्ञान में अप्राप्य का ज्ञान होगा उस समय उसमें प्राप्य का निश्चय न हो सकेगा और उसके न होने पर प्रवृत्ति आदि के उदय की आवश्यकता न होगी क्योंकि उसके उक्त निश्चय अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में यदि प्राप्य को स्वतों माध्य न मान कर परतों ग्राह्य माना जायगा तो जिस 'पर' से प्राप्य का ज्ञान सम्भव होता है उसका सत्रिधान जब तक न होगा तब तक प्राप्य का निश्चय न हो सकने के कारण प्रवृत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर भी उससे प्रवृत्ति आदि का उदय न हो सकेगा और कदाचित् वह भी संकट उपस्थित हो सकेगा कि प्रवृत्ति आदि के कारणभूत ऐसे अनेक ज्ञान हों जिनमें प्राप्य के प्राप्ति 'पर' का सत्रिधान न हो सकने से प्राप्य का निश्चय ही न हो और इली लिये उनसे प्रवृत्ति आदि का उदय न होने के कारण उनका जन्म ही निरर्थक हो जाय, अतः इस सहज के परिवार्य प्राप्य को स्वतों ग्राह्य मानना उचित है क्योंकि जब वह स्वतोंग्राह्य होगा त। प्रवृत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर उस ज्ञान का ज्ञान होने के साथ ही ज्ञान का प्राप्य भी ज्ञान हो जायगा और इस प्रकार प्रवृत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान में प्राप्यनिश्चय के मुश्किल होने से प्रवृत्ति आदि के उदय में कोई जाधा न होगी, फलतः उन ज्ञानों की व्यर्थजन्मता की आवश्यकता न होगी।

अप्राप्य को स्वतोंग्राह्य मानने में ऐसी कोई युक्ति नहीं है, प्रत्युत उसे स्वतोंग्राह्य

मानने पर प्रवृत्ति आदि के कारणभूत शान का उदय होने पर उसमें अप्रामाण्य का स्वरूप महण हो जाने से उससे प्रवृत्ति आदि की उत्पत्ति के विलोप का भय है। अतः उसे स्वतों प्राप्ति न मान कर परतों प्राप्ति मानना ही युक्तिसंगत है।

साख्यमत में प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को स्वतों प्राप्ति माना गया है। सार्व की इस मान्यता के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यदि प्रामाण्य और अप्रामाण्य को स्वतोंप्राप्ति न मानकर परतोंप्राप्ति माना जायगा तो उनके प्रहण के लिये अतिरिक्त कारण की कल्पना करने में गोरव होगा और यदि स्वतोंप्राप्ति माना जायगा तो शान के प्राप्ति से ही उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य का शान हो जाने से उसबे निमित्त अन्य कारण की कल्पना की आवश्यकता न होने से लाघव होगा, अतः न दोनों का स्वतोंप्राप्तिव पद्ध ही समीचीन है। यदि यह कहा जाय कि प्रामाण्य को स्वतोंप्राप्ति मानने में तो कोई आपत्ति नहीं है पर अप्रामाण्यको स्वतोंप्राप्ति मानने में यह आपत्ति स्पष्ट है कि जब अप्रामाण्यभूत शान का उदय होगा तब अप्रामाण्य के स्वतोंप्राप्ति होने से तथा उसमें अप्रामाण्य का शान हो जायगा और वह अप्रामाण्य के शान से दुर्बल बन जायगा तब उससे प्रवृत्ति आदि का उदय न हो सकेगा। तो ठीक नहीं है, क्यों कि शानोत्पादक और शानप्राप्ति सामग्री में भेद होने से शानोत्पादक सामग्री के सन्निधानकाल में शानप्राप्ति सामग्री का भी सन्निधान आवश्यक नहीं है, अतः अप्रामाण्यशान का उदय होते ही उस का शान और उसमें अप्रामाण्य का शान नहीं होगा किन्तु जब शानप्राप्ति सामग्री का सन्निधान होगा तभी उसका और उसके अप्रामाण्य का शान होगा, अतः शानप्राप्ति समग्री का सन्निधान होने के पूर्व अप्रामाण्यभूत शान से भी प्रवृत्ति आदि के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती।

श्लोकवर्तिक सूत्र २ श्लोक ४७ में 'वेचिदाहुद्य स्वतः' वह कर इस साख्यमत का ही सकेत किया गया है।

बौद्धसंप्रदाय में प्रामाण्य और अप्रामाण्य के स्वतोंप्राप्तिव और परतोंप्राप्ति के सम्बन्ध में दो प्रकार की मान्यतायें प्रचलित हैं। अनेक बौद्ध विद्वान् अप्रामाण्य को स्वतः और प्रामाण्य को परत मानते हैं। उनके अनुसार कोई भी शान तब तक अप्रमाण ही मनुष्य जाता है जब तक उससे प्रेरित मनुष्य शान अर्थ को प्राप्त नहीं कर लेता। शान प्रमाण तभी समझ जाता है जब वह अर्थ का प्राप्त हो जाता है। इस भव का सर्वत सर्वदर्शनसम्बद्ध में 'सीमाताश्वरम् स्वतः' कह कर किया गया है। शनितरक्षित आदि बौद्ध विद्वानों की मान्यता इससे विपरीत है, वे अभ्यासदशापन शान में प्रामाण और

इदमिदानों निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यमवधार्य कश्चिज्जलादी प्रवर्तते । कश्चित् सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रवृत्त्युत्तरकाले जलादि-प्रतिलिप्मे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः ।

अथ कश्चिदाद— प्रागेव प्रवृत्तेः प्रामाण्यमवधार्य पुरुपः प्रवर्तते, स्वत एव प्रामाण्यावधारणात् । अस्यार्थ—येनैव यज् ज्ञान गृह्यते तेनैव तदूगत प्रामाण्य-मपि, न तु ज्ञानप्रादकादन्यज् ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य प्रादकम् । तेन ज्ञानप्राद-कातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । इन च प्रवृत्ते पूर्वमेव गृहीतम् ।

अप्रामाण्य दोनों को स्वत, और अनभ्यासदयापन्न शान म दोनों को परत, मानत हैं । 'तत्त्वसप्रह' म इस मत का अनियम पक्ष के रूप में वर्णन किया गया है ।

जैनमत में प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों को उत्तर्पत्ति म परत और शास म स्वत, माना गया है । उस मत के अनुसार प्रमाणभूत शान और अप्रमाणभूत शान दोनों की उत्तर्पत्ति के लिये शानसामान्य के कारण से वर्तरित कारण ॥ अपेक्षा होती है अत उत्तर्पत्ति में दोनों परत है—परापेक्ष है । यदि दोनों शानों को उत्तर्पत्ति में परापेक्ष न माना जायगा तो दोनों म शानसामान्य के कारणों की ही अपेक्षा होने से दोनों म प्रामाण्य अप्रामाण्यकृत बैलदृष्ट्य न हो सकेगा अतः दोनों उत्तर्पत्ति म परत है । किन्तु उसके शान म शानसामान्य के ग्राहक कारण स अतिरित कारण की अपेक्षा नहीं होती अतः शासि म दोनों स्वत है—परानपत् है । इस मत का निर्देश 'परीक्षामुख' म 'तत्त्व-माण्य स्वत, परतश्च' कह कर किया गया है ।

इस प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्य के स्वतस्त्व और परतस्त्व के विषय म वौद्ध-अवैदिक दोनों दशनों में विभिन्न प्रकार का मान्यतायें दर्शित होता है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'तक्षभाषा' म प्रामाण्य क सम्बन्ध मे एक मात्र कुमारिल की ही मान्यता की आलोचना की गई है जिसक उभयम की भूमिका 'इदमिदानों निरूप्यत' इत्यादि मूल ग्रन्थ से इस प्रकार उपन्यस्त की गई है—

अब प्रामाण्य का विरूपण किया जायगा । न्यायमतानुषार वस्तुस्थिति यह है कि कोई मनुष्य तो जल आदि के ज्ञान म प्रामाण्यका निश्चय होने पर उसके प्रदृशण या त्वाग आदि के लिये प्रयत्नशील होता है और कोई मनुष्य जल आदि के ज्ञान मे प्रामाण्य के सन्देह की दशा मे भी उसके प्रदृशण आदि के निमित्त प्रयत्नशील होता है, उसके ज्ञान म प्रामाण्य का निश्चय तो उन होता है जब जल आदि का लाभ होने पर उस ज्ञान के आधार पर किया गरा उसका प्रयत्न सकृद हो जाता है ।

१८८

तर्कभाषा
कथमन्यथा प्रामाण्यप्रामाण्यसन्देहोऽपि स्यात् । अनधिगते धर्मिणि सन्वेदानुदयात् । वस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽर्थापत्त्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमन्यर्थापत्त्यैव गृह्णते, ततः पुरुषः प्रवर्तते, न तु प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्णते, ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले कलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमवधार्यते ।

इसके विपरीत मीमांसक का कथन यह है कि ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण सदैव प्रवृत्ति के पूर्व ही होता है । इसका आशय यह है कि जिस साधन से जो ज्ञान ज्ञात होता है उसी साधन से उस ज्ञान का प्रामाण्य भी ज्ञात होता है, ज्ञान के पूर्वमेव प्रामाण्य का ग्राहक ज्ञान के ग्राहक से भिन्न नहीं होता । प्रामाण्य के ज्ञान में ज्ञानग्राहक से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा न होना ही प्रामाण्य का स्वतस्व-स्वतोज्ञान्यत्व है । ज्ञान प्रवृत्ति के पूर्व ही ज्ञान होता है, अन्यथा प्रवृत्ति के पूर्व जो कभी उसमें प्रामाण्य का सन्देह होता है, वह भी कैसे होगा ? क्यों कि अज्ञात धर्मों में सन्देह का उदय नहीं होना, इस लिये यही मानना उचित है कि ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति से प्रवृत्ति के पूर्व ही ज्ञान का ज्ञान होता है और उसी समय उस अर्थापत्ति से ही ज्ञान के प्रामाण्य का भी अवधारण हो जाता है । फिर उसके बाद ज्ञाता पुरुष अपने ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के महण अथवा स्थाग के लिये प्रवृत्त होता है । मीमांसक के अनुसार ज्ञान गत प्रामाण्य के अवधारण और ज्ञानाधीन पुरुषप्रवृत्ति का सर्वदा यही क्रम है, यह क्रम कभी नहीं है कि पहले पदार्थ का ज्ञानमात्र ही होता है, उसी से ज्ञात अथ के विषय में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और जब ज्ञात अर्थ का लाभरूप कार्य सम्पन्न हो जाता है तब प्रवृत्ति के कारणभूत ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण होता है ।

ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति से ज्ञान और उसके प्राण्य का ज्ञान होता है—यह मत सभी मीमांसकों का नहीं है किन्तु यह कुमारिलभट्ट और उनके अनुयायी विद्वानों का ही मत है । इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी मनुष्य को घट आदि किसी दस्तु का ज्ञान होता है तब उसे सीधे अस्ते उस ज्ञान के होने का पता नहीं लगता किन्तु पहले घट आदि में उपेक्षा ज्ञातता नाम के एक नये धर्म का दर्शन होता है जिसे वह ‘मया घटो ज्ञातः—मुमेघ घट ज्ञात हो गया है’ यह कह कर प्रकट करता है । बाद में उसके “कारणरूप में ज्ञान का अवगम होता है । इसका क्रम यह है कि जब मनुष्य को ज्ञातता का दर्शन हो जाता है तब वह दिचार करता है कि घट आदि में जो ज्ञातता उसे दिख रही है वह किसी आगन्तुक कारण के बिना नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि यदि उसे घट आदि का सहज धर्म या अकारणजात धर्म माना जायगा तो घट आदि में उसके सदैव हृषिगोचर होने की आपत्ति होगी । यह

घट आदि में वह सदैव दृष्टिगोचर नहीं होती अतः यही मानना उचित है कि वह घट आदि का सदृश या अकारणज्ञात धर्म नहीं है किन्तु किसी आगन्तुक कारण से वह उसमें उत्पन्न हुई है। उक्त रीति से किसी आगन्तुक कारण के बिना शातता की अनुपपत्ति के परिहारार्थ उसके कारणरूप में जिस अर्थ की आपत्ति अर्थात् जिस अर्थ की सिद्धि होती है उसी का नाम है ज्ञान।

सत्रेप में निष्कर्ष यह हुआ कि किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उसके सम्बन्ध में सद्यः मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु पहले उस वस्तु में शातता की प्रतीति होती है, फिर उक्त क्रम से शातता की अन्यथा अनुपपत्ति से ज्ञान का अर्थापत्तिरूप अथवा अनुभितिरूप ज्ञान होता है। यह ज्ञान शातता के कारणभूत ज्ञान के प्रामाण्य को भी विषय करता है। इसी ज्ञान से वस्तु के ग्रहण अथवा स्थाग के लिये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार सदैव यह बात होती है कि किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु के विषय में प्रवृत्ति होने के पूर्व ही उस वस्तु के ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण हो जाता है।

मीमांसकवर्य कुमारिल की इस मान्यता के विरुद्ध नैयायिक का कथन यह है कि पहले तो उसे यही नहीं मान्य है कि ज्ञान का ज्ञान शातता की अन्यथाऽनुपपत्ति से होने वाली अर्थापत्ति से होता है, फिर उस अर्थापत्ति से ज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान होना तो चहुत दूर की बात है।

इस सन्दर्भ में नैयायिक यह सोचता है कि इस विषय में कुमारिल का अभिमत तो यही हो सकता है न, कि जब किसी मनुष्य को घट आदि विषय का ज्ञान होता है तब उसे 'मया शातोऽय घटः—मुझे यह घट ज्ञात हो गया' इस प्रकार घट की शातता का अनुभव होता है। फिर उस अनुभव के आधार पर उसे यह अनुमान होता है कि घट का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से घट के ऊपर ज्ञातलानामक कोई नया धर्म उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह धर्म घटज्ञान का जन्म होने के पूर्व घट में नहीं था किन्तु घटज्ञान का जन्म होने के बाद घट में प्रादुर्भूत हुआ है। घटज्ञान के साथ घटनिष्ठ शातता के इस अन्वयव्यतिरेक में यह निश्चय होता है कि घट में ज्ञातलानामक नवीन धर्म का जन्म घटज्ञान से ही होता है। क्योंकि कार्य का यह स्वभाव है कि कारण के अधार में उसका उदय नहीं हुआ करता। अतः ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता का अन्य ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, इस अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञातता से उसके उत्पादक ज्ञान की सिद्धि होती है।

नैयायिक कुमारिल के इस अभिमत को दुसिंखगत नहीं मानते। उनका कथन यह है कि ज्ञानविषयता से अतिरिक्त ज्ञाततानामक कोई धर्म ही प्रमाणिक नहीं

तनु ज्ञानेव नितज्ञातसाधारत्वमेव हि घटादेक्षीनविषयत्वम् । तथादि न तावत्
वादात्म्येन विषयता, विषयविषयिणोर्धटज्ञानयोस्तादात्म्यानभ्युपगमात् । उद्दु-
त्स्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः, इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञान-
स्योत्तरतः । तेनेदमनुमीयते—ज्ञानेन घटे किञ्चित्त्रिभवितं येन घट एव तस्य
ज्ञानस्य विषयो नाऽन्य इत्यतो विषयत्वान्यथानुपवत्तिप्रसूत्याऽर्थप्रत्येव
ज्ञाततासिद्धिः, न तु प्रत्यक्ष्यमावेण ।

है। अतः उससे अर्थात् जिद्धारा ज्ञान को सिद्ध करने का मनोरथ निराशार्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि घटज्ञान का जन्म होने पर 'मध्या घटेऽय शातः' इस रूप से घट में ज्ञो शातता अवगत होती है वह कोई नूतन धर्म नहीं है अपि तु वह शान्तिविषयनारूप है। 'मुझे घट शात हो गया' इस कथन का यही अर्थ है कि घट मेरे ज्ञान का विषय बन गया। फिर जब ज्ञानविषयता से अतिरिक्त शातता नाम का कोई धर्म ही नहीं है तब उसके कारणरूप ज्ञान की कल्पना कैसे की जा सकती है। यदि यह कहा जाय कि ज्ञाततानामक अतिरिक्त धर्म यदि नहीं है तो न सही, ज्ञानविषयता तो है फिर उसी के कारणरूप में ज्ञान की कल्पना होगी, तो यह ठीक नहीं है, स्योकि ज्ञानविषयता ज्ञान के विषयभूत वस्तु से अतिरिक्त नहीं होती और वह वस्तु ज्ञान का जन्म होने के पहले से ही रहती है अतः उसके कारणरूप में ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती।

शानविषयता से अतिरिक्त शाततानामक किसी धर्म का अस्तित्व प्रामाणिक नहीं है, अतः उसकी अन्यथानुपर्याप्ति से शान की अर्धार्थता या अनुभिति का उदय नहीं माना जा सकता, नेयायिकों के इस कथन पर कुमारिल की ओर से यह कहा जाता है कि यदि शानद्वारा विषय के ऊपर शाततानामक धर्म की उत्तरति न मानी जायगी तो 'कौन पदार्थ किस शान का विषय हो' इस बात की व्यवस्था न हो सकेगी। किंतु जब शानविषयता से भिन्न शातता का अस्तित्व माना जायगा तब यह कहा जा सकेगा कि जिस शान से जिस पदार्थ के ऊपर जातता का जन्म होता है वह पदार्थ उस शान का विषय होता है। इस प्रकार शातता से शानविषयता का नियमन याकूब होने के कारण शानविषयता के नियमनार्थ जातता की कल्पना में कोई जाचा नहीं है।

यदि यह कहा जाय कि ज्ञान से भिन्न विषय का अधिकतम नहीं होना किन्तु ज्ञान और विषय में तादारम्य होता है, तो ज्ञान जिस पदार्थ के साथ ही शात होता है उस पदार्थ में उस ज्ञान का तादारम्य होता है और जिस पदार्थ में जिस ज्ञान का तादारम्य होना है वह पदार्थ उस ज्ञान का विपर्य होता है। घटज्ञान घट के साथ ही शात होता है, पट

के साथ नहीं ज्ञात होता, अतः घट में ही घटज्ञान का तादारम्य होता है, पट में नहीं होता और इसीलिये घट ही घटज्ञान का विषय होता है पट नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान के तादारम्य से ज्ञानविषयता का नियमन हो सकने के कारण ज्ञानविषयता के नियमनार्थ ज्ञानतानामक पद्म की कल्पना असगत है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि घटदिरूप विषय बाह्य पदार्थ है और उसका ज्ञानरूप विषयी आन्तर पदार्थ है, बाह्य और आन्तर पदार्थ में तादारम्य सम्भव नहीं है अतः ज्ञानतादारम्य के द्वारा ज्ञानविषयता की व्यवस्था नहीं भी जा सकती।

यदि यह कह जाय कि ज्ञान की उत्तमति से ज्ञानविषयता का नियमन हो सकता है अर्थात् यह नियम माना जा सकता है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वह पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है, घटज्ञान घट से उत्पन्न होता है, पट से नहीं उत्पन्न होता, अतः घट ही घटज्ञान का विषय हो सकता है, पट नहीं हो सकता। इस प्रकार तत्त्व ज्ञान के उत्पादकत्व से तत्त्व ज्ञान के विषयत्व का नियमन हो सकने के कारण ज्ञानविषयता के नियमनार्थ ज्ञानता की कल्पना असगत है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि यह नियम माना जाएगा कि जो पदार्थ जिस ज्ञान का उत्पादक होता है वह पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है तो घट के चक्षुपश्चान का उत्पादक होने से जैसे घट उस ज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार चक्षु और आलोक को भी उस ज्ञान का विषय होना चाहिये क्योंकि चक्षु और आलोक भी उस ज्ञान के उत्पादक हैं, किन्तु चक्षु और आलोक उस ज्ञान के विषय नहीं होते अतः तत्त्व ज्ञान के उत्पादकत्व को तत्त्व ज्ञान के विषयत्व का नियमनक नहीं माना जा सकता।

यदि यह कहा जाय कि ज्ञान स्वभावतः निराकार होता है, फिर भी अर्थ के आकार से आकारवान् माना जाता है और इसीलिये वह कभी घटाकार, कभी पटाकार और कभी मठाकार आदि विभिन्न आकारों में अवगत एवं व्यवहृत होता है, इसके आधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ के आकार से आकारवान् होता है, वह पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है, घटज्ञान घट के आकार आकारवान् होता है, पट के आकार से आकारवान् नहीं होता अतः घट ही घटज्ञान का विषय होता है, पट घटज्ञान का विषय नहीं होता। इस प्रकार तत्त्व ज्ञान के आकार से तत्त्व ज्ञान के विषयत्व का नियमन हो सकने से ज्ञानविषयता के नियमनार्थ ज्ञानता की कल्पना अनावश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्व ज्ञान में तत्त्व अर्थ विषयत्व से अतिरिक्त तत्त्व अर्थात् असिद्ध है, अतः आकार से विषयता का नियमन अशक्य है।

इस रिथति में कुमारिल का कथन यह है कि ज्ञानविषयता का कोई अन्य नियमक सिद्ध न होने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि घट आदि पदार्थों के ज्ञान से

मैवम्, स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः । अर्थशानयोरेवादश एव स्वाभाविको विशेषः, येनानयोर्विषयविषयिभावः । इतरथाऽतीतानागत-योर्विषयत्वं न स्यात्, ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि धर्म-जननायोगात् । किंच ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात् तत्रापि ज्ञाततान्तरं प्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । अर्थं ज्ञाततान्तरमन्तरेणाऽपि स्वभावादेव विषयत्वं ज्ञाततायाः । एवं चेत्, तर्हि घटादावपि कि ज्ञाततयेति ।

उन् पदार्थों में किसी धर्म का उदय होता है । और उस धर्म का आश्रय होने से ही घट आदि पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है । ऐसा जो धर्म उत्तरत होता है उस धर्म का ही नाम है ज्ञातता । घट आदि पदार्थों के ज्ञान से घट आदि पदार्थों में ही उस धर्म का उदय होता है, पर आदि पदार्थों में नहीं होता, अतः घट आदि पदार्थ ही उस ज्ञान का विषय होता है, पर आदि पदार्थ उस ज्ञान का विषय नहीं होता ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'घटो मया जातः' इस प्रत्यक्ष मत्त्र से ज्ञातता की सिद्ध नहीं होती किन्तु उक्तरीत्या ज्ञानविषयता की अन्यथानुपर्चि से मात्रभूत होने वाली अर्थापर्चि से भी उसकी सिद्धि होती है, अतः उक्त प्रत्यक्ष को ज्ञातताशब्द से ज्ञानविषयता का ग्राहक बताकर ज्ञाततानामक अतिरिक्त धर्म के अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता ।

कुमारिलद्वारा उक्त रीति से ज्ञाततानामक अतिरिक्त धर्म के अस्तित्व का समर्थन होने पर उसके विशद् नैयायिक का कथन यह है कि अर्थ और ज्ञान का विषयविषयिभाव स्वाभाविक है । उनमें कोई ऐसा स्वाभाविक सम्बन्ध है जिसके कारण उनमें विषयाविषयिभाव होता है । अन्यथा यदि ज्ञानबन्ध ज्ञातता के आधार को ही ज्ञान का विषय माना जायगा तो अतीत और अनागत पदार्थ ज्ञान के विषय न हो सकेंगे क्योंकि अविद्यमान धर्मों में धर्म का जन्म सम्भव न होने के कारण अतीत और अनागत पदार्थ में ज्ञानद्वारा ज्ञातता का जन्म न हो सकेगा । और जब अतीत तथा अनागत दोनों में ज्ञातता की उत्पत्ति न होगी तब वे ज्ञान के विषय न हो सकेंगे । अतः उनमें ज्ञानविषयता के उपरादनार्थ किसी अन्य को हो ज्ञानविषयता का नियमक मानना होगा और वह अर्थ एवं ज्ञान के स्वभाव से भिन्न और कुत्तु नहीं हो सकता ।

इस प्रकार जब अर्थ और ज्ञान के सहज स्वभाव को ज्ञानविषयता का नियमक माना जा सकता है तब ज्ञातता के बिना भी ज्ञानविषयता की उपपत्ति हो जाने से ज्ञानविषयत्व की अन्यथानुपर्चि एवं तन्मूलक अर्थापर्चि या अनुमान से ज्ञातता की सिद्धि किस प्रकार सम्भव हो सकती है ।

अस्तु वा ज्ञातता, तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते, ज्ञातताविशेषेण प्रमाण-ज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानप्रामाण्यमिति कुत एव ज्ञानप्राद्वक्त्रात्मता प्रामाण्यस्य ? अथ केनचिज् ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गृह्णेते ।

ज्ञातता के विशद् एक और भी बात है, वह यह कि, यदि ज्ञातता से ही ज्ञान-विषयता की व्यवस्था होगी तो ज्ञातता में भी एक दूसरी ज्ञातता की कल्पना कुनी होगी क्योंकि ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय होगी अतः ज्ञानविषयत्व की उपपत्ति के लिये उसमें भी ज्ञातता की कल्पना आवश्यक हो जायगी । इसी प्रकार वह दूसरी ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय होगी ही अत उसमें भी ज्ञानविषयत्व वै उपरादनार्थ एक तीसरी ज्ञातता की कल्पना करनी होगी और इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति होगी ।

यदि यह कहा जाय कि ज्ञातता के ज्ञानविषयत्व को ज्ञातता से नियम्य न मानकर स्वभाव से नियम्य माना जायगा, अत ज्ञातता की कल्पना में अनवस्था की ओपत्ति नहीं हो सकती, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञातता स्वभावतः ज्ञान का विषय हो सकती है तो घर आदि पदार्थों का क्या अपराध है कि वे स्वभावतः ज्ञान के विषय नहीं हो सकते । अत ज्ञातता के समान घर आदि पदार्थों को भी स्वभावत ज्ञान का विषय मानने में कोई जाधा न होने से ज्ञानविषयत्व के नियमनार्थ ज्ञातता की कल्पना नहीं की जा सकती ।

ज्ञातता के विशद् एक बात और कही जा सकती है, वह यह कि, ' ज्ञातता ज्ञान-विषयता का नियामक नहीं हो सकती क्यों कि उसके स्वयं का ही कोई नियामक नहीं है, तो फिर जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि अमुक ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता को आधार कौन हो तब तक यह व्यवस्था कैसे की जा सकती है कि अमुक ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता का जो आधार हो वह अमुक ज्ञान का विषय हो । कहने का आशय यह है कि ज्ञानजन्य ज्ञातता का कोई न कोई नियामक अवश्य मानना होगा, क्यों कि यदि उसका कोई नियामक न होगा तो किसी भी ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता का कोई भी आधार हो जायगा, और तब फिर उस निरङ्कृत ज्ञातता का आधार होने से कोई भी पदार्थ किसी भी ज्ञान का विषय हो जायगा । अत ज्ञानजन्य ज्ञातता का कोई न कोई नियामक मानना अनिवाय है, तो फिर जो उसका नियामक होगा उसी को ज्ञानविषयता का भी नियामक मान लेने में कोई जाधा न होने से ज्ञानविषयता के नियमनार्थ ज्ञातता की कल्पना नहीं की जा सकती ।

ज्ञातता स ज्ञान और उसके प्रामाण्य दोनों का साय ही ज्ञान होता है, अतः प्रामाण्य के ज्ञान में ज्ञानप्राहक से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा न होने से ज्ञानगत प्रामाण्य सत्तोप्राप्त है—कुमारिल की इस मान्यता के औचित्य-अनौचित्य के परीक्षण

एवं चेद्प्रामाण्येऽपि शस्यमिदं वक्तुं केनचिज् ज्ञातवाविशेषेणाप्रमाणज्ञानां
द्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये सर्वद गृह्णते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्णताम् ।
अथैवमप्यप्रामाण्यं परतस्तहि प्रामाण्यमपि परत एव गृह्णताम् । ज्ञानप्राहका-
दन्यतु दृश्यर्थः । १५ १०८ ३५१ १५५५२ १५५५३

के सन्दर्भ में नैयायिकों का एक यह भी कथन है कि शातता की विदि में ऊर गताये गये चाथकों के रहते भी कुमारिल के आदरार्थ यदि उसका अस्तित्व मानेहर उसे ज्ञान का प्राहृक मान भी लिया जाय तब भी ज्ञानगत प्रामाण्य के स्वतःप्रदण का समर्थन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रामाण्य के स्वतःप्रदण का अर्थ है ज्ञानप्रोद्धक सामग्री से ही प्रामाण्य का प्रदण होना, और यह तभी सम्भव हो सकता है जब प्रामाण्य का ज्ञान केवल उसी साधन से हो जिससे ज्ञान का ज्ञान सम्पन्न होता है। किन्तु ऐसा होता नहीं होता यह है कि ज्ञान का ज्ञान तो सामान्य ज्ञातता से होता है परं प्रामाण्य का ज्ञान सामान्य ज्ञातता से न होकर विशेष ज्ञातता से होता है। जैसे ज्ञान प्रमाणभूत ज्ञान से 'उत्पन्न होने वाली ज्ञातता से भी ज्ञान होता है और अप्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता से भी ज्ञात होता है परन्तु प्रामाण्य केवल प्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता से ही ज्ञात होता है क्योंकि प्रमाणभूत-ज्ञान ही अव्यभिवारिणी होने से वही प्रामाण्यज्ञान का सम्पादन कर सकती है।

इस प्रकार प्रामाण्यग्राहक सामग्री में शानमोहक सामग्री का भेद जब इतना स्पष्ट है तब शानमोहक सामग्री से ही प्रामाण्य का ग्रहण होता है। इस अर्थ में प्रामाण्य के शब्दग्रहण का समर्थन कैसे हो सकता है?

यदि यह कहा जाय कि अप्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अप्रमाणभूत ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता प्रमाणभूतज्ञान की व्यभिचारिणी होने से प्राप्ताण्यज्ञान का सम्बद्ध यदि नहीं कर सकती, तो न करे, पर प्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रमाणभूत : ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता तो प्रमाणभूत ज्ञान की अ यभिचारिणी होने से प्राप्ताण्यज्ञान का सम्बद्धन कर ही सकती है, अनः 'प्रमाणभूत ज्ञान की ग्राहक ज्ञानधी से ही उस ज्ञान का और उसके प्राप्ताण्य का साथ ही ग्रहण होता है, उसके प्राप्ताण्य को ग्रहण करने के लिये अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती' इस अर्थ में प्राप्ताण्य के स्वत प्रग्रहण का समर्थन किया जा सकता है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस रीति से यदि प्राप्ताण्य के स्वतं प्रग्रहण का समर्थन किया जायगा तब इस रीति से तो अप्राप्ताण्य के भी स्वतं प्रग्रहण का समर्थन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि प्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रमाणभूत ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता अप्रमाणभूत ज्ञान की व्यभिचारिणी होने से अप्राप्ताण्यज्ञान का सम्बद्धन यदि नहीं कर सकती, तो न करे, पर अप्रमाणभूत

ज्ञानं हि मानसप्रत्यक्षेव गृह्णते, प्रामाण्यं पुनरनुमानेत्, तथाहि—जलः । ज्ञानानन्तरं जलार्थिनः प्रवृत्तिंदेव फलवती अफला चेति । तत्र या फलवती प्रवृत्तिः सा समर्था, तया तद्ज्ञानस्य याथार्थ्यलभ्यं प्रामाण्यमनुमोयते । प्रयोगश्च विवादार्थ्यास्तिं जलज्ञानं प्रमाणं, समर्थप्रवृत्तिज्ञनकृत्वाद्, यत्र प्रमाणं न तन् समर्थां ।

ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता अप्रपाणमूत् ज्ञान की अवधिवारिणी होने से अप्रामाण्यज्ञान का सम्बादन तो कर ही सकती है, अतः 'अप्रमाणमूत् ज्ञान की ग्राहक सामग्री से उस ज्ञान का और उसके अप्रामाण्य का साथ ही ज्ञान होता है, अप्रामाण्य के ज्ञान के लिये' अर्थ सामग्री की अपेक्षा नहीं होती' इस अर्थ में अप्रामाण्य स्वतोग्राह्य है ।

प्रामाण्य के स्वतोग्राह्यत्व की इस प्रतिवन्दी पर यदि यह कठा जाप कि यह ठीक है कि अप्रमाणमूत् ज्ञान से उत्पन्न होने वाली विशेष ज्ञातता से अप्रमाणमूत् ज्ञान और उसके अप्रामाण्य का एक साथ ज्ञान होना सम्भव है पर मिथित यह है कि जिसे अप्रमाणमूत् ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता ज्ञान का ग्राहक है उसी प्रकार प्रमाणमूत् ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञातता भी तो ज्ञान का ग्राहक है, किन्तु उसमें अप्रामाण्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं है, अतः ज्ञानसामान्य के ग्राहक सामग्री से अप्रामाण्य का ज्ञान न हो सकने के कारण उसका स्वतःप्रहण न मान कर परत प्रहण मानना उचित है, तो यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीति से विचार करने पर तो अप्रामाण्य के समान प्रामाण्य भी स्वतोग्राह्य न होकर परतोग्राह्य हो जायगा क्योंकि अप्रमाणमूत् ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अप्रमाणमूत् ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता से उसका भी ज्ञान नहीं होता अतः वह भी ज्ञानसामान्य के ग्राहक सामग्री से प्राप्त न होकर अन्य सामग्री से ही ग्राह्य होत्य है ।

ऊर की गई सारी चर्चा की आलोचना करने से निष्कर्ष यह निकलता है कि अप्रामाण्य और प्रामाण्य दोनों में कोई स्वतोग्राह्य नहीं है, किन्तु दोनों ही परतोग्राह्य हैं और यही उचित भी है क्योंकि इनमें यदि कोई भी स्वतोग्राह्य होगा तो ज्ञान का ज्ञान होने के साथ उसका निश्चय अवश्य हो जायगा और उस स्थिति में ज्ञान में प्रामाण्य-अप्रामाण्य का सम्बद्ध कदापि न हो सकेगा जबकि वह सम्बद्ध अनेक चार अनुभवसिद्ध है ।

ज्ञान का ज्ञान तो मानसप्रत्यक्ष से ही होता है किन्तु उसके प्रामाण्य ज्ञान अनुमान से होता है । जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है ।

जल का ज्ञान होने के बाद जलेच्छा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्तिंकभी सफल होती है और कभी विफल होती है, सफल प्रवृत्ति को उमर्ख प्रवृत्ति कहा जाता

प्रवृत्ति जनयति, यथा प्रमाणभास इति केवल व्यतिरेकी। अत्र च फलवत्प्रवृत्ति जनकं यज्जलशानं तत् पक्षः, तस्य प्रामाण्यं साध्यं यथार्थत्वमित्यर्थः। न तु प्रमाकरणत्वं, स्मृत्या व्यभिचारापचेः। हेतुस्तु समर्थप्रवृत्तिजनकत्वं फलवत्प्रवृत्ति जनकत्वमिति यावत्। अनेन तु केवल व्यतिरेक्यनुभानेनाभ्यासदशा पत्रस्य ज्ञानिस्य प्रामाण्येऽववाप्तिं नदूषणान्तेन जलप्रवृत्तेः पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिङ्गेनान्वयव्यतिरेक्यनुभानेनाऽन्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासदशापत्रस्य प्रामाण्यमनुभीयते। तस्मात् परत एव प्रामाण्यं, न ज्ञानप्राहकेणैव गृह्णत इति।

न त्वायेव प्रमाणानि युक्तिशोक्तिपूर्वकम्।

केशबो पालबोधाय यथाशास्त्रमवर्णयत्॥

इति प्रमाणपदार्थः समाप्तः।

है, उस प्रवृत्ति से उसके कारणभूत ज्ञान में याधार्य-प्रामाण्य का अनुर्मान किया जाता है, अनुभान का प्रयोग इस प्रकार होता है—

विवादाध्यासित जलशान भूमण है, स्योकि वह समर्थ प्रवृत्ति का जनक है, जो प्रमाण नहीं होता वह समर्थ प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, जैसे प्रमाणभास-भूमरीचि में जलशान आदि।

यह एक केवल व्यतिरेकी अनुभान है क्योंकि यह समर्थप्रवृत्तिजनकत्वरूप हेतु में प्रामाण्यरूप साध्य की अन्वयव्याप्तिद्वारा प्रादुर्भूत नहीं होता किन्तु केवल उनकी व्यतिरेकव्याप्तिद्वारा प्रादुर्भूत होता है। इसमें विवादाध्यासित जलशान का अर्थ है वह जलशान जिसमें प्रामाण्य और अप्रामाण्य का विवाद—संशय हो। प्रमाण का अर्थ है प्रमाणिक। समर्थप्रवृत्तिजनकत्व का अर्थ है सफल प्रवृत्ति का उत्पन्नकर्त्त्व।

जो जलशान सफलप्रवृत्ति का जनक है वही इस अनुभान में पक्ष है। इस अनुभान से जिस प्रामाण्य का धारन करना है वह याधार्यरूप है, प्रमाकरणत्वरूप नहीं है क्योंकि प्रमाकरणत्वरूप प्रामाण्य को साध्य बनाया जायगा तो स्मरण में सफलप्रवृत्तिजनकत्वरूप हेतु उस साध्य का व्यभिचारी हो जायगा और उसके फल-स्वरूप उक्त अनुभान का उदय न हो सकेगा। समर्थप्रवृत्तिजनकत्व इस अनुभान में हेतु है, उसका अर्थ है—सफलप्रवृत्ति का उत्पादक होना।

इस केवल व्यतिरेकी अनुभान से अभ्यासदशापन ज्ञान में प्रामाण्य का अवबोध हो जाने पर उसी हशान्त से तज्जातीयत्वहेतुक अन्वयव्यतिरेकी अनुभान से अनभ्यासदशापन ज्ञान में भी प्रामाण्य का अवगम होता है और वह जलप्रवृत्ति के पूर्व मी हो जाता है। इस प्रकार प्रामाण्य का अवगम सदैव परत ही होता है स्वतः

कभी नहीं होता, क्योंकि वह कभी भी केवल ज्ञानप्राहक से ही सम्प्रभु नहीं होता किन्तु उसके लिये उक्त प्रकार के अनुमान की अपेक्षा सदैव होती है।

इस प्रसङ्ग में अभी दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई, एक अभ्यासदशापन्ने ज्ञान और दूसरा अनभ्यासदशापन्न ज्ञान। इनमें पहली श्रेणी में वह ज्ञान आता है जो अपने विषयभूत अर्थ में ज्ञान की प्रवृत्ति का सम्पादन कर चुका होता है और इसी लिये जिसमें सफलप्रवृत्तिजनकत्वलय हेतु मुश्वात हो सकता है। इस ज्ञान को अभ्यासदशापन्न कहने कुछ कारण यह है कि इसके पूर्व ऐसा कोई ज्ञान नहीं उत्थन रहत जिसमें सफलप्रवृत्तिजनकत्व ने यद्यपि हो चुकने के कारण उसके सजातीयत्व का ज्ञान इस ज्ञान में हो सके। अत यदि अभी अपने दग का अडेला होने से अभ्यासदशा भ रहना है। अनभ्यासदशापन्न उस ज्ञान को कहा जाता है जो अभ्यासदशा को पार कर चुकता है, जो अपने दग के अन्य ज्ञानों के अनन्तर प्रादुर्भूत होता है, जिसके पूर्ववर्ती ज्ञानों में सफलप्रवृत्तिजनकत्व का ज्ञान सम्पन्न हो चुका होता है, और इसालिये जिसमें पूर्ववर्ती सफलप्रवृत्ति के जनक ज्ञान के सजातीयत्व मात्र से ही प्रामाण्य की अवगति मुश्किल हो जाती है, उसके लिये प्रवृत्ति के साफल्य वैकल्पकी प्रनीति नहीं करनी पड़ती।

इसका स्वरूप अर्थ यह हुआ कि जिस ज्ञान के पूर्व उस प्रकार के अन्य किसी ज्ञान से सफलप्रवृत्ति का होना अवगत नहीं रहता उसमें प्रामाण्य का अवधारण तबतक नहीं होता सकता जब तक उस से प्रवृत्ति का दय होकर उसकी सफलता नहीं ज्ञात हो जाती, किन्तु जिस ज्ञान के पूर्व उस प्रकार के अन्यज्ञान से सफलप्रवृत्ति का होना विदित रहता है उस ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण करने में विकल्प नहीं होता क्योंकि उस प्रकार के पूर्ववर्ती ज्ञान में प्रामाण्य के अवधारण होने से उसके सजातीयत्वमात्र से ही उसके प्रामाण्य का अवधारण हो जाता है। अन अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य का अवधारण होने के पूर्व ही उस ज्ञान के विषयभूत अर्थ के सुम्बोध में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है किन्तु अनभ्यासदशापन्न ज्ञान से प्रामाण्य का अवधारण होने के बाद प्रवृत्ति होती है क्योंकि उसमें प्रामाण्य का अवधारण सुलभ रहना है। पर यह बात क्षण से भ्यान में रखनी है कि न्यायमत में प्रवृत्ति के पूर्व ज्ञान में प्रामाण्य के अवधारण की अनिवार्य अपेक्षा कभी नहीं मानी जाती। प्रवृत्ति तो ज्ञानमात्र से ही, यदि उसमें अप्रामाण्य ज्ञात न हो, सम्पन्न होती है। इसीलिये न्यायमत में प्रामाण्य को स्वतोंप्राप्त मानने की वाभ्यता नहीं होती।

प्रमाणों का वर्णन किया गया, अब आगे प्रमेयों का वर्णन करना है। प्रमेय का साधारण अर्थ है प्रमा—यथार्थज्ञान का विषय, किन्तु इस प्रकारण में प्रमेय का उतना

४
तत्र बुद्धयादयो न गुणा भूतानां मानसप्रत्यक्षत्वात् । ये हि भूतानां गुणाः, ते न मनसा गृह्णन्ते यथा रूपादयः । नाऽपि दिक्षालमनसां गुणा विशेषगुणत्वात् । ये हि दिक्षालादिगुणाः, संख्यादयो, न ते विशेषगुणाः, ते हि सर्वद्रव्यसाधारणगुणा एव । बुद्धयादयस्तु विशेषगुणा गुणत्वे सत्येकेन्द्रिय-प्रायत्वाद्रूपवत्, अतो न दिगादिगुणाः । तस्मादेभ्योऽष्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्धयादीना गुणानामाश्रयो चक्षव्य स एव आत्मा । प्रयोगश्च, बुद्धयादयः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रिताः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात् । यस्तु पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितो न भवति, नासौ पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणोऽपि भवति यथा रूपादिरिति केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी वा । तथा हि बुद्धयादयः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रिताः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात् । यो यदन्नाश्रितो गुणं स तदतिरिक्ताश्रितो भवति यथा पृथिव्याद्यनाश्रितः शब्दः पृथिव्याद्यतिरिक्तकाकाशाश्रय इति । तथा च बुद्धयादयः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्ताश्रयाः । तदेव पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तो नवम द्रव्यम्—आत्मा सिद्धः । स च सर्वत्र॒ कायोऽपलम्भाद् विभुः । परममहत्यरिमाणवानित्यर्थः । विभुत्वाच्च नित्योऽसौ व्योमवत् । सुखादीना चैचित्यात् प्रतिशरीर भिन्नः ।

का ही प्रहृण होता है, क्योंकि शान, इच्छा, मुख, दुःख आदि के साधनभूत विषयों का सीधा सम्बन्ध शरीर आदि के ही साथ होता है अतः शरीर आदि में ही उनका उदय और उनके अनुभव का होना उचित है। ऐसे लोगों के साथ आत्मा के सम्बन्ध में विचारविनियम का अवसर उपस्थित होने पर आत्मा को प्रत्यक्षेगम्य न बता कर अनुमानगम्य बताना चाहिये और यह कहना चाहिये कि बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये गुण प्रत्यक्षसिद्ध हैं, इनके अस्तित्व में किसी को कोई विवाद नहीं है, अतः इन गुणरूप लिङ्गों से इनके आवश्यक रूप में देह आदि से जिस्म आत्मा का अनुमान हो सकता है।

इस पर यह कहा जा सकता है कि गुण निराधय नहीं होता अतः बुद्धि आदि गुणों के आधाररूप में आत्मा का अनुमान हो सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब पहले यह सिद्ध हो जाय कि बुद्धि आदि पदार्थ गुण हैं, क्योंकि वे पदि गुण न होकर कुछ और ही होंगे तो वे नियमधर्म भी हा सकते हैं। उस सिद्धि में उनके आधाररूप में आत्मा का अनुमान वैसे ही सकता है। इस लिये बुद्धि आदि से आत्मा का अनुमान करने के पूर्व उनमें गुणत्व का अनुमान करना चाहिये। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा।

बुद्धि आदि गुण हैं, (प्रतिशो) क्योंकि अनियत होते हुएं एक इन्द्रियमात्र से ग्रहण करने या न्य हैं, (देहु) जो अनियत होते हुये एक इन्द्रिय मात्र संग्रहण करने योग्य होता है वह गुण होता है जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, (उत्तराधरण) जिस प्रकार रूप आदि अनियत होते हुये क्रम से चबू, रसना, भाण, खक्क, और भोज रूप एक इन्द्रियमात्र से आज्ञा हैं, उसी प्रकार बुद्धि आदि भी अनियत होते हुये मौन रूप एक इन्द्रियमात्र से आज्ञा हैं, (उपनय) इस लिये जैसे रूप आदि गुण हैं उसी प्रकार बुद्धि आदि भी गुण हैं, (निगमन)।

प्रश्न हो सकता है कि बुद्धि आदि में गुणत्व का अनुमान करने के लिये इतने बड़े देहु का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसमें से कुछ अश्य को निकाल कर छोड़े देहु का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उक्त देहु में से किसी अरु का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी अश्य का त्याग करने पर उक्तके संदेहत्व का भङ्ग हो जायगा। जैसे 'एकेन्द्रियमात्रप्राणादत्व' को निकाल कर यदि 'अनियत्व' मात्र को देहु किया जायगा तो वह पट आदि में अनियत्व है पर गुणत्व नहीं है। इसी प्रकार 'अनियत्व' को निकाल कर यदि 'एकेन्द्रियमात्रप्राणादत्व' को देहु किया जायगा तो वह आत्मा में गुणत्व का वर्गभित्री हो जायगा क्योंकि आत्मा के प्रत्यक्षेगम्यतामत में उसमें मनरूप-एकेन्द्रियमात्रप्राणादत्व है।

पर गुणत्व नहीं है। इसी प्रकार उक्त हेतु में से यदि 'एकेन्द्रियमात्र' को निश्चाल कर 'अनिश्चये सति प्राप्तात्म' को हेतु किया जायगा तो वह भी घट आदि में गुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा। और यदि उक्त हेतु में से 'मात्र' को निश्चाल कर 'अनिश्चये सति एकेन्द्रियप्राप्तात्म' को हेतु किया जायगा तो घट आदि में वह पुनः गुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा क्योंकि घट आदि अनिश्चय होते हुये एकेन्द्रियप्राप्त हैं पर गुण नहीं है, 'मात्र' पद देने से वह दोष न होगा क्योंकि वह नक्तु और धर्मदो इन्द्रियों से प्राप्त होने के कारण एकेन्द्रियमात्रप्राप्त नहीं है। इसी प्रकार यदि उक्त हेतु में से 'एक' को निश्चाल कर 'अनिश्चये सति इन्द्रियमात्रप्राप्तात्म' को हेतु किया जायगा तो वह बुद्धि आदि पक्ष में स्वरूपसिद्ध हो जायगा क्योंकि वह जैसे इन्द्रिय से प्राप्त है उसी प्रकार शब्द आदि में भी प्राप्त है, अतः उसमें इन्द्रियमात्रप्राप्तात्म नहीं है। और यदि उक्त हेतु में से 'इन्द्रप' ॥ निश्चाल कर 'अनिश्चये सति एकमात्रप्राप्तात्म' को हेतु किया जायगा तो वह अप्रसिद्ध हो जायगा क्योंकि सधार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो एकमात्रप्राप्त हो। इसी प्रकार उक्त हेतु में 'प्राप्तात्म' का 'ग्रहणयोग्यत्व अर्थ न कर' यदि ग्रहणयित्वत्व अर्थ किया जायगा तब नित्यज्ञान, निश्चय इच्छा और निश्चय प्रयत्नसूत्र पक्ष के एकदेश में हेतु के न रहने से भागाधिदि हो जायगी और यदि भागाधिदि के परिहारात्म अनिश्चय बुद्धि आदि को ही पक्ष बनाया जायगा तब उक्त अनुमान से ईश्वर क ज्ञान आदि में गुणत्व की सिद्धि न हो सकेगी और साथ ही निर्विकल्पक ज्ञान में एकेन्द्रियमात्रव्यग्रहणविषयत्व के न रहने से पुनः भागा सिद्धि होगी।

यदि यह कहा जाय कि यह पूरा हेतु भी तो ठीक नहीं है क्योंकि रूप आदि के चक्षु आदि और मन इन दो इन्द्रियों से प्राप्त होने के कारण एकेन्द्रियमात्रप्राप्तात्म से घटित उक्त हेतु के उसमें न होने से दृष्टान्ताधिदि हो जाती है, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि एकेन्द्रियमात्रप्राप्तात्म का चाल्य दो इन्द्रियों से एकीकृत न होना, यह अर्थ लेने पर यद्यपि दृथ्यगुरु और शब्दध्यय में व्यभिचार होता है तथापि बाह्य दो इन्द्रियों से अग्राल्य जाति का आश्रयत्व अर्थ लेने से कोई दोष नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाय कि चाल्य दो इन्द्रियों से अप्राप्त वायुस्त्रव जाति के आश्रय अनिश्चय वायु में उक्त हेतु गुणत्व का व्यभिचारी होगा, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि चाल्य दो इन्द्रियों से अप्राप्त और इन्द्रियप्राप्त जाति का आश्रयत्व अर्थ लेने से यह दोष न होगा क्योंकि वायु के अतीन्द्रिय होने से वायुस्त्रव हन्द्रियप्राप्त नहीं है, और यदि वायु को खण्डिन्द्रियवेत्र माना जाय तब उक्त हेतु में एकेन्द्रियमात्रप्राप्तात्म का 'चाल्य दो इन्द्रियों से अग्राल्य और भूर्षनेनर इन्द्रिय से प्राप्त जाति का आश्रयत्व' अर्थ कर देना चाहिये और दृष्टान्तों में स्वर्ण का परिगणन नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार अनियम होते हुये बाधा दो इन्द्रियों से भग्नाद्य और स्पर्शनेतर इन्द्रिय से ग्राद्य जाति के आश्रयस्वरूप हेतु से बुद्धि आदि में गुणस्व का अनुमान कर उन गुणों के आधारस्वरूप में आत्मा का अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि यह नियम है कि गुण द्रव्य में अवश्य आभित होता है, अतः बुद्धि आदि गुण को भी किसी द्रव्य में आभित होना अनिवार्य है, वह पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और मन इन आठ द्रव्यों में किसी भी द्रव्य में आश्रित नहीं होता अतः उसे आभित होने के लिये एक अतिरिक्त नवें द्रव्य को स्वीकार करना अपरिहार्य है। इस प्रकार जो द्रव्य बुद्धि आदि गुणों के आधारस्व में स्वीकार्य है उसी का नाम आत्मा है।

प्रश्न होता है कि उक्त रीति से आत्मा नाम के नवें द्रव्य की सिद्धि तभी हो सकती है जब पृथिवी आदि द्रव्यों में बुद्धि आदि गुण आभित न होएके किन्तु यदि पृथिवी, आदि द्रव्यों को ही उन गुणों का आश्रय मान लिया जाय तो अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, तो किर यही क्यों नहीं मान लिया जाता, क्यों उनके लिये अतिरिक्त आश्रय की कल्पना की जाती है। इसका उत्तर यह है कि बुद्धि आदि पृथिवी आदि का रुप नहीं है अतः पृथिवी आदि को उसका आश्रय नहीं माना जा सकता। यदि पूछा जाय कि बुद्धि आदि पृथिवी आदि का गुण नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है ? तो इस प्रश्न के उत्तर में निम्न अनुमानों को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे—

बुद्धि आदि पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन भूतों के गुण नहीं हो सकते क्योंकि उन गुणों का मानस प्रत्यक्ष होता है, और यह नियम है कि जो भूतों के गुण होते हैं उनका मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे रूप आदि गुण।

बुद्धि आदि दिक् काल और मन इन द्रव्यों के भी गुण नहीं हो सकते क्योंकि वे विशेष गुण हैं, और नियम यह है कि जो दिक्, काल और मन इन तीनों में किसी भी गुण होता है वह विशेष गुण नहीं होता, जैसे सक्त्या, परिमाण आदि दिक् काल और मन के गुण हैं अतः वे विशेष गुण न होकर समस्त द्रव्यों के साधारण गुण हैं।

इस प्रकार हन दो अनुमानों से यह निर्वाचित सिद्ध हो जाना है कि बुद्धि आदि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में किसी के भी गुण नहीं हैं।

यदि यह पूछा जाय कि बुद्धि आदि के विशेषगुणस्व में क्या प्रमाण है ? तो इसके उत्तर में यह अप्रिम अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है।

बुद्धि आदि विशेष गुण है, क्योंकि वे गुण होते हुए एक इन्द्रियमात्र से ग्राद्य हैं जो गुण होते हुए एक इन्द्रियमात्र से ग्राद्य होना है वह विशेषगुण होता है, जैसे रूप आदि।

‘तुदि आदि में विशेषगुणत्व के साधनार्थ प्रयुक्त होने वाले ‘गुणत्व सति एकेन्द्रियमात्रमात्रादात्व’ हेतु के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ सकता है कि विशेषगुणत्व के साधनार्थ इतने बड़े हेतु का प्रयोग क्यों किया जाता है, कुछ अस्य को निकाल कर क्या हेतु का सकोन नहीं किया जा सकता ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उक्त हेतु में से किसी अस्य को निकालना उचित नहीं हो सकता क्योंकि वैषा करने पर हेतु के सद्गुणत्व का भङ्ग हो जायगा । जैसे उक्त हेतु में से गुणत्व को निकाल कर यदि केवल एकेन्द्रियमात्रमात्रादात्व को हा हेतु किया जायगा तो आत्मा के प्रत्यक्षगम्यत्वमत्ते में वह आत्मा में विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा । और यदि एकेन्द्रियमात्रमात्रादात्व को निकाल कर केवल गुणत्व को हेतु किया जायगा तो वह सख्या आदि समान्यगुणों में विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा । इधी प्रकार यदि एक आरम्भ पद को हवा कर ‘गुणत्व सति इन्द्रियमात्रादात्व’ का हेतु बनाया जायगा तो वह सख्या आदि समान्य गुणों में पुनः विशेषगुणत्व का व्यभिचारा हो जायगा । अतः ‘गुणत्व सति एकेन्द्रियमात्रमात्रादात्व’ इस बड़े हेतु का प्रयोग करना हो उचित है ।

इस प्रकार उक्त अनुमानों द्वारा जब यह चिद्द हो जाता है कि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य आदि गुणों का आधय नहीं हो सकता, तब इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न जो द्रव्य इन गुणों का आधय माना जायगा वही आत्मा है । यह निष्कर्ष जिस अनुमान पर आधारित है उसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है—

तुदि आदि पदार्थ पृथिवी आद आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में आभित है— क्योंकि वे पृथिवी का आदि आठ द्रव्यों में आभित न होते हुए भी गुण रूप है, जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आभित नहीं होता वह पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में आभित न होते हुए गुणरूप नहा हो सकता जैसे रूप आद गुण अथवा आकाश आदि द्रव्य । तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में आभित न होगा उसकी दो ही स्थिति हो सकती हैं । एक यह कि यदि वह गुण है तो उसे पृथिवी आद आठ द्रव्यों में किसी न किसी द्रव्य में आभित होना होगा, जैसे रूप आदि पदार्थ । ये पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आभित न होते हुये भी गुण है अतः पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में ही किसी न किसी द्रव्य में आभित होते हैं । दूसरी स्थिति यह कि यदि ऐसा कोई पदार्थ है जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में भी आभित नहीं है और साथ ही पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में से भी किसी द्रव्य में आभित नहीं है तो वह गुणरूप नहीं हो सकता जैसे आकाश आदि द्रव्य । किन्तु तुदि आदि की स्थिति इन दोनों स्थितियों से भिन्न है, वह पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में किसी द्रव्य में आभित भी नहीं है

और गुण से भिन्न भी नहीं है। अतः यह अनिवार्य रूप से स्वीकृत करना होगा कि बुद्धि आदि पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में आश्रित न होते हुये गुणरूप होने के कारण पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में अवश्य आश्रित हैं।

यह अनुमान केवलव्यतिरेकी है क्योंकि यह साध्यव्यतिरेक में देतुव्यतिरेक की व्याप्ति के बल पर अर्थात् जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित नहीं होता वह पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में आश्रित न होते हुये गुणरूप नहीं होता, इस व्याप्ति के बल पर प्रवृत्त होता है।

बुद्धि आदि पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित होते हैं, इस निष्कर्ष को जैसे उक्त केवलव्यतिरेकी अनुमान से निष्पन्न किया गया, उसी प्रकार अन्वयव्यतिरेकी अनुमान से भी निष्पन्न किया जा सकता है। अन्वयव्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा—

बुद्धि आदि पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित है क्योंकि वे पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में आश्रित न होते हुये भी गुणरूप हैं, यह चिंह है कि जो जिसमें आश्रित न होते हुये गुणरूप होता है वह उससे अतिरिक्त में आधित होता है, जैसे पृथिवी आदि द्रव्यों में आश्रित न होते हुये गुणरूप होने के कारण शब्द पृथिवी आदि से अतिरिक्त आकाशनामक नवें द्रव्य में आश्रित होता है। तुद्ध आदि पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में आश्रित न होने हुये भी गुणरूप हैं अतः उनकी पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित होना अनिवार्य है।

इस प्रकार उक्त केवलव्यतिरेकी तथा अन्वयव्यतिरेकी अनुमानों से तुद्ध आदि गुणों के आश्रयरूप में पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न जिस द्रव्य जी सिद्ध होती है वही आरम्भा नाम का नवा द्रव्य है।

आस्मा का परिमाण—

जब यह सिद्ध हो गया कि आस्मा एक अतिरिक्त द्रव्य है तब इस बात का विचार कर लेना आवश्यक है कि उसका परिमाण क्या है? क्योंकि कोई भी द्रव्य निभारमाण नहीं होता। यह विचार इस लिये भी आवश्यक है कि आस्मा के परिमाण के बारे में विभिन्न मत हैं। जैसे रामानुज आदि कतिपय वेदान्तदर्शनों में आस्मा-शीवास्मा का असु परिमाण माना गया है, जैनदर्शन में मध्यमपरिमाण—शरीरस्मपरिमाण माना गया है और न्यायवेशेयिक दर्शन में उसका परममहत् परिमाण माना गया है, अतः इस रूपदर्भ में इन मतवादों का अभिप्राय समझ लेना, और उनकी किञ्चित् समीक्षा कर लेना आवश्यक है।

न्यायवैशेषिकमत —

आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में न्यायवैशेषिक का मत यह है कि आत्मा विभु है, व्यापक है। व्यापक होने का अर्थ है सदार के समस्त मूर्त द्रव्यों से संयुक्त होना। इसलिये 'आत्मा व्यापक है' इसका अर्थ है कि आत्मा सदार के समस्त मूर्त द्रव्यों से संयुक्त है। यह चात तीन ही प्रकार से सम्भव हो सकती है, एक यह कि आत्मा कहीं एक स्थान में रियर हो और सदार के समस्त मूर्तद्रव्य उसके पास आ जाय। दूसरा यह कि आत्मा इन्य मूर्तद्रव्यों के निष्ठ यात्रा करे और तीसरा यह कि आत्मा का परिमाण इतना महान् हो कि सदार के सारे मूर्त द्रव्य उसकी परिधि में आ जाय। इनमें पहला प्रकार तो नितान्त अव्यावहारिक और अनुभवग्राम्य है, दूसरा प्रकार भी बुद्धिसंगत नहीं है क्योंकि आत्मा का समस्त मूर्त द्रव्यों के दीक्षे निष्ठयोजन मण्डिते रहना उचित नहीं प्रतीत होता, वह क्यों निरर्थक मूर्त द्रव्यों का चक्रवर्त लगाता रहेगा! और सौंदर्य यदि नह यही करना रहेगा तो सदार के अन्य व्यवहार कर और कैसे करेगा? और ऐसा करने पर भी तो वह विद्यमान सभी मूर्तद्रव्यों से किसी एक समय संयुक्त न हो सकेगा। फलन: वह इतना धोर परिश्रम करके भी कभी क्षण भर के लिये भी व्यापक होने का गौरव न प्राप्त कर सकेगा। अतः उसकी व्यापकता -- समस्त मूर्तद्रव्यों से उसकी संयुक्तता केवल एक इही चात पर निर्भर है कि वह परम महान् हो, उसका परिमाण इतना अधीप हो कि सदार में जहाँ कहीं भी कोई मूर्त द्रव्य हो वह उसकी परिधि के भीतर ही हो, उससे दूर भवश्य जाय।

उन शैति से जीवात्मा के परम महान् होने से सदार के समस्त मूर्तद्रव्यों के साथ एक ही समय उसका सयोग हो सकता है और उस सयोग से वह विभु—व्यापक हो सकता है, किन्तु प्रभ होता है कि आत्मा को इस प्रकार विभु मानने की आवश्यकता क्या है? जाड़े की झट्टु में शौतड़ही के समय शरीर के पूरे भाग में एक साथ ही लण्ठी और गर्भ की झट्टु में दू चलते समय एक साथ ही समूर्ण शरीर में लीब उण्ठता का अनुभव होता है, अतः पूरे शरीर में उसे व्यापक मानने का औचित्य तो प्रतीत होता है पर समूचे सदार में उसे व्यापक मानने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। इस प्रभ के उत्तर में अन्यकार द्वारा बताये गये 'सर्वत्र कार्योपलभ्म' इतु को प्रस्तुत किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि यतः आत्मा का कार्य सदार में सर्वत्र उपलब्ध होता है अतः सबन उसका अस्तित्व मानना आवश्यक है।

तात्पर्य यह है कि आत्मा के कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक वे, जिन्हें वह अपने प्रयत्न से उत्पन्न करता है, ऐसे कार्यों को वह उन्हीं स्थानों में उत्पन्न कर सकता है जहाँ वह अपने शरीर के साथ उपरित्थ हो सकता है। दूसरे वे, जिन्हें वह अपने प्रयत्न से नहीं किन्तु अपने अद्वैत से उत्पन्न करता है, ऐसे कार्यों को उत्पन्न

करने के लिये उन कार्यों के जन्मस्थान में उसे अपने शरीर से उपरिथित होने की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उन स्थानों में उसके अदृष्ट के उपरिथित होने से ही काम बन जाता है, पर यदि आत्मा को देह में ही सीमित माना जायगा तब उसका अदृष्ट सचार के समीप एवं सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों को कैसे पहुँच सकेगा ? सर्वत्र जाकर पहुँचना तो सम्भव नहीं है क्योंकि अदृष्ट आत्मा का गुण है जिसे धर्म-अधम अथवा पुण्य-पाप शब्दों से व्यवहृत किया जाता है, अतः वह अपने आश्रय का परिस्थाग नहीं कर सकता और अद्रव्य एवं अमूल होने से गतिमान् भी नहीं हो सकता । इस लिये एक ही काल में सुदूरवर्ती अनेक धारों में अदृष्ट को सम्भित्ति करने के लिये आत्मा को व्यापक मानने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है । आत्मा जब व्यापक होगा, एक ही समय सचार में सर्वत्र रहेगा, तब उसका अदृष्ट भी उसके द्वाग चर्चन उपरिथित हो सकेगा अतः एक ही समय सचार के विभिन्न भागों में उसके कार्यों के उत्तर होने में कोई बाधा न होगी ।

प्रब्ल हो सकता है कि सचार के विभिन्न भागों में उत्तर होने वाले विभिन्न कार्यों के प्रति अदृष्ट-द्वारा आत्मा को कारण मानने की आवश्यकता क्या है ? जो कार्य जहाँ उत्तरन्त होता है उसका उत्पादक वहाँ का मनुष्य होगा, दूरवर्ती मनुष्य को अदृष्ट द्वारा उसका उत्पादक मानने की क्या आवश्यकता है ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सचार की सब वस्तुयें सब मनुष्यों के काम में नहीं आतीं, एक वस्तु किसी के काम में आती है तो दूसरी वस्तु दूसरे के काम में आती है, कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो अनेक मनुष्यों के काम में आती है, कोई वस्तु ऐसी भी होती है जिससे एक मनुष्य को सुख और दूसरे को दुःख प्राप्त होता है, यह भी होता है कि मनुष्य के काम में आने वाली वस्तुयें सदा उसके समीप की ही बनी नहीं होतीं किन्तु ऐसे स्थान की भी बनी होती है जो स्थान उस वस्तु को काम में लानेवाले मनुष्य से बहुत दूर होता है, जहाँ सम्भवतः वह अपने वर्तमान जीवन में कभी जा भी नहीं सकता । वस्तुवाँ के साथ मनुष्य के इस विभिन्न और विचित्र नामों की कोई न कोई उपरिच्छ अवश्य होनी चाहिये । सोचने पर इसकी उपरिच्छ इस मान्यता पर निभर प्रतीत होती है कि जो वस्तु जिस मनुष्य के अदृष्ट से उत्तर होती है या यो कहा जाय कि जिस वस्तु को जो मनुष्य अपने अदृष्ट-द्वारा उत्पन्न करता है वह वस्तु उस मनुष्य के काम में आती है, इस मान्यता के अनुसार जो वस्तु जिसके धर्म-पुण्यलूप अदृष्ट से उत्पन्न होगी उससे उसे सुख और जो वस्तु जिसके अवर्म-पापलूप अदृष्ट से उत्पन्न होगी उससे उसे दुःख की प्राप्ति होगी, एवं जो वस्तु अनेक मनुष्यों के अदृष्ट से उत्पन्न होगी वह अनेक मनुष्यों के काम में आयेगी । इस प्रकार

मनुष्य के काम में आनेवाली वस्तु उसके अदृष्ट से कभी सभीप में भी उत्पन्न हो सकती है और कभी चहुत दूर भी उत्पन्न हो सकती है।

मनुष्य के काम में आनेवाली वस्तुओं के मनुष्य के अदृष्ट से उत्पन्न होने की यह मान्यता मनुष्य की आत्मा को व्यापक मानने पर ही सम्भव हो सकती है। इधीलिए ग्रन्थकार ने 'सर्वत्र कार्योपलङ्घम' के आधार पर आत्मा को विभु बनाया है।

आत्मा को विभु मानने पर एक प्रश्न यह उठ सकता है कि जब सभी आत्मा व्यापक होंगे तो एक स्थान में अनेक आत्मा का एक साथ अस्तित्व मानना दोगा, सो यह कैसे सम्भव हो सकता है? जब छोटे छोटे द्रव्य भी एक स्थान में एक साथ नहीं रह पाते तब परम महान् अनेक आत्मा एक स्थान में कैसे रह सकेंगे? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जो पदार्थ किसी स्थान को धेरता है, जिस स्थान में पहन्चता है उसे निरवकाश कर देता है, वह अपने साथ अन्य पदार्थ को नहीं रहने देता। स्थान का यह धेराव उसी पदार्थ से होता है जिसकी अपनी कोई मूर्ति नहीं होती है, जैसे घड़ा, कपड़ा, अन्न, पानी, पुष्प आदि। पर जिन पदार्थों में मूर्ति नहीं होती वे एक दूसरे को अपने साथ दैड़ने में लाता नहीं ढालते क्योंकि उनसे स्थान का धेराव नहीं होता, उनसे स्थान निरवकाश नहीं होता जैसे किसी एक ही पुष्प में रुद, रस, गन्ध, सर्पण आदि अनेक गुण। आत्मा में भी कोई मूर्ति नहीं होती, वह कोई ठोस पदार्थ नहीं होता, उसकी पहुँच से कोई स्थान निरवकाश नहीं होता, अत एक स्थान में अनेक आत्मा का एक साथ सेवन होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती।

आत्मा को विभु मानने पर दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि जब सभी आत्मा विभु हैं, सभी आत्मा सर्वथ हैं, तब सभी का अदृष्ट समान रूप से सर्वत्र सञ्चिहित रहेगा, फक्त सब कार्य सबके अदृष्ट से उत्पन्न होंगे तो फिर यह जात कैसे कही जा सकेगी कि जो वस्तु जिसके अदृष्ट से उत्पन्न होती है वह उसके काम में जाती है और जो वस्तु जिसके अदृष्ट से नहीं उत्पन्न होती है वह उसके काम में नहीं आती? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कोई पदार्थ किसी कार्य के जन्मस्थान में उसकी उत्पत्ति के पूर्व उत्परिवर्त रहने याव से उसका उत्पादक नहीं हो जाता, किन्तु उसके उत्पादन में उपयोगी होनेपर, उसके लिये अपेक्षणीय दोनों पर ही उत्पादक होता है। जैसे कज्जा में अध्यापक जय किसी एक छात्र से कोई प्रश्न करता है तब उस प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखने वाले अन्य छात्रों के उत्परिवर्त रहनेपर भी उस प्रश्न का उत्तर वही छात्र देता है जिससे उस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होता है। इसी प्रकार कोई कुम्हार जब किसी घड़े का निर्माण करता है तब

उसके सगे सम्बन्धी अन्य कुम्हारों के उपरिथन रहने पर भी वे उस पड़े का निर्माण नहीं करते किन्तु उसमें लगा कुम्हार ही उसका निर्माण करता है, उसी प्रकार समस्त कार्यों के जन्मस्थान में सभी आत्मा के अदृष्ट के उपरिथन रहने पर भी सभी के अदृष्ट से सब कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु जिस कार्य की उत्पत्ति में जिसका अदृष्ट अपेक्षित होता है, जिस कार्य को जिस आत्मा के उत्पन्न होना होता है उसकी उत्पत्ति उसी आत्मा के अदृष्ट से होती है, अन्य आत्मा के अदृष्ट उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं।

आत्मा को विभु मानने पर एक दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि सभी आत्मा जब समान रूप से व्यापक हैं तो उनके अदृष्ट तथा अन्य गुणों में सार्वत्र द्वयों नहीं होता। जो गुण जब एक आत्मा में उत्पन्न होता है तब वह दूसरे आत्मा में भी क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि उस गुण का उदय जिन कारणों से होता है, आत्मा के विभु होने से उन कारणों का सम्बन्ध समान रूप से सभी आत्माओं से रहता है। उत्तर में कहा जा सकता है कि किसी कार्य के कारणों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध होने वाले मात्र से कार्य का जन्म नहीं हो जाता, प्रत्युत किसी कार्य की उत्पत्ति के लिये उसके कारणों का जो सम्बन्ध वाच्छब्दीय होता है, वह सम्बन्ध जहाँ होता है वहाँ उस कार्य की उत्पत्ति होती है, जैसे वस्त्र के उत्पादक तनुओं का वस्त्र बुनने के उपकरणों के साथ सामान्य सम्बन्ध होनेपर भी उन उपकरणों में वस्त्र की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु तनुओं में ही वस्त्र की उत्पत्ति होती है क्योंकि वस्त्र की उत्पत्ति के लिये उसके कारणभूत तनुओं का नादारम्भ अपेक्षित होता है, वह नादारम्भ वस्त्र बुनने के उपकरणों में नहीं होता किन्तु तनुओं में होता है, अतः वस्त्र की उत्पत्ति उपकरणों में न होकर तनुओं में ही होती है। इसी प्रकार जिस अदृष्ट की उत्पत्ति जिस कर्म से होती है वह कर्म जिस आत्मा से सम्बद्धित होता है उस कर्म से अदृष्ट का उदय उसी आत्मा में होता है। यदि यह प्रश्न किया जाय कि सब कर्म आत्मा से सम्बद्धित कर्मों नहीं होते? जब कि सब कर्मों के समय सभी आत्मा समानरूप से सन्निहित रहते हैं तो इसके उत्तर में इस पूर्वोक्त चात का स्परण कराया जा सकता है, कि किसी कार्यके सम्बन्ध होने के समय पइले से सन्निहित होने मात्र से कोई पदार्थ उस कार्य का सम्पादक या उत्पादक नहीं माना जा सकता, सन्निहित पदार्थों में उत्पादक वही होता है जो उस समय उत्पादनीय कार्य के उत्पादनार्थ व्याप्रियमाण एवं वाच्छब्दीय होता है, -अन्य सन्निहित पदार्थ उस कार्य के प्रति सज्जम होने पर भी अन्यथासिद्ध होते हैं।

इस प्रकार आत्मा को विभु मानने में कोई वाचक न होने से तथा सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यों का एक साथ उत्पादन करने के लिये उसकी

विभुता आवश्यक होने से न्याय-वेशेपिक् दर्शन में आत्मा का विभुत खींचत दिया गया है और उसकी उपस्थिति के लिये उसका परममहत् परिमाण माना गया है।

साथ आदि दर्शनों में भी उसे विभु माना गया है, पर वह विभुत समस्त मूर्त्तद्वयों के साथ संयोगरूप नहीं है किन्तु अररिच्छन्तारूप है, अररिच्छन्ता का अर्थ है अपरिमिता-परिमाण में हीन होना, अतः उन दर्शनों की दृष्टि में आत्मा परिमाणहीन है, उसमें अणु, मध्यम और महत् इक्षी प्रधार का परिमाण नहीं है।

जैनमत

जैन दर्शन में आत्मा का मध्यम परिमाण माना गया है, मध्यमका अर्थ है ऐसा परिमाण जो आवश्यकतानुसार घट-घट सके, इस मान्यता के अनुसार आत्मा जब विसंग प्राणी के छोटे या बड़े शरीर में प्रवेश करता है तब उस शरीर के अनुसार वह जाता है, छोटे शरीर में छाया हो जाता है और बड़े शरीर में बढ़ा हो जाता है, चीरी के शरीर में चीरीके, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के, हाथी के शरीर में हाथी के और बृक्ष के शरीर में बृक्ष के आकार में परिणत हो जाता है। उनका आशय यह है कि आत्मा में दो अश होते हैं, एक अश अपने निजी नैसर्गिक रूप में उदा एकहृष्ट रहता है, उस अशको 'द्रव्य' कहा जाता है। दूसरा अंश ऐसा होता है जो प्रतिहृष्ट परिवर्तित होता रहता है, ऐसे अंश को 'पर्याय' कहा जाता है, इस प्रकार आत्मा 'द्रव्य पर्याय' उपयाप्तक होता है। द्रव्यात्मक अश का कोई अपना सहज परिमाण नहीं होता और पर्याय अश का मध्यम परिमाण होता है, उसी अश के कारण आत्माको मध्यमपरिमाणका आवश्यक माना जाता है। अपनी इस मान्यता के कारण यह मत आत्मा के अणुस्वरूप और विभुत दोनों पक्षों में सम्मानित वृत्तियों से मुक्त रहता है।

अन्य दार्शनिक इस मत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह मत ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा के द्रव्य और पर्याय अशों में यदि परस्पर में भेद होया तो पर्याय के सकोच विकास का द्रव्य-अश पर कोई प्रभाव न होने से पूरे आत्मा को मध्यम-परिमाणका आवश्यक नहीं कहा जा सकता, और यदि दोनों में परस्पर भेद न माना जायगा तो पर्याय के अनित्य होने से द्रव्य भी अनित्य होगा, फलतः पूरे आत्मा के अनित्य हो जाने से आत्मा के किये अनेक कर्म उसकी मृत्यु के बाद निष्क्रिय हो जायगे और आत्मा का नूतन जन्म होने पर विना कर्म के ही मुख्यद्रव्यका भोग प्राप्त होगा। आत्मा के अनित्यत्वपक्ष में इसी दोष को दर्शनशास्त्रों में कृतहान और अहृताभ्यागम शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है। उत्तर में यदि यह कहा जाय कि आत्मा के दोनों अश द्रव्य और पर्याय न तो सर्वथा परस्पर भिन्न हैं और न सर्वथा अभिन्न हैं, अतः

एकान्त भेद और एकान्त अभेद पक्ष के दोपो का उद्घावन नहीं किया जा सकता, तो आलोचकों की हाइ मे यह चात उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उक्त वनव्यका अभिप्राय यही माना जा सकता है कि आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों अश एक दूसरे से कथचिद् भिन्न भी हैं और कथचिद् अभिन्न भी हैं, अतः आत्मा पर्यायटदृष्ट्या अनित्य भी है और द्रव्यटदृष्ट्या नित्य भी है, और यह अभिप्राय स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्यों कि आत्मा के दोनों अशों को एक दूसरे से कथचिद् भिन्नाभिन्न तभी माना जा सकता है जब दोनों अशों के दो दो स्वरूप माने जाय, क्योंकि उक्ती स्थिति मे उन अशों को एक स्वरूप से दूसरे अश से भिन्न और दूसरे स्वरूप से दूसरे अश से अभिन्न माना जा सकेगा, किन्तु प्रत्येक अंश मे ऐसे स्वरूपदृश्य की मान्यता सुन्ति लगन नहीं हो सकती।

वेदान्तमत

वेदान्तदर्शन मे आत्मा के परिमाण के विषय मे दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। अद्वैत वेदान्त मे आत्मा ब्रह्मरूप है, अतः ब्रह्म के निष्परिमाण होने से आत्मा भी निष्परिमाण है, उसकी विमुता परिमाणहीनतारूप है। हाँ, जीवात्मा के अन्तःकरणाविन्दिन आरम्भैतन्यरूप होने से अन्तःकरण के परिमाण की हाइ से उसे मध्यम परिमाण का आधय कहा जा सकता है। वैष्णव दर्शनोमे आत्मा का परिमाण अगु माना गया है। इस मत के अनुसार आत्मा शरीर के एक भाग हृदयमात्र मे ही अवरिधित रहता है किन्तु उसकी शानात्मक प्रभा प्रसरणशील है, वह सारे शरीर मे व्याप्त रहती है, अतः एक साथ समूचे शरीर मे ठण्डक अथवा गर्मी का अनुभव होने मे कोई वाया नहीं हो सकती। शरीर की चैतन्यवाहिनी नाड़ियाँ हृदय मे अवरिधित अगु आत्मा को शरीर के प्रत्येक भाग मे सबेदनशील बनाये रहती हैं। मनुष्य का अदृष्ट - सके शरीर मे ही सीमित होते हुये भी अपनी अद्भुत शक्ति से सुदूरवर्ती स्थानों मे भी मनुष्य के उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करता रहता है। सर्वव्यापी परमात्मा मनुष्य के अदृष्टानुसार उसके भोग्य पदार्थों को प्रादुर्भूत करता रहता है। मनुष्य के योगद्वेष का बहन भगवान् ही करता है। उसके लिए उसे स्वयं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान् अपनी सहज कृपा से ही प्रकृति के भण्डार को भरता रहता है। मनुष्य के कर्मानुसार उस भण्डार से उसे भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति होती रहती है, अतः विभिन्न स्थानों मे अपने योग की वस्तुओं के उत्थादनार्थ उसे व्यापक मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आत्मा को अगु मानने पर मरने पर एक शरीर को छोड़ अन्यत्र जाने और पैदा होने पर अन्य शरीर से नये शरीर मे आने की चात भी ठीक प्रकार से उपलब्ध हो जाती है।

आलोचक विद्वान् इस मत को भी यो ही नहीं छोड़ देते, इस मत के सम्बन्ध मे उनकी समीक्षा इस प्रकार होती है कि यदि आत्मा अगु होगा और ज्ञान, सुख,

दुःख आदि उसके गुण होंगे तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव न हो सकेगा क्योंकि गुण के प्रत्यक्ष में गुणी नी महत्व के बारे होने से अगु आत्मा के गुणों का प्रत्यक्ष युक्ति-सम्भव न होगा। इस भय से पर्दि उसे आत्मा का गुण न मान कर बुद्धि का गुण माना जाय और बुद्धि को महत् परिमाण का आधय मान कर उसके गुणों की प्रत्यक्षता का उत्पन्नादन किया जाय तो आत्मा की जड़ता के निराकरणाथ उसे सहज चैतन्यरूप मानना होगा, बुद्धि के गुण ज्ञान को उसी चैतन्य के समर्क से विषय ना प्रकाशक मानना होगा, फिर जब वह चैतन्य अगु होगा तो बुद्धि के महत् स्वरूप को अथवा उसके प्रसरणशील ज्ञान को उसके पूरे स्वरूप में किस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकेगा? अब आत्मा की भगु चैतन्यरूप मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। उपनिषद् के 'एवाऽगुरुरात्मा चेतत्था वेदितव्यः' आदि मन्त्रों में जीवात्मा के अगुत्व का जो प्रतिपादन है उनका नाश्यं अगुरिमाण बनाने में नहीं है किन्तु जाग्न इन्द्रियों से अवैद्य बताने में है।

ईश्वर—

आत्मा के विषय में विचार करते समय ईश्वर के सम्बन्ध में भी योही चर्चा कर लेना आवश्यक है, क्योंकि न्यायदर्शन में ईश्वर भी आत्मा का ही एक प्रमेद माना गया है, इसीलिये उसे परमात्मा भी कहा गया है। तुप्रसिद्ध नव्यनैयायिक गुणात्मक शिरोमणि ने गणेश के उत्तरचिन्नामणि के अनुमान खण्ड पर दीधितिनाम की व्याख्या लिखते हुये उसे परमात्मा कहकर नमस्कार किया है। वह पद इस प्रकार है—

ओ नमः सर्वभूतानि विष्टभ्य परिनिष्ठते ।

अखण्डानन्दधोषाय पूर्णाय परमात्मने ॥

अ० दी० १

आत्मदर्शजाति और ज्ञानगुण आत्मा के ये दो प्रसिद्ध लक्षण ईश्वर में भी विषयमान हैं, अतः आत्मा के प्रकरण में ईश्वर को विस्मृत कर देना उचित नहीं है।

न्यायदर्शन में ईश्वर को जगत्कर्ता, वेदनिर्माता तथा जीवों के शुभाशुभ कर्मों का अविद्याता माना गया है

किसी कार्य का कर्ता होने के लिये उस कार्य के कारणों का ज्ञान, उस कार्य को उत्पन्न करने की इच्छा और उस कार्य के लिये प्रयत्नशील होना आवश्यक होता है, अतः ईश्वर को जगत् का कर्ता होने के लिये उसे जगत् के कारणों का ज्ञान, जगत् को उत्पन्न करने की इच्छा और जगत् के उत्पादनार्थ उसमें प्रयत्न का सद्गत मानना आवश्यक है। जीवात्मा में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का उद्दय शरीर के सम्बन्ध से होता है और शरीर का सम्बन्ध पूर्ण कर्मों के फलभोगार्थ होता है। ईश्वर का कोई पूर्णकम नहीं होता, जिसके फलभोग के लिये उसका शरीर से सम्बन्ध आवश्यक है,

अतः शरीर से सम्बन्ध न होने के कारण उसमें ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का उदय नहीं हो सकता, इसलिये ईश्वर में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न निष्पत्ति माने जाते हैं। यतः ईश्वर सारे जगत् का कर्ता है अतः उसके ये गुण सर्वविद्यक होते हैं। वास्तवरचना के लिये वाक्यार्थ का ज्ञान अपेक्षित होता है, ईश्वर समस्त देवों की रचना करता है अतः उसे सम्पूर्ण देवों का अर्थज्ञ माना जाता है। वह समस्त जीवोंके शुभाशुभ कर्मों का अधिष्ठाता होता है, अतः उसे समस्त जीवों के सम्पूर्ण कर्मों का ज्ञाता माना जाता है। घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में वह मनुष्य का सहायक होता है, उसकी सहायता और उसकी कृपा के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, अतः उसकी सहायता और कृपा पाने के 'लिये वह मनुष्य का उपास्य माना जाता है। न्यायमुमदाज्जलि में उदयनाचार्य ने इसी धारा का संकेत करते हुए कहा है कि—

स्वर्गाद्वर्गयोर्मर्गमामनन्त मनीषिणः ।

यदूपास्तिप्रसावन् परमात्मा निरप्यते ॥

१२

परमार्थ

पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आत्मा एक अतिरिक्त द्रव्य है, उसकी संख्या अनन्त है, उसका परिमाण परम महान् है, वह विसु और नित्य है। सुख, दुःख, इच्छा, द्रेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और बुद्धि इन नव विशेष गुणों का वह आशय है। उसका लक्षण है आत्मव्य जाति। यह जाति सुख आदि गुणों की समवायिकारणता के अवच्छेदकरण में तथा 'आत्मन्' शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त के रूप में खिद्द होती है। इसके मुख्य दो भेद हैं जीवात्मा और परमात्मा। यह दोनों आत्मा प्राणी के शरीर में विद्यमान रहते हैं, इनमें जीवात्मा शरीर के माध्यम से अपने पूर्व कर्म—धर्म और अधर्म के फल सुख-दुःख का भोग तथा अपने भले, भुरे कार्यों द्वारा नये कर्मों का सचय करता है और परमात्मा उसके इन सभी व्यापारों का साक्षी और उसका सहायक होता है। जैसा कि इस अतिरिक्त मन्त्र में कहा गया है—

द्वा मपश्चि सव्यजा सखाया समान वृक्ष परिपत्तवाते ।

तदोरन्यः पिप्पल स्वाद्वचि, अनश्नन्तन्योऽभिचाकरीति ॥

ऋग्वेद १.१६४.२०

एक वृक्ष पर दो पढ़ी नैठे हुए हैं, वे एक दूधरे के साथ और सहयोगी हैं। उनमें एक उस वृक्ष के स्वादयुक्त फलों का भोग करता है और दूसरा उसके फलों का भोग नहीं करता। किन्तु अपने भोज्य मिश्र के साथी और सहायक के रूप में वे दबल विराजमान रहता है।

प्राणी के शरीर में परमात्मा के विद्यमान रहने की बात भगवद्गीता के निम्न श्लोक में इस प्रकार कही गई है—

ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेशोऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भ्रान्तयन् सर्वभूतानि यन्नासुदानि मायथा ॥

भ० गो० ३८, ६४

ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में अवस्थित रहता है और शरीरका भर वैठे प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यापारों में लगाता रहता है ।

परमात्मा में आठ गुण का निवास है । ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन विशेष-गुण तथा संख्या, परिमाण, पृथक्कर्त्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच सामान्यगुण । परमात्मा उख्या में एक और परिमाण में परम महान् है । उसका शान, उसकी इच्छा और उसका प्रयत्न निष्ठ और सर्वविद्यक होता है ।

जगत्कर्ता

परमात्मा जगत् का कर्ता है, उसे माने विना जगत् की रचना का समर्थन नहीं किया जा सकता ; वह जागत्का को उसके पूर्वकर्मों का फलभोग प्रदान करने तथा जन्म-मरण के घन्घन से मुक्त होने के हेतु उद्योग करने का अवसर प्रदान करनेवे उद्देश्य से जगत् की रचना करता है । इस काय में पृथिवी, जल, तेज और वायु के परमाणु तथा जीवात्मा वे पूर्वाजित कर्म—धर्म और अधर्म उसके उप-करण होते हैं । जीवों का पर्मार्थमर्स्य सञ्चित कर्म ही न्यायशास्त्र की हस्ति में परमात्मा की माया है, जैसा कि उदयनाचार्य ने अपनी न्यायकुमुक्ताङ्कि, प्रथमस्तवक के अन्तिम श्लोक के पूर्वार्पण में कहा है—

इत्येषा सहकारित्वाचिरसमा माया दुरुन्नीतितो

मूलब्वात् प्रकृतिः प्रबोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता ॥

१२०

जीवों का अदृष्ट ही जगत् की रचना में ईश्वर की सहकारिकारणरूपा यक्षि है । दुरुन्नीत्य—अनुमानदारा कठिनाई से दाख्य होने के कारण वही विषयमस्वभावा माया है, जगत् का मूलकारण होने से वही प्रकृति है । तत्त्वज्ञान से नाश्य होने के कारण वही अविद्या है ।

‘शिवमहिम्न स्तोत्र’ में पुष्पदन्त ने निम्न श्लोकों में ईश्वर के जगत्कर्त्त्व का बड़ा मुन्द्र प्रतिपादन किया है । जैसे—

किमीहः किकाय स खलु किमुपायस्त्रिभुवन
 किमाधारो धाता सुजति किमुपादान इति च ।
 नतद्यैश्वर्ये स्वच्यनवसरदु श्यो हतधियः
 तुतर्होऽय कौशिंचम्भुपरत्यति मोहाय जगतः ॥

जगत् का निर्माण करने में ईश्वर का अपना स्वार्थ क्या है ? उसके उपयुक्त उसे शरीर नहीं से प्राप्त होता है ? उसने निमित्त उसके पास साधन क्या है ? वह कौन सा स्थान है ? जहाँ पैठकर वह जगत् की रचना करता है । इस कार्य के लिये उसके पास उपादान कारण क्या है ? तत्त्वतीत ऐधर्य से सम्बन्ध परमात्मा में इस प्रकार के प्रश्नामुक्त तुतर्हों के लिये यद्यपि कोई अवसर नहीं है फिर भी कुछ हत्युद्धि मानव जनता में भ्रम फैलाने के लिये इन प्रश्नों को लेकर कुछ बकाया करते रहते हैं । ऐसे मनुष्यों के विषय में पुरुषदन्त की यह समीक्षा बड़ी उपयुक्त है कि—

अजन्मानो लोका किमवयववन्नोऽपि ? जगता-
 मधिष्ठातार वा भवविधिरनाट्यं भवति ?
 अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने । परिकरो ?
 यतो मन्दास्त्वा प्रत्यमरवर ? सशेरत इमे ॥

‘ क्या यह स्थूल जगत् विना पैदा हुये ही दृष्टिगत होने लगा है ? क्या जगत् का निर्माण किसी कुशल शिल्पी के विना ही सम्बन्ध हो जाया करता है ? अथवा है जगत् का भी कोई कर्ता अवश्य, पर वह ईश्वर नहीं है, तो क्या उस अनीश्वर जगत्कर्ता के विषय में एब प्रश्न नहीं उठाये जा सकते ? जो ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर उठाये जाते हैं । यदि यह कहा जाय कि जगत् का जन्म अवश्य होता है, उसका रचयिता भी कोई अवश्य है, यह दोनों बातें ऐसी हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अत जगत्कर्ता के विषय में उक प्रकार के प्रश्न उठाना बेकार है ता कि उस जगत्कर्ता को ईश्वर का नाम दे देने पर कुछ म दमति मानवों पर उक प्रकार के प्रश्न उठाने का भूत सवार हो जाता है ।

ईश्वर के अस्तित्व की प्रामाणिक जानकारी के लिये उदयनाचार्य की न्याय-
 कुमुपाद्मेल, पद्मप सत्रह की अमिम कारिका बड़ी उपयुक्त है ।

कार्यायोजनधृत्यादे. पदात् प्रत्ययत. भुवेः ।
 वाक्यात् सखयाविशेषाच्च साध्यो विश्वविद्व्यय. ॥

उदयनाचार्य ने इस शारिका की स्वयं दो प्रकार की व्याख्या कर इसके द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने वाले सोलह अनुमान प्रस्तुत किये हैं। जिसकी चर्चा विस्तारभूमि से नहीं की जा रही है।

सांख्यमत—

सांख्यदर्शन में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। प्रकृति और पुरुष-जीव के अनादि स्वयोग से ही जगत् की रचना मानी गई है। सांख्यकारिका में ईश्वरकृत्त्व ने जगत् की रचना में प्रकृति की स्वतन्त्र प्रवृत्ति का वर्णन इस प्रकार किया है कि—

वस्त्विवृद्धिनिमित्तं द्वीरक्ष्य यथा प्रवृत्तिरश्य ।

पुरुषविभोजनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानश्य ॥

सा० का० ५७

जिस प्रकार दूध अचेतन होते हुये भी बछड़े के पालन के निमित्त गाय के स्तन से स्वयं प्रवाहित होने लगता है उसी प्रकार पुरुष-जीव के भोग और मोक्ष के निमित्त प्रकृति जगत् की रचना में स्वयं व्यापृत होती रहती है।

थोड़े में यह समझना चाहिये कि सांख्य की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष एक दूर्घट से नितान्त विविक्त—भिन्न है भिन्न उनका यह विवेक—मेद अशात है। इसी से उनमें अशातकाल से एक विचित्र सम्पर्क बना हुआ है, वह सम्पर्क ही जगत् का मूल है। वह मूल जब तक बना रहेगा तब तक प्रकृति के गर्भ से जगत् का प्रथम निरन्तर होता रहेगा। जब कभी प्रकृति के इस वृहद् व्यापार का प्रवाह अन्तर्मुख होगा और उसके फलस्वरूप प्रकृति और पुरुष के मेद का रहस्य खुलेगा तब तकाल पुरुष प्रकृति के बाहुपाश से विमुक्त हो जायगा और प्रकृति अपने व्यापार को निरर्थक समझ सदा के लिये शान्त हो जायगी। प्रकृति के इस महान् अभिनय को इस रूप में देखने पर उसमें कहीं भी ईश्वर का कोई योगदान आवश्यक नहीं प्रतीत होता, अतः ईश्वर की कल्पना सर्वथा निराधार है।

योगमत—

सुष्ठि के सम्बन्ध में योगदर्शन और सांख्यदर्शन की मान्यता एक सी है। प्रकृति और पुरुष के विवेक-मेद का उद्धारण न होने तक ही प्रकृति का यह जगन्नाटक अभिनीत होता है। यह तथ्य दोनों दर्शनों को समानरूप से मान्य है, पर योगदर्शन ने कुछ आगे बढ़कर योगी और स्वोज की है और उठने एक ऐसे सर्वेष आदर्य पुरुष को दृढ़ निकाला है जिसे प्रकृति अपने बाहुबों में कभी बौख न सकी। जिसकी चेतनता कभी किञ्चिन्मात्र भी धूमिल न हुई। जिस पर सकार की किली भी प्रिय अथवा अप्रिय घटना का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो सदैव नितान्त निष्पत्ति

रहा। वह आदश पुरुष ही ईश्वर है। पुरुष को उसकी समकक्षता प्रदान करना ही प्रकृति का लक्ष्य है। वह सोचती है कि जिन पुरुषों को उसने अपने गुणों में बाब रखा जो उसके समर्थक में आये, वे उसे दूर रहने वाले विशेष पुरुष—ईश्वर से किसी भी अश में न्यून न रहें, अपि तु उसके अभिनव में उचित सहयोग देने का उन्हें यह पुरुषकार दिया जाय कि वे ईश्वर की पूर्ण समानता तो प्राप्त करें ही, साथ ही व इस महिमा से भी मण्डित रहें कि उन्हें प्रकृति का वह मधुमय आलिङ्गन भी प्राप्त हो जुका है जो ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार योग भी इष्टि में जगत् की रचना में ईश्वर का कोई उपयोग न होने पर भी आदर्श के रूप में उसका कल्पना आवश्यक है।

वेदान्तमत—

वेदान्तदर्शन का विकास अनेक शाखाओं में हुआ है, जैस शङ्कर का अद्वैतवाद, रामानुज और रामानन्द का विद्यिष्ठाद्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद, वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद और चैतन्यदेव का अचित्य द्वैताद्वैतवाद। वेदान्त की इन सभी शाखाओं में ईश्वर को मान्यता दी गई है। अन्तर के बीच इतना ही है कि शङ्कर के अद्वैतवाद का ईश्वर माया की ही एक कल्पना है जब कि अन्य वेदान्तों में उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। ईश्वर के सम्बन्ध में यह बात सभी वेदान्तों को मान्य है कि वह जगत् का कर्ता तथा जात का उपाध्य है।

मीमांसा—

मीमांसादर्शन के दो भूमि हैं पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा। पूर्वमीमांसा का प्रतिपाद्य है कर्म और उत्तरमीमांसा का प्रतिपाद्य है ज्ञान। कर्म और ज्ञान यहीं दो साधन हैं जिनका अवलम्बन ले मनुष्य अपना भागिक जीव जाध्यात्मिक जम्मुरथान कर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उत्तरमीमांसा का ही नाम है वदान्त। ईश्वर के सम्बन्ध में उसकी माया का उल्लेख अभी किया जा चुका है। पूर्वमीमांसा का इष्टिकोण इस विषय में उत्तरमीमांसा के इष्टिकोण से सवधा भिन्न है। जहाँ तक जगत् की रचना का प्रश्न है, उसके लिये पूर्वमीमांसा भी इष्टि में ईश्वर की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्वमीमांसा के अनुसार जगत् का प्रवाद अग्रादि अनन्त है। जगत् का न कभी आरम्भ हुआ है और न कभी अवरुद्ध होगा। जगत् की घारा अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती आ रही है और आग भी अनन्तकाल तक इसी प्रकार प्रवाहित होती रहेगा। मानवतमाज उन्नति और अनन्ति, जय और पराजय, जन्म और मृत्यु, स्वर्ग और नरक के उन्नावच तरङ्गों में सदैव इसी प्रकार भूलता रहेगा। यह जगत् मानव के लिये सदैव इसी प्रकार क्रोड़ा की भूमि बना रहेगा। फिर ईश्वर का उसमें क्या स्थान है? जब जगत् का क्रम स्वभा-

विह और शाश्वत है, मनुष्य अपने कर्मों के लिये स्वतन्त्र और स्वयं उत्तरदायी है, तब ईश्वर इसमें क्या कर सकेगा ! अतः जगत् के निमित्त ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है ।

हाँ, एक बात के लिये ईश्वर की कल्पना चाद में पूर्वमीमांसा दर्शन में भी की हुई प्रतीत होती है, यह यह कि मनुष्य के कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनका फल उसे निरकाल के चाद उपलब्ध होता है और उस कार्य एवं फल के बीच की इस लम्बी अवधि में ऐसी कोई रक्तु नहीं होती जो उन दोनों के बीच कही का काम कर सके, जैसे मनुष्य स्वर्ग की कामना से यह का अनुष्टान करता है, यह अनुष्टान एक निश्चित अवधि में पूरा हो जाता है। मनुष्य उस अनुष्टान के चाद भी जगत् क अन्य कार्यों में यथापूर्व जगा रहता है। कालान्तर में एक ऐसा अवसर आता है जब उसे अपने विरपूर्व किये गये उस यशानुष्टान के फल—स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रश्न होता है कि यह बात कैसे बन सकती है ? कौन इस बात का लाजी है कि अमुक मनुष्य ने अमुक अनुष्टान अमुक समयमें किया है अतः उसे अमुक फल प्राप्त होना चाहिये। इस प्रश्न का एक नव उचित उत्तर यही हो सकता है कि ईश्वर एक ऐसा पुरुष है जो मनुष्य के उन कर्मों का साक्षी होता है, वही उसने उचित कर्मों से प्रीत हो कर उसे उत्तम फल प्रदान करता है और अनुचित कर्मों से रुष्ट होकर अवाञ्छनीय फल प्रदान करता है। इसी बात को पुष्टदन्त ने चित्रमहिम्नः स्तोत्र में भगवान् शिव की महिमा का स्वरूप करते हुए इन शब्दों में बताया है ।

कर्तृ सुप्ते जापत्वमसि फलयोगे क्रतुमता
क कर्म प्रभवस्त फलति पुष्टपाराधनमृते । ।
अतदत्वा सम्प्रेक्ष्य क्रतुपु फलदान०यसनिन
भृती श्रद्धा चद्भ्या दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥

मनुष्य जिस यश आदि कर्म का अनुष्टान करता है वह त एक निश्चित समय में सम्भव होकर समाप्त हो जाता है। भगवान् शिव ही कालान्तर में उस कर्म को करने वाले मनुष्य को उसका फल प्रदान करते हैं। यदि उस कर्म से भगवान् की आराधना न हो, यदि भगवान् उस कर्म के साक्षी न हो तो विरपूर्व नष्ट हुआ वह कर्म कालान्तर में फल का सम्पादन कैसे कर सकेगा ? अतः यह निश्चित है कि मनुष्य वेवल इसी विश्वास पर वेदवचनों में अद्वा रखकर कर्म करता है कि भगवान् शिव उसके कर्म से प्रीत होगे, वही उसके कर्म के साक्षी होगे, वह उसे उसके कर्म का फल अवश्य देंगे। यह कार्य कमज़न्य अपूर्वमात्रसे नहीं हो सकता क्योंकि वह जड़ होता है अत उसे चेतन के सहयोग की अपेक्षा है ।

इस प्रकार मनुष्य के आराध्यरूप में, मनुष्य के कर्मों के सादी और फलदाता के रूप में ईश्वर पूर्वमीमांसा को भी मान्य हो सकता है। पश्चाद्वर्ती मीमांसकों की वही सबसे बड़ी उपलब्धि प्रतीत होती है।

जैनमत—

जैनदर्शन को भी जगमृती के रूप में ईश्वर अभान्य है। उसकी हाँ में भी जगत् का प्रवाह अनादि और अनन्त है। इसका कभी प्रारम्भ तथा उत्तरम नहीं होता। जीवों के चिरसनित कर्मों के परिणाम और पुद्गलों के लयोग वियोग में समार की धारा अनादि काल से प्रवाहित होनी आ रही है और ह्यात्मविज्ञास के विभिन्न गरिवतों के साथ अविच्छिन्न रूप से इसी प्रकार अनन्त काल तक प्रवाहित होती रहेगी। इसलिये इसमें ईश्वर को कुछ करने का कोई अपमर नहीं है। इनमा ही नहीं, किन्तु ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर कुछ ऐसे प्रश्न यहें होते हैं जिनसे उसका ईश्वरत्व ही सच्च में यह जाता है। स्याद्वादरनाकर में उठाये गये ऐसे अनेक प्रश्नों में से कबल एक प्रश्न की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिससे पाठकों का ध्यान उस प्रश्न के सदृश अन्य प्रश्नों की ओर स्वयं आकृष्ट हो जायगा। जैसे ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर यह प्रश्न उठता है कि वह जगत् का निर्माण अपनी रुचि से करता है। या जीवों के कर्मों के अनुसार उसे जगत् की रचना करनी पड़ती है? अथवा जीवों को जन्म मरण के घन्घन से मुक्त होने का अवधर देने के लिये कृपाभाव से वह जगत् का निर्माण करता है? इन तीनों पक्षों के विषय में स्याद्वादरनाकर की निम्नाङ्कित उक्त बड़ी मानिक है। पहले पक्षके सम्बन्ध में यह कहना है कि—

जायेत पीरस्त्यवेकल्पनाया कदाचिदन्यादगपि त्रिलोकी ।

न नाम नैयत्यनिमित्तमस्या किञ्चिद् विस्ताराद्यचेः समर्पित ॥

आशय यह है कि यदि ईश्वर को अपनी रुचि के अनुभार जगत् का कर्ता माना जायगा, तो उसकी रुचि सदा एक प्रकार की ही हो, इस बात का कोई नियामक न हान से उसकी रुचि विविध प्रकार की भी हो सकती है और किर उस दशा में जगत् की रचना एक प्रकार की न होकर अन्य प्रकार की भी होने लगेगी, जैसे कि ईश्वर-वादी को यह मान्य नहीं है, क्योंकि उसकी आरथा तो ‘धाता यथापूर्वमकल्पयत्-विधाता नै जगत् की रचना यथापूर्व की है’ इस वैदिक उद्दोष पर टिकी है।

दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में यह कहना है कि—

करोत्यय ता यदि कर्मतन्त्र स्वतन्त्रतस्य तदा कथ स्यात् ?
सत्त्वः स्वतन्त्रतमिद् हि येषा परानपेत्रैव तदा प्रवृत्तिः ॥

यदि ईश्वर को जीवों के कर्मानुसार जगत् का कर्ता माना जायगा तो उसकी स्वतन्त्रता का व्याधात होगा, क्योंकि जिसे अपने कार्य में अन्य की अपेक्षा न करनी पड़े वही स्वतन्त्र कहलाता है। तो फिर जब ईश्वर को जगत् की रचना में जीव के कर्मों का अनुसरण करना पड़ा तो फिर उसकी स्वतन्त्रता कहों रही? और जब उसको स्वतन्त्रत न रही तो उसका ईश्वरत्व कहों रहा?

तीसरे पद्मके सम्बन्ध में यह कहना है कि—

कुदमामे निवारः कचिदपि सदने रीददारिद्रयमुदा
जाया दुर्दशकाया कटुरठनपद्मः पुत्रिकाणां सवित्री ।
तु स्वामिप्रेष्यभावो भवति भवभृतामन्त्र येवा बैतान्
शम्भुर्दुःखैकदग्धान् सुजर्ति यदि तदा स्याङ्कुपा कीदग्धय ॥ १ ॥

इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनका किसी छोटे से गोंव में अस्ति दरिद्र घर में जन्म हो जाता है, जिन्हें एक कुरुप, कर्कशा, वेवल कन्याओं को जन्म देने वाली भार्या मिल जाती है, और जिन्हें अपने पेट और परिवार के लिये किसी दुष्ट स्वामी के यहों नौकरी करनी पड़ती है। भला बताइये, इस प्रकार दुःखाग्नि की ज्वाला में अनवरत भुलखने वाले इन मनुष्यों की रचना में ईश्वर की क्या कुरालुम है?

यह तथा इसी ढंग की अन्य ऐसी अनेक चारों हैं जिनके कारण जैनदर्शनको ईश्वर का जगत्कर्तृत्व स्वीकार्य नहीं है।

ईश्वर के विषय में जैनदर्शन का स्थृत मत यह है कि ईश्वरत्व कोई नैतिक वस्तु नहीं है, किन्तु वह प्रयत्नसाध्य है। कोई भी भव्य मानव सम्यग् शान और सम्यक् चारित्य की साधना से ईश्वरत्व, प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य में वह अनन्त अनवश्य चेतना विद्यमान है जिसका उन्मेष होने पर वह सर्वेष और ईश्वर बन सकता है, किन्तु उस चेतना पर अनादिकाल से जग्म-जग्मान्तर के कर्मों का जो आवरण पड़ा है, मनुष्य को उसे हटाने का प्रयत्न करना होगा। उसे इस दिया में अपने पूर्व पुरुषों का, जिन्होंने अपनी तरोमय साधना से इस आवरण को दूर कर सर्वदत्त और ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया है, अनुसरण करना होगा। उनके मार्ग पर चलना होगा। उनके अनुभवों का लाभ उठाना होगा। जैनागमों में साचत उनके उद्देशों के अनुसार अपने जीवनका दालना होगा। थदा, निषा और तरशता के साथ इस नाय में लगाने पर वह मुदिन उसके जीवन में निस्सन्देह आ सकता है क्योंकि वह अपनी नियमग्रन्थ निरवाध चेतना के समर्पण कर्मावरणों को भवस्त कर अपनी उद्देश संवर्जना और ईश्वरत्व में प्रत्यक्षित हो सकता है।

बीद्रुमत—

बीद्रदर्शन में भी ईश्वर को जगत् का कर्ता नहीं माना गया है। उसकी दृष्टि में भी जगत् का प्रवाह किसी चेतन पुरुष के प्रयत्न से प्रवृत्त नहीं है, किन्तु सारा जगत् 'प्रतीरथ समुत्पाद' पर आधित है, जिसका अर्थ यह है कि जगत् की प्रत्येक घटना अपने कारणों के स्वभावसुलभ संविधान से घटित होती है, उसमें ईश्वर की या किसी अन्य चेतन तत्त्व की कहीं कोई अपेक्षा नहीं है। उसकी दृष्टि में भी सर्वज्ञत्व और ईश्वरत्व प्रयत्नसाध्य है। कोई भी मनुष्य अपनी प्रक्षा और सदाचार के विकासद्वारा बुद्धरूप प्राप्त कर सकता है।

आधुनिक मत—

ईश्वर के विषय में सबसे नया मत आज के वैद्यानिकों का है। उनकी धारणा है कि जगत् की जड़ कहीं जाने वाली वस्तुओं में ही सब कुछ है। मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त करना हो उसे इन वस्तुओं में प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य भाग्य, पुनर्जन्म, ईश्वर आदि रूपवादी मान्यताओं से ऊपर उठ अपने को विज्ञानोम्बुद्ध बनाये, जगत् के पदार्थों की अपार क्षमता पर विश्वास करे, उसे उद्बुद्ध करने का वैज्ञानिक प्रयास करे। यदि वह ऐसा करेगा तो जो कुछ ईश्वर से प्राप्त करना चाहता है, उससे बहुत अधिक यह जगत् के पदार्थों से ही प्राप्त कर लेगा और अपने भीतर स्वयं ईश्वरत्व का अनुभव करने लगेगा।

बुद्धिसंगत मत—

ईश्वर के विषय में कई मतों की चर्चा की गई। विचार करने पर उन सबों में न्याय-वैशेषिक का मत ही बुद्धिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि उस मत में ईश्वर की वस्तुना जिस आधार पर की गई है, वह सभी बुद्धिमान् मनुष्यों को निर्विवाद रूप से स्वीकृत्य है। यह कहना कि इस जगत् की धारा अविच्छिन्न है यह एकान्त रूप में अनादि है, इसका न तो इदम्ब्रयमतया कभी आरम्भ हुआ है और न कभी इसका अवसान होगा, यह सदा इसी प्रकार चलता रहेगा, ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य देखता है कि उसके समक्ष ऐसे अस्तित्व दृश्य पदार्थ हैं जिनका एक दिन कोई न था, जिनके अस्तित्व का कोई चिह्न न था, मनुष्य उन्हें जहाँ आज देखता है कभी वहाँ कुछ न था, केवल शून्य था, कोई सीमा न थी, कोई परिविन था, कोई मूर्ति न थी, कोई अभिव्यक्ति न थी, पर एक दिन वहाँ उन पदार्थों की विशाल मूर्ति खड़ी हो जाती है, उनका उपयोग, उनका अवश्वार होने लगता है, उनके लिये लड्डाइ-झगड़े और रक्षात द्वारा होने लगते हैं। बढ़ देखता है बड़ी बड़ी नदियों, समुद्र के बड़े बड़े भागों को ध्यल में परिवर्तित होते, बड़े बड़े जगलों को आम और नगर में बदलते, बड़े बड़े नगरों-उपनगरों को उजाह जगत में उतारते, गम्भीर महागतों में ऊचे ऊचे पहाड़ खड़े होते और बड़े बड़े पहाड़ों

को कग रुग में चूंग रिचूर्ण होते। यह पठनावें उच्छी औले खोल देती है, उंसे यह स्वीकार करनेहो जात्य करती है कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ अभावपूर्वक होता है, प्रत्येक दृश्य वस्तु की व्यवस्था अव्यवस्था पूर्वक होती है। इसी प्रकार प्रत्येक अभाव भाव-पूर्वक तथा प्रत्येक अव्यवस्था पूर्वक होती है। फिर यह अव्यभिन्निति नियम इस तथ्य को स्थापित करता है कि कोई ऐसा भी समय अवश्य रहा होगा जब यह जगत् अस्तित्वशूल अथवा अव्यवस्था पूर्वक रहा होगा। इस वस्तुरिपति में यह निर्दिवाद है कि यदि जगत् की उस शृङ्खलास्था में कोई भावात्मक तत्त्व न माना जायगा तो यह विपुल विश्व के से राजा हो सकता है। ऐपल शृङ्खल से, असत् में, अभाव से इस विनिव्र जगत्यित्र का विषय कैसे हो सकेगा? किंतु भी विषय का तीनने, किंसी भी सूर्ति को यही करने, किंसी भी ठाँस यस्तु को चनाने में कुण्डल गिर्ही और आवश्यक उपकरणों तथा उत्पादनसंसारों का होना अनिवाय होता है, अनः जगत् की उस शृङ्खल अवस्था में उसके उत्पादन तत्त्व, दुरुल रचयिता और आवश्यक उपकरणों का अस्तित्व मानना ही होगा। न्यायवेरोपिक दर्शन ने उस उत्पादन को परमाणु, कर्ता की ईश्वर और जीव के पुरातन कहनों को उपकरण के रूप में बर्णित किया है। इस प्रकार ईश्वर की कलना का न्यायवेरोपिक समझ आवार राधाकारण के अनुभव पर आधारित होने से अन्य मनों की अपेक्षा अधिक उद्दिष्टगत है।

ईश्वर का अवतार—

पर यह जान उद्दि में उत्तर जाती है कि जगत् की रचना ईश्वरद्वारा होती है और उसी रचना का उद्देश्य है जीवों को जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने का अवसर प्रदान करना, तब यह भी मानना आवश्यक हो जाता है कि जगत् की व्यवस्था विश्वस्तुल होती है, यामालिक लगान दीला पड़ता है, अविद्या, अनेतिकता और अष्टावार का योलबाला होने लगता है, मानवसमाज भोग-दिलास में फैस कर अध्यात्म-विमुक्त हो जाता है, यातन इन दुराइयों को दूर करने की भावना और ज्ञान से हीन हो जाता है, धर्म की हानि और अधर्म की जाढ़ सीमा पार करने लगती है, तब राष्ट्र को, समाज को उचित मार्ग पर प्रतिष्ठित कर जगत् की सुरक्षा और सुख-स्थिति के निमित्त ईश्वर को अवतार भी लेना पड़ता है। जैसा कि भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥

अभ्युदयानमधर्मस्य तदाप्नान दुजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुर्ज्ञाम् ।

धर्मस्तथाप्तार्थी लम्भवामि सुगे-युगे ॥

तस्य भोगायतनमन्त्यावयविशरीरम् । सुरदुःखान्यतरसाक्षात्कारः भोगः, स च यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद्भ भोगायतन, तदेव श्रीरम् । चेष्टाश्रयो वा शरीरम् । चेष्टा तु हिताहितप्राप्तिपरिहारार्थं किया, न तु स्पन्दनमात्रम् ।

शरीर—

जो आध्मा के भोग का आयतन—आश्रय और अन्त्य अवयवी होता है उसे शरीर कहा जाता है । भोग का अर्थ है मुख अथवा दुःख का साक्षात्कार-प्रदूष अनुभव । यह भोग जिससे अवच्छिन्न आध्मा में उत्पन्न होता है उसे आध्मा के भोग का आयतन कहा जाता है । भोग का जो आयतन अन्य अवयवी होता है उसी को शरीर राज्ञ में व्यवहृत किया जाता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि आध्मा तो विभु है, उसका स्थोग सभी मूलद्रव्यों के साथ होता है, अत वह सभी मूलद्रव्यों से अवच्छिन्न होता है, परन्तु जिस किसी भी मूलद्रव्य से अवच्छिन्न आध्मा में मुख, दुःख आदि विशेष गुणों का उदय अथवा मुख, दुःख का अनुभव नहीं होता, किन्तु शरीर तथा उसके कर-चरण आदि अवयवों से अवच्छिन्न आध्मा में ही होता है, इस लिये शरीर और उसके अवयव ही भोग के आयतन होते हैं । उनमें कर-चरण आदि शरीर का अवयव होने से अनितम अवयवी नहीं होते किन्तु शरीर ही अनितम अवयवी होता है क्योंकि वह किसी अन्य द्रव्य का आरम्भक—उम्रवायिकारण न होने से किसी का अवयव नहीं होता, अतः वही 'भोग का आयतन अन्य अवयवी' इस लक्षण से लक्षित होता है, उसके अवयव कर-चरण आदि नहीं लक्षित होते ।

अभी यह कहा गया है कि आध्मा शरीर आदि सभी मूर्तद्रव्यों से अवच्छिन्न होता है । प्रश्न होता है कि मूर्तद्रव्यों से आध्मा के अवच्छिन्न होने का क्या अर्थ है ? यदि यह उच्चर दिया जाय कि अवच्छिन्न होने का अर्थ है परिसीमित होना, तो यह उचित नहीं है, क्यों कि आध्मा निरर्गत, निरसीम है, निरश है, और निरसीम का, निरश का सीमन क्यमपि सगत नहीं हो सकता । अतः न्यायवैशिष्ठिक की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि मूर्तद्रव्यों के साथ आध्मा का जैसे स्थोग सम्बन्ध होता है उसी प्रकार उसके साथ उसका अवच्छेदकता नाम का एह और भी सम्बन्ध होता है । यह अवच्छेदकता कोई अन्य पदार्थ नहीं होना किन्तु मूर्तद्रव्यस्वरूप ही होता है । इसी लिए इसे स्वरूपसम्बन्धविशेष भी कहा जाना है । इसका अर्थ यह हुआ कि मूर्तद्रव्य और आध्मा के बीच जैसे स्थोग सम्बन्ध है उसी प्रकार उसके बीच स्वरूपसम्बन्ध भी

है। इस प्रकार मूर्तद्रव्य और आत्मा के बीच मूर्तद्रव्य का जो स्वस्पत्तमक सम्बन्ध है उसी का नाम है अवच्छेदकता, और मूर्तद्रव्यों से आत्मा के अवच्छिन्न होने का अर्थ है अवच्छेदकतामक स्वस्पत्तमक सम्बन्ध से मूर्तद्रव्यों से सम्बद्ध होना।

प्रश्न हो सकता है कि सभी मूर्तद्रव्यों के साथ आत्मा के संयोग सम्बन्ध की कल्पना तो इस लिए की जाती है कि उसके बिना उसकी व्यापकता नहीं रह पाती, पर सभी मूर्तद्रव्यों के साथ उसके अवच्छेदकतानामक सम्बन्ध की कल्पना का क्या आवार है? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 'शरीर से अवच्छिन्न आत्मा में मुख, दुःख का अनुभव होता है, घट आदि से अवच्छिन्न आत्मा में नहीं होता' यह एक सर्वमान्य व्यवहार है। इस व्यवहार की उपरांति के लिए शरीर आदि को आत्मा का अवच्छेदक तथा आत्मा को उनसे अवच्छेद्य मानना आवश्यक है। यह बात उन दोनों के परस्पर संयोगमात्र से सम्भव नहीं है, क्योंकि जिन द्रव्यों में संयोग सम्बन्ध होता है उन सभी में अवच्छेद्य-अवच्छेदकभाव नहीं होता। अतः आत्मा और मूर्तद्रव्यों में अवच्छेद्य-अवच्छेदकभाव के उपरादनार्थ मूर्तद्रव्यों के साथ आत्मा के अवच्छेदकतानामक सम्बन्ध की कल्पना की जाती है और उसे कोई अतिरिक्त पदार्थ न मान कर मूर्तद्रव्यात्मक ही माना जाता है।

अभी शरीर का लक्षण बताया गया है 'भोग का आयतन अन्त्य अवयवी'। इस सन्दर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि इस लक्षण को ज्यों का त्वयों रखना होगा, इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें से यदि 'भोगायतन' अश को निकाल कर 'अन्त्य अवयवी' मात्र को शरीर का लक्षण माना जायगा तो घट, पट आदि में अतिव्यासि होगी क्यों कि किसी अन्य द्रव्य का आरम्भक न होने से वे भी अन्त्य अवयवी हैं, पर 'भोगायतन' अश को लक्षण का अङ्ग बना देने पर यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा के भोग का आयतन नहीं होता। इसी प्रकार 'अन्त्य अवयवी' अश को निकाल कर यदि 'भोगायतन' मात्र को शरीर का लक्षण माना जायगा तो शरीर के अवयव कर-चरण आदि में शरीरलक्षण की अतिव्यासि होगी, क्योंकि श्रीधरमशूल में चन्दन आदि शीत पदार्थ का लेप होने पर तथा किसी कठोर वस्तु से आहत होने पर कर-चरण आदि भी मुख, दुःख के भोग का आयतन होते हैं, पर 'अन्त्य अवयवी' अश को लक्षण का अङ्ग मानने पर यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि कर-चरण आदि शरीर का आरम्भक होने से अन्त्य अवयवी नहीं होता। इसी प्रकार 'अन्त्य' अश को निकाल कर यदि 'भोगायतन अवयवी' मात्र को शरीर का लक्षण माना जायगा तो कर-चरण आदि में प्रायः अतिव्यासि होगी, क्योंकि वह उक्त शीति से भोग का आयतन और अङ्गुलि आदि अपने अवयवों की दृष्टि से अवयवी है।

किन्तु जब 'अन्त्य' अशको लक्षण का अङ्ग माना जायगा तब यह दोष न होगा, क्योंकि अन्त्य अवयवी का अर्थ होता है किंचि का अवयव न होकर केवल अवयवी होना, और कर-चरण आदि अङ्गुलि आदि की दृष्टि से अवयवी तो है पर शरीर का आरम्भ—अवयव होने से अन्त्य अवयवी नहीं है।

प्रसिद्ध शुगीरों को लक्ष्य रखने पर 'भोगायतनम् अन्त्यावयविं शरीरम्' शरीर का यह लक्षण यद्यपि उचित है, पर सूक्ष्म विचार करने पर यह लक्षण निर्दोष नहीं सिद्ध हो पाता, क्योंकि पुराणों में यह बात यहुत्र उपलब्ध होती है कि ईश्वर ने अपने शरीर से भूमि आदि स्थूल पदार्थों को उत्पन्न किया। पुराणों के इस कथन के अनुसार उत्पन्नाचार्य आदि प्राचीन नैयायिकों ने पृथिवी आदि के परमाणुओं को ईश्वर का शरीर माना है, अतः शरीर का जो लक्षण बने उसका समन्वय परमाणुओं में होना आवश्यक है। शरीर के उक्त लक्षण का समन्वय परमाणुओं में नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर में भोग की सम्भावना न होने से परमाणु ईश्वर के भोगायतन नहीं हो सकते। शरीर के उक्त लक्षण में यह नुटि देखकर उसका दूसरा लक्षण किया गया 'चेषाभयो वा शरीरम्—जो चेषा का आश्रय हो वह शरीर है। चेषा का अर्थ केवल स्फदन—गतिमात्र नहीं है किन्तु उसका अर्थ है हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया। ईश्वर का अपना कोई हित अथवा अहित नहीं होता। जीवों का हित ही उसका हित और जीवों का अहित ही उसका अहित होता है। ईश्वर जीवों के हित की सिद्धि और अहित के परिहार के लिए ही जगत् के निर्माणार्थ परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न करता है, इस लिए ईश्वर के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली चेषा का आश्रय होने से परमाणु को ईश्वर का शरीर माना जाता है।

इस सन्दर्भ में प्रबङ्गतः यह बात और समझ लेनी चाहिये कि मनुष्य का शरीर पाञ्चभौतिक—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच भूतों से निर्मित अथवा पैमैतिक—पृथ्वी, जल और तेज इन तीन भूतों से निर्मित न होकर केवल एकपौतिक—पार्थिव—एकभूत पृथ्वीमात्र से निर्मित होता है। मनुष्य शरीर को पार्थिव कहने का यह अर्थ नहीं है कि उसके निर्माण में जल आदि की आवश्यकता ही नहीं होती अथवा उसमें जल आदि का कोई अर्थ नहीं होता किन्तु उसे पार्थिव कहने का केवल इतना ही आशय होता है कि उसका उपादानकारण—समवायिकारण केवल पृथिवी होती है, अन्य भूग उसके निर्मातामात्र होते हैं। निर्मित भी ऐसे होते हैं जो शरीर के जीवनकाल तक उसमें अनुषिद्ध रहते हैं, कुछ दार्यनिकों ने उसे पाञ्चभौतिक या पैमैतिक भी माना है, पर नैयायिकों को यह बात स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एकजातीय द्रव्यों में ही उपादान-उपादेयमात्र युक्तिरूप होता है, शरीर को यदि पृथिवी, जल

इन्द्रिय

शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्द्रियम् । 'अतीन्द्रियमिन्द्रियम्' इत्युच्च्यमाने कालोदरपीन्द्रियत्वप्रसङ्गोऽत उक्तं ज्ञानकरणमिति । तथापि द्वन्द्रियार्थसनिक्षेपे-प्रतिप्रसङ्गोऽत उक्तं शरीरसंयुक्तमिति । 'शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमिन्द्रियम्' इत्युच्च्यमाने आलोकादेरिन्द्रियत्वप्रसङ्गोऽत उक्तमतीन्द्रियमिति । तानि चेन्द्रियाणि पट्—ग्राण, रसन, चक्षुः, त्वक्, शोत्र, मनोसि ।

आदि कई निजातीय द्रव्यों का उपादेय माना जायगा तो उसमें पृथिवीत्व, जलत्व आदि का साक्षम होगा और उस दिक्षिति में पृथिवी, जल आदि द्रव्यों में विजातीयत्व का लोप हो जान से पृथिवी, जल आदि के रूप में द्रव्य का नव अर्णियों में वर्गीकरण असंगत हो जायगा । इस प्रकार द्रव्य के सम्बन्ध में न्यायविशेषिकदर्शन की मूलमान्त्रिका का हा भज्ज हो जायगा ।

शरीर को पात्रभीतिक या वैभीतिक मानने में एक और वाधा है, वह यह कि शरीर यदि पात्रभीतिक या वैभीतिक होगा तो पृथिवी के विशेषगुण गत्वा का उसके जलीय आदि भागों में, एव जल के विशेष गुण शीतस्पर्श आदि का पार्थिव आदि भागों में तथा तेज के विशेषगुण उष्णस्पर्श का जलीय आदि भागों में उदय न होगा, क्योंकि गत्वा के प्रति पृथिवी ही समवायिकारण है, जल आदि नहीं एव शीतस्पर्श के प्रति जल ही समवायिकारण है पृथिवी आदि नहीं, तथा उष्णस्पर्श के प्रति तेज ही समवायिकारण है जल आदि नहीं, इसका परिणाम यह होगा कि शरीर का एक भाग सूखन्त और अन्य भाग निर्गत, एवं एक भाग शीत अन्य भाग अशीत तथा एक भाग उष्ण अन्य भाग अनुष्ठ होगा, जब कि यह सब अनुभवविकर्द है । अतः शरीर के सम्पूर्ण भाग में पृथिवी के विशेषगुण गत्वाकी उपलब्धि होने से मनुष्य आदि के शरीर को पार्थिव मानना ही उचित है ।

इन्द्रिय—

इन्द्रिय शब्द 'इन्द्र' शब्द और 'ध' प्रत्यय के योग से बना है । 'इन्द्र' का अर्थ है आत्मा और 'ध' का अर्थ है सम्बन्धी । इसलिये इन्द्रिय शब्द का अर्थ होता है आत्म-सम्बन्धी । किन्तु इन्द्रिय शब्द के इस योगलभ्य अर्थ को इन्द्रिय का लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे इन्द्रिय का लक्षण मानने पर आत्मसम्बन्धी शरीर आदि में उसकी अति यासि हो जायगी । अतः उसका लक्षण किया गया है 'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणम्, अतीन्द्रियम्'—जो शरीर से संयुक्त हो, ज्ञान का करण हो तथा अतीन्द्रिय हो उसे इन्द्रिय कहा जाता है । ग्राण आदि शरीर से संयुक्त होते हैं, गत्वा आदि के ज्ञान के करण होते हैं और स्वयम् अतीन्द्रिय होते हैं अतः उन्हें इन्द्रिय कहा जाता है ।

उक्त लक्षण से 'शानकरणम्' इस अश को निकालकर यदि 'शरीरस्युक्तम् अतीन्द्रियम्' मात्र को इन्द्रिय का लक्षण माना जायगा तो काल आदि में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह भी शरीर से सयुक्त और अतीन्द्रिय होता है, और जब 'शानकरणम्' अश को लक्षण का अङ्ग माना जायगा तब यह दोष नहीं होगा, क्योंकि काल आदि शान का करण नहीं होता। 'शानकरणम्' के बदले 'शानकारणम्' कहन पर भी इस दोष का परिहार नहीं होगा, क्योंकि काल कार्यमात्र का साधारण कारण होने से शान का भी कारण होता है। किन्तु 'शानकरणम्' को लक्षण का अङ्ग मानने पर यह दोष नहीं होता, क्योंकि 'शानकरण' का अर्थ होता है व्यापारद्वारा शान का असाधारण कारण^३ और काल कार्यमात्र का साधारण होने से व्यापारद्वारा शान का असाधारण कारण नहीं होता।

उक्त लक्षण से 'शरीरस्युक्तम्' अश को निकाल कर यदि 'शानकरणम् अतीन्द्रियम्' मात्र को इन्द्रिय का लक्षण माना जायगा तो विषय के साथ इन्द्रिय के सञ्जिकर्त्ता में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि वह निविकल्पकशानल्प व्यापार के द्वारा सविकल्पक शान का करण और अतीन्द्रिय होता है किन्तु 'शरीरस्युक्तम्' को लक्षण का अङ्ग मानने पर यह दोष न होगा क्योंकि इन्द्रिय का सञ्जिकर्त्ता इन्वर्सल्प न होने से शरीरस्युक्त नहीं हो सकता।

उक्त लक्षण से 'अतीन्द्रियम्' अश को निकाल कर यदि 'शरीरस्युक्त शानकरणम्' मात्र को इन्द्रिय का लक्षण माना जायगा तो प्रकाश में अतिव्याप्ति हो जायगी क्योंकि प्रकाश शरीर से सयुक्त होता है और शरीर के चालुण-प्रत्यक्षात्मक शान का करण होता है, किन्तु जब 'अतीन्द्रियम्' अश को लक्षण का अङ्ग माना जायगा तब यह दोष न होगा क्योंकि प्रकाश इन्द्रियवेद्य होने से अतीन्द्रिय नहीं होता।

'अतीन्द्रियम्' का भी वर्थ इन्द्रियातीत या इन्द्रिय से अप्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अर्थ करने पर इन्द्रिय के लक्षण में इन्द्रिय का प्रवेश हो जाने से आत्माभव दोष हो जायगा, अत अतीन्द्रिय का अर्थ है अप्रत्यक्ष—प्रत्यक्ष शान का अविषय, और प्रत्यक्षशान का अर्थ है शानकरणक शान, वह शान जिसका करण कोई शान—सविकल्पक शान न हो। अतीन्द्रिय शब्द के इस अर्थ में इन्द्रिय का प्रवेश न होने से आत्माभव दोष नहीं होता।

इन्द्रियभेद—

इन्द्रिय के द्वय ऐद द्वैते हैं, धृण, रुक्ष, न्यून, व्यक्त, भेत्र, और पन। इनमें पहले की पाँच इन्द्रिया वाल्य इन्द्रिय कही जाती है। इनसे शरीर के भीतर आत्मा या आत्मा के

गुणों एवं उनकी जाति का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु वाद्य पदार्थों का ही प्रत्यक्ष होता है। छठीं इन्द्रिय है मन, इसे आन्तर इन्द्रिय कहा जाता है, इससे वाद्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु शरीर की भीतरी वस्तु आमता, उसके गुण तथा उनकी जाति का प्रत्यक्ष होता है।

इन्द्रिय के विषय में एक यह चात समझ लेना आवश्यक है कि साख्य, वेदान्त आदि अन्य दर्शनों में इन्द्रियों के दो भेद माने गये हैं, शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय। जिन इन्द्रियों से ज्ञान का उदय होता है उन्हें शानेन्द्रिय कहा जाता है और जिन इन्द्रियों से कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्मेन्द्रिय कहा जाता है। शानेन्द्रिया प्रायः वही है जो ऊरर वनायी जा चुकी है। कर्मेन्द्रियों के नाम हैं वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपर्यु। इनमें वाक् से बोलने का काम, पाणि से किसी वस्तु को लेने या देने का काम पाद से चलने का काम, पायु से मलत्याग का काम और उपर्यु से मूत्रत्याग का काम लिया जाता है। न्यायवैशेषिक दर्शन में कर्मेन्द्रिय नाम से किसी इन्द्रिय को मान्यता नहीं दी गई है। वाक्, पाणि आदि तो हैं, उनसे वह काम भी लिया जाता है पर वे शरीर के अवश्य हैं, इन्द्रिय नहीं हैं। यदि आत्मा के किसी प्रयोजन का साधन होने मात्र से उन्हें इन्द्रिय माना जायगा तो पेर, पीठ आदि को भी इन्द्रिय कहना पड़ेगा क्योंकि उनसे भी तो अरपा के किन्हीं प्रयोजनों का साधन होता ही है।

अन्य दर्शनों में इन इन्द्रियों के अधिकाता देवों की भी चर्चा की गई है पर न्यायवैशेषिक दर्शन में उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है और न वैषा मानने की कोई आवश्यकता ही है। वह मान्यता केवल अद्वा पर आवारित है किसी तर्क पर आवारित नहीं है और जो चात तर्क पर आवारित न हो वह न्यायवैशेषिक दर्शन को मान्य नहीं हो सकती।

तत्र गन्धोपलविधसाधनमिन्द्रियं द्वाणम् नासाप्रवर्ति । तत्र पार्थिवं गन्धवत्त्वाद् घटवत्, गन्धवत्त्वं च गन्धप्राहकत्वात् । यदिन्द्रियं स्वपादिपुष्टद्वासु मध्ये यं गुणं गृह्णाति तदीन्द्रियं तदूगुणसंयुक्तं यथा चक्षु रूपप्राहकं दृपवत् ।

का ग्राहक मानने पर उसमें इन सभी गुणों का अस्तित्व मानना पड़ेगा क्यों कि इन गुणों से हीन होने पर भी यदि वह इन गुणों के सजातीय गुण का ग्राहक होगी तो उसकी अन्तरिन्द्रिय मन से कोई लक्षण नहीं रह जायगी क्योंकि जैसे मन सुख आदि से हीन होते हुए भी सुख आदि का प्राहक है वही स्थिति चक्षु की भी हो जायगी । इस स्थिति के परिवारार्थ यदि उसमें रूप आदि सभी गुणों का अस्तित्व माना जाय तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि वैसा मानने पर उसे वायुप्रकृतिक न मानकर वृथिकीप्रकृतिक मानना होगा और उस दशा में पूरे शरीर में उसकी व्यापकता न हो सकेगी क्योंकि पूरे शरीर में किसी भीन्द्रिय पार्थिव अश का सद्भाव ग्रामणिक नहीं है ।

ग्राण—

उक्त छ. इन्द्रियों में जो इन्द्रिय गन्ध की उपलब्धि—प्रत्यक्ष का साधन होती है उसे ग्राण कहा जाता है । ग्राण का यह लक्षण 'येत जिघनि तदू द्वाणम्' ग्राण शब्द की इस व्युत्पत्ति से ही लब्ध हो जाता है । क्योंकि ग्राण शब्द ग्रा धातु से करण में लयुट् प्रत्यय करने से बना है । 'ग्रा ग-धोपादाने' इस धातुयाठ के अनुसार ग्रा धातु का अर्थ है गन्ध की उपलब्धि और लयुट् प्रत्यय का अर्थ है करण । इसलिये ग्राण शब्द का अर्थ होता है गन्ध की उपलब्धि का करण । इसमें 'इन्द्रिय' अश और जोड़ देने से ग्राण का यह लक्षण बन जाता है कि 'गन्ध की उपलब्धि का करण-भूत इन्द्रिय ग्राण है' । इस लक्षण में से गन्धको निकाल देने पर 'उपलब्धि का करणभूत इन्द्रिय' इतना ही लक्षण का स्वरूप होगा और तब चक्षु आदि में उसकी अतिव्याप्ति हो जायगी क्योंकि चक्षु आदि भी रूप आदि की उपलब्धि के करणभूत इन्द्रिय है । उक्त लक्षण में से उपलब्धि को निकाल कर यदि उसके स्थान में शान का सञ्जिवेश किया जायगा तो मन में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि वह भी गन्ध के स्मरणरूप शान का करण है और इन्द्रिय है । उपलब्धि का सञ्जिवेश करने पर वह दोष नहीं होगा क्योंकि उपलब्धि का अर्थ है प्रत्यक्ष और मन गन्ध के प्रत्यक्ष का करण नहीं होता, क्योंकि मन को यदि गन्ध के प्रत्यक्ष का करण नाम जायगा तो जिस मनुष्य की ग्राण इन्द्रिय रोगपथ नष्ट हो जाती है उसे भी गन्ध का प्रत्यक्ष होने लगेगा । यदि यह कहा जाय कि मन तो प्रत्यक्षमात्र एवं जानकार का करण होना है क्योंकि इन्द्रिय और मन के परस्परसंयोग के बिना किसी प्रत्यक्ष का तथा आत्मा और मन के परस्पर

संयोग के बिना किसी शान का उदय नहीं होता, अतः मन गन्ध की उपलब्धि का भी कारण है, इस लिए लक्षण में उपलब्धि का सञ्जिवेश करने पर भी मन में उसकी अतिव्याप्ति का बारण नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भ्राण के उक्त लक्षण में उपलब्धिकारण का निषेचन करके उपलब्धिकरण का निषेच किया गया है, और करण का अर्थ होता है व्यापारवत् असाधारण कारण। इस लिए उक्त लक्षण का स्वरूप यह निष्ठल होता है कि 'जो इन्द्रिय गन्ध की उपलब्धि का व्यापारद्वारा असाधारण कारण हो वह भ्राण है'। मन में अब इस लक्षण भी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती क्योंकि मन तो प्रत्यक्षमान या शानमान अथवा आरम्भ के विरोपगुणमात्र का सामान्य कारण होने से गन्ध की उपलब्धि का असाधारण कारण नहीं होता। यदि यह कहा जाय कि तब तो उपलब्धि के स्थान में शान को रखने पर भी अतिव्याप्ति न होगी क्योंकि मन गन्ध के स्मरणरूप ज्ञान का भी तो साधारण ही कारण होगा, असाधारण कारण तो होगा नहीं, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'स्मरण इन्द्रियजन्य है—इन्द्रियस्त्र असाधारण कारण से जन्य है क्योंकि वह जन्य ज्ञान है, उभी जन्य ज्ञान इन्द्रियजन्य—इन्द्रियरूप असाधारण कारण से जन्य होता है जैसे जन्य प्रत्यक्ष'। इस अनुमान से स्मरण के असाधारण कारणरूप में इन्द्रिय की चिह्न होती है। यह इन्द्रिय मन से भ्रन्त और कुछ नहीं है, अतः मन जैसे मानस प्रत्यक्ष का असाधारण कारण होता है उसी प्रकार स्मरण का भी असाधारण कारण होता है, अतः उपलब्धि के स्थान में ज्ञान को रखने पर मन में अतिव्याप्ति का होना सम्भव है।

उक्त लक्षण में से 'इन्द्रिय' अश को निकालकर यदि गन्ध की उपलब्धि के साथन मात्र को भ्राण कहा जायगा तो गन्ध के आश्रयभूत पुष्ट आदि में भी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि गन्ध के साथ भ्राण के सञ्जिकर्प का माध्यम होनेसे गन्ध का आश्रय पुष्ट आदि भी उसकी उपलब्धि का साधन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्राण से गन्ध का प्रत्यक्ष तब होगा जब गन्ध से उसका सञ्जिकर्प हो, यह सञ्जिकर्प सीधे न होकर गन्ध के आश्रय पुष्ट आदि के द्वारा ही होगा। जैसे भ्राण का संयोग होगा पुष्ट के साथ और पुष्ट का समवाय है गन्ध के साथ, इस प्रकार भ्राणसंकुक्तसमवाय गन्ध के प्रत्यक्ष का कारण होगा, इस सञ्जिकर्प का घटक होने से पुष्ट आदि भी गन्ध की उपलब्धि का कारण होगा, इस लिये लक्षण में इन्द्रिय का सञ्जिवेश न करने पर गन्ध के आश्रय पुष्ट आदि में सभा उक्त सञ्जिकर्प में भी भ्राण के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, अतः इस अतिव्याप्ति के परिदृश्यार्थ लक्षण में इन्द्रिय अश का सन्निवेश आवश्यक है।

भ्राण नातिका के अग्रभाग में अवस्थित होता है, जब किसी सुपन्थ अथवा दुर्गन्ध युक्त दृष्टि का कोई अश वायु आदि द्वारा नातिका के अग्रभाग तक पहुँचता है तब वहाँ स्थित भ्राण का उस गन्धयुक्त अश के साथ संयोग हो जाता है और उस संयोग-

रमोपलदिवसाधनमिन्द्रियं रसन चिह्नाप्रवर्ति । तत्त्वाध्यं रसवत्त्वाद्, रसवत्त्वं च रूपादिपु पञ्चसु मध्ये रसस्यैवाभिष्यजकत्वान् ला वन् ।

रूपोपलदिवसाधनमिन्द्रियं चक्षु, कृष्णताराप्रवर्ति । तत्त्वं तेजसं रूपादिपु पञ्चसु मध्ये रूपस्यैवाभिष्यजकत्वान् प्रदापवन् ।

के फलस्वरूप गन्ध के साथ ग्राण का सयुजसमवाय सविकर्षं बन जाता है, उस सन्निकर्ष-द्वारा ग्राण से गन्ध की उपलब्धि सम्पन्न होती है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्राण स्वयं गन्धयुक द्रव्य के समीप नहीं जाता किन्तु उस द्रव्य का ही कोई अश वायु आदि के द्वारा ग्राण के पास जाता है और ग्राण उक्त रीति से सन्निकृष्ट हुये गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादन करता है ।

ग्राण पृथिवी के परमाणवों से निर्मित एक पार्थिव द्रव्य है, अत पृथिवी के सभी विशेषगुण उसमें उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे सब गुण अदृष्टवश अनुदृभूत होते हैं अत उसमें उन गुणों की अवधार उन गुणों द्वारा उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती । प्रश्न होता है कि जब उसमें पृथिवी के गृणों की उपलब्धि नहीं होती तो यह कैसे माना जाय कि वह पृथिवी के परमाणवों से निर्मित एक पार्थिव द्रव्य है ? इसका उत्तर यह है कि ग्राण में गन्ध का वर्द्धित प्रत्यक्ष नहीं होता फिर भी उसमें उपरा अनुमान होता है, जैसे 'ग्राण गन्ध का आश्रय है क्योंकि वह गन्ध की ग्रांक वाद्य इन्द्रिय है, जो चित गुण का ग्राहक वाद्य इन्द्रिय होती है वह उस गुण के सजातीय गुण का आश्रय होती है जैसे रूप का ग्राहक वाद्य इन्द्रिय चक्षु रूप का आश्रय होता है । इस अनुमान से ग्राण में गन्ध का साधन कर गन्ध से उसमें पार्थिवत्व का अनुमान किया जा सकता है । अनुमान की आकार इस प्रकार होगा 'ग्राण पार्थिव है, क्योंकि वह गन्ध का आश्रय है, जो गन्ध का आश्रय होता है वह पार्थिव होता है जैसे घट या पुष्प आदि' इस प्रकार ग्राण में गन्धग्राहकत्व से गन्ध का अनुमान और गन्ध से पार्थिव का अनुमान कर ग्राण को पार्थिव माना जाता है ।

रसन—

'रस्यतेऽनेन हति रसनम्—जिससे रस का आस्ताद लिया जाय' रसनशब्द की इस व्युत्तरति के अनुसार रसन इन्द्रिय का यह लक्षण लग्भ होता है कि 'जो इन्द्रिय रस की उपलब्धि—प्रत्यक्ष का साधन हो' उसे रसन कहा जाता है । रूप आदि की उपलब्धि के साधन चक्षु आदि इन्द्रिय में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये लक्षण में रस का सन्निवेश किया गया है । रसस्मृति के साधन मन में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये ज्ञान का सन्निवेश न कर उपलब्धि का सन्निवेश किया गया है । मन में ही अतिव्याप्ति के वारणार्थ साधक-कारण का निवेश न कर साधन—करण का निवेश किया

गया है। रसके साथ इन्द्रिय के संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष में तथा उस लक्षिकप के घटक रसाधय द्रव्य में अतिव्याप्ति के बासाथ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है।

रसनेन्द्रिय जिहा के अप्रभाग में अवस्थित रहती है, जब कोई रसयुक्त द्रव्य जिहा से संयुक्त होता है तब उसके अप्रभाग में अवस्थित रसनेन्द्रिय का उस द्रव्य के साथ संयोग हो जाता है और उसके फलस्वरूप उस द्रव्य में विद्यमान रस के साथ रसनेन्द्रिय का संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष सुष्पन्न हो जाता है। उस सन्निकप के द्वारा रसनेन्द्रिय से जिहाविधित द्रव्य के रस की उपलब्धि होती है।

रसन एक जलीय द्रव्य है। यह बात अनुमान से सिद्ध होती है। अनुमान का आकार इस प्रकार है—

रसनेन्द्रिय जलीय द्रव्य है, क्योंकि वह रस का आधय है, जो रस का आधय होता है वह जल या जलीय होता है जैसे सन्तरा, नारियल आदि के भीतर का जल। रसनेन्द्रिय यत जल के परमाणुओं से निमित् एक जलीय द्रव्य है अत उसमें जल के सभी विशेष गुण उत्पन्न होते हैं किन्तु व अटष्टवश अनुदृश्ट होते हैं, अत उन गुणों का तथा उनके द्वारा स्वयं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। यहाँ होती है कि रस से जलत्व या जलीयत्व का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि वह द्राक्षा, शक्का आदि पार्थिव द्रव्य में जलत्व का व्यभिचारी है। इसका उत्तर यह है कि उक्त अनुमान में सामान्य रस हेतु नहीं है किन्तु विजातीय रस हेतु है। विजातीय रस का अर्थ है वह रस जो पार्थिव द्रव्य में उत्सन्न न होकर केवल जलीय द्रव्य में हो उत्पन्न होता है जिसे अपाकज्ञ रस कहा जाता है। पार्थिव द्रव्य का रस पाकज होता है, तेज के विलक्षण संयोग से परिवर्तित होता रहता है, परन्तु जल का रस उदा एकरूप रहता है, वह पाक—तेज के संयोग से परिवर्तित नहीं होता। उस अपाकज्ञ रस से ही जलत्व या जलीयत्व का अनुमान अभीष्ट है, अतः उसमें साध्य का व्यभिचार न होने से उक्त अनुमान में कोई वाधा नहीं हो सकती।

प्रश्न होता है कि रसनेन्द्रिय में रस की उपलब्धि तो होती नहीं तो किर उसके रसाधय होने में क्या प्रमाण है? उसर है कि रसनेन्द्रिय में रस की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती है। अनुमान का आकार इस प्रकार होता है—

रसनेन्द्रिय रस का आधय है, क्योंकि वह रूप, रस, सर्व, आदि विशेष गुणों में जबल रस का ही प्राप्त है, जो इन गुणों में जेवल रस का ही प्राप्त होता है वह रस का आधय होता है जैसे मनुध्य के मुख से निकलने वाला लार। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुध्य के मुख में जेवल लार नहीं आता तब तक कि ही रस का स्वाद नहीं मिलता अतः लार को रसानुभूति का साधन माना जाता है किन्तु वह मुख में पहुँचे रसरद् द्रव्य के हृष

आदि का ग्राहक न होकर उसके रसमात्र का ही ग्राहक होता है। तो जैसे लार रसवद् द्रव्य के रूप आदि गुणों में अन्य किसी गुण का ग्राहक न होकर रसमात्र का ही ग्राहक होने से रस का आश्रय होता है, उसी प्रकार रसनेन्द्रिय भी रसवद् द्रव्य के रूप आदि गुणों में रसमात्र का ही ग्राहक होती है अत उसे भी रस का आश्रय मानना उचित है।

चक्षु—

‘चष्टेऽनेन इति चक्षु—जिससे रूप देखा जाता है’ चक्षु शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार चक्षु का यह लक्षण निधन होता है कि ‘जो इन्द्रिय रूप की उपलब्धि—प्रायथ का साधन हो’ उसे चक्षु कहा जाता है। नेत्र, नयन, लोचन आदि उसी के पर्याय हैं। गन्ध की उपलब्धि के साधन ग्राण आदि में अतिव्याप्ति के वारणाथ लक्षण में प का सन्निवेश किया गया है। रूप की स्मृति के साधन मन में आत्माता के वारणाथ ज्ञान का सन्निवेश न कर उपलब्धि का सन्निवेश किया गया है। उसी में पुन अतिव्याप्ति के वारणाथ साधक का निवेश न कर साधन का निवेश किया गया है। साधन का अध्य होता है करण, अत उसका सन्निवेश करने से ज्ञानसामान्य का साधारण कारण होने से रूप की उपलब्धि के कारण मन में होने वाली अतिव्याप्ति का निराप हो जाता है, क्योंकि मन रूप की उपलब्धि का असाधारण कारण न होने से उसका करण नहीं होता। रूप के साथ चक्षु के समुक्तसमवाय सन्निकर्प के घरक पर आदि द्रव्य में अ तंत्याप्ति के वारणाथ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है।

चक्षु इन्द्रिय औंख की काली पुतली के अगले भाग में अवस्थित होती है, इस इन्द्रिय में किरण होती है, औंख खुलने पर इस की किरण बाहर निकल कर समुख विद्यमान द्रव्य के निहर पहुँच जाती है। उस किरण द्वारा दृष्टि के साथ चक्षु का स्पर्श सन्निकर्प तथा दृष्ट्यगत रूप के साथ चक्षु का समुक्तसमवाय सन्निकर्प हो जाता है। उनमें पहले सन्निकर्प द्वारा दृष्टि की तथा दूसरे सन्निकर्प द्वारा द्रव्यगत रूप की उपलब्ध होती है, इस उपलब्धि का साधन होने से चक्षु को इन्द्रिय कहा जाता है।

चक्षु इन्द्रिय तेज के परमाणुओं से निमित एक तैजस द्रव्य है, उसमें तेज के समाविश गुण उत्पन्न होते हैं किन्तु वे सब अदृष्टवर्ण अनुदृष्ट होते हैं, अत उन गुणों का तथा चक्षु का प्रत्यक्ष नहीं होता। चक्षु में तैजसत्व की सिद्धि अनुमान से होती है। अनुमान का आकार इस प्रकार होता है—

चक्षु तैजस है, क्योंकि वह अपने से समुक्त द्रव्य के रूप आदि विशेष गुणों में केवल रूप का ही ग्राहक होता है, जो अपने से समुक्त द्रव्य के रूप आदि गुणों में केवल रूप का ही ग्राहक होता है वह तैजस होता है जैसे प्रदीप।

स्वर्णोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं त्वक्, मर्घशरीरव्यापि । तच्च वायवीयं, स्पष्टदिपु पञ्चमु मध्ये स्वर्णस्यैवाभिश्यजकंवाद्, अङ्गसहिसलिलदीत्याभिव्यव्यक्तव्यजनवात्वत् ।

शब्दोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं थोत्रम् । तद्व कर्णशष्कुल्यविठ्ठलमाकाशमेव, न द्रव्यान्तरं शब्दगुणत्वात्, तदपि शब्दगुणकं शब्दमाहकत्वात् । यदिन्द्रियं स्पष्टदिपु पञ्चमु मध्ये यद्गुणव्यव्यक्तकं तत् तद्गुणसंयुक्तं यथा चमुरादिरूपादिरुक्तम् । शब्दमाहकं च थोत्रम्, अतः शब्दगुणकम् ।

त्वक्—

त्वक् का दूसरा नाम है स्पर्शन, इसका लक्षण है—स्पर्श की उपलब्धि का साधन भूत इन्द्रिय । इस लक्षण में स्पर्श का सन्निवेश रूप आदि के ग्राहक चक्र आदि में अतिभ्यासि के वारणार्थ किया गया है । लक्षण में ज्ञानसाधक का सन्निवेश न कर उपलब्धिसाधन का सन्निवेश करके यन में अतिभ्यासि का परिवार किया गया है । स्पर्श के साथ त्वक् के लघुत्तमसाध सन्निकर्त्तं तथा उस सन्निकर्त्तं के पटक इव्य में अतिभ्यासि के वारणार्थ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किए गया है ।

त्वक् इन्द्रिय शरीर के समूचे भाग में रहती है । यह इन्द्रिय बातु के परमाणुओं से उत्पन्न एक वायवीय द्रव्य है । इसमें वायवीयत्व की सिद्धि अनुपान प्रमाण से होती है । अनुपान का आशार इस प्रकार होता है—

त्वक् वायवीय है, ज्ञेनि वह रुद आदि गुणों में केवल स्पर्श का ही ग्राहक है, जो रुद आदि गुणों में केवल स्पर्श का ही ग्राहक होता है वह वायवीय होता है जैसे शरीर में अवरिपत जलीयमान के शीत्य की अनुभूति करनेवाली परें की होता ।

ओषध—

‘भूपतेऽनेन इति शोधम्—जित्से मुना जाय’ ओषध यन्द की इस व्युत्थासि के अनुसार ओषध का यह लक्षण कहित होता है कि ‘बो इन्द्रिय ग्रन्थ की उपलब्धिका साधन हो’ उसे ओषध कहा जाता है । कर्ण, यवण आदि उसी के नामान्तर है । स्य आदि की उत्तरिकरि के साधन चक्र आदि में अतिभ्यासि के वारणार्थ लक्षण में यन्द का सन्निवेश किया गया है । गुणसाधक का परेण न कर उपलब्धिसाधन का प्रवेश कर मन में अतिभ्यासि का वारण किया गया है । यन्द के साथ ओषध के समराय सन्निहर्ष में अतिभ्यासि के वित्तप्रणाली चक्रमें इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है ।

ओषध कोई अन्य द्रव्य नहीं है जिन्हे कर्णगुणचक्री से भवनित भागाय—इन के पर्दे के भीतर का आहार ही ओषध है ।

सुखाद्युपलब्धिसावनमित्रियं मनः, तच्चाणुपरिमाणं हृदयान्तर्बर्ति ।

ननु चक्षुरादीन्द्रियसद्भावे कि प्रमाणम् ? उच्यते-अनुमानमेव । तथाहि
उपाद्युपलब्धयः करणसाध्याः, क्रियात्वाच्छिद्दिक्रियावत् ।

प्रश्न होता है कि श्रोत्र को आकाशात्मक मानने में क्या प्रमाण है । उत्तर है कि अनुमान प्रमाण । अनुमान का आकार इस प्रकार है—

श्रोत्र आकाशात्मक है, क्योंकि वह शब्द का आधय है, जो शब्द का आधय होता है वह आकाशात्मक होता है जैसे प्रसिद्ध आश्रय । यदि पूँछ जाय कि श्रोत्र को शब्द का आधय मानने में क्या प्रमाण है ? तो इक्षका उत्तर यह है कि अनुमान प्रमाण । अनुमान का आकार इस प्रकार है—

श्रोत्र शब्द का आधय है, क्योंकि वह शब्द का ग्राहक है । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन गुणों में जो जिस गुण का ग्राहक होता है वह उस गुण के सज्ञानीय गुण का आधय होता है । जैसे चक्षु आदि इन्द्रियों । तात्पर्य यह है कि जैसे चक्षु आदि इन्द्रिया रूप आदि का ग्राहक होने से उस आदि का आधय होती है उसी प्रकार शब्द का ग्राहक होने से श्रोत्र को भी शब्द का आधय मानना उचित है ।

मन—

‘मनस्यति अनेन इति मनः—जिससे मनन किया जाय, वाद्य इन्द्रियों से ग्रहण न किये जाने गाले गुणों का ग्रहण किया जाय’ मनस् शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार मन का यह लक्षण निष्ठन्म होता है कि ‘जो इन्द्रिय आत्मा के सुख आदि विशेषगुणों की उपलब्धि का साधन हो’ उसे मन कहा जाता है । रूप आदि की उपलब्धि के साधन चक्षु आदि में अतिव्याप्ति के वारणार्थ लक्षण में सुखादिका सन्निवेश किया गया है । लक्षण में उपलब्धिका सन्निवेश न कर ‘सुखादिग्रानदाधनम् इन्द्रिय मनः’ मन का यदि यह लक्षण किया जायगा तो त्वक् में मन के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । कहनें का तात्पर्य यह है कि न्यायमन में सुषुप्ति के समय ज्ञान की उत्तरति नहीं मानी जानी अतः उस समय शान की उत्तरति के परिहारार्थ जन्यशानमात्र के प्रति त्वक् के साथ मन के संयोग को कारण माना जाता है । इस कारण को त्वीकार कर लेने पर सुषुप्ति के समय ज्ञान की उत्तरति का भय नहीं रह जाता क्यों हि उस समय त्वक् को छोड़कर मन पुरीतति नाड़ी में चला जाता है अन् उस समय त्वक् के साथ मन का संयोग नहीं रह जाता । त्वक् के साथ मन के संयोग को ज्ञानशामान्य का कारण मान लेने से त्वक् भी ज्ञानशामान्य का कारण हो जाता है और इस प्रकार वह सुखादि के ज्ञान का भी कारण हो जाता है, अतः

उसमें 'सुखादिजानसाधनम् इन्द्रिय मनः' मन के इस लक्षण की अतिव्यासि प्रसन्न होती है। इस अतिव्यासि के चारणार्थ लक्षण में उपलब्धि का सन्निवेश आवश्यक है।

प्रश्न हो सकता है कि उक्त रीति से त्वक् ज्वर शान्तयामान्य का कारण होता है तब वह सुखादि की उपलब्धि का भी कारण होगा, अत उपलब्धि का सन्निवेश करने पर भी त्वक् में अतिव्यासि का वारण कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि उपलब्धि में उपरुद का अर्थ है समीप और लिंग का अर्थ है ज्ञान। अतः लक्षण में उपलब्धि का सन्निवेश करने पर लक्षण का स्वरूप यह निश्चल होता है कि जो इन्द्रिय समीप से—अपने सन्निकप से सुखादि के ज्ञान का साधन हो वह मन है। लक्षण का यह स्वरूप बन जाने पर त्वक् में उठकी अतिव्यासि नहीं हो सकती क्योंकि वह समीप से—अपने सन्निकप से सुखादि व ज्ञान का साधन नहीं होता।

सुखादि के साथ मन के समुन्द्रमवाय सन्निकप का घटक होने से सुखादिरा आश्रय आमा भी सुखादि की उपलब्धि का साधन होता है अतः उसमें अतिव्यासि के चारणार्थ लक्षण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है।

मन नियंत्रण में अणु होता है। हृदय के भीतर वह अवस्थित रहता है, वहाँ से आवश्यकतानुसार गुरुर्द के विभिन्न भागों में जाता है।

प्राण, चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय के साथ सन्निकर्त्ता होने पर भी उन सभी इन्द्रियों से एक काल में उनके विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु कम से होता है, इस क्रम की उपरच्छ व लिप्त ही मन को अणु माना जाता है। मन को अणु मानने पर तत्त्वत् इन्द्रिय स उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष के प्रत तत्त्वत् इन्द्रिय वे साथ मन के सदोग को करण मान लेने से ज्ञानकम का उपरच्छ हो जाती है, क्यों कि अणु मन का विभिन्न इथानो में स्थित इन्द्रियों के साथ एक काल में सदोग नहीं हो पाता।

चक्षु आदि इन्द्रियों के सम्बन्ध में प्रश्न यह होता है कि इन इन्द्रियों का प्रत्यक्ष वो होता नहीं, तो। किन्तु इनके अस्तित्व में क्या प्रमाण है? और जब इनका अस्तित्व ही अप्राकाशिक है तब इबव लक्षण आदि बनाने का प्रयाप व्यर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियों का अस्तित्व अप्राकाशिक नहीं है किन्तु अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। अनुमान का आकार इस प्रकार है—

रूप आदि गुणों की उपलब्धया करणजन्य है, क्योंकि व किया है, जो किया होती है वह करणजन्य होती है जैसे लड़की का काना एक दिया है और वह झुठार—फुराहूर करण से जन्य है।

तात्पर्य यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियों स्वयं तो अप्रत्यक्ष भावशय है पर उनसे हान वाली रूप आदि की उपलब्धहस्त किया प्रत्यक्ष है क्योंकि कर आदि की उपलब्धि

अर्था पट् पदार्थः। ते च द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष समवायाः। प्रमाणादयो यद्यप्यत्रैवान्तर्भवन्ति, तथापि प्रयोजनवशाद् भद्रेन कीर्तनम्।

होने पर उसका प्रत्यक्ष अनुभव सभी को होता है, क्योंकि यदि उसका प्रत्यक्ष न होता तो 'मुझे रूप की उपलब्धि हुई, मैंने रूप को देखा' इस प्रकार मनुष्य उस उपलब्धि को कैसे प्रकट करता ? क्यों कि शब्द से उसी चात को प्रगति किया जाता है जो चात चात होती है, अत रूप आदि की उपलब्धि का जो प्रकटकरण होता है उसके अनुरोध से यह मानना होगा कि रूप आदि की उपलब्धि होने पर मनुष्य को उसका ज्ञान अवश्य होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य नहीं हो सकता क्योंकि अनुमिति, गण-द्वय आदि अन्य ज्ञान की सामग्री उस समय सञ्चिह्न नहीं रहती। उस ज्ञान को प्रत्यक्षरूप मानने पर उसके होने में कोइ वास्तव नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए विषय तथा उसके साथ इन्द्रियसन्निकप की ही अपवाहा होता है और उस समय रूपादि का उपलब्धिरूप विषय तथा उसके साथ मन का संयुक्तसमवायरूप सन्निकप दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार रूप आदि की उपलब्धिरूप किया जब प्रत्यक्षसिद्ध है तब उस किया से उसके करण का अनुमान करने में काई वास्तव नहीं हो सकता।

इस प्रकार रूप आदि की उपलब्धि से उसके करणरूप में जिसका अनुमान होता है उसी को चक्षु आदि इन्द्रिय कहा जाता है। चक्षु आदि इन्द्रियों का अस्तित्व जब इस प्रकार प्रमाणसिद्ध है तब उसके लक्षण आदि बताने का जो प्रयास किया गया है वह उचित ही है।

‘अर्थ—

अथ शब्द से अभिमत है वैशेषिक दर्शन में वर्णित हृषि भाव पदार्थ, और वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय।

अर्थ शब्द की यह व्याख्या तर्कभाषाकार की अपनी स्वशब्दन्वयायता है। न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में अर्थ शब्द की जो व्याख्या की गई है, उससे इस व्याख्या का स्पष्ट मेल नहीं जान पड़ता।

न्यायदर्शन में अर्थ शब्द से इन्द्रियार्थ को महेन किया गया है, जैसे

गन्धरसलपस्पर्शयूद्धा पुर्थियादिगुणात्तदर्थः।

न्या सू. १, १. १५।

इस सत्र में 'तदर्थ' का अर्थ है 'इन्द्रियार्थः।' इसके अनुसार आत्मा, शरीर आदि बारह प्रमेयों में अर्थ शब्द से जिस प्रमेय का प्रतिरोधन किया गया है वह इन्द्रियार्थ-

रूप है। इन्द्रियार्थ पाँच हैं, गन्ध, रस, रुग, स्पर्श और शब्द। ये क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच मूलद्रव्यों के विशेषण हैं। इस प्रकार न्यायदर्शन के अनुसार अर्थ शब्द का अर्थ है गन्ध आदि गुण।

वैशेषिक दर्शन में अर्थ शब्द का सकेत द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में किया गया है। अतः उस दर्शन के अनुसार अर्थशब्द का अर्थ है द्रव्य, गुण और कर्म।

तर्कभाषाकार ने अर्थशब्द के इन दोनों अर्थों का परित्याग कर उसका अर्थ किया है वैशेषिक सूत्र में वर्णित द्रव्य आदि लृः भावात्मक पदार्थ। आचेप होता है कि तर्कभाषाकार की यह व्याख्या उचित नहीं है क्यों कि व्यब न्यायदर्शन के बारह प्रमेयों की व्याख्या की जा रही है तब अर्थशब्द से उन्हीं प्रमेयों को ग्रहण करना उचित है जो इस शब्द से न्यायसूत्रकार को अभीष्ट है। इसके उत्तर में केवल एक यही बात अहीं जा सकती है कि 'तर्कभाषा' न्याय और वैशेषिक दर्शनों का 'प्रकरणग्रन्थ' है। इस लिये इसमें दोनों दर्शनों में स्वीकृत पदार्थों का वर्णन आवश्यक है, अतः न्यायदर्शन के प्रमाण आदि सोलह पदार्थों के वर्णन के साथ वैशेषिक के द्रव्य आदि लृः पदार्थों का भी वर्णन करने के हेतु प्रनयकार ने अर्थशब्द के गर्भ में उनका भी सञ्जिवेश कर लिया है। इस प्रकार अर्थशब्द से द्रव्य आदि लृः पदार्थों को ग्रहण करने से अर्थशब्द-द्वारा वैशेषिकदर्शन में अर्थशब्द से अभिमत द्रव्य, गुण और कर्म का स्वतन्त्र रूप से व्यायदर्शन में अर्थशब्द से विवक्षित गन्ध आदि इन्द्रियार्थों का गुण के मध्य में सम्प्रह हो जाने से इस व्याख्या का न्याय और वैशेषिक दर्शन में की गयी अर्थशब्द की उपर्युक्त दोनों व्याख्याओं से सामान्य स्पैष्ट जाता है।

न्यायभाष्यकार—

वात्स्यायन ने प्रमेयविभावक सूत्र (न्या. द. १, १, ६) के भाष्य में वैशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि लृः पदार्थों को भी प्रमेय के रूप में स्वीकृत किया है किन्तु आपमा आदि बारह प्रमेयों के तत्त्वज्ञान से भोक्ता और उनके मित्याज्ञान से सलार का उदय होने के कारण उनके ही प्रतिपादन के अौचित्य का समर्थन किया है। वहाँ का भाष्य इस प्रकार है—

'अस्य यदपि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषणमवाया। प्रमेयम्, तद्मेदेन चापरिसक्येयम्। अस्य तु तत्त्वज्ञानादपवगो मित्याज्ञानात् सलार इत्यत एतदुपदिष्ट विशेषेण्टि।'

आपमा आदि बारह प्रमेयों से भिन्न भी प्रमेय हैं जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय। यदि उनके भ्रान्तरमेद पर इष्टि ढाली जाय तो उनकी कोई निष्प्रित संख्या द्वी ही नहीं सकती, तो किंतु इस प्रकार अनन्त प्रमेय के होते हुये

भी न्यायसूत्रकार ने आधा आदि केवल बारह प्रमेयों का ही जो विशेष रूप से प्रतिपादन किया है वह इसलिए कि उन प्रमेयों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की सिद्धि एवं उनके मिथ्याज्ञान से समार की अनुवृत्ति होती है और न्यायसूत्र की रचना ऐसे ही पदार्थों का, जिनके तत्त्वज्ञान से मोक्ष और मिथ्याज्ञान से समार होता है, प्रतिपादन करने के लिये हुई है, न कि जो कुछ प्रमाणसिद्धि है उस रूप का प्रतिपादन करने के लिये हुई है।

प्रश्न होता है कि जब अर्थशब्द की व्याख्या के सन्दर्भ में दृव्य आदि हुए पदार्थों का प्रतिपादन करना ही है तो उन्हीं पदार्थों में न्यायदर्शन के प्रमाण आदि सोलह पदार्थों का भी अन्तर्भाव होने के कारण उनके पृथक् प्रतिपादन की क्या आवश्यकता है ? उत्तर यह है कि प्रमाण आदि पदार्थों के ज्ञान का कुछ विशेष प्रयोगन है अतः उन पदार्थों का विशेष परिचय देने के द्वारा उनका पृथक् प्राप्तिपादन आवश्यक है।

न्यायदर्शन के प्रथमसूत्र के अवतरणमाध्य में भी इस आशयका प्रश्न उठा कर उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है—

‘सशयादीना पृथग् वचनमनर्थकम्, सशयादयो यथात्मव प्रमाणेषु प्रमेयेषु चान्तर्भवन्तो न व्यतीरच्यन्व इति । सत्यमत्त, इमास्तु चतुस्रा विद्या: पृथक् प्रस्थानाः प्राणभृतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । यातो चतुर्थीयमान्वीचिकी न्यायविद्या । तत्याः पृथक् - प्रस्थानाः सशयादयः पदार्थाः । तेषा पृथग्व वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमिय स्याद् यथोपनिषदः । तत्पात् सशयादिभिः पदार्थः पृथक् प्रस्थाप्यते’

इस भाष्यग्रन्थ का आशय यह है कि न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोगन आदि जिन सोलह पदार्थों का निर्देश किया गया है उनमें सशय आदि पदार्थों का समावेश यथात्मव प्रमाण वा प्रमेय न हो जाता है अतः आवश्यकता यह प्रतीत होता है कि प्रमाण और प्रमेय के अन्तर्गत ही उन पदार्थों का प्रतिपादन करना डृचित है। व्यतन्त्र रूप से उनका प्रतिपादन निरर्थक है। किर भी विचार करने पर उनके स्वतन्त्र प्रतिपादन का अधिक्षय और सार्थक्य सिद्ध होता है। जैसे नीतिशास्त्र में चार विद्याओं का वर्णन किया गया है—

आन्वीचिकी, त्रयी, वार्ता दण्डनीतिश शाश्वती ।

आन्वीचिकी का अर्थ है अनुमानविद्या—न्यायविद्या। इस विद्या के अध्ययन से पदार्थ की परीक्षा करने की प्रणाली वा पाठ्यान होता है। मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा शब्द से जिस वस्तु की जानकारी पास करता है, न्यायविद्या के छहारे वह उस वस्तु के यायात्म्य की परीक्षा कर उसके सम्बन्ध में एक निश्चित धारणा बना सकता है और तदनुसार उसे व्यवहारचेतन में उपर्युक्त कर सकता है।

त्रयी का अर्थ है वेदत्रयी—ऋग्, यजुं और साम । यह समस्त शान-विज्ञान का भाण्डागार है । प्रेय और श्रेय—भोग और मोक्ष के जिन साधनों का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता उनका ज्ञान इस त्रयी से ही सम्पन्न होता है ।

वार्ता का अर्थ है अर्थशास्त्र । इसमें कृषि, शिल्प, वाणिज्य, भैपञ्च आदि जीविको-पार्जन के सभी स्रोतों का विशद वर्णन होता है । मुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिये इस विद्या का अध्ययन आवश्यक होता है ।

दण्डनीति का अर्थ है राजनीति । इसमें राज्य—शासन के सभी अहों का वर्णन होता है, राष्ट्र और समाज की सुव्यवस्था एवं सुनियोजित प्रगति के लिये इसका अध्ययन आवश्यक होता है ।

इस प्रकार यह चारों विद्यायें सासार की समूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ अध्ययन अध्यापन में परिणीत हैं ।

यह निर्विवाद है कि विद्या का भेद प्रस्थान भेद—प्रतिपाद्य विषय के भेद पर निर्भर है । प्रतिपाद्य विषयों में यदि भेद न हो तो विद्याओं में भेद नहीं हो सकता । अतः आन्वीक्षिकी विद्या भी एक स्वतन्त्र विद्या तभी हो सकती है जब उसमें कुछ ऐसे विषयों का प्रतिपादन हो जिनका प्रतिपादन अन्य विद्याओं में न किया गया हो, और यदि किया भी गया हो तो उसमें उनकी प्रधानता न हो । न्यायदर्शन में प्रमाण अथवा प्रमेय में अन्तर्भुव होते हुए भी सशय आदि पदार्थों का पृथक् उल्लेख कर यही बात सूचित की गयी है कि सशय आदि पदार्थ न्यायविद्या के प्रधान प्रतिपाद्य हैं । उनका निशेष रूप से प्रतिपादन करने के कारण ही यह एक स्वतन्त्र विद्या है । यदि यह विद्या इन पदार्थों का प्रतिपादन न कर आत्मा आदि प्रमेयों के प्रतिपादन में ही व्यापृत होगी तो उपनिषदों के समान यह केवल अध्यात्मविद्या हो जायगी, और उस स्थिति में उसका अन्तर्भुव नयी में हो जायगा, वह एक चौथी स्वतन्त्र विद्या न हो सकेगी ।

६ ८

तत्र समवायिकारण द्रव्यम्, गुणात्मगे वा । तानि च द्रव्याणि पृथिव्यप्ते-
जोवायवाकाशकालदिग्मात्मनाभिन नरेव ।

उक्त छु. पदार्थों में द्र०य का लक्षण है समवायिकारणत्व । जो किसी कार्य का सम-
वायिकारण होता है उसे द्र०य कहा जाता है । इस लक्षण में से यदि समवायि पृद को
हय दिया जाय तो कारणश्वमात्र ही शेष बचेगा और यदि उतने को ही द्र०य का लक्षण
माना जायगा तो गुण, कर्म आदि में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि वे भी असमवायिकारण
तथा निमित्तकारण होते हैं, जैसे तन्तु का रूप परूप का तथा कर्म संयोग विभाग का
असमवायिकारण और अपने प्रत्यक्ष का निमित्तकारण होता है । इसी प्रकार उक्त लक्षण
में से कारणत्व को हटा कर यदि समवायित्वमात्र को द्र०य का लक्षण माना जायगा तो
उसकी भी गुण आदि में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि उसमें भी जाति का समवायित्व
रहता है ।

इस लक्षण में कारणत्व का प्रबेद्य होने से गौरव होता है अत दूसरा लक्षण
-जातिया गया गुणव्यत्व । जो समवाय सम्बन्ध से गुण का आध्रय हो वह द्र०य है । यह
दूसरा लक्षण अनित्य द्रव्यों में उनकी उत्पत्ति के समय अव्याप्त हो जाता है क्योंकि
वे द्रव्य अपने गुणों का कारण होते हैं और कारण को अपने कार्य की उत्पत्ति के पूर्व
विद्यमान होना आवश्यक होता है । अनित्य द्र०य असनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं
होते अत उनकी उत्पत्ति के समय उनमें गुण की उत्पत्ति न हो सकने से उस समय वे
निर्गुण होते हैं । इस लिए गुणात्मत्व का अर्थ करना होगा प्रतियोगित्वधिकरणगुणाभाव-
शू यत्व । उक्ता अर्थ है जिसमें गुणाभाव असने प्रतियोगी गुणका व्यधिकरण होकर न रहे
वह द्र०य है । अब अनित्य द्रव्यों में उनकी उत्पत्ति के समय भी इस लक्षण की अव्याप्ति
न होगी क्योंकि उस समय उनमें यद्यपि गुणाभाव रहता है पर प्रतियोगित्वधिकरण होकर
नहीं रहता क्योंकि उन्हीं द्रव्यों में दूसरे तीसरे लक्षण गुण भी रहता है । हाँ, यदि कोई
ऐसा भी द्रव्य हो जो कारणत्व असनी उत्पत्ति के दूसरे ही लक्षण नहीं हो जाय तो
उसमें गुण का उदय न हो सकने के कारण उसमें प्रतियोगित्वधिकरण गुणाभाव रह
जायगा अत उसमें प्रतियोगित्वधिकरणगुणाभावशू यत्व के अर्थ म भी गुणात्मत्व
अव्याप्त हो जायगा । इस लिए द्र०य का लक्षण होगा द्रव्यत्व जाति जिसमें द्रव्यत्व रहे
वह द्र०य है । इस तीसरे लक्षण को सकेतित करने के लिए ही ऊर के दोनों लक्षणों का
उल्लेख किया गया है क्योंकि द्रव्यत्व जाति की सिद्धि समवायिकारणता के अवलोकनक
रूप में करनी होती है और वह सम्पूर्ण द्रव्यों में गुणात्मक कार्य की दृष्टि से ही सम्भा
वित है, अत द्र०य की समवायिकरण और गुणात्मत्व कहने में उसमें संयोग आदि गुणों
की समवायिकारणता का और उसके अवलोकनकर्त्ता में द्रव्यत्व जाति का ध्यान

आ जाता है। इस प्रकार उन दोनों लक्षणों से इस तीसरे लक्षण का सकेत हो जाने से इस तीसरे लक्षण के प्रतिपादन में ही प्रन्थकार का अभिप्राय प्रतीत होता है।

द्रव्यभेद—

द्रव्य के कुल नव भेद हैं—पृथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। प्रन्थकार ने 'द्रव्याणि नवैव' कह कर दो बातों की ओर सकेत किया है। नव शब्द के द्वारा यह सकेत किया गया प्रतीत होता है कि मूल द्रव्यों की सख्ता नव अवश्य है, इसलिये इन उद्धारों के लिये कोई अवसर नहीं रह जाता कि शब्द वायु का ही गुण है आकाश नाम का उसका कोई अतिरिक्त आश्रय नहीं है। जन्म पदाय ही काल है, उनसे भिन्न दिक् नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। भूर्त द्रव्य ही दिक् है, उनसे भिन्न दिक् नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। देह आदि ही ज्ञान आदि गुणों के आश्रय हैं, आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। वायु के परमाणु ही मन है, मन नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है।

एवं शब्द से यह सकत किया गया जान पड़ता है कि द्रव्य पृथिवी आदि के रूप में नव ही हैं। इन नवों से पृथक् तम आदि के स्वप्न में किसी अतिरिक्त द्रव्यकी संता नहीं है।

तम के विषय में मीमांसकमत—

मीमांसादर्शन में तम—अन्थकार को एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है और उस मान्यता के समर्थन में यह दुक्ति दी गई है कि तम नील और गतिशील दिखाई देता है। नील दिखने से उसे पृथिवी में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पृथिवी में गत्य होता है और तम निर्गन्ध होते हुये गतिशील होने के कारण उसे तेज, वायु अथवा मन में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये द्रव्य नील नहीं दिखते और तम नील दिखाई देता है। नील दिखने से उसे नील दिखने वाले आकाश में नहीं समाविष्ट किया जा सकता क्योंकि आकाश कभी गतिशील नहीं दिखाई देता है और तम तो गतिशील दिखाई देता है। काल, दिक् और आत्मा में भी उसे समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये द्रव्य कभी नील या गतिशील नहीं दिखाई देते किन्तु तम तो नील और गतिशील दिखाई देता है। इस प्रकार नील और गतिशील दिखाई देने से यह सिद्ध होता है कि तम एक दयवा द्रव्य है। मीमांसकों की इस मान्यता का प्रतिपादन करने वाला यह श्लोक दर्यन के अध्येताओं में आपने प्रसिद्ध है—

तमः सत्त्वं चलं नीलं परारर्थविभागवत् ।

प्रसिद्धद्रव्यवेष्मर्याज्जिवभ्यो मेतुमहति ॥

तम में गति होती है, नील रु होता है। तम की उत्पत्ति क्रम से होती है, दूर तथा समीर के स्थानों में होती है। अतः उसमें कालकृत तथा दिक्कृत प्रत्यय और अपरत्यय होता है। तो एक स्थान से विमक होकर दूसरे रैयान से सुनक्त होता दिखाई देता है जब उसमें सयोग और विभाग भी होता है। छोटे, बड़े स्थानों में तम छोटा और बड़ा दिखाई देता है अतः उसमें कई प्रकार का परिमाण भी होगा है। मिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने से उसमें विभिन्न सुखायें भी होती हैं। एक स्थान का तम दूसरे स्थान के तम से पृथक् दिखाई देता है अतः उसमें पृथक्त्व भी है। इस प्रकार जाति और गुणों का आश्रय होने और उक्त रीति से पृथिवी आदि प्रसिद्ध नव द्रव्यों से विलक्षण होने से वह एक विजातीय स्वतन्त्र दृष्टि है।

नीयायिकमत —

तम के विवर में न्यायदर्शन का अभिमत यह है "कि नील और गतिशील दिखाई देने से तम का द्रव्य नहीं माना जा सकता क्योंकि जो द्रव्य नहीं होता वह भी कभी कभी नील और गतिशील दिखाई देता है, जैसे क्षूतर के उड़ने समय उसके गले का रुक्ष। यदि यह कहा जाय कि नील और गतिशील दिखाई देने से तम, में द्रव्यत्व का अनुमान अभीष्ट नहीं है" इन्हुंनी नील रूप और गति से द्रव्यत्व का अनुमान अभीष्ट है और इस अनुमान में कोई चाषा नहीं हो सकती, क्योंकि नीलरूप और गति में कहीं भी द्रव्यत्व का व्यभिचार नहीं है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि तम में नीलरूप और गति का होना मिल नहीं है। यदि यह कहा जाय कि तम में नीलरूप और गति की प्रत्यक्ष दर्शन होता है और उसके अनन्तर 'तम अनील और निश्चल होता है' इस प्रकार की चाषक प्रतीति का उदय कदापि न होने से वह प्रमा है, अतः उस प्रमात्मक दर्शन से तम में नीलरूप और गति की सिद्धि होने से नीलरूप और गति से तम में द्रव्यत्व का अनुमान निष्पत्त हो सकता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाषक प्रतीति के अनुदयमान से किसी प्रतीति को प्रमात्मक नहीं माना जा सकता, कारण कि यदि ऐसा "माना जायगा तो 'आकाश नील है'" इस प्रतीति के अनन्तर 'आकाश नील नहीं है' इस चाषक प्रतीति का उदय न होने से आकाश में नीलत्व की प्रतीति भी प्रमा हो जायगी और फिर उसके बल से आकाश में भी नीलत्व की सिद्धि हो जायगी, अतः किसी धर्म में किसी धर्म की प्रतीति को प्रमात्मक तभी माना जा सकता है जब उस धर्म में उस धर्म का अस्तित्व किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध हो। तम में नीलरूप, और गति किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है अतः उसमें नीलरूप और गति के दर्शन का प्रमात्मक सिद्ध नहीं है, तो फिर उक्त दर्शन में प्रमात्मक और अप्रमात्मक जब सन्दर्भ है तब उसके बल से तम में नीलरूप और गति की सिद्धि विस प्रकार हो सकती है? और जब उसमें नीलरूप और गति का होना सिद्ध नहीं है तब उसके आधार पर

[अर्थे पु निरूपणीये प्रवमस्य द्रव्यपदार्थस्य प्रेसङ्गप्राप्तस्य नवविधस्य
भेदाभिस्तपयितुमिच्छन् क्रमप्राप्ता पृथिवीं लक्ष्यति ।]

तब पृथिवीत्वसामान्यवती पृथिवी । काठिन्यकोमलत्वाचयवसंयोग-
विशेषण-युक्ता, ग्राण-शरीर-मृत्पिण्ड-पापाण-वृक्षादिरूपा, रूप-रस-गन्ध-
स्पर्श-सख्या-परिमाण-पथस्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-गुरुत्व-द्रवत्व-
सस्त्राखती । सा च द्विविधा नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा अनित्या
च कार्यरूपा । द्विविधायाः पृथिव्या रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-अनित्या-
पाकजात्र । पाकस्तु तेजःसंयोग, तेन पृथिव्या पूर्वरूपादयो नद्यन्त्यन्ते जन्यत
द्वितीया पाकजातः ।

तम में द्रव्यत्व का अनुमान किस प्रकार हो सकता है? अन तम के विषय में न्याय-
दर्शन की तुमिक्षित मान्यता यह है कि तम कोई द्रव्य नहीं है किन्तु तेज का अभाव
ही तम है, क्योंकि विस्तरान में जिस समय तेज नहीं होता उसी समय उस स्थान में
तम की प्रतीति होती है । यदि यह शब्द हो कि यही क्यों न माना जाय कि तम
ही क्रृत है, और उसका अभाव ही तेज है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उच्च इर्ष्या
के आधाररूप में तेज को द्रव्य मानना अनिवार्य है किन्तु तन को द्रव्य मानने में ऐसी
कोई प्रबल सुक्षि नहीं है अतः उसे तेज का अभाव मानने में कोई बाधा नहीं है । इसके
अनिरिक्त तम को द्रव्य मानने में गौरव भी है, क्योंकि तेज का संग्रिहान होने पर उसकी
निरुत्तिहोने के कारण उसे नित्य द्रव्य न मान कर जैन द्रव्य ही मानना होगा, और
उस स्थिति में उसके प्राप्तमात्र, धृष्ट तथा अनन्त अवयवों की कलमा आवश्यक हो
जाने के कारण गौरव का होना अनिवार्य है । इस प्रकार जब यह सिद्ध हो जाता है कि
तेज का अभाव ही तम है तब यह निर्विवाद रूप से हीकार्य है कि उसमें नीलस्त्र
और गति का हाना सम्भव नहीं है अत उसमें नीलस्त्र और गति का दर्शन
अमुख्यक है ।

इस विषय की प्रामाणिक जानकारी के लिये न्यायदर्शन, वाईयायनभाष्य १, २,
४६, तथा वेश्यविकादर्शन ५, २, १६-२० का अचलोक्तु उपयोगी हो सकता है ।

दुर्लभ लोगों ने शब्द और मुर्वर्ण को द्रव्य मान कर 'द्रव्याणि नवैत' का निराकरण
करना चाहा है, पर न्यायमत में शब्द का आकार इस विशेषणगुण तथा मुर्वर्ण को तेज
का प्रभेद मान कर 'द्रव्याणि नवैत' सिद्धान्त छी रक्षा की गई है, विश्वार के भय से
इस विश्वार की विशेष चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती ।

पृथिवी-

उत्तुक नव द्रव्यों में पृथिवी का लक्ष्य है पृथिवीत्व जाति । यह जाति विद्यमें
रहती है उसे पृथिवी कहा जाता है । इस जाति की सिद्धि गन्ध की समवायिकान्तरण

के अवच्छेदकरूप में अनुमान प्रमाण से समरूप होती है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है—

गत्यस्मविकारणता किञ्चिद्धर्मविच्छिन्नता, कारणतास्वत्—या या कारणता सा किञ्चिद्धर्मविच्छिन्नता तनुनिष्ठरकारणताबत्—गृह की समवायिकारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न—नियन्त्रित है, क्योंकि वह कारणना है, जो जो कारणता होती है वह सब किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है जैसे तनु गृह की कारणता तनुत्व से अवच्छिन्न होती है। इस अनुमान से गृह की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में पृथिवीत्व की सिद्धि होती है। आशय यह है कि गृह की उत्पत्ति पृथिवी में होती है, पृथिवी से भिन्न में नहीं होती, अन समवाय सम्बन्ध ने गृह के प्रति पृथिवी को तादारम्य सम्बन्ध से कारण माना जाता है इस प्रकार गृह की समवायिकारणता समूर्ण पृथिवी में रहनी है और पृथिवी से भिन्न में नहीं रहती, अन वह कारणता जिस धर्म से अवच्छिन्न—नियन्त्रित होगी वह धर्म भी समूर्ण पृथिवी में रहेगा और पृथिवी से भिन्न में न रहेगा। उक्त अनुमानद्वारा गृह की समवायिकारणता ऐसे जिस धर्म से अवच्छिन्न सिद्ध होती है उसका नाम है पृथिवीत्व। उस धर्म को जातिस्वरूप मानने में कोई वाधक न होने से उसे जाति मान्ना जाता है। यह पृथिवीत्व जाति ही पृथिवी का लक्षण है।

पृथिवी के कठिन कोमल आदि कई भैरव होते हैं। जिस पृथिवी के अवयवों का सयोग हड्डी होता है वह कठिन हाती है और जिस पृथिवी के अवयवों का सयोग शिथिल होता है वह कोमल होती है।

पृथिवी के अनेक द्वरूप होते हैं—ज्ञान, शरीर, मूर्तिष्ठ, पापाण, द्वृक्ष आदि। न्याय के अन्य प्रभावों में पृथिवी के इन सभी रूपों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—शरीर, इन्द्रिय और विवर्य। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वनस्पति आदि का समावेश शरीरवर्ग में, धारण का समावेश इन्द्रियवर्ग में, मूर्तिष्ठ, पापाण आदि का समावेश विवर्यवर्ग में किया जाता है।

पृथिवी में चौदह गुण होते हैं—रुप, रस, गृह, स्वर्य, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विमाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और स्फुकार (वेग तथा स्थितिस्थापक)।

पृथिवी के सुखर मेद दो हैं, नित्य पृथिवी और अनित्यपृथिवी। जो पृथिवी परमाणुरूप होती है वह नित्य होती है और जो परमाणुओं के सयोग से उत्पन्न न होती है वह अनित्य होती है। अनुत्तित्य पृथिवी के भी दो मेद होते हैं अणु और महत्। जो पृथिवी दो परमाणुओं के सयोग से उत्पन्न होती है जिसे द्रवत्वानुक कहा जाता है वह अणु होती है। तीन द्रवत्वानुओं के सयोग से जो पृथिवी उत्पन्न होती है जिसे चुटि या चक्षरेणु कहा जाता है वह तथा उससे बड़ी समस्त पृथिवी महत् होती है।

नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की पृथिवी में रहने वाले रूप, रस, गन्ध और स्पर्श अनित्य तथा पाकज होते हैं। पाकज का अर्थ है पाक से उत्पन्न होने वाला, और पाक का अर्थ है तेज़ का विलक्षण संयोग। इस विलक्षण तेज संयोगरूप पाक से पृथिवी के पूर्ववर्ती रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का नाश हो जाता है और उनके बदले नये रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार जो रूप आदि गुण पाक से उत्पन्न होते हैं उन्हें पाकज कहा जाता है।

आम का कच्चा फल जिसका रूप हरा, रस खट्टा, गन्ध—अन्यक सुरभि और स्पर्श कठोर होता है, वही सूर्य के आतप का चिरसम्पर्क पाकर जब पक जाता है तब उसके द्वारे रूप का नाश होकर दूसरे बदले लाल या पीले रूप की उत्पत्ति होती है, खट्टे रस का नाश होकर उसके बदले मधुर रस की उत्पत्ति होती है, अन्यक सुरभि गन्ध का नाश होकर उसके बदले व्यक्त सुरभि गन्ध की उत्पत्ति होती है। पके आम के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श न्यायितप्रसम्पर्करूप पाक से जनित होनें के कारण पाकज कहे जाते हैं।

- गाय हरी घास, सूखा भूसा आदि खाती है, पेट में पहुँचने पर उसकी जठराग्नि के सम्पर्क से ये वस्तुयें टूट कर परमाणुरूप में परिवर्तित हो जाती हैं, फिर उन्हें परमाणुओं से गोबर, रक्त, मास, तुग्ग आदि की उत्पत्ति होती है। इन वस्तुओं के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श घास-भूसे आदि के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से अन्यक विशद्या होते हैं, इन गुणों का यह अद्भुत परिवर्तन गाय की जठराग्नि के सम्पर्करूप पाक से ही सम्पन्न होता है।

मिठी का कच्चा घड़ा आवे में पङ्कज अग्नि के तीव्र संयोग से जब पक जाता है तब उसक पहले के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पूणरूपेण परिवर्तित हो जाते हैं।

धान, गेहूँ आदि के बीज जब खेत की मिट्टी में बो दिये जाते हैं तब मिट्टी के भीतर की गर्मी पाकर ढूट जाते हैं, ढूटे बीज के परमाणुओं के बीजावस्था के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श नष्ट हो जाते हैं, उसके स्थान में नये रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का उत्पत्ति हो जाती है, इन नये गुणों से युक्त बीजावस्थाओं से अङ्कुर का उदय होता है। बीजावस्थाएँ के गुणों का यह विचित्र परिवर्तन मिट्टी के भीतर की गर्मी की देन है, मिट्टी के अनेन्त स्थित तेज के सम्पर्क का फल है, सच्चे अर्थ में पाकज है।

इस प्रश्नार संवार के सम्मुण् परिवद्वय पर पाक का प्रभाव सुन्दर है।
पीलुपाक और पिठरपाक—

पाक के विषय में वैशेषिकदर्शन और न्यायदर्शन की मान्यताओं में मेद है।

वैशेषिकदर्शन वीक्षणक का समर्थक है और न्यायदर्शन प्रिठरपाक का। वीक्षणक का अर्थ है परमाणुशक और पिठरपाक का अर्थ है यिंड—अवयवी द्रव्य का पाक।

वैशेषिकदर्शन की हाइ यह है कि कुम्हार जब कच्चे घड़े को आवे में डाल देता है, तब आवे की धब्बती आग के सम्पर्क से घड़ा टूट जाता है, उसके समस्त परमाणु विभक्त हो जाते हैं फिर अनिस्तोयोग से उन परमाणुओं के पूर्ववर्ती रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का नाश होकर उनके बदले उन में नये रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की उत्पत्ति होती है, फिर इन नये गुणों से युक्त परमाणुओं का परस्पर स्थोयोग होकर द्रव्यरूप, न्यूक आदि के क्रम से नये पके घड़े की उत्पत्ति होती है। आवे के भीतर अग्नि-स्थोयोगात्मक पाक से जो विनश्नता सम्भव होती है वह रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन गुणों तक ही सीमित रहती है, क्योंकि कच्चे घड़े और पके घड़े में जो अन्तर होता है वह इन गुणों में ही लिखित होता है, शेष सब बातें दोनों में समान होती हैं।

प्रश्न होता है कि आवे में अग्नि ये ताप से जब घड़ा टूट जाता है, उसके परमाणु विभक्त हो जाते हैं तो फिर कुम्हार आदि की सक्षायता के बिना घड़े का यथापूर्व निर्माण कैसे हो जाता है? उत्तर यह है कि यह सब जीव के अहृष्ट और ईश्वर के प्रयत्न से सम्भव होता है, पके घड़े से जिन प्राणियों को भाग होना है उनके अहृष्ट के सहयोग से ईश्वर टूटे घड़े के पके परमाणुओं से पुगने घड़े के आकार-प्रकार में ही नये घड़े का निर्माण कर देता है।

प्रश्न होना है कि जब आवे में कच्चे घड़े के टूटने पर दनके परमाणुओं में पाक होता है और फिर उन पके परमाणुओं से नये घड़े का जन्म होता है तब यह सारी घटना देखने में क्यों नहीं आती? उत्तर यह है कि कच्चे घड़े के टूटने और उसके स्थान में नये पके घड़े के पैदा होने का कार्य ऐसे चमकारपूर्ण दग्ध से और इतनी द्रुतगति से निष्ठान होता है कि इस सारी प्रक्रिया को कोई देख नहीं सकता।

दूसरी बात यह भी है कि परमाणुओं का परस्पर अलगाव भी उतना ही होता है जिनमें उनके साथ अग्नि का स्थोग होकर उनका परिषोक्त हो सके। इय प्रक्रिया में परमाणुओं का अलगाव इतना कम होता है कि कार्यकारण की स्वीकृत मर्यादा के अनुसार घड़े का नाश तो हो जाता है, पर दर्शक की अक्षमता के कारण उसका ढाँचा ऊर से ज्यों का ख्यों दिखाई देता है।

पूँछा जा सकता है कि आवे में कच्चे घड़े के परमाणुओं का अलगाव होकर उसके टूटने और उसके स्थान में नये घड़े के पैदा होने की विचित्र घटना मानने की आवश्यकता जी क्या है? कच्चे घड़े का नाश न मानकर उसी का पाक मान लेने में हानि क्या है? उत्तर में कहा जा सकता है कि आवे से पके कर निकला घड़ा केवल ऊपर से ही पका

नहीं होता, किन्तु उसे तोड़ने पर उसके भीतर का भाग भी पूरा पका हुआ मिलता है। घड़े के भीतरी भाग का परिपाक उसके भीतर अग्नि का प्रवेश हुए विना नहीं हो सकता, और अग्नि का प्रवेश घड़े का नाश हुए विना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सम्पूर्ण अवयव एक दूसरे से इंतजे निविड़ रूप में रचुक्ष होते हैं कि उनके भीतर अग्निकणों का प्रवेश कथमपि सम्भव नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि ऐसा देखा जाता है कि आवें में ढाले गये सब घड़े ठीक नहीं निकलते। बहुत से घड़े अग्नि के तीव्रतर ताप से गलकर झौंवा बन जाते हैं, इससे यह कल्पना अनोयास की जा सकती है कि आवें के सभी घड़े अपने भीतरी भागों के परिपाकार्थ टूटते अवश्य हैं, पर उनमें जो अग्नि के तीव्रतर ताप में पड़ जाते हैं, वे पुनः निमित नहीं हो पाते। यह स्थीत भी जीवों के अदृष्ट वैचित्र्य से ही उपपत्ति होती है।

पाक के सम्बन्ध में न्यायदर्शन १। दृष्टि यह है कि पाक के लिए आवें में ढाले गये घड़े का नाश मानना उचित नहीं है, क्योंकि आवें के भीतर घड़े के टूटने और फिर यथापूर्व नये घड़े का निर्माण होने में न तो कोई प्रमाण है और न ऐसा मानने की कोई आवश्यकता ही है। भीतरी भाग के पाक के लिए घड़े के भीतर अग्नि के प्रवेश की उपपत्ति के लिए घड़े के परमाणुओं के अलगाव की ओर आवश्यकता चतायी गयी है, वह ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि घड़े के भीतर तेल, धी आदि ढालनेपर उसके बाहर भी चिकनाहट आ जाती है, वेवल चिकनाहट ही आती है इतना ही नहीं होता, अपितु बहुधा बाहर से तेल, धी आदि के बैंद भी टपकने लगते हैं। इससे यह बात बरबर स्वीकार करनी पड़ती है कि घड़े के भीतर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनके मार्ग से भीतर ढाला गया तेल आदि पदार्थ बाहर निकल आता है। फिर जब घड़े में ऐसे सूक्ष्म छिद्र का होना चिन्द्र है, तब उन्हीं मागों से आमने के सूक्ष्म तंत्रों का प्रवेश भी उसमें सम्भव है और उन अग्निकणों के ताप से घड़े के भीतरी भाग का परिपाक भी सम्भव है, तो इस प्रकार घड़े के रथों का त्यों बने रहनेपर भी जब उसके भीतर-बाहर परिपाक हो सकता है, तब पाक के लिए उपरांत विनाश मानना अस्यन्त असंगत है।

• तर्कभाषाकार का मत—

वैशेषिक के पीछेवाले और न्याय के पिछरवाले इन दोनों मतों में तर्कभाषाकार को न्याय १। मत ही आभ्यन्तर प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने निष्ठ और अनिष्ठ दोनों प्रकार की पूर्णिमी को पाकज गुणों का आधय बताया है, उनका यह कथन न्यायमत में ही संगत हो सकता है, क्योंकि उसके दृष्टि में परमाणु और अग्निर्वासी दोनों में पाक माना गया है, वेरे पक मत में अनिष्ठ पूर्णिमी को पाकज गुणों का आधय बताना संगत नहीं हो सकता क्योंकि उस मत में अग्निर्वासी का दैदिनुकान्त नाश हो जाने पर उसके परमाणुको

अप्त्वसामान्यगुण का आप । रसनेन्द्रिय शरीर-सरित्-समुद्र हिम-करकादि-रूपाः, गःधबर्जस्तेहुक्त्पूर्वोत्तंगुणवत्य, नित्या अनित्याश्च । नित्याना रूपादयो नित्या एव, अनित्याना रूपादयोऽनित्या एव ।

मे ही पाक माना गया है, परमाणुओं के पक जाने के बाद जब नये अवयवी की उत्पत्ति होती है, तब उसम वारणगत गुणों से ही नये रूप आदि का जन्म होता है, अत उसमत के अनुसार परमाणुरूप नित्य पृथिवी ही पाकज गुणों का आश्रय हो सकती है, अनित्य पृथिवी पाकज गुणों का आश्रय नहीं हो सकती ।

हों, यदि पाकज शब्द का 'पाकजन्य' अथ न ले पाकप्रयोज्य' अर्थ लिया जाय तब अनित्य पृथिवी को भी पाकज गुणों का आश्रय कहा जा सकता है क्योंकि परमाणुगत पाकज गुणों द्वारा परम्परया प्रादुर्भूत होने के कारण अवयवी के रूप आदि गुण भी पाकप्रयोज्य होते हैं किन्तु इसक लिये पाकज शब्द को 'लालूणिक' मानना अनिवार्य होगा ।

अप्—जल

अप् का अथ है जल, अप्त्व का अथ है जलत्व, यह सम्पूर्ण जल में रहने वाली और जल से भिन्न मन रहने वाली एक जानिं है, यह जलत्व जाति हो जल का लक्षण है । इसकी सिद्धि दो अनुमानों द्वारा का जाती है, पहले अनुमान से ज यस्तेह ची समवायिकारणता के अपद्वेदक—नियामक रूप म जन्यजल व जाति की सिद्धि होती है और दूसरे अनुमान से जन्यजल की समवायिकारणता के अवद्वेदक—नियामक रूप म जलत्व जानि की सिद्धि होती है ।

आशय यह है कि स्तेह जल का एक प्रिशेषगुण है, उसके दो भेद हैं नित्य और अनित्य । परमाणु रूप जल का स्तेह नित्य होता है, उसका ज म और नाश नहीं होता । परमाणु से भिन्न सम्पूर्ण नल अनित्य होता है, उसम रहने वाला स्तेह अनित्य होता है, उसका जन्म और नाश होता है, अनित्य स्तेह का जन्यस्तेह भी कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति अनित्य जल—जन्य जल में होती है, परमाणुरूप नित्य जल म या जल से भिन्न पदार्थ में नहीं होती । इस व्यतुस्थिति के अनुरोध से यह कार्यालयभाव माना जाता है कि समवाय सम्बन्ध से जन्यस्तेह के प्रति तादात्य सम्बन्ध से जन्यजल के रण होता है, जन्यजल म जन्यस्तेह की यह कारणता ही जैसे यस्तेह की समवायिकारणता है इसे पक्ष बनाकर इस प्रकार का अनुमान किया जाता है—

'जन्यस्तेह की समवायिकारणता किसी धर्म से अवच्छन्न—नियन्त्रित है, क्योंकि वह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छन्न होती है जैसे

कपाल में रहने वाली घटकी कारणता कपालब्द से अवच्छिन्न होती है। इस अनुमान से जन्यजलने ही समवादिकारणता के अवच्छेदकल्प में जो धर्म सिद्ध होता है, वह सम्पूर्ण जन्यजल में रहता है नियंत्रण तथा जलसे भिन्न पदार्थ में नहीं रहता, उस धर्म का नाम है जन्यजलस्त्र, उसे जागिर्लैप मानने में कोई वाधक नहीं होने से जातिवापकामावधकृत उक्त अनुमान से ही उत्तर धर्म में जातिव भी चिह्नित हो जाती है।

इसी प्रकार जन्यजल की उत्पत्ति नियंत्रण-अनियंत्रण दोनों प्रकार के सम्पूर्ण जल में होती है और जल से भिन्न पदार्थ में नहीं होती, इस वस्तुरिति के आधार पर इस प्रकार के कार्यकारणान की व्यवस्था की जाती है कि समवाय सम्बन्ध से जन्यजल के प्रति तादास्य सम्बन्ध से जल कारण होता है। जल में रहने वाली जन्यजल की यह कारणता ही जन्यजल की समवायिकारणता है, इस कारणता को पक्ष बनाकर इस प्रकार अनुमान किया जाता है—

‘जन्यजल की समवायिकारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न है, क्योंकि वह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है जैसे दण्ड में रहने वाली घटकारणता दण्डन से अवच्छिन्न होती है।’ इस अनुमान से जन्यजल की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में जिस धर्म की चिह्नित होती है, वह नियंत्रण-अनियंत्रण दोनों प्रकार के सम्पूर्ण जल में रहता है और जल से भिन्न पदार्थ में नहीं रहता, उसी का नाम है ‘जन्यजल, उसे जातिलूप मानने में कोई वाधक नहीं होने से जातिवापकामावधकृत उक्त अनुमान से ही उसमें जातिव डी चिह्नित होती है।

उत्तर्युक्त रीति से जलत्वजाति की चिह्नित होती है, वही जल का लक्षण है।

जल के अनेक रूप हैं—जैसे रसनेन्द्रिय, शरीर, सर्वतुनदी, हिम-रक्त, करका औला आदि। जल के इन सभी प्रभेदों में गन्ध को छोड़कर पृथिवी के शेष सभी गुण रहते हैं। गन्ध के चौदों जल में स्नेहनाम का एक नवीन गुण रहता है। इस प्रकार जल में रूप, रस, स्नेह, रप्तांश, सख्ता, परमाण, पृथक्कर, सयोग, विभाग, परव, अपरव, गुरुत्व, द्रव्यत्व और सत्त्वार ये चौदह गुण रहते हैं। इन चौदह गुणों में जल का है प्रभावशायुक्त होता है। अमावस्या का अर्थ है पर का अप्रकाशक। रस के बल मधुर होता है। नीबू के जल आदि में जो मधुर होती है वह नीबू के पार्थिव क्लेवर की होती है, जल का रस जो मधुर ही होता है, जो नीबू के पार्थिव भाग के उत्तर खट्टे रस से अभिभूत रहता है। हर्ष आदि खाकर जल पीने से जल की श्वासाविक मिठाई का अनुभव होता है। जल का रस यीत होता है, गर्भी की प्रश्न में या आग पर गरम करने पर जल में जो उष्णता प्रीत होती है वह जल में प्रविष्ट सूर्य के किरणों तथा ग्रनिकणों की होती है, उस उष्णता से अभिभूत होने के नाते

तेजस्त्वसामान्यवत् तेजः । चक्षुः-शरीर-सवित्र-सुवर्ण-बहिः विद्युदादिप्रभे-दम्, द्विवर्यं भीममुदर्यमाकरजश्चेति । रूप-स्पर्श-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-द्रवत्व-संस्कारत्व । नित्यमनित्यं च पूर्ववत् । तत्त्वतुर्विधम् । [१] उद्भूतहृष्पस्पर्शम् [२] अनुद्भूतस्पस्पर्शम् [३] अनुद्भूत-रूपोद्भूतस्पर्शम् [४] उद्भूतस्पस्पर्शम् च इति । तत्र [१] उद्भूतरूप-स्पर्शम् यथा सौरादितेजः, पिण्डीभूतं तेजो वहशादिकम् । सुवर्णं तु उद्भूतस्पर्शम् भूतरूपस्पर्शं नानुद्भूतरूपस्पर्शं, तदनुद्भूतरूपत्वेऽचाक्षुपं स्थाद्, अनुद्भूतस्पर्शत्वे त्वचा न गृह्णेत । औभिभवस्तु बलवत्सज्ञातीयेन पार्थिवरूपेण स्पर्शेन च कृतः । [२] अनुद्भूतरूपस्पर्शं तेजो यगा चक्षुरिन्द्रियम् [३] अनुद्भूतरूपोद्भूतस्पर्शं यथा तप्तवारित्यं तेजः । [४] उद्भूतरूपानुद्भूतस्पर्शं यथा प्रदीपप्रभामण्डलम् ।

उस समय जल का अपना स्फर्ण अनुभव में नहीं आता । जल का द्रवत्व साधिदिक-स्वामानिक होता है । हिम, ओला आदि में अटाएवश उसका उदय नहीं होने पाता । जल न सस्कार वेगात्मक होता है, कुछ योग उसमें स्थितिस्थापक नाम का भी सस्कार मानते हैं ।

जल के दो मेद हैं नित्य और अनित्य, परमाणुरूप जल नित्य होता है और परमाणुकों के संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवयसुकु, चैण्यक आदि समस्त जल अनित्य होता है । नित्य जल के रूप, रस, स्नेह, दर्शन, एकत्रसम्बन्ध, परिमाण, एकपृथक्त्व, गुद्धत्व और द्रवत्व नित्य हाते हैं और अन्य गुण आनन्दहोते हैं, अनित्य जल के सभी गुण अनित्य होते हैं, नित्य जल में केवल दैशिक परत्व-अपरत्व रहते हैं कालिक परत्व-अपरत्व नहीं रहते । अनित्य जल में दैशिक और कालिक दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष अपरत्व रहते हैं । न्याय के अन्य कदं ग्रन्थों में अनित्य जल के तीन वर्ग बताये गये हैं—इन्द्रिय, शरीर और विषय । जलीय इन्द्रिय है रसन । जलीय शरीर वृक्षणोक्त में होता है, उस शरीर की रचना जल के परमाणुकों से होती है, उस शरीर ने भी पृथिवी का उत्तना अथ सम्मिलित रहता है जितने से करन्चरणादि की रचना होने से वह उपयोगक्षम बन सके । इन्द्रिय और शरीर से भिन्न जितना भी जल है वह सब भोग का साधन होने से विषयरूप है ।

तेज—

तेज का लक्षण है तेजस्वजाति, यह जाति जिसमें रहती है उसे तेज कहा जाता है । इसकी सिद्धि दो अनुमानों से होती है, जैसे जन्य उध्यस्पर्श की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में जन्यतेजस्व जाति की सिद्धि होती है और जन्यतेज की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में तेजस्व जाति की सिद्धि होती है । कहने का आशय यह

है कि उधार्थर्थ के दो भेद होते हैं नित्य और अनित्य, नित्य उधार्थर्थ नियतेज-परमाणु में रहता है और अनित्य उधार्थर्थ अनित्य तेज में रहता है। अनित्य उधार्थर्थ को जन्य उधार्थर्थ और भनित्य तेज को जन्यतेज कहा जाता है। जन्य उधार्थर्थ की उत्पत्ति केवल जन्यतेज में ही होती है, नित्य तेज या तेज से भिन्न पदार्थ में नहीं होती। इस वलुरिथित के आधार पर यह कार्यकारणभाव माना जाता है कि सन्ताय सम्बन्ध से जन्य उधार्थर्थ के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यतेज कारण होता है, जन्यतेज में इहने वाली जन्य उधार्थर्थ की यह कारणता ही जन्य उधार्थर्थ की समवायिकाकारणता नहीं जाती है, इस कारणता को पक्ष बनाकर इस प्रकार अनुमान किया जाता है—

‘जन्य उधार्थर्थ की समवायिकाकारणता किसी घर्म से अवच्छिन्न-नियन्त्रित है, क्योंकि वह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी घर्म से अवच्छिन्न होती है जैसे कपाल में रहने वाली घटकारणता कपालत्व से अवच्छिन्न होती है, इति अनुमान से जन्य उधार्थर्थ की समवायिकाकारणता के अवच्छेदत्व में जिस घर्म की सिद्धि होती है, उसी का नाम है जन्यतेजस्त, उस घर्म को जातित्व मानने में कोई वाचक न होने से जातिवार्षकाभाववद्धकत उक्त अनुमान से ही उसमें जातित्व की भी सिद्धि हो जाती है।

इसी प्रकार जन्यतेज की उत्पत्ति नित्य-अनित्य दोनों प्रकार के तेजों में होती है और तेज से भिन्न पदार्थ में नहीं होती, इस वस्तु स्थिति के आधार पर इस कार्यकारणभाव की कल्पना की जाती है कि सन्ताय सम्बन्ध से जन्यतेज के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से तेज कारण है, तेज में रहने वाली जन्यतेज की यह कारणता ही जन्यतेज की समवायिकाकारणता कही जाती है। इसे पक्ष बनाकर इस प्रकार अनुमान किया जाता है—

जन्यतेज की समवायिकाकारणता किसी घर्म से अवच्छिन्न-नियन्त्रित है, क्योंकि वह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी घर्म से अवच्छिन्न होती है। जैसे दण्ड में रहने वाली घटकारणता दण्डत्व से अवच्छिन्न होती है।

इस अनुमान से जन्यतेज की समवायिकाकारणता के अवच्छेदकत्व में जिस घर्म की सिद्धि होती है, उसी का नाम है। तेजस्त, उसे जातिरूप मानने में कोई वाचक न होने से जातिवार्षकाभाववद्धकत उक्त अनुमान से ही उसमें जातित्वकी भी सिद्धि हो जाती है।

उपर्युक्त गृहित में सिद्ध होने वाली तेजस्त जाति को, तेज का लक्षण माना जाता है।

तेज के कई रूप हैं—जैसे चतुर, शरीर, सूर्य, तुच्छ, अर्द्ध, विद्युत् आदि। तेज में रूप, स्थर्य, सख्त्या, परिमाण, पृथक्त्व, सक्षेप, विभाग, परत्व, भवरत्व, द्रवत्व और सख्त्यार में तेज़ गुण रहते हैं।

तेज के मुख्य दो भेद हैं नित्य और अनित्य। परमगुरुप तेज नित्य होता है, उससे भिन्न समूर्ण तेज अनित्य होता है। अनित्य तेज की तीन श्रेणिया होती हैं इद्रिय, शरीर और विषय। तैजस इद्रिय है चक्षु, तैजस शरीर सूखलोक म होता है, उसका निर्माण तेज के परमाणुओं से होता है, किन्तु उसमें भी पृथिवी का उतना अश-सर्वमिलित रहता है जितने से कर चरणादि की रचना हो सकने से वह उपयोगक्षम बन सके। इद्रिय और शरीर से भिन्न समस्त अनित्य तेज भोग का साधन हाने से विषय-रूप तेज कहा जाता है।

नित्य तेज—परमाणु के रूप, स्पर्श, एकत्वसम्बन्ध, पारमाण और एकपृथकत्व इतने गुण नित्य होते हैं, शेष सभी गुण आनन्द होते हैं। अनित्य तेज के सम्पूर्ण गुण अनित्य होते हैं। तेज का रूप भास्वर शुक्ल होता है। भास्वर का अर्थ है परमकाशक। तेज का स्पर्श उष्ण होता है, परमाणुरूप नित्य तेज मध्येतत्त्व दैशिकपरत्व अपरत्व रहते हैं कालिक परत्व अपरत्व नहीं रहते। अनित्य तेज में दैर्घ्यक और कालिक दोनों प्रकार क परत्व-अरत्व रहते हैं। तेज का द्रवत्व नैमित्तिक होता है, अनिस्थोगलूप निमित्त को पाकर उत्तन होता है जैसे सुवा आदि का द्रवत्व। तेज का सक्तकर वेगात्मक होता है, कुछ लोग उम स्थितिस्थापक सक्तकर भी मानते हैं।

अनित्य तेज के चार प्रकार है [१] उद्भूतरूपस्थश—ऐसा तेज जिसका रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत—प्रत्यक्षप्राप्त हो [२] अनुद्भूतरूपस्थश—ऐसा तेज जिसका रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत—प्रत्यक्ष—अग्र शब्द हो। [३] अनुद्भूतरूप-उद्भूतस्थश—ऐसा तज जिसका रूप अनुद्भूत हो और स्पर्श उद्भूत ह। [४] उद्भूतरूप अनुद्भूत-स्थश—ऐसा तेज जिसका रूप उद्भूत हो और स्पर्श अनुद्भूत ह।

पहले प्रकार म सूख आदि तेज का और अग्नि आदि विष्डीभूत तेज का समावेश होता है क्योंकि इनका रूप भी उद्भूत होता है और स्पर्श भी उद्भूत होता है। इनके रूप का चाहुप्रत्यक्ष तथा स्पर्श का स्पाशन प्रस्त्यक्ष सबसमेत है।

सुवर्ण का सन्निवेश भी इस पहले प्रकार के तेज म ही होता है क्योंकि उसका भी रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत होते हैं। याद पूछा जाय कि सुवर्णात्मिक तेज म भास्वरगुरुरूप का तथा उष्णस्थश का प्रत्यक्ष तो नहीं होता फिर उसके रूप और स्पर्श के उद्भूत होने म क्या युक्ति है। तो इसका उत्तर यह है कि युदि सुवर्ण के स्पर्श को उद्भूत नहीं माना जायगा तो सुवर्ण का चाहुप्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि उद्भूत रूप व स्पर्श से ही द्रव्य का चाहुप्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार यदि उसके स्पर्श को उद्भूत न माना जायगा तो उसका स्पर्शन प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि उद्भूत स्पर्श के समय व सही द्रव्य का स्पाशन प्रत्यक्ष होता है। सुवर्ण का चाहुप्रत्यक्ष और स्पाशन दोनों

प्रकार का प्रत्यक्ष होता है अतः उसमें उद्भूत रूप और उद्भूत स्वर्ण का अधिक्तव मानना आवश्यक है।

प्रथम होता है कि जब सुवर्ण में उद्भूत भास्तर शुक्ल रूप तथा उद्भूत उभास्तर रहना है तो उसमें उन दोनों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? उत्तर यह है कि सुवर्ण का अनन्ता निजी तैजसपूर्ण रूप तथा तैजस स्वर्ण दोनों ही प्रथमि उद्भूत हैं तथापि उनका प्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि वे दोनों सुवर्ण में मिले पार्थिव अंशों के बीत रूप तथा नमुण्णाशीत स्वर्ण से अभिभूत हैं। अभिभूत का अर्थ है प्रतिबद्धप्रत्यक्षक अर्थात् जिसका प्रत्यक्ष जिसके सज्जातीय के प्रत्यक्ष की सामग्री से रोक दिया गया हो। कहने का आशय यह है कि जिसके सुवर्ण और अंशों के सामने पड़ता है तब जैसे उसके रूप और स्वर्ण के रूप नन्हा और उक्त का समुक्तसमवाय सन्निकर्त्ता होता है उसी प्रकार उसमें मिले पार्थिव अंशों के रूप और स्वर्ण के साथ भी उक्त सन्निकर्त्ता होता है। इस प्रकार एक ही समय सुवर्ण के अन्ते निजी रूप और स्वर्ण तथा उसमें मिले पार्थिव अंश के रूप और स्वर्ण के प्रत्यक्ष की सामग्री का सन्निधान एक काल में हो जाता है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सुवर्ण के रूप और स्वर्ण का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु उसमें मिले पार्थिव अंश के रूप और स्वर्ण का ही प्रत्यक्ष होता है, वह भी तेजोभाग और पार्थिवभाग खें विलक्षण सम्प्रभवशु अलग से पार्थिवभाग में न होकर अधिकृत रूप से दोनों में ही प्रादुर्भूत होता है। इस वस्तुस्थिति के अनुरोद से यह कल्पना की जाती है कि सुवर्ण के रूप और स्वर्ण का सज्जातीय रूप-स्वर्ण जो सुवर्ण में मिले पार्थिवभाग में है उसके प्रत्यक्ष की सामग्री सुवर्ण के अपने रूप और स्वर्ण के प्रत्यक्ष का प्रतिवर्षक हो जानी है। इस प्रकार सुवर्ण में मिले पार्थिवभाग के रूप और स्वर्ण से अभिभूत होने के कारण सुवर्ण का अनन्ता रूप और स्वर्ण उद्भूत होते हुए भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पाता।

तेज के दूसरे प्रकार में चक्र इन्द्रिय की गणना की जाती है क्योंकि उसका रूप और स्वर्ण-द्वन्द्वों अनुद्भूत होते हैं, यह इसलिये माना जाता है कि न तो नन्हा के रूप और स्वर्ण का ही प्रत्यक्ष होता है और न उसके सम्बन्ध से चक्र का ही प्रत्यक्ष होता है।

तेज के तीसरे प्रकार में यर्म जल में प्रविष्ट हुये तेज़कणों की गणना की जाती है क्योंकि वह तेज या उषका रूप औंत से देखने में नहीं आता, अन. उसके रूप को अनुद्भूत माना जाता है, पर उसके उग्र स्वर्ण का प्रत्यक्ष होता है अतः उसके स्वर्ण को उद्भूत माना जाता है।

चौथे प्रकार के तेज में प्रदीप की प्रभा का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि उसका रूप उसके स्वर्ण का उपर्युक्त प्रत्यक्ष न होने से उसके स्वर्ण को अनुद्भूत माना जा रहे पर उस

प्रभा का तथा उसके भास्वर शुल्क रूप का चालुप्रत्यक्ष होने से उसके रूप को उद्भूत माना जाता है।

न्याय के अन्य ग्रन्थों में विंपयभूत अनित्य तेज के चार भेद बताये गये हैं-भौम, द्रव्य, उदर्य और आकरज। इनका उल्लेख इस ग्रन्थ में भी है। भौम का अर्थ है भूमि में रहने वाला या भौम इन्धनों से दीप होने वाला, जैसे रसोईधुर, जगल आदि का अग्नि। द्रव्य का अर्थ है ब्रह्मतरिक्ष में होने वाला, जैसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि। उदर्य का अर्थ है उदर में होने वाला, जैसे पेट के भीतर का वह अग्नि, जिसके द्वारा वाये पिंये पदार्थों का परिपाक होता है। आकरज का अर्थ है आहर-खान से निकलने वाला, जैसे सुर्वर्ण आदि।

सुवर्ण का तेजस्त्व—

मीमांसादर्शन में सुवर्ण को एक अतिरिक्त द्रव्य माना गया है परं न्यायवैशेषिक, दर्शन में उसका अन्तर्माव तेज में किया गया है। सुवर्ण भ तेजस्त्व को खिदू करने वाले, दो अनुमाने विश्वनाय न्यायपञ्चानन ने अपनी न्यायमुनाखली के तेजप्रकारण में प्रदर्शित किये हैं, जो इस प्रकार है—

(१) सुवर्णं तैजसम् अस्ति प्रतिवन्धके अस्तनानलघुयोगे सत्यपि अनुच्छुद्यमान-
स्यद्वत्वाद्, यन्नैव तन्नैव, यथा घटः।

तथा—

(२) अस्तन्ताग्निसयोगी पीतिमगुरुवाक्य, विजातीयरूपप्रतिवन्धकद्वद्वयसंयुक्त,
अस्तन्ताग्निसयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानविकरणात्, जलमध्यस्थपीतपदवत्।

पहले अनुमान का आशय यह है—

सुवर्ण तैजस द्रव्य है, क्यों कि अग्नि के सयोग से वह द्रुत होता है, किन्तु पर्याप्त अग्नि के बीच पर्याप्त समय तक पड़े रहने पर भी तथा द्रवत्व के उच्छेद का कोई प्रतिवन्धक न रहने पर भी उसके द्रवत्व का उच्छेद नहीं होता, और वस्तुस्थिति यह है कि जो तैजस द्रव्य नहीं होता वह अग्नि के संयोग से यदि द्रुत होता है तो पर्याप्त अग्नि के बीच पर्याप्त समय तक रहने पर तथा द्रवत्व के उच्छेद का कोई प्रतिवन्धक न रहने पर उसके द्रवत्व का उच्छेद अवश्य हो जाता है, जैसे मिठी का घडा, धी, लाह आदि। ये वस्तुयें अग्नि के सयोग से, जब द्रुत होती हैं और पर्याप्त अग्नि में पर्याप्त समय तक पड़ी रह जाती हैं तथा उनके द्रवत्व के उच्छेद का कोई प्रतिवन्धक नहीं रहता तथा इन वस्तुओं के द्रवत्व का उच्छेद अवश्य हो जाता है। यही कारण है कि मिठी के अनेक घडे आवे की आग के तीव्रतर ताप से पिल कर भावा हो जाते हैं। धी यदि पानी आदि प्रतिवन्धक द्रव्य में नहीं रहता तो अग्नि के साथ चिर-

समर्थक होने पर उसके द्रवद्वय का नाश हो जाता है। लाह आदि की भी यहाँ गति होती है। पर यह स्पष्ट है कि सुवर्ण की स्थिति ते हन्ते सब बद्धुओं की स्थिति से मिलन है अतः उसे तेजस द्वय मानना आवश्यक है।

इस सन्दर्भ में यह प्रश्न हो सकता है कि अग्नि का अध्यन्त सयोग होने पर तो कभी-कभी सुवर्ण के भी द्रवद्वय का उच्छ्रेद हो जाता है, क्यों कि यदि ऐसा न होता तो वैद्य लोग सुवर्ण का भूम्य कैसे तयार कर पाते? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जब सुवर्ण का भूम्य बनाना होता है तब प्रतिक्षेप द्रव्य के द्वारा सुवर्ण में द्रवद्वय का प्रतिग्रिह्य कर दिया जाता है, इस चिठ्ठ ने वह दून ही नहीं हाने पाता तब उसके द्रवद्वय के उच्छ्रेद को दूर ही कैसे उठ सकता है?

दूसरे अनुमान का आशय यह है—

सुवर्ण में जो शील अग्नि गुरु भाग होता है, निश्चय ही वह पार्थिव अश है, किन्तु अग्नि का अध्यन्त सयोग होने पर भी उसके रूप का परिवर्तन नहीं होता, इस लिए यह अनुमान होता है कि 'सुवर्ण' के पीत, गुरु भाग में किसी ऐसे द्रवद्वय का सयोग अवश्य है जिसके कारण उस भाग में रूप का परिवर्तन नहीं होने पाता, क्यों कि पार्थिव द्रव्य में अग्नि का सयोग होने पर रूप की अपरिवर्तनीयता तभी होती है जब उसमें रूपपरिवर्तन के प्रतिशब्दक द्रवद्वय का संयोग होता है, जैसे किसी पात्र में पानी भर कर उसमें पीला बल्ल ढाल कर जब उस पात्र को आग पट-चढ़ाया जाता है तब उस बल्ल में द्रवद्वय जल का सयोग होने के कारण ही उसके रूप का परिवर्तन नहीं होता। अत यह स्पष्ट है कि सुवर्ण में दो अश हैं—एक 'पीला' पार्थिव अश और दूसरा द्रवद्वयशाली 'अग्निधित्व' अश, जिसके सयोग के कारण अग्निसयोग होने दूर भी पार्थिव अश के रूप का परिवर्तन नहीं हो पाता। यह दूसरा अश तेज को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह पार्थिव होता तो उसके संग्रह से रूपपरिवर्तन का प्रतिवर्धन नहीं होता और यदि वह जलीय होता तो उसमें सांखिदिक द्रवद्वय होता, और यदि वह पार्थिव, जलीय या तेज न होकर कुछ और ही होता तो न सो उसके सयोग से रूपपरिवर्तन का प्रतिवर्ध ही होता और न उसमें द्रवद्वय ही होता, क्योंकि वायु आदि के सयोग से न तो रूप के परिवर्तन का प्रतिवर्ध ही होता है और न उनमें द्रवद्वय ही होता है। अत, सुवर्ण में अवस्थित अपीत एवं अगुरु अश को तेजस माने विना अन्य कोई गति नहीं है। उस अश के कारण ही उस पूरे पिण्ड को सुवर्ण कहा जाता है। इस प्रकार सुवर्ण कोई अंतिरिक्त द्रव्य न होकर तेज में ही अन्तर्भूत है।

वायुत्वाभिसंबन्धवान् वायुः । त्वग् इन्द्रियं प्राणं वातादिप्रभेद् । सर्ष-
संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वैगवान् । संच-
स्पर्शशीद्यनुमेयः । तथाहि योऽयं वायो वाति अनुष्ण-अशीतस्पर्शं उपलभ्यते
स गुणत्वाद् गुणिनमन्तरेणानुपपद्यमानो गुणिनमनुमापयति । गुणी च वायुरेव ।
२ पृथिव्याद्यानुपलब्धेः । वायुपथिवीव्यनिरेकेग अनुष्णाशीतस्पर्शभावात् । संच
द्विविधा नित्यानित्यभेदान् । नित्यः परम शुल्घो वायुः, अनित्यः कार्यरूप एव ।

वायुः

वायुत्व जाति के अभिसंबन्ध का जो आधय होता है उसे वायु इहा जाता है । वायु के इस सूचन में यदि 'अभि' का संविवेश न कर 'वायुत्व के संबन्धमात्र' को वायु का लक्षण माना जायगा तो काल में अतिव्याप्ति हो, जायगी, क्योंकि 'वायुत्व का' कालिक सम्बन्ध उसमें रहता है, अतः वायुत्व 'सम्बन्धमात्र' को वायु-का लक्षण न मानकर 'वायुत्व के अभिसंबन्ध' को वायु का 'लक्षण' माना गया है । अभिसंबन्ध का अर्थ है अभिमत सम्बन्ध, अभिमत सम्बन्ध, वही ही संक्षेप है जिसका ग्रहण करने पर कोई दोष न हो, प्रकृत में वह समेक्षण है समवाय, वायुत्व का समवाय वायु में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता, अतः 'वायुत्व के अभिमत सम्बन्ध-समवाय' को वायु का लक्षण मानने में कोई दोष न होगा ।

अभि शब्द से एक बात की और सूचना मिलती है, वह यह कि 'वायुत्व के समवाय-मात्र' को वायु का लक्षण न मानकर 'वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्ट समवाय' को वायु का लक्षण मानना चाहिये, क्योंकि 'वायुत्व के समवायमात्र' को यदि वायु का लक्षण माना जायगा तो अन्य द्रव्य, गुण, तथा कर्म में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि सभी समवेत पदार्थों का एक ही समवाय होता है, अतः वायुत्व-और सत्ता का समवाय भी एक है, इसलिये समवाय रूप के सभी आशक्त वायुत्वसमवाय के भी आधय होगे, फलतः वायु का 'वायुत्व-समवाय' लक्षण वायु से भिन्न सभी द्रव्य, गुण और कर्म में अतिव्याप्ति हो जायगा । इन्हीं जर वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय को वायु का लक्षण माना जायगा तब उक्त अतिव्याप्ति न होगी क्योंकि वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय की आधयता वायु में ही होती है, अन्यत्र नहीं होती । यदि यह कहा जाय कि वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय और समवाय में कोई भेद न होने से उक्त विशिष्टसमवाय भी समवाय के सभी आश्रयों में रहेगा, अतः उक्त विशिष्टसमवाय को वायु का लक्षण मानने पर भी उक्त अतिव्याप्ति का परिहार नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त विशिष्टसमवाय और समवाय, में ऐस्य होने पर भी उक्त विशिष्टसमवायत्व रूप से उसकी आधयता केवल वायु में ही रहेगी, अन्यत्र नहीं रहेगी, क्योंकि यह नियम है कि जो धर्म तथा उक्तका जो सम्बन्ध दोनों जहाँ रहते हैं, वहीं उस धर्म के उस सम्बन्ध की तद्रम्पतियोगिकत्वविशिष्टता-

मन्त्रधर्मस्थ से आधिकार मानी जाती है। यही कारण है, जिससे घटभूतलस्थोग के घट और भूतल दोनोंमें रहने पर भी उस सम्बन्ध से भूतल ही घट का आधिकार होता है, स्वयं घट नहीं होता, क्योंकि घट की आधिकारी "वेवल सदस्योग से नहीं होती किन्तु घटप्रतियोगिक्तव्यविशिष्ट सदस्योग से होती है और उक्त सदस्योग वेवल सदस्योगवर रूप से घट में रहता है, घटप्रतियोगिक्तव्यविशिष्टसदस्योगवरूप से नहीं रहता, और उक्त विशिष्टसदस्योगवरूप से ही उक्त सदस्योग घट की आधिकारी का नियमक होता है। इस वस्तुस्थिति में वायु से भिन्न पदार्थ वायुस्त्रपतियोगिक्तव्यविशिष्ट समवाय के आधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि वायुभिन्न द्रव्य, गुण और कर्म में वेवल समवाय ही रहता है, वायुस्त्र नहीं रहता, अतः वायुस्त्रपतियोगिक्तव्यविशिष्टसमवाय वायुभिन्न द्रव्य, गुण और कर्म में रह कर वायु में ही रहता है। इस लिए वायुस्त्रपतियोगिक्तव्यविशिष्टसमवाय की अतिव्याप्ति वायुभिन्न में नहीं हो सकती।

इन्हीं सब तथ्यों के सूचनार्थ वायुस्त्र के सम्बन्धमात्र को वायु का लक्षण न कह कर वायुस्त्रभिन्नस्त्र यों वायु का लक्षण कहा गया है। पर उसका वास्तव तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ में होकर इस अर्थ में है कि वायु का लक्षण है वायुस्त्र जाति और उसके लक्षणवाले का अन्यामक सम्बन्ध है समवाय। कहने का निष्कर्ष यह है कि समवाय सम्बन्ध से वायुस्त्र जाति जिसमें रहती है उसे वायु कहा जाता है।

वायुस्त्र जाति की सिद्धि दो अनुमानों से होती है, जैसे जन्य अपाकज्जल अनुष्णाशीति स्पर्श की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में जन्यवायुस्त्र की सिद्धि होती है और जन्यवायु की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में वायुस्त्र जाति की सिद्धि होती है, यह जाति अपने साधक अनुमान से वायुमात्र में आभित होकर सिद्ध होती है, अतः उसे वायु का लक्षण मानने पर अव्याप्ति दोष का भय नहीं रहता।

वायु के द्वाग् इन्द्रिय, प्राण, वात आदि अनेक मेद हैं। स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सदोग, विभाग, परस्पर, अपरस्पर और वेग इन नव गुणों का वह आवय होता है। नीसूप होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, स्पर्श, शब्द, धूति और कर्म इन चार कार्यों से उसका अनुमान होता है।

स्पर्श से वायु का अनुमान—

मनुष्य वस्त्र आदि ऋतुओं में प्रातः और सायं भ्रूमण रहने के लिये जब शर से बाहर निकलता है तब उसे एक ऐसे स्पर्श का अनुभव होता है, जिसे शीत या उष्ण न कह कर अनुष्णाशीति कहा जा सकता है इस स्पर्श के विषय में प्राय सभी का यह अनुमान मत है कि जिन की त्वचा दूषित नहीं होती ऐसे सभी प्राणियों को उस स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। किन्तु उस स्पर्श के आधिकार का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः उस स्पर्श से उसके आधिकार का अनुमान किया जाता है, जो इस प्रकार है—

वसन्त आदि क्रृतुओं में प्रात् साय भ्रमण करते समय अनुभव में आने वाला विलक्षण अनुष्णाशीत स्पर्श किसी द्रव्य में आधित है, क्योंकि वह गुण है, और यह नियम है कि कोई भी गुण द्रव्य में अनाधित नहीं होता, अतः वह स्पर्श यदि किसी द्रव्य में आधित न होगा तो वह गुण दी न हो सकेगा।

यदि यह पूछा जाय कि उक्त अनुमान के अनुसार यह तो ठीक है कि उस स्पर्श को किसी द्रव्य में आधित होना चाहिये, पर उससे यह कैसे सिद्ध होगा कि वह वायुनामक अतिरिक्त द्रव्य में आधित होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि यत् वह स्पर्श पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में किसी द्रव्य में आधित नहीं हो सकता अतः उसे अतिरिक्त द्रव्य में आधित मानना आवश्यक है, जैसे—यदि उसे पृथिवी में आधित माना जायगा तो उसके स्पार्शन प्रत्यक्ष के समय उसके आधयभूत परिव द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये क्योंकि उस समय उस स्पर्श का आधयभूत वह परिव द्रव्य भी सन्तुष्टि रहता है, किन्तु उसके आधय का प्रत्यक्ष नहीं होता इस लिये उसे पृथिवी में आधित नहीं माना जा सकता। जल या तेज या भी आधित मानने पर उसके प्रत्यक्ष के समय उसके आधयभूत जल या तेज के भी प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी, साय ही यह भी आपत्ति होगी कि यदि वह जल या तेज म आधित होगा तो उसका प्रत्यक्ष शीत या उष्ण रूप म होना चाहिये क्योंकि जल का स्पर्श शीत तथा तेज का स्पर्श उष्ण होना है। इसी प्रकार उस आकाश, काल, दिक् और आत्मा में भी आधित नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें से किसी एक म आधित तथा अन्य म अनाधित मानने में कोई तुल्य नहीं है अतः उसे उन समयों में आधित मानना होगा, और यह उचित नहीं हो सकता, क्योंकि जब वे स्पर्शवान् होंगे तो उनके परस्पर मिलन से नये द्रव्य के जन्म की आपत्ति होगी, क्योंकि जो भी स्पर्शवान् नित्य द्रव्य होता है वह किसी द्रव्य का उत्पादक अवश्य होता है, अतः इन द्रव्यों में उसे आधित नहीं माना जा सकता। उसे मन में भी आधित नहीं माना जा सकता क्योंकि मन म आधित होने पर मन के परम अणु होने से उसम आधित स्पर्श का प्रत्यक्ष न हो सकेगा। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो जाता है कि यह विलक्षण स्पर्श पृथिवी आदि म आधित नहीं हो सकता तब जिस अनुमान से उस स्पर्श में द्रव्याधितत्व की सिद्धि होती है उसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह स्पर्श पृथिवी आदि से अन्य किसी नूतन द्रव्य म आधित है। ऐसे जिस द्रव्य में वह आधित है उसी का नाम है वायु।

वायु के मुख्य दो भेद हैं—नित्य और अनित्य। परमाणुरूप वायु नित्य है और द्रव्याणुक से लेकर महावायुर्पर्यन्त सारा वायु अनित्य है।

अनित्य वायु के तीन भेद बताये गये हैं—शरीर, इन्द्रिय और विषय। वायु के परमाणुओं से निर्मित वायवीय शरीर वायुलोक में प्रसिद्ध है। त्वक् वायवीय इन्द्रिय

कार्यद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशकमः

तत्र पृथिव्यादीनां चतुर्णां कार्यद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशकमः कथयते । द्वयोः परमाण्योः कियथा संयोगे सति द्वयशुरुकम् उत्पत्तयते । तस्य परमाणू समवायिकारणम् । तत्स्योगोऽसमवायिकारणम् । अदप्तादि निमित्तकारणम् । तसो द्वयशुरुकात्वा त्रयाणां कियथा संयोगे सति द्वयशुरुकम् उत्पत्तयते । वस्य द्वयशुरुकात्वा समवायिकारणम् । शेषं पूर्ववत् । एवं द्वयशुरुकेश्वतुर्भि॒ चतुरणुरुकम् । चतुरणुरुके॒ रपर स्थूलतरं, स्थूलतरैरपरं स्थूलतवमम् । एव व्रमण महाधिवी॑, महत्प्राप्ति॑, महाश्च वायुरुत्पत्तयते । कायगता रूपादयः स्वाश्रयसमवायिकारणगतं योरुभादिभ्या जायन्ते । 'कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते' इति न्यायात् । है । यतोर और इकू से भिन्न वित्तना भी अनित्य वायु है वह उब साकात् अपना परम्परया भोग का साधन होने से विपर्य है ।

इकू इन्द्रिय वायवीय—वायुगादानक है, यह चात अनुपान से सिद्ध होती है । अनुपान का आकार इस प्रकार है ।

इकू वायवीय—वायु के परमाणुओं से निर्मित है, उसोंकि उससे संक्रिया द्रव्य के रूप आदि चार विशेष गुणों में से केवल स्फूर्ति का ही प्रत्यक्ष होता है, अतः जैसे यतोर में रित्यन जल के रूप आदि का प्राप्यत्वन करा कर उसके शैत्यमात्र के प्रयत्न का साधन होने से पर्ये की हवा वायवीय होती है उसी प्रकार इकू को भी संज्ञित द्रव्य के रूप आदि का प्राप्तक न होकर उसके सर्वांगात्र का प्राप्त होने से वायवीय मानना सर्वथा युक्तिखमत है ।

उक नव द्रव्यों में जो सार कार्य द्रव्य हैं पृथिवी, जल, तेज और वायु, अब उनकी उत्पत्ति तथा उनके विनाश का क्रम बनाया जायगा ।

द्रव्य का उत्पत्तिकम—

यद्युषि का क्रम अनादि है, किसी सृष्टि को प्रथम नहीं कहा जा सकता । चर्वनान सृष्टि पूर्व सृष्टि के प्रलय के बाद हुई है । इच्छे पहले की सृष्टि अपने पूर्व की सृष्टि के प्रलय के बाद हुई थी, यद्युषि देशा उस सृष्टि की एव उसके पूर्व की सभी सृष्टियों की है, इस प्रकार सृष्टि के क्रम का कोई आदि नहीं है ।

जब पूर्व सृष्टि का प्रलय होने को होता है तब उत्तर सृष्टि के सम्पूर्ण कार्य द्रव्यों का द्वयशुरुकान्व विनाश हो जाता है । समस्त परमाणु विभक्त हो जाते हैं और वे तब तक विभक्त रहते हैं जब तक नई सृष्टि के प्रादुर्भाव का उपक्रम नहीं होता ।

पूर्व सुष्ठि के प्रलय की लम्बी अवधि पूरी होने पर जब नई सुष्ठि का पादुर्भाव होने को होता है तब सप्तसे पहले पूर्थिवी आदि चार द्रव्यों की उत्पत्ति होती है इसकी सुष्ठि का अगला सारा विस्तार इन्हीं चार द्रव्यों पर निर्भर होता है। द्रव्यों का उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। पहले दो दो परमाणुओं में जीव के अटष्ट और ईश्वर के प्रयत्न से किया होती है, उस क्रिया से उन दो दो परमाणुओं का संयोग होकर अनन्त द्रव्यणुकों की उत्पत्ति होती है। जिन दो परमाणुओं से जित द्रव्यणुक की उत्पत्ति होती है वे दो परमाणु उस द्रव्यणुक के समवायिकारण होते हैं, उन दोनों परमाणुओं का परस्पर संयोग उस द्रव्यणुक का असमवायिकारण होता है, उस द्रव्यणुक से परम्पराधा जिन जीवों को भविष्य में सुप्रयाप्त होने को है उन जीवों का अटष्ट—पुण्य या पाप [१] उस द्रव्यणुक का प्रागमात्र [२] उस द्रव्यणुक का रचयिता ईश्वर [३] उसके परमाणुओं को विषय करने वाला ईश्वर का ज्ञान [४] उसे उत्पन्न करने की ईश्वरकी इच्छा [५] उसके निर्माण का सम्बन्ध करने वाला ईश्वर का प्रयत्न [६] उसके निर्माण के अनुकूल काल [७] और देश-दिशा [८] ये आठ उसके निमित्त कारण होते हैं। इन समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारणों के सहस्रनिधान से द्रव्यणुकों की उत्पत्ति होती है। द्रव्यणुकों का जन्म हो जाने के बाद फिर जीवों के अटष्ट और ईश्वर के प्रयत्न से उन द्रव्यणुओं में किया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से तीन तीन द्रव्यणुकों का संयोग होकर अनन्त व्यष्टियों की उत्पत्ति होती है। इन व्यष्टियों को त्रुटि और चतुरणु भी कहा जाता है। एक एक व्यष्टियुक में छः छः परमाणु होते हैं। एक एक व्यष्टियुक के तीन तीन द्रव्यणुक समवायिकारण होते हैं और उन द्रव्यणुओं का संयोग असमवायिकारण होता है, निमित्तकारण द्रव्यणुक के समान ही होते हैं। व्यष्टियों का जन्म हो जाने के बाद उक्त शीति से उनमें भी किया होती है, फिर उनकी क्रिया से चार चार व्यष्टियों का संयोग होकर अनन्त चतुरणुकों की उत्पत्ति होती है। एक एक चतुरणुक के चार चार व्यष्टियुक समवायिकारण होते हैं, चार चार व्यष्टियों का परस्पर संयोग एक एक चतुरणुक का असमवायिकारण होता है। इसी प्रकार चतुरणुओं के संयोग से उनसे स्थूलतर द्रव्यों की और स्थूलनम द्रव्यों के संयोग से स्थूलतर द्रव्यों की उत्पत्ति होकर क्रम से महती पृथ्वी, महान् जल, महान् तेज और महान् वायु की उत्पत्ति होती है।

कार्यद्रव्य के रूप आदि गुण अपने आधयभूत द्रव्य के समवायिकारण में रहने वाले स्व आदि गुणों से उत्पन्न होते हैं क्योंकि 'कारण-समवायिकारण' के गुण, कार्य-समवेत कार्य में अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करते हैं' यह व्याय है। जैसे पठके समवायिकारण होते हैं तन्तु और उनका समवेत कार्य होता है पठ, अनः तन्तु में नील, पीत आदि जैसा रूप रहता है, उससे पठ में वैसे ही नील, पीत आदि रूप की उत्पत्ति होती है। अपने आधय द्रव्य के समवायिकारण में रहने वाले गुणों से उत्पन्न होने वाले गुण आठ

इत्यमुत्पन्नस्य रूपादिमतः कर्यद्रव्यस्य घटादेवयवेषु क्रपालादिपु नोदनाद्-
भिघातादा क्रिया जायते । तथा विभागस्तेनावयव्यारम्भकरस्यासमवायिकारणी-
भूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कार्यद्रव्यस्य घटादेवयव्यविना नाशः । एवे-
नावयव्यारम्भकासमवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो दर्शितः ।

क्वचित् समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशः, यथा पूर्वाक्षरैव पृथिव्यादेः संहारे-
सजिहीर्णमहेश्वरस्य सजिहीर्णा जायते, ततो द्रव्यणुकारम्भकेषु परमाणुषु क्रिया,
तथा विभागः, ततस्तयोः संयोगनाशे सति द्रव्यणुकेषु नष्टेषु स्वाक्षयनाशात्
द्रव्यणुकादनाशः । एवं क्रमेण पृथिव्यादिनाशः, यथा वा तन्त्रम् नाशे पटनाशः ।
तदृगताना स्वपादीना स्वाक्षयनाशेनैव नाशः अन्यत्र तु सत्येषाश्रये विरोधिगुण-
प्रादुर्भविण विनाशः । यथा पाकेन घटादी स्वपादिनाश इति ।

हे—अपाकज्ञ रूप, रुप, गन्ध, व्यश, स्नेह, साचिदिक द्रव्यव, गुरुत्व, एकत्वस्तुत्या,
व्यषुक से स्थूल द्रव्यों के प्राय सम्पूर्ण परिमाण, एकपृथक्त्व एव सकार (स्थितिधारक) ।

कार्यद्रव्यों का विनाशकम्—

कार्य द्रव्यों का नाश दो प्रकार से होता है असमवायिकारण के नाश से और सम-
वायिकारण के नाश से । सबद मूल गन्ध में 'इत्यमुत्पन्नस्य' से लेकर 'दशित्' तक के
ग्रन्थ से पहले प्रकार का प्रतिपादन किया गया है । जिसका आशय यह है—

द्रव्यणुक आदि के क्रम से उत्पन्न, रुप आदि गुणों के आश्रय धट आदि कार्य
द्रव्य का नाश जब पहले प्रकार से होने को होता है तब उसक कशाल आदि अवयवों
में कभी नोदन—मृदु संयोग का, जिस के होने से किसी प्रकार का रांद नहीं होता
किन्तु उनका परस्पर विभाग हो सकता है, और कभी अभिघात संयोग-कठोर संयोग का,
जिसके होने से शब्द होता है, उदय होने से किया उत्पन्न होता है । उस क्रिया
से एक अवयव का दूसरे अवयव से विभाग—अलगाव होता है । फिर उस विभाग से
अवयवी द्रव्य को उत्पन्न करने वाले अवयवों के परस्परसंयोगरूप असमवायिकारण का
नाश होता है और उसके बाद धट आदि अवयवी द्रव्य का नाश होता है । इस
उदाहरण से अवयवी द्रव्य को उत्पन्न करने वाले असमवायिकारण के नाश से कार्य-
द्रव्य के नाश का होना प्रदर्शित होता है ।

कार्य द्रव्य का नाश कभी दूसरे प्रकार से भी होता है । जैसे जब पृथ्वी आदि महा-
भूतों के सहार का समय रुचिन्हित होता है तब तदर्थं महेश्वर को साध्ट का सहार करने
की इच्छा होती है, उस इच्छा से द्रव्यणुक के उत्पादक परमाणुवों में क्रपा होती
है, उस क्रिया से परमाणुवों के संयोग का परस्पर विभाग होता है, उसके बाद परमाणुवों
के संयोग का नाश होने से द्रव्यणुक का नाश होता है । द्रव्यणुक का नाश हो जाने पर-

अपने आश्रय के नाश से व्यगुह आदि का नाश होता है। इस क्रम से महापृथिवी आदि समस्त महाभूतों का नाश हो जाने पर सुधित का सहार सम्पन्न होता है। सुधित की दरा में भी कभी कभी आश्रय के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होता है, जैसे आग में तनुओं के दाढ़ हो जाने पर उनमें छने पट का नाश होता है। जिनका पाक नहीं हो सकता ऐसे पट आदि पार्थिव द्रव्य, जल और तेज के रूप आदि गुणों का नाश आश्रयनाश से ही उत्पन्न होता है, किन्तु अन्यत्र—उक्त द्रव्यों से भिन्न द्रव्यों में, आश्रय के विद्यमान रहते ही विरोधी गुण का उदय होने से रूप आदि गुणों का नाश होता है। जैसे घट आदि पार्थिव द्रव्यों में रूप आदि का नाश पाक से होता है। आश्रय यह है कि काप विलक्षण तेजासयोगस्वरूप होने से गुण है और घट आदि के सहज रूप आदि गुणों का विरोधी है, इस विरोधी गुण का प्रादुर्भाव होने पर घट आदि आश्रय के रहते उनके रूप आदि पूर्व गुणों का नाश होता है।

प्रश्न होता है कि यह तो पृथिवी आदि चार कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और विनाश का क्रम बताने का प्रकरण है, फिर इस प्रकरण में उनके रूप आदि गुणों के विनाश की चर्चा का क्षण अधिक्षिय है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि द्रव्यविनाश के दो कारण बताये गये हैं—असमवायिकारण का नाश तथा समवायिकारण का नाश। इनमें द्रव्यनाश के दूसरे कारण के विषय में यह आक्षेप उठ सकता है कि जब समवायिकारण का नाश होगा तब उन कारणों के परस्परसयोगस्वरूप असमवायिकारण का भी नाश अवश्य होगा, जन। उक्त रूप में भी असमवायिकारणनाश से ही कार्यद्रव्य का नाश सम्भव होने से समवायिकारण के नाश जैसे नये कारण को कार्य का नाशक मानना व्यर्थ है, इस आक्षेप का निराकरण करने के लिये ही आश्रयनाश से होने वाले रूप आदि गुणों के नाश की चर्चा की गई है, इस चर्चा से उक्त आक्षेप का परिहार हो जाना है क्योंकि इस चर्चा से यह सिद्ध होता है कि द्रव्यनाश के अनुरोध से ही समवायिकारणनाश को कार्य का नाशक नहीं माना जा रहा है किन्तु गुणनाश के अनुरोध से समवायिकारणनाश को कार्यनाशकता पहले से ही सिद्ध है, अतः समवायिकारण के नाश को द्रव्य का नाशक मानने में कोई अदूर्व कल्पना नहीं करनी पड़ती। यदि यह प्रश्न किया जाय कि विशेष स्थानों में समवायिकारण के नाश को गुण का नाशक भले माना जाय पर उसे द्रव्य का नाशक मानना व्यर्थ है क्योंकि समवायिकारण के नाशस्थल में असमवायिकारणनाश के संबिहित रहने से वहाँ भी उसी से द्रव्य का नाश हो सकता है, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि समवायिकारण के नाशस्थल में असमवायिकारण के नाश का स्विक्षण होता है अवश्य, पर वह एक दूसरा बाद होता है, अर्थात् पहले समवायिकारण का नाश होता है बाद में उसी से असमवायिकारण का नाश होता है। अब उस स्थल में भी यदि असमवायिकारण के नाश को

कि पुनः परमाणुसद्ग्रामे प्रमाणम्' चक्षयते । यदिदं जाले सूर्यमरीचिस्त्वा
सर्वतः सूर्यमतमं रुजु उपलभ्यते, तत् स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्धं कार्यद्रव्यत्वाद्
घटवत् । तच्च द्रव्यं कार्यमेव महद्रव्यारम्भकस्य कार्यत्वनियमात् । तदेव
द्वयणुकारयं द्रव्यं सिद्धम् । तदपि स्वल्पपरिमाणसमवायिकारणारब्धं कार्यद्रव्य-
त्वाद् घटवत् । यस्तु द्वयणुकारम्भकः स एव परमाणु, स शान्तारब्ध एव ।

'ननु कार्यद्रव्यारम्भकस्य कार्यद्रव्यत्वाऽयभिचारात् तस्य कथमनारब्धतरम्' !

चक्षयते, अनन्तकार्यपरम्परादोपमसद्ग्रामात् । तथा च सति, अनन्तद्रव्यारब्ध-
स्वाविशेषेण मेरुसर्पपयोरपि तुल्यपरिमाणत्वप्रसद्गः । तग्मादनारब्ध एव
परमाणुः ।

ही द्रव्य का नाशक माना जायगा तो कार्यद्रव्य की सत्ता दो छूण तक विना आभय के
माननी होगी, अत उभवायिकारण के नाश से उभवायिकारणनाश की उत्पत्ति के
समय ही द्रव्य का नाश मानना उचित है ।

उक्त प्रयोजनवश आधयनाश से रूप आदि गुणों के नाश का उल्लेप करने पर
किसी को कदाचित् यह भ्रम हो सकता है कि कार्य द्रव्य के रूप आदि गुणों का नाश
सर्वत्र आभयनाश से ही होता है अतः इस भ्रम के निवारणार्थं प्रसङ्गतः यह बात भी
स्पष्ट कर दी गई कि गुण का नाश सर्वत्र आभयनाश से ही नहीं होता किन्तु अनेकत्र
विरोधी गुण के प्रादुर्भाव से भी होता है ।

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातः यह कि तर्कभाषाकार के लेखानुसार पृथिवी, जल, तेज
और वायु इस क्रम से महाभूतों की उत्पत्ति प्रतीत होती है, और उनका विनाश भी इसी
क्रम से प्रतीत होता है, किन्तु वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में वायु, तेज, जल और
पृथिवी इस क्रम से उनकी उत्पत्ति और उनका विनाश होने की बात बताई गई है ।

परमाणु—

परमाणुओं के स्थोग से द्रव्यगुक, व्यगुक आदि के क्रम से पृथिवी आदि चार
महाभूतों की उत्पत्ति बतायी गयी, किन्तु उत्पत्ति का उक्त क्रम सो तच मान्य हों
सकता है जब परमाणुओं का अस्तित्व प्रमाणित हो, अत पहले यह बताना आवश्यक
है कि उनकी सत्ता में प्रमाण क्या है ? उत्तर में कहा जा सकता है कि परमाणुओं
के अस्तित्व में अनुमान प्रदान है जिसके दो प्रयोग से परमाणु की विद्धि होती है ।
प्रयोग इस प्रकार होता है—

खुले जगले में भूर्य की किरणों में जो अत्यन्त सूक्ष्म धूलिकण दीख पहते हैं उनमें
प्रत्येक कण (पक्ष) अपने परिमाण से अल्प परिमाणवाले द्रव्यों से उत्पन्न होता है
(साध्य), क्यों कि वह कार्य द्रव्य है 'हेतु', जो जो कार्य द्रव्य होता है वह अपने

परिमाण से अल्प परिमाणवाले द्रव्य से उत्पन्न होता है, जैसे घट (उदाहरण), उक्त धूलिकण इसी प्रकार का कार्यद्रव्य है 'उपनय', इसलिये वह भी घट के समान ही अपने परिमाण से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से उत्पन्न होता है 'निगमन'।

यदि यह प्रश्न हो कि उक्त धूलिकणों के कार्य द्रव्य होने में क्या प्रमाण है ? तो इसका भी उत्तर यही है कि उक्त धूलिकणों के कार्यद्रव्यत्व में भी अनुमान ही प्रमाण है, और वह इस प्रकार है—

उक्त धूलिकण कार्यद्रव्य हैं, क्योंकि वे चतुरणुक आदि महान् द्रव्य के आरम्भक-समवायिकारण हैं, जो द्रव्य महान् द्रव्य का आरम्भक होता है वह कार्यद्रव्य होता है जैसे घट आदि महान् द्रव्य के आरम्भक कपाल आदि कार्यद्रव्य हैं।

इस प्रकार महान् द्रव्य के आरम्भकत्व द्वेषु से उक्त धूलिकणों में कार्यद्रव्यत्व का अनुमान तथा कार्यद्रव्यत्व द्वेषु से उक्त धूलिकणों में अल्पपरिमाणवान् द्रव्यों से उत्पन्नत्व का अनुमान होने से यह सिद्ध होता है कि उक्तधूलिकणों को उत्पन्न करनेवाले कुछ द्रव्य हैं जो परिमाण म उनसे छाटे हैं, ऐसे जो द्रव्य हैं उन्हीं का नाम है द्रव्यणुक—दो परमाणुओं से उत्पन्न होने वाला द्रव्य।

इस द्रव्यणुक द्रव्य को पक्ष बनाकर दूसरे अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हता है—

द्रव्यणुक अपने से अल्प परिमाण वाले द्रव्यों ने उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य द्रव्य हैं, सभी काय द्रव्य अपने से अल्प परिमाणवाले द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं, जैसे घट।

इस दूसरे अनुमान से द्रव्यणुकों के उत्पादक द्रव्य के रूप में जो द्रव्य सिद्ध होता है, वही परमाणु है, वह किसी से उत्पन्न नहीं होता।

इस पर प्रश्न होता है कि परमाणु जब कार्यद्रव्य द्रव्यणुक का आरम्भक है तब तो उसे अनुपन्न नहीं माना जा सकता, क्यों कि कार्य द्रव्य के सभी आरम्भक स्वयं भी कार्यद्रव्य होते हैं यह एक अ यमिन्चरित नियम है अत परमाणुओं को भी कार्य द्रव्य का आरम्भक होने से काय द्रव्य मानना अनिवार्य है और जब वह कार्यद्रव्य होगा तब अनुपन्न कैसे होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है १६ कार्य द्रव्य के आरम्भक काय द्रव्य ही होते हैं, यह नियम नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह नियम मानने पर अनन्त कायों की परम्परारूप अनवरथा दोष की आवश्यिता होगी।

यदि यह कहे कि इस अनवरथा को अगत्या शिरोधार्य करना होगा क्योंकि जितने भी कार्यद्रव्य के आरम्भक उपलब्ध हैं उन सब के कार्यद्रव्यात्मक होने से इस व्यासि को स्वीकार करने में कोई वाधा नहीं होती कि जो कार्यद्रव्य का आरम्भक होता है वह सब स्वयं भी कार्यद्रव्य होता है, और जब यह व्यासि निर्विचाद है तब अनन्त कायों

द्वयुकं तु द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारम्भयत एकस्थानारम्भकर्त्वात् उद्यादिकल्पनायां प्रमाणाभावात् । द्वयुकं तु विभिरेव द्वयणुकैरारम्भयत एकस्थानारम्भ-
भी कलरनारूप अनवस्था के सामने न तपस्तक होना उचित ही है, तो यह ठीक नहीं है,
क्योंकि कार्यदब्यों की परम्परा की कोई अवधि न मानने पर यह मानना होगा कि सुमेह
जैसा महान् एवं और सरसों जैसा लघु दब्य, यह दोनों अनन्त दब्यों से उत्पन्न है,
क्योंकि न सुमेह के ही अवयवों की कोई सीमा है और न सरसों के ही अवयवों की
कोई सीमा है, और जब इन दोनों दब्यों के आरम्भक दब्यों में कोई न्यूनाधिक्य न
होगा तो इन दब्यों के परिमाण में भी समानता होगी, एक बड़ा और एक छोटा न
हो सकेगा ।

जब द्वयणुक के आरम्भक परमाणु के अनुशन्त माना जायगा तब सुमेह और
सरसों की सम्परिमाणता की आपत्ति न होगी क्योंकि तब तो सुमेह और सरसों के
आरम्भक परमाणुओं में संख्याकृत विपर्य हो जायगा । कर सरसों के आरम्भक परमाणुओं
से अर्थात् कर परमाणुओं से उत्पन्न होने के कारण सुमेह की महत्ता और सुमेह के
आरम्भक परमाणुओं से अत्यल्प परमाणुओं से उत्पन्न होने के कारण सरसों की लघुता
युक्ति संगत हो सकेगी ।

इस प्रकार यह सिद्ध है कि द्वयणुकान्त दब्यों की ही उत्पत्ति होती है, द्वयणुक को
उत्पन्न करने वाले परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती, वह जगत्ते के बीच सूर्य की किरणों में
उड़ने वाले सूक्ष्मरूप रजःकण का छठा भाग होता है, इस आशय की यह कारिका दर्शन
के अध्येताओं में अत्यन्त प्रतिद्वंद्व है—

जालान्तरं भानौ यसूदम् दृश्यते रजः ।

तस्य पृष्ठतमो भाग परमाणुः प्रतीतिः ॥

परमाणु का यह परिचय एक दिव्यनिर्देशयात्रा है, इवाच एष अभिवाय यह है
कि किसी स्थूल दब्य का वह भाग, जिसमें किसी प्रकार के अशाद्वय की कोई कल्पना
ही नहीं की जा सकती, परमाणु है । अतः यह बात विना किसी हिचक्के के कही जा
सकती है कि आजकल पश्चात्य विश्वान की प्रक्रिया से जिन सूक्ष्मतम द्रव्यकणों को
तोड़ दिया जाता है वे न्याय वैशेषिक दर्शन के परमाणु नहीं हैं, उनके परमाणु तो वे
द्रव्यकण हैं जिनमें भौतिक विश्वान की रासायनिक प्रक्रिया से अवयव निकालने की
बात तो दूर रही किन्तु जिनमें अवयवों की वौद्धिक कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

उक्त प्रकार से परमाणु के सिद्ध हो जाने पर महाभूतों के उक्त उत्पत्तिक्रम के
विषय में यह दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि दो परमाणुओं से द्वयणुक, तीन द्वयणुओं से

कत्वात् । द्वाभ्यामारम्भे कार्यगुणमहत्त्वानुपपत्तिप्रसङ्गात् । कायें हि महत्त्व कारणमहत्त्वाद्वा कारणवहुत्वाद्वा । तत्र प्रथमस्यासमवाच्चरममेषितव्यम् । न च चतुरादिकल्पनाया प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव महत्त्वारम्भोपपत्तेरिति ।

यशुक, चार न्यगुको से चतुरशुक, इस क्रम से महाभूतों की उत्पत्ति क्यों मानी जाती है परमाणुकों से सीधे महाभूतों की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाती ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति सीधे परमाणुकों से होगी तो परमाणु और स्थूल द्रव्य के बीच कोई और खण्डद्रव्य न होने से जब स्थूल द्रव्यों का भज्ज होगा तब उसके समस्त परमाणु विलर जायगे, फलत स्थूलद्रव्यों के दूर्घने पर जो उनके टुकड़ों की उपलब्धि होती है वह न हो सकेगी, अत इन टुकड़ों की उपलब्धि से यह मानना आवश्यक है कि स्थूलद्रव्यों की उत्पत्ति सीधे परमाणुकों से न होकर अवान्तर खण्डद्रव्यों के द्वारा होती है ।

इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि बीच में उपलब्ध होने वाले टुकड़ों के कारण शुक्र से बड़े स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति तो उसी प्रकार मानी जाय पर न्यगुक की उत्पत्ति द्वयशुक से न मानकर सीधे परमाणुकों से क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि न्यगुक के दूर्घने पर उसके टुकड़े द्वयशुक की उपलब्धि तो होता नहीं ?

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि न्यगुक की उत्पत्ति यदि सीधे परमाणुकों से होगी तो न्यगुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी क्यों कि न्यगुक के समवायिकरणों में महत्परिमाण न होने से उसके महत्परिमाण की उत्पत्ति उसके अवयवों की बहुत्व सख्या से ही माननी होगी, कि हु यदि उसके अवयव सीधे परमाणु होने तो परमाणुकों की बहुत्व सख्या से उसके महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी, क्योंकि कायदान्यासक अवयवों की बहुत्व सख्या से ही उनसे उत्पन्न होने वाले अवयवी द्रव्य म महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है । यदि अकायद्रव्य परमाणुकों की बहुत्व सख्या से भी महत्परिमाण की उत्पत्ति मानी जायगी तब जैसे छ परमाणुकों से मठान् द्रव्य न्यगुक की उत्पत्ति होगी उसी प्रकार यणुक से बड़े द्रव्यों की भी उत्पत्ति सीधे परमाणुओं से हो सकेगी और उष्ट स्थिति में उक द्रव्यों के दूर्घने पर उनके टुकड़ों की उपलब्धि न हो सकेगी अत यह मानना आवश्यक है कि परमाणुगत बहुत्व से महत्परिमाण की उत्पत्ति नहीं होती, फलत न्यगुक की भी उत्पत्ति सीधे परमाणुकों से नहीं मानी जा सकती ।

इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति के अनुरोध से उन्नित्य परमाणुकों से सीधे यणुक की उत्पत्ति न हो, पर यह मानने में क्षा आवश्यक है ।

कि नित्य परमाणुओं ने अनित्य परमाणुओं की उत्पत्ति होती है और छ. अनित्य परमाणुओं से व्यष्टुक की तथा उनकी बहुत सख्ता से उसके महत्वरिमाण की उत्पत्ति होती है क्यों कि कार्यद्रव्यात्मक अवयवों की बहुत सख्ता से महत्वरिमाण की उत्पत्ति सिद्धान्त स्तर पर स्थीरत है।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि देवल एक परमाणु से अनित्य परमाणु की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती क्यों कि यदि एक परमाणु से अन्य परमाणु की उत्पत्ति होगी तो उत्पन्न होने वाले परमाणु का नाश न हो सकेगा क्यों कि कार्यद्रव्य का नाश दो ही प्रकार से होता है अवयवों के नाश से तथा उनके आरम्भक संयोग के नाश से। यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु की उत्पत्ति होगी तो अवयवभूत परमाणु के निष्ठ होने से तथा अवयव के एकूणक्षिप्तात्मक होने से उपर्युक्त आरम्भक संयोग न होने से न तो अवयव का ही नाश सम्भव है और न आरम्भक संयोग का ही नाश सम्भव है, फलते उत्पन्न होने वाले परमाणु का नाश असम्भव हो जायगा और पैदा होने वाले परमाणु का अनश्वर नहीं माना जा सकता क्यों कि कार्य द्रव्य नियमेन नश्वर होते हैं।

उक्त रीति से विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवाय हो जाता है कि उत्पन्न होने वाला प्रथम द्रव्य द्वयष्टुक ही है जो दो परमाणुओं के संयोग से प्रादुर्भूत होता है।

प्रश्न हो सकता है कि उत्पन्न होने वाले प्रथम द्रव्य ही उत्पत्ति दो ही परमाणुओं से क्यों मानी जाती है तीन या चार परमाणुओं से उत्पत्ति मानने में क्या हानि है। इसका उत्तर यह है कि तीन या चार परमाणुओं से जा द्रव्य उत्पन्न होगा वह महान् तो होगा नहीं, होगा अणु ही, महान् द्रव्य की उत्पत्ति तो उन प्रथमोत्पन्न द्रव्यों से ही माननी होगी, तो फिर जब दो परमाणुओं से द्रव्य की पदली उत्पत्ति मान कर उनके द्वारा स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति बन सकती है तब तीन चार परमाणुओं से द्रव्य की प्रथम उत्पत्ति की कलमण में कोई प्रमाण नहीं रह जाता। अठ, द्रव्य की प्रथम उत्पत्ति दो परमाणुओं से ही युक्तिसंगत प्रतीत होती है, एक परमाणु से अधिक परमाणुओं से युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती।

व्यष्टुक की भी उत्पत्ति तीन द्रव्यष्टुओं से ही होती है, एक द्रव्यष्टु या दो द्रव्यष्टु से नहीं हो सकती, क्योंकि एक द्रव्यष्टु से यदि व्यष्टुक की उत्पत्ति मानी जायगी तो उपर्युक्त महत्वरिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि उसके अवयव एकमात्र द्रव्यष्टु ने न तो महत्वरिमाण है और न बहुत सख्ता ही है और न उसमें प्रवयनामक चिह्नियां संयोग ही है जिससे कुनी रुद्धि में महत्वरिमाण की उत्पत्ति होती है, और इन-

तीन कारणों से भिन्न महत्वरिमाणका कोई चौथा कारण होता नहीं जिससे एक द्रव्यणुक से उत्पन्न होने पर व्यष्टुक में महत्वरिमाण की उत्पत्ति मानी जासके।

दो द्रव्यणुकों से व्यष्टुक की उत्पत्ति मानने में भी यही बाधा है क्योंकि दो द्रव्यणुकों में भी न महत्वरिमाण है और न चहुरन संख्या है। अतः यदि दो द्रव्यणुकों से व्यष्टुक की उत्पत्ति होगी तो उसमें महत्वरिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी। कहने का आशय यह है कि कार्यद्रव्य में महत्वरिमाण की उत्पत्ति मुख्य रूप से दो ही कारणों से होती है, अवयव का महत्वरिमाण और अवयवों की चहुरनसंख्या। कथित् इन दोनों कारणों से भिन्न कारणों से भी महत्वरिमाण की उत्पत्ति होती है जैसे रुई के लूटे पिण्ड को पुन देने पर धुनी हुई रुई कैल कर चड़ी हो जाती है, धुनी रुई का यह महत्वरिमाण उसके अवयवों के शिथिल संयोग से उत्पन्न होता है, इस शिथिल संयोग को प्रचय कहा जाता है। इस प्रकार कार्यद्रव्य में महत्वरिमाण के तीन उत्पादक होते हैं, अवयवगत महत्वरिमाण, अवयवगत चहुरनसंख्या और अवयवगत शिथिलसंयोग। दो द्रव्यणुकों में न तो महत्वरिमाण होता, न उनमें चहुरनसंख्या ही हो सकती, क्योंकि बहुत्व के लिये कमसे कम तीन द्रव्यों का होना आवश्यक होता है और न उनमें शिथिलसंयोग ही होता, अतः व्यष्टुक की उत्पत्ति यदि दो द्रव्यणुकों से होगी तो उसमें महत्वरिमाणात्मक गुण का उदय न हो सकेगा, कलतः न तो उसका प्रत्यक्ष ही होगा और न उसके द्वारा महद् द्रव्यों का वितार ही हो सकेगा। अतः तीन द्रव्यणुकों से ही व्यष्टुक की उत्पत्ति मानना उचित है, क्योंकि तीन द्रव्यणुकों से उत्पत्ति मानने पर उनकी चहुरनसंख्या से उनसे उत्पन्न होनेवाले व्यष्टुक में महत्वरिमाण की उत्पत्ति मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती।

प्रश्न होता है कि व्यष्टुक में महत्वरिमाण की उत्पत्ति के अनुरोध से एक या दो द्रव्यणुक से उसकी उत्पत्ति न हो, पर चार, पाच द्रव्यणुकों से किसी महद् द्रव्य की उत्पत्ति मानने में क्या बाधा है?

इसका उत्तर यह है कि बाधा और कुछ नहीं है, बाधा वेवल इतनी ही है कि ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति मानने में कोई युक्ति नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि महाभूतों की उत्पत्ति के लिए द्रव्यणुकों की उत्पत्ति के बाद महद् द्रव्यों की उत्पत्ति का प्रारम्भ मानना आवश्यक है। पहला महद् द्रव्य एक द्रव्यणुक या दो द्रव्यणुकों से नहीं उत्पन्न हो सकता, हाँ, दो से अधिक द्रव्यणुकों से हो सकता है, तो फिर तीन द्रव्यणुकों से महद् द्रव्य की उत्पत्ति का आरम्भ होकर जब बड़े-बड़े द्रव्यों की उत्पत्ति का कम स्थापित हो सकता है तब चार, पाच द्रव्यणुकों से पहले महद् द्रव्य की उत्पत्ति की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं रह जाता।

इस प्रकार उत्पन्न किचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि महद् द्रव्यों की उत्पत्ति का प्रारम्भ व्यष्टुक से ही होता है और वह तीन द्रव्यणुकों से ही उत्पन्न होता है।

शब्दगुणमाकाशम् । शब्द-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभागवत् ।
एक, विसु नित्यं च । शब्दलिङ्गकं च ।

शब्दलिङ्गत्वमस्य कथम् ?

परिशेषात् । 'प्रमक्गतिपेषेऽन्यत्राप्रसङ्गात् परिशिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः' तथाहि शब्दस्तावद् विशेषगुणः, सामान्यवर्त्वे सत्यसमदादिच्छैकेन्द्रियप्राह्यत्वगद् रूपादिवत् । गुणश्च गुण्याभित एव । न चास्य पृथिव्यादिच्छैकेन्द्रियमात्मा च गुणी भवितुमहंति श्रोत्रप्राह्यत्वाच्चउच्चदस्य । ये हि पृथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यन्वयं, यथा रूपादयः, शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते । न दिक्षालमनसां गुणः विशेष-गुणत्वात् । अत एत्योऽप्य्योऽतिरिक्तः शब्दगुणी एषितव्यः । स एवाकाश इति । स चैकौ भेदे प्रमाणाभावात्, एकन्वेनेवोपपत्तेः । एकत्वाद्वाकाशत्वं नाम सामान्यमाकाशे न विद्यते, सामान्यस्यानेकवृच्छित्वात् । विसु चाकाशम् । परम-महत्परिमाणमित्यर्थः । सर्वत्र तत्कार्योपलब्धेः । अत एव विभुत्वान्तित्यमिति ।

आकाश—

जो शब्दगुण का आधित है वह आकाश है । इव प्रधार आकाश का लक्षण है— शब्दगुण । इस लक्षण में से 'शब्द' अश को निकाल कर यदि 'गुण' मात्र को आकाश का लक्षण माना जायगा तो अन्य सभी द्रव्यों में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि अन्य सभी द्रव्यों ने भी न कोई गुण अवश्य रहता है इसी प्रकार उक लक्षण में से 'गुण' अश को निकाल कर यदि 'शब्द' मात्र हो लक्षण माना जायगा तो काल और दिक् में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि शब्द कालिक सम्बन्ध से काल में और दैशिक सम्बन्ध से दिक् में आधित होता है । लक्षण में गुण का सन्निवेश करने पर यह भाव सूचित होता है कि शब्द विषया गुण होने से जिसमें आधित हो वह आकाश है । शब्द काल और दिक् का गुण होने के कारण उनमें आधित नहीं होता किन्तु काल और दिक् में सभी वस्तुएँ आधित होती हैं अतः शब्द भी वस्तु होने के नाते उनमें आधित होता है, न कि उनका गुण होने से उनमें आधित होता है । यही कारण है जिससे शब्द उनमें समवाय सम्बन्ध से आधित न होकर कालिक तथा दैशिक सम्बन्ध से आधित होता है । अतः शब्द समवाय सम्बन्ध से आकाश का लक्षण है इसी बात के सूचनार्थं लक्षण में गुण शब्द का उपादान किया गया है ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शब्द भी आकाश का सार्वदिक लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि महाप्रलय होने पर आकाश में शब्द को उत्थने न होगी और नित्य शब्द कोई होता नहीं, अतः उस काल में शब्द लक्षण आकाश में अव्याप्त हो जायगा । अतः शब्द का अर्थ करना होगा प्रतियोगिव्यधिकरणशब्दाभावशून्यत्व, हसका

अर्थ है कि जिसमें शब्दाभाव अपने प्रतियोगी शब्द का व्यविकरण होकर न रहे वह आकाश है, आकाश में किसी काल और किसी भाग में शब्द के रहने से शब्दाभाव इसमें कभी प्रतियोगी का व्यविकरण होकर नहीं रह सकता, अतः आकाश में प्रतियोगि-व्यविकरण शब्दाभाव का अभाव सर्वदा रहने के कारण इस रूप में शब्द को आकाश का लक्षण मानने में कोई वाधा नहीं हो सकती।

दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि शब्द को आकाश का गुण कहने से यह सूचना मिलती है कि न्यायवेशेषिक के मतानुसार शब्द आकाश का अन्य गुण है, आकाश उसका समवायिकारण है, आकाश में उसकी समवायिकारणता है। उस कारणता का अवच्छेदक भर्त है आकाशगत विशेष पदार्थ। वह आकाश में सभी समय रहता है, वही आकाश का लक्षण है, अतः किसी भी समय आकाश में इस लक्षण की अव्याप्ति नहीं हो सकती।

शब्द, सख्ता, परिमाण, पृथक्त्व, सेवन और विभाग ये हैं, गुण आकाश में रहते हैं। इनमें शब्द विशेष गुण है और अन्य पाच सामान्य गुण हैं। इनमें एकत्व सख्ता, परिमाण और एकपृथक्त्व ये तीन नियम हैं और शेष सभी अनियम हैं।

आकाश एक है, विभु-व्यापक—समस्त मूर्त द्रव्यों से संयुक्त है और नित्य है। उसका जन्म और नाश नहीं होता।

आकाश शब्दलिङ्गक है। शब्दलिङ्गसे आकाश का अनुमान होता है। इस अनुमान को परिशेष अनुमान कहा जाता है। परिशेष का अर्थ है—प्राप्त होने वाले सभी पदार्थों का निषेच हो जाने पर तथा प्राप्त निषिद्ध पदार्थों से अन्य पदार्थों की प्राप्ति न होने पर चन्द्र जैसे वाले पदार्थ को स्वाकार कर लेना। यह स्वीकार जिस अनुमान पर निर्भर होता है उसे ही परिशेषानुमान कहा जाता है।

जैसे शब्द भोज इन्द्रिय से गृहीत होने वाला एक प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ है। अनुमान प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि वह विशेष गुण है। उसमें विशेषगुणत्व का सावक अनुमान इस प्रकार है—

शब्द विशेषगुण है, क्योंकि वह सामान्य-जाति का आश्रय होते हुये हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को बाध्य इन्द्रिय से गृहीत होने योग्य है। जो पदार्थ सामान्य का आश्रय होते हुए हम जैसे साधारण मनुष्यों को बाध्य इन्द्रिय से गृहीत होने योग्य होता है वह विशेष गुण होता है, जैसे रूपत्व, आदि सामान्य का आश्रय तथा हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को बहिर्बन्द्रिय चल्तु आदि से गृहीत होने योग्य रूप आदि गुण।

इस अनुमान में शब्द पद है, विशेषगुणत्व साध्य है, सामान्य का आश्रय होते

हुये हम जैसे साधारण जनों को चहरिन्द्रिय से एहीत होने योग्य होना हेतु है, ऐ आदि दृष्टगत है।

प्रस्तुत हेतु न विषय में यह चाँते शात्रूप है कि यदि इस हेतु म से 'सामा-यवस्त्व-सामान्य का आधय होना' इस अश को निकाल दिया जायगा तो शेष हेतु रूपव्य आदि सामान्य म विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा, और यदि 'हम जैसे साधारण मनुष्यों को बाध्य इन्द्रिय से एहीत होने योग्य होना' इस अश को निकाल दिया जायगा तो उच्चा हुआ हेतु 'सामा-यवस्त्व' आमा म विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा। चहिरिन्द्रिय अश को हेतु न शरीर से पृथक् कर देने पर गुरुत्व आदि सामान्य गुणों म हेतु विशेषगुणत्व का व्याख्यनारी हो जायगा। चहिःपदमात्र को निकाल देने पर आमा में हेतु साध्य का व्यभिचारी हो जायगा। अस्त्रदादि अश को हेतु से पृथक् कर देने पर योगियों को बाहा इन्द्रिय से एहीत होने वाले पृथिवी आदि के परमाणुओं में हेतु साध्य का व्यभिचारी हो जायगा। उक पूरा हेतु भी घट आदि द्रव्यों में विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जाता है अतः चहिरिन्द्रियप्राकृत्व का अर्थ करना होगा ४४-चहिरिन्द्रियमात्रग्राह्यत्व। पट आदि द्रव्य चक्षु और त्वक् दो बाध्य इन्द्रियों से माझ होते हैं अतः उनमें व्यभिचार नहीं हो सकता। उक हेतु में प्राकृत्व का अर्थ है प्रहण योग्य होना, इसमें प्रहण में सामान्यलक्षणा तथा शानलक्षणा प्रत्यासच्चि से अनन्य होना यह विशेषण देना होगा। अन्यथा द्रव्यत्वरूप से घट का चाक्षुप होने पर द्रव्यत्वस्त्वरूप सामा-यलक्षणा प्रत्यासच्चि से होने वाले याकद् द्रव्य के चाक्षुप प्रत्यक्ष में तथा 'ममानु-कूलोऽय घर —यह घट मेरे अनुकूल है' इस चाक्षुप प्रत्यक्ष में शानलक्षणा प्रत्यासच्चि से आत्मा का भान होने से उक हेतु आमा में साध्य का व्यभिचारी हो जायगा। इसी प्रकार उक हेतु में माझत्व का अर्थ यदि 'प्रहणयोग्य होना' न कर 'प्रहण का विषय होना' किया जायगा तो एक शब्द की धारा का अन्तिम शब्द जो पूर्व शब्द से नाश होने से ज्ञानिक होने के कारण अतीन्द्रिय होने से चहिरिन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय नहीं होगा उसमें उक हेतु भागासिद्ध हो जायगा क्यों कि उक अनुमान में सम्पूर्ण शब्दों के पक्ष होने से उक अन्तिम शब्द भी पक्ष का एक भाग होगा और उसमें उक हेतु असिद्ध है।

उक रीति से हेतु के समस्त घटकों के प्रयोजन का आकलन करने पर उसका जो स्वरूप निष्पन्न होता है उसे 'एक चहिरिन्द्रियमात्र से लौकिक सन्निकपद्वारा प्रहण होने योग्य सामा-य का आधय होना' इस शब्द से व्यवहृत किया जा सकता है।

अस्तु, उक अनुमान से यह सिद्ध है कि शब्द विशेषगुण है। न्यायवैशेषिकदर्शन को यह नियम भी निरपवादरूप से मान्य है कि जो गुण होता है वह गुणों में

समवाय सम्बन्ध से अवश्य आश्रित होता है, अतः इस नियम के बल यह बात भी अनुमानसिद्ध है कि शब्द समवाय सम्बन्ध से किसी गुणी म अवश्य जाग्रित है। इस प्रकार ये तीन बातें निविवाद रूप से सिद्ध हैं—शब्द है (१), वह विशेषगुण है (२), वह समवाय सम्बन्ध से जाग्रित है (३) किन्तु यह नहीं सिद्ध है कि वह समवाय सम्बन्ध से किस पदार्थ में जाग्रित है। अतः शब्द असुरक पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से जाग्रित है इस रूप म उसके आश्रय वा सिद्ध करने का प्रयत्न जीवश्यक है।

शब्द के आश्रय की लोज करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि द्रव्य गुण, ऋम, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन पदार्थों म ही किसी पदार्थ का शब्द का आश्रय मानना होगा क्यों कि इन पदार्थों से भिन्न किसी पदार्थ का असात्त्व अन्यायवैशेषिक दर्शन का मान्य नहीं है। इन पदार्थों म पृथिवी, जल, तेज, वायु, द्रव्य, काल, आत्मा और मन ये आठ द्रव्य हैं शब्द के जाश्रय रूप म प्राप्त होते हैं किन्तु उन सभी का निषेच हो जाता है। जैसे पृथिवी, जल, तेज, वायु और आत्मा, इनमें किसी को शब्द का आश्रय नहीं माना जा सकता क्योंकि शब्द का श्रोत्र इन्द्रिय से प्रहण होता है और उन द्रव्यों म जाग्रित होने वाला कोई गुण भोवता से ग्राह्य नहीं होता। इस प्रकार दिक, काल, और मन, इनमें भी किसी को शब्द का जाश्रय नहीं माना जा सकता क्यों कि शब्द विशेष गुण है और उक्त द्रव्य विशेष गुण का आश्रय नहीं होते। इस प्रकार जितने द्रव्य शब्द का आश्रय होनेके लिये प्राप्त होते हैं उन सभी का निषेच हो जाता है और गुण, कर्म जादि अन्य छँटा पदार्थ शब्द का आश्रय होने के लिए प्राप्त ही नहीं हो सकते क्योंकि वे किसी भी गुण का आश्रय नहीं होते, गुण का आश्रय तो कोई द्रव्य ही होता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले पृथिवी आदि आठ द्रव्यों का निषेच हो जाने और उनसे अन्य गुण जादि छँटा पदार्थों की प्राप्ति न होने से शप रह जाता है पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य, ऐसे जिस द्रव्य को शब्द के आश्रय रूप में स्वीकार किया जाता है उसी का नाम है आकाश। यह स्वीकार जिस अनुमान पर निर्भर है वह है परिशेषानुमान और वह इस प्रकार है—

शब्द पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में जाग्रित है, क्योंकि वह पृथिवी आदि आठ द्रव्यों म जाग्रित न होने वाला गुण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जा पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य में जाग्रित नहीं होता उसकी दो ही स्थिति हो सकती है, या तो वह पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में ही किसी द्रव्य म जाग्रित हो जैसे रूप आदि गुण, या वह सर्वथा अनाग्रित हो जैसे काल आदि द्रव्य। शब्द न तो पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में से किसी द्रव्य में जाग्रित है और न सर्वथा अनाग्रित ही है, क्योंकि यदि वह पृथिवी, जल, तेज, वायु और आत्मा इनमें से

किसी में आश्रित होगा तो शोब्र से ग्राह्य नहीं होगा, और यदि काल, दिक् तथा मन इनमें से किसी में आश्रित हो गा तो विशेष गुण न हो सकेगा क्योंकि इनमें कोई विशेषगुण आश्रित नहीं होता, और वह यदि कहीं भी आश्रित न होगा तो गुण ही न हो सकेगा क्योंकि कोई गुण सर्वथा अनाश्रित नहीं होता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि शब्द का जो आश्रय है वह पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य है और ऐसा जो द्रव्य है वही आकाश है।

आकाश एक ही है क्योंकि उसे अनेक मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इतना ही नहीं किन्तु उसे एक मानना ही उचित है, क्योंकि उसी रियति में एक स्थान में उत्पन्न होने वाले शब्द के दूसरे स्थान में अवण की उपरत्ति हो सकेगी, अन्यथा आकाश यदि अनेक होगा तो एक स्थान के आकाश में उत्पन्न शब्द दूसरे स्थान के आकाश में न पहुँच सकेगा, फलतः एक स्थान में उत्पन्न शब्द का अन्य स्थान में अवण न हो सकेगा। किन्तु जब आकाश एक होगा तो किसी एक स्थान में शब्द उत्पन्न होने पर उससे अन्य स्थानों में भी उसके सदान शब्दों की उपरत्ति में कोई बाधा न देंगी, क्योंकि स्थानभेद होने पर भी उन विभिन्न स्थानों के आकाश में भेद नहीं होता। परन्तु यह भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न आकाश माने जायें तब एक स्थान के आकाश में उत्पन्न शब्द से अन्य स्थान के आकाश में शब्द की उपरत्ति न हो सकेगी क्योंकि कोई भी कारण अपने आश्रय में ही कार्य को उत्पन्न करता है यह नियम है। अतः एक स्थान के आकाश में उत्पन्न शब्द अन्य स्थान के आकाश में अपने समान शब्द का उत्पादन न कर सकेगा, जिसका सब्द दुष्परिणाम यह होगा कि एक स्थान में उत्पन्न शब्द का अन्य स्थान में अवण न हो सकेगा।

आकाश के एक होने से आकाशत्व को आकाश में रहने वाला सामान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो सामान्य होता है वह अनेकवृत्ति होता है, यह नियम है। किन्तु आकाश के एक होने से आकाशत्व अनेकवृत्ति नहीं होता अतः यह सामान्य नहीं हो सकता।

आकाश विभु है, विभु होने का अर्थ है व्याख्या होना और व्यापक होने का अर्थ है वर्तमान सभी मूर्तद्रव्यों से एक साथ समुक्ष होना, और यह तभी सम्भव हो सकता है जब वह परम महान् हो, अतः आकाश को विभु कहने का यह आशय होता है कि आकाश परममद्विभिन्नताग का आश्रय है। प्रश्न हो सकता है कि आकाश को परम महान् मान कर व्याख्या मानने की क्या आवश्यकता है? उत्तर में यह इस्तो जा सकता है कि यतः मुद्रूरवतीं स्थानों में एक ही समय आकाश के कार्य की उपलब्धि होती है अतः उसे व्याख्या मानना आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि मुद्रूरवतीं स्थानों में विद्यमान मनुष्यों हो अपने अपने स्थान में एक ही समय शब्द की

कालोऽपि दिग्बिपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः । सख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विमागवान् । एको नित्यो विभुश्च ।

कथमस्य दिग्बिपरीतपरत्वापरत्वानुमेयत्वम्? उच्यते । सन्निहिते बुद्धे सन्नियानादपरत्वाहें तद्विपरीत परत्वं प्रतीयते । व्यवहिते यूनि व्यवधानात् परत्वाहें तद्विपरीतमपरत्वम् । तदिदं त तद्विपरीतं परत्वमपरत्वं च कार्यं तत्कारणस्य दिगादेरसंभवान् कालमेव कारणमनुमापयति । स चैकोप्रपि वर्तमानातीत-भविष्यत्क्रियोपाधिवशाद् वर्तमानादिव्यपदेश लभते, पुरुष इव पञ्चाविक्रियो-पाधिवशात् पाचक-पाठकादिव्यपदेशम् । नित्यत्वविभुत्वे चाऽस्य पूर्ववत् ।

उपलब्धिव होती है, प्रतः मानता होगा कि उन सभी स्थानों में एक ही समय शब्द की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार की उत्पत्ति तभी सम्भव हो सकती है जब उन सभी स्थानों में आकाश एक समय में विद्यमान हो और आकाश की यह विद्यमानता भी उभी सम्भव हो सकती है जब उसे व्यापक माना जाय, अन्यथा आकाश यदि अध्यापक होगा तो सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों में एक समय में विद्यमान न हो सकेगा और उस रिप्ति में उन दूरवर्ती विभिन्न स्थानों में एक समय शब्द की उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि यह का समवायिकारण आकाश एक ही है और अन्यापक होने के नाते वह दूरवर्ती विभिन्न स्थानों में एक समय में विद्यमान नहीं है । अतः एक समय में सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों में यह की उत्पत्ति को सम्भव बनाने के लिये आकाश का विभु मानना आवश्यक है ।

विभु—परम महान् होने के कारण हो वह नित्य है, क्योंकि यदि वह अनित्य होगा तो उसकी दो ही गति हो सकती है—जैसे या तो वह द्वयगुक के समान अणु हो अथवा >यणुक आदि के समान मध्यवरिमाण हो, क्योंकि अणु और मध्यम परिमाण से अन्य परिमाण का कोई अनित्य द्रव्य प्रमाणित नहीं है, किन्तु आकाश परमद्वापरिमाण का आश्रय है अतः उसकी नित्यता अनिवार्य है ।

इस प्रकार उत्तरुक चर्चा से यह स्पष्ट है कि आकाश शब्द गुण का आश्रयभूत एक अतिरिक्त द्रव्य है, जो एक, विभु तथा नित्य है ।

काल—

काल एक स्वतन्त्र द्रव्य है, दिग्बिपरीत परत्व और अपरत्व से उसका अनुमान होता है । दिग्बिपरीत का अर्थ है । जो दिव्यमूलक न हो, जो एक ही दिक् में अवस्थित द्रव्यों में भी हो सके । जैसे एक ही दिक्-एक ही देश में कम से उत्तरन होने वाले दो

द्रव्यों में एक पर-ज्येष्ठ होता है और दूसरा अपर-कनिष्ठ होता है। जो पहले उत्तम होता है वह ज्येष्ठ तथा जो बीछे उत्तम होता है वह कनिष्ठ माना जाता है। इस परत्व-अपरत्व—ज्येष्ठत्व—कनिष्ठत्व के भेद का मूल दिक् नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मूल यदि दिक् होगा तो दिक् का भेद न होने से एक दिक् में उत्तम होने वाले द्रव्यों में परत्व-अपरत्व की यह भेद कैसे हो सकेगा? अत. जो परत्व-अपत्व दिक्सूलक नहीं हैं उनके मूलरूप में काल का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार अनुमित होने वाला काल सुखशा, परिमाण, धृष्टस्थ, संयोग और विमाग इन पाच गुणों का आधार, एक, नियंत्रण तथा विभुति है।

दिग्बिंघरीत परत्व और अपरत्व से काल का अनुमान किस प्रकार होता है? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है—

समीपवर्ती दूदा व्यक्ति दूरवर्ती युवा की अपेक्षा समीपस्थ होने के नाते दिशा की दृष्टि से यद्यपि अपरत्व का पात्र होता है किन्तु फिर भी उसमें युवा की अपेक्षा परत्व की प्रतीति होती है। इसी प्रकार दूरवर्ती युवा समीपवर्ती दूद की अपेक्षा दूरस्थ होने के नाते दिशा की दृष्टि से परत्व का पात्र होता है किन्तु इद की अपेक्षा उसमें अपरत्व की प्रतीति होती है। समीपस्थ दूद और दूरस्थ युवा में प्रतीत होने वाला यह परत्व और अपरत्वरूप कार्य दिग्बिंघरीत है। इसका कारण दिशा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कारण यदि दिशा होती तो समीपस्थ दूद दूरस्थ युवा की अपेक्षा पर और दूरस्थ युवा समीपस्थ दूद की अपेक्षा अपरत्व में प्रतीत होता। अतः इस परत्व और अपरत्वरूप कार्य का दिशा से भिन्न ही कोई कारण मानना होगा। इस प्रकार का जो भी कारण मान्य होगा वही काल है।

काल दिग्बिंघरीत परत्व—अपरत्व का दो प्रकार से कारण होता है। एक प्रकार है उनके असम्भायिकारण का सम्बद्धन करना और दूसरा प्रकार है उनके निमित्तारण का सम्बद्धन करना। जैसे दिग्बिंघरीत परत्व-अपरत्व भावात्मक कार्य है। भावात्मक कार्यों की उत्पत्ति के लिये सम्भायिकारण, असम्भायिकारण और निमित्तारण, इन तीन कारणों की अपेक्षा होनी है। उक परत्व-अपरत्व का सम्भायिकारण होता है वह दूद और युवा व्यक्ति जिनमें उनकी प्रतीति होती है। असम्भायिकारण होता है दूद और युवा के साथ काल का सम्बद्धन और निमित्तारण होता है दूद तथा युवा व्यक्ति में चक्रवर्त तथा अक्षरतर सूर्यकियाओं के सम्बन्ध का सान। स्वतन्त्र काल द्रव्य को स्वीकार न करने पर न को उक असम्भायिकारण ही उन उक्त काल और न उक निमित्तारण ही उन सहना, क्योंकि दूद और युवा के साथ सूर्यकियाओं का सानात् सम्बन्ध न होकर

स्वाध्य (सूर्य) संयुक्त (काल) संशोधन वर्गमण्डल में ही होता है, जो काल के अभाव में कथमपि सम्भाव्य नहीं है ।

यदि यह कहा जाय कि वृद्ध और युवा के साथ दिक्, आकाश अथवा आत्मा के संयोग के असम्बायिकारण तथा सूर्यकियाओं के स्वाध्य (सूर्य) संयुक्त (दिक्, आकाश अथवा आधा) संयोग सम्बन्ध के रान को निमित्तकारण मान लेने से भी उक्त परत्व-अपरत्व की उत्पत्ति हो सकती है अतः उनके असम्बायिकारण और निमित्तकारण के सम्पादनार्थ काल की कल्पना अनावश्यक है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि दिक् को उक्त कारणों का सम्पादक मानने पर उनसे उत्पन्न होने वाला परत्व अपरत्व दिग्विपरीत न हो सकेगा । आकाश और आत्मा को भी उन कारणों का सम्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि आकाश और आत्मा से उन कारणों का सम्पादन मानने पर दिव्यमूलक परत्व और अपरत्व के भी असम्बायिकारण और निमित्तकारणों का सम्पादन उन्हीं से माने जाने का प्रश्न खड़ा होगा और उस स्थिति में दिव्यमूलक परत्व-अपरत्व और दिग्विपरीत परत्व-अपरत्व में भेद न हो सकेगा । अतः दिग्विपरीत परत्व-अपरत्व के उक्त कारणों के सम्पादनार्थ काल की कल्पना अनिवार्य है ।

काल एक है क्योंकि उसे अनेक मानने में कोई युक्ति नहीं है प्रत्युत निष्पत्योजन अनेक मानने में गौरव है ।

काल विभु है क्योंकि दूरवर्ती विभिन्न द्रष्टव्यों में एक ही साथ कालमूलक परत्व-अपरत्वस्तु कार्यों की उत्पत्ति होती है ।

विभु होने के नाते काल परम महान् है और परम महान् होने के नाते ही नित्य है, क्योंकि अनित्य द्रव्य द्रव्यणुक के समान अगु अथवा घर आदि के समान मध्यमपरिमाण ही हो सकता है ।

प्रश्न होता है कि काल यदि एक ही है तो वर्तमान, अतीत और भविष्यत् रूप में काल की विविध प्रतीति किस प्रकार होगी ? इसका उत्तर यह है कि काल अपने निजी स्वरूप में वर्तमान, अतीत अथवा भविष्यत् नहीं होता किन्तु उसमें उत्पन्न होने वाली कियाये वर्तमान, अतीत और भविष्यत् होती है, उनके द्वारा ही उनके आश्रयभूत काल को वर्तमान, अतीत और भविष्यत् रूप में व्यवहृत किया जाता है । जैसे एक ही पुस्तक पढ़ाने की किया करने के कारण पाचक और पढ़ने पढ़ाने की किया करने के कारण पाठक कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान आदि किया के सम्बन्ध से एक ही काल वर्तमान आदि विभिन्न रूपों में व्यवहृत होता है ।

आकाश के समान ही काल में भी नित्यत्व और विभुत्व की सिद्धि होती है जिसका संकेत सद्वित्त रूप से ऊरर कर दिया गया है ।

कालविपरीतपरत्वापरत्वा। नुमेया दिक्। एका नित्या विभवी च। संख्या-परिमाण-वृथक्त्व संयोग-विभाग गुणवती। पूर्वादिप्रत्ययैरनुमेया। तेषामन्य-निमित्तासंभवात्। पूर्वस्मिन् पश्चिमे वा देशे स्थिरस्य चस्तुनस्त्रादवस्थ्यात्। सा चैकाऽपि सवितुस्तच्चदे शसंयोगोपाधिवशात् प्राच्यादिसंज्ञां लभते।

दिक्—

दिक् का अर्थ है दिशा। यह एक स्तरन्त्र द्रव्य है, काल वपरीत-शाल से निशादन किये जाने के अयोग्य परत्व और अपरत्व से इसका अनुमान होता है। अनुमान के उदय का प्रकार यह है—

काशी की अपेक्षा प्रयाग पटना से पर-दूर है, एवं प्रयाग की अपेक्षा काशी पटना से अपर-समीप है, यह एक सर्वमान्य व्यवहार है। इस व्यवहार से यह चिद है कि काशी की अपेक्षा प्रयाग में पटना से परत्व-दूरी है और प्रयाग की अपेक्षा काशी में पटना से अपरत्व-समीप्य है। प्रश्न होता है कि प्रयाग और काशी में व्यवहृत होने वाले इस परत्व तथा अपरत्व का प्रथम शान विस प्रकार होता है। उत्तर यह है कि कोई मनुष्य पटना से जब काशी और प्रयाग की ओर चलता है तब काशी उसे पहले मिलती है और प्रयाग बाद में मिलता है, इसलिए यह निष्पत्त होता है कि पटना से काशी समीप है और प्रयाग दूर है, क्योंनि मनुष्य की यह मान्यता है कि जो स्थान पहले प्राप्त हो उसे समीप माना जाय और जो बाद में प्राप्त हो उसे दूर माना जाय।

इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि पहले प्राप्त होने वाले स्थान में अपरत्व-समीप्य मान कर उसे समीप कहा जाय और बाद में प्राप्त होने वाले स्थान में परत्व-दूरी मान कर उसे दूर कहा जाय, यह तो किसी को समीप या दूर कहने को एक सकेत हुआ किन्तु इस बात का तो कारण बताना ही होगा कि क्यों कोई स्थान पहले प्राप्त होता है और क्यों कोई स्थान बाद में प्राप्त होता है? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो स्थान जहाँ से समीप होता है वहाँ से चलने पर वह स्थान पहले प्राप्त होता है और जो स्थान दूर होता है वह बाद में प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थान के पहले प्राप्त होने का कारण हुआ स्थान का दूरत्व। इस समीप्य और दूरत्व को ही न्याय-वैशेषिक दर्शन में अपरत्व और परत्व कहा जाता है।

इस सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा गया उससे यह बात समझ में आती है कि जब कोई मनुष्य पटना से काशी-प्रयाग की ओर प्रस्थान करता है तब काशी पहुँचने पर काशी में उसे अपरत्व-समीप्य का प्रत्यक्ष होता है और प्रयाग पहुँचने पर उसे प्रयाग में परत्व-दूरी का प्रत्यक्ष होता है। बाद में काशीगत अपरत्व-समीप्य में प्रयाग-पैदल

तथा पठनावधिकत्व और प्रयागगत परत्व में काश्यपेक्षण तथा पठनावधिकत्व का मानण हान होता है और तच यह इस प्रकार का व्यवहार करने में समर्थ होता है कि काशी पठना से प्रयाग की अपेक्षा अपरसमीप है और प्रयाग पठना से काशी की अपेक्षा पर-दूर है।

अब प्रश्न यह होता है कि प्रयाग और काशी में प्रतीत एवं व्यवहृत होने वाला यह परत्व और अपरत्व द्रव्य आदि सात पदार्थों में कौन सा पदार्थ है ! इस प्रश्न के उत्तर की खोज में इस प्रकार के विचार बुद्धि में आते हैं—

परत्व और अपरत्व को द्रव्य नहीं माना जा सकता क्यों कि इनका प्रत्यक्ष चलु से होता है पर इनमें किसी प्रकार के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, और नियम यह है कि चलु से दील पढ़ने वाले द्रव्य में किसी रूप का प्रत्यक्ष अवश्य होता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परत्व और अपरत्व यदि नीरूप द्रव्य हो तो उनका चालुप्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये और यदि रूपवान् द्रव्य हो तो उनमें किसी रूप का प्रत्यक्ष अवश्य होना चाहिये । पर स्थिति यह है कि परत्व और अपरत्व का चालुप्रत्यक्ष तो होता है पर उनमें किसी रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, अत यह निश्चित है कि परत्व और अपरत्व द्रव्यरूप नहीं हैं ।

परत्व और अपरत्व को कर्म भी नहीं माना जा माना जा सकता क्यों कि उनसे स्वयोग-विभाग का उदय नहीं होता । उन्हें सामान्य भी नहीं माना जा सकता क्यों कि सामान्य साक्षेर और सावधिक नहीं होता । उन्हें विशेष भी नहीं माना जा सकता, क्यों कि वे विशेष के सरान न तो नियद्रव्यमात्र में ही नियत हैं और न अतीनिय ही हैं । उन्हें समवाय भी नहीं माना जा सकता क्यों कि उनसे सम्बन्ध का कार्य नहीं होता । उन्हें अभाव भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभाव शोषक शब्दों से उनका उल्लेख नहीं होता ।

अत. परिशेषपाद् यह सिद्ध होता है कि परत्व और अपरत्व गुण हैं ।

अब प्रश्न यह होता है कि परत्व और अपरत्व को नियम गुण तो नहीं माना जा सकता क्यों कि वे अनेक द्रव्य में भी रहते हैं और नियमुण्ड कोई भी अनिय द्रव्य में नहीं रहता, अत उन्हें जन्य गुण ही मानना होगा, और जब वे जन्यगुण हैं तो उनके समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण बताना होगा ।

कारणों के सम्बन्ध में विचार करने पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि जिस द्रव्य में परत्व अपरत्व की प्रतीति होती है वह द्रव्य उनका समवायिकारण है और उस द्रव्य के साथ किसी द्रव्य का स्वयोग असमवायिकारण है, एवं उस द्रव्य में बहुतरमूर्ति-द्रव्यस्वयोग तथा अल्पतरमूर्ति-द्रव्यस्वयोग का हान निमित्तकारण है ।

निमित्तकारण का स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है कि जब कोई मनुष्य पटना से काशी जाता है तब उसे पटना और काशी के बीच रास्ते पर पढ़ने वाले सभी स्थानों-मूर्त्तिद्वयों को पार करना होता है, कहतः उन स्थानों-मूर्त्तिद्वयों से संयुक्त होने के बाद मनुष्य का उस भूमिक्षण्ड के साथ संयोग होता है जिसे काशी कहा जाता है। काशी पहुँचने पर उसे यह शान होता है कि इतने स्थानों-मूर्त्तिद्वयों को पार करने के बाद-इतने मूर्त्तिद्वयों के साथ संयोग होने के बाद काशी प्राप्त हुई है। इस शान को ही काशी में पटना-काशी के बीच के मूर्त्तिद्वयों के संयोग का शान कहा जाता है। यदि शान ही काशी में उत्तरवाले पटनावधिक प्रयागापेक्ष अपरत्व का निमित्तकारण है।

काशी पहुँचने के बाद वही मनुष्य जब और आगे चढ़ता है और चलते-चलते प्रयाग पहुँचता है तब उसे यह जान होता है कि पठना से काशी होते हुए प्रयाग पहुँचने के लिए उसे पठना और काशी के बीच तथा काशी और प्रयाग के बीच के रास्ते पर पढ़ने वाले सभी स्थानों—मूर्तद्वयों को पार करना होता है अर्थात् पठना, काशी तथा काशी और प्रयाग के बीच 15 स्थित सभी स्थानों—मूर्तद्वयों के साथ सयोग होने के बाद उस भूमिक्षण्ड के साथ सयोग होता है जिसे प्रयाग कहा जाता है। इस जान को द्वी प्रयाग में पठना-प्रयाग के बीच के मूर्तद्वयों के सयोग का जान कहा जाता है।

स्थृत है कि पटना-काशी के बीच के मूर्तद्रव्य पटना-प्रयाग के बीच के मूर्तद्रव्यों से अल्प है और पटना-प्रयाग के बीच के मूर्तद्रव्य पटना-काशी के बीच के मूर्तद्रव्यों से अधिक है। अतः पटना से काशी अल्पतर मूर्तद्रव्यों से व्यवहित है और प्रयाग पटना से बहुतर मूर्तद्रव्यों से व्यवहित है। पटना से काशी जितने मूर्तद्रव्यों में व्यवहित है काशी में उतने मूर्तद्रव्यों के सद्योग का शान काशी में प्रतीत होने वाले अपरत्व-सामीप्य का निमित्त कारण है और प्रयाग पटना से जितने मूर्तद्रव्यों से व्यवहित है, प्रयाग में उतने मूर्तद्रव्यों के सद्योग का शान प्रयाग में प्रतीत होने वाले परत्व-दुरत्व का निमित्त कारण है।

निमित्तकारणभूत हन ज्ञानों के सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता है कि पटना और काशी के बीच तथा पटना और प्रयाग के बीच के मार्ग में स्थित मूलद्रव्यों का सेवण तो पटना से काशी तथा प्रयाग जाने वाले मनुष्य के साथ होता है, अतः उस मनुष्य में उन मूलद्रव्यों के सेवणों का ज्ञान होना तो ठीक है पर काशी या प्रयाग में उन मूलद्रव्यों के सेवणों का ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि उन सेवणों का उदय काशी और प्रयाग में तो होता नहीं ? उच्चर यह है कि यह बात तो ठीक है कि उन सेवणों का काशी और प्रयाग के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर उक्त प्रकार से उनका ज्ञान तो उनमें होता ही है, अतः यह मानना होगा कि काशी-प्रयाग में उन सेवणों का ज्ञान साक्षात् सम्बन्ध से नहीं होता किन्तु परम्परासम्बन्ध से होता है । वह परम्परासम्बन्ध इस प्रकार हो सकता है कि कोई एक ऐसा द्रव्य हो जिसके साथ उन सभी सेवणों का कोई साक्षात् सम्बन्ध हो

और उस द्रव्य का काशी और प्रयाग के साथ सीधा सम्बन्ध हो। ऐसे सम्बन्ध को 'स्वाध्यसंयोग' नाम से अभिहित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्व का अर्थ होगा मूर्तद्रव्यसंयोग, उसका आश्रय होगा कोई द्रव्य और उसका संयोग होगा काशी और प्रयाग म। इस प्रकार पट्टना काशी के बीच तथा पट्टना-प्रयाग के बीच मार्गस्थित मूर्तद्रव्यों के साथ पट्टना से काशी तथा प्रयाग जाने वाले मनुष्य के संयोगों को काशी और प्रयाग के साथ जोड़ने वाले सम्बन्ध के निर्वाहार्थ जो द्रव्य स्वीकार्य होगा, वह पृथिवी, जल, तेज वायु, आकाश, काल, आत्मा और मन से भिन्न होगा, क्यों कि इनमें आकाश, काल और आत्मा से भिन्न जो द्रव्य है वे स्वयं परिच्छान होने के कारण उन सभी संयोगों से साक्षात् सम्बद्ध नहीं हो सकते। आकाश और आत्मा के साथ भी मनुष्य के साथ होने वाले मूर्तद्रव्यों के संयोग का कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं हो सकता। हों, काल के साथ उन सभी संयोगों का काशी और प्रयाग के साथ स्वाध्यसंयोग सम्बन्ध बन सकता है, पर काल को मनुष्यगत मूर्तद्रव्यसंयोग को काशी और प्रयाग जैसे स्थानान्तर के साथ जोड़ने का कड़ी नहीं माना जा सकता, क्यों कि वह तो उक्त परम्परा-सम्बन्ध से एकप्राप्त एक की किया का ही अन्य के साथ जोड़ने की कड़ी के रूप में माना गया है, किन्तु अप्रययदि उसे एक वे किसी अन्य भी गुणवत्ता को अन्य के साथ जोड़ने वाला कड़ी के रूप में स्वीकार किया जायगा तो काशी में फैले हुये जपाकुमुम की अरुणिमा उषके द्वारा प्रयाग में स्थित स्फटिक मणि में पहुँच जायगी और इस पहुँच के परिणामस्वरूप काशीस्थित जपाकुमुम से प्रयागस्थित स्फटिक मणि अरुण दिखाई देने लगेगी। अत जैसे एक की नियामात्र को ही अन्य न साथ जोड़ने की कड़ी के रूप में काल नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है उसी प्रकार एकनिष्ठ मूर्त-द्रव्यसंयोगमात्र को अन्य के साथ जोड़ने की कड़ी के रूप में एक दूसरे स्वतन्त्र द्रव्य को मात्यता प्रदान करना उचित है। इस कार्य के निमित्त ऐसा जो द्रव्य स्वीकार्य है उसी का नाम है दिक्। वही पट्टना से काशी और प्रयाग जाने वाले मनुष्य के साथ होने वाले पट्टना-काशी तथा पट्टना प्रयाग के बीच में स्थित मूर्तद्रव्यों के संयोग का दैशिक—दिक्कृतविशेषणता—नामक संक्षात् सम्बन्ध से आभय होता है, वह द्रव्य विशु है अत उसका संयोग काशी और प्रयाग के साथ हो सकता है। इस प्रकार स्वाध्यसंयोग सम्बन्ध से पट्टना-काशी के बीच होने वाले मनुष्य और मूर्तद्रव्य के संयोग का ज्ञान काशी में और पट्टना प्रयाग के बीच होने वाले मनुष्य और मूर्तद्रव्य के संयोग का ज्ञान प्रयाग में सुम्पन हो सकता है। यह ज्ञान ही क्रम से काशी में पट्टनावधिक अपरत्व और प्रयाग में पट्टनावधिक परत्व का निमित्तकारण होता है।

उक्त प्रकार से निमित्तकारण के निर्वाहार्थ कल्पित होने वाले इस द्रव्य का

काशी और पटना के साथ जो सयोग होता है वही काशी में उत्पन्न होने वाले अपरत्व का और प्रयाग में उत्पन्न होने वाले परत्व का असमवायिकारण होता है।

प्रारम्भ में कालविपरीत परत्व और अपरत्व से दिक् का अनुमान होने की बात बता कर उसके उदय का प्रकार बताने का जो उपक्रम किया गया था उसका उपस्थार इस प्रकार किया जा सकता है—

पटना से काशी में प्रयाग की अपेक्षा प्रतीत होने वाला अपरत्व और पटना से प्रयाग में काशी की अपेक्षा प्रतीत होने वाला परत्व, ये दोनों अपने आधय में होने वाले अपने निमित्तकारण के निर्वाहक द्रव्य के सयोग से जन्य हैं क्यों कि वे अपरत्व और परत्व शब्द के मुख्य अर्थ हैं, जो अपरत्व और परत्व शब्द के मुख्य अर्थ होते हैं वे अपने आधय में होने वाले निमित्तकारण के निर्वाहक द्रव्य के सयोग से जन्य होते हैं जैसे कनिष्ठन-उत्तेष्ठत्व रूप कालकृत अपरत्व और परत्व अपने आधय सुवा और वृद्ध शरीर में होने वाले अपने निमित्तकारण अल्पतर रवि क्रियासयोगशान और बहुतर रविक्रियासयोगशान के निर्वाहक कालनामक द्रव्य के सयोग से जन्य होते हैं। काशी और प्रयाग में प्रतीत होने वाले अपरत्व और परत्व कालकृत अपरत्व और परत्व से विपरीत हैं, उनका निमित्तकारण है पटना से काशी के बीच और पटना से प्रयाग के बीच अवरित्त दूरी—मूर्तद्रव्यों का पटना से काशी तथा प्रयाग जाने वाले मनुष्य के साथ होने वाले सयोग का काशी और प्रयाग में जान, उस जान का सम्पादक है स्वाधयसयोगनामक परम्पराएवम् । उस सम्बन्ध में स्वाधयस्त्र से घटक होने से कालविपरीत परत्व-अपरत्व के निमित्तकारण का निर्वाहक है दिक् । काशी और प्रयाग में उस दिग्द्रव्य का सयोग उसमें प्रतीत होने वाले अपरत्व और परत्व का असमवायिकारण है और वे (अपरत्व एव परत्व) उससे जन्य हैं ।

दिक् एक, नित्य और चिमु-परम महान्-व्यापक है । एक इसलिये है कि उसे अनेक मानने में कोई युक्ति नहीं है प्रत्युत गौरव है । नित्य भी वह इसलिये है कि उसे अनित्य मानने में पर्याप्त गौरव है । जैसे अनित्य मानने पर उसे अनेक मानना होगा, उसके कारणों की कल्पना करनी होगी तथा उसके प्रागभाव एव धृति की कल्पना करनी होगी । चिमु-परम महान् इसलिये है कि उसमें अन्य प्रकार के परिमाण की कल्पना युक्तिरूप नहीं हो सकती । जैसे यदि उसमें परम महत् परिमाण न मान कर कोई अभ्य परिमाण माना जायगा, तो वह दो ही प्रकार का हो सकता है—अमृण परिमाण या मध्यम परिमाण । किन्तु ये दोनों ही परिमाण मान्य नहीं हो सकते क्यों कि इन दोनों परिमाणों में कोई भी परिमाण मानने पर उसकी व्यापकता नहीं सिद्ध हो सकती । कल्पतः एक समय विभिन्न भानों—मूर्त द्रव्यों में दैशिक अपरत्व—सामीप्य

एवं दैशिक परत्व-दूरत्व की उत्पत्ति न हो सकेगी, क्यों कि उनके साथ अगुप परिमाण या मध्यम परिमाण वाले दिक् का सयोग एक समय सम्भव न हो सकेगा। किन्तु जब उसका परम महत् परिमाण माना जायगा तब किसी भी स्थान—मूर्त् द्रव्य के उसकी परिधि के बाहर न होने से एक साथ सभी मूर्त् द्रव्यों के साथ उसका सयोग सम्भव होने से एक समय अनेक स्थानों में दैशिक अपरत्व और परत्व की उत्पत्ति में कोई बाधा न होगी।

सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये उसके पाच सामान्य गुण हैं। इनसे अतिरिक्त कोई गुण उसमें नहीं रहता। इन गुणों में उसमें रहने वाली एकत्व-सख्या, उसका परिमाण और उसमें रहने वाला एकपृथक्त्व, इतने गुण नियम हैं और अन्य समस्त गुण अनियम हैं।

दिक् का अनुमान केवल कालविपरीत अपरत्व और परत्वमात्र से ही नहीं होता अपि तु पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि प्रतीतियों से भी होता है। इनका अभिप्राय यह है कि लोक में मनुष्य को इस प्रकार की प्रतीतियों का होना अनुभवित है कि जिस स्थान में मैं इस समय स्थित हूँ उस स्थान से यह स्थान पूरब है, यह स्थान पश्चिम है, यह स्थान उत्तर है, और यह स्थान दक्षिण है। इन प्रतीतियों में तीन विषयों का भान स्पष्ट रूप से होता है, एक वह स्थान जहाँ इन प्रतीतियों का कर्ता अवस्थित है, दूसरा वह स्थान जिसे वह अपने स्थान से पूरब या पश्चिम अवस्थित समझता है और तीसरा वह जिसका वह पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से उल्लेख करता है। इन तीनों विषयों में दो तो अर्थन्त स्पष्ट हैं, पर तीसरा, जिसका पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से उल्लेख किया जाता है, वह अस्पष्ट है, उसे समझना है। विचार करने पर उसके सम्बन्ध में यही बात समझ में आती है कि उन प्रतीतियों के वह विषय जिसका उल्लेख पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से होता है, दिक् से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थित वस्तु ही पूर्व या पश्चिम होती है, अर्थात् वस्तु में पूर्व या पश्चिम होने की प्रवीति दिशा के द्वारा ही होती है।

प्रश्न हो सकता है कि दिक् तो एक ही है तो फिर परस्परविपरीत अर्थ को बनाने वाले पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से उसका उल्लेख किस प्रकार युक्तिगत हो सकता है? उत्तर यह है कि, यह ठीक है कि दिक् एक है, उसमें नानात्व नहीं है, अतः शुद्ध रूप में उसे परत्व विपरीत अर्थ को बनाने वाले शब्दों से व्यवहृत नहीं किया जा सकता। किन्तु बात यह है कि जब पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से दिक् का उल्लेख किया जाता है तब शुद्ध रूप में उसका उल्लेख अभीष्ट नहीं होता किन्तु ऐसे अर्थों के समर्क में अभीष्ट होता है जो परस्परविपरीत होते हैं। जैसे उन प्रतीतियों का कर्ता जब उदीपमान मूर्य को देखता है तब वह एक ही दिक् को सूर्य और अपने बीच में आने

आत्मत्वाभिसम्बन्धवान् आमा । सुखदुखादिवैचित्र्यात् प्रतिशरीरं भिन्नः । स चोक एव । तस्य सामान्यगुणा सख्यादयं पञ्च । युद्धादयो नव विशेष-गुणाः । नित्यत्वविभूत्वे पूर्ववत् ।

वाले स्थानों के सम्पर्क में पूरब कहता है, अपने पीछे पढ़ने वाले स्थानों के सम्पर्क में पश्चिम कहता है, अपने दाहिने हाथ का और पड़ने वाले स्थानों के सम्पर्क में दक्षिण कहता है और अपने जायें हाथ की ओर पढ़ने वाले स्थानों के सम्पर्क में उत्तर कहता है । इस प्रकार एक ही दिक् को परस्पर विपरीत अर्थों के सम्पर्क में परस्पर विपरीत अर्थ को बताने वाल पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से व्यवहृत होने में कोई वाद्य नहीं होती ।

आत्मा—

आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है, उसका लक्षण है 'आत्मत्व का अभिलम्बन' । आत्मत्व एक जाति है उसका अभिभृत सम्बन्ध है समवाय, उस सम्बन्ध से आत्मत्व जाति जिसमें रहती है उसे आनन्द कहा जाता है । यह जाति पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और मन में नहीं रहती, क्योंकि इसकी सिद्धि सुख, दुख आदि की समवायिकारणता के अवच्छुदकरूप में होती है अतः यह उसी द्रव्य में रह सकता है जिसमें सुख दुख आदि की समवायिकारणता हो, वह कारणता पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में ही मानी जा सकती क्योंकि उनमें सुख, दुख आदि का उदय नहीं होता । जिस द्रव्य में सुख, दुख आदि का उदय होता है उसी में उनकी समवायिकारणता माय हो सकती है और जिसमें वह कारणता होगी उसी में उसका अवच्छुदक आत्मत्व माय हो सकता है । इससे यह है कि आत्मत्व का आश्रय पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न कोई नवा द्रव्य है ।

इस आत्मा को ही जीव कहा जाता है, वह प्रति शरीर में भिन्न होता है, क्योंकि प्रति शरीर में सुख, दुख आदि का विचित्र होता है । कहने का आशय यह है कि किसी शरीर में आत्मा सुखी होती है और किसी शरीर में दुखी होता है, किसी में चहुँ ही होना है और किसी में अलन्न होता है । सुख, दुख, ज्ञान आदि की यह विचित्रता आत्मा के एक होने पर व्यवल शुरूरमेद के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि सुखी या दुखी मनुष्य जाहे जितने स्थानों में जाय, सबत्र वह सुखी या दुखी ही रहता है । स्थानमेद से उसके सुख, दुख आदि में परिवर्तन नहीं होता । कि तु आत्मा के विषय में यह देखा जाता है कि वह विभिन्न शरीरों में एक ही समय कहीं सुखी और कहीं दुखी होता है, अतः उसे एक धनने में युक्त की स्थिति न होने से प्रतिशरीर में उसे भिन्न माना जाता है । उसके विषय में अपेक्षित चर्चा पहले पर्याप्त हो जाती है । सख्या, परिमाण,

मनस्त्वाभिसम्बन्धवन् मनः । अणु, आत्मसयोगि, अन्तरिन्द्रियम् । सुखाद्यु-
पलब्धिकरण, नित्यं च सख्याद्यष्टगुणवत् । तत्सयागेन वाह्येन्द्रियमर्थग्राहकम् ।
अत एव सर्वोपलब्धिसाधनम् । तच्च न प्रत्यक्षम्, अपि त्वनुमानगम्यम् । तथाहि
सुखाद्युपलब्धयश्चक्षुराद्यतिरिक्तकरणसाध्याः, असत्स्वपि चक्षुरादिपु जायमान-
त्वात् । यद्वस्तु यद्विनैवोत्पयते, तत्तदतिरिक्तकरणसाध्य, यथा कुडार विनोत्पय-
माना पचनविद्या तदतिरिक्तवह्यादिकरणसाध्या । यज्ञ करण तत्प्रभनः । तच्च
चक्षुराद्यतिरिक्तम् । तच्चाणुपरिमाणम् । इति द्रव्याण्युक्तानि ।

पृथक्त्व, सयोग और विभाग, ये उसके पाच सामान्य गुण हैं । बुद्धि, मुख, दुख, इच्छा,
द्वेष, प्रयत्न, धम, अधम और भावना मक सक्तार, ये नव उसके विशेष गुण हैं । आत्मा
पूर्ववत्—पूर्वोक्त, अकाश, काल, और दिक् के समान नित्य और विभु हैं ।

मन—

मन एक अतिरिक्त द्रव्य है, इसका लक्षण है 'मनस्त्व जाति का अभिसम्बन्ध' ।
उसके अनुसार समवाय सम्बन्ध से मनस्त्व जाति जिसम रहे वह मन है । मन अणु परिन-
माण का भाश्रय, आत्मा से सखुच, आन्तर इंद्रिय, मुख आदि के प्रत्यक्ष का करण और
नित्य है । उसम सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग विभाग, परत्व, अपरत्व (दैशिङ्क) और
वेगनामक सक्तार ये आठ गुण रहते हैं । बाध्य इ द्रव्य मन के सहयोग से ही अपने विषय
को प्रहण करती है । इसका अभिप्राय यह है कि चक्षु, त्वक आदि पाचो नाय इंद्रियों का
अपने विषयों का साय सन्निकर्ष होने पर भी उन इन्द्रियों से उनके विषयों का प्रत्यक्ष एक
साय नहीं होता किन्तु क्रम स होता है । इस वस्तुस्थिति के अनुरोध से यह कार्यकारण-
भाव माना जाता है कि उन उन इन्द्रियों स होने वाले प्रत्यक्ष में उन उन इन्द्रियों के
साय मन का सयोग कारण होता है । मन यत एक शरीर म एक और अणु होता है
और इंद्रिया शरीर क भिन्न भिन्न भागो म अवहित होती है अत उन सबके साय
एक साय उसका सयोग न हो सकने से एक साय सर इन्द्रियों से प्रत्यक्ष का उद्य महीं
होता । मन उक्त रीति से यत सभी इंद्रियों का सहायक है अतः वह सभी विषयों की
उपलब्धि का सावन माना जाता है ।

मन अतीन्द्रिय है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु अनुमान प्रमाण से उसकी
सिद्धि होता है । अनुमान का प्रयोग इस पक्षार होता है—

मुख आदि का प्रत्यक्षान चक्षु आदि से भिन्न करण से उत्पन्न होता है, क्यों कि
चक्षु आदि के न होने पर भी वह उत्पन्न होता है, जो वस्तु जिसके बिना उत्पन्न होती
है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न होती है, जैसे कुडार के बिना उत्पन्न होने वाली

गुणः ।

३९५

७ अथ गुणा उल्लिखन्ते । सामान्यवान्, असमवायिकारणम्, असपन्दात्मा
गुणः । स च द्रव्याश्रित एव । रूप-रस गन्ध सर्वश्च संख्या परिमाण-पूर्थस्त्व-संयोग-
विभाग-परत्व अपरत्व गुरुत्व-द्रवत्व स्नेह-शब्द-चुद्धि-सुख-दुःख इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-
धर्म अधर्म संस्कार भेदाच्च चतुर्विश्लेषणा ।

पाकक्रिया कुठार से भिन्न अस्तित्वरूप करण से उत्पन्न होती है । सुखादि के प्रत्यक्षज्ञान
का ऐसा जो करण है उसी का नाम है मन । वह चक्षु आदि से अतिरिक्त है । उसका
परिमाण असु द्वारा है ।

इस प्रकार द्रव्यों का निष्ठण समाप्त हुआ ।

अब गुणों का वर्णन किया जायगा ।

गुण—

गुण द्रव्य, कर्म आदि छः पदार्थों से भिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थ है । उसका लक्षण
है—सामान्यवत्त्वे सति, समवायिकारणभिन्नत्वे सति कर्मभिन्नत्व । इसका 'अथ' है—
सामान्य का आश्रय होते हुये समवायिकरण और कर्म से भिन्न होना । इसके अनुसार
जो पदार्थ किसी कार्य का समवायिकरण नहीं होता, कर्म से भिन्न होता है तथा सामान्य
का आश्रय होता है उसे गुण कहा जाता है । रूप, रस आदि पदार्थ किसी घार्य के
समवायिकारण नहीं होते, कर्म से भिन्न होते हैं तथा उच्चा, गुणस्व आदि सामान्य—ज्ञाति
के आश्रय होते हैं अतः वे गुण हैं ।

गुण के उनके लक्षण में से यदि 'सामान्यवत्त्व' का निकाल दिया जाय तो शेष अर्थ
के सामान्य आदि पदार्थों में रहने से उनमें गुणलक्षण की अतिःपाति होगी । उक्त
लक्षण में से 'समवायिकारणभिन्नत्व' को निकाल देने पर शेष भाग के द्रव्य में रहने से
द्रव्य में उनके लक्षण की अतिःपाति होगी । इसी प्रकार 'कर्मभिन्नत्व' को लक्षण से
निकाल देने पर वचे हुये भाग के कर्म में रहने से कर्म में उक्त लक्षण की अतिःपाति
होगी । अत उक्त लक्षण में किसी अर्थ को पृथक् नहीं किया जा सकता ।

उत्तर लक्षण में प्रवृष्ट 'समवायिकारणभिन्नत्व' की व्याख्या 'द्रव्यभिन्नत्व' के रूप
में कहना आवश्यक है । अन्यथा जो द्रव्य आसु विनाशी होगा, उसमें किसी कार्य की
उत्पत्ति न होने से समवायिकारणभिन्नत्व के रह जाने से गुण लक्षण की अलव्याप्ति
होगी, किन्तु 'समवायिकारणभिन्नत्व' के स्थान में 'द्रव्यभिन्नत्व' का प्रयोग करने पर
यह दोष न होगा यद्यकि किसी भी द्रव्य में द्रव्यभिन्नत्व कहापि नहीं रह सकता ।

गुण के विषय में एक बात यह कही गई है कि वह द्रव्य में भासित ही होता है ।
इस कथन से गुण और द्रव्य के परमपरतादारम्य, जो अन्य कई दण्डों को अभाव है,
सा निवेदन सूचित किया गया है ।

१. तत्र रूपं चक्षुर्मात्रमाणो विशेषणः । पृथिव्यादित्रयवृत्तिः । तच्च
शुक्लाद्यनेकप्रकारकम् । पाकजं च पृथिव्याम् । तच्चानित्यं पृथिवीभावे ।
आप्य-तैजसपरमाण्वोनित्यम् । आप्यतैजसकार्येष्वनित्यम् । शुक्लभास्वरमपारुजं
तेजसि । तदेवाभास्वरमप्सु ।

रूप (१) रुद्ध (२) गन्ध (३) स्पर्श (४) सख्या (५) परिमाण (६)
पृथक्त्व (७) सयोग (८) विभाग (९) परस्पर (१०) अपरस्पर (११) गुह्यत्व
(१२) द्रवत्व (१३) स्नेह (१४) रुद्ध (१५) बुद्धि (१६) सुख (१७) दुःख
(१८) इच्छा (१९) द्वेष (२०) प्रयत्न (२१) धर्म (२२) अधर्म (२३) और
सक्तार (२४) के भेद से गुण चौबीस प्रकार के होते हैं ।

१ रूप—

उक्त गुणों में रूप का लक्षण है—चक्षुर्मात्रविशेषणत्व । इसके अनुसार
चक्षुर्मात्र से प्रत्यक्ष किये जाने योग्य विशेषण का नाम है रूप । इस लक्षण में
'प्राद्य' का अर्थ यदि 'प्रत्यक्ष विषय' किया जायगा तब परमाणु के रूप में अव्याप्ति
होगी क्यों कि परमाणु में महत्व के न होने से उसमें आधित रूप प्रत्यक्ष का विषय
नहीं होता, अतः 'प्राद्य' का अर्थ किया जाता है 'प्रत्यक्षयोग्यत्व' । परमाणु का रूप
प्रत्यक्ष का विषय न होने पर भी प्रत्यक्षयोग्य है क्यों कि यदि उसके आधय में
महत्व होता तो वह भी घट आदि के रूप के समान अवश्य प्रत्यक्ष का विषय होता ।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'प्राद्य' का प्रत्यक्षयोग्य अर्थ करने पर
भी चक्षु के रूप में अव्याप्ति होगी, क्यों कि चक्षु का रूप अनुद्भूत होने से प्रत्यक्ष-
योग्य नहीं होता, अतः 'प्राद्य' का अर्थ करना होगा, 'प्रत्यक्षयोग्य जाति का आधय
होना' । यह अर्थ करने से चक्षु के रूप में अव्याप्ति नहीं हो सकती क्यों कि चक्षुर्मात्र
से प्रत्यक्षयोग्य जाति है रूपत्व, वह चक्षु के रूप में भी विद्यान है ।

उक्त लक्षण में 'मात्र' पद का सन्ति॒वेश करके चक्षु से भिन्न केवल बहिरिन्द्रिय की
व्यावृत्ति की गई है न कि चक्षु से भिन्न समस्त करण की, क्यों कि चक्षु से
भिन्न समस्त करण की व्यावृत्ति करने पर लक्षण में असम्भव दोष हो जायगा क्यों
कि रूप चक्षु से भिन्न मन से भी ग्राद्य होने के कारण चक्षुर्मात्र से ग्राद्य नहीं कहा
जा सकता । हाँ, चक्षु से भिन्न किसी बहिरिन्द्रिय से ग्राद्य न होने के कारण 'चक्षु से
भिन्न बहिरिन्द्रिय से अग्राद्य तथा चक्षु से 'ग्राद्य' इस अर्थ में उसे चक्षुर्मात्र से ग्राद्य
कहने में कोई वाचा नहीं है । अतः 'चक्षुर्मात्रग्राद्य' का यही अर्थ करना उचित है ।

प्रश्न हो सकता है कि जब उक्त कारणवश 'चक्षुर्मात्रग्राद्य' का 'चक्षु से भिन्न
बहिरिन्द्रिय से अग्राद्य और चक्षु से ग्राद्य जाति का आधय' यह अर्थ करना आवश्यक

है तब इनसे ही सदोग आदि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति का निराकरण हो जाने से लक्षण में 'विशेषगुणत्व' के प्रवेश की कथा आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि चक्षुमात्र से ग्राह्य रूपत्वजाति का आधय सामान्यविकरण्ण सम्बन्ध से सामान्य आदि पदार्थ भी हो सकते हैं। अतः लक्षण में विशेषगुणत्व का सन्निवेश न करने पर सामान्य आदि में उसकी अतिव्याप्ति होगी इस अतिव्याप्ति का निराकरण यद्यपि गुणत्व मात्र के सन्निवेश से भी हो सकता है, पर गुणत्वमात्र के सन्निवेश से सदोग आदि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति होगी क्यों कि वे भी चक्षुमात्र से ग्राह्य रूपत्व जाति के कालिक सम्बन्ध से आधयभूत गुण हैं। यदि यह कहा जाय कि उक्त लक्षण की 'चक्षुमात्र से ग्राह्य जाति का जो समवाय सम्बन्ध से आधय हो, वह रुप है' यह व्याख्या कर देने पर यह दोष नहीं होगा, क्यों कि चक्षुमात्र से ग्राह्य रूपत्वजाति सामान्य आदि पदार्थों में तथा सदोग आदि सामान्य गुणों में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहती, अतः लक्षण में गुणत्व अप्यन्त विशेषगुणत्व का प्रवेश निरर्थक ही है, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि समवाय के एक होने से, सदोग आदि सामान्य गुणों में विद्यमान जाति के समवाय से उनमें रूपत्व जाति की भी आधयता सम्भावित होने से उनमें उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है, अतः 'विशेषगुणवृत्तित्वविशिष्ट समवाय सम्बन्ध से चक्षुमात्र से ग्राह्य जाति की आधयता' को ही गुण का लक्षण मानना उचित होगा, क्यों कि इस प्रकार का लक्षण करने पर समवाय के एक होने पर भी विशेषगुणवृत्तित्वविशिष्ट समवाय के विशेष गुण में ही आधित होने से उक्त सम्बन्ध से चक्षुमात्र से ग्राह्य जाति के सदोग आदि सामान्य गुणों में न रहने से उनमें गुणलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार लक्षण के इस स्वरूप के सूपनार्थ ही मूलोक लक्षण में 'विशेषगुण' का प्रवेश किया गया है, यह बात असन्दर्भ रूप में कही जा सकती है।

सामाजिक रूप से विचार करने पर तो इतना ही कहा जा सकता है कि रूप के मूलोक लक्षण में से 'मात्र' और 'विशेष' दोनों पदों को निकाल देने पर सदोग आदि सामान्य गुणों में उसकी अतिव्याप्ति होगी अतः इस दोष के परिहारार्थ लक्षण में उक्त पदों का सन्निवेश आवश्यक है। किन्तु ज्ञातव्य यह है कि उन पदों का सन्निवेश सर्वथा ऐच्छिक है क्योंकि उन पदों में से किसी एकमात्र का सन्निवेश करने से भी उक्त दोष का परिहार हो जाता है अतः दोनों के सद्यनिवेश दोहोरातार ही कोई आवश्यकता नहीं है।

रुप पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में रहता है। यह गुरुत्व अदि मेद ते अनेक प्रकार का होता है। उसके सात भेद होते हैं—गुरु, नील, रक्त, पीत, हरित,

२. रसो रसनेन्द्रियप्राण्या विशेषगुण । पृथिवीजलधृति । तत्र पूर्थिड्यां
मधुरादिपट्प्रकारां मधुर-अम्ल-लवग-कदु कपाय तिक्क-भेदात् पाकजश्च । अप्सु
मधुरोऽपाकज्ञो नित्योऽनित्यश्च । नित्यं परमाणुभूतास्त्वप्सु । कार्यभूतास्वनित्यः ।

पृथिवी का रूप शक्ति होता है । पृथिवीपरमाणु के भी रूप का जन्म और
नाश पाक से ही होता है । अतः वह समूर्ण पृथिवी में अनित्य ही होता है । जन्य-
जल और जन्य तेज का भी रूप अनित्य होता है किन्तु जल और तेज के परमाणुओं
का रूप नित्य होता है । तेज का रूप शुक्ल, माध्वर—परप्रकाशक और नीरक ज
होता है । जल का रूप भी शुक्ल और अपाकज होता है किन्तु वह अमाध्वर—पर का
अप्रकाशक होता है ।

२. रस—

रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष किये जाने योग्य विशेष गुण को रस कहा जाता है । इसका
लक्षण है 'रसनेन्द्रियप्राण्यविशेषगुणत्व' । इस लक्षण में से 'रसन' को निकाल देने पर
बचेगा 'इन्द्रियप्राण्यविशेषगुणत्व' उनने मात्र को रस का लक्षण मानने पर रूप आदि
गुणों में उसकी अतिव्याप्ति होगी । लक्षण में 'इन्द्रिय' पद का सन्निवेश वेबल इस
बात के सूचनार्थ किया गया है कि 'रसन इन्द्रिय होने के नाते रस का ग्राहक है लक्षण
में इन्द्रियस्वरूप से उसके प्रवेश की कोई अवश्यकता नहीं है' । लक्षण में प्रविष्ट
ग्राह शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षयोग्य, न कि प्रत्यक्षविषय अर्थ
करने पर परमाणुगत रस के अतीनिद्रिय होने से उसमें अव्याप्ति होगी । प्रत्यक्षयोग्य
अर्थ करने पर यह दोष न होगा क्यों कि परमाणुगत रस भी प्रत्यक्षयोग्य तो होता
ही है प्रत्यक्षविषय तो केवल महादाखित न होने के नाते नहीं हो पाता ।

इस लक्षण में भी यह बात भ्यान देने योग्य है कि 'ग्राह' का 'प्रत्यक्षयोग्य' अर्थ
करने पर 'रसनेन्द्रिय' के रस में लक्षण की अव्याप्ति होगी क्यों कि वह अनुद्भूत होने से
प्रत्यक्षयोग्य नहीं होता, अतः 'रसनेन्द्रिय ग्राह' का अर्थ कला होगा 'रसनेन्द्रियप्राण्य
जाति का आश्रय' । यह अर्थ करने पर रसनेन्द्रिय के रस में अव्याप्ति नहीं हो सकती
क्यों कि वह भी रसनेन्द्रिय से ग्राह रसत्व जाति का आश्रय है ।

इस पर प्रश्न यह हो सकता है कि 'रसनेन्द्रियप्राण्यत्व' का सामान्य अर्थ करने पर
रसत्व आदि जाति तथा रसाभाव में भी उसके रहने से उनमें रसलक्षण की अतिव्याप्ति
होगी, अतः उसके वारणार्थ लक्षण में गुणत्व या विशेषगुणत्व के सन्निवेश की सार्थकता
हो सकती थी किन्तु जब उसका 'रसनेन्द्रियप्राण्य जाति का आश्रयत्व' अर्थ करना आव-
श्यक हो गया तब रसत्व आदि जाति तथा रसाभाव में अतिव्याप्ति की प्रसिद्धि न होने
से लक्षण में 'विशेषगुणत्व' के सन्निवेश की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है

१८५०२५ अक्टूबर १९६५ दृष्टिकोश
२८८ पृष्ठी + पृष्ठ ७१ ~ ४३८ पृष्ठ

३. गन्धः व्याणप्राण्यो विशेषगुणः, पृथिवीमात्रवृत्तिः । अनित्य एव । स द्विविधः सुरभिः असुरभिश्च । जलादौ गन्धप्रविभानं तु संयुक्तसमवायेन द्रष्टव्यम् ।

४. स्पर्शः त्वगिन्द्रियमात्रप्राण्यो विशेषगुणः पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः । स च त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् । शीतः पचसि । उष्णः तेजसि ।

कि रसनेन्द्रिय से प्राण्य जाति जैसे रसत्व तथा उसकी अवास्तर मधुरत्व आदि जातिया है उसी प्रकार गुणत्व और सत्ता जाति भी है और उनमें गुणत्व सभी गुणों में तथा सत्ता द्रष्टव्य, गुण और कर्म तीनों में रहती है, अत रस से भिन्न सभी गुणों एव द्रष्टव्य तथा कर्म में अतिव्याप्ति होगी, उसके वारणार्थ रसके लक्षण में विशेषगुणत्व का सन्निवेश आवश्यक है, यदि यह कहा जाय कि विशेषगुणत्व का सन्निवेश करने पर भी रसनेन्द्रियमात्र गुणत्व और सत्ता जाति को लेकर शांद, तुदि आदि विशेष गुणों में फिर भी अतिव्याप्ति होगी, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि रसनेन्द्रियप्राण्य जाति में 'विशेषगुण से भिन्न म अवृत्तित्व' विशेषण देने से गुणत्व और सत्ता की व्याप्ति त हो जाने से उन्हें लेकर अतिव्याप्ति होने की सम्भावना समाप्त हो जाती है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रस के मूलोक्त लक्षण में 'विशेष गुण' का उल्लेख करके यह सूचना दी गई है कि 'विशेष गुण से भिन्न में न रहने वाली रसनेन्द्रिय से प्राण्य जाति ही' रस का लक्षण है । वह जाति है रसत्व, वह सम्पूर्ण रसों में रहती है और रस से भिन्न में नहीं रहती, अतः उसे रस का लक्षण मानने में कोई दोष नहीं है ।

रस पृथिवी और जल म रहता है । पृथिवी का रस मधुर, अम्ल, लवण, कट्ट, कण्ठय और तिक के मेद से छू प्रकार का होता है और पाकज होता है । जल में केवल मधुर रस रहता है और वह अपाकज होता है तथा नित्य अनित्य मेद से दो प्रकार का होता है । जल के परमाणु का रस नित्य और परमाणु से भिन्न समस्त जन्म जल का रस अनित्य होता है ।

३ गन्ध—

प्राण से प्राण्य विशेष गुण का नाम है गन्ध । इहाँ लक्षण है 'व्याणप्राण्यविशेष-गुणत्व' । इसका अर्थ है 'विशेषगुण से भिन्न में न रहने वाली प्राण से प्रत्यक्ष होने वाल्य जाति' । ऐसी जाति है गन्धत्व । वह समस्त गन्ध में रहने और गन्ध से भिन्न में न रहने से गन्ध का लक्षण है । गन्ध के बल पृथिवी में ही रहता है और अनित्य ही होता है । उसके दो मेद होते हैं तुर्रभि-सुगन्ध तथा असुरभि-दुगन्ध । जल आदि में कर्म कर्मी गन्ध का अनुभव होता है किन्तु वह जल का अपना गन्ध नहीं होता, क्योंकि जल निषिद्ध निगन्ध होता है, अपितु वह जल से सुख पायित भाग का होता है ।

अनुष्णाशीतः पृथिवीवाद्योः । पृथिवीमात्रे हनित्यः । आप्य-तैजस-वायवीय-
परमाणुपु नित्यः । आप्यादिकार्येभ्वनित्यः । एते च रूपादयश्वत्वारो महत्त्वैकार्थ-
समवेतत्वे सत्युद्भूता एव प्रत्यक्षाः ।

४. स्पर्श—

त्वक्-स्पर्शं से ग्राह्य विशेष गुण का नाम है स्पर्श । इसका लक्षण है—स्वगिन्द्रिय-
ग्राह्यावशेषगुणत्व । किन्तु इस यथाकृत को स्पर्श का लक्षण नहीं माना जा सकता,
क्यों कि इसमें 'ग्राह्य' शब्द का 'प्रत्यक्षविषय' अर्थ करने पर परमाणुगत अतीनिद्रिय
स्पर्श में अव्यासि होगी और 'प्रत्यक्षवायवीय' अर्थ करने पर त्वक् के अनुद्भूत स्पर्श में
अव्यासि होगी । अतः 'स्वगिन्द्रियग्राह्य' का अर्थ करना होगा 'स्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष
होने योग्य जाति का आश्रय' । ऐसी जाति है स्पर्शत्व । वह परमाणु और त्वक् दोनों के
स्पर्श में रहती है । अत उक्त अर्थ करने पर उनमें अव्यासि नहीं हो सकती । किन्तु फिर
भी यह लक्षण निर्दोष नहीं हो सकता क्यों कि स्वगिन्द्रिय से ग्राह्य गुणत्व और सक्ता
जाति को लेकर स्पर्श से भिन्न सभी गुणों में तथा द्रव्य एव कर्म में अतिव्यासि हो
जायगी, अतः उक्त जाति में 'विशेषगुणभिन्नावृत्तिश्व' का निवेश कर 'विशेष गुण से
भिन्न में न रहने वाली स्वगिन्द्रिय ग्राह्य जाति' को स्पर्श का लक्षण मानना आवश्यक है ।
इस लक्षण के लाभार्थ ही मूलांक स्पर्शलक्षण में विशेष गुण का सन्निवेश किया गया है ।

स्पर्श पृथिवी, जल, तेज, और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है । वह शीत, उष्ण
और अनुष्णाशीत के भैड़ से तीन प्रकार का होता है । शीत स्पर्श जल में उष्ण स्पर्श
तेज में और अनुष्णाशीत स्पर्श पृथिवी तथा वायु में रहता है । समूर्ण पृथिवी का
स्पर्श पाकज और आनत्य होता है । जल, तेज और वायु के परमाणुओं का स्पर्श नित्य
तथा कार्यभूत जल, तेज और वायु का स्पर्श अनित्य होता है ।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, इन चारों में जो महत्त्व के साथ एक पदार्थ में समवेत
होते हैं अर्थात् जो महान् आश्रय में विद्यमान होते हैं तथा उद्भूत होते हैं उन्हीं का
प्रत्यक्ष होता है । परमाणु और द्रव्यगुण के रूप आदि गुण महदाधित न होने से प्रत्यक्ष
नहीं होते । इन्द्रियगत रूप आदि गुण महदाधित होने पर भी उद्भूत न होने से
प्रत्यक्ष नहीं होते ।

प्रश्न होता है कि 'उद्भूत' का अर्थ क्या है ? उत्तर यह है कि शुक्लत्व आदि
जातियों की व्याप्त अनेक अनुद्भूतत्व जातियाँ हैं, यह जातियाँ जिन रूप आदि गुणों में
रहती हैं वे गुण अतीनिद्रिय होते हैं और जिन रूप आदि गुणों में इन समूर्ण जातियों
का अभाव होता है वे गुण उद्भूत कहे जाते हैं, वे रूप इन्द्रियग्राह्य होते हैं ।

५. संख्या एकत्वादिव्यवहारहेतुः सामान्यगुणः । एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता । तत्रैकत्वं द्विविधं नित्यानित्यभेदात् । नित्यगतं नित्यम् । अनित्यगतमनित्यं स्याश्रयसमवायिकारणातैकत्वजन्यं च । द्वित्वं चाऽनित्यभेद । तच्च द्वयोः पिण्डयोः 'इदमेकम्, इदमेकम्' इत्यपेक्षाबुद्ध्या जन्यते । तत्र द्वौ पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे । अपेक्षाबुद्धिः निमित्तकारणम् । अपेक्षाबुद्धिनाशादेव द्वित्वविनाशः । एवं वित्वाचुत्पत्तिर्विज्ञेया ।

५. संख्या—

एक, दो, तीन आदि के व्यवहार का हेतुभूत जो सामान्यगुण है उसे संख्या कहा जाता है । चात यह है कि जिसमें एकत्व संख्या होती है उसे 'एक' शब्द से, जिसमें द्वित्व संख्या होती है उसे 'दो' शब्द से, जिसमें त्रित्व संख्या होती है उसे 'तीन' शब्द से व्यवहृत किया जाता है । इसी प्रकार ऊपर की अन्य संख्याओं के विषय में भी समझना चाहिये । तो उक्त रीति से 'यह एक है', 'ये दो हैं', 'ये तीन हैं, इस प्रकार के व्यवहार का हेतु है एकत्व, द्वित्व और त्रित्व । और वह द्रूप, कर्म आदि में अन्तर्भूत न होकर गुण है, गुण में भी किसी द्रव्य का विशेष गुण न होकर सभी द्रव्यों का सामान्य गुण है । अतः संख्या के उक्त लक्षणानुसार वे सब संख्यानामक सामान्य गुण हैं ।

संख्या के इस प्रक्षुतलक्षण में से 'एकत्वादिव्यवहार' अश को निकाल कर केवल 'हेतुः सामान्यगुणः' मात्र को, अथवा एकत्वादि को निकाल कर '०पवहारहेतुः सामान्यगुणः' मात्र को संख्या का लक्षण मानने पर स्योग, विभाग आदि अन्य सामान्य गुणों में भी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे भी 'चयुक्त, विभक्त' आदि व्यवहार के हेतुभूत सामान्यगुण हैं । अतः लक्षण में 'एकत्वादिव्यवहार' अश का सञ्जिवेश आवश्यक है । यदि उक्त लक्षण में से 'सामान्यगुणः' अश को निकाल दिशा जायगा तो एकत्वादिव्यवहार के हेतु काल आदि में तथा एकत्वादिव्यवहार के हेतु एकत्वादिशान में अतिव्याप्ति होगी, अतः उक्तके परिवार्यपर्यन्त लक्षण में उक्त अश का भी सञ्जिवेश आवश्यक है ।

संख्या एकत्व से लेकर पराद्वैर्यन्त होती है । सबसे छोटी संख्या का नाम है एकत्व और उससे बड़ी संख्या का नाम है परार्थ । इन दोनों के बीच अनेक संख्याएँ हैं जैसे दो, तीन, चार आदि तथा चून, सहस्र, लक्ष, कोटि आदि । उन सभी संख्याओं में एकत्व संख्या नियम-अनियमेद से दो प्रकार की होती है, नियमद्रूप में रहने वाली एकत्व संख्या नियम होती है तथा अनियम द्रव्य में रहने वाली एकत्वसंख्या अनियम होती है । अनियम एकत्व की उत्पत्ति उसके आधय के समवायिकारण में रहने वाली एकत्व संख्या से होती है, जैसे पठगत एकत्व अर्थे आधर घट के समवायिकारण काल में

विद्यमान एकत्र में उत्पन्न होता है। कहने का आशय यह है कि कगलदूय में रहने वाला एकत्रदूय कपालदूय से उत्पन्न होने वाले धड़ के एकत्र का असमवायिकारण होता है, इसी प्रकार अन्य सभी अनित्य एकत्रों के विषय में समझना चाहिये।

द्वित्व आदि सभी सत्यायें अनित्य ही होती हैं। द्वित्व सत्या की उत्पत्ति 'दो' द्रूयों में 'इदमेकम्, इदमेकम्—यह एक है, यह एक है' इस अपेक्षा बुद्धि से होती है। (दो) द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण होते हैं, (दो) द्रव्यों के दो एकत्र उसके असमवायिकारण होते हैं और दो एकत्र की अपेक्षावदि उसका निमित्तकारण होती है। अपेक्षाबुद्धि के नाम से द्वित्व का नाम होता है। इसी प्रकार विद्व आदि सत्याओं की उत्पत्ति के विषय में भी समझना चाहिये।

यहाँ द्वित्व के जन्म और विनाश के सम्बन्ध में संक्षिप्त चर्चा की गई है किन्तु इस विषय में कुछ थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्यों कि द्वित्व वैशेषिक दर्शन के मुख्य पतिपादा विद्यों में से एक है, और उसका ज्ञान वैशेषिक शाल के पाण्डित्य की एक रूसींग है, जेता कि सर्वदर्शनसम्प्रद, १, २ में कहा गया है—

द्वित्वे च पाहजोपत्तौ विभागे च विभागे च

यस्य न सखलिना बुद्धिस्तं वै वैशेषिक विदुः ॥

द्वित्व, पाकज गुग और विभागज विभाग के विषय में जितही बुद्धि का सखलन नहीं होता, जो इन तीनों विद्यों का ठीक दृष्टि से जानना है, विद्यज्ञ उसे ही वैशेषिक दर्शन का ज्ञाता मानते हैं।

द्वित्व का जन्म, प्रत्यक्ष और विनाश—

जिन द्रूयों में द्वित्व का जन्म होने को होता है, सर्वप्रथम उन द्रूयों तथा उन द्रूयों में विद्यमान एकत्र सत्या एवं उस सत्या में वर्तमान एकत्रवाव सामान्य के साथ मनुष्य के चतुर्थ अथवा त्र्यकृष्ण सन्निकर्त्त्व होता है। द्रूय के साथ सरोग, एकत्र के साथ सत्युक्तसमवाय और एकत्रत्व के साथ सत्युक्तसन्नेत्रसमवाय, यदि तीनों सन्निकर्त्त्व एक ही ज्ञान में उत्पन्न होते हैं। प्रथम ज्ञान की इस पर्याप्ति को 'इन्द्रियार्थसन्निकर्त्त्वं' शब्द से अभिहित किया जाता है।

दूसरे ज्ञान में द्रव्य, एकत्र और एकत्रत्व इन तीनों का निविकल्पक ज्ञान होता है, इस ज्ञान का उल्लेख संक्षेप में 'एकत्रसमान्यज्ञान' शब्द से किया जाता है।

तीसरे ज्ञान में उन द्रव्यों में एकत्र के संविकल्पक ज्ञान का उदय होता है जिसे 'इदमेक द्रव्यम्, हृदमेक द्रव्यम्' इस रूप में व्यवहृत किया जाता है। एकत्र अपने वाभ्रय द्रूय में द्वित्व को उत्पन्न करने के लिये इस जारी की अपेक्षा करता है। इस

लिये 'द्वित्व' के उत्तरादनार्थ अपेक्षणीय ज्ञान' इस अर्थ में इस ज्ञान को अपेक्षाज्ञान अथवा अपेक्षाकुद्धि कहा जाता है। यह ज्ञान अपने विशेष्यभूत द्रव्य में द्वित्व के जन्म का निमित्त होता है। इस ज्ञान में द्वित्व के जन्म की पूरी सामग्री सन्निहित हो जाती है क्यों कि द्वित्व के समवायिकरणभूत द्रव्य और असमवायिकरणभूत द्रव्यगत एकत्व-द्रव्य, यह तो पहले से ही सन्निहित रहते हैं। तीसरा निमित्तकारण है अपेक्षाज्ञान अर्थात् उन द्रव्यों में एकत्वद्रव्य का ज्ञान। सो वह भी उक्त रीति से इस ज्ञान में सन्निहित हो जाता है। इस प्रकार द्वित्व के समवायिकारण (दो) द्रव्य, असमवायिकरण (दो) एकत्व और निमित्तकारण अपेक्षाज्ञान—(दो) द्रव्यों में (दो) एकत्वों का ज्ञान, इन तीनों का सन्निधान हो जाने से द्वित्व को उत्पन्न करने वाली पूरी सामग्री का सन्निधान इस ज्ञान में सम्पन्न हो जाता है।

चौथे ज्ञान में द्वित्व का जन्म, (कृत्तरे ज्ञान में उत्पन्न हुये) एकत्वसामान्यज्ञान का नाश तथा द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पद्यमानता—द्वित्व और द्वित्वत्व के निर्विकल्पक ज्ञान के उत्तरादक 'द्वित्व और द्वित्वत्व के साथ इन्द्रियलन्निकर्षरूप' सामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें एक साथ घटित होती हैं।

पाचवें ज्ञान में द्वित्वसामान्यज्ञान—द्वित्व और द्वित्वत्व का निर्विकल्पक ज्ञान, (तीसरे ज्ञान में उत्पन्न हुए) अपेक्षाज्ञान के विनाशसामग्री का सन्निधान तथा द्वित्व के सविकल्पक ज्ञान की सामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें घटित होती हैं।

छठवें ज्ञान में द्वित्व के सविकल्पकज्ञान का जन्म, (तीसरे ज्ञान में उत्पन्न) अपेक्षाकुद्धि का नाश, तथा 'इमे द्वे-द्रव्य में द्वित्वज्ञान' को उत्पन्न करने वाली सामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें एक साथ घटित होती हैं।

सातवें ज्ञान में 'इमे द्वे-द्रव्य में द्वित्वज्ञान' का जन्म, द्वित्व का नाश, द्वित्व के सविकल्पक ज्ञान के नाशक सामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें एक साथ घटित होती हैं।

आठवें ज्ञान में 'इमे द्वे' इस ज्ञान से सक्षात् का जन्म, द्वित्व के सविकल्पक ज्ञान का नाश तथा 'इमे द्वे' इस ज्ञान के विनाशक सामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें एक साथ घटित होती हैं।

नवें ज्ञान में उक्त सत्कार से 'इमे द्वे' इस ज्ञान का विनाश होता है।

इस प्रकार द्वित्व का जन्म, द्वित्व का नाश, द्रव्य में द्वित्व का प्रश्यक्त और उसका नाश मह चार मुख्य बातें ह ज्ञानों में सम्पन्न होती हैं।

इस सन्दर्भ में निम्न बातें विशेष रूप से शातव्य हैं।

उत्पाद्य

एकत्रिवसामान्यज्ञान (एकत्रिव और एकत्रिव का निर्विकल्पक)

'इदमेकम्, इदमेकम्' इस प्रकार की अपेक्षाबुद्धि

द्वित्रिव

द्वित्रिवसामान्यज्ञान (द्वित्रिव और द्वित्रिव का निर्विकल्पक)

द्वित्रिव का सविकल्पक प्रत्यक्ष

द्रव्य में द्वित्रिव का 'इमे दो' इत्याकारक प्रत्यक्ष

सस्कार

नाशय

एकत्रिवसामान्यज्ञान

अपेक्षाबुद्धि

द्वित्रिवसामान्यज्ञान

द्वित्रिव

द्वित्रिव का सविकल्पक प्रत्यक्ष

द्रव्य में द्वित्रिव का प्रत्यक्ष

आश्रयनाश से द्वित्रिव का नाश—

अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्रिव का नाश होता है, यह बात अभी बताई गई है, पर कभी कभी द्वित्रिव का नाश अपेक्षाबुद्धि के नाश से न होकर द्वित्रिव के आश्रयभूत द्रव्य के नाश से होता है। जैसे—

पहले दृश्य में एकत्रिवसामान्यज्ञान और एकत्रिव के आश्रयभूत घट के अवयव कपाल में कर्म—इन दोनों का जन्म। दूसरे दृश्य में अपेक्षाबुद्धि और घट के एक अवयव का उसके दूसरे अवयव के साथ विमाग—इन दोनों का जन्म। तीसरे दृश्य में द्वित्रिव और घटोद्यादक अवयवसंयोग का नाश—इन दोनों का जन्म। चौथे दृश्य में द्वित्रिवसामान्यज्ञान और पदार्थक आश्रय का नाश—इन दोनों का जन्म। पाँचवें दृश्य में अपेक्षाबुद्धि का नाश और द्वित्रिव का नाश—इन दोनों का जन्म।

इस प्रक्रिया में पाँचवें दृश्य में अपेक्षाबुद्धिनाश और द्वित्रिवनाश—इन दोनों का एक साथ जन्म होने से द्वित्रिवनाश को अपेक्षाबुद्धिनाश का कार्य नहीं माना जा सकता। अतः

उत्पादक

हन्द्रियसञ्जिकर्प (एकत्रिव और एकत्रिव के साथ)

एकत्रिवसामान्यज्ञान

अपेक्षाबुद्धि

हन्द्रियसञ्जिकर्प (द्वित्रिव और द्वित्रिव के साथ)

द्वित्रिव का सामान्यज्ञान

द्वित्रिव का सविकल्पक प्रत्यक्ष

द्रव्य में द्वित्रिव का 'इमे दो' इत्याकारक प्रत्यक्ष

नाशक

अपेक्षाबुद्धि

द्वित्रिवसामान्यज्ञान

द्वित्रिव का सविकल्पक प्रत्यक्ष

अपेक्षाबुद्धि का नाश

द्रव्य में द्वित्रिव का प्रत्यक्ष

सस्कार (द्रव्य में द्वित्रिव के प्रत्यक्ष से उत्पन्न)

इस प्रक्रिया से जो द्वितीयनाश होता है वह द्वितीय के आधयभूत घट के नाश का ही कार्य हो सकता है।

अपेक्षाबुद्धि और आधय दोनों के नाश से द्वितीय का नाश—

कभी कभी द्वितीय का नाश न केवल अपेक्षाबुद्धि के नाश से उत्पन्न होता है और न केवल आधय के नाश से उत्पन्न होता है अपि तु दोनों के नाश से उत्पन्न होता है। जैसे—

जब अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय एकत्वाभ्य घट के अवयव कपाल में कर्म की उत्पत्ति होती है तब उसके दूसरे चूण में द्वितीय और घट के अवयवों का परस्पर विभाग—इन दोनों का एक साथ जन्म होता है। उसके तीसरे चूण में द्वितीयसामान्यशान्ति, द्वितीय गुण का प्रत्यक्ष और धृतारम्भक अवयवसंयोग का नाश—इन तीनों का जन्म एक साथ होता है। उसके बाद चौथे चूण में अपेक्षाबुद्धि का नाश, घट का नाश और ‘इमे द्वे’ इत्याकारक द्रव्य में द्वितीय का प्रत्यक्षाभ्यवशान्ति—इन तीनों का जन्म एक साथ होता है। इस चूण में द्वितीय के उत्पादक अपेक्षाबुद्धि का नाश और द्वितीय के आधय घट का नाश—यह दोनों एक साथ सम्मिहित होते हैं। इन दोनों में यह विनिमयमना—एकतरपदपातिनी सुकृत नहीं है कि इनमें कौन द्वितीयका नाशक हो और कौन न हो, अतः अगला दोनों को ही द्वितीय का नाशक मानना पड़ता है, अतः इस चूण के अधिमद्वय में—अपेक्षाबुद्धिजन्म के पाँचवें द्वय में जो द्वितीयनाश उत्पन्न होता है वह अपेक्षाबुद्धिनाश और आधयनाश दोनों से जन्म होता है।

नाश्य और नाशक में द्विविध विरोध—

नाश्य और नाशक में दो प्रकार के विरोध माने जाते हैं—एक उहानवस्थान दूसरा वध्यघातकभाव। उहानवस्थान का अर्थ है—एक साथ अवस्थित न होना। नाश्य और नाशक में इस प्रकार का विरोध स्वीकार करने पर नाश्य और नाशक दोनों को किसी एक चूण में अवस्थित नहीं माना जा सकता। अतः इस मत में नाशक के सम्मिहित नाश्य में ही नाश्य पदार्थ का नाश हो जाता है। वध्यघातकभाव का अर्थ है—घातक से वध्य का नाश होना। नाश्य और नाशक के बीच इस प्रकार का विरोध मानने पर पहले चूण में घातक का सम्मिहित होता है और दूसरे चूण में वध्य का नाश होता है। इस मत में घातक के सम्मिहित नाश्य में नाश्य और नाशक दोनों का घट अवस्थान होता है अतः घातक के दूसरे चूण में घातक द्वारा नाश्य पदार्थ के नाश की उत्पत्ति होती है। किन्तु पहले प्रकार के विरोध में घातक को वध्य की प्राप्ति न होने से घातकद्वारा नाश्य पदार्थ के नाश की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। ये दोनों

प्रकार के विरोध जिन में सम्भव नहीं होते उनमें नाश्यनाशकभाव नहीं माना जा सकता।

प्रस्तुत विषय में प्रश्न यह उठता है कि अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में जो नाश्यनाशकभाव स्वीकार्य है वह उन दोनों में सहानवस्थानरूप विरोध को मान कर या वध्यघातकभावरूप विरोध को मानकर? विचार करने पर ऐसा पतीत होता है कि इन दोनों विरोधों में कोई भी विरोध उन दोनों में मान्य नहीं हो सकता, क्यों कि यदि दोनों में सहानवस्थान माना जायगा तब द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जायगा और उसके अगले क्षण में द्वित्व का नाश हो जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि उस क्षण में द्वित्व का सविकल्पक प्रथक्ष न हो सकेगा, क्योंकि लौकिक प्रथक्ष में विषय कार्यसहभावेन कारण होता है। अतः लौकिक प्रथक्षरूप कार्य की उत्पत्ति के समय विषयरूप कारण का अस्तित्व अपेक्षित होता है किन्तु प्रकृत में द्वित्वसामान्यज्ञान के अगले क्षण में, जब द्वित्व का प्रथक्ष होता है, द्वित्वरूप विषय नहीं रहता। और जब द्वित्व का सविकल्पक प्रथक्ष न होगा तब 'इमे द्वे' इत्याकारक द्रव्य में द्वित्व का प्रथक्ष न हो सकेगा। इस प्रकार द्रव्य में द्वित्व के सर्वजन-सिद्ध प्रथक्षानुभव का लोप हो जायगा।

इसी प्रकार इन दोनों में वध्यघातकभावरूप विरोध भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह विरोध तभी सम्भव है जब घातक को वध्य की प्राप्ति हो, घातक के समिन्धानलक्षण में वध्य का अस्तित्व हो, किन्तु प्रकृत में द्वित्वसामान्यज्ञान रूप घातक को अपेक्षाबुद्धिरूप वध्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के द्वितीयक्षण में उससे द्वित्व तथा अनेक-एकत्व-विषयक सक्षार-इन दोनों का एक साथ जन्म होता है और उसके अगले क्षण में जब द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी समय सक्षार से अपेक्षाबुद्धि का नाश भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से द्वित्वसामान्यज्ञान को अपेक्षाबुद्धि की प्राप्ति न होने से द्वित्वसामान्यज्ञान को घातक और अपेक्षाबुद्धि को वध्य नहीं माना जा सकता।

यदि यह कहा जाय कि अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में यदि वध्यघातकभाव नहीं बनता तो उन दोनों में वध्यघातकभाव न माना जाय किन्तु अपेक्षाबुद्धि और तज्जन्य सक्षार में तो वध्यघातकभाव बन सकता है। फिर इन्हीं दोनों में वध्यघातकभाव माना जाय, क्या हानि है? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि और तज्जन्य सक्षार में वध्यघातकभाव मानने पर द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से अगले क्षणों में द्वित्व का अभाव होने से द्वित्वप्रथक्ष तथा द्रव्य में द्वित्व के प्रथक्षात्मक अनुभव की उत्पत्ति न हो सकेगी।

इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में यदि सहानवस्थानरूपविरोध-मूलक नाशयनाशकभाव माना जाय अथवा अपेक्षाबुद्धि और तज्जन्य स्फुरक में वध्यधातकभावरूप-विरोध-मूलक नाशयनाशकभाव माना जाय, दोनों ही स्थिति में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष और द्रव्य में द्वित्व के प्रत्यक्षात्मक अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाबुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान के बीच सहानवस्थान तथा वध्यधातकभाव दोनों प्रकार के विरोध के आघार पर नाशयनाशकभाव माना जा सकता है। सहानवस्थानरूप विरोध मानने पर द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाने से अग्रिमपक्ष में द्वित्व का नाश हो जाने के कारण द्वित्वप्रत्यक्ष तथा द्रव्य में द्वित्व के प्रत्यक्षात्मक अनुभव की जो अनुपत्ति बताई गई है वह नहीं हो सकती, क्योंकि द्वित्व, द्वित्वसामान्यज्ञान, द्वित्व-प्रत्यक्ष तथा द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्षात्मक अनुभव इन चारों की आशु-अविलम्ब उत्पत्ति होने से उक्त अनुपत्ति की प्रकृति नहीं हो सकती। कहने का आशय यह है कि ऐसे—शब्द, शब्दसामान्यज्ञान, शब्द का सविकल्पक प्रत्यक्ष तथा आशाश द्रव्य में शब्द का 'शब्दवद् आकाशम्' इस प्रकार का अनुभव इन चारों की अविलम्ब उत्पत्ति होने से शब्द के क्षणिक होने पर—नीचेरे क्षण नष्ट होने पर भी 'शब्दवद् आकाशम्' इस अनुभव के होने में कोई बाबा नहीं होती, उसी प्रकार तीव्ररे क्षण द्वित्व का नाश होने पर भी द्रव्य में 'इमेंदौ' इस प्रकार द्वित्व का अनुभव होने में कोई बाबा नहीं हो सकती।

यदि यह कहा जाय कि 'शब्दवद् आकाशम्' इस दृष्टान्तभूत अनुभव के सम्बन्ध में भी यही आवश्यक है कि शब्द जब तीव्ररे क्षण नष्ट हो जाता है तब उस क्षण उसका प्रत्यक्ष तथा उसके अगले क्षण 'शब्दवद् आकाशम्' यह अनुभव नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि लौकिक प्रत्यक्ष में विषय को यदि कार्यदृष्टमादेन कारन न मानतर कार्यवैद्यतिनया कारण मान लिया जाय तब प्रत्यक्ष की उत्पत्ति के समय विषय का अस्तित्व अपेक्षित न होगा किन्तु प्रत्यक्ष के पूर्व क्षण में ही उसका अस्तित्व अपेक्षित होगा, कलन शब्द के दो क्षण तक रिपर होने से नीचेरे क्षण उसका प्रत्यक्ष होने में कोई बाबा न होगी और जब नीचेरे क्षण वह प्रत्यक्ष का विषय बन जायगा तब जैसे क्षण 'शब्दवद् आकाशम्' इस रूप में आशाश में जो उसका अनुभव होता है, उसे अलौकिकप्रत्यक्षरूप मान सके तो उसकी भी उत्पत्ति हो जायगी। हाँ, यदि उक्त चारों की अविलम्ब उत्पत्ति न होती तो 'शब्दवद् आकाशम्' यह दृष्टान्तभूत अनुभव भी प्रश्नप्रश्न अनुरचितप्रश्न हो जाय, क्योंकि उस स्थिति में पूर्वक्षण में शब्द का अस्तित्व न होने पर शब्द का प्रत्यक्ष न होता भी राहि शब्द का प्रत्यक्ष न होता तो अर्थशास्त्र हेतु के भाषाव में 'शब्दवद् आकाशम्' इस अलौकिक प्रत्यक्ष का भी अस्ति न होता।

उक्तरीति से 'शब्दवद् आकाशम्' इस अनुभव के समान 'इमे द्वे' इत्याकारक द्रव्य में द्वित्व के प्रत्यक्षात्मक अनुभव की उपरिति में भी कोई बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथमक्षण में द्वित्व की उपरिति, द्वितीयक्षण में द्वित्वसामान्यज्ञान की उपरिति और उस क्षण में द्वित्वात्मक विषय के रहने से लीपरे क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्षकी उपरिति तथा उस क्षण में सम्बन्ध द्वित्वप्रत्यक्षात्मक शानलक्षण सन्निकर्ष से चैये क्षण में द्रव्य में द्वित्व के अलौकिक प्रत्यक्षात्मक अनुभव की उपरिति में कोई अङ्गचन दृष्टिगत नहीं होता।

उक्तरीति से अपेक्षाकुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में सहानवस्थानरूप विरोध को भानकर जिस प्रकार नाश्यनाशकभाव तथा द्वित्वप्रत्यक्ष एव द्रव्य में द्वित्वानुभव की उपरिति की जाती है उसी प्रकार उन दोनों में वस्थधातकभावरूप विरोध को भी मान कर उनमें नाश्यनाशकभाव, द्वित्वप्रत्यक्ष तथा द्रव्य में द्वित्वानुभव का समर्थन किया जा सकता है। अपेक्षाकुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान, इन दोनों के बीच वस्थधातकभाव मानने में जो यह बाधा बनाई गई थी कि अपेक्षाकुद्धिजन्य सक्षार से द्वित्वसामान्यज्ञान की उपरिति के समय ही अपेक्षाकुद्धिका नाश हो जाने से द्वित्वसामान्यज्ञान को अपेक्षाकुद्धिकी मात्रित नहीं हो सकती, वह ठीक नहीं है, क्यों कि समूहज्ञान—स्मरणप्रयोजक ज्ञान से ही संस्कार का जन्म युक्तिसम्मत है और अपेक्षाकुद्धिसे स्मरणका होना प्रामाणिक नहीं है, अतः उससे सक्षार की उपरिति होने में तथा उसके और द्वित्वसामान्यज्ञान के बीच के समय उसके आश्रयभूत आश्रम में किसी अन्य भी विरोधी गुण का जन्म होने में कोई प्रभाग न होने से द्वित्वसामान्यज्ञान की उपरिति के समय अपेक्षाकुद्धिका नाश नहीं माना जा सकता, अतः द्वित्वसामान्यज्ञान की उपरिति के समय तक अपेक्षाकुद्धिके सिंधर रहने से द्वित्वसामान्यज्ञान को धारक और अपेक्षाकुद्धिको उसका वस्थ मानने में कोई अङ्गचन नहीं है।

पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यह है कि अपेक्षाकुद्धि और द्वित्वसामान्यज्ञान में यदि सहानवस्थानरूप विरोध मान्य होगा तब लौकिक प्रत्यक्ष में विषय को यदि कार्यसहभावेन कारण माना जायगा तब द्वित्वप्रत्यक्ष और द्रव्य में द्वित्वानुभव दोनों अलौकिक होंगे।

यदि उक्त दोनों में वस्थधातकभावरूप विरोध माना जायगा तब अपेक्षाकुद्धिका नाश द्वित्वसामान्यज्ञान के अगले क्षण में होगा और द्वित्व का नाश उससे भी जागे-होगा। अतः लौकिक प्रत्यक्ष में विषय को कार्यसहभावेन कारण मानने पर भी द्वित्व के प्रत्यक्ष के समय द्वित्व के विद्यमान रहने से द्वित्व का प्रत्यक्ष लौकिक तथा द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष अलौकिक होगा और यदि लौकिक प्रत्यक्ष में विषयको कार्यसहभावेन कारण न मान कर कार्यपूर्वकर्तितया कारण माना जायगा तब द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यक्ष भी लौकिक होगा।

६ परिमाणं मानव्यबहारासाधारणं कारणम् । तच्चतुर्विधम् । अणु, महद्, दीर्घं हस्तं चेति । तत्र कार्यगतं परिमाणं संख्यापरिमाणप्रचययोनि । तथथा दूषणकपरिमाणतीश्वरपेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुद्वित्वजनितत्वात् संख्यायोनि, संख्याकारणकमित्यर्थः । च्यगुकपरिमाणं च स्वाश्रयसमवायिकारणगतवहुत्वं संख्यायोनि । चतुरणुकादिपरिमाणं तु स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम् । तूलपिण्डपरिमाणं तु स्वाश्रयसमवायिकारणाचर्यवानां प्रशिथिलसंयोगजन्यम् । परमाणुपरिमाणं, परममहत्परिमाणं चाकाशादिगतं नित्यमेव ।

६. परिमाण—परिमीयतेऽनेनेति परिमाणम् । परिमाणशब्द के इस व्युत्पत्ति के अनुसार कोई द्रव्य जिससे नापा जाय वह परिमाण है । इसी तथ्य पर परिमाण का यह लक्षण किया जाता है कि 'यह क्षेत्र है, यह लम्बा है, यह चौड़ा है' द्रव्य में इस प्रकार के माप का व्यवहार जिस असाधारण कारण से सम्भव होता है उसे परिमाण कहा जाता है । उसके चार मेंद है—अणु, महद्, दीर्घं और हस्त । कार्य द्रव्य में रहने वाले ये चारों परिमाण तीन प्रकार के होते हैं—संख्यायोनि, परिमाणयोनि और प्रचययोनि ।

संख्यायोनि का अर्थ है—संख्याकारणक, जो संख्या से उत्पन्न हो । जैसे—दूषणक का अणु परिमाण परमाणु में रहने वाली उस द्वित्वसंख्या से उत्पन्न होता है वो (दो) परमाणुओं में (दो) एकत्र को भइय करने वाली दैश्वर की अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार च्यगुक का महत् परिमाण ईश्वरकी अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होने वाली दूषणक की बहुत्वसंख्या से उत्पन्न होता है ।

परिमाणयोनि का अर्थ है—पांचागकारणक, जो परिमाण से उत्पन्न हो । जैसे चतुरणुक आदि का महत् परिमाण अपने आधय चतुरणुक आदि के समवायिकारण च्यगुक आदि के महत् परिमाण से उत्पन्न होता है ।

प्रचययोनि का अर्थ है—प्रचयकारणक, जो प्रचय—अवयवों के गियिल संयोग से उत्पन्न हो । जैसे—धूनी दुई रुई का महत् परिमाण अपने आधय धूनी रुई के अवयवों के गियिल संयोग से उत्पन्न होता है ।

परमाणुओं का अणुपरिमाण और आकाश आदि विभुद्वयों का महत् परिमाण नित्य होता है, न उसका उत्पत्ति होती है और न उसका नाप होगा है ।

परमाणुओं के अणुपरिमाण को परम अनु तथा आकाश आदि के महत् परिमाण को परम महत् कहा जाता है ।

दूषणक के अणुपरिमाण और च्यगुक के महत् परिमाण के विषय में दो प्रत्यन होता है कि इन्हें नम से परमाणु और दूषणक के परिमाण से उपर्यन्त मान कर संख्या से उत्पन्न क्यों माना जाता है ?

उत्तर यह है कि यह नियम है कि जो परिमाण किसी परिमाण का कारण होता है वह अपने सजातीय और अपने से उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। जैसे तन्तु का परिमाण तन्तु के कार्य पर में अपने सजातीय और अपने से उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि पद का परिमाण महान् होने तथा त तु के परिमाण से बहा होने के कारण त तु के परिमाण का सजातीय तथा त तु के परिमाण से उत्कृष्ट है। दृश्यगुक का अणु परिमाण परमाणु के अणु परिमाण का सजातीय है किन्तु उससे उत्कृष्ट नहीं है, और व्यगुक का परिमाण दृश्यगुक के अणु परिमाण से उत्कृष्ट है किन्तु उसका सजातीय नहीं है। अत परमाणु के परिमाण को दृश्यगुक के परिमाण का तथा दृश्यगुक के परिमाण को व्यगुक के परिमाण का उत्पादक नहीं माना जा सकता। अन्यथा उक्त नियम के अनुसार दृश्यगुक के परिमाण को परमाणु के परिमाण से उत्कृष्ट तथा व्यगुक के परिमाण को दृश्यगुक के परिमाण का सजातीय होने से महद् द्रव्य की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी। इस आपत्ति के कारण ही दृश्यगुक और व्यगुक के परिमाण को परिमाण-जन्य न मान कर सख्याजन्य माना जाता है और परमाणु तथा दृश्यगुक के अतीन्द्रिय होने से उनम् हम जैसे लोगों की अपेक्षाबुद्धि से सख्या की उत्पत्ति सम्भव न होने से ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से उनमें कम से द्वित्व और बहुत सख्या की उत्पत्ति मानी जाती है।

परमाणु में ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति मानने पर शका हो सकती कि यदि परमाणु भ द्वित्व की उत्पत्ति ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से होगी तो उस द्वित्व का नाश न हो सकेगा क्योंकि द्वित्वनाश के दो ही कारण होते हैं—अपेक्षाबुद्धि का नाश अथवा आश्रयका नाश। किन्तु प्रवृत्त में ये दोनों कारण सम्भव नहीं हैं क्योंकि ईश्वरीय अपेक्षाबुद्धि और द्वित्व का आश्रय परमाणु—ये दोनों ही नियम हैं। इस शक्ता का समाचान यह है कि इस बात में कोई प्रमाण नहीं है कि अपेक्षाबुद्धि अथवा आश्रय के नाश से ही द्वित्व का नाश हो, अत परमाणु के द्वित्व के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उसका नाश उसके कार्य से होता है अर्थात् जब दृश्यगुक का परिमाण रूप उसका कार्य उत्पन्न हो जाता है तब उसका अन्य कोई प्रयोजन न होने से वह (परमाणु-गत द्वित्व) अपने कार्य (दृश्यगुकपरिमाण) से ही नष्ट कर दिया जाता है।

प्रश्न हो रहता है कि नाश्य द्वित्व परमाणु में रहता है और नाशक परिमाण दृश्यगुक में रहता है पर इन व्याघ्रकरण पदार्थों में नाश्यनाशकभाव कैसे हो सकता है? उत्तर यह है कि दृश्यगुक का परिमाण समवाय सम्बन्ध से परमाणुगत न होने पर भी स्वाश्रय-समवायरूप परम्परासम्बन्ध से परमाणुगत होता है अत जैस अवयवगत एकत्व को परम्परा-सम्बन्ध से अवयवी-गत द्वित्व का उत्पादक माना जाता है उसी प्रकार अवयवी गत परिमाण को परम्परा सम्बन्ध से अवयवगत द्वित्व का नाशक भी माना जा सकता है।

७. पृथक्त्वं पृथग्व्यवहारासाधारणं कारणम् । तच्च द्विविधम् । एकपृथक्त्वं, द्विपृथक्त्वादिकं च । तत्राद्यं नित्यातं नित्यम्, अनित्यातम् अनित्यम् । द्विपृथक्त्वादिकं चानित्यमेव ।

दीर्घ और हृस्व परिमाण—

परिमाण के अभी चार मेद बनाये गए हैं—अगु, महत्, दीर्घ तथा हृस्व । प्रश्न होता है कि महत् और दीर्घ में तथा अगु और हृस्व में क्या अन्तर है? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सभी महत् परिमाण को दीर्घ तथा सभी अगु परिमाण को हृस्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि आकाश आदि विभु द्रव्यों को महान् तो कहा जाता है पर दीर्घ नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार परमाणु के परिमाण को अगु कहा जाता है पर हृस्व नहीं कहा जा सकता, क्यों कि किसी भी द्रव्य में दीर्घत्व और हृस्वत्व का जो व्यवहार होता है वह मुख्यतया उसके अवयवों की दीर्घता—बड़ाई और हृस्वता—छोटाई पर निर्भर होता है । अतः विभु और परमाणु द्रव्यों के निरवयव होने से उनमें दीर्घ और हृस्व का व्यवहार नहीं हो सकता । इस प्रकार विचार करने से ऐसा ज्ञात होता है कि दीर्घ और हृस्व—ये दोनों बन्य महत् परिमाण के परस्परसापेक्ष अवान्तर मेद हैं, न कि सामान्यतः महत् और अगु के समकल स्वतन्त्र परिमाण हैं । यही कारण है कि परिमाण का बर्गीकरण करते समय दीर्घ और हृस्व का नाम तो लिया गया पर बाद में विशेष रूप से उनकी कोई चर्चा नहीं की गई ।

यदि परिमाण का बर्गीकरण इस प्रकार किया जाय तो अधिक उपयुक्त हो सकता है । परिमाण के दो मेद हैं अगु और महत् । उन दोनों के दो मेद हैं नियम और अनियम । अनियम महत् के दो मेद हैं दीर्घ और हृस्व और वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं ।

८ पृथक्त्व—

'यह द्रव्य इस द्रव्य से पृथक् है' इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है उस वृथक्त्व कहा जाता है । यह सभी द्रव्यों का सामान्य गुण है । इसके दो मेद हैं—एकपृथक्त्व और द्विपृथक्त्व आदि । नियमद्रव्य में रहने वाला एकपृथक्त्व नियम और अनियमद्रव्य में रहने वाला द्विपृथक्त्व अनियम होता है । द्विपृथक्त्व आदि वित्तने पृथक्त्व है वह सब अनियम ही होते हैं ।

मेद से पृथक्त्व की अनन्यासिद्धता—

दुख विद्वानों का कथन है कि पृथक्त्व को गुण मानने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि उत्तम कार्य 'पृथग् व्यवहार' की उपरचि 'मेद' से ही सही है । 'यह इससे पृथग् है' इस व्यवहार को 'यह इससे भिन्न है' इस कर में बर्जित किया जा सकता है, क्यों

८. संयोगः ॥ संयुक्तव्यवहारहेतुगुणः । स द्वयाश्रयाऽव्याव्याच्चश्च । स त्रिविधः । अन्यतरकर्मजः, उभयकर्मज, संयोगस्येति । तत्राऽन्यतरकर्मजो यथा क्रियावता इयेनेन सद् निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः । अस्य हि इयेनक्रिया असमवायिकारणम् । उभयकर्मजो यथा सक्रिययोर्मल्लयो, संयोगः । संयोगजो यथा कारणकारणसंयोगात् कार्याकार्यसंयोगः, यथा हस्तवरुसंयोगेन कायतरुसंयोगः ।

कि परस्परभिन्न द्रव्यो में ही पृथग्व्यवहार देखा जाता है। परन्तु विचार करने पर यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्यों कि भेद आव्यवहार सर्वदा सावधिक ही होता है किन्तु पृथग्व्यवहार का सदा सावधिक ही नहीं होता, वह तो 'यह द्रव्य इस द्रव्य से पृथक् है' इस रूप में जैसे कभी सावधिक होता है वैसे ही 'यह एक पृथग् द्रव्य है' इस रूप में कभी निरवधिक भी होता है; अतः सदा सावधिक प्रतीत होने वाले भेद से बदाचित् निरवधिक भी प्रतीत होने वाले पृथग्व्यवहार की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक है और अन्य पदार्थों में उसका अन्तर्माव सम्भव न होने से उसे गुण मानना भी उचित ही है।

९. संयोग—

यह सभी द्रव्यों में होने वाला एक सामान्य गुण है। इसका लक्षण इस प्रकार है— 'यह द्रव्य इस द्रव्य से संयुक्त है' इस व्यवहार का अचाधारणकारणमूलत जो गुण है उसे संयोग कहा जाता है। जब दो द्रव्य इस प्रकार समीपस्थित होते हैं कि उनके बीच कोई व्यवधायक द्रव्य नहीं रह जाता तब उन द्रव्यों का परस्पर संयोग होता है।

प्रश्न हो सकता है कि जब दो द्रव्यों में संयोग का जन्म उसी समय होता है जब उनके बीच कोई व्यवधान नहीं रहता तब व्यवधानाभाव को ही संयोग क्यों नहीं मान लिया जाता, उससे भिन्न संयोगनामक गुणान्तर की कल्पना क्यों मानी जाती है?

उत्तर यह है कि यदि व्यवधानाभाव से भिन्न संयोग का अस्तित्व न माना जायगा तो किंचिद् दूरस्थ द्रव्यों में भी व्यवधानाभाव भी दशा में संयोगव्यवहार होने लगेगा, पर एसा कभी नहीं होता, अतः व्यवधानाभाव से अतिरिक्त संयोग को कल्पना आवश्यक है और अन्य पदार्थों में उसका अन्तर्माव सम्भव न होने से उसे गुण मानना भी उचित है।

संयोग के तीन भेद हैं—अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज और संयोगज।

अन्यतरकर्मज का अर्थ है संयुक्त होने वाले द्रव्यों में किसी एक ही द्रव्य के कर्म से उत्पन्न होने वाला। जैसे इयेन—वाज पक्षी के कर्म से उत्पन्न होने वाला निष्क्रिय

स्थाणु—दूठे दृढ़ के साथ श्येन पक्षी का सयोग। श्येन का कर्म इस सयोग का अवलम्बन-यिकारण होता है। यह कर्म सन्वाय सम्बन्ध से श्येन में और आभिमुख उपस्थिति से स्थाणु में रह कर श्येन और स्थाणु में होने वाले सयोग का कारण होगा है।

उभयकर्मज का अर्थ है दोनों द्रव्यों के कर्म से उत्पन्न होने वाला। जैसे दो मल्हों का सयोग। यह सयोग उस समय होता है जब अल्खाङ्क में दो मल्ह एक दूसरे पर फ़ाटते हैं अतः यह उभयकर्मज होता है।

सयोगज का अर्थ है—सयोग से उत्पन्न होने वाला। कारण और अकारण के परस्पर सयोग से उत्पन्न होने वाला कार्य और अकार्य का परस्पर सयोग सयोगज सयोग होता है। जैसे दृढ़ के साथ मनुष्य के हृत के सयोग से उत्पन्न होने वाला दृढ़ के साथ मनुष्य के शरीर का सयोग। इसमें पत्रुष्य का हृत मनुष्य के शरीर का अवयव होने से उत्पन्न कारण है और दृढ़ उत्पन्न का अकारण है अतः दृढ़ के साथ मनुष्य के हृत का सयोग कारण और अकारण का सयोग है इस सयोग से दृढ़ के साथ मनुष्य के शरीर का सयोग उत्पन्न होता है। इसमें मनुष्य का शरीर मनुष्य के हृत का अवयव होने से उत्पन्न कार्य है और दृढ़ उत्पन्न अकार्य है। अतः यह सयोग कार्य और अकार्यका सयोग है।

शास्त्र होती है कि आकाश, काल आदि विभु द्रव्यों का सयोग अजन्य होने के कारण उक्त सयोगों में अन्तर्भूत नहीं होता, अतः सयोग का उक्त वर्गीकरण असंगत है। इसका समावान यह है कि सयोग का उक्त वर्गीकरण वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से किया गया है। वैशेषिकदर्शन को आकाश, काल आदि का नित्य सयोग अभीष्ट नहीं है किन्तु उस दर्शन को सयोगमात्र की जन्यता दी अभिप्रत है। अतः सयोग के उक्त वर्गीकरण में कोई असंगति नहीं है।

प्रश्न होता है कि आकाश, काल आदि विभु द्रव्यों के बीच जब कोई व्यवधान नहीं है तब उनका परस्पर सयोग मानने में क्या चावा है। तर्कतन तो यही है कि उनमें परस्पर सयोग माना जाय, क्यों कि यदि उनमें सयोग न माना जायगा तो परस्पर में विप्रकर्म—व्यवधान या दूरी मानना होगा, क्यों कि यह तियम है कि जो द्रव्य परस्पर में समुक्त नहीं होते उनमें विप्रकर्म होता है जैसे विनाश और हिमालय में। सयोग की मानस्ता को दालने के लिये उनमें विप्रकर्म को स्वीकृत नहीं दी जा सकती, क्यों कि विप्रकर्म द्रव्यों में अविभूत का नियम होने से उनके विभूत का भङ्ग हो जायगा।

उत्तर में कहा जा सकता है कि विभु द्रव्यों में परस्पर सयोग तो नहीं माना जा सकता क्यों कि सयोग उड़ी द्रव्यों में होता है जिन में युनिकिटि हो। युनिकिटि का अर्थ है पृथक्क्षेत्र और पृथक्क्षेत्र का अर्थ है सयोग के आवश्यक में विवारणीय द्रव्यों में एक या दोनों का पृथग्

९. विभागोऽपि विभक्तप्रत्ययहेतुः । संयोगपूर्वको द्वाश्रयः । स च त्रिविधोऽन्यतरकर्मजः, उभयकर्मजो, विभागजद्वेति । तत्र प्रथमो यथा श्येताक्यया शैल-श्येनयोर्विभागः । द्वितीयो यथा मल द्वयोर्विभाग । तृतीयो यथा दस्ततद्विभागात् कायतरुविभाग ।

द्वितीये च पाकजोपत्ती, विभागे च विभागते ।

यस्य न सखलिता तु द्विस्तं वै वैशेषिकं विदु ॥

गतिमान् होना अथवा पृथग आश्रय में आभिन होना । दो परमाणुओं में, परमाणु और विमुद्रव्यों में पहले प्रकार की युतसिद्धि होती है । दो जन्य भूतद्रव्यों में, जन्य मूर्तद्रव्य और अजन्य मूर्तद्रव्यों में तथा जन्य मूर्तद्रव्य और विमुद्रव्यों में पहले और दूसरे प्रकार की दोनों युतसिद्धिया होती हैं अत उनमें परस्पर सयोग हो सकता है ।

दो विमुद्रव्यों में युतसिद्धिये के उक्त दोनों प्रकारों में कोई भी प्रकार नहीं होता अतः उनमें सयोग का अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकता ।

विमुद्रव्यों में परस्पर सयोग न मानने पर परस्पर विप्रकर्प और विप्रकर्प से विमुद्रव्य-भ्रह्म की ओ आपत्ति दी गई है, वह ठीक नहीं है, क्यों कि असयुक्त द्रव्यों में परस्पर विप्रकर्प होने का नियम सिद्ध नहीं है । याद सिद्ध भी होगा तो वह मूर्त द्रव्यों तक ही सीमित होगा विमुद्रव्यों में तो उसकी कोई सम्माधना ही नहीं हो सकती, क्यों कि विप्रकर्प का अर्थ होता है एक से सयुक्त स्थान में दूसरे का संयुक्त न होना । जैसे विन्ध्य से सयुक्त भूखण्ड में हिमवान् का सयोग न होने से उनमें विप्रकर्प होना है । एक विमुद्रव्य से सयुक्त स्थान में दूसरे विमुद्रव्य का सयोग अवश्य होता है, क्यों कि यदि ऐसा न हो तो उसमें सर्वमूर्तद्रव्यसयोगहरा विमुद्रव्य ही न होगा । अतः दो विमुद्रव्यों में विप्रकर्प असम्भव है । कहने का आशय यह है कि असयुक्तव से विप्रकर्प का आपादन और विप्रकर्प से विमुद्रव्यभ्रह्म का आपादन नहीं हो सकता ।

न्यायदर्शन की इहि से विचार करने पर उक्त शब्द का यह समाधान किया जा सकता है कि उक्त वर्गीकरण सयोगसामान्य का नहीं है विन्तु जन्य सयोग या है । न्यायदर्शन के अनुसार सयोग का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—सयोग के दो भेद हैं—जन्य और अजन्य । जन्य सयोग के तीन भेद हैं—अ-यतरकर्मज, उभय-कर्मज और सयोगज । अजन्य सयोग का कोई अवान्तर भेद नहीं है, वह विमुद्रव्यमात्र में रहता है ।

संयोगनाश—

सयोगनाश के दो कारण होते हैं—सयुक्त द्रव्यों का परस्पर विभाग और सयोग के आश्रयभूत द्रव्य का नाश । जैसे आकाश आदि के साथ परमाणु के, आमा के साथ

मन के सयोग का नाश उन द्रव्यों के परस्पर विभाग से उत्पन्न होता है और वह विभाग परमाणु तथा मन के कर्म से उत्पन्न होता है। जन्य द्रव्यों के परस्पर सयोग का नाश कभी उन द्रव्यों के परस्पर विभाग से और कभी उनमें से किसी एक के अथवा दोनों के नाश से होता है।

९. विभाग—

जो गुण 'इद द्रव्यम् अस्माद् द्रव्याद् विभक्तम्—यद द्रव्य इस द्रव्य से विभक्त है' इस शब्द से अभिहित होने वाली प्रतीति का असाधारण कारण होता है उसे विभाग कहा जाता है। जैसे शैल-पर्वतखण्ड से श्येन-बाज के उड़ने पर शैल और श्येन के बीच अलगाव होने से 'श्येन शैल से विभक्त हो गया' इस प्रकार की प्रतीति का उदय होता है। तो इस प्रतीति के पूर्व शैल और श्येन का जो परस्पर अलगाव होता है वही शैल के साथ श्येन का विभाग है।

विभाग सयोगपूर्वक होता है अर्थात् जिन द्रव्यों का पहले से परस्पर सयोग रहता है उन्हीं का परस्पर विभाग होता है। विभाग दो द्रव्यों में आभित होता है, अर्थात् जो द्रव्य परस्परसंयुक्त रहते हैं वे ही परस्पर विभक्त होते हैं, अतः विभाग एक द्रव्यमात्र में आभित न होकर उभयाभित होता है।

विभाग के तीन भेद हैं—अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज और विभागज। जिन दो द्रव्यों का परस्पर विभाग होना है उनमें से किसी एकमात्र के कर्म से उत्पन्न होने वाला विभाग अन्यतरकर्मज है, क्यों कि वह अपने आध्यमत दो द्रव्यों में अन्यतर के कर्म से जन्म प्राप्त करता है। जैसे शैल और श्येन, इन दो में केवल श्येन के कर्म से उत्पन्न होने वाला शैल के साथ श्येन का विभाग। अपने आध्यमत दोनों द्रव्यों के कर्म से उत्पन्न होने वाला विभाग उभयकर्मज है। जैसे अलाङ्कृत में लड़ते हो मल्लों का पैतृय बदलने के लिए जो परस्परविभाग होता है, वह दोनों मल्लों के पैतृय हटने के कर्म से उत्पन्न होने के कारण उभयकर्मज है। इस और इन्हें के परस्पर विभाग से यारी और वृद्ध का जो परस्पर विभाग होता है वह विभागज विभाग है।

यह एक प्रादिद उक्ति है कि द्वितीय सूक्ष्मा, पाकज गुण की उत्पत्ति तथा विभागज विभाग, इन तीनों के विषय में जिसकी बुद्धि का स्वल्पन नहीं होता, विद्वज्ञन उसे वैशेषिक दर्शन का बेचा मानते हैं।

इस उक्ति के अनुसार विभागज विभाग एक रहस्यपूर्ण विषय प्रतीत होता है, किन्तु सबका जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उससे उसकी कोई गम्भीरता नहीं प्रतीत होती, अतः उसके सम्बन्ध में योही और चर्चा कर सेना वचित प्रतीत होता है।

विमाग विभाग दो फारगों से होता है कभी कारणमात्र के विभाग से और कभी कारण और अकारण के विभाग से। कारणमात्र के विभाग से होने वाले विभाग को इस प्रकार समझा जा सकता है—

जब तनुओं में पट के रहते उनमें से किसी एक तनु में कर्म उत्पन्न होता है, तब दूसरे ज्ञान उस कर्म से उस तनु का अन्य तनु से विभाग होता है। तीसरे ज्ञान प्रयोगादक तनुसंयोग का नाश होता है। जीवे ज्ञान पट का नाश होता है। पौँचवे ज्ञान सक्रिय तनु का विभाग उस आकाशभाग से होता है जो पट का नाश होने के पूर्व पट से बायुक रहा है। यदि विभाग पट के कारण तनु और अकारण आकाशभाग के बीच होता है और इसकी उत्पत्ति सक्रिय तनु और निष्क्रिय तनु के परस्पर विभाग से होती है तो पट के कारण तनुमात्र में जाहिर है। अतः सक्रिय तनु का पासबायुक आकाशभाग के साथ का उक्त विभाग कारणमात्र के विभाग से उत्पन्न होने वाला विभाग है।

प्रश्न हो सकता है कि जिस ज्ञान जिस तनुकर्म से उस कर्म के आधार तनु का अन्य तनु से विभाग उत्पन्न होता है उस ज्ञान उस कर्म से ही उस तनु का पासबायुक आकाशभाग के साथ भी विभाग हो सकता है किंतु पौँचवे ज्ञान में कारणमात्र में आधिन विभाग से उस विभाग की उत्पत्ति मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि तनुबों का परस्परविभाग प्रयोगादक तनुसंयोग का नाशक होता है और तनु-आकाशभाग का परस्परविभाग प्रयोगादक तनु-आकाशभाग के परस्पर-संयोग का नाशक होता है अतः इन विभागों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं मानी जा सकती, क्यों कि द्रव्योरादक तथा द्रव्यानुत्पादक संयोग के नाशक विभागों की उत्पत्ति यदि एक कारण से होगी तो कमल के खिलते समय उसका नाश हो जायगा, क्यों कि सूर्यकिरण के समर्क से होने वाली कमलदलों की जो क्रिया उनके कमलानुत्पादक संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न कर कमल को विकसित करती है उसी से कमलदलों के कमलोरात्पादक संयोग के नाशक विभाग की उत्पत्ति हो जाने से कमल का नाश हो जायगा। अतः तनुकर्म से तनुबों के विभाग के समय उसी से आकाशभाग के साथ तनु के विभाग की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। पौँचवे ज्ञान में भी इस विभाग की उत्पत्ति पहले ज्ञान में उत्पन्न तनुकर्म से नहीं मानी जा सकती, क्यों कि कर्म अपने अव्यवहित चरचान्न में ही विभाग का उत्पादक होता है। अतः विभाग के उत्पादन के लिये पौँचवा ज्ञान उसके लिये अनुपयुक्त है।

कारणमाध्याधिन विभाग से उक्त प्रकार के विभाग की उत्पत्ति मानने पर एक यह प्रश्न हो सकता है कि तनुकर्म से उत्पन्न होने वाला सक्रिय तनु और निष्क्रिय तनु का विभाग तो उन दोनों तनुबों में रहता है, तो किंतु वह कैसे सक्रिय तनु को पट-



समुक्त आकाशभाग से विभक्त करता है वैसे निष्क्रिय तन्तु को भी उस आकाशभाग से विपक्त क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि यदि निष्क्रिय तन्तु का आकाशभाग के साथ विभाग होगा तो वह उस तन्तु का अन्य स्थान के साथ सयोग कराने में रुद्धम होगा नहीं क्यों कि सयोग का कोई उत्पादक उपर तन्तु में नहीं है । फलतः वह विभाग निरर्थक होगा क्यों कि विभक्त होने वाले द्रव्य का स्थानान्तर के साथ सयोग कराने में सहायक होने के अतिरिक्त दूसरी कोई सार्थकता विभाग की होती नहीं, अतः निरर्थक होने के कारण इस विभाग की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ।

कारणाकारण के विभाग से जन्य विभाग—

काण और अकारण के विभाग से कार्य और अकार्य के विभाग की उत्पत्ति होती है । जैसे मनुष्य जब अपने हाथ को किसी एक दिया में फैलाना चाहता है तब उसके प्रयत्न से उसके हाथ में किया होती है । दूसरे तरफ उस हाथ का उपर आकाशभाग से, जहाँ से उसे आगे बढ़ाना है, विभाग होता है । यह शरीर का अवयव होने से उसके काण हाथ और अकारण आकाशभाग में आधित होने से कारणाकारणविभाग कहा जाता है । इस विभाग से हाथ का अवयवी होने से उसके कार्य शरीर का उपर अकार्य उक्त आकाशभाग से विभाग उत्पन्न होता है । यही कार्याकार्य का विभाग है । यदि इसकी उत्पत्ति न मानी जायगी तो हाथ का नये आकाशभाग के साथ सयोग होने पर उपर भाग के साथ शरीर का सयोग न हो सकेगा क्यों कि हाथ से समुक्त पूर्व आकाशभाग के साथ विभाग होकर जब तक उसके साथ शरीर के सयोग का नाश न हो जायगा तब तक नये आकाशभाग के साथ उसका सयोग न हो सकेगा । इस लिये उक्त प्रकार में कारणाकारण के विभाग से कार्याकार्य के विभाग की क्लिनी अनिवार्य है ।

विभागनाश—

विभाग का नाश दो कारणों से होता है—एक कारण है विभक्त होने वाले द्रव्य का नये स्थान के साथ सयोग, जिसे उत्तरस्थयोग यद्यपि से अभिहिन किया जाता है । इस सयोग से विनाश्य विभाग क्षणिक होता है । दूसरा कारण है विभाग के आभ्यभूत द्रव्य का नाश । जैसे दो तनुओं से बने पट के कारण एक तन्तु के अवयव अशु में अर्थ उत्पन्न हो कर अन्य अशु से उसके विभाग के समय जब दूसरे तन्तु में किया जापन होती है तब उस तनुकिया के दूसरे हृषि दोनों अशुओं के परस्पर सयोग का नाश और दोनों तनुओं का परस्पर विभाग, ये दो कार्य एक साथ उत्पन्न होते हैं । तीसरे हृषि तनुओं के सयोग का नाश और उस तन्तु का नाश, जिसके अवयवभूत अशुओं के परस्पर सयोग का नाश दूसरे हृषि हो चुका है, ये दो कार्य एक साथ होते हैं । औथं हृषि अभ्यभूत एक तन्तु के नाश से तनुओं के परस्पर विभाग का नाश होता है ।

१०-११. परत्वाऽपरत्वे पराऽपरब्यवहायसाधारणकारणे । ते तु द्विविधे दिक्कृते, कालकृते च । तत्र दिक्कृतयोरुत्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां दिइय-वस्थितवां, पिण्डयोः 'इदमस्मान् सन्निहृष्टम्' इति बुद्ध्याऽनुगृहीतेन दिक्पिण्ड-संयोगेनाऽपरत्वं सन्निहृष्टे जन्यते । विप्रकृष्टवृद्ध्या तु परत्वं विप्रकृष्टे जन्यते । सन्निकर्पस्तु पिण्डस्य द्रष्टु शरीरपेक्षया सयुक्संयोगात्पीयस्तत्वम् । तद्भूयस्तत्वं विप्रकर्प इति ।

आश्रय के नाम से इस प्रकार नष्ट होने वाला विभाग भी जूणिक ही होता है क्यों कि यह भी अपने अन्म से तो सरे क्षण में ही नष्ट हो जाता है ।

कारणाकारण के संयोग से कार्याकार्य का संयोग और कारणाकारण के विभाग से कार्याकार्य के विभाग की उत्पत्ति मानने पर यह शक्ति होती है कि यदि हस्त और वृक्ष के संयोग से भिन्न शरीर और वृक्ष का संयोग माना जायगा तथा हस्त और वृक्ष के विभाग से भिन्न शरीर और वृक्ष का विभाग माना जायगा, तब हस्त और शरीर में सुतसिद्धि-पृथक्सिद्धि की आपत्ति होगी, क्यों कि वृक्ष से हस्त का संयोग और विभाग हो जाने पर शरीर तब तक वृक्ष से सयुक्त या विभक्त नहीं माना जावा, जब तक वृक्ष से उसका स्वतन्त्र संयोग और विभाग नहीं हो जावा । अतः वृक्ष के साथ हस्त के संयोग—विभाग से शरीर के संयोग—विभाग को भिन्न मानना अनुचित होने से कारणाकारण के संयोग-विभाग से कार्याकार्य के संयोग-विभाग की कल्पना असंगत है ।

इस शक्ति का समाचान यह है कि जिस सुतसिद्धि की चर्चा पढ़ते वी गई है और जो अवयव-अवयवी के बीच मान्य नहीं है, उक्त संयोग और विभाग की कल्पना से हस्त और शरीर में उसकी आपत्ति नहीं हो सकती, क्यों कि हस्त और शरीर न तो पृथग् नात्मान् होते और न पृथग् आश्रय में आन्तित ही होते ।

१०-११ परत्व और अपरत्व—

'यह इससे पर—दूर या अपेक्षा है' इस प्रकार के व्यवहार के असाधारण कारणभूत गुण को परत्व और 'यह इससे अपर—समीप या कनिष्ठ है' इस प्रकार के व्यवहार के असाधारणकारणभूत गुण को अपरत्व कहा जाता है । परत्व और अपरत्व के दो भेद हैं—दिक्कृत और कालकृत । दिक्कृत परत्व श्रीर अपरत्व की उत्पत्ति का नर्णन निभ्य प्रकार से किया जाता है ।

एक दिशा में स्थित दो द्रव्यों में 'यह द्रव्य इस द्रव्य से उन्निष्ठ है' इस बुद्धि के सहयोग से दिग्-द्रव्य के परस्परसंयोग से सन्निहृष्ट द्रव्य में अपरत्व की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार 'यह द्रव्य इस द्रव्य से विप्रकृष्ट है' इस बुद्धि के सहयोग से दिग्-द्रव्य

कालकृतयोस्तु परत्वाऽपरत्वयोरुत्पत्तिः कथ्यते । अनियतदिग्वस्थितयोर्युव-
स्थविरपिण्डयोः ‘अयमस्मादल्पतरकालसंबद्धः’ इत्यपेक्षाबुद्ध्याऽनुगृहीतेन
कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि अपरत्वम् । ‘अयमस्माद् बहुतरकाल-
संबद्धः’ इति धिया स्थविरे परत्वम् ।

के संयोग से विप्रकृष्ट द्रव्य में परत्व की उत्पत्ति होती है । यह परत्व और अपरत्व
दिग् से उत्पन्न होने के कारण दिक्कृत परत्व-अपरत्व कहे जाते हैं ।

अपरत्व की उत्पत्ति का साधनभूत सन्निकर्पं तथा परत्व की उत्पत्ति का साधनभूत
विप्रकृपं कम से अल्पतर सयुक्तसंयोग और बहुतर सयुक्तसंयोगरूप है । सयुक्तसंयोग
की अल्पता और अधिकता अपरत्व और परत्व के आश्रयभूत द्रव्यों में उनके द्रव्या
मनुष्य के शरीर की अपेक्षा ली जाती है । कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य
जिस द्रव्य को अपने सन्निकृष्ट-समीपस्थ समझता है उस द्रव्य और उस मनुष्य के बीच
के सयुक्तसंयोग अल्प होते हैं और जिस द्रव्य को अपने से विप्रकृष्ट-दूरस्थ समझता है
उस द्रव्य और उस मनुष्य के बीच के सयुक्तसंयोग अधिक होते हैं । अल्प सयुक्तसंयोग
वाले द्रव्य में दिक्कृत अपरत्व और अधिक सयुक्तसंयोग वाले द्रव्य में दिक्कृत परत्व
की उत्पत्ति होती है ।

प्रश्न हो सकता है कि सयुक्तसंयोग में सयुक्त शब्द से दिक् का ही ग्रहण हो सकता
है, अतः द्रव्य के साथ सयुक्त दिक् का संयोग तो एक ही होगा । फिर उसमें अल्पता
और अधिकता कैसे हो सकती है ? उत्तर में कहा जा सकता है, कि यह ठीक है, कि
दिग् द्रव्य का संयोग एक ही है अतः उसमें अल्पता या अधिकता की कल्पना सम्भव
नहीं है, पर द्रव्य को सन्निकृष्ट वा विप्रकृष्टरूप में देखने वाले मनुष्य के स्थान
और उस द्रव्य के बीच अवस्थित मूर्त द्रव्यों का दिक् के साथ जो संयोग होता है,
विचक्षा आश्रय होने से सयुक्तसंयोग में सयुक्त शब्द से दिक् का ग्रहण होता है, वह
संयोग तो अनेक है । बतः उसमें अहरता और अधिकता के सम्भावित होने से उसकी
अल्पता और अधिकता के द्वारा सयुक्तसंयोग ‘दिग्-द्रव्यसंयोगं’ को अल्प वा अधिक
कहने में कोई वादा नहीं हो सकती ।

कालकृत परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है ।

अनियत दिया में अवस्थित अर्थात् कभी एक दिया में और कभी विभिन्न
दियाओं में अवस्थित युवा और वृद्ध मनुष्य के शरीर में ‘यह शरीर इस शरीर की
अपेक्षा अल्पतर शाल से सम्बद्ध है’ इस अपेक्षाबुद्धरूप निमित्तकारण के संहयोग से
हालशरीरयोग्यस्थ समवायिकारण से युवा मनुष्य के शरीरस्तर आश्रय-समवायि-
कारण में कालकृत अपरत्व-विभिन्नत्व की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार ‘यह शरीर इस

१२. गुरुत्वम् आद्यपत्रनाऽसमवायिकारणम् । पृथिवीजलवृत्ति । यथोक्तम्—संयोगवेगप्रयत्नाभावे सति गुरुत्वात् पतनमिति ।

१३. द्रवत्वम् आद्यस्यन्दनासमवायिकारणम् । भूतेजाजलवृत्ति । भूतेज-सोर्प्तादिसुर्पर्णयोरग्निसंयोगेन द्रवत्वं नैमित्तिकम् । जले तैषगिं द्रवत्वम् ।

१४. स्नेहः चिकिणता । जलमात्रवृत्तिः कारणगुणपूर्वको गुरुत्वादिवद्-चावद्द्रवद्यभावी ।

शरीर की अपेक्षा अधिकतर काल से सम्बद्ध है इस अपेक्षावृद्धिवृत्ति निमित्तकारण के सहयोग से कालशरीरसंयोगलय असमवायिकारण से त्रृदूर मनुष्य के शरीरस्व प्राश्रय-समवायिकारण में परस्पर-ज्येष्ठता की उत्पत्ति होती है ।

यह अपरत्व और पराव काल द्वारा उत्पन्न होने के कारण कालकृत कहे जाते हैं । जिन द्रव्यों में इन ही उत्पत्ति होने को होती है उनमें अल्पतर तथा बहुतर सूक्ष्मकियालय गौण कालके व्याध्य 'सूख' सदुक (मुका फाल) संयोगस्व परम्परा-सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उन द्रव्यों में इनकी उत्पत्ति होती है ।

१२—गुरुत्व—

किंसी वस्तु के ऊर से नीचे की ओर जाने की किंवा का नाम पठन है । यह किंवा विस वस्तु में होती है वह उसका समवायिकारण होती है और उस वस्तु का भारीपन उसका असमवायिकारण होता है । वस्तु का यद भारीपन ही गुरुत्व है । उसका लक्षण है 'लक्ष प्रकार की आद्य किंवा का असमवायिकारण' । लक्षण से आद्यपद को निष्काल देने पर गिरने वाली वस्तु के बेग में अतिव्यासि होगी वरों कि गहली पठन किंवा से वस्तु में जो बेग उत्पन्न होता है वह बाद की पठनकिंवा का असमवायिकारण होता है ।

पठन के ये दोनों कारण पहले से ही समिदित रहते हैं । अत. जिस आगन्तुक कारण से उस किंवा की उत्पत्ति होती है वह उसका निमित्तकारण होता है । जैसे इन में दगा हुआ फल और उसका गुरुत्व, ये दोनों पहले से रहते हैं । तीव्र वायु के फटके से या लोटपाट वा दण्ड के आधात से जब वृन्त के लाख फटके संयोग का नाश होता है तब इन्तसंयोगभाव नये कारण का समिदान होने से फट के पठन का आरम्भ होता है । फल इस पठन का समवायिकारण फटगत गुरुत्व असमवायिकारण और उन्हें कलसंयोगभाव निमित्तकारण होता है । वृन्त से टूट कर भूमि पर पहुँचने तक फल में अनेक पठनकिंवाये होती हैं, उन में पहली पठन किंवा का असमवायिकारण फटका गुरुत्व होता है और बाद की पठनकिंवायों का असमवायिकारण पहली पठनकिंवा से उत्पन्न फलगत बेग होता है ।

प्रश्न हो सकता है कि जैसे पहली पतनक्रिया का असमवायिकारण फलगत गुरुत्व को माना जाता है वैसे बाद की पतनक्रियाओं का भी असमवायिकारण उसी को क्यों नहीं माना जाता ? इसका उत्तर यह है कि यदि बाद की पतनक्रियाओं का भी असमवायिकारण फलगत गुरुत्व को ही माना जायगा तब गिरने वाले फल का नाश न होने तक पतनक्रिया का सातत्य बना रहेगा, क्यों कि उसके समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण का सातत्य तब तक अनुष्ण रहेगा । और जब बादकी पतनक्रियाओं का असमवायिकारण फलगत वेग को माना जायगा तब भूमि के साथ फल का स्थोग होने पर वेग का नाश हो जाने के कारण असमवायिकारण का अभाव हो जाने से पतन के सातत्य की आवश्चि न होगी ।

गुरुत्व पृथिवी और जल में रहता है । परमाणु का गुरुत्व नित्य होता है । परमाणु से भिन्न पृथिवी और जल का गुरुत्व अनित्य होता है । अनित्य गुरुत्व अपने आध्य द्रव्य के समवायिकारणों में रहने वाले गुरुत्व से उत्पन्न होता है और अपने आध्य के नाश से नष्ट होता है ।

वैशेषिक दर्शन में बनामा गया है कि स्थोग, वेग और प्रयत्न, ये तीन पतन के प्रतिक्रियक होते हैं । जैसे वृन्त के साथ फल का स्थोग फल के पतन का, वाण का वेग वाण के पतन का, आकाश में उड़ते पक्षी आदि का प्रयत्न उनके शरीर के पतन का प्रतिक्रियक होता है । इन प्रतिक्रियों का अभाव होने पर फल, वाण और पक्षी आदि के शरीर में विद्यमान गुरुत्व से उनका पतन होता है ।

१३—द्रवत्व—

किसी तरल वस्तु के चूने, टपकने या चढ़ने को स्थन्दन कहा जाता है । जो वस्तु एक स्थान से दूर के दूसरे स्थान तक बह कर रुक जाती है उसमें पहले स्थान से उच दूसरे स्थान तक पहुँचने में अनेक स्थन्दन क्रियायें होती हैं । उन क्रियाओं में पहली क्रिया का जो असमवायिकारण होता है उसे द्रवत्व-तरलना कहा जाता है । पहली क्रिया के बाद की समूर्ण स्थन्दन क्रिया पहली क्रिया से उत्पन्न वेग द्वारा सम्पादित होती है । अतः बाद की समूर्ण स्थन्दन-क्रिया का असमवायिकारण वेग होता है । उसमें द्रवत्व के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इस उद्देश्य से उसके लक्षण म स्थन्दनसामान्य का प्रवेश न कर आय स्थन्दन का प्रवेश क्रिया गया है ।

द्रवत्व पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यों में रहता है । ये आदि पार्थिव द्रव्य एवं मुक्तं आदि तेज द्रव्यों में द्रवत्व की उत्पत्ति अविनश्योग्य निमित्त से होती है अतः पृथिवी और तेज का द्रवत्व निमित्तक होता है । जल का द्रवत्व नेतर्गिक, सामाविक या सारिदिक होता है । यह अविनश्योग जैसे किसी निमित्त की अपेक्षा न कर अपने आध्य जल के समवायिकारणों में विद्यमान नेतर्गिक द्रवत्व से ही उत्पन्न होता है ।

१५. शब्दः श्रोत्राणां ह्यो गुणः । आकोशस्य विशेषणः ।

ननु कथमस्य श्रोत्रेण प्रहणम् ? यतो भेर्यादिदेशे शब्दो जायते, श्रोत्रं तु पुरुष-देशोऽस्ति । सत्यम् । भेरीदेशो जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बयुक्तलन्यायेन वा सञ्जिहितं शब्दान्तरमारभते । स च शब्दः शब्दान्तरभिति क्रमेण श्रोत्रदेशे जावोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्णते, न त्वाद्यो नापि मध्यमः । एवं वर्षे पाठ्यमाने वल्लद्यविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तररम्भक्रमेण श्रोत्रदेशोऽन्त्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्णते नाद्यो न मध्यमः । 'भेरीशब्दो मया श्रुतः' इति मतिस्तु भ्रान्तेऽन्त्यः ।

भेरीशब्दोत्पत्ती भेर्याकाशसंयोगोऽस्मवायिकारणम् । भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम् ।

१५. स्नेह

वस्तु में जो चिकनापन होता है, जिसके कारण विकनी वस्तु के समर्पक से आटे आदि चूर्ण-बस्तुओं का पिण्ड बनता है, वस्तु का वह चिकनापन ही स्नेह है । वह जल मात्र में रहता है । परमाणु में रहने वाला स्नेह नित्य और अन्य जल में रहने वाला स्नेह अनित्य होता है । अनित्य स्नेह अपने आधिक के समवायिकारण में विद्यमान स्नेह से उत्पन्न होता है । इसीलिये अनित्य स्नेह को कारणगुणात्मक गुण माना जाता है । गुरुत्व आदि के समान स्नेह भी यावद्दूषभावी होता है । उसका आधिक द्रव्य जल तक रहता है तब तक वह अपने आधिक में बना रहता है, जब आधिक का नाश होता है तब आधिकनाशरूप कारण से उसका भी नाश होता है ।

१५. शब्द—

ओज से जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है उसे शब्द कहा जाता है । वह आकाश का विशेष गुण है । उठका लक्षण है 'ओजग्राहगुणत्व' । इस लक्षण से 'ओजः' को निकाल देने पर 'ग्राहगुणत्व' मात्र ही शेष होगा और यदि उसने मात्र को ही शब्द का लक्षण माना जायगा तो रूप आदि जितने ग्राह गुण हैं, उनमें उसकी अतिव्याप्ति होगी । इसी प्रकार लक्षण से 'ग्राहः' को निकाल कर यदि 'ओजगुणत्व' मात्र को लक्षण माना जायगा तब ओजगत सख्ता, परिमाण आदि गुणों में अतिव्याप्ति होगी और यदि लक्षण से गुणत्व अश्व को निकाल कर 'ओजग्राहत्व' मात्र को लक्षण माना जायगा तब शब्दगत जाति और शब्दाभाव में अतिव्याप्ति होगी, वयोऽकि 'येन इन्द्रियेण यदौ एषाते रेनैव इन्द्रियेण तद्गता जातिः तदभावश्चापि एषाते—जिस इन्द्रिय से जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है उसी इन्द्रिय से उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ के अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है' इस न्याय के अनुसार शब्दगत जाति और शब्दाभाव

में अविद्यासि होगी, क्योंकि यह दोनों भी शब्द के प्राहक थोत्र से मात्र हैं।

लक्षण में 'प्राज्ञ' का अर्थ 'प्रत्यक्षविषय' न कर' प्रत्यक्षयोग्य' करना होगा, यदि ऐसा न किया जायगा तो जो शब्द थोत्र तक नहीं पहुँच पाता उसमें शब्दलक्षण की अव्यासि होगी, क्योंकि वह थोत्रजन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता। 'प्राज्ञ' शब्द का 'प्रत्यक्षयोग्य' अर्थ करने पर यह दोष न होगा क्योंकि जो शब्द थोत्र तक नहीं पहुँच पाता उसमें भी थोत्र से प्रत्यक्ष होने की योग्यता तो रहती ही है, प्रत्यक्षविषयता तो थोत्र का सन्ति कर्त्ता न होने के कारण नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्यक्ष में विषयेन्द्रिय-सन्निकर्त्ता कारण नहीं होता है।

प्रश्न होता है कि थोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष कैसे होगा? क्योंकि शब्द उस स्थान में उत्तरमन होता है जहाँ भेरी आदि वाच चड़ाये जाते हैं और थोत्र उस स्थान में होता है जहाँ भोता मनुष्य विद्यमान होता है, अत शब्द और थोत्र के दूरवर्ती विभिन्न स्थानों में होने से शब्द के साथ थोत्र का सन्ति कर्त्ता नहीं हो सकता, और सन्ति कर्त्ता के अपाव में प्रत्यक्ष का होना दुघर है।

उत्तर यह है कि यह ठीक है कि शब्द की उत्तरात्त थोत्र से दूर होती है अत शब्द के साथ थोत्र का सन्ति कर्त्ता न हो सकने से थोत्र से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, पर वस्तु इथिंगि यह है कि जो शब्द थोत्र से दूर उत्तरमन होता है और थोत्र से सन्ति-कृष्ट नहीं हो पाता उसका प्रत्यक्ष नहीं ही होता, प्रत्यक्ष तो उस शब्द का होता है जो प्रथम शब्द के उत्तरात्तस्थान से थोत्र तक प्रगाहित होनेवाली शब्द की धारा का धरक हो थोत्र में उत्तरमन होता है। उसकी उत्तरात्त का क्रम इस प्रकार है—

भेरी नाम का बाजा किसी स्थान में रवा है, उसे बजाया गया, उससे उस स्थान म एक शब्द उत्तरमन हुआ, वह शब्द बीचीतरङ्गाय या कदम्बमुकुलन्याय से अपने स्थान से थोड़ा आगे अपने ही समान एक दूसरे शब्द को उत्तरमन करता है, वह दूसरा शब्द अपने स्थान से थोड़ा और आगे अपने ही समान तीसरे शब्द को उत्तरमन करता है। शब्द की उत्तरात्त का यह क्रम मनुष्य के थोत्र तक चल कर समाप्त होता है, इस क्रम से जो शब्द मनुष्य के थोत्र भ उत्तरमन होता है, थोत्र से उसी का प्रत्यक्ष होता है। प्रथम शब्द और मध्यम शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस प्रकार थोत्र से बिंदु शब्द का प्रत्यक्ष होता है वह थोत्र से दूर नहीं होता और जो दूर होता है थोत्र से उसका प्रत्यक्ष दूर नहीं होता। अत थोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष मानने में कोई वादा नहीं हो सकती।

बीचीतरङ्गन्याय और कदम्बमुकुलन्याय से शब्द की उत्तरात्त अभी बतायी गयी है, उनका व्याख्यान आवश्यक है जो इस प्रकार हो सकता है।

एवं वंशोत्पाटनाच्छटाशब्दोरुची वशदलाकाशविभागोऽसमवायिकारणम्। दलद्वयविभागो निमित्तकारणम्। इत्थमाद्यः शब्दः सयोगजो विभागजो वा। अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुकूलवातनिमित्तकारणकाः। योक्तम्—‘सयोगात् विभागात् शब्दाच्च शब्दनिपत्ति’ इति (वै सू. २२ ३१)। आद्यादीना सर्वशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणम्।

बीचातरहृन्याय—

जलाशय में ककड़ फैलने पर उसके चारों ओर एक लहर उठती है, उसे बीची कहा जा सकता है, उस लहर से दूसरी और दूसरी से तीसरी इस प्रकार अनेक लहरें उत्थन होती हैं, इन सभी लहरों को ‘बीचातरहृ’ शब्द से अभिहित किया जाता है। जल में ककड़ डालने पर उठने वाली ये लहरें जैसे ककड़ के खारों ओर उत्तरोत्तर चढ़ती चलती हैं ठीक उसी प्रकार पहला शब्द उत्थन होता है, वह नितने आकाशभाग में उत्थन होता है, उससे उत्थन होने वाला दूसरा शब्द उससे और अधिक आकाशभाग में उत्थन होता है। तीसरा शब्द उससे भी विस्तृत आकाशभाग में उत्थन होता है। शब्द के फैलने का, शब्द के अधिकारिक भाग में उत्थन होने का यह क्रम ‘बीची-तरहृन्याय’ शब्द से प्रदृष्ट होता है।

कदम्बमुकुलन्याय—

कदम्ब का कुबूल जब विकसित होने लगता है तब उसके चारों ओर अनेक पुष्पदलों की एक पक्षि बनती है, पिछर उस पक्षि के चारों ओर भिन्न भिन्न पुष्पदलों की दूसरी पक्षि और दूसरी पक्षि के चारों ओर भिन्न भिन्न पुष्पदलों की तीसरी पक्षि बनती है। इस क्रम से भिन्न भिन्न पुष्पदलों की अनेक पक्षियों का एक पूरा पुष्प विल कर तयार होता है, ठीक इसी प्रकार किसी स्थान में गाजा बजने पर एक शब्द उत्थन होता है, वह शब्द अपनी परिवर्ति के चारों ओर अपने जैसे भिन्न भिन्न शब्द उत्थन करते हैं, ये शब्द भी अपनी परिवर्ति के चारों ओर अपने जैसे भिन्न भिन्न शब्द उत्थन करते हैं, शब्द की उत्थनिति का यह क्रम ‘कदम्बमुकुलन्याय’ शब्द से अभिहित होता है।

उक दोनों न्यायों से शब्द की उत्थनिति मानने में यह स्वष्ट अतर है कि पहले न्याय से जो शब्द उत्थन होता है वह सभी दिशाओं में एक होता है। और दूसरे न्याय से जो शब्द उत्थन होता है वह भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है।

जिस प्रकार मेरी आदि बायों के बचने पर उत्थन होने वाला शब्द-पक्षि तथा उससे उत्थन होने वाले उसके सदृश वे शब्द, जो उसके अन्मश्थल और भोला के बीच के स्थान में उत्थन होते हैं, थोक से असन्नकृष्ट होने के कारण नहीं मुनाई देते। किन्तु उसके द्वारा थोक में उत्थन होने वाला शब्द ही मुनाई पड़ता है। उसी

प्रकार किसी बाँस को फाड़ने पर उसके दोनों खण्डों के विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द तथा उससे उत्पन्न होने वाले बीच के शब्द भी नहीं सुनाई देते किन्तु उससे आरम्भ होने वाली शब्दधारा का जो शब्द श्रोत्र में उत्पन्न होता है उस अन्य शब्द का ही श्रोत्र से प्रवच्छ होता है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि मेरी से दूर खड़े मनुष्य को जो यह प्रतीति होती है कि मैंने मेरी का शब्द सुना? वह भ्रमलय है, क्यों कि जिस शब्द को वह सुनता है वह मेरी से साक्षात् उत्पन्न न होकर उससे उत्पन्न होने वाली शब्दधारा का शब्द शब्द होता है।

मेरी से उत्पन्न होने वाले शब्द का समवायिकारण होता है मेरी से अवच्छिन्न आकाश, असमवायिकारण होता है मेरी-आकाशसंयोग। निमित्तकारण होता है मेरीदण्ड-संयोग-दण्ड से मेरी का अभिषार।

इसी प्रकार बास फाड़ने पर उत्पन्न होने वाले 'चट, चट' शब्द का समवायिकारण होता है बास के दोनों खण्डों से अवच्छिन्न आकाश, असमवायिकारण होता है बास के दोनों खण्डों का आकाश के साथ विभाग और निमित्तकारण होता है बास के दोनों खण्डों का परस्पर विभाग।

इस प्रकार पहला शब्द संयोग अथवा विभागज होता है। अन्य और बीच के सभी शब्दों का असमवायिकारण होता है उनके पूर्व का शब्द और निमित्त कारण होता है अनुकूल वायु।

शब्द के उक्त तीनों असमवायिकारण वैशेषिकदर्शन २, २, ३१ में इस प्रकार कहे गये हैं—

'संयोगाद् विभागाच्छब्दाच्च शब्दनिष्ठता'

संयोग, विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है।

आद्य, मध्यम और अन्य जितने भी शब्द होते हैं उन सबके असमवायिकारण और निमित्तकारण तो भिन्न भिन्न अवश्य होते हैं पर उन सभी का समवायिकारण एक ही होता और वह है आकाश।

प्रश्न हो सकता है कि मेरी आदि से उत्पन्न होने वाले आद्य शब्द का समवायिकारण होता है मेरी आदि से अवच्छिन्न आकाश। मध्यमशब्द का समवायिकारण होता है पूर्वशब्दरूप असमवायिकारण अथवा अनुकूलवायुरूप निमित्त कारण से अवच्छिन्न आकाश तथा अन्य शब्द का समवायिकारण होता है कणशकुली-कान के पूर्व से अवच्छिन्न आकाशरूप श्रोत्र। तो इस प्रकार आद्य, मध्यम और अन्य शब्द के समवायिकारणों की भिन्नता जब स्पष्ट है तब उन सभी शब्दों का एक ही समवायिकारण होता है, यह क्यने कैसे सगत हो सकता है। उच्चर यह है कि उक्त सभी समवायिकारण एक-

कर्मबुद्धिवस्त्रिक्षणावस्थायित्वम् । तत्रादा-मध्यम-शब्दाः कार्यशब्दनाइयाः—
अन्त्यस्तपून्त्येन, चपान्त्यस्तवन्सेन सुन्दोपसुन्दन्यायेन विनाइयते । इदं त्वयुक्तम् ।
उपान्त्येन विक्षणावस्थायिनाऽन्त्यस्त्य द्वितीयक्षणमात्रानुगमिना, उत्तीयक्षणे
चाऽन्तराऽन्त्यनाशजननासंभवात् । तस्मादुपान्त्यनाशादेवान्त्यनाश इति ।

आकाश हूँ ही है, एक से अवच्छिन्न आकाश में अन्य से अवच्छिन्न आकाश का
भौतिक भेद नहीं है, भेद केवल उसके अवच्छेदक भेरी आदि उपाधियों में है, अतः
मेरी आदि से अवच्छिन्न आकाश में जो भेद का व्यवहार होता है वह औपाधिक है ।
भेद से उपर्युक्त होनेवाले सूलभत वस्तु के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । इस लिये
उपर्युक्त सभी प्रकार के गुणों की आकाशरूप एक समवायिकारण से जन्य कहने में कोई
असम्भवति नहीं है ।

यद्य कर्म और बुद्धि के समान विक्षणावस्थायी—तीन लक्षण उहरने वाला है ।

यहों यह बात शातव्य है कि न्यायवैशेषिक के अन्य ग्रन्थों में शब्द तथा अपेक्षादु द्व
से अन्य समस्त जन्य ज्ञान का तीक्ष्ण ज्ञान में नाश मान कर उन्हें ज्ञानद्वयमावस्थायी
कहा गया है और कर्म को उत्तरस्योग से नाश मान कर ज्ञानद्वयमावस्थायी कहा गया
है । किंतु तर्कभाषाकार ने कर्म और बुद्धि को विक्षणावस्थायी बताते हुए उन्हीं के
समान शब्द को भी विक्षणावस्थायी कहा है । इस स्थिति में यह प्रश्न खामोशिक है
कि एवं, कर्म और बुद्धि तीनों को विक्षणावस्थायी बताने में तर्कभाषाकारका क्या
अभिप्राय है ।

इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह ठीक है कि कर्म एवं नाश
उत्तरस्योग से होता है और उत्तरस्योग कर्म के चौथे ज्ञान में उत्पन्न होता है क्योंकि
उसके उत्पन्न होनेवाला कर्म यह है कि पहले ज्ञान में कर्म उत्पन्न होता है । दूसरे ज्ञान में
कर्मयुक्त द्रव्य का पूर्वस्योगी द्रव्य से विभाग होता है । तीसरे ज्ञान में पूर्वस्योग का नाश
होता है । चौथे ज्ञान में कर्मयुक्त द्रव्य का द्रव्यान्तर के साथ स्योग होता है और उसके
अगाले ज्ञान—पांचवें ज्ञान में कर्म का नाश होता है । इस लिये कर्म का चतुर्थज्ञानावस्था-
यित्व स्थृष्ट है । अन् उसे विक्षणावस्थायी कहना असम्भव सा जाव पड़ता है । परं योका
विचार करने से इसमें कोई असम्भवति नहीं प्रतीत होती क्यों कि नाश और नाशक में
सहानवास्थान और वस्थधातुकभावरूप दो प्रकार के विरोध का उल्लेख पढ़ते विद्या जा-
चुश्च है । उक्त विरोधों में कर्म और उत्तरस्योग में यदि पहले प्रकार का ही विरोध
माना जायगा तो उत्तरस्योग के समय कर्म का अवस्थान नहीं होगा । फलत उत्तरस्योग
के उत्पत्तिकाल में ही कर्म का नाश हो जायगा । अतः चौथे ज्ञान में ही नाश हो जाने
से कर्म को विक्षणावस्थायी कहने में तर्कभाषाकार का यही अभिप्राय बताया जा सकता

है कि उन्हें कर्म और उच्चरथयोग में सहानवस्थानरूप विरोध ही मान्य है। वध्यवात्क्रमावलम्ब विरोध मान्य नहीं है।

बुद्धि और शब्द को विद्युत्तावस्थायी कहने में तर्कभाषाकार का यह अभिप्राय प्रतीत हाना है कि बुद्धि और शब्द का उनके नाशक उच्चरत्वती गुण के साथ वध्यवात्क्रमावलम्ब विरोध है, सहानवस्थानरूप विरोध नहीं है, क्योंकि „नमें यदि सहानवस्थानरूप विरोध माना जायगा। तब वे अपने दूसरे लूण भी अवस्थित न हो“ सकेंगे क्योंकि उनके दूसरे लूण ही उनके नाशक विशेष गुण का उदय हो जाता है और उस स्थिति में प्रत्यक्ष में विषय के कार्यसहभावेन कारण होने से दूसरे लूण उनका प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि सहानवस्थानरूप विरोध मानने पर उस लूण में वे विद्यमान न रह सकेंगे। पहले लूण—उनके उत्पत्तिलूण में भी उनका प्रत्यक्ष न होगा क्योंकि विषयेन्द्रियसज्जिरूप कायपूर्वकती होकर प्रत्यक्ष का कारण होता है और वह विषयभूत बुद्धि और शब्द की उत्पत्ति के पूर्व हो नहीं सकता। फलतः बुद्धि और शब्द का उनके नाशक के साथ सहानवस्थानरूप विरोध मानने पर उनका प्रत्यक्ष असम्भव ही जायगा।

यहाँ हो सकती है कि उक्त युक्ति से बुद्धि और शब्द का उनके नाशक के साथ सहानवस्थानरूप विरोध भले न हो, पर वध्यवात्क्रमावलम्ब विरोध मानने में तो उक्त प्रकार की कोई चाघा है नहीं, किंतु उस विरोध को स्वीकार करने पर भी वो उनका तीसरे लूण में ही नाश हो जायगा अतः उन्हें विद्युत्तावस्थायी कहना तो असरगत ही है। इसका समाधान यह है कि बुद्धि और शब्द को विद्युत्तावस्थायी मानना जावश्यक है क्योंकि यदि तीसरे लूण उनकी अवस्थिति न मानी जायगी तो उनका सविकल्पक प्रत्यक्ष न हो सकेगा, क्योंकि सविकल्पक प्रत्यक्ष के उदय का वही काल है और उस समय उनका अस्तित्व है नहीं। किन्तु प्रश्न यह है कि जब उनके नाशक गुण का जन्म दूसरे ही लूण हो जाता है तब तीसरे लूण में उन का नाश अनिवार्य होने से तीसरे लूण उनका अस्तित्व किस प्रकार होगा? विचार करने से इस प्रश्न का यह उत्तर प्रतीत होता है कि नाश के प्रति प्रतियोगी के कारण होने से बुद्धि और शब्द भी अपने नाश के कारण होगे, तो यदि उन्हें अपने नाश का कायपूर्वभावेन कारण मान लिया जाय तो वे अपने नाश के उत्पत्तिलूण में भी रह सकेंगे और इस प्रश्न उनके विद्युत्तावस्थायी होने से तीसरे लूण उनके सविकल्पक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में कोई अद्वन न होगा।

यदि कहें कि प्रतियोगी को अपने नाश के कायपूर्वभावेन कारण मानने पर प्रतियोगी और नाश का सह अवस्थान हो जाने से नाशोदय के उच्चरक्षणों में भी प्रतियोगी का अवस्थान प्रबल होगा, कहतः नाश का जन्म ही निरर्थक हो

ज्ञायगा, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी के नाशक को नायोट्पत्तिक्षण के उत्तर द्वारा में प्रतियोगी के असद्द का सम्पादक मानने से नाश की सार्थकता होने में कोई बाधा न होगी। हाँ, तो बुद्ध और शब्द को त्रिलोकावस्थायी कहने में तर्कभाषाकार का यही अभिग्राय प्रतीत होता है कि बुद्धि और शब्द का उनके नाशक उत्तरवर्ण गुण के साथ वध्यघातकभावलूप विरोध है और वे अपने नाश के स्वयं भी काय-सहभावेन कारण हैं तथा नका उनके नाश के साथ सहानववस्थानरूप विरोध नहीं है किन्तु उत्तरानवस्थानरूप विरोध है, इसलिये वे त्रिलोकावस्थायी हैं।

शब्द का नाश कैसे होता है ?

मेरी आदि ने स्थान से मनुष्य के बान तक जिस शब्दबारा के प्रवाहित होने की बात कही गई है उस घारा में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, आद—जो मेरी ब्रजने पर पहले पहल उत्तर होता है। मध्यम—उनक घारा के प्रथम और अन्तिम शब्द के बीच के शब्द। अन्त्य—श्रोत्र में उत्तर और श्रोत्र से श्रुत होने वाला घारा का अन्तिम शब्द। इन तीन प्रकार के शब्दों में आद्य तथा मध्यम शब्द का नाश उनके कार्यभूत शब्दों से होता है और अन्त्य शब्द का नाश उनके कारणभूत शब्द से होता है। उस कारणभूत शब्द को अन्त्य के अव्यवहित पूर्वचण में उत्तरन होने से समीपवर्ती होने के कारण उपान्त्य कहा जाता है। इन अन्त्य और उपान्त्य शब्दों में सुन्द—उपसुन्द जैसा विरोध है। अतः जैसे सुन्द—उपसुन्द नाम के राक्षस परस्पर विरोधी होने से आपस में लड़कर एक साथ ही नष्ट हो गये उसी प्रकार अन्त्य और उपान्त्य शब्द भी परस्परविरोध।—एक दूसरे का नायक होने से एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं।

अन्त्य और उपान्त्य शब्दों का यह परस्पर नायनायकभाव तर्कभाषाकार को अभिमत नहीं है। उनका कहना है कि उपान्त्य शब्द अधिक से अधिक अन्त्य शब्द के दूसरे द्वारा उत्तर लकड़ता है, तीसरे द्वारा तो कथमपि नहीं रह सकता। अतः वह तीसरे द्वारा द्वारा होने वाले अन्त्य शब्द के नाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस द्वारा जो स्वयं नहीं रहता उस द्वारा में वह किसी कार्य का कारण कैसे हो सकता है। इसलिये यही मानना उचित है कि अन्त्य शब्द का नाश उपान्त्य शब्द से नहीं होता अपि कु उपान्त्य शब्द के नाश से होता है क्योंकि उपान्त्य शब्द का नाश अन्त्य शब्द के दूसरे द्वारा उत्तरन होकर उसके तीसरे द्वारा में भी रहता है अतः उसे तीसरे द्वारा में होने वाले अन्त्यशब्दनाश का कारण मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती।

विनाशित्वं च शब्दस्यानुमानान् । तथा हि अनित्यः शब्दः, सामान्यवर्थे सत्यसमदादिवाहेन्द्रियप्राहृत्याद् घटवदिति । शब्दस्यानित्यत्वं साध्यम् अनित्यत्वं च विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न तु विनाशावच्छिन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेऽनित्यत्वाभावप्रसङ्गात् । सामान्यत्वत्वे सत्यसमदादिवाहेन्द्रियप्राप्त्यत्वं हेतुः । इन्द्रियप्राहृत्यादित्युच्यमान आत्मनि व्यभिचारः स्याद्, अत उक्तं बाह्येति । एवमपि तेनैव योगिवाह्येन्द्रियेण प्राप्त्ये परमाणवादी व्यभिचारः स्याद्, अतो योगिनिरासार्थमुक्तमस्मदादीति ।

मीमांश दर्शन में शब्द को नित्य माना गया है, शब्द के उच्चारण को उत्तर उत्तरादक न मान कर उसका अभिवृक्षक माना गया है । अतः उत्तर मत के खण्डनार्थ अन्यकार ने न्यायमत की दृष्टि से शब्द के अनित्यत्व—विनाशित्व का साधन किया है । उनका आशय है कि शब्द की अनित्यता अनुमान प्रमाण से सिद्ध है अतः उत्तरके नित्यत्व की कहाना असंगत है । शब्द में अनित्यत्व साधक अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है ।

‘शब्द अनित्य है, क्योंकि सामान्य का आधय होते हुये हम जैसे मनुष्यों को बाल्य इन्द्रिय से माला है, जैसे घट’ । इस अनुमान से शब्दरूप पद्म में अनित्यत्व साध्य है । अनित्यत्व का अर्थ है विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्व, जिसके स्वरूप का विनाश हो, वह अनित्य होता है । विनाशावच्छिन्नसत्तायोगित्व को अनित्यत्व का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि उत्तरके अनुसार जो विनाश से अवच्छिन्न और सत्ता से युक्त होगा वह अनित्य होगा और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि प्रागभाव के अनित्यत्व का लोप हो जायगा, क्योंकि वह विनाशावच्छिन्न तो है पर सत्ता से युक्त नहीं है ।

इस अनुमान में हेतु है ‘सामान्यवर्थे सति अध्यमदादिवाहेन्द्रियप्राहृत्य—सामान्य का आधय होते हुये हम जैसे मनुष्यों को वध इन्द्रिय से प्रत्यक्षयोग्य होता । इष्टान्त है घट । इष्टान्त से इष्ट है कि जैसे सामान्य का आधय होते हुये हम जैसे मनुष्यों को बाल्य इन्द्रिय से प्रत्यक्षयोग्य होने के कारण घटा अनित्य है, ठीक उसी प्रभाव शब्द भी शब्दत्व, गुणत्व, सत्त आदि जातियों का आधय तथा हम जैसे मनुष्यों को बाल्य इन्द्रिय—ग्रोव से प्राप्त होने के कारण अनित्य है ।

ठीक हेतु में से यदि बाल्य अथ को निकाल दिया जाय तो आत्मा में हेतु अनित्यत्व का व्यभिचारी हो जायगा, इयोकि आत्मा साक्षान्य का आधय होते हुये हम जैसे मनुष्यों को इन्द्रिय—मन से प्राप्त है । इसी प्रकार हेतु में से यदि ‘अध्यमदादि’ को

किं पुनर्योगिसद्गावे प्रमाणम् ? उच्यते । परमाणवः कस्यचित् प्रत्यक्षाः, प्रमेय-
त्वाद्, घटवदिति । तथापि सामान्यादिना व्यभिचारः, अत उक्तं सामान्यवत्त्वे
सतीति । सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वात् ।

१६. अर्थप्रकाशो बुद्धिः । नित्या, अनित्या च । ऐशी बुद्धिः नित्या, अन्य-
दीया तु अनित्या ।

निकाल दिया जायगा तो परमाणु आदि नित्य पदार्थों में हेतु अनित्यत्व का व्यभिचारी
हो जायगा, क्यों कि वह सामान्य का आश्रय होते हुये योगियों को बाद इन्द्रिय से प्राप्त
होता है ।

स्पष्ट है कि उक्त हेतु में अस्मदादि अर्थ के निवेश की सार्थकता तभी हो सकती है
जब योगी जनों का अस्तित्व हो, अतः उन्होंने के विषय में प्रश्न होता है कि उनके
अस्तित्व में क्या प्रमाण है । उत्तर है कि योगी जनों के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है
और उसका प्रयोग इस प्रकार है—

‘परमाणु विरी पुरुष को प्रत्यक्षप्राप्त है’ क्योंकि वे प्रमेय हैं, जो प्रमेय होता है वह
अवश्य ही किसी पुरुष को प्रत्यक्षप्राप्त होता है जैसे घड़ा’ इस अनुमान से पर-
माणु को प्रत्यक्ष देखने वाले पुरुष की चिदि होती है । तो जो पुरुष परमाणुओं को
प्रत्यक्ष देखता है, जिसमें परमाणुओं के प्रत्यक्षान का उदय होता है वह हम जैसे
साधारण मनुष्यों से विलक्षण कोई योगी ही हो सकता है ।

उक्त हेतु के शरीर से ‘सामान्यवत्त्व’ को निकाल देने पर जो अर्थ वच जाता है,
यदि केवल उतने को ही उक्त अनुमान में हेतु माना जायगा तो सामान्य तथा शब्दध्वस
में हेतु अनित्यत्व—विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वका व्यभिचारी हो जायगा, और जब
‘सामान्यवत्त्व’ अर्थ हेतु के शरीर में रहेगा तब सामान्य आदि में व्यभिचार नहीं
होगा क्योंकि सामान्य, विशेष और समवाय के सामान्यहीन होने के कारण सामान्य में
‘सामान्यवत्त्व’ से घटित हेतु न रहेगा । अत सामान्य आदि में उक्त हेतु अनित्यत्व
का व्यभिचारी न होगा ।

उक्त हेतु के निर्दोष हाने से उसके द्वारा अनुमान प्रमाण से शब्द में अनित्यत्व की
सिद्धि हो जाने से मीमांसकों का शब्दनित्यत्ववाद अनायास ही धराशायी हो जाता है ।

१६ बुद्धि—

बुद्धि आत्मा का एक विशेष गुण है । इसका लक्षण है ‘अर्थविषयक प्रकाश’ । जो
प्रकाश अर्थविषयक हो वह बुद्धि है । इस लक्षण में से ‘प्रकाश’ अर्थ को निकाल देने

१७ प्रीतिः सुखम् । तच्च सर्वात्मनामनुकूलवेदनीयम् ।

१८ पीढा दुःखम् । तच्च सर्वात्मना प्रतिकूलवेदनीयम् ।

१९ राग इच्छा ।

२०. क्रोधो द्वेषः ।

२१ उत्साह प्रयत्नः ।

बुद्ध्यादयः षण् मानसप्रत्यक्षाः ।

पर 'अथो बुद्धि' इतना ही शेष होगा और यदि इतने को ही बुद्धि का लक्षण माना जायगा तो बुद्धि से अंत वस्तुमात्र में अतिव्याप्ति होगी । क्यों कि बुद्धि के समान अन्य सभूर्ण वस्तुयें भी 'अथ' शब्द से संपूर्ण होती हैं । इसी प्रकार यदि 'अर्थ' अशु के लक्षण से निकाल दिया जायगा तब 'प्रकाशो बुद्धि' इतना ही लक्षण का स्वरूप होगा, और उतने मात्र को लक्षण मानने पर प्रदीप आदि के प्रकाश में अतिव्याप्ति होगी । किन्तु जब 'अर्थ' अशु को लक्षण का घटक बनाया जायगा तब 'अर्थविषयक प्रकाशो बुद्धि' यह लक्षण बनेगा, अत प्रदीप आदि के प्रकाश में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्यों कि बुद्धि-रूप प्रकाश ही अर्थविषयक होता है तैजस प्रकाश तो निर्विषयक होता है । 'अर्थविषयणी बुद्धि' को अर्थविषयक ही यह बुद्धि है इतने को भी बुद्धि का लक्षण नहीं माना जा सकता क्यों कि अर्थविषयक इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और सक्तार में अतिव्याप्ति हो जायगी ।

'तक्तप्रह' आदि प्रथो में बुद्धि का एक अन्य लक्षण बताया गया है जो आगातत-उक्त लक्षण की अपेक्षा अधिक दृढ़यत्वर्णी प्रतीत होता है । वह लक्षण है—'तव व्यवहारं ऐतुर्युणो शानम्—सभूर्णं व्यवहार के असाधारणकारणभूत गुण का नाम है शान' । शान बुद्धि का ही नामान्तर है । यह लक्षण अत्यन्त उत्तमुक्त प्रतीत होता है क्यों कि सहार म चितना भी व्यवहार होता है वह किसी न किसी वस्तु क सम्बन्ध में होता है और वह तभी होता है जब व्यवहरणीय वस्तु का शान होता है । वस्तु जब तक शान नहीं होती तब तक उसके सम्बन्ध में व्यवहार का उदय नहीं होता । अतः उक्त लक्षण का उत्तम अध्यन्त रूप है । किन्तु तर्कभाषाकार ने इस प्रकार का लक्षण न कह 'अथप्राप्ता बुद्धि' इस प्रकार का लक्षण किया है । इससे शान होता है कि उनकी दृष्टि म 'तक्तप्रह' म बताये गये लक्षण जैसा लक्षण अवश्य ही किसी दोष से सुकृत है, और यह दो । सम्प्रकृतः यही है कि निर्विद्वरक शान में उक्त लक्षण की अव्याप्ति हो जाता है क्यों कि उक्ते किसी प्रकार के व्यवहार का शानात् उदय नहीं होता ।

यद्यों यह बात विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि साख्य शास्त्र में 'अन्तःकरण' को 'बुद्धि', बुद्धि के 'अर्थाकार परिणाम' को 'ज्ञान' और 'आत्मा में उस ज्ञान के प्रतिविम्ब' को 'उपलब्धिक' कहा गया है। वेदान्त आदि दर्शनों में भी अन्तःकरण को बुद्धि, बुद्धिके अर्थाकार परिणाम को 'धृचिरूप गौण ज्ञान' तथा आत्मा को 'मुख्य ज्ञान' कहा गया है। पर न्याय-वैशेषिक दर्शन को यह सब मत मान्य नहीं है, उसकी दृष्टि में बुद्धिकी आत्मा का एक विशेष गुण है। ज्ञान, वेध, प्रतीति, प्रत्यय, उपलब्धिक आदि उसी के नामान्तर हैं।

बुद्धिके दो भेद हैं-नित्य और अनित्य। इन्श्वर की बुद्धिकी नित्य है। उसका जन्म और विनाश नहीं होता। वह एक और सबविषयक होती है। जीव की बुद्धिकी अनित्य है। स्वस्थ शरीरमें जीव और मन का स्थोग होनेपर अन्य कारणोंके सुनिधानमें जीवमें बुद्धिका उदय होता है और दूसरेक्षण जीवमें उत्पन्न होनेवालेगुणसेतीसरेक्षण उसकानाशहो जाता है। इसकमका अपवाद केवल अपेक्षाबुद्धिके विषयमें माना जाता है, क्योंकि द्वित्वके प्रत्यक्षके अनुरोधसेद्वित्वकेदूसरेक्षणमें उत्पन्न होनेवालेद्वित्वगतसामान्यकेनिर्विकल्पकप्रत्यक्षसेअपनेजन्मसेचैयेक्षणमें उसकेनाशकीउत्पत्तिमानीजाती है।

नैयायिकोंने अनित्यबुद्धिको 'अनुभव' और 'स्मृति' इनदोवर्गोंमें विभक्तकर अनुभवको 'प्रमा' और 'अप्रमा' के दोवर्गोंमेंवाया है और 'स्मृति' को उनका अनुगमितीमानाहै। प्रमाकाउदयगुणसहकृतप्रमाण और अप्रमाकाउदयदोप्रषट्ठकृतप्रमाणसेमानकरभप्रमाणको 'संशय', 'विपर्यय' और 'आहार्य' इनतीनभेणियोंमेंविभाजितकिया है।

संशय—

वैशेषिकोंने बुद्धिके 'विद्या' और 'अविद्या' यहदोभेदबताकर अविद्याको 'संशय', 'विपर्यय', 'अनव्यवराय' और 'स्वप्न' इनचारभेणियोंमेंविभाजितकिया है।

प्रमाकाउदयक्षणपहलेबतायाजाचुका है। प्रमासेभिन्नज्ञानकोअप्रमायाअविद्याकहाजाताहै। उसकेउक्तभेदोंमें 'संशय' उसज्ञानकानामहैजोएक्षर्मीमेंपरस्परविक्षददोधरोंकोग्रहणकरताहै,जैसे'अयस्यागुर्वांवा'इत्याकारकज्ञान। यहज्ञानपुरोक्तीवस्तुमेंपरस्परविरोधीस्थानात्मकऔरस्थानात्मभावकोग्रहणकरनेसे'संशय'है।

विपर्यय—

जोज्ञानकिसीवस्तुकोउससे शृंखलाधर्मीमेंग्रहणकरताहैकिन्तुउसकेअभावकोनहींग्रहणकरताउसे'विपर्यय'कहाजाताहै,जैसेशुक्तिमेंरजतत्वका'इदरजतभू'

सन्मुख प्रयाग में घटित हो रही है। किन्तु स्वप्न की अवस्था में ऐसे ज्ञान के होने में किसी की कोई विमति नहीं है।

स्वराजानिस्तक —

स्वप्न की अवस्था में एक प्रकार का एक शान और होता है जो स्वप्न के पूर्व भाग में उत्पन्न होने वाले शान के विषय में स्वप्न के उत्तर भाग में प्रादुर्भूत होता है, उसे 'स्वप्नान्वित' कहा जाता है, उसका परिगणन अविद्या में न होकर विद्या में किया जाता है क्यों कि वह स्वप्नशान के विषय का यथार्थ ज्ञान होता है।

आहार्य—

विरोधी निश्चय के रहते इच्छा के बल उत्पन्न होने वाले ज्ञान को 'आहार्य' कहा जाता है। जैसे 'हृदोनिर्वह्नि:—जलाशय वहि से शून्य है' इस निश्चय के रहते 'हृदे वहिज्ञान जायनाम्—जलाशय में वहि का ज्ञान हो' इस इच्छा से उत्पन्न होने वाला 'निर्वह्नि: हृदो वहिज्ञान्—वहि से शून्य जलाशय में वहि है' यह ज्ञान। आहार्य ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही होता है। परोक्ष नहीं होता, अतः अनुमिति आदि को न्यायमत में आहार्य नहीं माना जाता।

१७. सुख—

प्रीति का नाम है मुख । उसका लक्षण है 'सर्वेभासनुकूलवेदनीयम्—जिसे सब लोग अनुकूलरूप में ही अनुभव करें, जो सब लोगों को काम्य ही हो' । संसार में मुख ही एक ऐसी वस्तु है जिसे सब लोग अनुकूल ही मानते हैं, जिसकी सब लोगों को कामना ही होती है । न्यायवैशेषिक दर्शन की दृष्टि में यह जीवात्मा का एक विशेष गुण है । उसका उदय धर्म—पुण्य से होता है । वेदान्त आदि कर्तिपय दर्शनों में नियम मुख की भी सत्ता मानी गई है जो न्यायवैशेषिक दर्शन को मान्य नहीं है ।

दुःख —

पीढ़ा का नाम है दुःख। उसका लक्षण है 'सर्वात्मना प्रतिकूलवेदनीयम्—जो सभी पाणियों को प्रतिकूल ही जान पड़े, जो सबके लिये खात्य ही हो'। सहारे में दुःख ही एक ऐसी वस्तु है जिसे सब लोग प्रतिकूल ही समझते हैं, जिसका सब लोग खाग ही करना चाहते हैं।

१८ इच्छा—

राग का नाम है इच्छा। लालशा, कामना, स्पृश, अभिलाष आदि उसी के नामान्तर हैं। इसके दो भेद हैं—निष्ठा और अनिष्ठ। ईश्वर की इच्छा निष्ठ होती है। वह सर्वविषयक और एक होती है। जीव की इच्छा अनिष्ठ होती है। अनिष्ठ इच्छा के

दो भेद होते हैं—फलेच्छा-फल की इच्छा और उपायेच्छा-फल के साधनों की इच्छा। फल की इच्छा फल के स्वरूपज्ञानमात्र से उत्पन्न होती है। फल के भी दो भेद होते हैं—भावात्मक और अभावात्मक। भावात्मक फल है सुख और अभावात्मक फल है दुःख की निवृत्ति। इन दोनों का स्वरूपज्ञान होते ही इनकी इच्छा का उदय होता है। इन दो फलों से भिन्न जितने भी कार्य है वह सब साक्षात् अथवा परम्परया इन फलों के साधन होते हैं। उन साधनों की इच्छा का उदय फलसाधनता के ज्ञान से होता है। इच्छा के अनन्तर इष्टमाण वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। इस प्रयत्न के 'प्रवृत्ति' कहा जाता है। इस प्रवृत्ति के द्वारा इच्छा का यह लक्षण किया जाता है कि 'प्रवृत्ति' के साक्षात् कारण एवं प्रवृत्ति के समानविषयक गुण में रहने वाली गुणत्वव्याप्त जाति का जो आधय हो उसका नाम है 'इच्छा'। उसका सकेतानुसार प्रवृत्ति का साक्षात् कारण एवं प्रवृत्ति का समानविषयक गुण है 'इच्छा', उसमें रहने वाली गुणत्वव्याप्त जाति है 'इच्छात्व'। यह जाति नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की इच्छाओं में रहने तथा इच्छा से अन्य में न रहने से इच्छा का लक्षण है। यहाँ मनुष्य के भोग और मोक्ष का मूल है। जब मनुष्य को विषयों की इच्छा होती है तब वह उनके सप्रद के लिये यत्नशील हो विविध प्रकार के आविष्कारों द्वारा सहार का सवर्धन कर उसमें लिप्त हो दुखी होता है। और जब उसे विषयों की इच्छा न हो कर अपने वास्तव स्वरूप को एवं भगवत्स्वरूप को जानने की इच्छा होती है तब वह सहार के विविध व्यापारों में न पड़ कर आत्माभिमुख और परमात्माभिमुख हो सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। किसी भक्त कवि ने कितना सुन्दर कहा है कि—

प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विगतेषु तेषु शोकः ।

त्रयि इच्छिता नितान्तकान्ते इच्छिवरिणामगुच्छामगोचरोऽसि ॥

जिन विषयों में मनुष्य का राग बढ़ता है, उनका वियोग होने पर वह राग मनुष्य का शोक का मूल बन जाता है। अतः मनुष्य के लिये विषयों में राग न कर परमानन्द रमेश्वर में ही राग स्वरना उचित है, स्यों कि परमेश्वर शाश्वत है, उसका वियोग कभी उभय नहीं है। अतः उसमें किया गया राग कभी शोक का मूल नहीं बन सकता।

२० द्वेष—

कोष का नाम है द्वेष। यह जीव का विरोध गुण है। इसके दो भेद हैं—दुःखद्वेष और दुःखसाधनद्वेष। दुःखद्वेष का उदय दुःख के स्वरूपज्ञान-मात्र से होता है। दुःख-साधनद्वेष दुःखसाधनता से ज्ञान से उत्पन्न होता है।

२१ प्रयत्न—

सरशाह का नाम है प्रयत्न। इसके दो भेद हैं—नित्य और अनित्य। दूरवर का प्रयत्न

२२-२३ धर्मोऽधर्मौ सुखदुःखयोरसाधारणकारणे । ती चाऽप्रत्यक्षावस्था-गमगम्यावनुमानगम्यौ च । तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तविशेषगुणजन्य, कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगदेतुत्वाद्, देवदत्तप्रयत्नजन्यवस्तुवत् । यथा शरीरादिजनक आत्मविशेषगुणः, स एव धर्मोऽधर्मश्च । प्रयत्नादीना शरीराद्य-जनकत्वादिति ।

निम्य है, वह एक और सबविषयक है । अनित्य प्रयत्न के तीन भेद हैं—प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवनयोनि । इनमें प्रवृत्ति' का उदय राग से, निवृत्ति' का उदय द्वेष से और 'जीवनयोनि' का उदय जीवनादृष्ट—प्रार० वर्कमें से होता है । इन प्रयत्नों में पहले के दो प्रयत्न केवल जागरणकाल में होते हैं और उस समय भी कादाचित्क होते हैं, किन्तु तीसरा प्रयत्न अनवरत होता रहता है । जब तक प्राणी के प्रार० वर्कमों का भोग समाप्त नहीं होना तब तक इस प्रयत्न की धारा प्रवाहित होती रहती है । प्रारब्ध कम उस कर्मसमूह—धर्मविमर्शमूह को कहा जाता है जिसके फलभोग के लिये प्राणी को एक शरीर की पासि होती है । उस कर्म का कठभोग जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राणी का उस शरीर में जीवित रहना आवश्यक होता है । जीवन के लिये श्वास-प्रश्वास की गति आवश्यक होती है । अत उसके निर्बाहाथ पूरे जीवन भर इस प्रयत्न का होते रहना अनियाय है ।

चुदिध— नविकल्पक से भिन्न सम्मूण ज य धान, मुख, दुख, इच्छा, दष और प्रयत्न—प्रवृत्ति—निवृत्ति, ये लूँ गुण मानष प्रत्यक्ष के विषय हैं । ये गुण जिस आत्मा में उत्पन्न होते हैं उस इन गुणों का मन इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है ।

२२ २३ धर्म और अधर्म—

'धर्म' का दूसरा नाम है पुण्य या सुकृत और 'अधर्म' का दूसरा नाम है पाप या दुष्कृत । यह दोनों जीव के विशेषगुण हैं । इनमें धर्म का लक्षण है—'सुख का असाधारण-कारणभूत आत्मा का विशेषगुण' और अधर्म का लक्षण है 'दुख का असाधारणकारण भूत आत्मा का विशेषगुण' । यह लक्षण इस मायता पर आवारित है कि प्राणी को जो मुख होता है वह उसके धर्म—पुण्य से होता है और जो दुख होता है वह उसके अधर्म—पाप से होता है । यह दोनों गुण यद्यपि अप्रत्यक्ष हैं तथापि अप्रामाणिक नहीं हैं क्यों कि आगम और अनुमान प्रमाण से सिद्ध हैं । उन्हें चिद्ध करने वाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है—

देवदत्त के शरीर आदि देवदत्त के विशेषगुण से ज्य हैं, क्यों कि वह कार्य होते कुये देवदत्त के भोग—मुख—दुख के साक्षात्कार के साधन हैं, जैसे देवदत्त के यह आदि ।

इस अनुमान में 'देवदत्त का शरीर आदि' पक्ष है। 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व' साध्य है। 'कार्यत्वे सति देवदत्तभोगसाधनत्व' हेतु है। साध्य के शरीर में गुणसामान्य का निवेश न कर विशेष गुण का सन्निवेश किया गया है। यदि ऐसा न किया जाता तो देवदत्त के शरीर में, उसके आरम्भक परमाणुओं के साथ देवदत्त का जो संयोग होता है, तब्बन्यत्व के लिंग रहने से लिंगसाधन हो जाता। कहने का आशय यह है कि शरीरारम्भक परमाणुओं में देवदत्त के संयोग से किया का उदय होने पर परमाणुओं का परस्पर संयोग होता है और उस संयोग से द्वचणुक आदि के क्रम से शरीर का निर्माण होता है। अतः विशेषगुण का प्रवेश न करने पर सिद्धसाधन अनिवार्य है।

या, यो भी कहा जा सकता है कि शरीर के हस्त, पाद आदि अन्यत्रों का निर्माण हो जाने पर उन अवयवों में देवदत्त-आत्मा के संयोग से किया होती है, उस किया से अवयवों का संयोग होने पर शरीर की रचना सम्पन्न होती है, अतः देवदत्त के शरीर में देवदत्त के उक्त संयोगलय गुण की जन्यता सिद्ध है, अतः 'देवदत्तगुणजन्यत्व' का अनुमान करने पर लिंगसाधन की प्रसक्ति होगी, किन्तु जब 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व' का अनुमान किया जायगा तब लिंगसाधन की आपत्ति न होगी, यसों कि देवदत्त के शरीर को देवदत्त के धर्म-अधर्म से जन्य मानने पर ही उसमें 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व' सम्भव है और वह उक्त अनुमान के पूर्व असिद्ध है।

हेतु में यदि 'कार्यत्व' का निवेश न होगा तो 'देवदत्तभोगसाधनत्व' देवदत्त के मन और आत्मा में देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व का व्यभिचारी हो जायगा। यदि हेतु में देवदत्त का प्रवेश न कर केवल 'कार्यत्वे सति भोगसाधनत्व' को हेतु माना जायगा तो देवदत्त के भोग का साधन न होकर यज्ञदत्त के भोग का साधन करने वाले यज्ञदत्त के शरीर में उक्त हेतु 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्व' का व्यभिचारी हो जायगा, अंतः हेतु को उक्त रूर में ही रखना अनिवार्य है।

इस अनुमान से देवदत्त के शरीर में देवदत्त के विष विशेषगुण का जन्यत्व सिद्ध होता है वह धर्म-अधर्म से भिन्न नहीं हो सकता, यसों कि धर्म-अधर्म से अन्य प्रयत्न आदि कोई भी विशेष गुण शरीर-रचना के पूर्व विद्यमान नहीं होता।

धर्म-अधर्म के लोक आगम का उल्लेख प्रम्याधार ने नहीं किया है। इसके दो कारण हैं एक तो यदि कि उन्हें बताने वाले आगम के वचन अनेक हैं, उनमें किसी का उल्लेख करना और किसी का न करना उचित नहीं है और उन का उल्लेख करना सम्भव नहीं है। दूसरा कारण यह है कि आगम अनुमान-निरपेक्ष होकर धर्म-अधर्म का योग नहीं कर सकते, यसों कि वे धर्म-अधर्म का नामतः प्रतिपादन न कर किसी कर्म का विपान और किसी कर्म का नियेष करते हैं। विष कर्म का आगम में विचार

२५. संस्कारव्यवहारासाधारणकारणं संस्कारः । संस्कारसिद्धिविधो वेगो,
भावना, स्थितिश्चापकश्च । तत्र वेगः पृथिव्याद्विचतुष्टयमनोपृच्छिः । स च
कियाहेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आत्ममात्रशुचिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः । स
चोदयुद्ध एव स्मृतिं जनयति । उद्बोधश्च सहकारिताय । सहकारिणश्च संस्कारस्य
सदृशदर्शनादयः । यथोक्तम् । 'सादृश्याद्विचिन्ताद्याः स्मृतिवीजस्य वोधकाः'
इति । स्थितिश्चापकश्चतु र्प श्वर्वद्वद्वद्वयविषेपत्रुचिः । अन्यथाभूतस्य स्वाश्रयस्य
पतुरादेः पुनर्स्वादवस्थ्यापादकः ।

ऐसे च बुद्ध्यादयोऽधर्मान्ता भावना च आत्मविशेषणगुणाः । गुणा चक्षाः ।
है वह कालान्तर में इस कठ का सम्शदन करता है और विस कर्म का आगम में
निषेद्ध है वह कालान्तर में अनिष्ट कठ का सम्पादन करता है । कालान्तर में होने वाले
इस-अनिष्ट कठों के पूर्व विहित और निपिद्ध कर्म स्वरूपत नहीं रहते, अतः उनके व्यापार
की कल्पना की जाती है । विहित कर्म के व्यापार को 'धर्म' तथा निपिद्ध कर्म के व्यापार
को 'अधर्म' कहा जाता है । व्यापार की यह कल्पना अनुमान से सम्पादित होती है ।
अतः स्पष्ट है कि आगम से धर्म-अधर्म का वोष सीधे न होकर अनुमान के माध्यम से
होता है । अतः उनके अवित्तत की प्रमाणित करने के लिये आगम का उल्लेख न कर
अनुमान का उल्लेख किया गया, निष्टु अनुमान के माध्यम से आगम भी उनकी सिद्धि
का सम्पादक होता है अतः उनकी आग्रहणमयता का निर्देश कर दिया गया ।

२६ संस्कार—

संस्कार का लक्षण है 'संस्कारव्यवहार का असाधारणकारण' । इसका अर्थ यह है कि—
‘जो व्यवहार संस्कारमूलक है उनके असाधारण कारण को संस्कार कहा जाता है’ । जैसे
पूर्वानुभूत विषय की कालान्तर में जो शान्तिक चर्चा होती है, निश्चय ही वह उस
विषय के संस्कार के ही कारण होती है, क्योंकि जिस वस्तु के अनुभव से उसके विषय
में किसी प्रकार के संकार का उदय नहीं होता, कालान्तर में उसके दबावन्ध में कुछ उद्धा
ड़ना नहीं जाता ।

अथवा 'संस्कारव्यवहारासाधारणकारण' की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती
है—जो 'संस्कार' इस व्यवहार को—'संस्कार' शब्द के प्रयोग का असाधारणकारण
होता है वह 'संस्कार' है । इसका अधिकार्य यह है कि संस्कार में नितने भी शब्द प्रयुक्त
होते हैं वह उद्ध किंवी अर्थ के बोधनार्थ प्रयुक्त होते हैं । ऐसा कोई शब्द नहीं होता
किसका कुछ अर्थ न हो । और जो जिस शब्द का अर्थ होता है वह उस शब्द के

व्यवहार का असाधारणकारण होता है। इस नियम के अनुसार 'संस्कार' शब्द का कुछ अर्थ होना और उस अर्थ का उसके व्यवहार का असाधारण कारण होना अनिवार्य है। इस प्रकार 'संस्कार' इस व्यवहार का असाधारणकारणभूत जो संस्कारशब्द का अर्थ है उसका नाम है 'संस्कार'।

संस्कार के तीन भेद हैं—वेग, भावना और विधिस्थापक। उनमें 'विग' पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। वह इन द्रव्यों में क्रिया का जनक होता है।

'भावना' नामक संस्कार केवल आत्मा-मात्र में रहता है। वह अनुभव से उत्पन्न होता है और स्मृति का उत्पादक होता है। वह जब उद्बुद्ध होता है तभी उससे स्मृति का उदय होता है। संस्कार के उद्बुद्ध होने का अर्थ है संस्कार को सहकारी का सन्निधान। उसके सहकारी होते हैं 'सहशरीर्यन' आदि। जैसा कि कहा गया है—

साहश्र, अहृष्ट, चिन्ता आदि स्मृति के इनक संस्कार के उद्गोषक—सहकारी होते हैं।

आशय यह है कि पूर्वानुभव से जिस वस्तु का संस्कार उत्पन्न हो आत्मा में सुप्रवृत् पड़ा रहता है। उस वस्तु के सहश्र किसी अन्य वस्तु का जब दर्शन होता है तब इस सहश्रदर्शनरूप सहकारी का सन्निधान प्राप्त होने से उक्त संस्कार से उस वस्तु की स्मृति होती है।

मनुष्य को पूर्व जन्म के अनुभव से स्तन्यपान में इष्टाधनता का संस्कार पहले से ही रहता है। नये जन्म में शिशु होकर जब वह उत्पन्न होता है तब अहृष्टरूप सहकारी के सहयोग से उसे उस संस्कार से स्तन्यपान में इष्टाधनता की स्मृति होती है।

विद्यार्थी पाठ्यपद्धति का अध्याप कर पाठ्य विषय के संस्कार से सम्पन्न हो जब परीक्षा में प्रविष्ट होता है तब अचीत विषयों के चिन्तनरूप सहकारी के सहयोग से उस संस्कार से उसे अचीत विषयों की स्मृति होती है।

'विधिस्थापक' संस्कार दर्शन के आधयभूत विशेषद्रव्यों में रहता है। यह प्रत्युष आदि विष आधय में रहता है वह आधय लौचने के कारण कुछ देर के लिये यदि किसी धन्य प्रकार की विधि में हा जाता है तो यह संस्कार उसे उसकी पूर्ण विधि में पुनः पहुँचा देता है।

पुर्दि से लेकर अद्यमंस्यन्त और भावना अर्थात् पुर्दि, मुख, दुःख, इष्टा, देप, प्रयत्न, घर्म, अधर्म और भावनानामक संस्कार, ये नव आत्मा—जीवात्मा के विशेष गुण हैं।

गुण का निरूपण पूर्व पुर्मा।

अद्य कमं का निरूपण किया जाएगा।

३. कर्माणि सच्यन्ते । चलनात्मकं कर्म । गुण इव द्रव्यमात्रवृत्तिः । अविन-
भुद्रव्यपरिमाणेन मूर्तस्वापरनाम्ना सहैकार्यसमवेत्, विभागद्वारा पूर्वसंयोगनाशे,
सत्युत्तरदेशसंयोगदेतुश्च । तच्च उत्क्षेपण-अपक्षेपण-आकुञ्जन-प्रसारण-गमन-
भेदात् पञ्चविधम् । भ्रमणादयस्तु गमनप्रहणेनैव गृह्णन्ते ।

४. अनुवृत्तिप्रत्ययदेतुः सामान्यम् । द्रव्यादित्रयवृत्तिः । नित्यम्, एकम्,
अनेकानुगतं च । तच्च द्विविधं परमपरं च । परं सत्ता वहुविपयत्वात् । सा
चाऽनुवृत्तिप्रत्ययमात्रहेतुत्वात् सामान्यमात्रम् । अपरं द्रव्यत्वादि, अल्पविष-
यत्वात् । तच्च व्यावृत्तरपि हेतुत्वात् सामान्य सदृ विशेषः ।

कर्म—

चलने का नाम है 'कर्म' । वह गुण के समान द्रव्यमात्र में रहता है, विभुमिन्न
द्रव्य के 'मूर्तस्व' परिमाण के साथ एक अर्थ में समवेत होता है । अर्थात् विभु द्रव्यों में
उत्थन न होकर मूर्त द्रव्यों में उत्थन होता है । वह जिस द्रव्य में उत्थन होता है
उसे पूर्वस्थान से विभक्त एव उसके साथ विद्यमान उक्तके पूर्वसंयोग को नष्ट कर दूसरे
स्थान के साथ उसे सघुक करता है ।

कर्म के पाच मेद हैं (१) उत्क्षेपण—अपने आधय द्रव्य को ऊपर की ओर ले
जाने वाली किया, (२) अपक्षेपण—अपने आधय को नीचे की ओर ले जाने वाली
किया । (३) आकुञ्जन—अपने आधय को संकुचित करने वाली किया । (४)
प्रसारण—अपने आधय को फैलाने वाली किया और गमन—साधारण ढग का चलन ।
भ्रमण, रेचन, स्थन्दन, कार्यज्ञवलन और तिर्यगमन पाचवें ५ में 'गमन' में ही अन्तर्भूत
हो जाते हैं । अतः उन सबों को मिला कर 'कर्म' को दशविध नहीं कहा जा सकता ।

सामान्य—

अनुवृत्तिप्रत्यय—अनुग्रह प्रतीति-एकाकार त्रुटि के कारण का नाम है 'सामान्य' ।
सामान्य का अर्थ है—समानानी भाव—सदृश पदार्थों में—एक ढग की वस्तुओं में रहने
वाला एक धर्म । जैसे सैकड़ों घट में रहने वाला घटत्व-धर्म । सैकड़ों घटों में 'अय घटः—
यद घटः है', 'अय घटः—यद घटः है' इस प्रकार को प्रतीति और उन प्रतीतियों की एक-
कारता प्रायः सर्वसम्मत है । यह एकाकारता धर्मी—घट को लेकर सम्भव नहीं है क्यों
कि उन प्रतीतियों का धर्मी एक नहीं है । अतः यह यात निश्चित रूप से कही जा सकती
है कि प्रतीतियों की यह एकाकारता धर्म को लेकर है । घट के अनेक होने पर भी
उनमें घटत्वरूप एक धर्म के होने के कारण अनेक घटों की एकाकार प्रतीति होने में
कोई वाचा नहीं होती है ।

सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में रहता है। उसका दूसरा लक्षण है 'नित्यत्वे एकत्रे च सति अनेकानुगतत्व'। इसके अनुसार सामान्य नित्य, एक और अनेकशृंचि होता है। उसके दो मेद हैं—पर और अपर। 'सत्ता' सति पर है क्यों कि वह बहुविषयक है, उसके आश्रय बहुत है। वह अनुगताकार प्रतीतिमात्र का ही कारण होने से सामान्यमात्र है। द्रव्यत्व आदि जातियों अपर है क्यों कि वे अल्पविषयक हैं। उनके आश्रय सच्चा के आश्रयों की अपेक्षा अल्प है। वह व्याख्यात्ति—मेदबुद्धि का भी कारण होने से सामान्य होते हुये विशेषरूप भी है। अतः उन्हें केवल सामान्य अथवा केवल विशेष न कह कर 'सामान्यविशेष' शब्द से अथवा 'परापर' शब्द से अभिहित किया जाता है। सामान्य का नामान्तर है 'जाति'। जातिको तीन भेणियों में वौद्य जा सकता है। पर, अपर, परापर, अथवा सामान्य, विशेष, सामान्यविशेष जौ जाति किसी जाति की अपेक्षा व्याप्त—न्यूनशृंचि नहीं होती उसे 'पर' कहा जाता है, जैसे 'सत्ता' जाति किसी जाति की अपेक्षा व्यापक—अधिकशृंचि नहीं होती उसे 'अपर' कहा जाता है, जैसे घटत्व, परापर आदि जातिया किसी जाति की अपेक्षा व्यापक न होने से 'अपर' है। जो जाति किसी जाति का व्याप्त और किसी जाति का व्यापक होती है उसे 'परापर' कहा जाता है, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व आदि जातिया सच्चा जाति का व्याप्त तथा पृष्ठीत्व, रूपाप्त आदि जातियों का व्यापक होने से 'परापर' है। 'पर' जाति को अनुगत प्रतीतिमात्र का साधक होने से 'विशेष' और 'परापर' जाति को अनुगत प्रतीति और मेदबुद्धि दोनों का साधक होने से 'सामान्यविशेष' कहा जाता है।

जाति की चिह्निं चार रूपों में होती है। (१) अनुगत प्रतीति के नियामकरूप में तथा (२) कारणता, (३) कायता अथवा (४) वाच्यता के अवच्छेदकरूप में। किन्तु उक रूप में चिह्न होने काले धर्म को जानि मानने में यदि कोई साधक होता है तो उक रूप में चिह्न होने पर भी उन्हें जाति नहीं माना जाता।

जातियापठ—

जाति के साधक क्य है, जैसे—

स्वर्त्तेरभद्रमुल्यत्वं उक्तयानविद्यतिः ।

स्वदानिरस्तुप्तो जातिवाप्तस्त्रप्तः ॥

(१) यकि का भमद—भाष्य की एकता। यिष्य पर्य का भाष्य पवल एक ही व्यक्त होता है उस जाति नहीं माना जाता, जैसे भाषात्वत्व को एक यकि भाषायमात्र में भाषित होने से जाति नहीं माना जाता।

(२) त्रुत्यत्व—समनियतत्व—दो धर्मों का समनियत होना। यह जातिभेद का बाष्पक होता है। इसके अनुसार जो दो धर्म समनियत होते हैं उन्हें भिन्न दो जाति के रूप में खीझत नहीं किया जाता, जैसे घटत्व और कलशत्व धर्म समनियत हैं क्योंकि ये घट है वही कलश है और जो कलश है वही घट है, यह दोनों धर्म परस्पर समनियत होने के कारण परस्पर भिन्न दो जाति नहीं माने जाते। इसका तात्पर्य यह है कि घटत्व और कलशत्व इन दो शब्दों से परस्पर भिन्न दो जाति का बोध नहीं होता किन्तु दोनों शब्दों से एक ही जाति का बोध होता है। उस एक जाति को चाहे 'घटत्व' कह लिया जाय और चाहे 'कलशत्व' कह लिया जाय।

(३) सकर—एक दूसरे के अभाव के साथ रहने वाले दो धर्मों का किसी एक आश्रय में रहने को 'सकर' कहा जाता है।

यह सकर जिन धर्मों में होता है उन्हें जाति नहीं माना जाता, जैसे भूतत्व 'आकाश' में मूर्त्याभाव के साथ और भूतत्व 'मन' में भूतत्वाभाव के साथ रहता है, यह दोनों एक दूसरे के अभाव के साथ रहने वाले धर्म हैं और वह दोनों पृथिवी आदि चार द्रव्यों में एक साथ भी रहते हैं, इसलिये सकरगत होने से उन्हें जाति नहीं माना जाता।

(४) अनवस्था—अनवस्था का अर्थ है अवस्था—कल्पना की अवधि का अभाव—कल्पना का आनन्द। यह जाति को जाति का आश्रय मानने में बाष्पक है। जैसे 'घटत्व जाति', 'पटत्व जाति', 'मठत्व जाति' इन अनुगताकार प्रतीतियों के अनुरोध से घटत्व आदि जातियों को 'जातित्व' नाम की जाति का आश्रय नहीं माना जाता, क्योंकि उक्त अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध से घटत्व आदि जातियों में यदि 'जातित्व' नाम की जाति की कल्पना की जायगी तो 'घटत्व जाति' आदि प्रतीतियों के समान 'जातित्व जाति'। इस प्रतीति के अनुरोध से 'जातित्व' नामक एक और ऐसी जाति की कल्पना करनी होगी जो पटत्व, पटत्व, जातित्व आदि समस्त जातियों में रहे। इस द्वितीय 'जातित्व' नामक जाति का अस्तित्व मान सके पर भी इस कल्पना का अन्त न होगा, क्योंकि इस द्वितीय 'जातित्व' नामक जाति में भी 'जातित्व' यह प्रतीति होगी, अतः उसी उपपत्ति के लिये इस जातित्व में भी 'जातित्व' नामक तीसरी जाति की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार जाति को जाति का आश्रय मानने में 'जातित्व' नामक अनन्त जातियों की कल्पना करने का एक लकड़ लगा होगा, अतः इस अनवस्था के कारण जाति को जाति का आश्रय नहीं माना जा सकता।

(५) रूपहानि—रूपहानि का अर्थ है खरूपहानि या लक्षणहानि। यह विशेष पदार्थ की जाति का आश्रय मानने में बाष्पक है, क्योंकि विशेष पदार्थ में यदि 'विशेषत्व' नामक

जाति या अन्य कोई जाति मान ली जायगी तो उसके 'स्वतोव्याहृत्तत्व-स्वतोभित्तत्वरूप' लक्षण की हानि हो जायगी, क्यों कि कोई भी जातिमान् पदार्थ स्वतोव्याहृत्त नहीं होता। आशय यह है कि अवयवों के भेद से अवयवी द्रव्यों का भेद चलाते हुये जब ऐसे अवयवी पर पहुँचा जाता है जिनमें न कोई अवयव होता और न जातिकृत भेद होता, जैसे पृथिवी के परमाणु, तब उन परमाणुभूत अवयवों के विषय में प्रश्न उठता है कि उन्हें एक दूसरे से भिन्न कैसे समझा जाय? इस प्रश्न के समाधानार्थ उन परमाणुओं में 'विशेष' नामक अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना की जाती है। एक परमाणु में रहने वाला विशेष दूसरे परमाणु में नहीं रहता, अतः प्रत्येक परमाणु स्वगत विशेष के द्वारा अन्य परमाणु से भिन्न समझा जाता है। पुनः प्रश्न होता है कि विशेष पदार्थ द्वारा परमाणुओं के परस्पर भेद की सिद्ध तभी हो सकती है जब एक परमाणु में रहने वाला विशेष दूसरे परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न हो, पर परमाणुगत विशेषों की परस्परभिन्नता की सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, अतः विशेषद्वारा भी परमाणुओं के परस्पर भेद का साधन केसे होगा? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना की गई है कि विशेष पदार्थ स्वतोव्याहृत्त है, एक विशेष को दूसरे विशेष से भिन्न सिद्ध करनेके लिये किसी अतिरिक्त भेदक की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रमाण से विशेष की सिद्ध होती है उसीसे उनका परस्पर भेद भी सिद्ध हो जाता है, क्यों कि उनकी भिन्नता के लिये भी यदि अन्य भेदक की आवश्यकता मानी जायगी तो भेदक की कल्पना में अनवर्त्य होगी। इस प्रकार विशेष पदार्थ को स्वतोव्याहृत्त माना जाता है। अब यदि उसमें 'विशेषत्व' जाति या कोई अन्य जात मानी जायगी तब उसके स्वतोव्याहृत्तत्व की हानि हो जायगी क्यों कि किसी भी जातिमान् पदार्थ को 'स्वतोव्याहृत्त' नहीं माना जाता। अतः स्वतोव्याहृत्तत्वरूप लक्षण की हानि के भय से विशेष पदार्थ को जाति का आधय नहीं माना जा सकता।

(६) असम्बन्ध—असम्बन्ध का अर्थ है सम्बन्ध का—समवाय का अभाव। यह अभाव पदार्थ को जाति का अभ्यव मानने में बाधक है। तात्पर्य यह है कि अभाव में कोई पदार्थ स वाय सम्बन्ध से नहीं रहता और न अभाव स्वयं ही कही समवाय सम्बन्ध से रहता, भले अभाव अनुयोगी या प्रतियोगी किसी भी स्पर में समवाय का आभय नहीं है। यदि कोई पदार्थ समवाय सम्बन्ध से अभाव में रहता तो अभाव समवाय सम्बन्ध का अनुयोगी होता, क्यों कि यो जिस सम्बन्ध से किसी का आभय होता है वह उस सम्बन्ध का अनुयोगी होता है, और जब अभाव समवाय का अनुयोगी होता हो तो समवाय का आभय होता। इसी प्रकार अभाव स्वयं समवाय सम्बन्ध से यदि कही रहता तो समवाय का प्रतियोगी होता, क्यों कि यो जिस सम्बन्ध से रहता है वह उस सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है, और उस रिपति में अभाव प्रतियोगी होने के बावें समवाय का आभय होता, पर यह दोनों बावें नहीं है, न को-

अमाव समवाय सम्बन्ध से स्वयं कहीं रहता और न अन्य कोई पदार्थ समवाय सम्बन्ध से दसी में रहता। अतः अमाव प्रतियोगी या अनुयोगी, किसी भी रूप में समवाय का आशय नहीं है, उसमें समवाय सम्बन्ध का अमाव है। अब यदि उसमें 'अभावत्व' जाति या अन्य कोई जाति मानी जायगी तो उसके लिए अमाव में समवाय सम्बन्ध की भूतन कल्पना करनी होगी, अतः लाघवात् यही उचित है कि उसमें जाति की कल्पना ने की जाय। इस पक्षार 'असम्बन्ध—समवाय सम्बन्ध का अमाव' अमावपदार्थ को जाति का आशय मानने में चाहक है।

ऊपर द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन पदार्थों में आश्रित बता कर 'सत्ता' को परजाति कहा गया है। इस पर प्रश्न यह होता है कि सत्ता 'इद सत्, इद उत्' इष्ट प्रकार की अनुगताकार प्रतीतियों के अनुरोध से सिद्ध होती है, अतः उक्त प्रकार की प्रतीति जहाँ जहाँ होती है वहाँ सर्वत्र उसका रहना आवश्यक है। तो 'इद उत्' यह प्रतीति जैसे द्रव्य आदि पदार्थों में होती है उसी प्रकार वह प्रतीति सामान्य, विशेष और समवाय में भी होती है। इस लिये उक्त प्रतीति के द्वारा सिद्ध होने वाली 'सत्ता' का सामान्य आदि पदार्थों में भी रहना अनिवार्य है। तो फिर उसे द्रव्य, गुण और कर्म में ही आश्रित बताना असंगत क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि सत्ता जाति की कल्पना 'इद सत्, इद उत्' इस अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध से नहीं की जाती किन्तु जन्य भाव में उसके ध्वसनर कार्य की जो कारणता है उसके अवच्छेदकरूप में की जाती है। कहने का आशय यह है कि जन्यभाव का ध्वस प्रतियोगिता सम्बन्ध से न तो अभाव में उत्तरन्न होता और न अजन्य भाव में उत्पन्न होता किन्तु जन्यभावमात्र में ही उत्पन्न होता है। अतः प्रतियोगिता सम्बन्ध से जन्यभावचर के प्रति अपवा जन्यभावनिष्ठ प्रतियोगिता सम्बन्ध से ध्वस के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यभाव को कारण माना जाता है। जन्यभाव का अर्थ है कालिक, सन्नवाय इस उभय सम्बन्ध से सत्तावान्। इस कार्य-कारणभाव के अनुसार जन्यभाव में ध्वस की जो उक्त कारणता है उसका कोई न कोई अवच्छेदक मानना आवश्यक है। यह अवच्छेदक वही हो सकता है जो अभाव में तथा नित्यभाव में न रहे। विचार करने पर यही बात समझ में आती है कि उक्त कारणता का अवच्छेदक कालिक और सन्नवाय, इस उभय सम्बन्ध से सत्ता जाति ही हो सकती है। केवल कालिक सम्बन्ध से उसे उक्त ध्वसकारणता का अवच्छेदक नहीं माना जा सकता, क्यों कि कालिक सम्बन्ध से सत्ता ध्वस और प्रागभाव में भी रहती है पर उक्त कारणता उनमें नहीं रहती। केवल समवाय सम्बन्ध से भी सत्ता को उक्त कारणता का अवच्छेदक नहीं माना जा सकता, क्यों कि समवाय सम्बन्ध से उच्चा नित्य भाव पदार्थों में भी रहती है पर उक्त कारणता उनमें नहीं रहती। और नियम यह है कि जो अव-

स्वेद के सम्पूर्ण आधयों में रहे तथा अवच्छेद से शून्य आधय में न रहे वही अवच्छेदक होता है।

यदि यह कहा जाय कि सत्ता को समवाय सम्बन्ध से केवल जन्यभाव में ही आश्रित मान लिया जाय, नित्यभाव में आश्रित न माना जाय, अतः केवल समवाय सम्बन्ध से भी उसे उक्त कारणता का अवच्छेदक मानने में कोई वाक्षा न होगी। तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ता को जन्यभावमात्र में आश्रित मानने पर द्रव्यत्व आदि के साथ सार्क्य हो जायगा, जैसे द्रव्यत्व है नित्य द्रव्य में उसमें सत्ता नहीं है एवं सत्ता है जन्य गुण में उसमें द्रव्यत्व नहीं है और द्रव्यत्व तथा सत्ता दोनों हैं जन्य द्रव्य में। फलत्, सत्ता को जन्यभावमात्र में आश्रित मानने पर उसके जातित्व का भङ्ग हो जायगा।

हाँ, तो सत्ता को जब 'इद सत्, इद सत्' इस अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध से सिद्ध न मान ध्वस की उक्त कारणता के अवच्छेदकरूप में सिद्ध माना जायगा तब सामान्य आदि में उसका अस्तित्व क्योंकि सामान्य आदि में जब उक्त कारणता नहीं रहती तो उसमें उसका अवच्छेदक भी नहीं रह सकता। यदि कहें कि जैसे नित्य भाव में उक्त कारणता के न रहने पर भी सत्ता मानी जाती है उसी प्रकार सामान्य आदि में भी उसे मानने में कोई वाक्षा नहीं है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जन्यभाव मात्र में उसे मानने पर सार्क्य से उसके जातित्वभङ्ग की आवश्यिता होती है अतः उसे नित्य भाव में भी आश्रित माना जाता है और अतिप्रसक्ति के नियामकरूप केवल समवाय सम्बन्ध से उसे अवच्छेदक न मान समवाय, कालिक, उभय सम्बन्ध से अवच्छेदक माना जाता है, पर सामान्य आदि में उसका अस्तित्व मानने में कोई युक्ति नहीं है, अतः उसे द्रव्य आदि तीन पदार्थों में ही आश्रित कहा गया है।

प्रश्न हो सकता है कि जन्यभाव के ध्वस की उक्त कारणता के अवच्छेदकरूप में सिद्ध होने वाली 'सत्ता' सामान्य आदि पदार्थों में भले न रहे, पर 'इद सत्, इद सत्' इस अनुगताकार प्रतीति के नियामकरूप में सिद्ध होने वाली 'सत्ता' का सामान्य आदि में रहना आवश्यक है क्योंकि द्रव्य आदि में सदाकार प्रतीति के समान 'सामान्य सत्, विशेषः सत्, समवायः सत्' इस रूप में सामान्य आदि में भी सदाकार प्रतीति का होना स्वरूपमत है। अतः उसकी उपर्युक्ति के लिये उनमें भी सत्ता का अस्तुपगम अनिवार्य है, तो द्रव्यादित्व में रहने वाली सत्ता के साथ द्रव्यादि छुपदार्थों में रहने वाली सत्ता की चर्चा क्यों नहीं की गई? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि द्रव्यादित्व में रहने वाली सत्ता को ही 'समवाय, स्वसमवायिसमवाय' अन्यतर सम्बन्ध से सदाकार प्रतीति का लियापर्युक्त भाव से उपर्युक्ति क्योंकि उक्त सत्ता समवाय सम्बन्ध से वैसे द्रव्यादित्व में रहती है उसी

अत्र कश्चिदाद—‘व्यक्तिव्यतिरिक्त’ सामान्यं नास्ति’ इति । तत्र वयं प्रूपम् । किमालम्बना तर्हि भिन्नेषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्धिः विना सर्वानुगतमेकम् । यत्च वदालम्बनं तदेव सामान्यमिति ।

ननु तस्यातदूच्यावृत्तिकृतैवेकाकारा बुद्धिरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव हि गोपिण्डेषु अगोभ्योऽश्वादिभ्यो व्यावृत्तिरस्ति । तेनाऽगोऽश्वावृत्तिविषय एवा-उत्यमेकाकारः प्रत्ययोऽनेकेषु, न तु ^{प्राप्ति} विधिरूपगोत्वसामान्यविषयः । मैवम् । विधिमुखेनैवेकाकारस्फुरणात् ।

प्रकार स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध से वही सत्ता सामान्यादित्रय में भी रहती है, जैसे ‘स्व’ का अर्थ है द्रव्यादित्रय में रहने वाली सत्ता, उसका समवायी-समवाय सम्बन्ध से आश्रप है द्रव्यादित्रय, उनमें नित्य द्रव्य का समवाय है विशेष में, और तीनों का समवाय है सामान्य और समवाय में ।

यदि यह यहाँ की जाय कि सामान्य और विशेष में स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध से सत्ता का रहना तो ठीक है क्योंकि सत्ता के समवायी द्रव्य के साथ उन दोनों का समवाय सम्बन्ध होता है, पर समवाय में उक्त सम्बन्ध से सत्ता का रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि सत्ता के समवायी द्रव्यादित्रय के साथ समवाय का समवाय सम्बन्ध नहीं होता । अतः उक्तरीति से द्रव्यादित्रयवृत्ति सत्ता से समवाय में सदाकार प्रतीति का निर्वाद असम्भव है, तो इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि सत्ता के समवायी के साथ समवाय का जो स्वरूप सम्बन्ध है वही समवाय के साथ सत्ता का स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध है, क्योंकि समवाय का स्वरूप समवाय से भिन्न न होकर समवायात्मक ही होता है । अतः समवायगत ‘स्वसमवायिस्वरूप’ को ‘स्वसमवायिसमवाय’ शब्द से व्यवहृत करने में कोई चाधा नहीं हो सकती । उक्त प्रकार से द्रव्यादित्रय में रहने वाली सत्ता से ही जब द्रव्यादि छात्रों में सदाकार प्रतीति की उपरचि हो सकती है तब उनमें द्रव्यादित्रय में रहने वाली सत्ता से भिन्न उत्ता को कल्पना नितान्त निराधार है । अतः स्पष्ट है कि द्रव्यादित्रयवृत्ति सत्ता के साथ द्रव्यादि छः पदार्थों में रहने वाली सत्ता की चर्चा केवल इसी कारण नहीं की गई कि उसके अस्तित्व में कोई प्रगाण नहीं है ।

इस सम्बन्ध में एक दार्शनिक सम्प्रदाय—बौद्धसम्प्रदाय का यह मत है कि ‘व्यक्ति से भिन्न सामान्य नहीं होता’ । कहने का आशय यह है कि व्यक्ति से भिन्न सामान्य का अस्तित्व तभी हो सकता है जब उसे स्थायी माना जाय, क्योंकि यदि यह वह स्थायी—विभिन्न कारणों में अनुवर्तमान एक न होगा तो विभिन्न काल में होने वाले व्यक्तियों का एक समानरूप सामान्य कैसे हो सकेगा । और वस्तुरिति यह है कि कोई भी सत्-

५. विशेषो नित्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः । व्यावृत्तिं द्विर्मात्रहेतुः । नित्यद्रव्याणि
त्वाकाशादीनि पञ्च । प्रथिव्याद्यशत्वारः परमाणुरूपा ।

भावात्मक पदार्थ स्थायी-विभिन्न कालों से सम्बद्ध नहीं हो सकता, क्यों कि युक्ति
और प्रमाण से भावमात्र की क्षणिकता सिद्ध है । 'सर्वं क्षणिकम्' यह एक सुपरीचित
सिद्धान्त है । अत प्रत्येक क्षणिक भाव ही सामान्य है । जिसे सामान्य का आश्रय कहा
जाता है, सामान्य उस आश्रय से भिन्न नहीं है ।

इस मत के विपरीत नैयायिकों और वैशेषिकों का कथन यह है कि अनेक व्यक्तियों
में अनुगत एक घम की प्रामाणिकता यदि न मानी जायगी तो विभिन्नकालिक विस्तर
पिण्डों में जो एकाकार छुदृष्टि होती है, वह नियलम्बन हो जायगी । उसकी उपपत्ति न
हो सकेगी । अत अनेकवृत्ति, एक, नित्य, घर्म के रूप में सामान्य की कल्पना अनिवार्य
है और उसके फलस्वरूप 'सर्वं क्षणिकम्' यह सिद्धान्त अमान्य है ।

इस पर बौद्ध विद्वानों का यह कथन है कि विभिन्नकालिक पदार्थों में जो एकाकार
छुदृष्टि होती है वह 'सामान्यमूलक' न होकर 'अतद्व्यावृत्तिमूलक' है । कहने का तार्पण
यह है कि विभिन्न गोपिण्डों में जो 'गोत्व' नाम का एक घर्म गृहीत होता है, वह है
अद्वय, पर वह भावात्मक घर्म नहीं है किन्तु 'अपोह' रूप है । 'अपगतः-निवृत्तः ऊह—
सदसदात्मकत्वादे वितर्क यस्मात्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अपोह' शब्द का अर्थ है 'सत्',
असत्, सदसत्, नो सदसत्' इन चारों शब्दों से मुक्त । उसका दूसरा नाम है 'अतद्व्या-
वृत्तिः' । जैसे गोत्व 'अपोहरूप है—अतद्व्यावृत्तिरूप है' इसमें 'तद्' का अर्थ है 'गो', 'अनन्'
का अर्थ है 'अपो' और 'व्यावृत्तिः' का अर्थ है 'भेदः' । इस प्रकार गो में जो गोत्व है वह
'अगोव्यावृत्तिरूपः' है, वह सम्पूर्ण गो में विद्यमान है, वही विभिन्न पिण्डों में एकाकार प्रतीति
का नियामक है । उससे भिन्न कोई भावात्मक गोत्व उक्त प्रतीतिका नियामक नहीं है ।

नैयायिकों और वैशेषिकों को बौद्धों का यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता,
क्यों कि विभिन्न पिण्डों में जो एकाकार स्फुरण होता है वह विभिन्नत्वेन होता है, निषेद्ध
घमलूपेन नहीं होता । अनः गो आदि विभिन्न पिण्डों में प्रतीत होने वाले गोत्व आदि
घमों को अतद्व्यावृत्तिरूप न मान कर भावात्मक सामान्य के रूप में स्वीकार करना
शी उचित है ।

विशेष—

'विशेष' पदार्थ नित्य होता है और नित्य द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
उसका लक्षण है 'व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहेतुत्वः' । 'व्यावृत्ति' का अर्थ है 'भेद' । अतः 'व्यावृत्ति
बुद्धिः' का अर्थ है 'भेदबुद्धिः' । मात्रपद से निराकरणीय है 'अनुगताकारबुद्धिः' । अतः 'पूर्वे'

लक्षण का अर्थ है 'अनुगताकार प्रतीति का हेतु न होते हुये भेदप्रतीति का हेतु होना'। विशेष से एक परमाणु में अन्य सज्जातीय परमाणु के भेदमात्र की प्रतीति होती है, कोई अनुगताकार प्रतीति नहीं होती, अतः उसमें उक्त लक्षण का समन्वय सम्पन्न होता है। यह लक्षण एक सकेत्तमात्र है। सर्वथा उपर्युक्त लक्षण इस प्रकार हो सकता है। 'जिसमें स्वभिन्न लिङ्ग से स्वसज्जातीय अन्य के भेद की अनुमिति न हो वह विशेष है'। विशेष की स्वतः भिन्न माना जाता है। उसमें किसी अन्य भेदक का अस्तित्व नहीं माना जाता। अतः एक विशेष में दूसरे विशेष के भेद की अनुमिति किसी विशेषभिन्न लिङ्ग से नहीं होती, इस लिये विशेष में उक्त लक्षण का समन्वय निर्बाध है। प्रश्न होता है कि सर्वत्र एक पदार्थ में सज्जातीय अन्य पदार्थ के भेद की सिद्धि जब किसी अतिरिक्त भेदक द्वारा ही होती है तब एक विशेष में दूसरे विशेष के भेद की सिद्धि भी स्वतः कैसे हो सकती है? इसका उत्तर वैशेषिक दर्शन के प्रश्नस्ताद भाष्य के अनुसार यह है कि जैसे अन्य वस्तुओं अपवित्र मास के सम्पर्क से अपवित्र होती है किन्तु मास किसी अन्य मास के सम्पर्क से अपवित्र नहीं होता, अपि तु स्वतः अपवित्र होता है, उसी प्रकार एकजातीय नित्य द्रव्यों का परस्पर भेद 'विशेष' से होता है और 'विशेष' का परस्पर भेद स्वतः होता है, यह मानने में कोई अनौनित्य नहीं है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन यह पौच्छ, तथा पृथिवी, जल, तेज और वायु के परमाणु—यह चार, इस प्रकार कुल नव द्रव्य नित्य हैं। विशेष पदार्थ इन्हीं द्रव्यों में आक्षित होता है।

प्रश्न हो चक्कता है कि परमाणु, आत्मा और मन में विशेष की कल्पना तो आवश्यक है, क्यों कि परमाणु में यदि विशेष का अस्तित्व न होगा तो एक जाति के जितने परमाणु हैं उनके गुणवर्म समान होने से उनमें परस्पर भेद की सिद्धि न हो सकेगी। इसी प्रकार आत्मा में यदि विशेष न रहेगा तो उन सभी के गुण धर्म समान होने से उनमें भी परस्पर भेद की सिद्धि न होगी। मन में भी यदि विशेष का अस्तित्व न होगा तो सभी मन के समान गुणवर्मक होने से उनमें भी परस्पर भेद की उपर्युक्ति न हो सकेगी। किन्तु आकाश, काल और दिक् तो एक ही एक होते हैं। उनका कोई सज्जातीय नहीं होता। अतः उनमें सज्जातीय अन्य के भेद के उपरादन की आवश्यकता नहीं होती, और उन तीनों के परस्परभेद की उपर्युक्ति उनके गुणवर्म से ही हो सकती है, क्यों कि उनके गुणवर्म समान नहीं होते। तो फिर उन तीनों में विशेष पदार्थ का अस्तित्व मानने की क्या आवश्यकता है?

उत्तर में कहा जा सकता है कि आकाश में शब्द एक देश गुण है जो काल और दिक् में नहीं रहता, अतः उस गुण से आकाश में काल और दिक् के भेद की सिद्धि तो हो सकती है, पर काल और दिक् तो समान गुणवर्म हैं, क्यों कि दोनों में सद्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग और विभाग, यह पाँच ही गुण रहते हैं। अतः

६. अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, स चोक्त एव ।

नन्ववद्यवाऽवयविनावप्ययुतसिद्धी, तेन तयोः सम्बन्धः समवाय इत्युक्तम् ।

* न चैत्युक्तम्, अययत्तिरिक्तस्याऽवयविनोऽभावात् । परमाणव एव वहूवस्तथा-
भूता मन्त्रिकृष्टाः 'घटोऽर्थं, घटोऽर्थम् इति गृह्णन्ते ।

अत्रोच्यते । अस्त्येक स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा चुद्धि । न च सा परमाणुष्व-
ने रेत्वस्थूलेभ्वतोन्निरेतु भवेतुमर्हति । भ्रान्तेय चुद्धिरिति चेत् । न ।
वाधकाभावात् ।

उनमें परस्परभेद की सिद्धि उनके गुणवर्म से सम्बन्ध न होने के कारण उनमें
विशेष पदार्थ की कल्पना आवश्यक है । रही आकाश में विशेष पदार्थ की कल्पना की
बात, जो उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आकाश में विशेष पदार्थ की कल्पना
उसमें अन्य के भेद की सिद्धि करने के लिये नहीं की जाती जिन्हुं उसमें शब्दकारणता
की उपपत्ति के लिये की जाती है । तारर्थ यह है कि आकाश में शब्द की समवायिक-
कारणता होती है और कारण विना अवच्छेदक के मान्य नहीं हो सकती, क्यों कि
यह नियम है कि जो ज कारणता होती है वह सब किसी भर्म से अवच्छेदन-नियन्त्रित
होती है । अत आकाश में रहने वाली शब्दकारणता का भी कोई अवच्छेदक मानना
आवश्यक है । यह अवच्छेदक आकाशमात्र में आवधि कोई गुण नहीं हो सकता,
क्योंकि आकाशमात्र में आवधि गुण नहीं हैं परिमाण, एकत्व और एकपृथक्त्व, अतः
इन तीनों में किसे शब्दसमवायिकारणता का अवच्छेदक माना जाय, इसमें कोई
विनियमना नहीं है, इसलिये उक्त कारणता के अवच्छेदक-रूप में आकाश में विशेष
पदार्थ की कल्पना आवश्यक है ।

समवाय तथा अवयवी—

अयुतसिद्ध—अपृथक् सिद्ध दो पदार्थों के बीच जो सम्बन्ध होता है, उक्ता नाम है
'समवाय' । उक्ता वर्णन प्रसङ्गवश पहले ही कर दिया गया है । यद्धा होती है कि पहले
यह भी कहा गया है छ अवयव और अवयवी भी अयुतसिद्ध होते हैं अत उनमें भी सम-
वाय सम्बन्ध होता है, पर यद कथन उपीचीन नहीं है, क्योंकि अवयव से भिन्न अवयवी
में कोई प्रभाग नहीं है । त्रिसे घर, एव आदि अवयवी के रूप म समझा जाता है वह विशेष
प्रकार से सन्निहित बदूत से परमाणुओं का एक पुञ्जमात्र है, अन्य तुल्य नहीं है, क्योंकि
परमाणुओं का पुञ्ज परमाणुओं से भिन्न नहीं होता । इस यद्धा के समाधान में यह कहा
जा सकता है कि 'यह एक स्थूल घट है' इस प्रकार की प्रत्यक्षारिमध्य तुद्धि का होना सब-
सम्भव है । इस तुद्धि में वर्गर में भावित होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का पुञ्ज नहीं
कहा जा सकता, क्यों कि यह तुद्धि घट में एकत्व और शूलक्त को महण करती है । किन्तु
घट यदि परमाणुपुञ्जस्य होगा तो उसमें एकत्व और शूलत्व का प्रदृग नहीं हो सकता,

तदेव पट् पदार्थो द्रव्यादयो वर्णिताः । ते च विधिमुखप्रत्ययवेद्यत्वाद् भावरूपा एव ।

७ इदानीं निपेषमुखप्रमाणम्योऽभावरूप सप्तम पदार्थ प्रतिपाद्यते । सचाभाव मन्त्रेष्टो द्विविध—ससगाभावाऽन्योन्याभावश्चेति । सप्तर्गभावोऽपि प्रिविध—प्रागभाव , प्रध्वसाभावोऽत्यन्ताभावश्चति ।

क्योंकि परमाणु अनेक और अस्थूल होते हैं अत उनके पुञ्ज में एकत्व और स्थूलत्व शाखित है । घर को परमाणुपुञ्जरूप मानने में एक और बाधा है वह यह कि, घर यदि परमाणुपुञ्जरूप होगा तो उसका प्रत्यक्ष न हो सकेगा, क्योंकि परमाणु अतीद्रिय होते हैं अत उनका पुञ्जरूप घट भी अतीद्रिय ही होगा, किन्तु होता है एक और स्थूलरूप में घर का प्रत्यक्ष, इसलिये परमाणुपुञ्ज से भिन्न एक और स्थूल रूप में उनके अस्तित्व का अस्मुपगम अनिवार्य है ।

यदि यह कहा जाय कि घट में एकत्व और स्थूलत्व की बुद्धि भ्रमरूप है अत उक्त बुद्धि के विषयभूत घर को परमाणुपुञ्जरूप मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'घट एक और स्थूल नहीं हाता' इस प्रकार की चाचक बुद्धि न होने से घर में एकत्व और स्थूलत्व की बुद्धि को भ्रमरूप बताना अयुक्त है ।

इस प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म, सामाज्य, विशेष और समवाय, इन स्त्री पदार्थों का वर्णन किया गया । यह छहों पदार्थ भावरूप हैं स्त्रीकि यह सब विधिमुख प्रयय से प्राप्त है । 'विधिमुख प्रत्यय' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—विधि—सत्ता, तदोधक शब्द विधि—'सद्' इति शब्द, स मुखम् अभिलापको यस्य स विधिमुख , स चासो प्रत्यय । इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ है 'सद्' शब्द से अभिलाप किया जाने वाला शान, वह शान, जो 'नन्' शब्द के अर्थ का उल्लेख न कर विधि—सत् शब्द के अर्थ का उल्लेख करता है । जैसे 'द्रव्य सत्' 'गुण सत्' इत्यादि । इस प्रकार के शान का जो विषय होता है वह भावरूप होता है । द्रव्य आदि छहों पदार्थ ऐसे ही शान के विषय होते हैं, अत वे मार्गरूप हैं ।

अभाव—

अब अभावरूप सततें पदार्थ का निरूपण किया जायगा । उसका लक्षण है 'निपेष—मुखप्रमाणमगम्यत्व' । उसकी व्युत्पत्ति है—'निपेष—निपेषार्थक 'नन्' शब्द, मुखम् अभिलापक यस्य, तच्चेद प्रमाण—प्रत्यय, तेन गमयत्वम्—वेद्यत्वम्' । इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ है 'नन् शब्द से अभिलाप किये जाने वाले शान का विषय होना' । जैसे 'इदम् इह नास्ति' 'इदम् इद न भवति' इस प्रकार के शान निपेषमुख प्रत्यय हैं । इन प्रायर्थों में 'नन्' शब्द से विषय पदार्थ का उल्लेख होता है

वही अभाव है। सचेप में उसके दो भेद हैं—सुसर्गाभाव और अन्योन्याभाव, सुसर्गाभाव के तीन भेद होते हैं—प्रागभाव, प्रध्वस और अत्यन्ताभाव।

सुसर्गाभाव—

सुसर्गाभाव का अर्थ है सुसर्गविरोधी अभाव। यह तीनों अभाव अपने प्रतियोगी के सुसर्ग के विरोधी है। यह अभाव जब जहाँ रहते हैं तब वहाँ इनके प्रतियोगी का सुसर्ग नहीं होता। जैसे तन्तु में जब पट का प्रागभाव होता है तब पट के अनुस्पन्द रहने से तन्तु में पट का सुसर्ग नहीं रहता, इसलिये अपने प्रतियोगी के सुसर्ग का विरोधी होने से पट का 'प्रागभाव' सुसर्गाभाव है। इसी प्रकार तन्तुओं का सयोग नष्ट होने पर जब पट का प्रध्वस होता है तब तन्तुओं में पट का सुसर्ग नहीं रहता, इसलिये अपने प्रतियोगी के सुसर्ग का विरोधी होने से पट का 'प्रध्वस' सुसर्गाभाव है। जहाँ पट का अत्यन्ताभाव होता है वहाँ भी पट का सुसर्ग नहीं रहता जैसे कणाल में पट का अत्यन्ताभाव रहता है, पट का सुसर्ग—समवाय नहीं रहता, अतः अपने प्रतियोगी पट के सुसर्ग का विरोधी होने से पट का 'अत्यन्ताभाव' सुसर्गाभाव है।

अन्योन्याभाव—

अन्योन्याभाव का अर्थ है अन्योन्यत्व—तादात्म्य का विरोधी अभाव। जो अभाव अपने आधय में अपने प्रतियोगी के अन्योन्यत्व—तादात्म्य का विरोधी होता है वह अभाव 'अन्योन्याभाव' है। जैसे घट में पट का भेद रहता है, पट का तादात्म्य नहीं रहता, अतः अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी होने से घट में रहने वाला 'पटभेद' पट का 'अन्योन्याभाव' है।

'अन्योन्याभाव' की 'सुसर्गाभाव' नहीं कहा जा सकता, क्यों कि वह अपने आधय में अपने प्रतियोगी के सुसर्ग का विरोधी नहीं होता। जैसे तन्तु में पट का सुसर्ग—समवाय रहते तन्तु में पट का अन्योन्याभाव—भेद रहता है, भूतल में घट का सुसर्ग—सयोग रहते भूतल में घट का अन्योन्याभाव—भेद रहता है।

अद्य यह कहा जाय कि पट का भेद पट के तादात्म्य का विरोधी है और पट का तादात्म्य पट का सुसर्ग है, अतः पटभेद भी अपने प्रतियोगी के सुसर्ग का विरोधी हुआ, इसलिए वह भी सुसर्गाभाव हो जायगा। तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि 'सुसज्जते—एक बस्तु अन्यवस्तुना आधीरते येन असी सुसर्गं'। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सुसर्ग वही होता है, जिसके द्वारा एक बस्तु अन्य बस्तु का आधय होती है। जैसे सयोग, समवाय आदि। क्यों कि इनके द्वारा एक बस्तु अन्यबस्तु का आधय होती है। जैसे भूतल सयोग-द्वारा घट का और तन्तु समवाय-द्वारा पट का आधय होता है। सुसर्ग यन्द की उक-

१८८५

उत्पत्ते: प्राक् कारणे कार्यस्थाभावः प्रागभावः। यथा तनु पु पटाभावः। स चाज्ञादिरुत्पत्तेरभावात्। विनाशी च, कार्यस्थैव तद्विनाशस्तप्तवात्। अनुभविति के अनुसार 'तादात्म्य' सर्वां नहीं हो सकता क्यों कि उसके द्वारा एक वस्तु अन्य वस्तु का आश्रय नहीं होती। जैसे तथ्य में तथ्य का तादात्म्य होता है पर इस तादात्म्य के द्वारा तथ्य का आश्रय नहीं बतता, क्यों कि एक वस्तु में आश्रयाभिभाव नहीं होता।

'अन्योन्याभाव' और 'संसर्वाभाव' को एक अन्य प्रकार से भी लिखित किया जा सकता है, जैसे-'तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव' अन्योन्याभाव है और 'तादात्म्यसम्बन्धानवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव' संसर्वाभाव है। अर्पात् जो अभाव अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी हो वह अन्योन्याभाव है और जो अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी न होने से अन्योन्याभाव है। घट का अस्त्यन्ताभाव घट में घट के तादात्म्य का विरोधी न होने से संसर्वाभाव है। प्रागभाव और प्रध्वस के समय प्रतियोगी के न रहने से उसके तादात्म्य की प्रकृति ही नहीं होती, अतः वे भी अपने प्रतियोगी के तादात्म्य के विरोधी नहीं होते जरूर: वे भी संसर्वाभाव हैं।

प्रागभाव—

'कार्य की उत्पत्ति के पूर्वे कारण में कार्य का अभाव होता है, यह अभाव ही 'प्रागभाव' है। पट बुने जाने के पूर्वे तनुओं में पट का अभाव होता है, यह अभाव तनु में पट का प्रागभाव है। प्रागभाव अनादि होता है, क्यों कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति के समय से ही वस्तु की सत्ता का आरम्भ होता है, अतः उत्पन्न होने वाली वस्तु सादि होती है पर जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती उसकी सत्ता का कोई आरम्भ नहीं होता। वह वस्तु कब से है, नहीं कहा जा सकता। अतः अनुउत्पन्न वस्तु का कोई आदि न होने से वह अनादि होती है। पट की उत्पत्ति न होने तक पट का अभाव-प्रागभाव है, यह अभाव कब से है, नहीं कहा जा सकता, अतः यह अभाव अनादि है।

प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती। इससे यह अग्रम नहीं होना चाहिये कि उसका विनाश भी नहीं होता। प्रागभाव का विनाश अवश्य होता है, क्यों कि पट के प्रागभाव का यदि विनाश न होगा तो पट की उत्पत्ति हो जाने पर भी पट का प्रागभाव बना रहेगा और उस स्थिति में तनुओं में पट का प्रत्यक्ष होने के समय पट के प्रागभाव के भी प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी। पट की उत्पत्ति होने पर भी पट के प्रागभाव का नाश न मानने पर एक दूषी भी आपत्ति होगी। वह आपत्ति है 'उत्पन्न पट के पुनः उत्पत्ति की आपत्ति'। आशय यह है कि यदि प्रागभाव को विनाशी न माना जायगा, तो पट की

उत्पत्ति के समय भी पट का प्रागभाव चना रहेगा, उसका परिणाम यह होगा कि उस समय पट को उत्पन्न करने वाली पूरी सामग्री मुलभ हो जायगी, क्यों कि तन्तु, तन्तु-संयोग और पट का प्रागभाव, पट के ये समस्त कारण उस समय उपस्थित रहेंगे। इसका फल यह होगा कि पट की उत्पत्ति हो जाने के बाद पुनः उसकी उत्पत्ति की आवश्यिकता होगी।

यदि यह कहा जाय कि पट की उत्पत्ति के समय पट के प्रागभाव का नाश मानने पर पट के प्रत्यक्ष के समय पटप्रागभाव के नाश के भी प्रत्यक्षकी आवश्यिकता होगी, पर पटप्रागभाव के नाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः यही मानना उचित है कि पट की उत्पत्ति के समय पटप्रागभाव का नाश नहीं होता, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि पट-प्रागभाव का नाश पट से मिलन नहीं होता। पट ही पटप्रागभाव का विनाश है, अतः जब पट का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है तब पटप्रागभाव के नाश का भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है। इस लिये पट की उत्पत्ति के समय पटप्रागभाव का नाश मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती। प्रागभाव उत्पन्न न होने पर भी नश्वर है। इसी आधार पर उसका लक्षण किया जाता है 'अवन्यत्वे सति विनाशित्वे च सति अभावत्वम्—अजन्य होते हुये नष्ट होने वाला अभाव।

सत्कार्यवादी का आध्येता और उसका उत्तर—

साखप आदि कतिष्य दर्शन सत्कार्यवादी हैं। उनका कथन है कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में काय का अभाव नहीं माना जा सकता। क्यों कि जिस कार्य का जहाँ अभाव है वहाँ याद उत्पत्ति मानी जायगी तो बालू से भी तेल की उत्पत्ति की आवश्यिकता होगी, क्यों कि जैस उत्पत्ति के पूर्व तिल में तेल न रहने पर भी तिल से तेल की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार बालू में तेल न रहने पर भी बालू पेनने से भी तेल की उत्पत्ति होनी चाहिए। अतः यह तथ्य स्वीकार करना चाहिये कि कारण में कार्य अव्यक्त रूप से रहता है। तेल तिल में अव्यक्त रूप से रहने के कारण ही तिल से उत्पन्न होता है और बालू में न रहने के कारण बालू से नहीं उत्पन्न होता। अतः उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का प्रागभाव अप्रामाणिक है।

इस आचेतन के उत्तर में अकार्यवादी न्यायवेद्येपिक दर्शन का यह कथन है कि उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की अव्यक्त सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि कारण में काय का प्रागभाव मानने पर भी कोई आवश्यिकता नहीं होती है। तिल के उत्पन्न बालू से भी तेल की उत्पत्ति की जो आवश्यिकता दी गई है वह नहीं हो सकती, क्यों कि तिल और बालू में तेल का अभाव उत्पन्न नहीं है, तिल में उत्पन्न प्रागभाव है और बालू में उत्पन्न अप्रामाणिक है। नियम यह है कि जिसमें जिस कार्य का प्रागभाव होता

है उसी से उसकी उपत्ति होती है, अतः तिल से ही तेल उत्पन्न हो सकता है, बाल्द से नहीं उत्पन्न हो सकता।

यदि पूछा जाय कि तिल में तेल का प्रागमाव है किन्तु बाल्द में नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का प्रमाण उकार्यवाद में भी उठ सकता है। उस बाद में भी यह पूछा जा सकता है कि तिल में तेल अव्यक्त रूप से है और बाल्द में नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? यदि इसके उत्तर में उत्कार्यवाद की ओर से यह कहा जाए कि यतः तिल से तेल उत्पन्न होता है, बाल्द से नहीं उत्पन्न होता, अतः यह कल्पना की जा सकती है कि तिल में तेल अव्यक्त रूप से विद्यमान है और बाल्द में नहीं है। हो इसके प्रतिवाद में यह बहा जा सकता है कि इस उत्तर से उत्कार्यवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार का उत्तर अस्तकापवाद में भी दिया सकता है। उस बाल्द में भी यह कहा जा सकता है कि यतः तिल से ही तेल उत्पन्न होता है, बाल्द से नहीं उत्पन्न होता अतः निर्वच रूप से यह कहा जा सकता है कि तेल का प्रागमाव तिल में ही होता है, बाल्द में नहीं होता।

यदि यह शाक की चाय कि उत्पत्ति के पूर्व तेल का अभाव तिल में भी है बाल्द में भी है, और अभाव की कोई सूति या कोई गुणधर्म नहीं होता, ऐसी विधि में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि तिल में तेल का अभाव अन्य है और बाल्द में तेल का अभाव अन्य है। तिल में रहने वाला तेल का अभाव प्रागमाव है और बाल्द में तेल का अभाव तेल का अथन्ताभाव है। तो यह शाक उत्तित नहीं है, क्योंकि अभाव की यथापि कोई सूति नहीं होती, उसका कोई गुणधर्म नहीं होता, तथापि उसका अपना एक स्वरूप होता है। वह परंपरे की सींग जैव अलीक-निदृश्यरूप नहीं होता। अतः उसमें स्वरूपमेदमूलक भेद का होना अनिवार्य है। अभाव के स्वरूप की विर्भासि प्रतियोगी और आश्रय प्रमाणसिद्ध होता है वह अभाव मान्य होता है और चिह्नका उक दोनों में से एक अप्रामाणिक होता है वह अभाव मान्य नहीं होना। जैसे शेषस्त्र, वाच्यत्व आदि वेचलान्वयी धर्मों का अभाव आश्रय की अप्रामाणिकता के कारण अपान्य है। जो अभाव मान्य होते हैं उनमें प्रतियोगिता के भेद से भेद होता है। प्रतियोगिता के भेद के कई कारण होते हैं, जैसे प्रतियोगी का भेद, प्रतियोगिता के अवच्छेदक घर्म या उम्भन्व का भेद आदि। घटवेन पर्यो नास्ति, घटवेन पठो मास्ति, इन प्रतीतियों के विषय भूत अभावों की प्रतियोगिता प्रतियोगी के भेद से भिन्न होती है। गुरुलवान् नास्ति, रसवान् नास्ति, इन प्रतीतियों के विषयभूत अभावों की प्रति-

उत्तमस्य कारणं भावः प्रध्वसाभावः । प्रध्वसो विनाश इति यावत् । यथा भग्ने घटे कपालमालायां घटाभावः । स च मुग्दरप्रहाराद्विजन्यः । स चोत्पत्ति-मानस्यविनाशी नष्टस्य कार्यस्य पुनरसुत्पत्तेः ।

योगिता अवच्छेदक धर्म के भेद से भिन्न होती है । सयोगेन घटे नास्ति, समवायेन घटे नास्ति, इन प्रतीतियों के विषयभूत अभावों की प्रतियोगिता अवच्छेदक सम्बन्ध के भेद से भिन्न होती है ।

उत्तर्पत्ति के पूर्व तिल में विद्यमान तैलभाव और बालू में विद्यमान तैलभाव में भेद है, क्यों कि उनकी प्रतियोगिताओं में भेद है । जैसे तिल में विद्यमान तैलभाव-तैलशागभाव की तैलनिष्ठ प्रतियोगिता बालू में विद्यमान तैलभाव की तैलनिष्ठ प्रतियोगिता से भिन्न है, क्यों कि पहले अभाव की प्रतियोगिता किसी धर्म या सम्बन्ध से अवच्छिन्न नहीं है और दूसरे अभाव की प्रतियोगिता सम्बन्ध और धर्म से अवच्छिन्न होती है । इस लिए उक्त प्रतियोगिताओं के भेद से उक्त प्रतियोगिताओं के निरूपक अभावों में भेद फ़ा होना अपरिहार्य है ।

प्रध्वस—

किसी वस्तु की उत्तर्पत्ति के बाद उसके कारण में उस वस्तु का जो अभाव होता है वह 'प्रध्वस' नामक अभाव है । 'प्रध्वस' का अर्थ है विनाश । जैसे कपाल में घट की उत्तर्पत्ति के परचात् पट पर मुद्यग का अभिधात होने के फलस्वरूप कपाल में जो घट का अभाव होता है वह घट की उत्तर्पत्ति के बाद का कारणगत अभाव होने से घट का 'प्रध्वस' है । वह उत्तर्पत्तिनान् होने पर भी अविनाशी होता है । अर्थात् प्रध्वस का जन्म तो होता है, पर नाश नहीं होता । इसीलिये उसका लक्षण किया जाता है—जन्य होठे द्वये नष्ट न होने वाला अभाव ।

प्रह्ल हो सकता है कि प्रध्वस जब जन्म वस्तु है तब अन्य जन्म वस्तुओं के समान उसका भी विनाश होना आवश्यक है, जैसा कि भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है 'जातस्य दि ध्रुवोमृत्युः' उत्तर ज्ञाने वाले का विनाश ध्रुव है, तो किर जननर्यील 'प्रध्वस' को अविनाशी मानने का क्या कारण है । उत्तर यह है—यदि प्रध्वस विनाशी होगा तो प्रध्वस का नाश होने पर प्रध्वस वदार्थ के पुनः अस्तित्व की आवश्यिकी होगी, क्यों कि जैसे ग्राममाद का नाश होने पर ग्रामभाव का प्रतियोगी अपने विरोधी के न रहने से अस्तित्व में आ जाता है उसी प्रकार प्रध्वस का नाश होने पर प्रध्वस के प्रतियोगी का भी उत्तर कोई विरोधी न रह जाने से अस्तित्व में आ जाना आवश्यकात्मक है । पर ऐसा कभी होता नहीं ज्वल वस्तु कभी पुनः अस्तित्व में आती नहीं । अतः यही मानना उचित प्रवृत्त होता है कि 'प्रध्वस' का विनाश नहीं होता ।

त्रैकालिकोऽभावोऽस्यन्ताभावः । यथा वायुं रूपाभावः ।

अन्योन्याभावसु तादात्म्यप्रतियोगिकोऽभावः । 'घटः पटो न भवति' इति ।
तदेवमर्थां व्याख्याताः ।

नेतु ह्यानाद् सद्गुणो वा अर्थो व्यतिरिक्ता न सन्ति । मैवम्, अर्थोनामपि
प्रायश्चादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात् । अन्योन्याभावसु तादात्म्यप्रतियोगिकोऽभावः । 'घटः पटो न भवति' इति ।
अत्यन्ताभाव—

जो अभाव त्रैकालिक हो—भूत, वर्तमान और भविष्यत् तीनों काल में रहे, उस
समर्गाभाव का नाम है 'अत्यन्ताभाव' । उसकी व्युत्पत्ति है—अन्तम् अभावम्, अतीतः
अत्यन्त, स चाहौ अभावः । इसका अर्थ है अपाव को अतिक्रान्त करने वाला अभाव
अर्थात् जिस अभाव का कभी अभाव न हो । जैसे वायु में रूप का अभाव । वायु में
रूप कभी नहीं होता, उसमें रूप का अभाव सदैव रहता है, अतः वायु में रहने वाला
रूपाभाव रूप का अत्यन्ताभाव है ।

अन्योन्याभाव—

जो अभाव अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी होता है उसे अन्योन्याभाव
कहा जाता है । दो वस्तुओं में अन्योन्यप्रतियोगिक और अन्योन्यानुयोगिक होने से
इसका नाम अन्योन्याभाव है । जैसे 'घटः पटो न भवति' एव 'पटः घटो न भवति' इस
प्रकार प्रतीत होने वाला घट में पट का और पट में घट का भेद । यह भेद घट और पट
में अन्योन्यप्रतियोगिक और अन्योन्यानुयोगिक होने से अन्योन्याभाव कहा जाता है ।
समर्गाभाव में यह बात नहीं होती, वह अन्योन्यप्रतियोगिक और अन्योन्यानुयोगिक
नहीं होता । जैसे घट और रूप के बीच रूप में घट का अत्यन्ताभाव होता है, पर घट में
रूप का अत्यन्ताभाव नहीं होता । एव घट में रूप का प्रागभाव और प्रब्लस होता है,
पर रूप में घट का प्रागभाव या प्रब्लस नहीं होता, अतः समर्गाभाव को अन्योन्याभाव
नहीं कहा जाता ।

इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि सात पदार्थों का धर्मन समाप्त हुआ ।

द्रव्य आदि सात पदार्थों का निरूपण कर देने पर इस एक मुख्य बात का विचार
कर लेना आवश्यक है कि इन पदार्थों की बाध्य सत्ता है या नहीं ? क्यों कि कठिपय
दाशनिक सम्पदार्थों में इनकी बाध्य सत्ता नहीं मानी गई है । ऐसे सम्पदार्थों में बौद्ध-
दर्शन और शाकर वेदान्त के सम्प्रदाय मुख्य हैं ।

बौद्ध मत के चार दार्शनिक सम्प्रदाय हैं—सौधानिक, वैभाषिक, योगाचार
और याध्यविक । इन चारों सम्प्रदायों में, विश्व में जो कुछ भाव रूप में होय

है, उस सबको क्षणिक माना गया है।—‘सर्वे क्षणिकम्’—यह उन सभी सम्प्रदायों द्वारा उदोषित एक ‘आर्यसत्य’ है। उनमें प्रथम दो सम्प्रदाय बाह्यार्थवादी हैं, अर्थ की बाह्य उच्चा मानने वाले हैं। अन्तर वेवल इतना ही है कि सौधान्तिक मत में अर्थ प्रत्यक्षवेद्य है और वैभाविकमत में अनुमेय है। योगाचार मत में एकमात्र ‘शान’ ही प्रमाणसिद्ध बहुत है। ‘अर्थ’ उसी का आकार है। उससे पृथक् अर्थ की कोई सत्ता नहीं है। इसीलिये योगाचार के सिद्धान्त को ‘साकार शानवाद’ के नाम से व्यवहृत किया जाता है। माध्यमिक मत में शान की भी सत्ता अस्वीकृत कर दी गई है। ज्ञान और अर्थ दोनों का कल्पित माना गया है। उसकी टाष्ट में ‘सर्वशून्यता’ ही तथ्य है। ‘सर्वे शून्यम्’ यही उस सम्प्रदाय का स्वीकृत ‘आर्यसत्य’ है। ज्ञान और ज्ञान से भिन्न सब कुछु ‘शून्यात्मक’ तत्त्व में परिकल्पित है। यह शून्यात्मक तत्त्व ‘सर्व, असर्व, सदसर्व, नो सदसर्व’ इन चारों कोटियों से मुक्त है। सत्त्वति—ज्ञानवासना और अर्थवासना प्राचाराहक रूप से अनादि है। उसी द्वारा ज्ञान और अर्थ का आभास होता है। सत्त्वति के दो भेद हैं—तथ्यसत्त्वति और मिथ्यासत्त्वति। प्रामाणिक माने जाने वाले घट, पट आदि सारे पदार्थों का अवगम तथ्यसत्त्वति द्वारा सम्पन्न होता है और अप्रामाणिक माने जाने वाले रज्जुसर्प, शुचिरजत आदि का अवगम मिथ्यासत्त्वति द्वारा सम्पन्न होता है। तथ्यसत्त्वति से होने वाला अर्थबोध टिकाऊ तथा व्यवहारोपयोगी होता है और मिथ्यासत्त्वति से होने वाला अर्थबोध क्षणिक एव व्यवहारानुपयोगी होता है।

इन चारों मतों में योगाचार का साकारज्ञान बाद अपेक्षाकृत अधिक तर्कसमत और मनोवैज्ञानिक होने से विशेष प्रचलित है। अतः तर्कभाषाकार ने उसी मत का उल्लेख और निराकरण किया है।

शाकर वेदान्त का ब्रह्मवाद योगाचार के विशानवाद के बहुत निकट है। क्योंकि नम और विज्ञान दोनों ही ज्ञान हैं और ज्ञगत् उसमें उदित होने वाली एक कल्पनामात्र है। अन्तर वेवल इतना ही है कि योगाचार का विशान व्यक्ति एव साकार है और शाकरवेदान्त का ब्रह्म नित्य एव निराकार है। अर्थ की बाह्य उच्चा दोनों ही मतों में अमान्य है। इसीलिए मन्यव्याकरण ने दोनों मतों का एक साथ उल्लेख कर एक ही सुक्त से उनका निराकरण कर दिया है, और अस्त्वन्त तथ्य भाषा में कह दिया है कि ज्ञान से भिन्न अथ यतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है अतः उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। उसकी प्रमाणसिद्ध बाह्य उच्चा को स्वीकार करना ही होगा। मन्यव्याकरण का मुख्य आण्य यह है कि जैसे प्रमाणसिद्ध होने से ज्ञान के अस्तित्व का अवलाप नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रमाणसिद्ध होने से अर्थ की बाह्य उच्चा का भी अपलाप नहीं किया जा सकता।

यदि, यह शूला जाय कि अर्थ की बाह्य सत्ता में क्या प्रमाण है ? तो उत्तर में 'भूतले घटः अस्ति' इत्यादि प्रत्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकता है, क्यों कि यह प्रत्यक्ष भूतल में घट की सत्ता को विषय करता है और भूतल निश्चित रूप से बाह्य अर्थ है। यदि यह कहा जाय कि भूतल भी बाह्य पदार्थ नहीं है वह भी शान का आकाशरूप होने से आन्तर ही है, और वही क्यों, जो भी ज्ञानगम्य पदार्थ है वह सब शानाकार होने से आन्तर है। अतः किसी भी अर्थ की सत्ता बाह्य नहीं हो सकती, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि शान और उसके विषय भूत घट आदि पदार्थ दोनों यदि समान रूप से आन्तर होंगे, तो उनमें यह व्यवहारभेद कैसे होगा कि 'घटः आदि का 'अय घटः' इत्यादि रूप में अद्वृत्या निर्देश हो और 'शान' का अद्वृत्या निर्देश न हो ।

दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि यदि शान और उसके विषय समान रूप से आन्तर हैं, विषय की बाह्य सत्ता नहीं है। तो विषय की लोक शरीर के बाहर क्यों की जाती है ? शान के समान उसे भी शरीर के भीतर ही क्यों नहीं उपलब्ध किया जाता ? जल यदि शानाकार है तब तो उसे शाना को अपने भीतर ही मुलनसुना चाहिये, उसके लिये नल, कूप या नदी तक दौड़ने की क्या आवश्यकता है ? अतः शान और विषय के बीच इन विषमताओं को देखते हुये दोनों में अन्तर मानना आवश्यक है और वह अन्तर यही हो सकता है कि शान एक आन्तर वस्तु है और उसके विषय घट, पट आदि पदार्थ बाह्य वस्तु हैं ।

ब्रह्म ही एक सत्य वस्तु है, जगत् उसका 'विवर्त' है। 'विवर्त' का अर्थ है वह कार्य को अपने कारण को किञ्चित् भी विचलित न करते हुये उसमें प्रादुर्भूत होया है। जैसे दुष्टले प्राण्य में रास्ते में पही रस्सी की पहचान न होने की दशा ये उसके वास्तव रूपरूप को किञ्चित् भी विचलित न करते हुये उसकी पहचान न होने की अवधि तक उसमें एक साप उत्थन हो दिला)ने देने लगता है, इसलिये वह सा : उस रस्सी का 'विवर्त' होता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म की पहचान न होने की दशा में उसके रूपरूप को किञ्चित् भी विचलित न करते हुये उसकी पहचान न होने की अवधि तक के लिये उसमें जगत् के उत्थन होने और दिलाई देने की क्लेना न्यायप्राप्त है और इसीलिये 'जगत् ब्रह्म का विवर्त है' इस विवर्तवाद में भी अर्थ को वास्तव बाह्य सत्ता नहीं चिन्ह होती । तर्कभाषाकार को यह वाद भी मान्य नहीं है, क्यों कि रस्सी ये दिलने वाले साप को और जगत् को एक तुला यर तौलना उचित नहीं हो सकता, क्यों कि रस्सी का साप दुख ही चौंकों में समाप्त हो जाता है पर जगत् तो युग-युगों तक नहीं समाप्त होता । दूसरी बात यह कि रस्सी एक दिलने वाली वस्तु है अतः कारणवश किसी समय अपने [नञ्च रूप में] न दिलने पर कुछ कारणों से उसमें दिलने वाले साप की उत्तरात्त मानने में कोई बाधा नहीं जान पड़ती, पर ब्रह्म तो अतीन्द्रिय उत्तर है, दिलने वाली वस्तु नहीं है । किंतु

५. बुद्धिरुपविष्णवानं प्रत्यय इत्यादिभिः पर्यायशब्दैर्योऽभिघोयते सा बुद्धिः। अर्थप्रकाशो वा बुद्धिः। सा च संक्षेपतो द्विविधा। अनुभवः स्मरणं च। अनुभवोऽपि द्विविधो यथार्थोऽयथार्थैश्चेति।

तत्र यथार्थोऽर्थाविसंवादी। स च प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्जन्मते। यथा चक्षुरादिभिरुष्टे घटादिक्षानम्। धूमलिङ्गकमग्निज्ञानम्। गोसाहश्यदर्शनाद् गवयशब्दवाच्यताज्ञानम्। 'ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत्' इत्यादिवाक्याज् ज्योतिष्ठोमस्य स्वर्गसाधनवाज्ञानं च।

उसमें दिखने वाली दूसरी वस्तुओं का जन्म कैसे माना जा सकता है? अतः ब्रह्म को ब्रह्म का 'विवर्त' कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता।

फलतः वेदान्त के ब्रह्म और योगाचार के विज्ञान से अतिरिक्त अर्थ की सत्ता प्रमाणसिद्ध है, अतः 'अर्थ' के बारे में जो निरूपण किया गया वह अत्यन्त समीचीन है।

न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय आदि सूलह पदार्थों का उल्लेख विस्तृक्तम से किया गया है उसी कम से तर्कमाया की रचना की गई है। उस कम के अनुसार प्रमाण का निरूपण कर आता। शरीर आदि बाह्य प्रमेयों के निरूपण के प्रबन्ध में चौथे प्रमेय 'अर्थ' के अन्तर्गत वैशेषिक दर्शन के अभिमत द्रव्य, गुण आदि छात पदार्थों का निरूपण अब तक किया गया, अब पाँचवें प्रमेय 'बुद्धि' के निरूपण का अवसर है। किन्तु उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें वैशेषिक शास्त्रोक्त रूप, रुद आदि चौथिये गुणों का निरूपण करते समय ही कह दी गयी है। अतः इस अवसर पर अब योगा ही कहना है, जो इस प्रकार है।

बुद्धि—

बुद्धि, उपलब्धि, शान, पत्यय आदि शब्दों से जित आत्मगुण का अभिव्यान होता है उसका नाम है 'बुद्धि'। अपेक्षा 'अथ के बोल' का नाम है 'बुद्धि'। वह सद्देश से दो प्रकार की है—अनुभव और स्मरण। अनुभव के दो मेद हैं—यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ—

जो अनुभव अथ का अविसंगती होता है, जो अर्थ के बारे में उसके वास्तव स्वरूप के विशीत भी है वह नहीं बताता किन्तु जो अर्थ जैवा होता है उसे बेसा ही बताता है, उसे उसके निजी रूप में ही प्रदग्ध बताता है, उस अनुभव को 'यथार्थ' कहा जाता है। यह अनुभव प्रत्यय, अनुमान, उपमान और रुद, इन चार प्रमाणों से उत्पन्न होता है। जैसे चक्षु, पठ और आत्मा में भी हैं दोष न रहने पर रुद के साथ चक्षु के स्वयं से उत्पन्न होने वाला पठ का प्रत्यय अनुभव, पर्वत में बहिर्भ्याष्यपूम के यथार्थ सम्बन्धान से उत्पन्न होने वाला पर्वत में बहिर्भ्याष्यपूम के अनुभव, गवय

अयथार्थस्तु अर्थाद्यभिचारी, अप्रमाणजः । स विविधः—संशयः, तर्को, विपर्ययश्चेति । संशयतकौ वक्ष्येते ।

विपर्ययस्तु अतस्मिस्तद्भगवः । भग्न इति यावत् । यथा पुरोवर्तिन्यरजते शुभत्यादी रजतारोपः ‘इदं रजतम्’ इति ।

के उपदेश आरण्यक पुरुष के ‘गोसहस्रो गवयः’ इस वाक्य के ‘गोसहस्र गवदपद का वार्थ है’ इस अर्थ का स्मरण होने पर ‘पशुकिञ्चित् में गोसहस्रश्य वे दर्शन’ से उत्पन्न होने वाला ‘गोसहस्र में गवयपदवाच्यत्व का उपमितिरूप अनुभव’ और ‘ज्योतिष्ठामेन स्वर्गकामो यजेत्—स्वर्गं चाहने वाला पुरुष स्वर्ग के साधन ज्योतिष्ठोम याग को करे’ इस वैदवाक्य से उत्पन्न होने वाला ‘ज्योतिष्ठोम याग में इष्टसाधनता—स्वर्गसाधनता का शान्दोघरूप अनुभव’ ।

अयथार्थ—

जो अनुभव, जैसा अर्थ होता है वैसा न होकर, उसके विपरीत होता है उसे ‘अयथार्थ’ कहा जाता है । यह अर्थ का व्याख्यातीय होता है, क्यों कि जो अर्थ जहाँ नहीं होता यह वहाँ भी उत्पन्न होता है । जैसे सीधी में चादी नहीं होती पर चादी का अयथार्थ अनुभव उसमें भी होता है । यह ‘अप्रमाणज’ होता है । अप्रमाणज का अर्थ है—अपूर्ण प्रमाण से उत्पन्न होने वाला । अपूर्ण प्रमाण का अर्थ है—वह प्रमाण जिसे उसके वास्तव सहयोगी ‘गुण’ का सन्निधान न होकर उसके बदले किसी ‘दोष’ का सन्निधान हो जाता है । यह दोषसहकृत प्रमाण ही अप्रमाण या प्रमाणाभास कहा जाता है । इसीसे अयथार्थ अनुभव का उदय होता है । जैसे चादी के प्रत्यक्ष अनुभव के लिये प्रमाणभूत चक्षु को चादी के साथ उसके सहयोगात्मक सन्निकर्पण ‘गुण’ की अपेक्षा है, पर जब चादी के सन्निहित न होने से उसके साथ चक्षु का सहयोग नहीं हो पाता किन्तु सूर्य के प्रखर प्रकाश में सीधी में चादी की चमचमाहट देख चादी का स्मरण हो जाता है, और वह स्मरण ही दोष के रूप में चक्षु का सहयोगी बन जाता है तब चक्षु इस दोष के सहयोग से सीधी को ही चादी के रूप में प्रदर्शित करता है । तो इस प्रकार चादी के रूप में जो सीधी का उत्पन्न अनुभव होता है वह दोषसहकृत चक्षुरूप अप्रमाण से उत्पन्न होने के कारण अयथार्थ होता है ।

अयथार्थ अनुभव के तीन भेद हैं—संशय, तर्क और विपर्यय । संशय और तर्क का वर्णन आगे किया जायगा । इस संशय वैष्णव विपर्यय का ही वर्णन करना है जो सूक्ष्म में इस प्रकार है ।

विपर्यय—

जहाँ जिस वस्तु का अभाव होता है, वहाँ यदि उस वस्तु का अनुभव हो तो उस अनुभव का नाम होता है 'विपर्यय'। इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम है 'भ्रन्'। जैसे पुरोवर्ती रजतभिन्न शुक्लिका में रजत का आयोग। शुक्लिका में तादात्म्य सम्बन्ध से रजत का अभाव होता है अतः कदाचित् यदि शुक्लिका में तादात्म्य सम्बन्ध से रजत का अनुभव होता है तो वह शुक्लिका में रजत का विपर्यय कहा जाता है। उस विपर्यय को 'इद रजतम्—पुरोवर्ती वस्तु रजत है' इस शब्द से व्यवहृत किया जाता है। इस अनुभव में पुरोवर्ती शुक्लि में तादात्म्य सम्बन्ध से रजत का भान होने से धर्मी के पारंतर्न्य से उसके लम्बे रजतत्व का भी उसमें समवाय सम्बन्ध से भान होता है। अतः यह अनुभव जैसे पुरोवर्ती शुक्लि में रजत का विपर्यय है उसी प्रकार शुक्लि में रजतत्व का भी विपर्यय है।

विपर्यय के स्वरूप और सामग्री के विपर्यय में विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत हैं। उन सभी मतों को पर्याय रूपों में विभक्त कर 'खण्डाति' के नाम से अभिहित किया गया है। दार्शनिक जगत् में इस खण्डातिपञ्चक की चिर प्रतिष्ठिति है। उनका सब्रद्वय निम्न कारिका में इस प्रकार किया गया है।

आत्मखण्डातिरखण्डातिरखण्डातिः खण्डातिरन्यथा ।

तथाऽनिर्वचनखण्डातिरित्येतत् खण्डातिपञ्चकम् ॥

मुख्य खण्डातियों पांच हैं—आत्मखण्डाति, अस्तखण्डाति, अखण्डाति, अन्यथाखण्डाति और अनिर्वचनीयखण्डाति।

आत्मखण्डाति—

यह चौदशर्थन की अभिनव खण्डाति है। इसकी स्थापना विज्ञानवादी योगाचार ने की है। इसका आशय यह है कि भ्रमध्यल में भ्रान्त व्यक्ति के आत्मा-ज्ञान की दी पुरोवर्ती-रूप में खण्डाति होती है। भ्रान्त व्यक्ति अपने अन्तस्थित ज्ञान को ही बाहर देखता है। सामने चमकती सीधी क ऊपर अपने अन्त-मुस रजताकार ज्ञान को ही 'इद रजतम्' इस शब्द से व्यवहृत करता है। तात्पर्य यह है कि पहले कभी रजत का दर्शन हो रजताकार वाचना जिसके हृदय में अवस्थित रहती है, वह कालान्तर में जब कभी रजत जैसी चमकीली सीधी को देखता है तब उसकी वह वाचना जाएत हो रजताकार स्परण उत्पन्न करती है। फिर उस रमणीयक ज्ञान के आकारभूत रजत का अनुभव 'अह रजतम्' अथवा 'अह रजतं ध्यामि' इस रूप में न होकर 'इद रजतम्' इस रूप में होने जाता है। स्परणायक ज्ञान के आकारभूत रजत को ग्रहण करने वाले

इस अनुभव को ही 'भ्रम' कहा जाता है। यह भ्रम यह: 'ज्ञान' के आत्मभूत आकार को प्रहर करने वाली रुग्णता है। अतः इसे 'आत्मखण्डिति' कहा जाता है।

'आत्मखण्डिति' के इस विवेचन पर यह प्रश्न हो सकता है कि योगावार के मत में बाय्य अर्थ नहीं माना जाता अगले उस मत में उच्चत्र ज्ञान ही विभिन्न अर्थों के रूप में भासित होता है। तो किरण से भ्रमध्यल में ज्ञानात्मभूत अर्थ का ही बाय्य आभास होता है और उस आभास को ही आत्मविषयक-ज्ञानात्मभूत अर्थ-विषयक होने से 'आत्मखण्डिति' कहा जाता है। उसी प्रहर उन्हें मत में ग्रामध्यल में भी ज्ञानात्मभूत अर्थ का ही बाय्य आभास होता है, अतः ग्रामध्यलीय आभास को भी अर्थात् प्रमा को भी 'आत्मखण्डिति' कहना ही उचित है, ऐसी स्थिति में केवल भ्रम को ही आत्मखण्डिति कहने का क्या औचित्य है?

उच्चर में कहा जा सकता है कि यह रजनभ्रम के पूर्व नियमेन रजताकार स्परण उत्तमन होता है। वह स्परण प्रकटज्ञानात्मक होने से आत्मभूत है, उसका आकारभूत रजन भी उपर्युक्त न होने के कारण आत्मभूत है। भ्रम उस आत्मभूत रजत को विषय करने से आत्मविषयक है अगले उसे 'आत्मखण्डिति' कहना उचित है। किन्तु रजतप्रमा के पूर्व रजनस्परण होने का नियम नहीं है इच्छिये प्रमा प्रहर ज्ञान के आकारभूत रजत को विषय न कर अपकृद ज्ञानात्मक वासना के ही आकारभूत रजत को विषय करती है। अपकृदज्ञान को ज्ञान न कहकर वासना कहने के कारण आत्मा नहीं कहा जाता, अतः उसके आकार को विषय करने वाला प्रमात्मक ज्ञान आत्मविषयक नहीं होता। इच्छिये प्रमा को 'आत्मखण्डिति' नहीं कहा जा सकता।

असत्त्वयाति—

यह भी दीददर्शन की अभिपत्र खण्डिति है। इसकी उद्घावना माध्यमिक-आचार्यों ने की है। 'असत्त्वयाति' का अर्थ है—असद् को प्रहण करने वाला ज्ञान। भ्रमध्यल में असद् अर्थ का ही ज्ञान होता है। जैसे रजन सीधी में असद् है। फिर भी कारण-विशेषवश सीधी में रजन का भ्रम होता है। यह भ्रम असद्-विषयक होने से 'असत्त्वयाति' है।

प्रश्न हो सकता है कि माध्यमिक मत में 'शुद्धयता' ही पारमार्थिक है। उससे भिन्न जो कुछ तुदियोचर होता है वह उस असद् है। 'शुद्धयता' ही सर्व भिन्न-भिन्न सद् के रूप में भासित होती है। इस स्थिति में जैसे लोकसिद्ध भ्रम असद्-ज्ञान है उसी प्रकार लोकसिद्ध प्रमा भी असद्-ज्ञान है। अतः भ्रम और प्रमा दोनों में जब असद्-ज्ञान है तब एक को (ज्ञानहो) 'असत्त्वयाति' कहने और दूसरे को—प्रमा को 'असत्त्वयाति' न कहने को ही औचित्य नहीं है। उच्चर में कहा जा सकता है कि यह

ठीक है कि जैसे भ्रम का विषय असत् है उसी प्रकार प्रमा का भी विषय असत् है, किर भी दोनों के असदूपाहित्व में भेद है, वह भेद यह है कि प्रमात्मक शान वस्तुदृष्ट्या असत् किन्तु लोकदृष्ट्या सत् अर्थ को ग्रहण करता है और अमात्मक शान वस्तु तथा लोक दोनों ही दृष्टि से असद् अर्थ को ग्रहण करता है, इसीलिये 'भ्रम' को 'असत् खण्डित' कहा जाता है किन्तु 'प्रमा' को असत्कर्त्तव्यति' नहीं कहा जाता।

अद्याति—

यह मीमांशादर्शन के प्रभाकर सम्प्रदाय की अभिमत खण्डित है। इसका अर्थ है—विशिष्ट की अखण्डति। 'विशिष्ट की अखण्डति' का अर्थ है—धर्मविशिष्ट धर्मी अथवा विशेषण—विशिष्ट विशेष्य की अखण्डति अर्थात् धर्मी के साथ धर्म के या विशेष्य के साथ विशेषण के सम्बन्ध की अखण्डति। कहने का आशय यह है कि धर्मी और धर्म के परदर पर सम्बन्ध को ग्रहण न करने वाला किन्तु धर्मी और धर्म को स्वरूपतः ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही 'अखण्डति' शब्द से प्रतिपादित होता है। इस मत में भ्रमस्थल में विशिष्टाद्वारा एक ज्ञान का जन्म नहीं होता किन्तु धर्मी का अनुभव और धर्म का स्मरण, ऐसे दो ज्ञान का जन्म होता है। दोनों ज्ञान के विषयों में असम्बन्ध तथा दोनों ज्ञानों में भेद होता है किन्तु दोपदवा उनका ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान के न होने के कारण ही भ्रमस्थल में होने वाले विशिष्ट अपाद्वारा ज्ञानदृष्ट्य को विशिष्टाद्वारा एक ज्ञान के रूप में व्यवहृत किया जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि भ्रमस्थल में उक्तीर्थ्या जब धर्मी और धर्म के दो ज्ञान होंगे तब उनमें कोई भी ज्ञान 'तदभाववान्' में तथ्यकारक तो होगा नहीं, तो फिर उन दोनों को अथवा उनमें किसी एक को भ्रम यन्द से कैसे व्यवहृत किया जायगा? क्योंकि कोई भी ज्ञान 'भ्रम' शब्द से व्यवहृत होने का भावन तभी होता है जब वह 'तदभाववान्' धर्मी में तथ्यकारक हो। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भ्रमस्थल में होने वाले दोनों ही ज्ञानों को भ्रम यन्द से व्यवहृत करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भ्रमस्थल में विभिन्न ज्ञान के विषयों में भी विशेष्यविशेषणभाव मान्य है। इसलिये भ्रमस्थल के 'इदम्' इस अनुभव में उस स्थल के 'रजतम्' इस स्मरण की रजतत्वगत प्रकारता से निरूपित विशेष्यता, और 'रजतम्' इस स्मरण में 'इदम्' इस अनुभव की गुच्छिगत विशेष्यता से निरूपित प्रकारता के रहने से 'इदम्' यह अनुभव रजतत्वगतप्रकारतानिस्पति शुक्तिगतविशेष्यतायादी तथा 'रजतम्' यह स्मरण गुच्छिगत विशेष्यतानिस्पति रजतत्वगत प्रकारतायादी होने से भ्रम यन्द से व्यवहृत होने का भावन हो जायगा। इस बात को 'गदाधर भट्टाचार्य' ने 'तत्त्वचिन्तामनि', प्रत्ययदुष्टं देखा प्रादाप्यवाद में 'गुरुणान्तु स्वान्वयेण प्रामाण्योपस्थिती धर्मिज्ञानम्' इस दीर्घिति की व्याख्या करते हुये इस प्रकार प्रदर्शित किया है।

स्वतन्त्रोपस्थिताप्रामाण्यनिष्ठप्रकारतानिरुपित—घर्मिनिष्ठविशेष्यतानिहृषक-
वज्ज्ञानगोचरानुभवरूपज्ञानान्तरमित्यर्थः ।

गुरुमत में कोई भी ज्ञान अप्रामाण्य नहीं होता । उस सूत्र में एक पदार्थ का ग्रन्थ, पदार्थ के रूप में ज्ञान कदापि नहीं होता । अतः तज्ज्ञान में अप्रामाण्य के सम्बन्ध को विषय करने वाला एक ज्ञान न होकर अप्रामाण्य का स्मरण और तज्ज्ञान का अनुभवरूप चिन्द्रिय होता है । भिन्न ज्ञानों की विषयताओं में भी निरुप्यनिरुपक्रमाव होने से वह अनुभव ‘अप्रामाण्यनिष्ठप्रकारतानिरुपित—तज्ज्ञाननिष्ठविशेष्यगायाशाली’ होता है ।

प्रश्न हो सकता है कि भ्रमस्थल में होने वाले दोनों ज्ञानों की विषयताओं में जब निरुप्यनिरुपक्रमाव ग्रन्थ है तब दो ज्ञान मानने की क्या आवश्यकता है ? दो के स्थान में एक ही ज्ञान क्यों नहीं मान लिया जाता ? उत्तर यह है कि भ्रमस्थल में दो ज्ञान इसलिये नहीं माने जाते कि दो मानने की कोई आवश्यकता है, किन्तु दो इसलिये माने जाते हैं कि दोनों के विषयों को ग्रहण करने वाले एक ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता, जैसे रजत-शिर्य शुकिदेश में रजतत्व के साथ इन्द्रिय सन्त्विर्य न होने से शुक्रि के ‘इदम्’ इत्याकारक प्रत्यक्षानुभव के साथ रजत या रजतत्व का अनुभव नहीं हो सकता और रजताकार संक्षार के उद्दोष के समय शुक्रि के इदमाकार संक्षार का उद्दोष न होने से रजत के स्मरण के साथ शुक्रि के इदमाकार स्मरण का उदय नहीं हो सकता ।

पुनः प्रश्न हो सकता है कि जब प्रभाकरमत में भी रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरुपित-शुक्रिनिष्ठविशेष्यगायाशाली ज्ञान मानना आवश्यक हो गया तो प्रभाकर भी अन्यथा खण्डातिवादी हो गये, तो किस उन्हें अखण्डातिवादी या सर्वज्ञान-याधार्थवादी कहना कैसे संगत होगा ? इसका उत्तर यह है कि यतः प्रभाकर को, जिस धर्म में जो धर्म विस सम्बन्ध से नहीं रहता उस धर्म में उस धर्म के उस सम्बन्ध का ज्ञान अमान्य है, अतः उन्हें अन्यथाखण्डातिवादी न कह कर अखण्डातिवादी कहने और इस प्रकार का भ्रमाद्यक ज्ञान मान्य न होने से सर्वज्ञानयाधार्थवादी कहने में कोई असमति नहीं है ।

प्रश्न होता है कि जब प्रभाकर के मतानुसार भ्रमस्थल में शुक्रि में रजतत्व के सम्बन्ध का ज्ञान अमान्य है तब उस मत के अनुसार रजत चाहने वाले पुरुष की भ्रमस्थल में शुक्रि को हस्तगत करने में प्रवृत्ति कैसे होगी ? इसके उत्तर में दो चारों कहीं जा सकती हैं, पूर्व तो यह कि रजतार्थी पुरुष किसी वस्तु को हस्तगत करने के लिये जो प्रवृत्ति होता है वह इसलिये नहीं कि वह उस वस्तु को रजत समझता है, किन्तु इसलिये प्रवृत्ति होता है कि वह शुक्रिको रजत से भिन्न नहीं समझता । इसका अर्थ यह हुआ कि रजत की कामना से किसी वस्तु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उस वस्तु में रजतत्व का संर्गेश्वान कारण नहीं है अपितु रजतत्व के असर्गका अज्ञान कारण है । यह अज्ञान ही उस वस्तु का

अनुभव और रजा का स्मरण होने पर उस वस्तु के ग्रहणार्थ पुरुष की प्रवृत्ति करता है। दूसरी बात यह है कि किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिये रजतार्थी पुरुष की प्रवृत्ति के प्रति उस वस्तु में रजत स्व का सहर्गङ्गान कारण नहीं है किन्तु उस वस्तु में रजतत्व का ज्ञान कारण है, और उस वस्तु में रजतत्वशान का अर्थ है—रजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितदद्विनिष्ठविशेष्यताक्षान। यह ज्ञान शुक्ति में रजतत्वसहर्ग के भाव के बिना भी उपर्युक्त रीत से सम्भव है। अतः भ्रमस्थल में रजतस्मरण के साथ होने वाले शुक्ति के इदमाकार प्रथम अनुभव में भी ‘स्मरणीयरजतत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित शुक्तिनिष्ठविशेष्यताक्षत्व’ होने से उससे शुक्ति में रजतार्थी की प्रवृत्ति के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती।

अन्यथालयाति—

यह न्यायवैशेषिक दर्शन की अभिमत रूपाति है। इसका अर्थ है एक वस्तु का अन्यवस्तु के रूप में ज्ञान। जैसे शुक्ति का रजतत्वेन, रज्जु का सर्वत्वेन, ‘इद रजतम्’ ‘अय सर्वः’ इत्यादि ज्ञान। इस प्रकार के ज्ञान को अस्तीकृत नहीं किया जा सकता, क्यों कि इनके उदय के बाद ‘इद रजतत्वेन ज्ञानामि’ इम सर्वत्वेन ज्ञानामि। इस रूप में इन ज्ञानों का अनुभव होता है।

प्रश्न होता है, कि शुक्तिस्थल में रजत और रजुस्थल में सर्व का सन्निधान न होने से रजतत्व और सर्वत्व के साथ चक्षु का ‘स्युचसमवाय’ सन्निर्दर्शन सम्भव नहीं है। फिर सन्निर्दर्श के बिना शुक्ति में रजतत्व का और रज्जु में सर्वत्व का प्रथम ऐसे होगा। उत्तर यह है कि शुक्ति में रजतत्व का और रज्जु में सर्वत्व का जो प्रथम होता है वह लौकिक प्रथम नहीं है किन्तु अलौकिक प्रथम है। रजतत्व आदि के साथ चक्षु के ‘स्युचसमवाय’ सन्निर्दर्श की अपेक्षा उसके लौकिक प्रथम में होती है न कि अलौकिक। प्रथम हमें अलौकिक प्रथम तो धर्मों में उन धर्मों का प्रथम होने में कोई प्रतिबन्धक न होने पर उन धर्मों की उपरिधितिमात्र से ही सम्बन्ध हो जाता है। अतः शुक्ति आदि में रजतत्व आदि का प्रथम होने में कोई बाधा नहीं है। यह अन्यथालयाति ही न्यायवैशेषिक मत में ‘भ्रम’ या ‘विपर्यय’ है।

अनिर्वचनीयलयाति—

यह वेदान्तदर्शन में ऊँटर सम्प्रदाय की अभिमत रूपाति है। इसका आशय यह है कि भ्रमस्थल में विष कर्तु भी रूपाति होती है वह ‘अनिर्वचनीय’ है। ‘अनिर्वचनीय’ या अर्थ है—उट् और अठट् से विलब्द। जिसे न हट् छहा जा सके और न अठट् छहा जा सके वह ‘अनिर्वचनीय’ होता है। जैसे क्षीपी में दील रहने वाली चादी को ‘हट्’ नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्षीपी भी वहचान होते ही उसमें दील रहने वाली चादी कहा के लिये उपास हो जाती है। उसे ‘अठट्’ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि

सर्वमेव ज्ञानं स्मरणमययार्थं चेति द्विविधम् । उदुभयं जागरे । स्वप्ने तु सर्वमेव ज्ञानं स्मरणमययार्थं च । दोषवशेन तदिति स्थानं इदमित्युदयात् ।

वह यशश्वर के समान उच्छ्व नहीं है । क्योंकि वह जब तक प्रतीत होती है तब तक उसके लिये लोगों में दौड़, धूप, मारपीट तक हो जाती है ।

सीधी में दीख पहने वाली चाढ़ी बाजार की चाढ़ी से भिन्न होती है । दोनों के पैदा होने और प्रथम होने की प्रणाली में पर्याप्त अन्तर है । बाजार की चाढ़ी चड़े भ्रम से खान से निकाली जाती है, शुद्ध और स्वच्छ भी जाती है । इन्द्रियसन्निकर्ष आदि से उसका प्रथम होता है । अच्छे मूलयों में उसका क्रय-विक्रय होता है । मनुष्य सुसार से जब तक विरक्त नहीं हो जाता तब तक उसके लिये उसकी उपादेयता बनी रहती है । अद्वैत वेदान्त के शब्द में उसे 'व्यावहारिक' चाढ़ी कहा जाता है । क्योंकि चाढ़ी के विरोपण चाढ़ी के रूप में उसका व्यवहार करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, अतः विरोपण द्वारा व्यवहार में लिये जाने के कारण उसे 'व्यावहारिक' कहा जाता है ।

सीधी में दीख पहने वाली चाढ़ी का जन्म और प्रथम अनायास ही हुआ करता है । सूर्य के प्रखर प्रकाश में चमकती सीधी पर जब आँख पड़ती है और सहसा उसके वास्तव स्वरूप की पहचान नहीं हो पाती किन्तु, चाढ़ी जैसी चक्रमक देखकर चाढ़ी का 'परण हो जाता है, तब 'इदं' रूप में दीख पहने वाली सीधी में उसकी वास्तविकता के अज्ञान से योड़े समय के लिये चाढ़ी और चाढ़ी के प्रथम अनुभव की साथ ही उत्पत्ति होती है, और यो ही सीधी की वास्तविकता का ज्ञान होता है स्थै ही उस चाढ़ी का आरणभूत अज्ञान, वह चाढ़ी और उसका प्रथम, तीनों का सर्वदा के लिये अवश्यन हो जाता है । सीधी में दीख पहने वाली वह चाढ़ी अद्वैत वेदान्त के शब्द में 'प्रातिभावित' नहीं जाती है क्योंकि जितने समय तक सीधी में चाढ़ी का प्रतिभास होता है उतने ही समय तक उस चाढ़ी का अस्तित्व होता है ।

इन प्रसिद्ध उपरातियों से कुछ भिन्न ख्यातियाँ भी हैं । जैसे सत्याति, सदसत्याति, प्रसिद्धार्थस्याति, अलीकिक ख्याति, विपरीतवस्तुख्याति आदि । इनमें पहली ख्याति यमानुज दर्शन में वर्णित है । दूसरी ख्याति अनेकान्तवादी जैनों की मानी जाती है । अन्तिम तीन ख्यातियाँ जैनदर्शन के प्रसिद्ध मन्त्र 'स्याद्वादरभाकर' में चड़े अच्छे दग से वर्णित हैं । जिनमें पहली दो का अन्यमत के रूप में तथा तीसरी का अपने मत के रूप में उल्लेख किया गया है ।

तर्कभाषाकार को इन ख्यातियों में 'अन्यत्याख्याति' ही मान्य है क्योंकि वह अन्य चम्भी ख्यातियों की अपेक्षा अविक तर्कबन्धत और कुदिग्राम है ।

स्मरण—

सत्कारमात्र से उत्थन होने वाले ज्ञान का नाम है 'स्मरण' । 'स्मरण' के दो मैद हैं—

यथार्थ और अयथार्थ। स्मरण अनुभवानुसारी होता है, अतः जब अनुभव 'यथार्थ' और 'अयथार्थ' दो प्रकारका होता है तब उसी के अनुसार उत्पन्न होने वाले स्मरण का 'यथार्थ' और 'अयथार्थ' रूप मेंदो मेद होना उचित ही है। ज्ञानकाल में दोनों प्रकार के स्मरण का उदय होता है। पर स्वप्नावस्था का सारा हानि स्मरणात्मक और अयथार्थ होता है। प्रश्न होता है कि स्वप्नावस्था का शाम यदि स्मरणरूप होता है तब उसमें 'तत्त्व' का उल्लेख क्यों नहीं होता ? और अनुभव के समान 'इदन्ता' का उल्लेख कैसे होता है ? उत्तर यह है कि जिस दोष से स्वप्नकालिक ज्ञान की उत्तरति होती है उसी से 'तत्त्व' के उल्लेख का प्रतिक्रिया और 'इदन्ता' के उल्लेख का उदय होता है।

स्मरण अपने विषय के पूर्वानुभव के अनुसार उत्पन्न होता है। यह अभी कहा गया है। उसकी इस प्रकार की उत्तरति के लिये ही पूर्वानुभव और उत्तरकालीन स्मरण के बीच एक व्यापार की कल्पना भी जाती है जिसे 'भावना' नामक सर्वाकार कहा जाता है। यह सर्वाकार उस निश्चयात्मक अनुभव से उत्पन्न होता है जो अपने विषय में उपेक्षात्मक नहीं होता। यदि यससे चलते कभी किसी विषय का उपेक्षात्मक अनुभव हो जाता है तब उससे सर्वाकार का उदय नहीं होता, अतः उस अनुभव के विषय का कभी स्मरण नहीं होता है।

अनुभवजन्य सद्वाकार भी सदैव स्मरण का उत्पादक नहीं होता, किन्तु जब कभी उद्बुद्ध होता है, जब उसे नये सहकारी का सन्निधान होता है तभी स्मरण का उत्पादक होता है। उसके उद्बोधक की कोई नियन्त्र स्वतंत्र और कोई नियन्त्र स्वतंत्र नहीं है। स्मरणरूप फ़ृक्त के उदय से उसकी कल्पना कर ली जाती है। जब बिस नये आगमनुक कारण के सन्निधान में किसी पूर्वानुभूत विषय का स्मरण होता है तब उसे उस विषय के सद्वाकार का उद्बोधक मान लिया जाता है। फिर भी सहविगौतम ने उक्त सद्वाकार के उद्बोधकों की एक गामावली अपने निम्न सूत्र में अङ्कित की है।

प्रणिधाननिवन्धान्यासपलिङ्गलक्षणसादृश्यपरिमहाभ्याथितसम्बन्धानन्तर्यवियोगोककार्यं
विरोधातिशयप्रातिन्यश्वानेसुखदुःखेन्द्रादेवभयार्थित्वकियारागघर्मावर्मनिमित्तेभ्यः ।

न्या० सू० ३२०४२

प्रणिधान—विषयान्तर से मन का निवारण, निवन्ध-एकप्रन्थता, अभ्यास-एकविशय वा पुनः पुनः चिन्तन, लिङ्ग—च्याप्त, लक्षण-चिन्ह, साहश्य-छाप्त, परिप्रह-स्वीकार, आध्यय, आधित, सम्बन्ध-गुरुशिष्यभाव आदि, आनन्दय-अन्यवधान, वियोग-विरह, एककार्य-कार्य का ऐन्य, निवोध-वैर, अतिशय-उत्तरप्रधान, प्रस्ति-लाभ, व्यवधान-आवरण, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भय, अधिष्ठव-प्राप्तिना, क्रिया-कर्मन, राग-रेन्द्र, लर्म और अधर्म, ये सद्वाकार के उद्बोधन में निवित हैं। इनसे सद्वाकार का उद्बोधन होने पर स्मरण वा उदय होता है।

सर्वं च ज्ञानं निराकारमेव । न तु ज्ञानेर्थेन स्वस्याकारो जन्मयते, साकार-
ज्ञानवादनिराकरणात् । अत एवाकारेणार्थं तु मानमपि निरस्तम् । प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्
वटादेः । सर्वं ज्ञानमर्थनिरूप्यम्, अर्थप्रतिबद्धस्यैव तस्य मनसा निरूपणात् ।
'घटज्ञानवानहम्' इत्येतन्मात्रं गम्यते, न तु 'ज्ञानवानहम्' इत्येतावन्मात्रं ज्ञायते ।

सच्चार के विषय में एक मत यह है कि उसका जन्म पहले तो अनुभव से ही होता है पर बाद में अनुभूत विषय के स्मरण से भी उसका उदय होता है तथा पूर्व संकार से उत्तरोत्तर होने वाला सच्चार दृढ़ और तीव्र होता है । यही कारण है, जिससे जिस विषय का बार बार स्मरण होता रहता है, उसका स्मरण शीघ्र उत्तम होता है और जिस विषय का स्मरण बार बार न हो कर यदा कदा ही होता है उसका स्मरण विलम्ब से होता है । दूसरा मत यह है कि संकार का जन्म अनुभव से ही होता है, स्मरण से नहीं होता ।

- स्मरण से सच्चार को उद्बोधक का सन्निधान प्राप्त होने में सहायता अवश्य मिलती है । जिस विषय का अधिक स्मरण होता है उस विषय के सच्चार को उद्बोधक का सन्निधान शीघ्र प्राप्त होता है ।

स्मृतिप्रमोष—

'स्मृतिप्रमोष' का अर्थ है स्मृति होने के समय उसके कारणभूत सच्चार के किसी विषय का 'प्रमोष' हो जाना । 'प्रमोष' का अर्थ है—उद्बोधक का सन्निधान न होना । इस प्रमोष के कारण ही अनेक बार पूर्वानुभव के समस्त विषयों का स्मरण न होकर कुछ ही विषयों का स्मरण होता है, और कभी 'ब मनुष्यः, स घडः, तद् रजतम्' इस रूप में न हो कर केवल 'मनुष्यः, घडः, रजतम्' इस रूप में 'तत्त्वाः' से शू-य स्मरण का उदय होता है ।

सच्चार का नाश उसके विषय के अन्तिम स्मरण, सुदीर्घशाल तक उद्बोधक के असन्निधान और गम्भीर व्याधि से होता है । जिस विषय का सच्चार नष्ट हो जाता है, उसका स्मरण तब तक नहीं होता, जब तक उसका पुनः अनुभव हो कर नये सच्चार का जन्म नहीं हो जाता ।

बोद्दर्शन के दो सम्प्रदायों में स्थृ रूप से ज्ञान की साकारता स्थीरता की गई है । उनमें एक है 'प्रोग्नार' का सम्प्रदाय, जिसमें 'ज्ञान की सहज साकारता' मान कर बाह्यार्थ—ज्ञानाकार से भिन्न अर्थ की सत्ता अस्वीकृत कर दी गई है । दूसरा सम्प्रदाय है 'वैभाविक' का । उसकी यह मान्यता है कि ज्ञान में स्वतः कोई आकार नहीं होता किंवा नहीं उसमें आकार का 'अनुभव' होता है । यह अनुभूप्रभाव जापार उसे उसके 'विषयसूत्र' अर्थ से प्राप्त होता है । इस सम्प्रदाय में यह मत स्थिर किया गया है कि दृगिङ्क होने

६. अन्तरिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेव ।

७. प्रवृत्तिः धर्माऽधर्मसयी यागादिक्रिया, तस्या जगदृथ्यवहारसाधकत्वात् ।

८. दोषा राग-द्वेष मोहाः । राग इच्छा । द्वेषो मन्युः क्रोध इति चाचत् ।
मोहो मिथ्याज्ञानं विपर्यय इति चाचत् ।

से अर्थ इन्द्रिय का विधय नहीं हो सकता, अतः वह स्वयम् अप्रथक्ष है, किन्तु उसका ज्ञान क्षणिक होते हुये भी स्वप्रकाश होने से साकार रूप में प्रथक्ष विदित होता है। उसके आकार से उसे अपना आकार अप्रित करने वाले अर्थ का अनुमान होता है। इसी लिये इस सम्प्रदाय को 'बाद्धार्थानुमेयवादी' कहा जाता है।

तर्कभाषाकार को 'ज्ञान की साकारता' के यह दोनों पक्ष मान्य नहीं हैं, अतः उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 'सर्वं च ज्ञान निराकारमेव' सम्पूर्ण ज्ञान निराकार ही होता है। न वह स्वभावतः साकार है और न अपने अर्थ के अनुदरण से ही साकार है। ज्ञान की साकारता किसी भी रूप में युक्तिरूप नहीं है। ज्ञान 'स्वतः साकार' है अतः उसी से जगत् के सारे व्यवहार की सिद्धि हो जाने से ज्ञान से भिन्न अर्थ का अस्तित्व अनावश्यक है, एवं अर्थ अनीन्द्रिय है, ज्ञान के अनुभवसिद्ध आकार से उसका अनुमान होता है, यह दोनों बातें इस एक ही तर्क से कट जाती हैं कि जैसे ज्ञान और उसमें गृहीत होने वाले आकार के प्रथक्षसिद्ध होने से उनकी सत्ता अस्थीकार्य नहीं होती, उसी प्रकार घट, पट आदि बाद्ध विषय भी प्रथक्षसिद्ध हैं अनः उनकी सत्ता की भी अस्थीकार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह होता है कि ज्ञान यदि निराकार है तो निराकार रूप में उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों वह घट, पट आदि के आकार में ही नियमेन गृहीत होता है? इसका उत्तर यह है कि सभी ज्ञान अर्थ से निरूपणीय होता है; मन उसे उसके विप्रभूत अर्थ के साथ ही प्रहण करता है, क्यों कि जब भी ज्ञान का प्रहण होता है तब सौदैव 'मुझे घट का ज्ञान है, मुझे पट का ज्ञान है' इन रूपों में ही प्रहण होता है। केवल इस रूप में कि 'मुझे ज्ञान है' ज्ञान का प्रहण नहीं होता। तो इस प्रकार ज्ञानज्ञान के नियमेन विषय-विद्ययक होने से ज्ञान के साकार होने की कल्पना उठती है, पर यथार्थ में ज्ञान निराकार ही है। उसमें अनुभूयमान 'तत्तदर्थाकारता' 'तत्तदर्थविषयकत्व' से भिन्न कुछ नहीं है क्यों कि ज्ञान में गृहीत होने वाली 'तत्तदर्थविषयता' तत्तदर्थ का व्यस्तपत्रन्धविशेष है।

मन—

मन एक आन्तर इन्द्रिय है, इसी से उसे अन्तःकरण भी कहा जाता है। यदि प्रति प्राणी को अलग अलग प्राप्त होता है, शरीर के भीतर रहता है, निष्य और अणु होता

है। आठना के साथ इसका सम्बन्ध तब तक नहीं दृष्टना जब तक आठना की मुक्ति नहीं हो जाती। आठना के मुक्त होने पर मन निरपेक्ष हो जाता है। इस निरर्थक मन को परदृष्टन-नपुणक मन कहा गया है। कभी कभी योगी जन ऐसे मन को भी काम में लगा लेते हैं। जब किसी योगी को अतिशीघ्र मुक्त होने की कामना प्रबल हो उठती है तो वह ऐसे द्वारा प्रारंभ कर्मों की शीघ्र समाप्ति के लिये एक ही साथ अनेक शरीरों की रचना कर लेता है, जिसे 'कायव्युह' कहा जाता है और उन शरीरों के लिये तूर्चमुक्त पुष्टि के इन पृष्ठ मनों को पहुँच कर उनके सद्योग से उन सभी शरीरों में एक साथ ही विभिन्न कर्मों का फलभोग करता है। मन सभी बाह्य इनिदियों का संशापक होता है और उस प्रकार के ज्ञान के उदय का सम्पादक होता है। इसके बारे में पहले भी बहुत उछ कहा जा चुका है।

प्रवृत्ति—

धर्म, अर्थम् को उत्तरण करने वाली याग, हिंसा आदि शास्त्रों में विहित और विषिद्ध कियावों अथवा उन क्रियावों से होने वाले धर्म और अर्थम् का नाम है 'प्रवृत्ति'। यह संशार के ऊपर्यूप व्यवहार की सार्विका है। प्रवृत्ति से ही संशार का सारा व्यवहार सम्पादित होता है। पूर्ण प्रवृत्तियों से नवे कर्म और नवे कर्मों से नयी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। कर्म और प्रवृत्तिकी इस अविज्ञिन शृदृश्यता में बचा संशार विविध प्रकार के उत्तरान और प्रवान के चौर अवनी यात्रा चालू रखता है। प्रवृत्ति ही प्राणी के जन्म का पूर्ण काल है। जन्म के पन्नन से मुक्त होने के लिये इसका उच्चेद आवश्यक समझा जाता है।

दोष—

राग, द्वेष और मोह का नाम है 'दोष'। 'राग' का अर्थ है कामना। 'द्वेष' का अर्थ है कोघ और 'मोह' का अर्थ है निष्पादन। इन्हीं तीनों से संशार के कारणभूत प्रवृत्तिश उदय होता है। इन्हीं को भगवद्सुनीता में—

चिदिव नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः ।

काम कोपलथ्या लोभस्त्वमादेतत्त्वय इन्द्रेत् ॥

इन एव्वैं में नरक का द्वार और असनाश का कारण बना कर त्याज्य कहा गया है। इन तीनों में भी 'मोह' सब से तुरा है, क्यों कि वही 'राग' और 'द्वेष' की जड़ है। जैसा कि महाय गीतम् ने कहा है—

तेषा मोह वापीयन् नामूदृश्य इतोत्पत्तेः ।

मोहदीन को गग और द्वेष नहीं होता। 'मोह' से ही उनका उदय होता है। अतः तीनों में वह सबसे तुरा है। इन्हीं निवृत्ति के उद्देश्य से ही प्रवाण आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान के द्वेष 'पायशास्त्र' की रचना की गई है।

८०. पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । स चारेभनः पूर्वदेहनिवृत्तिः, अपूर्वदेहसङ्घातशाभः ।

१०. फलं पुनर्भोगं सुप्रदुषयान्यनरसाक्षात्कारः ।

११. पीडा दुखम् । तच्चोक्तमेव ।

प्रेत्यभाव—

'प्रेत्य' का अर्थ है 'मृता—परहर' । 'भाव' का अर्थ है होना—पैदा होना । इस प्रकार 'प्रेत्यभाव' का अर्थ है 'मरणोत्तर भवन' अर्थात् 'पुनर्जन्म' । इसका सम्बन्ध जीवात्मा से है । जीवात्मा जब तक मुक्त नहीं होता तब तक उसका 'पुनर्जन्म' होता है । मुक्त न होने तक जीव मरता है और पैदा होता है । इसी की 'पुनरपि जननम्, पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननीजठरे शयनम्' के रूप में 'जन्म और मरण का चक्र' कहा जाता है । जीव इस चक्र में अनादिकाल से चक्रमण कर रहा है ।

प्रश्न होता है कि जीवात्मा तो निरूप है, न उसका जन्म ही होता और न नाश ही होता, तो किर 'पुनर्जन्म' के साथ 'जीवात्मा' का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? उत्तर यह है कि 'पुनर्जन्म' का अर्थ यदि 'स्वस्पैण नाश और स्वस्पैण उत्पत्ति' हो तो अवश्य ही 'जीवात्मा' का 'पुनर्जन्म' के साथ सम्बन्ध असम्भव होगा पर 'पुनर्जन्म' का अर्थ यह नहीं है, किन्तु उसका अर्थ है 'जीवात्मा के पूर्वशीर की रासायन शरीर के साथ उसके भोगप्रयोजक अवच्छेणावच्छेदकभाव या विलक्षणस्योग रूप सम्बन्ध का नाश तथा नये सेन्द्रिय, समनाक संप्राण शरीर के साथ भोगप्रयोजक उक्त सम्बन्ध का लाभ' । अतः इस 'पुनर्जन्म' के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होने में कोई वाधा नहीं है । ताप्तय यह है कि जीवात्मा अनादि है । शरीर के साथ अनादि काल से उसके सम्बन्ध के टूटने और जुड़ने का क्रम चला आ रहा है । यह क्रम उसके पूर्णजन्मार्जित कर्मों द्वारा समादित होता है । उसके पास ऐसे कर्मों की अनन्त राशियाँ हैं, जिनके कर्ममोग के लिये उसे एक शरीर का लाभ होता है । ऐसे कर्माण्डिय को 'प्रारब्धकर्म' कहा जाता है । 'प्रारब्ध' कहने से यह सूचित होता है कि उस राशि के कर्मों के कर्ममोग का प्रारम्भ हो गया है । यह प्रारब्ध कर्म जब एक जन्म में मुक्त होता है तब उसके साथ नई कर्माण्डिय का सचय भी होता रहता है । इस प्रकार भोक्तव्य कर्मों का आयव्यय यथोचित रूप में सम्बन्ध होता रहता है । हाँ, तो वर्तमान शरीर से भोग्य कर्मों का कर्ममोग पूरा हो जाने पर वर्तमान शरीर निराण हो जाता है । उसके साथ उसका सम्बन्ध टूट जाता है और उसके बाद दूसरी कर्माण्डिय के कर्ममोग के लिये उसे नये शरीर की प्राप्ति होती है । नये शरीर के साथ उसका सम्बन्ध होता है । यहीं जीव का पुनर्जन्म है ।

१२ मोक्षोऽपवर्गं । स चैकविशतिप्रभेदभिन्नस्तु दु यस्यात्यन्तिकी निवृत्तिः । एकविशतिप्रभेदात् शरीरं, पदिन्द्रियाणि, पड़् विषया, पड़् वुद्धय, सुख, दुर्खं चेति गोणमुख्यभेदात् । सुख दुखमेव दु यानुपत्तिं वात् । अनुपङ्गोऽविनाभाव । स चायमुपचारो मधुनि विषसयुक्ते मधुनोऽपि विषरक्षनिक्षेपवत् ।

फल—

फल का अर्थ है 'भोग' । 'भोग' का अर्थ है सुख अथवा दुःख का साक्षात्कार-प्रत्यक्ष अनुभव । जीवात्मा में सुख दुःख का उदय होने पर मन से उसका साक्षात्कार होता है । सुख दुःख का उदय विषयों के साथ इन्द्रिय का समर्क होने पर होता है । जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है—

मात्रासर्यात्मुक्तु कीन्तेय । शीतोष्णमुखदुःखदा ।

यह विषयेन्द्रियसम्पर्क प्राणी के जीवनकाल में ही होता है । प्राणी के जीवन का अर्थ है सेन्द्रिय, समनस्क, सप्ताण शरीर के साथ आत्मा का विलक्षण संयोग । यह उसके पूर्व कर्मों से सम्बन्ध होता है । इस प्रकार 'फल' प्राणी के पूर्व कर्मों का ही परिणाम है ।

दुख—

दुख का अर्थ है 'रीक्षा' । यह जीवात्मा का एक विशेषण है । इसका अन्य अर्थम्-पाप से होता है । द्वादश प्रमेयों में इसे अवश्यक रूप से परिगणित कर यह सूचना दी गई है कि यह विशेष रूप से शात्र्य है क्यों कि यही जीव को उत्थीकृत करता है, विकल बनाता है, इसी के कारण उत्थार अप्रिय और हेतु समझा जाता है । इसके विषय में पहले भी कहा जा चुका है । न्यायदर्शन के भाष्य, वातिक आदि ग्रन्थों को देखने से इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होनी है वह संक्षेप में इस प्रकार है ।

दुख के दो भेद हैं—मुख्य और गौण । मुख्य दुख जीवात्मा का विशेषण है जो स्वभावत द्वेष्य है और अर्धम से उत्थन होता है । गौण दुख जीव है । घाण, रक्ष, चक्षु, त्वक्, धोत्र और मन—ये स्त्रु ज्ञानेन्द्रिय, गन्तव्य, रक्ष, रूप, स्पर्श, शब्द और योग्य आत्मगुण—ये स्त्रु उनके विषय, इन विषयों के इन्द्रिय जन्य स्त्रु अनुभव, शरीर और सुख (दुःखानुविद्ध होने से) । इस प्रकार कुल इकहीस प्रकार के दुःख हैं । यह सब के सब व्याज्य हैं । इनकी आत्मनिक निवृत्ति का उपाय सुलभ करने के लिये ही न्याय-वैशेषिक शास्त्र की रचना हुई है ।

अपवर्ग—

'अपवर्ग' का अर्थ है 'मोक्ष' । मोक्ष का अर्थ है—इकीस प्रकार के दुःखों की आत्म-निवृत्ति । निवृत्ति की आत्मनिकता का अर्थ है—दुःखपूर्वत्वाभाव । दुखपूर्वत्वाभाव

स पुनरपवर्गः कर्थं भवति ।

उच्चयते । शास्त्राद्विदिससमस्तपदार्थतत्त्वस्य, विषयदोषदर्शनेन विरक्तस्य सुमुक्षो, ध्यायिनो ध्यानपरिपाकवशात् साक्षात्कृतात्मनः क्लेशहीनस्य निष्काम-
का अर्थ है—जिस निवृत्ति में दुःख की पूर्ववर्तिता न हो । ऐसी निवृत्ति वही हो सकती है जिसके हो जाने के बाद फिर कभी दुःख का उदय न हो । अत दुःखों की आत्मनिरक्षा निवृत्ति अनित्य जन्म के बाद ही होती है ।

इकीस प्रकार के दुःखों की गणना दुःख का परिचय देते हुये अभी की गई है । उनम सुखय दुःख तो स्वभावतः दुःख है । किन्तु इन्द्रिय, विषय, विषयानुभव और शारीर उसका साधन होने से दुःख माने जाते हैं और सुख जो जीवमात्र को अवश्यक काम्य है, जिसकी प्राप्ति के लिये ही मनुष्य सब कुछ करता है, वह सुख भी दुःख से अनुपरक्त होने के कारण दुःखला ही है । सुख में दुःख की अनुपरत्वा का अर्थ है—दुःख का अविनाभाव । अविनाभावका अर्थ है—एक के बिना दूसरे का न होना । सुख दुःख बिना नहीं होता । इसलिए सुख में दुःख का अविनाभाव है । यह अविनाभाव निभ्न प्रकार से है ।

सुख सभी जन्य ही होता है । नित्य सुख की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है । उठका उदय सुखानुकूल विषयों पर मनुष्य का आधिपत्य होने से होता है । विषयों पर आधिपत्य चौद्विक अपवा शारीरिक घन से साध्य है । अम यहाने बाली, दुःख देने वाली वस्तु है । इस प्रकार विषयों का अर्जन दुःखसाध्य है । अर्जन हो जाने पर उसके रक्षण की चिन्ता होती है । यह भय लगा रहता है कि आया हुआ विषय हाथ से निकल न जाय, इसलिये विषय के रक्षण के लिए भी अप की अपेक्षा है । सब कुछ सावधानी बताते हुये भी चक्षन और अनित्य होने से विषयों का विशेषण हो ही जाता है और फिर उस विशेषण से महान् दुःख होता है । इव प्रकार सुख के साधनभूत विषयों के अर्जन, रक्षण और विनाश तीनो अवस्थाओं में दुःख ही दुःख होने से सुख म दुःख का अविनाभाव है । इसलिये जैसे विषमिक्षित पथु भी विषय मं ही गिना जाता है और विषवत् उसका ध्यान ही किया जाता है, उठी प्रकार जब दुःखहीन सुख का लाभ सम्भव नहीं है । यारा सुख दुःख से विरा है । तब उपवार गौणवृत्ति से सुख को भी दुःख कहना ही ठीक है और दुःख के समान उपरा तयग करना ही उचित है ।

प्रश्न है कि अपवर्ग की प्राप्ति हो कैसे ?

उत्तर है कि अपवर्ग की प्राप्ति के लिये पहला कर्तव्य है शास्त्र का यथोचित अध्ययन । शास्त्र के अध्ययन से सम्पूर्ण पदार्थों का तत्त्वज्ञान प्राप्त होगा । पदार्थों का

कर्मानुष्ठानादनागतधर्माधर्मविनर्जयत् पूर्वोपात्तं च धर्माधर्मप्रचयं योगद्विप्रभावाद् विदित्वा, समाहृत्य भुञ्जानस्य पूर्वकर्मनिवृत्ती वर्तमानशरीरापगमे-पूर्वशरीराभावाच्छ्रीरात्येकविश्वितिदुःखसम्बन्धो न भवति कारणाभावात्। सोऽप्यमेकविश्वितिप्रभेदभिन्नदुःखहानिमोक्षः। सोऽपवर्ग इत्युच्यते।

तत्त्व जान लेने पर साधारिक विषयों में दोष—दुःखानुविद्वता का दर्शन होगा। विषयों में दोष दर्शन हो जाने पर उनसे विरक्ति होगी। विषयों से विरक्ति होने पर उनसे मुक्त होने की इच्छा होगी। उसके फलस्वरूप विषयों का चिन्तन न कर अपने आत्मा के उस वास्तव स्वरूप के चिन्तन में प्रवृत्ति होगी, जो शास्त्र के अध्ययन से उसे विदित हुआ है। योगशास्त्र में वर्णित रीति से चिरकाल तक चिन्तन का अनुवर्तन करने पर उसकी परिपूर्वता होगी। चिन्तन का परिपाक-चिन्तन के पूर्णत्व का लाभ होने पर आत्मा के स्वरूप का शाक्ताराम होगा, आत्मा के शाक्ताकार से अविद्या, अहिंसा, राग, द्वेष और अभिनिवेश-रूप पश्चिम वक्तेयों की, जिन्हें न्यायशास्त्र में राग, द्वेष और मोह इन विविध दोषों के रूप में वर्णित किया गया है, निवृत्ति होगी। इन दोषों के निवृत्त हो जाने पर मनुष्य जो कुछ करेगा वह निष्काम भाव से ही करेगा। निष्काम भाव से किये गये कर्मों से नये धर्म अधर्म का सचय नहीं होगा। अब उसे बेवल पूर्व जन्मों में अर्जित धर्माधिमों से ही लुटकारा पाने की चिन्ता रह जायगी। इसके लिये वह योगाभ्यास से प्राप्त शक्ति से उन सभी धर्माधिमों की जानकारी पास कर उन सब का एक साथ ही भोग करना चाहेगा। इसके लिये जिन-जिन योनियों के शरीर की अपेक्षा होगी उन सभी योनियों के शरीर की वह योगबल से रचना कर लेगा और उन शरीरों द्वारा पूर्व जन्मों के सचित सभी कर्मों को फल-भोग द्वारा एक साथ ही समाप्त कर देगा। प्रारब्ध कर्म विसके फलभोग के लिये वर्तमान शरीर प्राप्त है, उसका भी भोग साथ ही सम्पन्न हो जायगा। फलस्वरूप पर्तमान शरीर का सम्बन्धविच्छेद होने और धर्म तथा अर्थरूप कारणों का अभाव हो जाने से नये शरीर की प्राप्ति न होने से शरीर आदि इक्कीस प्रकार के दुःखों की आत्मनितक हानि हो जायगी। सम्पूर्ण दुःखों की इस प्रकार होने वाली यह आत्मनितक निवृत्ति ही अपवर्ग है। सचेष में अपवर्ग प्राप्त करने की यही विधि है।

अपवर्गप्राप्ति की इस प्रक्रिया में योगिक चमत्कारों की अनिवार्यता है। यदि मुमुक्षु की योगसाधना इतनी महती न हो, उसे योग की पूर्ण रिद्धि प्राप्त न हो तो वह पूर्व के असुख जन्मों में अर्जित कर्मराशि को तथा उसके भागानुकूल विविध योनियों को न जान सकेगा और न उसके फल-भोग के लिये एक साथ काय-यूद्ध की रचना ही कर सकेगा। कठनः महान् योगी बने विना मोक्ष की प्राप्ति न की जा सकेगी। अतः शास्त्रों में मोक्षप्राप्ति की एक दूसरी प्रक्रिया भी बतायी गयी है जो इस प्रकार है।

मनुष्य के कर्म, जिनसे वह चवा है, तीन प्रकार के हैं—सचित, प्रारब्ध और कियमाण—वर्तमान जीवन में सचित किये जाने वाले। मोक्ष प्राप्त करने के लिये मनुष्य को पहला काम यह करना चाहिये कि वह कियमाण कर्मों का द्वारा बन्द कर दे। उनका द्वारा बन्द करने का उपाय है—काम्य कर्मों का परियाग और निध्य, नैमित्तिक तथा निष्ठाम कर्मों का अनुष्टान। जीवन की धारा को ऐसे कर्मों की ओर मोड़ देने से नये धर्म अधर्म का सचय होना बन्द हो जाता है। अब उसे धर्म देना रहता है सचित कर्मों के पहाड़ को तोड़ने की ओर। उसके लिये उसे शास्त्र का अध्ययन कर पदार्थों का तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिये। शास्त्रद्वारा आरम्भ के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान कर उसका मनन, ध्यान और साक्षात्कार करने के लिये यत्नशील होना चाहिये। इस प्रकार के अनवरत प्रयास के बाद उसे एक दिन आरम्भ के तात्त्विक स्वरूप का साक्षात्कार होगा। फिर आरम्भ का तत्त्वसाक्षात्कार होते ही पूर्वजन्मार्जित अनन्त कर्मों की वह महान् रायिक्षण भर में ही भस्म हो जायगी। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है—

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भृत्यात् कुरुते ऽर्जुन !

इस प्रकार सचित कर्मों का नाश समझ हो जाने पर अब उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता। वह जीवन्मुक्त की अवस्था में अपने वर्तमान जीवन की समाप्ति की प्रतीक्षा करता है। प्रारब्ध कर्मों का फलभोग पूरा होने पर यह शरीर स्वतः कूट जाता है। इस प्रकार किसी प्रकार के भोक्तव्य कर्म के शेष न रहने पर उसे विदेह पुर्वि—इकील प्रकार के दुःखों की आव्यन्तिक निष्टुति-रूप अपवर्ग—मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष के लिये सत्त्वार छोड़ने, योगी या सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष के लिये इस प्रक्रिया का अनुसरण करने वाला मनुष्य गृहस्थ का सामान्य जीवन च्यतीत करते हुये भी मुक्त हो जाता है। जैसा कि कहा गया है—

न्यायागतवनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः ।

श्राद्धात् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥

न्याय से धनोपार्जन करने वाला, तत्त्वज्ञान में निष्ठा रखने वाला, अतिथि का साक्षात्कार करने वाला, पितृजनों का धाद करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है।

किन्तु तर्कभाषाकार ने इस प्रक्रिया की चर्चा न कर पूर्व प्रक्रिया की ही चर्चा की है, वह इसलिये कि पूर्व प्रक्रिया मोक्ष का राजमार्ग है। उस मार्ग पर चढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र ही और सुगमता से होती है। दूसरी प्रक्रिया विष्वबहुला और लम्बी है, उस प्रक्रिया का अनुवर्तन करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति बहुत विलम्ब से होती है। उस प्रक्रिया को ही दृष्टिगत कर गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है—

बहूना जन्मनामन्ते शानवान् मा प्रपद्यते ।

जानी (योगी सन्धारी नहीं) गृह्य पुरुष अनेक जन्मों के चाद मुझे प्राप्त कर पाता है ।

मोक्ष का शास्त्रान्तरसम्मत स्वरूप—

अद्वैत वेदान्त की दृष्टि में अनिर्वचनीया, विगुणार्थिका, जगत् का 'परिणामी उपादानशारण रूप' 'अविद्या' की निवृत्ति से उपलक्षित 'सच्चिदानन्द ब्रह्म' ही 'मोक्ष' है । इसमें उपलक्षणीय 'ब्रह्म' तो सतत सिद्ध है । उसके लिये कुछ करना नहीं है । करना है वैवल अविद्यानिवृत्तिहृष्य उपलक्षण की सिद्धि के उपाय का सम्बादन । वह उपाय है अवध्यब्रह्म का साक्षात्कार, जो अवण, मनन, निदिभ्यासन के द्वारा 'तत्त्वमसि' 'अह ब्रह्मार्थम्' इत्यादि महावाक्यों से प्राप्तुमूर्त होता है ।

मक्षिवादी वेदान्तों के अनुसार भगवान् के सान्निध्य का अनपायी लाभ ही मोक्ष है जो भगवान् की शरणागतिरूपा भक्ति से प्राप्त है ।

पीमाता दर्शन का मुख्य मत है कि 'नित्यसुख की अभिन्नतिं' ही मोक्ष है जो वेदविद्वित कर्मों के धद्वापूर्वक विविच्चत् अनुष्ठान से साध्य है ।

साख्य दर्शन के अनुसार 'अपने वास्तव स्वरूप कूटस्थ चैतन्य में पुरुष की अवस्थिति' ही मोक्ष है, जो प्रकृति और पुरुष के विवेकसाक्षात्कार से साध्य है ।

योगदर्शन को भी मोक्ष का यही स्वरूप मान्य है ।

जैनदर्शन के मत से 'आत्मा के वास्तव स्वरूप को आवृत करने वाले समूर्ण कर्मों का क्षय होकर उसका ऊर्ध्वमिमुख गमन' ही मोक्ष है, जो सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य के निषुणतापूर्वक निषेद्धण से साध्य होता है ।

बौद्ध दर्शन के अनुसार 'ज्ञान के विषयसम्पर्क रूप काल्प्य' को निरस्त कर उसकी नितान्त निर्मल धारा को प्रवादित करना या उसे सदा के लिये निर्वाण समाप्त कर देना' ही मोक्ष है । यह 'सर्वे शृणिक, सर्वे स्वलक्षणं, सर्वे द्रुत्यम्' इस आर्यचतुष्पद्य को जीवन में उतारने तथा आत्मा के नित्यास्तित्व की भावना का रूपाय करने से प्राप्त होता है ।

चार्वाक दर्शन के अनुसार 'वर्तमान जीवन को यथासम्बव सब प्रकार के लौकिक मुख्यों से सम्पन्न कर अन्त में सासारिक समृद्धियों के बीच मृत्यु का आलिङ्गन करना ही' मोक्ष है, जो जीवन में घन, जन, इत्यास्थ और अविहार के अधिकाधिक अर्जन से लब्ध होता है ।

शैवदर्शन का मुख्यमत है कि 'जीवशिवैवेष्य-जीव को शिव वी प्राप्ति ही' मोक्ष है, जो शैव सम्पदाय में वर्णित रीति से शिव की अनन्य उपासना से प्राप्त है ।

एकत्रिमन् धर्मिणि विशुद्धनानार्थाचमशं संशयः। स च त्रिविधः-विशेषादश्मने सति समानधर्मदर्शनज्ञः, विप्रतिपत्तिज्ञः, असाधारणधर्मजश्चेति । तत्रैको विशेषादश्मने सति समानधर्मदर्शनज्ञः । यथा 'स्थाणुर्वा पुरुषो वेति' । एकस्मिन्नेव हि पुरोषतिनि द्रव्ये स्थाणुत्वनिश्चायकं चक्रकोटरादिकं पुरुषत्वनिश्चायकं च शिरपाण्यादिकं विशेषप्रदद्यतः स्थाणुपुरुषोः समानधर्ममूर्धत्वादिकं च पद्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 'किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति ।

शक्तिदर्शन के अनुसार 'जगत्तननी, भगवान् की भगवत्ता की भी मूलभूत आद्य शक्ति के आनन्दमय अङ्ग की प्राप्ति' ही मोक्ष है जो अत्यक्त शिगु की मात्र एकमात्र उसी का आधय लेने से लभ्य है ।

मोक्षसम्बन्धी हिन सभी विचारों के पर्यालोचन से न्यायवैशेषिकसम्मत मोक्ष और उसके साधन की ही ऐहता समझ में आती है, क्योंकि मोक्ष की अवस्था में दुःख की निवृत्ति का होना सर्वसम्मत खिद्दान्त है और उसके लिये अपेक्षित ज्ञान का अर्जन तथा जीवन की शुद्धता का सम्पादन आवश्यक है ।

संशय—

प्रमाण आदि सोलह पदार्थों में 'प्रमेय' दूसरा पदार्थ है, उसके चारह मेदों में 'अपवर्ग' अन्तिम मेद है । उसका निरूपण कर देने से प्रमेय का निरूपण पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार अब तक 'प्रमाण' और 'प्रमेय' इन दो पदार्थों का निरूपण सम्पन्न हुआ । अब तीसरे पदार्थ 'संशय' के निरूपण का अवसर है । इसलिये अब उसका उपक्रम किया जा रहा है ।

लक्षण और विभाग—

एक धर्मी में परस्पर विशुद्ध अनेक धर्मों के अवमर्य—बोध का नाम है 'संशय' । उसके तीन मेद हैं—साधारणधर्मज, विप्रतिपत्तिज और असाधारणधर्मज । 'साधारणधर्मज' का अर्थ है 'साधारणधर्मप्रयुक्त' । 'साधारण धर्म' का अर्थ है 'परस्पर विशुद्ध दो धर्मों के साथ रहने वाला धर्म' । किसी एक धर्मी में इस धर्म का ज्ञान होने पर विशेषादर्थन-दशा में—धर्मी में किसी एक कोटि के व्यायधर्मका निर्णय न होने की स्थिति में जो संशय उत्पन्न होता है, वह 'साधारणधर्मज' संशय कहा जाता है, जैसे 'अय स्थाणुर्वा पुरुषो वा—यह स्थाणुर्वा वृत्त है अथवा पुरुष है' । इस ज्ञान में अय—सामने दीखने वाले पदार्थ में स्थाणुर्वा और पुरुषत्व का भान होता है । स्थाणुत्व और पुरुषत्व यह दोनों परस्पर विशुद्ध धर्म हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते । इन दोनों धर्मों के साथ रहने वाला धर्म है अर्जता-जीवाई । इस ऊँचाई का, सामने दीखने वाले किसी एक धर्मी में जब इस

द्वितीयस्तु संशयो विशेषादर्शने सति विप्रतिपत्तिजः । स यथा । 'शब्दो नित्यः च अनित्यः' इति, तथाहेको ब्रूते 'शब्दो नित्य' इति । अपरो ब्रूते 'शब्दोऽनित्य' इति । तयोर्धिप्रतिपत्त्या मध्यस्थस्य पुंसो विशेषमपश्यतो भवति संशयः 'किमयं शब्दो नित्य उत्तानित्य' इति ।

५ ॥ २. -११७४

तृतीयोऽसाधारणधर्मजस्तु संशय । यथा नित्यादनित्याच्च व्याख्य-
नेन भूमात्रासाधारणेन गन्धवच्चेन विशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वाऽनित्यत्व-
संशयः । तथाहि सकलनित्यव्याख्यसेन गन्धवच्चेन योगाद् 'भूः किमनित्या उत
सकलानित्यव्याख्यत्वेन तेनैव योगानित्या' इति संशयः ।

प्रकार ज्ञान होता है कि 'यह (सामने दीख पढ़ने वाला पदार्थ) परस्परविरोधी स्थाणुत्व और पुरुषत्व के साथ रहने वाले धर्म ऊर्ध्वता का आश्रय है', तब यदि उस पदार्थ में विशेषदर्शन नहीं रहता अर्थात् स्थाणुत्व का निश्चय कराने वाले उसके व्याप्ति धर्म कुटिल कोटर-टेढ़े मेढ़े पोल आदि का अथवा पुरुषत्व का निश्चय कराने वाले उसके व्याप्ति धर्म शिर, हस्त, पैर आदि का निश्चय नहीं रहता, तब उस धर्मों के सम्बन्ध में इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'यह स्थाणु है अथवा पुरुष है' । यह इसी कारण उत्पन्न होता है कि इसमें वह ऊँचाई है जो स्थाणु में होती है और पुरुष में भी होती है और उन दोनों में किसी एक का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार परस्परविरुद्ध दो धर्मों के समानाधिकरण धर्म से एक धर्म में उन धर्मों का जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह समानधर्मज—'समानाधिकरणधर्मवद्भर्मिज्ञानजन्य' संशय कहा जाता है ।

यह संशय परस्परविरोधी दो भावात्मक धर्मों का है । इस संशय के लिये उन दोनों धर्मों के स्वरूपज्ञान और दोनों में विरोधज्ञान की अपेक्षा होती है । जब कि इन दोनों में किसी एक के ज्ञान से दूसरे के ज्ञान में न कोई सहायता मिलती और न दोनों का विरोध ही स्वरित प्रतीत होता । अतः परस्परविरोधी भावात्मक धर्मों के दोसे संशय कम ही होते हैं । अधिकतर संशय ऐसे होते हैं जिनमें एकधर्मों में परस्परविरुद्ध दो भावाभावात्मक धर्मों का मान होता है, जैसे 'अय स्थाणुर्न वा—यह स्थाणु है अथवा स्थाणु नहीं है' । इस ज्ञान में 'अय' में स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव का मान होता है । इन दोनों धर्मों में स्थाणुत्व के ज्ञान से स्थाणुत्वाभाव के ज्ञान में सहायता मिलती है । क्यों कि स्थाणुत्व स्थाणुत्वाभाव का प्रतियोगी है और प्रतियोगी का ज्ञान अभावज्ञान में कारण होता है । उन दोनों का विरोध भी मुश्वष्ट और सुगम होता है क्यों कि भावाभाव की परस्परविरोधिता आपामर प्रसिद्ध होती है ।

विप्रतिपत्तिज—

'विप्रतिपत्तिज' का अर्थ है 'विप्रतिपत्तिप्रयुक्त' । 'विप्रतिपत्ति' का अर्थ है 'परस्पर

विशद् दो धर्मों की प्रतिपत्ति-उपस्थिति का जनक शब्द'। इस प्रकार का शब्द जिस सशय के उदय में सहायक होता है उस सशय को 'विप्रतिपत्तिज' सशय कहा जाता है। जैसे शब्द एक पदार्थ है, उसके विषय में एक मनुष्य कहता है कि 'शब्द निष्ठ है' और दूसरा कहता है कि 'शब्द अनिष्ठ है'। सुनने वाले मध्यस्थ पुरुष को इन वाक्यों से 'गुणरूप धर्मों, तथा निष्ठत्व और अनिष्ठत्व-रूप परस्पर विशद् धर्मों की उपस्थिति होती है। यदि उसे शब्द में निष्ठत्व अथवा अनिष्ठत्व के निष्ठायक विशेषधर्म का निष्ठय नहीं रहता तो उसे उक्त शब्द उपस्थिति से शब्द में निष्ठत्व-अनिष्ठत्व का मानस संशय उत्तरन्न होता है। उस सशय को 'शब्द निष्ठो न वा-शब्द निष्ठ है अथवा अनिष्ठ' इस शब्द से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार उत्तरन्न होने वाले शब्दमूलक सशय को ही 'विप्रतिपत्तिज' सशय कहा जाता है।

असाधारणधर्मज—

'असाधारणधर्मज' का अर्थ है 'आसाधारणधर्मप्रयुक्त'। 'असाधारणधर्म' का अर्थ है 'परस्परविशद् दो धर्मों में किसी के भी अधिकरण में न रहने वाला धर्म'। ऐसे धर्म का किसी एक धर्मों में जान होने पर, उन धर्मों में किसी एक धर्म के निष्ठायक विशेष धर्म का निष्ठय न होने की दशा में, उन धर्मों में उन परस्पर विशद् धर्मों का जो जान उत्तरन्न होता है, उसे 'असाधारणधर्मज' सशय कहा जाता है। जैसे 'गन्ध' से पृथिवी में निष्ठत्व अनिष्ठत्व का सशय।

निष्ठत्व और अनिष्ठत्व परस्परविशद् धर्म हैं। 'गन्ध' उनमें किसी के भी अधिकरण में निष्ठित नहीं है, क्यों कि न वह आकाश आदि निष्ठ पदार्थों में रहता और न जल आदि अनिष्ठ पदार्थों में रहता। वही 'गन्ध' जन पृथिवी में शात होता है और पृथिवी में निष्ठत्व अथवा अनिष्ठत्व के निष्ठायक विशेष धर्म का निष्ठय नहीं रहता, तब पृथिवी में निष्ठत्व-अनिष्ठ का सशय होता है। क्योंकि निष्ठ और अनिष्ठ के अतिरिक्त कीसी छोड़ भेजी पदार्थ की होती नहीं, जिसमें कि पृथिवी का समावेष किया जा सके। यह सशय निष्ठत्व-अनिष्ठत्व इन दोनों कोटियों के असमानाधिकरण गन्धतमक धर्म से उत्तरीया प्रादुर्भूत होने के कारण 'असाधारणधर्मज' सशय कहा जाता है।

'न्यायगूच' में सशय का वर्णाकरण 'तर्कभाषा' में किये गये सशय के वर्णाकरण से जुड़ भिन्न है। जैसे वहाँ का गूर है।

समानानेष्ठत्वोन्नते। विप्रतिपत्तेः उपशब्दप्रयुपलभ्यवस्थात्थ विशेषापेदो विमर्शं सशयः।

इसमें 'सशयः' से लक्ष वा निर्देश है। 'विमर्शः' से लक्ष वा निर्देश है। 'विशेषापेदः' से विशेषदशनाभ्यावहृष्ट सामान्य कारण वा निर्देश है। और ये भाग से

विरोध कारण का निर्देश कर उसके पांच मेद बताये गये हैं।

‘धमानधर्मोऽपत्ति’ का अर्थ है—‘एकधर्म में परस्परविशद्व कोटिद्वय के समाना—धिहरण धर्म का ज्ञान’। ‘अनेकधर्मोऽपत्ति’ का अर्थ है—‘एकधर्म में परस्परविशद्व कोटिद्वय के अन्मानाधिकरण धर्म का ज्ञान’। ‘विप्रतिपत्ति’ का अर्थ—है ‘धर्मी तथा परस्पर विशद्व धर्मों का उपस्थापक शब्द’। उपलब्धि र की अध्यवस्था का अर्थ है—‘उपलभ्य वस्तु इत् ही होती है इस नियम का अभाव’। अनुपलब्धि की अध्यवस्था का अर्थ है—‘अनुपलभ्य होने वाली वस्तु अस्त् ही होती है इस नियम का अभाव’। सशय के अन्तिम दो कारणों का अभिप्राय यह है कि ‘सदैव उपलभ्यते—सदृ वस्तु का ही उपलभ्य होता है’ यह नियम नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म के मध्याह्न में मरुभूमि में सूर्य की चमकती रशिमाला में जल की उपलब्धि होती है किन्तु जल वहाँ रात् नहीं होता। इसी प्रकार ‘असदैव नोपलभ्यते—अस्त् ही अनुपलभ्यमान होता है यह भी नियम नहीं है’ क्योंकि मध्याह्न के प्रकाश में आकाशगंडल में तारायें उपलभ्य नहीं होती जब कि उस समय वह अस्त् नहीं होती है।

‘तर्कभाषा’ में सशय के व्यायसूक्ष्मक अन्तिम भेदों का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उन दोनों का समावेश ‘साधारणधर्मज्ञ’ सशय में ही सम्भन्न हो जाता है।

‘व्यायसूत्र’ में साधारणधर्मज्ञ और असाधारणधर्मज्ञ सशयों के उल्लेख के बाद विप्रतिपत्तिच उल्लेख किया गया है किन्तु ‘तर्कभाषा’ में वैष्ण न कर दोनों के प्रथ में ‘विप्रतिपत्तिज’ का उल्लेख किया गया है। प्रथ में उल्लेख करने से अन्य दो की अपेक्षा उसका महत्व सूचित होता है। वह महत्व यही है कि ‘विप्रतिपत्तिज’ सशय विचार—कथा का प्रवर्तक होता है जब कि अन्य दोनों सशय विचार के प्रवर्तक नहीं होते।

संशय और समुच्चय में भेद—

प्रथ होता है कि जैसे सशय में एक धर्म में परस्परविशद्व दो वर्मों का भान होता है उसी प्रकार समुच्चय—समूहालभन निश्चय में भी होता है। तो फिर दोनों में भेद क्षा है। उत्तर है कि दोनों में भेद के कारण अनेक हैं, जैसे सशय में भासित होने वाले धर्मों में सशय के पूर्व परस्पर में विरोध का ज्ञान होता है किन्तु समुच्चय के पूर्व नहीं होता। सशय में उन दोनों धर्मों में परस्पर विरोध का भान होता है जब कि समुच्चय में ऐसा नहीं होता। सशय में भासित होने वाले विशद्वधर्मों में ‘कोटिता’ नाम की एक नयी विषयता होती है, जिसका आश्रय होने से उन वर्मों को ‘कोटि’ कहा जाता है। समुच्चय में ऐसी कोई विषयता नहीं होती। सशय में प्रकारताद्वय से निस्पत्ति एक

येन प्रयुक्त पुरुषः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् । तच्च सुखदुःखावासिद्वानी ।
तदर्था हि प्रवृत्तिः सर्वस्य ।

वादिप्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोऽर्थो हप्तान्तः । स द्विविधः । एकः
साधर्म्यदृष्टान्तो यथा धूमबत्त्वस्य हतोर्महानसम् । द्वितीयस्तु वैधर्म्यदृष्टान्तः,
यथा तस्यैव हेतोर्महाहद् इति ।

विशेष्यता होती है जब कि समृद्धय में प्रकारता के मेद से विशेष्यता का भेद अनिवार्य है
इत्यादि ।

सशय का भेद एक अन्य प्रकार से भी किया जाता है । जैसे उत्तर के दो भेद हैं
सामान्य सशय और विशेष सशय । सामान्य सशय वे ही हैं जिनकी चर्चा अब तक की
गयी है । विशेष सशय का नाम है 'सम्भावना' ('सम्भावना') का लक्षण है 'उक्त एक-
कोटि सशय' । जिस सशय में एक कोटि सम्भावित रहती है । एक कोटि की ओर
झुकाव रहता है । उसे सम्भावनामुक सशय कहा जाता है ।

प्रयोजन—

तत्त्वतः शात्य सोलह पदार्थो में 'प्रयोजन' चीड़ा पदार्थ है । प्रयुक्तते—
प्रवर्त्येऽनेन इति 'प्रयोजनम्' । प्रयोजन शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रयोजन' का
अर्थ है 'प्रवर्तक' । उसका लक्षण है—

जिससे प्रेरित होकर मनुष्य साधार के विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त होता है उसका नाम
है 'प्रयोजन' । वह है सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार । समर्थ प्राणिवर्ग की प्रवृत्ति
इस प्रयोजन की किंदित्व के लिये ही होती है । यह एक ऐसा महनीय पदार्थ है जिसका
प्रभाव सार साधार पर है । उसके सम्बन्ध में भाष्यकार 'वार्ष्यायन' प्रृथिवी का निम्न
वचन सर्वथा सत्य है ।

'येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् । यमर्थमभीष्मन् जिहासन् वा कर्माभर्ते तेना-
नेन सर्वे प्राणिनः, सर्वाणि कर्माणि, सर्वाक्षं विद्या व्याप्ताः, तदायथथ न्यायः प्रवर्तते' ।
न्या० सू० अवतरणभाष्य ।

हप्तान्त—

यह मूलभूत सोलह पदार्थों में पाचवा पदार्थ है । इसका लक्षण इस प्रकार है ।
द्वितीय अर्थ में वादी और प्रतिवादी की समान प्रतिगति हो अर्थात् जो अर्थं दोनों को
समान स्तर से मान्य हो वह अर्थ 'दृष्टान्त' है । जैसे उत्तरतिमत्त देतु से यन्त्र में
अनिष्टाव का अनुमान उत्तर के लिये उत्तरतिमत्त में अनिष्टाव की व्याप्ति अपेक्षित
है । उस व्याप्ति के बोधनार्थ यह, यह आदि पदार्थों को दृष्टान्तस्त्र में इस प्रकार प्रस्तुत

प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽर्थः सिद्धान्तः । स चतुर्धा सर्वतन्त्र-प्रतिरन्त्र-अधिकरण-अभ्युपगमसिद्धान्तभेदात् । तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो यथा 'धर्मिमात्र-सद्भावः' । द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते 'मनस इन्द्रियत्वम्' । तद्वि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम् । तृतीयो यथा 'क्षित्यादिकर्त्तसिद्धी कर्तुः सर्वज्ञत्वम्' । चतुर्थं यथा 'जैमिनीयस्य नित्याऽनित्यत्वविचारो' यथा भवतु 'तावच्छब्दो गुणः' इति । किया जाता है—'शब्दः अनित्यः, उत्पत्तिमत्त्वात्, घटादिवत्' । शब्द उत्पत्तिमान् इसी होता है । इसी लिये न, कि वादी-शब्दको अनित्य मानने वाले और प्रतिवादी—शब्द को नित्य माननेवाले दोनों ही, घट आदि को उत्पत्तिमान् और अनित्य मानते हैं ।

दृष्टान्त के दो भेद हैं—साधर्म्यदृष्टान्त और वैधर्म्यदृष्टान्त । इनमें पहले का दूसरा नाम है अन्वयी दृष्टान्त तथा दूसरे का दूसरा नाम है व्यतिरेकी दृष्टान्त । साधर्म्यदृष्टान्त का अर्थ है—पक्ष का समानघर्मा दृष्टान्त । यह वह दृष्टान्त है जहाँ हेतु में साध्य के सहचार का बोध होता है । जैसे धूम-हेतु से पर्वत-पक्ष में वहि—साध्य के अनुमान में महानस पर्वत का समानघर्मा दृष्टान्त है । धूम और अग्नि पक्ष-पर्वत के भी धर्म हैं और दृष्टान्त-महानस के भी धर्म हैं । महानस एक ऐसा स्थल है जहाँ धूम में वहि के सहचार का ग्रहण होता है ।

वैधर्म्यदृष्टान्त का अर्थ है—पक्ष का विधर्मा दृष्टान्त । यह एक ऐसा दृष्टान्त है जिसमें साध्यभाव में हेतुभाव के सहचार का अवगम होता है । जैसे धूम से पर्वत में वहि के अनुमान में हृद—जलाशय । हृद पक्ष-पर्वत का विधर्मा है । क्यों कि पर्वत में धूम और अग्नि है किन्तु जलाशय में दोनों का अभाव है । जलाशय एक ऐसा स्थान है जहाँ वहायभाव में धूमभाव के सहचार का अवगम होता है ।

सिद्धान्त—

यह उक्त सोलह पदार्थों में छठा पदार्थ है । इसका लक्षण इस प्रकार है—जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्त्रीकृत होता है उसे 'सिद्धान्त' कहा जाता है । सिद्धान्त के चार भेद होते हैं—सर्वतन्त्र, प्रतिरन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम ।

सर्वतन्त्र—

जो सिद्धान्त सब शास्त्रों को मान्य होता है उसे सर्वतन्त्रसिद्धान्त कहा जाता है । जैसे धर्मों की स्वरूपसूत्रा । इसका व्याख्य यह है कि जब किसी पदार्थ के विषय में विचार होता है तब उस पदार्थ की स्वरूपसूत्रा—उसका अस्तित्व सर्वतमत होता है । उसमें किसी को विवाद नहीं होता । अतः यह अश विचारणीय नहीं होता । विवाद

दोता है उसके घमों के विषय में। अतः उसके घर्म विचारणीय होते हैं। जैसे शब्द के नियानेत्यत्व की चर्चा में शब्द घर्मी है, उसका अस्तित्व सर्वसम्मत है। उसके होने में किसी को कुछ विवाद नहीं है। अतः वह स्थरूपता, विचारणीय नहीं है। विवाद है उसकी नियता और अनियता के सम्बन्ध में। अतः उसकी नियता और अनियता विचारणीय है। इसलिए उक्त चर्चा का विषयभूत घमों 'शब्द' सर्वत्रविद्वान्त है।

प्रतिदन्त्र—

जो सिद्धान्त एक शाखा में और उसके समान शास्त्रान्तर में स्वीकृत होता है उसे प्रतिदन्त्र सिद्धान्त कहा जाता है। जैसे मन का इन्द्रियत्व न्यायशाखा ने मन के इन्द्रियत्व का प्रतिषादन किया है। समानत्व वैशेषिक ने उसे स्वीकृत किया है। अतः वह प्रतिदन्त्र सिद्धान्त है।

अधिकरण—

अधिक्रियते नान्तरीयकरत्या प्राप्यते यत् तद् अधिकरण तद्वासौ सिद्धान्तः। इस द्युत्तर्चि के अनुषार उसका लक्षण इस प्रकार हो सकता है—जिस सिद्धान्त के विना अभिमत सिद्धान्त की प्रतिष्ठा न हो, अभिमत सिद्धान्त जिस सिद्धान्त को लिये विना प्रतिष्ठित न हो सके वह अधिकरणसिद्धान्त है। जैसे क्षिति, अद्वृत आदि जगत् में सर्वत्रकर्त्तव्य न्यायशाखा का अभिमत सिद्धान्त है। किन्तु यह सिद्धान्त क्षिति आदि के फलों को सर्वत्र माने विना नहीं प्रतिष्ठित हो सकता क्योंकि जो जगत् को तथा उसके कारणों को न जानेगा वह उसका कर्वा नहीं हो सकता। इस प्रकार सर्वशास्त्र के विना जगत्कर्त्तव्य का साधन यत्क्य न होने से जगत्कर्त्ता के साधनार्थ प्रयुक्त अनुमान प्रमाण से ही जगत्कर्त्ता का सर्वशास्त्र सिद्ध हो जाता है अतः जगत्कर्त्ता की सर्वशता अधिकरण-सिद्धान्त है।

अभ्युपगम—

'अभ्युपगम' का अर्थ है—मान लेना। जो अर्थ अपनी दृष्टि से सिद्धान्तभूत न होने पर भी प्रयोजनवश कुछ समय के लिये सिद्धान्तस्तु में मान लिया जाता है उसे 'अभ्युपगम' सिद्धान्त कहा जाता है। जैसे शब्द के नियत्व और अनियत्व के सम्बन्ध में विचार चल रहे, इस प्रयोजन के लिये, वह द्रव्य है या गुण इस भगड़े में न पह कर मीमांसक लोग योड़े समय के लिये यदि वह मान लें कि 'अनु तावत् शब्दः गुण एव किञ्च स नियोग्नियो वैत न निर्णयते'। शब्द में स्वीकृत किया जाने वाला यह गुणवत्ता मीमांसक का 'अभ्युपगम' सिद्धान्त होगा।

अनुमानवाक्यस्यैकदेशा अवयवा । ते च प्रतिज्ञादय पञ्च । तथा च न्यायसूत्रम्—‘प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय-निगमतानि अवयवा’ (गौ. न्या. सू. १११३२) इति । तत्र साध्यधर्मविशिष्टपश्चप्रतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा । यथा ‘पर्वतोऽयं बहिमान्’ इति ।

तृतीयान्तं पञ्चम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतु । यथा धूमवर्घेन धूमवच्चादिति वा ।

सब्यासिरुं द्वान्तवचनम् उदाहरणम् । यथा ‘यो यो धूमवान् सोऽग्निमान् यथा महानसम्’ इति ।

पक्षे लिङ्गोपसंहारवच्चम् उपनयः । यथा ‘बहिव्याप्यधूमवांश्चायम्’ इति ‘तथा चायम्’ इति वा ।

पक्षे साध्योपसंहारवचनं निगमनम् । यथा ‘तस्मादग्निमान्’ इति ‘तस्मात् तथा’ इति वा । एते च प्रतिज्ञादयः पञ्च अनुमानवाक्यस्याऽवयवा इव अवयवाः, न तु समवायिकारणं शब्दस्याकाशसमवेतत्वादिति ।

अवयव—

यह सातवा पदार्थ है । इसका लक्षण है—अनुमानवाक्य का एकदेश । अनुमानवाक्य को ‘न्याय’ भी कहा जाता है । इसलिये इन वाक्यों को ‘न्यायावयव’ वाक्य भी कहा जाता है । न्याय के अवयवभूत वाक्य पाच हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन । जैसा कि न्यायसूत्र में स्पष्ट कहा गया है ।

प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ।

न्या सू. १११३२

प्रतिज्ञा—

साध्यविशिष्ट पक्ष का—पक्ष के साथ साध्य के सम्बन्ध का प्रतिपादन करने वाला वाक्य ‘प्रतिज्ञा’ है । जैसे ‘अय पर्वतो बहिमान्—यह पर्वत बहि से सम्बद्ध है’ । यह वाक्य पक्ष—र्वत के साथ साध्य—बहि—सयोगी के तादृश्यका—बहि के सयोग सम्बन्ध का प्रतिपादन करने से ‘प्रतिज्ञा’ है । इस वाक्य को ‘प्रतिज्ञा’ कहने का स्वारस्य यह है कि इस वाक्य के प्रयोग से वादी की यह प्रतिज्ञा सूचित होती है कि उसे पक्ष में साध्य का सम्बन्ध सिद्ध करना है ।

हेतु—

युद्ध लिङ्ग का—व्यासि आदि से अविशेषित लिङ्ग का प्रतिपादन करने वाला तृतीयाविभक्त्यन्त अथवा पञ्चमीविभक्त्यन्त वाक्य ‘हेतु’ है । जैसे ‘अय पर्वतो बहिमान्’

इह प्रतिशावाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला 'धूमवस्त्रेन' अथवा 'धूमवस्त्रात्' यह वास्य। इह वास्य से शुद्धलिङ्ग का प्रतिपादन होता है और यह तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त है। अतः ऐतुवाक्य है।

उदाहरण—

ऐतु में साध्य की अथवा साध्याभाव में देवभाव की व्याप्ति का दृष्टान्तद्वारा बोधन करने वाला वाक्य 'उदाहरण' है। जैसे 'अय पर्वतो वहिमान्, धूमात्, इन दोनों अवयवों के प्रयोग के पश्चात् प्रयुक्त होने वाला 'यो यो धूमवान् सोऽग्निमान्' यथा-महानस्यम्' अथवा 'यो यो न अग्निमान् स न धूमवान् यथा हृदः'। इनमें पहला वाक्य महानस के दृष्टान्त से धूम से धूम में अग्नि की व्याप्ति और दूसरा वाक्य हृद के दृष्टान्त से अग्नि के अभाव में धूम के अभाव की व्याप्ति भा प्रतिपादन करता है।

चपनय—

जिस वाक्य से पक्ष में लिङ्ग का उपसंहार किया जाता है अर्थात् जिस वाक्य से पक्ष के साथ साध्यव्याप्तिविशिष्ट ऐतु के सम्बन्ध का प्रतिपादन होता है वह वाक्य 'उपनय' है। जैसे प्रतिशा, ऐतु, उदाहरण का प्रयोग करने के अनन्तर प्रयुक्त किया जाने वाला 'तथा चायम्' अथवा 'साध्यव्याप्यऐतुमान् अयम्' यह वाक्य।

यह वाक्य उदाहरण का अनुसरण करता है। इह लिये उदाहरण से यदि अन्वयव्याप्ति बोधित होती है तो इससे पक्ष में साध्य की अन्वयव्याप्ति से विशिष्ट ऐतु का ही बोध होता है और यदि उदाहरण से व्यतिरेकव्याप्ति बोधित होती है तो इससे व्यतिरेकव्याप्तिविशिष्ट ऐतु का बोध होता है। इसीलिये इसका स्वरूप कभी 'तथा चायम्' और कभी 'न च नाय तथा' इस प्रकार होता है।

निगमन—

जिस वाक्य से पक्ष में साध्य का उपसंहार किया जाता है। अर्थात् जो वाक्य उदाहरण और उपनय द्वारा बोधित व्याप्ति और पञ्चमर्त्ता के साथ ऐतु के अबोधित-साध्यवाव और अस्त्रप्रतिरक्षत्व का प्रतिपादन करते हुये उप ऐतु के बल से पक्ष की साध्यवाच का प्रतिपादन करता है वह 'निगमन' है। जैसे अनुमानवाक्य का अनिम 'तरमाद् व द्विमान्' यह वाक्य। इस वाक्य में तरपद से लक्षणद्वारा अबोधितसाध्यक, अस्त्रप्रतिरक्षत्व, साध्यव्याप्य, पद्मुक्ति ऐतु की उपरिधति होती है। निगमन में उपनय से पद्मबोधक 'अय' उप का अनुकरण किया जाता है। और इस सब के कुलरक्षण इह वाक्य से पक्ष में अबोधितसाध्यक, अस्त्रप्रतिरक्षित, साध्यव्याप्य, पद्मुक्ति ऐतु से साध्य साध्य के सम्बन्ध का बोध होता है। अतः पक्ष में साध्य के उपसंहार का साधन होने से 'तरमाद् व द्विमान्' यह वाक्य 'निगमन' है।

तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः । स च सिद्ध-व्याप्तिकयोर्धर्मयोर्ध्याप्याङ्गीकारेण अनिष्ट-
व्यापकप्रसङ्गनरूपः । यथा 'यद्यत्र घटोऽभविष्यत् तर्हि भूतलमिवाद्रक्षयत्' इति ।
स चायं तर्कः प्रमाणानामनुग्राहकः । तथाहि 'पर्वतोऽयं सामिनि उताऽनगिनः'
इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्मन्येतानभिनरयमिति, तदा तं प्रति यद्यथमनगिनः

ये प्रतिशा आदि पाचो वाक्य अनुमानवाक्य के बास्तव अवयव नहीं हैं, क्यों कि किसी का बास्तव अवयव तो वह होता है जो उसका समवायिकारण होता है, जैसे घट का कृपाल, पट का तन्तु आदि । अनुमानवाक्य तो शब्द है और शब्द आकाश में समवेत होता है, अतः आकाश ही उसका समवायिकारण है । प्रतिशा आदि वाक्य उसके समवायिकारण नहीं हैं । अतः प्रतिशा आदि को अनुमानवाक्य का जो अवयव कहा जाता है वह मुख्यवृत्ति से नहीं किन्तु गौणवृत्ति से । प्रतिशा आदि वाक्य अनुमानवाक्य का घटक होने से अवयवस्था है । अतः उन्हें उसका अवयव कहा जाता है ।

न्ययमाध्य में अवयवसूत्र की व्याख्या करते हुये दृश्यवयव न्याय की प्राचीन मत के ८४ में चर्चा की गयी है । उपर्युक्त से भिन्न जिन पाच वाक्यों के अवयवत्व का निराकरण किया गया है वे हैं—'बहु सा, सदृश, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन और सरायव्युदाच । भाष्यकार के अनुसार सूत्रकार ने अर्थ का साधक न होने से इन्हें न्याय का अवयव नहीं माना है ।

मीमांसा और वेदान्त में प्रतिशा आदि भारम के तीनों वाक्य अथवा उदाहरण आदि अन्त के तीन वाक्यों को ही अनुमानवाक्य बता कर उपर्यव न्याय माना गया है । वीददर्शन में उदाहरण और उपर्यव को ही अवयव मान कर दृश्यवयव न्याय को मान्यता दी गई है । जैनदर्शन में अवयवों की कोई नियत संख्या न मान कर प्रयोजनानुसार न्याय को कभी पञ्चावयव कभी द्व्यवयव, कभी त्र्यवयव, कभी एकावयव माना गया है । तर्कभाषाकार को अनुमानवाक्य के अवयवभूत वाक्य के सम्बन्ध में यह सब मत मान्य नहीं है, इसलिये अनुमानवाक्य के अवयवभूत वाक्य पाच ही हैं, न पाच से न्यून है और न पाच से अधिक । इस बात के सूचनार्थ प्रन्थकार ने 'पञ्च' शब्द का उल्लेख करते हुये 'प्रतिशादयः पञ्च' इस रूप में अवयवों की नियत पाच संख्या का स्वष्टि निर्देश कर दिया है ।

तर्क—

'अनिष्ट प्रसङ्ग' का नाम है 'तर्क' । जिन दो धर्मों में व्याप्तव्यारकभाव सिद्ध होता है उनमें एक व्याप्त होता है और एक व्यापक होता है । जिस धर्मी में इन दोनों में से व्यापक का होना अनिष्ट है उस धर्मी में व्याध्य को अङ्गीकार करने से व्यापक की जो

भविष्यत् तदाननित्वादभूमोऽव्यभविष्यदित्यधूमवत्प्रसङ्गन कियते । स एष प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अयं चाऽनुमानस्य विषयशोधकः प्रवर्तमानस्य विषयसम्बन्धतुजानाति । अनग्निसत्त्वस्त्र प्रतिशेषान् । अनोऽनुमानस्य भवत्यनु-^२ प्राहक इति । अत्र कथिदाह । 'तर्कः संय एवान्तर्मयति' इति । तत्र । एककोटि-निश्चितविषयत्वान् सर्कस्य ।

आपत्ति होती है उसे ही 'तर्क' कहा जाता है । जैसे घट का सद्वाव और घट का दर्शन । इस दोनों घर्मों में व्याप्तव्यारकभाव सिद्ध है । इनमें घट का सद्वाव व्याप्त है और घट का दर्शन व्यापक है । व्यश्य भूतलरूप घर्मों में घटदर्शनरूप व्यापक का होना अनिष्ट है । अब यदि उक्त भूतल से घट के सद्वावरूप व्याप्त को अङ्गीकार कर लिया जाय तो उससे घटदर्शनरूप अनिष्ट की इस प्रकार आपत्ति हो सकती है कि 'यदि इस भूतल में घट का सद्वाव होता तो यहाँ घट का दर्शन भी होता' । तो इस प्रकार व्यश्य भूतल में घट का अस्तित्व स्थीकार करने से होने वाली घटदर्शन की आपत्ति 'अनिष्ट-प्रसङ्ग' रूप होने से 'तर्क' है ।

तर्क के उपर्युक्त वर्णन से उसके तीन कारण समझ में आते हैं, (१) घर्मों में आपाद्य-भाव का निश्चय, (२) आपादक में आपाध्यात्मिका निश्चय और (३) घर्मों में आपादक का आहार्य निश्चय । उक्त तर्क में 'घटदर्श्य भूतल' घर्मों है । 'घट का सद्वाव' आपादक है और 'घट' का दर्शन आपाद्य है । उक्त भूतल रूप घर्मों में घटदर्शनरूप आपाद्य के अभाव का निश्चय, घटसद्वाव में घटदर्शन का व्याप्ति का निश्चय और घर्मों में घटसद्वाव-रूप आपादक का आहार्य निश्चय होने से उक्त तर्क का जन्म होता है ।

तर्क स्वयं कोई प्रमाण नहीं है किन्तु अन्य प्रमाणों का अनुप्राहक—सहायक है । जैसे 'यह पर्वत अग्निमान् है या अग्निहीन है' इस प्रकार सन्देह होने पर यदि कोई यह मान देते कि 'पर्वत अग्निहीन है' तो उसकी इस मान्यता के निराकरणार्थं इस प्रधार के तरक्की की सहायता ली जा सकती है कि 'यदि पर्वत अग्निहीन होता तो धूमहीन भी होता' क्यों कि यहाँ अग्नि का अभाव होता है वहाँ धूम का भी अभाव होता है । अग्निहीनत्व से पर्वत में होने वाली धूमहीनत्व की इस आपत्ति की 'तर्क' कहा जाता है । इस तर्क से धूम से होने वाले वर्दि के अनुमान के विषय-वर्दि का योग्य होता है । धूम से होने वाले अनुमान के विषयभूत अग्नि का समर्पण होता है ।

प्रश्न हो सकता है कि उक्त तर्क से पर्वत में अग्नि के सम्बन्ध का बोध तो होता नहीं, फिर उससे पर्वत में अग्नि के सम्बन्ध का समर्पण किसे होगा । उसरे यह है कि तर्क का पर्यवेक्षण तर्क के स्वरूप तक ही सीमित नहीं होता किन्तु उसका पर्यवेक्षण

निर्णयोऽवधारणज्ञानम् । तच्च प्रमाणानां फलम् ।

तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः । स चाऽप्यनिग्रहाणामधिकरणम् । ते च न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, हेत्वाभासपञ्चकं च, इत्यप्त्री निग्रहाः ।

उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्पः । स च यथासंभवं सर्वनिग्रहाणामधि-करणम् । परपञ्चे दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्च ।

स एव स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । सा च परपक्षदूषणात्रपर्यवसाना । नास्य वैतण्डकस्य स्थाप्य पक्षोऽस्मि । क्या तु नानावक्तुकपूर्वोत्तरपक्षप्रति-पादकवाक्यसन्दर्भः ।

विपरीतानुमान में होता है। जो तर्क विपरीतानुमान में फलिन नहीं होता वह 'उत्तर तर्क' न हो कर 'तर्कभास' होता है। इस लिये 'यदि यह पर्वत अग्निहीन होता तो धूमहीन भी होता' इस तर्क का उदय होने पर इस प्रकार का विशीत अनुमान होता है कि 'यतः पर्वत धूमहीन नहीं है अतः अग्निहीन भी नहीं है'।

इस विपरीतानुमानद्वारा पर्वत में अग्निहीनत्व का प्रतिपेष्ठ होने से उक्त तर्क से पर्वत में अग्नि के सम्बन्ध का समर्थन होना स्फूर्त है। इस लिये तर्क अनुमान का सहायक होता है, यह कथन सर्वथा समुचित है।

किसी का कहना है कि तर्क का अन्तर्माव सत्य में ही हो जाता है, सत्य से पृथक् उक्तका अस्तित्व नहीं है। कहने का आशय यह है कि 'यदि पर्वत अग्निहीन होता तो धूमहीन भी असत्य होता'। इस प्रकार के तर्क का उदय होने पर भी 'पर्वत धूमहीन है' इस प्रकार पर्वत में धूमहीनता का निश्चय नहीं होता, किन्तु 'धूमहीन होता' इस प्रकार धूमहीनत्व की सम्भावना ही विदित होती है। अतः तर्क अतिरिक्त ज्ञान न होकर सत्यरूप ही हो सकता है। तर्कभाषाकार की दृष्टि में यह कथन असगत है, क्यों कि उक्त तर्क में निष्ठितरूप से धूमहीनत्व रूप एक ही कोटि का भान होता है, और सत्य में परपरविशद् दो कोटियों का भान अनिवार्य है। उक्त तर्क यदि 'धूमहीन होता असत्य धूमवान् होता' इस रूप में उदित होता तो उक्ती सत्यरूपता कदाचित् सोची जाती, पर वह तो निष्ठितरूपेण धूमहीनतरूप एक ही कोटि को ग्रहण करता है, अतः सत्य में उक्तके अन्तर्माव की कोई कलनना ही नहीं की जा सकती।

'न्यायसूत्र' के तर्कलक्षणकस्त्र की विश्वनाभीय वृत्ति में तर्क के अनेक भेद बताये गये हैं जिन्हें वही से समझा जाना चाहिये।

निर्णय—

यह उक्त सोलह पदार्थों में नवा पदार्थ है। इसका लक्षण है—अवधारणात्मक ज्ञान। किसी वस्तु के अवधारण का नाम है 'निर्णय'। निश्चय उचिती का नामान्तर है। यह प्रमाणों का फल है। इसका उदय प्रमाणों द्वारा सम्पन्न होता है।

बाद—

यह दशवा पदार्थ है। तत्त्व की जिजासा से जो कथा-किसी विषय की विचारचर्चा की जाती है उसका नाम है 'बाद'। यह मुख्य रूप से गुरु और शिष्य के बीच होता है। इसका उद्देश्य विशुद्धरूप से तत्त्वनिर्णय ही होता है। इसी लिये इस बादात्मक कथा में जो कुछ भी कहा सुना जाता है वह सब प्रमाणपूर्वक ही होता है। इसमें किसी की बीदिक दुर्बलता या प्रबलता प्रदर्शित करने की तनिक भर भी भावना नहीं होती। इस कथा में केवल उन्हीं निप्रहस्थानों का उद्घावन किया जाता है जिनके कारण तत्त्वनिर्णय में बाधा पहुँचती है। वे निप्रहस्थान आठ हैं। जैसे—न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त और पात्र देखभास।

जल्प—

विजय की कामना से जो कथा की जाती है तथा जिसमें पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों पक्षों का साधन किया जाता है, उस कथा का नाम है 'जल्प'। यह कथा यतः अपने विरोधी पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है, अतः इसमें प्रपाण, प्रपाणाभास, तर्क, तक्षभाष, सब का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिपक्षी को भूक करने के लिए, उसे पराजित करने के लिए सभ्य दग के सभी सम्बद्ध उपाय किये जा सकते हैं। इस कथा में यथासम्बद्ध सभी निप्रहस्थानों का उद्घावन होता है। परपक्ष का खण्डन कर अपने पक्ष की स्थापना करने से इस कथा की सार्थकता और समाप्ति होती है।

वितण्डा—

जिस कथा में अपने पक्ष की स्थापना न कर केवल परपक्ष का खण्डन ही किया जाता है, उस कथा का नाम है 'वितण्डा'। यह कथा भी 'जल्प' जैसी ही होती है, दोनों में अन्तर केवल इतना ही होता है कि 'जल्प' में परपक्ष का खण्डन कर अपने पक्ष की स्थापना भी करनी पड़ती है और 'वितण्डा' में एक मात्र पर-पक्ष का खण्डन ही किया जाता है, अपने किसी भावात्मक पक्ष की स्थापना नहीं की जाती। वैतण्डिक—वितण्डा कथा करने वाले का अपना कोई स्थापनीय पक्ष नहीं होता।

बाद, जल्प, वितण्डा, जिनकी चर्चा अभी की गई है, उन हीनों का सामान्य नाम है 'कथा'। कथा का लक्षण है 'पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष का प्रतिपादन करने के लिये अनेक वकावों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला वाक्यसमूह'।

आयुर्वेद के महान् प्रभ्य 'वरक्षसंहिता' में कथा को 'सम्भाषा' कहा गया है और उसके दो मेद वताये गये हैं—'सन्धाय सम्भाषा' और 'विश्वस्य सम्भाषा'। 'सन्धाय सम्भाषा' का अर्थ है उन्धि से—सौमनश्य से किया जाने वाला विचारविनिमय। यह

चक्काना पक्षधर्मत्वादिरूपाणा मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहेतव । तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगादेनुवदाभासमाना हेत्वाभासाः । ते असिद्ध-विरुद्ध-^{५१}
अनैकान्तिक-प्रकरणसम काळात्ययापदिष्टभेदात् पञ्चैव । अत्रोदयने 'व्याप्तस्य
हेतो पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धि', तदभावोऽसिद्धि' इत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम् ।
तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सभवतीति साङ्कर्यं प्रतीयते । तथापि यथा न
साङ्कर्यं तथोच्यते । यो हि यत्र साधने पुरा परिस्फुरति समर्थश्च दुष्कृती, स एव
दुष्कृतिसिकारको दूषणमिति यावत्, जान्य इति । तेनैव पुरावस्फूर्तिकेन दुष्कृती
ज्ञापिताया कथापर्यवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्यानुपयोगात् । तथा च सति
यत्र विरोध साध्यविपर्ययव्याप्त्याख्यो दुष्कृतिसिकारक स एव विरुद्धो हेत्वाभास ।
एव यत्र व्यभिचारादयस्तथाभूतास्तेऽनैकान्तिकादयस्त्रय । ये पुनःर्यातिपक्ष-
धर्मताविशिष्टहेतुवप्रश्नप्त्यभावेन पूर्वोक्ता असिद्धधादयो दुष्कृतिसिकारका
दूषणानीति यावत् । तथाभूत सोऽसिद्धः ।

न्यायशास्त्र की 'वाद' कथा है । 'विश्वासमाप्ता' का अर्थ है विग्रह-उत्तर्य-जयपराजय
की भावना से किया जाने वाला विचारविनिमय । इसमे न्यायशास्त्र में विग्रह जल्प
और वितण्डा का समावेश होता है ।

जैन दर्शन में कथा का एक ही प्रकार स्वीकृत है और वह है 'वाद' । जल्प और
वितण्डा को कथा न कह कर कथामास कहा गया है और उसे त्याज्य माना गया है ।
बौद्धदर्शन के पूर्ववर्ती अनेक तार्किकों ने तो कथा के उपर्युक्त तीनों भेद भाने ये पर
पश्चाद्दर्ता विद्वानों ने जल्प, वितण्डा को कथा के त्रैत्र से पृथक् कर जैनाचार्यों के समान
'वाद' मात्र को ही कथा के रूप में मान्यता प्रदान की है ।

विचार करने पर कथा का वैविध्य पक्ष ही उचित प्रतीत होता है क्योंकि महर्षि
गौतम ने जल्प और वितण्डा की जो उपयोगिता चतायी है उसकी उमैक्षण नहीं की जा
सकती । उनका कथन है कि अपने प्रमाणसिद्ध सुपरीकृत सिद्धान्त के रक्षणार्थ जल्प और
वितण्डा का उपयोग आवश्यक है ।

'तत्त्वाभ्यनसायकरच्छणार्थे जल्पवितण्डे बोजप्रयोहसरच्छणार्थं कण्कशाखावरणवत्'

न्या० सू० ४१२५०

हेत्वाभास—

अनुमान का निरूपण करते समय यह कहा जा चुका है कि हेतु की अनुमापनता
के सम्बन्धक रूप पौच है—पदासत्त्व, सरक्षणत्त्व, विपक्षसत्त्व, अवावितत्वाभ्यक्त्व और

अस्थप्रतिपद्वत् । इन रूपों में किसी भी एक रूप से जो हीन होता है वह अदेतु हो जाता है । अदेतु ही देतु के कतिपय रूपों से सुन्क होने के बारण देतु के समान आभासित-प्रतीत होने से 'देत्वाभास' कहा जाता है । देत्वाभास के पाच मेंद हैं—असिद्ध, विशद, असैक्षणितक—व्यभिचारी, प्रकरणसम—स्थप्रतिपद्व, और कालात्ययाप दृष्ट-चाखित ।

'उद्यनाचार्य' ने असिद्ध का लक्षण बताते हुए कहा है कि 'साध्यातिविशिष्ट देतु में पद्वत्त्व की प्रतीति का नाम है 'सिद्ध' और उसके अभाव का नाम है असिद्ध' । यह दोप के अर्थ में एक देत्वाभास है । यह जित देतु में रहे वह दुष्ट देतु 'असिद्ध' देत्वाभास होता है । इस लक्षण के विषय में यह शक्ति होती है कि 'विरोध' आदि के साथ इस लक्षण का साक्षर्य है, अतः 'विशद' आदि अन्य देत्वाभासों में अतिव्याप होने से 'असिद्ध' का यह लक्षण असग्न है । 'तर्कभाग' के अनुसार उस शक्ति का समाचारन इस प्रकार है ।

विस्ते देतु में दुष्टता का ज्ञान हो उसे दोप या दूषण कहा जाता है । इसके अनु-सार देतु में जो पहले शात हो और दुष्टता के शापन में समर्थ हो, वही दोप होता है । अन्य अर्थात् जो बाद में शात होने से दुष्टता के शापन में अनुपसुक होता है वह दोप नहीं होता । क्यों कि जो पहले शात होता है उसी से दुष्टता का ज्ञान हो जाने से कथा की पूर्ति हो जाती है, जय-पराजय का निर्णय हो जाता है । अतः बाद में शात होने वाले दोप की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, इस लिये जो दोप जहाँ बाद में—एक दोप के ज्ञान के बाद जार होता है वह अन्यत्र दोप भले हो, पर वहाँ दोप नहीं होता ।

इस स्थिति में जहाँ पहले साध्याभावव्यातिरूप विरोध का ज्ञान होकर देतु में दुष्ट ॥ की प्रतीति होगी वहाँ 'विरोध' ही दोप माना जायगा । बाद में व्यातिविशिष्ट देतु में पद्वत्त्वमेत्व के सिद्धभावस्प असिद्ध की उपस्थिति होने पर भी उसकी उपयोगिता न रह जाने से वहाँ उसे दोप नहीं माना जायगा । इसी प्रकार वहाँ व्यभिचार, स्थप्रतिपद्व और बाध पहले शात होकर पहले ही देतु की दुष्टता का शापन कर देंगे वहाँ व्यभिचार आदि ही दोप माने जायगे । असिद्ध और विरोध बाद में उपस्थिति होने पर भी दुष्टता के शापन में अनुपसोगी होने से दोप नहीं माने जायगे । इन्हु जहाँ व्यातिवद्वत्त्वमेत्व-विशिष्ट देतु की उपस्थिति न होने से असिद्धद्वारा ही देतु में दुष्टता का ज्ञान होगा वहाँ असैक्षण्य ही दोप होगा, अन्यदोप न होगे ।

इस रीति से विचार करने पर कही भी किसी दोप में दोषान्तर का साक्षर्य नहीं हो सकता । अतः दोप तथा दूषण का पद्वविचार और उनका अपना अपना लक्षण सब सुखात और समुद्रित है ।

स (असिद्धः) च त्रिविध आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्त्यत्वा-सिद्धभेदात् । यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्ध । यथा गगना-रविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् । अत्र हि गगनारविन्दमाश्रयः । स च नास्त्येव ।

अयमप्याश्रयासिद्धः । तथा हि 'घटोऽनित्य, कार्यत्वात्, पटवद्' इति ।

नन्वाश्रयस्य घटादेः सत्त्वात् कार्यत्वादिति हेतुर्नाश्रयासिद्धः, सिद्धसाधकस्तु स्यात्, सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात् । मैवम् । न हि स्वल्पेण कश्चिदाश्रयो भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दिग्धधर्मबोधेन । तथा चोक्तं भाष्ये—'नाऽनुपलब्धे न निर्णीतेऽर्थेऽपि तु सन्दिग्धेऽर्थे न्याय प्रवर्तते' (गी. न्या वा भा. १-१-१) । न च घटे नित्यत्वसन्देहोऽस्ति । अनित्यत्वस्य निक्षिपत्वात् । तेन यद्यपि स्वल्पेण घटो विद्यते, तथाप्यनित्यत्वपन्देहाभावान्नासावाश्रय । आश्रयासिद्धत्वादहेतु ।

असिद्ध के तीन भेद हैं—आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्यत्वासिद्ध ।

आश्रयासिद्ध—

जिस हेतु का आश्रय सिद्ध न हो, वह हेतु आश्रयासिद्ध होता है । जैसे 'गगना-रविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्, सरोजारविन्दवत्—अकाशकमल सुगम्ययुक्त है, कमल होने से, सर में उत्तमन कमल के समान' इस प्रकार अनुमान प्रयोग करने पर अरविन्दत्व हेतु आश्रयासिद्ध होता है क्यों कि उसका आश्रय आकाशकमल असन् है—सिद्ध नहीं है । नव्यन्याय के विद्वव विद्वानों ने 'आश्रयासिद्ध' का लक्षण अन्य प्रकार से किया है । उनके अनुसार 'पद्म में पद्मतावच्छेदक का अभाव' असिद्धि है । यह अभाव 'स्वविषयक-शानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्त्व' सम्बन्ध से जिष्ठ हेतु में रहे यह आश्रयासिद्ध है । उक्त अनुमान में कमलरूप पद्म में गगनीयत्व—आकाशोत्पन्नत्व का अभाव असिद्धि है और वह उक्त सम्बन्ध से अरविन्दत्व हेतु में है । जैसे उक्त सम्बन्ध में 'स्व' का अर्थ है 'कमल में आकाशीयत्व का अभावरूप आश्रयासिद्ध, स्वविषयक ज्ञान है 'कमलम् आका-शीयत्वमावद् अरविन्दत्वच्छेदकवत्त्व—कमल आकाशीयत्वाभाव और अरविन्दत्व का आश्रय है' यह ज्ञान । इस ज्ञान में अरविन्दत्व में विशेषण के रूप में भासित होने से अरविन्दत्वत्व इस ज्ञान का विषय है । वही प्रकृतहेतुतावच्छेदक भी है । इस लिये 'स्वविषयक-शानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्त्व' सम्बन्ध से उक्त आश्रयासिद्ध का आधार होने से उक्त अनुमान ने 'अरविन्दत्व' हेतु आश्रयासिद्ध है ।

प्राचीन नैयायिकों के मत में आश्रयासिद्ध का एक यह भी उदाहरण है—'घटोऽनित्यः, कार्यत्वात्, पटवत्—घट अनित्य है, कार्य होने से, पट के समान' । इस अनुमान

स्वरूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते । यथा 'सामान्यमनित्य कृतकत्वादिति' कृतकत्वं हि हेताराश्रये सामान्ये नास्त्येव । भागासिद्धोऽपि स्वरूपा सिद्ध एव । यथा पूर्थियादयश्चत्वारं परमाणवा नित्या गन्धवत्त्वाद्' इति । गन्धवत्त्वं हि पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति पूर्थिवीमात्रवृच्छित्वात् । अत एव भागे स्वरूपासिद्धः ।

मैं कायरह हेतु आभयासिद्ध है । प्रश्न होता है कि इस अनुमानका हेतु कैसे असिद्ध होगा ? क्यों कि इस अनुमान में हेतु के आश्रयस्त में प्रयुक्त घट प्रश्नद्वासिद्ध है । हाँ, वह सिद्धशास्यक—सिद्धशास्यनदोष से प्रस्त हो सकता है, क्यों कि घट में सिद्ध अनित्यत्व का ही साधन करने के लिये प्रयुक्त है, पर आश्रयासिद्ध तो कथमपि नहीं हा सकता । उत्तर यह है कि घट यदि अपने स्वरूप से हेतुका आश्रय होता तो आश्रयासिद्धम् भी सम्भावना सञ्चमुन्न होती । पर किसी भी अनुमान में पक्ष अपने स्वरूप से हेतु का आश्रय नहीं माना जाता किंतु सिद्धशास्यक होने से हेतु का आश्रय माना जाता है । उक्त अनुमान में घट भी सिद्धशास्यक होने से ही हेतुका आश्रय हो सकता है किन्तु घट में अनित्यत्व का निश्चय होने से सिद्धशास्यकत्व नहीं है । अत सिद्धशास्यक घट का अस्तित्व न होने से उक्त अनुमान का भी हेतु आभयासिद्ध है । अनुमान में सिद्धशास्यक ही हेतु का आश्रय होता है । यह चात न्यायसूक्त के अवतरणभाष्य में इस प्रकार कही गयी है—

'नातुपलब्धे न निर्णयेऽप्येत्याय प्रवतते किंतु सिद्धेष्ये'

अनुपलब्ध—स्वरूपेण अशात तथा निर्णय-निश्चितसाध्यक भूमि में याय-अनुमान नहीं प्रशृत होता, किन्तु सन्दिग्ध में-सिद्धशास्यक घर्मा में प्रशृत होता है ।

घट म नित्यत्व का सदेह नहीं है क्यों कि उक्ता अनित्यत्व निश्चित है । इस लिए घट यद्यपि स्वरूपेण सिद्ध है तथापि उक्तमें अनित्यत्व का सदेह न होने से वह हेतु का आभय नहीं हो सकता, अत उक्तमें आध्य के साधनाय प्रयुक्त 'कायत्ति' आभयासिद्ध होने से अदेह है ।

स्वरूपासिद्ध—

जो हेतु आभय में यात नहीं होता, उस स्वरूपासिद्ध कहा जाता है । जैसे— 'सामायम् भनित्य-सामान्य-बाति भनित्य है, इतरात्मात्-कृतक-उत्तम इन्हें स' । इस अनुमान में इतरात्मा स्वरूपासिद्ध है क्यों कि सामाय के अब ना होने से उक्त इतरात्मा नहीं शात होता ।

वथा विशेषणासिद्ध विशेष्यासिद्ध असमर्थविशेषणासिद्ध असमर्थविशेष्या सिद्धादय स्वरूपासिद्धभेदाः । तत्र विशेषणासिद्धो यथा 'शब्दो नित्यो द्रव्यत्वे सत्यस्पर्शत्वात्' । अत्र हि द्रव्यत्वविशिष्टमस्पर्शत्वं हेतुनास्पर्शत्वमात्रम् । शब्दे च द्रव्यत्वे विशेषण नास्ति, गुणत्वाद्, अतो विशेषणासिद्ध । न चासति विशेषणे द्रव्यत्वे तद्विशिष्टमस्पर्शत्वमस्ति । विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् । यथा दण्ड-मात्राभावे पुरुषाभावे वा दण्डविशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सत्यप्यस्पर्शत्वे द्रव्यत्वविशिष्टस्य हेतोरभावात् स्वरूपासिद्धत्वम् ।

विशेष्यासिद्धो यथा 'शब्दो नित्योऽस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वाद्' इति । अत्रापि विशिष्टो हेतु । न च विशेष्याभावे विशिष्ट स्वरूपमस्ति । विशिष्टश्च हेतु-नास्त्येव ।

असमर्थविशेषणासिद्धो यथा शब्दो नित्यो गुणत्वे+सति अकारणकृत्वात् इति । अत्र हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किञ्चित् सामर्थ्यमस्तीति । विशेष्याप्यस्याकारणकृत्वस्यैव नित्यत्वसाधने सामर्थ्यात् । अतोऽसमर्थविशेषणता । स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् । ननु विशेषण गुणत्वं, तच्च शब्देऽन्त्येव, तत् कथं विशेषणाभाव ? सत्यमस्यैव गुणत्वम् । किन्तु न तद्विशेषणम् । तदेव हि हेतोर्विशेषण भवति, यद्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनवत् । गुणत्वं तु निष्प्रयोजनमताऽसमर्थमित्युक्तमेव ।

असमर्थविशेष्यो यथा तत्रैव तदैपरीत्येन प्रयोग । तथाहि 'शब्दो नित्योऽकारणकृत्वे सति गुणत्वाद्' इति । अत्र तु विशेषणमात्रस्यैव नित्यत्वसाधने समर्थत्वाद् विशेष्यमसमर्थम् । स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावे विशिष्टाभावाद् विशिष्टस्य च हेतुत्वेनोपादानात् । शेष पूर्ववत् ।

यह हेतु पूरे आश्रय म—सम्पूर्ण सामाय में असिद्ध होने से स्वरूपासिद्ध है । कोई कोई हेतु सम्पूर्ण आश्रय में असिद्ध न होकर आश्रय के किंची भागमात्र में ही असिद्ध होता है, वह भागासिद्ध हेतु भी स्वरूपासिद्ध ही है । जैसे—

'पृथिव्यादयश्चत्वार परमाणु नित्या, गन्धवत्वात्-पृथिवी आदि चारो द्रव्यो के परमाणु नित्य हैं, गन्धवान् होने से' । इस अनुमान में गन्ध हेतु पृथिवी परमाणु म रहने के कारण सम्पूर्ण आश्रय म असिद्ध न हो कर आश्रय के जलपरमाणु आदि भागमात्र में ही असिद्ध होने से भागासिद्ध-स्वरूपासिद्ध है ।

स्वरूपासिद्ध के और भी कई भेद हैं, जैसे—विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध, असमर्थविशेषणासिद्ध, असमर्थविशेष्यासिद्ध आदि ।

विशेषणासिद्ध—

जिस हेतु का विशेषणमाग आधय-पद्म में नहीं रहता, वह विशेषणासिद्ध होता है। जैसे—‘शब्दः नित्यः, द्रव्यवे उति अस्पर्शत्वात्-शब्द नित्य है, द्रव्यविशिष्ट अस्पर्शत्व का आधय होने से’। इस अनुमान में अस्पर्शत्वमात्र हेतु नहीं है बिन्दु ‘द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्व’ हेतु है। इसमें अस्पर्शत्व-दर्शनशूल्यत्व विशेष्य है और द्रव्यत्व विशेषण है। पक्षभूत शब्द गुण है, उसमें उक्त हेतु का द्रव्यत्वरूप विशेषणमाग नहीं रहता। अतः उक्त हेतु विशेषणासिद्ध है और विशेषणासिद्ध होने से स्वरूपासिद्ध है।

प्रश्न होता है कि उक्त हेतु का विशेषणासिद्ध होना तो ठीक है, पर वह स्वरूपासिद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वरूपासिद्ध होने के लिए पद्म में हेतु के अभाव का होना आवश्यक होता है, जो प्रकृत में नहीं है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि पक्षभूत शब्द में द्रव्यत्वरूप विशेषण का अभाव होने से द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्व का भी अभाव है क्योंकि विशेषण के अभाव से विशिष्ट का भी अभाव होता है। यह तथ्य दण्डविशिष्टपुरुषाभाव के उदाहरण से समझा जा सकता है। दण्डविशिष्ट पुरुष में दण्ड विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। दण्डविशिष्ट पुरुष का अभाव दण्ड के अभाव से भी होता है और पुरुष के अभाव से भी होता है। तो जैसे पुरुषरूप विशेष्य के रहने पर भी दण्डरूप विशेषणमात्र के अभाव से दण्डविशिष्ट पुरुष का अभाव होता है, उसी प्रकार शब्द-पद्म में अस्पर्शत्वरूप विशेष्य के रहने पर भी द्रव्यत्वरूप विशेषण का अभाव होने से ‘द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पर्शत्व’ रूप हेतु का अभाव हो सकता है। अतः पद्म में असिद्ध होने के कारण उक्त अनुमान में ‘द्रव्यत्व-विशिष्ट अस्पर्शत्व’ स्वस्त्रासिद्ध है।

विशेष्यासिद्ध—

जिस हेतु का विशेष्यमाग आधम-पद्म में नहीं रहता वह विशेष्यासिद्ध होता है। जैसे—‘शब्द नित्यः, अस्पर्शत्वे उति द्रव्यत्वात्-शब्द नित्य है, अस्पर्शत्वविशिष्ट द्रव्यत्व का आधय होने से’। इस अनुमान में अस्पर्शत्वविशिष्ट द्रव्यत्व हेतु है। इसका विशेष्यमाग द्रव्यत्व शब्दरूप गुणात्मक पद्म में नहीं रहता। विशेष्य का अभाव होने पर विशिष्ट का भी अभाव होता ही है। अतः शब्द-पद्म में अस्पर्शत्वरूप विशेषण के रहने पर भी द्रव्यत्वरूप विशेष्य का अभाव होने से ‘अस्पर्शत्वविशिष्ट द्रव्यत्व’ का अभाव है, इसलिये यह हेतु शब्दात्मक पद्म में विशेष्यासिद्ध होने से रक्षणालिख है।

असमर्थविशेषणासिद्ध—

इसका अर्थ है—असमर्थविशेषणक स्वरूपासिद्ध । असमर्थविशेषणक का अर्थ है—व्यर्थविशेषणक । इसका लक्षण इस प्रकार है—

जिस हेतु का विशेषण भाग असमर्थ हो, व्यर्थ हो, साध्यसाधन में अनुपयुक्त हो, साथ ही विशेषण का अभाव होने से जिसका पक्ष में अभाव भी हो, वह असमर्थविशेषण-सिद्ध होता है । जैसे—शब्दों नित्यः, गुणत्वे सति अकारणकत्वात्—शब्द नित्य है, गुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व का आभ्य होने से । इस अनुमान में ‘गुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व’ हेतु है । इसमें गुणत्व-विशेषण असमर्थ-व्यर्थ है, क्यों कि नित्यत्व के साधन में अकेला अकारणकत्व ही पर्याप्ति है । गुणत्व-विशेषण की नित्यत्व के साधन में कोई सार्थकता नहीं है और आभ्य-शब्द में विशेषण के अभाव से विशिष्ट का अभाव भी है, अतः उक्त हेतु असमर्थविशेषणासिद्ध होने से स्वरूपासिद्ध है ।

प्रश्न होता है कि शब्दात्मक पक्ष में उक्त हेतु का विशेषण—गुणत्व तो रहता ही है तो फिर उसमें गुणत्वरूप विशेषण का अभाव तथा उसके कारण विशिष्ट हेतु का अभाव कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि शब्द गुण है अतः यह ठीक ही है कि उसमें गुणत्व का अभाव नहीं रह सकता, पर साथ ही यह भी ठीक है कि गुणत्व यहा विशेषण नहीं हो सकता, क्यों कि हेतु में वही विशेषण हो सकता है जो अन्य की व्यावृत्ति कर सक्योजन हो सके । किन्तु गुणत्व ऐसा नहीं है क्यों कि अकारणकत्व से ही नित्यत्व का साधन सम्भव होने से गुणत्व-विशेषण का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । इसीलिए वह असमर्थ भी होता है, यह पहले ही कह दिया गया है । तो फिर जब गुणत्व विशेषण ही नहीं हो सकता तब शब्द में स्वरूप से उसके रहने पर भी विशेषणात्मना उसका अभाव होने में कोई बाधा नहीं हो सकती । अतः शब्दात्मक पक्ष में विशेषणात्मना गुणत्व का अभाव होने से ‘गुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व’ का अभाव निर्बाच है । इसलिए वह उक्त अनुमान में असमर्थविशेषणासिद्ध है ।

असमर्थविशेष्यासिद्ध—

जिस हेतु का विशेष्यभाग असमर्थ—व्यर्थ होता है और विशेष का अभाव होने से पक्ष में जिसका अभाव होता है वह ‘असमर्थविशेष्यासिद्ध’ होता है । जैसे उक्त स्थल में ही विशेष्य—विशेषण का विपरीत प्रयोग करने पर हेतु ‘असमर्थविशेष्यासिद्ध’ होता है । उसे निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है ।

‘शब्दः नित्यः, अकारणकत्वे सति गुणत्वात्—शब्द नित्य है, अकारणकत्व-विशिष्ट गुणत्व का आभ्य होने से । इस अनुमान में अकारणकत्वविशिष्ट गुणत्व

व्याप्त्यत्वासिद्धस्तु स एव यत्र हेतोव्याप्तिस्तिर्णवगम्यते । स द्विविध । एक साध्येनासहचरित, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी । तत्र प्रथमो यथा 'यत् सत् तत् क्षणिक यथा जलघरः । सश्च विवादात्पदोभूतः शब्दादि' इति । अत्र हि शब्दादि पक्ष, तस्य क्षणिकत्व साध्य, सत्त्व हेतु । न चास्य हेतो क्षणिकत्वन सह च्याप्ती प्रमाणमस्ति ।

इदानीम् उपाधिसहितो व्याप्त्यत्वासिद्धं प्रदर्शयते । तद्यथा 'स इयामो मैत्रीतनयत्वात्, परिहृष्यमानमैत्रीतनयस्तोमयद्' इति । अत्र हि मैत्रीतनयत्वेन इयामत्वं साध्यते । न च मैत्रीतनयत्वं इयामत्वे प्रयोजक, किन्तु शाकाच्चाल-परिणाम एवात्र प्रयोजक । प्रयोजकत्वोपाधिरूपयते । अतो मैत्रीतनयत्वेन इयामत्वन सम्बन्धे शाकाच्चालपरिणामं एव चराधिः । यथा वा अग्नेर्घुम-सबन्धं आद्रेन्वनसयोग । अत एतोपाधिसम्बन्धाद् व्याप्तिरूपीति व्याप्त्यत्वा सिद्धोऽय मैत्रीतनयत्वादिहेतु ।

तथा परोऽपि व्याप्त्यत्वासिद्धः । यथा 'कत्वंतर्वर्तिनो हिसा अधर्मसाधन, हिसात्वात्, कतुचाह्यहिसावद्' इति । न च हिसात्वमधर्मं प्रयोजक, किन्तु निपिद्धत्वमुपाधिरिति पूर्ववदुपाधिसिद्धोभावाद् व्याप्त्यत्वासिद्धोऽय हिसात्वं हेतु ।

ननु 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापको य स चराधि' इत्युपाधि छक्षणम् । तत्र निपिद्धत्वे नास्ति । तत् कथ 'निपिद्धत्वमुपाधि? इति । भैवम् । निपिद्धत्वेऽप्युपाधिलक्षणस्य विश्वमानत्वात् । तयाहि साध्यस्य अधर्मजनकत्वस्य व्यापक निपिद्धत्वम् । यत्र यत्राधर्मसाधनत्वं तत्र तत्रावश्य निपिद्धत्वमिति निपिद्धत्वस्य विश्वमानत्वात् । न च यत्र यत्र हिसात्वं, तत्र तत्रावश्य निपिद्धत्वं, कत्वङ्गद्विसाया व्यभिचारात् । अस्ति हि कत्वङ्गद्विसाया हिसात्वं, न चाऽत्र निपिद्धत्वमिति तदेव विविषाऽसिद्धो दर्शित ।

हेतु है । इव हेतु वे विशेषणभाग अकारणहस्तमात्र से ही नित्यव का साधन हो सकने से गुणावरूप विशेष्य अवश्य—वय है । अन्य का व्यावर्तक दोकर सप्रयोजन न होने से गुणाव विशेष्य नहीं हो सकता, अन रस्तेरेग उस के रहने पर भी विशेष्यामना उसका अभाव हान त विशिष्ट हेतु के अभाव का होना अपरिहार्य है । इतिहित वह अवश्यविशेष्याधिकृत होने मेश्वस्त्राधिकृत है ।

व्याप्त्यत्वासिद्धय—

विष हेतु में व्याप्ति का जान नहीं होता वह 'व्याप्त्यत्वाधिकृत' होता है । उक्त दो में दूर है—एक है 'साप्त्यासहचरित' और दूसरा है 'सोपाधिकसाप्त्यसम्बन्धी' । इनमें पहले } को निज उदाहरण से समझ जा सकता है ।

‘यत् सत् तत् क्षणिक यथा जलधरः, सत्य विवादासपदीभूतः शब्दादिः— जो सत् होता है वह क्षणिक होता है जैसे मेघ। विवाद का विषय शब्द आदि भी सत् हैं। बौद्धों के इस अनुमानपर्योग में शब्द आदि पक्ष है, उसमें क्षणिकत्व साध्य है और सत्त्व हेतु है। यहाँ सत्त्व हेतु में क्षणिकत्व की व्याप्ति होने में कोई प्रमाण नहीं है, अतः सत्त्व में क्षणिकत्व की व्याप्तिका शान न होने से उक्त क्षणिकत्वानुमान में सत्त्व हेतु व्याप्तवाचिद्ध है।

प्रश्न हो सकता है कि साध्यासहचरित का अर्थ होता है साध्य के साथ न रहने वाला। सत्त्व तो ज्ञान, इच्छा आदि पदार्थों में क्षणिकत्व के साथ रहता है क्योंकि आत्मा के योग्य विशेषगुण न्यायवैशेषिक मत में क्षणिक होते हैं, अतः ज्ञान आदि में क्षणिकत्व भी है और सत्त्व भी है। तो फिर सत्त्व को क्षणिकत्वरूप साध्य के असहचरित व्याप्तवाचिद्ध के रूप में कैसे उदाहृत किया गया? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान आदि में न्यायवैशेषिक को जो क्षणिकत्व मान्य है वह तृतीयक्षण में होने वाले घटन का प्रतियोगित्वरूप है, किन्तु बौद्धदर्शन को जो क्षणिकत्व मान्य है वह द्वितीयक्षण में होने वाले घटन का प्रतियोगित्वरूप है, क्योंकि बौद्धमतानुसार प्रत्येक भाव का उसके दूसरे क्षण ही नाश हो जाता है, और यह क्षणिकत्व ज्ञान आदि में न्यायवैशेषिक दर्शन के मतानुसार नहीं है, क्योंकि उनके मत में इन गुणों का नाश इनके तीसरे क्षण में उत्थन होता है।

यदि यह कहा जाय कि बौद्धसम्मत क्षणिकत्व भी न्यायवैशेषिक दर्शन को एक शब्दधारा के अन्तिम शब्द में मान्य है, क्योंकि उपानिदित्य शब्द से नाश्य होने के कारण वह अपने दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द-निरूपण के प्रसङ्ग में यह चताया जा चुका है कि अन्य शब्द का नाश उपानिदित्य शब्द से नहीं होता, किन्तु उसके नाश से होता है। उसका नाश तो अन्य शब्द के जन्म क्षण में न होकर उसके दूसरे क्षण होता है, अतः अन्य शब्द का भी नाश उसके तीसरे ही क्षण होता है, इसलिये उसमें भी बौद्धसम्मत क्षणिकत्व के विद्वन् न होने से कहीं भी सत्त्व क्षणिकत्व का सहचरित नहीं होता, अतः साध्यासहचरित व्याप्तवाचिद्वर के रूप में उसे उदाहृत करने में कोई असंगति नहीं है।

इस पर यंका हो सकती है कि जब बौद्धदर्शन को द्वितीयक्षणवृत्तिभवसम्पत्तियोगित्वरूप क्षणिकत्व साध्य है और वह न्यायवैशेषिक दर्शन को किसी पदार्थ में मान्य नहीं है तब तो साध्य अपने रूपसे ही असिद्ध हो जायगा, अतः क्षणिकत्व के साधनार्थ प्रयुक्त हेतु को असिद्धसाध्यक व्याप्तवाचिद्वर कहना चाहिये न कि साध्यासहचरित

व्याप्त्वासिद्धि । इसका उत्तर यह है कि यहाँ 'साध्यासद्वचित' शब्द असिद्ध-
साध्यक अर्थ के ही बोधनार्थ प्रयुक्त है ।

उपाधियुक्त व्याप्त्वासिद्ध का प्रदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है ।

जिस देतु में उपाधि होने के कारण व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता, वह सोपाधि
व्याप्त्वासिद्ध होता है । जैसे—

'स श्यामः; मैत्रीतनयत्वात्, परिदृश्यमानमैत्रीतनयस्तोमवत्—वह (मैत्री का
आठवा तनय) श्याम है, मैत्री का तनय होने से, मैत्री के दृश्यमान अन्य तनयों के
समान' । इस अनुमानद्वारा पद्धभूत तनय में मैत्रीतनयत्व हेतु से श्यामत्व का साधन
किया जाता है, किंतु मैत्रीतनयत्व श्यामत्व का प्रयोजक नहीं है, अपि तु याक आदि
खाद्य पदार्थों का परिणाम प्रयोजक है । कहने का आशय यह है कि मैत्री के जो तनय
श्याम हैं वे इसलिये नहीं कि वे मैत्री के तनय हैं किन्तु इसलिये हैं कि उनके गर्भ में
इत्य समय उनकी माता याक आदि का अधिक सेवन करती थी, अतः उसके रक्त में
श्यामता आ गयी और उस श्याम रक्त से उत्पन्न होने के कारण उन बच्चों के शरीर
श्याम हुये । इस प्रकार उन बच्चों के श्यामत्व का प्रयोजक मैत्रीतनयत्व नहीं किन्तु
याकादि के अधिक आहार के परिपाक से उत्पन्न होना है । प्रयोजक को ही उपाधि
कहा जाता है । इसलिये मैत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व के सम्बन्ध में याक आदि
खाद्य पदार्थों का परिणाम ही उपाधि है । इस प्रकार उपाधियुक्त होने से मैत्रीतनयत्व
में श्यामत्व की व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता । अतः इस अनुमान में मैत्रीतनयत्व
व्याप्त्वासिद्ध है ।

भरन होता है कि देतु में उपाधि का सम्बन्ध भले हो, पर उससे व्याप्तिशान का
प्रतिक्रिय स्यो होगा ? और उसके होने से देतु व्याप्त्वासिद्ध क्यों होगा ? उत्तर यह है
कि प्राचीनमत में निरपाधिकाव को व्याप्ति माना जाता है, अतः देतु में उपाधि का ज्ञान
होने पर निरपाधिकत्वहृष्ट व्याप्तिशान नहीं हो सकता । इसलिये प्राचीन मत में सोपा-
धिक देतु का व्याप्त्वासिद्ध होना सुपर्य है । नवीन मत में भी देतुके व्याप्त्वासिद्ध
होने में कोई जागा नहीं हो सकती, क्यों कि नवीन मत में भी व्याप्तिशान मानी जाती
है उसके साथ उपाधि का व्याप्ति स्थीरा विरोध नहीं होता, फिर भी साध्यव्यापक
उपाधि के व्यभिचार से देतु में साध्यव्यभिचार का अनुमान हो जाता है और साध्य-
व्यभिचार का साध्यव्याप्ति के साथ प्रथम विरोध होने के कारण व्यभिचारके अनुमान
से व्याप्तिशान का प्रतिक्रिय हो जाता है । इस प्रकार उपाधि से परमरथा व्याप्तिशान
का विपर्य हो जाने से नवीन मत में भी सोपाधि देतु व्याप्त्वासिद्ध हो जाता है ।

इसी प्रकार अग्नि से धूम के अनुमान का प्रयोग करने पर आदृ इन्द्रनस्तयोग-

२ सम्प्रति विरुद्धः कथ्यते । साध्यविपर्ययव्याप्तो हेतुः विरुद्धः । यथा 'शब्दो नित्यः कृतकत्वात्' इति । अत्र हि नित्यत्व साध्यं, कृतक व वेतुः । यद्विपर्ययेण चाऽनित्यत्वेन कृतकत्व व्याप्तं, यतो यद्यत् कृतक तत्त्वं तत्त्वनित्यमेव । अतः साध्यविपर्ययव्याप्तत्वात् कृतकत्व वेतु विरुद्ध ।

गीली लकड़ी का सम्पर्क उपाधि होता है, क्यों कि धूम की उत्तरति केवल अग्नि से न हो कर अग्नि के साथ आद्रें इन्धन के संयोग से होती है, अतः धूम का प्रयोजक केवल अग्नि नहीं होता, किन्तु अग्नि के साथ आद्रें इन्धन का नस्योग होता है । इस उपाधि के होने से धूम में अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिये अग्नि हेतु धूमानुमान में व्याप्तत्वासिद्ध हो जाता है ।

सोपाधि व्याप्तत्वासिद्ध का एक दूसरा भी उदाहरण है । जैसे—'कृत्वन्तर्वर्त्तिनी हिता अवमन्त्राधनम्, हितात्वात्, क्रतुचाहाहितात्—यह म होन वाली हिता अधर्म का जनक है, हिता होने से, यश के बाहर होने वाली हिता के समान' । इस अनुमान में निषिद्धत्व उपाधि है क्यों कि यज्ञव द्य हिता के अवर्मजनकत्व का प्रयोजक हितात्व नहीं होता, अपि तु निषिद्धत्व होता है । अत उपाधि के सन्दाच से यह हेतु भी व्याप्तत्वासिद्ध है ।

प्रश्न होता है कि उपाधि का लक्षण है, 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व' । उसका अर्थ है—'साध्य का व्यापक होते हुये साधन का अव्यापक होना' । यह लक्षण निषिद्धत्व में नहीं है अत उसे उपाधि कहना उचित नहीं है । उत्तर यह है कि निषिद्धत्व में भी उक्त उपाधिलक्षण है । जैसे—निषिद्धत्व अवर्मजनकत्वरूप साध्य का व्यापक है क्यों कि जो को किया अवर्मजनक होती है उसमें निषिद्धत्व अवश्य होता है । यह साधन—हितात्व का अव्यापक भी है क्यों कि यज्ञवाहा हिता में हितात्वरूप साधन तो है पर निषिद्धत्व नहीं है ।

विरुद्ध—

साध्यविपर्यय—साध्याभाव का व्याप्त्य हेतु विरुद्ध कहा जाता है । जैसे—'शब्दः नित्य, कृतकत्वात्—शब्द नित्य है, कृतक—उत्पन्न होने से' । इस अनुमान में नित्यत्व साध्य है । कृतकत्व हेतु है । यह हेतु अनित्यत्वरूप साध्याभाव का व्याप्त्य है, क्योंकि जो जो कृतक होता है वह सब अनित्य होता है, यह व्याप्ति है । इसलिये अनित्यत्वरूप साध्याभाव का व्याप्त्य होने से कृतकत्व 'विरुद्ध' है ।

३ साध्यसंशयहेतुरनैकान्तिकः सव्यभिचार इति वा उच्यते । स द्विविध—साधारणानैकान्तिक, असाधारणानैकान्तिकइत्येति । तत्र प्रथमः पक्ष सपक्षविपक्षवृत्ति । यथा 'शन्दो नित्यं प्रमेयत्वादिति' । अत्र प्रमेयत्वं हेतुः पक्षे शब्दे, सपक्षे नित्ये व्योमादौ, विपक्षे चान्तिये घटादौ विद्यते, सर्वस्यैव प्रमेयत्वात् । तस्मात् प्रमेयत्वं हेतुः साधारणानैकान्तिक ।

असाधारणानैकान्तिक स एव य सपक्षविपक्षाभ्या व्यावृत्तः पक्ष एव वर्तते । यथा 'भूर्नित्या गन्धवत्वाद्' इति । अत्र हि गन्धवत्वं हेतु । स च सपक्षान्तित्याद् व्योमादै विपक्षाच्च नत्याज्ञलादेव्यावृत्ता, गन्धवत्वस्य पृथिवीमात्रवृत्तित्वादिति ।

अनैकान्तिक—

जो हेतु साध्यसंशय का जनक होता है, उसे अनैकान्तिक या सव्यभिचार कहा जाता है । उसके दो मेद होते हैं—साधारण अनैकान्तिक वौर असाधारण अनैकान्तिक ।

साधारण अनैकान्तिक—

जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वह साधारण अनैकान्तिक है । सपक्ष का अर्थ है—निश्चितसाध्यक धर्मी, और विपक्ष का अर्थ है—निश्चितसाध्याभावक धर्मी । इसके अनुसार सपक्ष और विपक्ष में रहने वाला हेतु साधारण अनैकान्तिक होता है । जैसे—'शन्द नित्यं, प्रमेयत्वात्—शन्द नित्यं है, प्रमेय होने से' । इस अनुमान में नित्यत्व साध्य है । प्रमेयत्व हेतु है । प्रमयत्व का अर्थ है—यथाशानावदयत्व । यह हेतु पक्षभूत शब्द में, नित्य होने स सपक्षभूत आकाश आदि में और अनित्य होने स विपक्षभूत शब्द आदि में रहता है, न्योग शब्द, आकाश, घट आदि सारं ददार्थं प्रमेय है । इस पक्षार सपक्ष और विपक्ष में वृत्त होने से नित्यत्वानुमान में प्रमेयत्व साधारण अनैकान्तिक होता है ।

असाधारणानैकान्तिक—

जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत्त होकर—दोनों मन रह कर पक्षमात्र में रहता है वह असाधारण अनैकान्तिक होता है । ऐसे—भू नित्या, ग धर्मत्वात्-भूमि नित्य है, ग धर्मान् होने से' । इस अनुमान म भूमि पक्ष में नित्यत्व राख्य है । ग ध हेतु है । यह हेतु सपक्षभूत नित्य आकाश आदि और विपक्षभूत अनित्य शब्द आदि मन रह कर कल पक्षमात्र-भूमिमात्र में रहता है । अत इस नित्यत्वानुमान में ग ध असाधारण अनैकान्तिक है ।

व्यभिचारस्तु लक्ष्यते । सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतोः सपक्षवृत्तित्वे सति विपक्षाद् व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात् । वस्य च साध्यविपरीतताव्याप्तस्य तन्नियमाभावो व्यभिचारः । स च द्वेषा सम्भवति, सपक्ष-विपक्षयोर्वृत्तौ, ताभ्यां व्यावृत्तौ च ।

४ यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः । स एव सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते । तद्यथा 'शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मानुपलब्धेः', 'शब्दो नित्योऽनित्य-धर्मानुपलब्धेः' इति । अत्र हि साध्यविपरीतसाधकं समानबलमनुमानान्तरं प्रतिपक्ष हत्युच्यते । य. पुनरतु त्यवलो न स प्रतिपक्ष ।

व्यभिचार—

अनैकान्तिक का दूसरा नाम बताया गया है सव्यभिचार । सव्यभिचार का अर्थ है व्यभिचार का आधय । किन्तु अनैकान्तिक का जो लक्षण अभी बताया गया है उससे 'व्यभिचार' के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । अतः उसका लक्षण चाहाना आवश्यक है । वह लक्षण है 'नियमाभाव' । हेतु जिस नियम के बल से गमक-साध्य का अनुमापक होता है, उस नियम का अभाव ही 'व्यभिचार' है । जैसे-जैसे हेतु के उपक्रम और विपक्ष दोनों होते हैं उस हेतु की 'गमकता' के मूलभूत नियम दो हैं । यदि वह हेतु सपक्षवृत्ति होता है तो 'विपक्षवृत्तित्व' नियम होता है और यदि वह विपक्ष में अवृत्ति होता है तो 'सपक्षवृत्तित्व' नियम होता है । इन नियमों के अभाव को ही 'व्यभिचार' कहा जाता है । यह अभाव दो प्रकार से होता है—सपक्ष और विपक्ष में वृत्ति होने से तथा सपक्ष और विपक्ष दानों में अवृत्ति होने से । सपक्ष और विपक्ष दोनों में वृत्ति होने से पहले नियम 'सपक्षवृत्ति हेतु में विपक्षवृत्तित्व' का अभाव होता है, क्योंकि जब हेतु विपक्षवृत्ति होगा तब उसमें विपक्षवृत्तित्व का अभाव प्रमुख है । सपक्ष और विपक्ष दोनों में अवृत्ति होने से दूसरे नियम 'विपक्षवृत्ति हेतु में सपक्षवृत्तित्व' का अभाव होता है, क्यों कि जब हेतु सपक्ष विपक्ष दोनों में अवृत्ति होगा तब उसमें सपक्षवृत्तित्व का अभाव अनिवार्य है । नियमाभावरूप व्यभिचार के उक्त दो ही मूल होने के कारण सव्यभिचार के दो ही मेद सम्भव हैं जिन्हें 'साधारण अनैकान्तिक' और 'असाधारण अनैकान्तिक' के नाम से अभिहित किया गया है ।

प्रकरणसम—

जिस हेतु का प्रतिपक्षभूत अन्य हेतु होता है, वह प्रकरणसम होता है । उसे सत्प्रतिपक्ष भी कहा जाता है । जैसे—

तथा हि विपरीतसाधकानुमान त्रिविध भवति—उपनीव्यम् उपजीवकम्, अनुभय चेति । तत्राद्य वाधक बलवर्त्तवात् । यथा 'अनित्य परमाणु मूर्त्यत्वादू घटवद् इत्यस्य परमाणुसाधकानुमान नित्यत्व साधयदपि न प्रतिपक्ष, किन्तु वाधकमेवापनीयत्वात् । तच्च धर्मिग्राहकत्वात् । न हि प्रमाणेनागृह्यमाणे धर्मिणि परमाणावनित्यत्वानुमानमिद् सम्भवति आश्रयासिद्धं । अतोऽनेन नुमानेन परमाणुप्राहृकस्य प्रामाण्यमप्यनुज्ञातमन्यथा अस्योदयासम्भवात् । तस्मादुपनीव्य वाधकमेव । उपनीवक तु दुष्वलत्वाद्वाध्यम् । यथेदमेवानित्यत्वानुमानम् । तृतीय तु सत्प्रतिपक्ष समबलत्वात् ।

'शब्दः अनित्यः, निरपेक्षमानुपलब्धेः—शब्द अनित्य है क्यों कि उसमें नित्यसमनियत धम की उपलब्धिं नहीं होती ।

'ए०' नित्य, अनित्यधर्मानुपलब्धेः—यद्यनि नित्य है क्यों कि उसमें अनित्यधर्म अनित्यत्वानियत धर्म की उपलब्धिं नहीं होती । इन दो अनुमानों का विभिन्नतादियों द्वारा एह प्रयोग करने पर एक हतु से सत्प्रतिपद्व हो जाता है । ऐसी स्थिति म दोनों अनुमानों का प्रयोग निरपक्ष हो जाता है क्यों कि एक से दूसरे के काय का प्रतिबन्ध हो जान से किसी का काय नहीं होता । परस्पर के काय का प्रतिबन्ध होने से ही सत्प्रतिपद्व को दृष्ट पाना जाता है ।

राजदोषकार आद कतिरय प्राचीन नैयायिकोंने सत्प्रतिपद्व की स्थिति म दोनों अनुमानों को सम्भूय 'सरुपात्मक अनुभितिं' का भनक माना है । उनक अनुशार सदायक होने से ही सत्प्रतिपद्व दृष्ट करना जाता है ।

प्रदर्शनसमक्षा दूसरा नाम सत्प्रतिपद्व जाता गया है । सर्वातपदका अर्थ है प्रतिरक्ष स युक्त होना । पर प्रतिरक्ष का कोइ स्वरूप प्रकरणसम क उक्त लक्षण से स्पष्ट नहीं हो पता । अत सर्वप्राप्यदृष्टा लक्षण ज्ञाना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार है ।

साध्यविद्यीत—साध्याभाव-क साधक, समानबलधाली अनुमान। इसे प्रति-पद्व कहा जाता है ऐसा अनुमान र विद्यु अनुमान ए समय संजिहित होता है नद सद्य-उपर्युक्त होता है । साध्यविद्यीत का साधक अनुमानान्तर यदि साधक अनुमान का युक्त्यवल नहीं होता तो वह प्रतिपद्व नहीं होता । उक्तक सन्तोषान से साध्यविद्यक हुए क्षण नहीं होता ।

साध्यविद्यीत का साधक अनुमान युक्त्यवल न होने पर प्रति व नहीं होता, इस वादध्य उनमें के लिए उक्तक मद्द यजमाना भावश्यक है । उक्तक तीन मेद होते हैं—उत्तरवाच्य, उत्तरवीक्षण और अनुमान-उत्तरवाच्य-उत्तरवीक्षण होनो से भिन्न । इनमें पहला—

५. यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्षे साध्याभाव परिचिछन्नः स कालात्ययापदिष्टः। स एव वाचितविषय इत्युच्यते । यथा 'अग्निरुण्ण. कृतकत्वाज्जलवत्' । अत्र कृतकत्वं हेतुः । तस्य च यत् साध्यमनुष्णत्वं तस्याभावः प्रत्यक्षेणैव परिचिछन्नः, त्वगिन्द्रियेणाग्नेरुण्णत्वपरिच्छेदात् ।

उपजीव्यभूत विशीतानुमान साध्यानुमान से बलवान् होता है । अतः वह साध्यानुमान का बाधक ही होता है । जैसे—

'परमाणुः अनित्यः, मूर्त्तिकाद्, घटवत्—परमाणु अनित्य है, मूर्त्ति होने से, घटके समान' । इस अनुमान से नित्यत्वसाधक परमाणुग्राहक अनुमान बाध्य नहीं होता, प्रश्युत उपजीव्य होने से पूर्वानुमान का बाधक ही होता है, क्यों कि वह पूर्वानुमान के धर्मी परमाणु का साधक है, अतः पूर्वानुमान में अपेक्षित धर्मी की सिद्धि के लिये प्रथम प्रवृत्त होने वाले परमाणुसाधक अनुमान के परमाणु की नित्यता का ग्राहक होने से उसके द्वारा पूर्वानुमान का बाध होना न्याय है, क्यों कि यह निविवाद है कि प्रमाणद्वारा परमाणुरूप धर्मी का ग्रहण हुए विना पूर्वानुमान नहीं हो सकता, क्यों कि धर्मी का ग्रहण न होने की दशा में आश्रयासिद्धि हो जायगी । इचलिए परमाणुधर्मिक पूर्वानुमान से परमाणुसाधक अनुमान के बाधित होने की बात वो दूर रही, उलटे उससे इस अनुमान के प्रामाण्य का अनुमोदन होता है, क्यों कि यह अनुमान यदि प्रमाण न होगा तो परमाणुरूप धर्मी के सिद्ध न होने से परमाणुधर्मिक अनुमान का उदय असम्भव हो जायगा । इचलिए उपजीव्य सदा बाधक ही होता है, बाध्य कभी नहीं होता, और उपजीव्यक दुर्घट होने के नाते सर्वेदा बाध्य ही होता है, बाधक कभी नहीं होता । इस प्रकार यह निविवाद सिद्ध है कि साध्य और साध्याभाव के साधनार्थ सह-प्रश्युक होने वाले दो अनुमानों में किसी एक के दूसरे का उपजीव्य या उपजीव्यक होने पर सत्प्रतिपक्षता नहीं होती, किन्तु अनुभय-उपजीव्य-उपजीव्यक से भिन्न अनुमानों का प्रयोग होने पर ही दोनों के समबल होने से सत्प्रतिपक्षता होती है ।

कालात्ययापदिष्ट—

जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से निश्चित होता है वह हेतु कालात्ययापदिष्ट होता है । उसे वाचितविषयक भी कहा जाता है । जैसे—

'अग्निः अनुष्णः कृतकत्वाद्, जलवत्—अग्नि अनुष्णत्व—उष्णस्पर्शाभाव का आध्य है, कृतक—कार्य होने से, जल के समान' । इस अनुमान में अनुष्णत्व—उष्णस्पर्शाभावरूप साध्य का अभाव उष्णस्पर्श पक्ष—अग्नि में प्रत्यक्ष—त्वगिन्द्रियरूप प्रमाण से निश्चिन है । अतः अग्नि में अनुष्णत्व के साधनार्थ प्रश्युक कृतकत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट है ।

तथा परोऽपि कालात्ययापदिष्टः । यथा घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये प्रागुक्तं सत्त्वं हेतुः । तस्यापि च यत् साध्यं क्षणिकत्वं तस्योऽभावोऽक्षणिकत्वं प्रत्यभिज्ञातर्कादिलक्षणेन प्रत्यक्षेण परिच्छन्नम् । 'स एवायं घटो यो मया पूर्वमुपलब्धः' इति प्रत्यभिज्ञया पूर्वानुभवजनितसंस्कारसहकृतेन्द्रियप्रभवया पूर्वपरकालाकलनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति ।

एते वासिद्वादयः पञ्च हेत्वाभासा यथाकर्थचित् पक्षधर्मत्वाद्यन्यतमरूपहीनत्वाद् अहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति ।

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकहेतोः त्रयो दोषा अव्याप्तिः-अतिव्याप्तिः असंभवात्त्रेऽप्यत्रैवान्तर्भवन्ति, न तु ते पञ्चभ्योऽधिकाः । तथाहि अतिव्याप्तिः व्याप्तत्वासिद्धिः विपक्षमात्रादम्यावृत्तत्वात् सोपाधिकत्वाच्च । यथा गोलक्षणस्य पशुत्वस्य । गोत्वे हि सास्नादिमत्त्वं प्रयोजकं, न तु पशुत्वम् । तथा अव्याप्तिः भागासिद्धत्वम् । यथा गोलक्षणस्य शावलेयत्वस्य । एवम् असम्भवोऽपि स्वरूपासिद्धिः । यथा गोलक्षणस्यैकशक्तवस्येति ।

लक्षण के दोष भी हेत्वाभास ही हैं—

कालात्यापदिष्ट का एक दूसरा प्रकार भी है, जैसे—

घटपद्मक, द्विणिकत्वसाध्यक, सत्त्वहेतुक बौद्धोक्त अनुमान में सत्त्व हेतु कालात्यापदिष्ट है, क्यों कि इस अनुमान में द्विणिकत्व साध्य है, उसका अभाव है अन्तर्गिकत्व, वह घटमें पूर्वानुभवकाल के सम्बन्ध को ग्रहण करने वाले प्रत्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष से सिद्ध है । 'स एवाय घटः यो मया पूर्वमुपलब्धः—यह वही घट है जिसे मैंने पहले देखा है' यह प्रत्यभिज्ञ उस घट के पूर्वानुभव से उत्पन्न संस्कार के सहयोग से इन्द्रियद्वारा उत्पन्न होती है और घट में पूर्वकाल और उत्तरकाल के सम्बन्ध को भी ग्रहण करती है । अतः इस प्रथमिज्ञात्मक प्रत्यक्ष से घट के स्थायित्व का निश्चय होने में कोई चाला नहीं होती ।

उक्त असिद्ध आदि पाचो हेत्वाभास सप्तसत्त्व आदि रूपो में अन्यतम रूप से हीन होने के कारण अहेतु होते हैं और इसी लिये अपने साध्यका साधन नहीं कर पाते ।

लक्षण से लक्ष्य में इतर भेद—अलक्ष्यभेद का अनुमान होता है । यह केवलव्यतिरेकी हेतु होता है । अतः जैसे अन्य अनुमानों के हेतु में होने वाले दोष हेत्वाभास कहे जाते हैं उसी प्रकार लक्षणात्मक हेतु के दोषों को भी हेत्वाभास कहना उन्नित है । लक्षणात्मक हेतु में तीन प्रकार के दोष होते हैं—अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव । इनमें अतिव्याप्ति को व्याप्तत्वासिद्धिः, अव्याप्ति को भागासिद्धिः और असम्भव को स्वरूपासिद्धिः में अन्तर्भूत कर उठे हैं इन नामों से व्यवहृत किया जा सकता है जैसे—

अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याऽर्थान्तरं परिकल्प्य दूषणाभिवानं छलम् । यथा 'नवकम्बलोऽयं देवदत्तः' इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण प्रयुक्तस्य नवशब्दस्यार्थान्तरमापाद्य क्षिद् दूषयति । ज्ञाऽस्य नव कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्वात् । न हस्य द्वयस्मि संभाव्यते । कुतो नव इति ? । स च वादी छलवादितया ज्ञायते । अतिव्याप्ति—

अलक्ष्य में लक्षणगमन का नाम है 'अतिव्याप्ति' । अलक्ष्य इतरमेद-अलक्ष्यमेदरूप साध्य से शून्य होने के कारण इतरमेदानुमान में विपक्ष होता है, अतः कोई लक्षण यदि अलक्ष्यगमनी होता है तो वह विपक्षवृत्ति हो जाता है । विपक्षवृत्ति हो जाने से उसमें विपक्षवृत्तिःव-साध्याभाववदवृत्तिःवरूप व्याप्ति की चिन्तिष्ठ नहीं हो पाती । इस प्रकार अलक्ष्य में लक्षण की अतिव्याप्ति का अर्थ हो जाता है लक्षणात्मक हेतु में इतरमेदात्मक साध्य की व्याप्त्यत्वासिद्धिः । जैसे गौ का लक्षण यदि किया जाय 'पशुरूप' । तो यह लक्षण अलक्ष्य महिली आदि में रहने से विपक्षवृत्ति न होगा ; अतः वह स्वयं 'गोत्र' का प्रयोजक न हो कर उसके प्रयोजक 'सारनादि' से सोवाधि हो जायगा । सोवाधि होने से उसका व्याप्त्यत्वासिद्धि होना अनिवार्य है ।

अव्याप्ति—

अव्याप्ति का अन्तर्भव भागासिद्धिः में होता है, क्यों कि लक्ष्य के एक भाग में लक्षण के असम्बन्ध का नाम है 'अव्याप्ति' और पक्ष के एकभाग में हेतु के असम्बन्ध का नाम है 'भागासिद्धिः' । इतरमेदानुमान में लक्ष्य पक्ष हाता है, लक्षण हेतु हता है, अतः लक्ष्य के एकभाग में लक्षण के अभाव के पक्ष के एकभाग में हेतु का अभावरूप होने से अव्याप्ति की भागासिद्धिरूपता स्पष्ट है । जैसे गौ का लक्षण यदि किया जाय 'शाब्देयाव'—चित्रत्व, तो यह लक्षण अव्याप्ति या भागासिद्धि होगा, क्यों कि यह लक्षण समूर्ण गौ में न रह कर केवल चित्र गौ में ही रहता है । अतः लक्ष्यरूप पक्ष के एक भाग में असिद्धि है ।

असम्भव—

असम्भव का अन्तर्भव स्वरूपासिद्धिः में होता है, क्यों कि सम्पूर्ण लक्ष्य में लक्षण के अभाव को 'असम्भव' कहा जाता है । और सम्पूर्ण पक्ष में हेतु के अभाव को स्वरूपासिद्धि कहा जाता है । असम्भवस्थल में इतरमेदानुमान में सम्पूर्ण लक्ष्यात्मक पक्ष में लक्षणात्मक हेतु का अभाव होता है अतः असम्भव और स्वरूपासिद्धि का ऐक्य स्पष्ट है । जैसे गौ का एकशफत्व—एक खुरका होना—लक्षण किसी भी गौ में न रहने से असम्भवप्रस्ता है और इसी लिये लक्ष्यात्मक पक्ष में इतरमेद के अनुमान में स्वरूपासिद्धि है ।

असदुच्चर जातिः । सा च उल्कपसमा—अपकर्पसमा—आदिभेदेन शब्दविधा । विस्तरभिया नेह कृत्तनोच्यते । तत्राऽव्याप्तेन दृष्टान्तगतधर्मेण साध्ये पक्षे अव्याप्तधर्मस्याऽपादनम् उत्कर्पसमा जातिः । यथा ‘शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद् चटवद्’ इत्युक्ते, कश्चिदेवमाह ‘यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्, तद्वितीये हेतुना तद्वदेव शब्दः सावयवोऽपि स्यात्’ ।

अपकर्पसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाऽव्याप्तेनाऽव्यापकस्य धर्माभावस्याऽपादनम् । यथा पूर्वस्मिन् प्रयोगे कश्चिदेवमाह ‘यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्, तेतीये हेतुना घटवदेव हि शब्दः आवणोऽपि न स्यात् । न हि शब्दः आवण’ इति ।

छल—

एक अर्थ के तात्पर्य से प्रयुक्त किये गये शब्द के किसी दूसरे अर्थ की कल्पना कर किये जाने वाले दोपकथन को ‘छल’ कहा जाता है । जैसे ‘नवीन’ अर्थ के तात्पर्य से ‘नव’ शब्द का प्रयोग करते हुये कोई व्यक्ति देवदत्त के बारे में कहता है—‘नवकम्बलोऽय देवदत्त—देवदत्त के पास नया कम्बल है’ । इस कथन को सुन कर दूसरा व्यक्ति यदि ‘नव’ शब्द के ‘नवकम्बल’ अर्थ को ग्रहण कर उक्त कथन में इस प्रकार दोष बताता है कि ‘देवदत्त तो दरिद्र है, उसके पास तो दो कम्बल भी समझन नहीं हैं, तो किर उसके पास नव कम्बल कैसे होंगे ?’ अत यह छलना असत्य है कि ‘देवदत्त के पास नव कम्बल है’ ।

छल में उन लक्षणानुसार यह दोपकथन ‘छल’ है । किसी के कथन में इस प्रकार अपने मन गढ़न अथ की कल्पना कर दोष बताने वाला व्यक्ति छलवादी समझा जाता है ।

न्यायसूत्र में उसका लक्षण किया गया है—‘वचनविधातोऽपर्विक्लृप्तेऽपत्या छलम्’—अथविक्लृप्त—अथभेद को ग्रहण कर वादी के वचन का जो स्पष्टन किया जाता है उसका नाम है ‘छल’ । सूत्रशार ने उसके तीन भेद बताये हैं—वाक्छल, सामान्यच्छल और उपचारच्छल ।

यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र में वालको के प्रवेश के लिये रखित है अत उन पर अधिक वोरु न पड़े, इस दृष्टि से उन भेदों का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया गया ।

जाति—

असद् उच्चर को ‘जाति’ कहा जाता है । उल्कपसमा, अपकर्पसमा आदि उसके अनेक भेद हैं । न्यायसूत्र में उसका लक्षण किया गया है—‘क्षाप्तम्यवैधम्यम्या प्रत्यवस्थान जाति’—किसी वादी द्वारा प्रयुक्त एक का वचन वैवल साधम्य अथवा कवल वैष्ठर्य के चल से स्पष्ट राखक उच्चर दिया जाता है तब वह उच्चर ‘जाति’ नामक उच्चर होता है’ ।

है, और इस बात का कोई नियामक नहीं है कि दृष्ट्यान्तभूत घट में रहने वाला कृतकर्त्तव्य अपने साथी घट के अनित्यत्व और आवणत्व दो घर्मों में से एक (अनित्यत्व) को अपने साथ शब्द में ले जाय और दूसरे (अव्यावणत्व) को अपने साथ वहां न ले जाय । तो उसका यह कथन कृतकर्त्तव्य हेतु से घट में अनित्यत्वानुमान के विरोध में दिया गया असदृ उत्तर होगा । इस असदृ उत्तर को 'अपकर्पेसमा जाति' के नाम से व्यवहृत किया जाता है । इसे 'अपकर्पेसमा' शब्द से अभिहित करने का कारण यह है कि इससे शब्द में उसी के घर्म आवणत्व के अभाव का आपादन होने से उसमें अपकर्प का—न्यूनता का आपादन होता है तथा वह (आपादक कृतकर्त्तव्य) अनित्यत्व और आवणत्व दोनों का सम साथी है ।

प्रश्न हो सकता है कि प्रमुख ग्रन्थ मुख्यतया 'न्यायदर्शन' के अनुसार उचित है, और 'न्यायदर्शन' में 'साधर्म्यसमा' आदि के क्रम से 'जाति' उत्तरों का परिगणन कर उसी क्रम से उनके लक्षण और उदाहरण प्रदर्शित किये गये हैं, अतः इस ग्रन्थ में भी उसी क्रम का अनुसरण करना उचित या, किन्तु ऐसा न कर इस में 'उत्कर्पेसमा' आदि के क्रम से परिगणन, लक्षण और उदाहरणों का प्रदर्शन किया गया है । तो ऐसा करने में ग्रन्थकार का क्या आशय है ?

उत्तर में कहा जा सकता है कि अन्य सभी 'जाति' उत्तरों की अपेक्षा 'उत्कर्पेसमा' और 'अपकर्पेसमा' का असदृ उत्तरत्व सुस्पष्ट है, क्यों कि उनके नामों से ही विदित हो जाता है कि उनसे पक्ष में अनभीष्ट उत्कर्प और अपकर्प का आपादन होता है । अतः असदृ उत्तर का निरूपण करते समय यह स्वाभाविक है कि जिसका असदृ उत्तरत्व सुस्पष्ट हो उसका उल्लेख एवं निरूपण पहले हो और अन्योंका बाद में हो ।

इस उत्तर पर यह शङ्का हो सकती है कि तो किर सूक्ष्माकार ने इस स्वाभाविक अभिचित्य की उपेक्षा क्यों की ! इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्माकार ने 'जाति' का लक्षण किया है 'साधर्म्य वैधर्म्यस्या प्रत्यक्ष्यान जाति' । अत जब 'जाति' के विभाजन और विशेष रूप से निरूपण का अवसर आया तब उन्हें उक्त लक्षण का समरण हो आया । इसलिए लक्षण के प्राणभूत व्यय साधर्म्य और वैधर्म्य वे नाम से अभिहित होने वाले 'जाति' उत्तरों का पहले उल्लेख और निरूपण करना उचित समझ उन्होंने साधर्म्यसमा और वैधर्म्यसमा का प्रतिभादन पहले किया और असदृ उत्तरत्व की सुप्रणिता के कारण उन दोनों के बाद 'उत्कर्पेसमा' आदि का ही प्रतिपादन किया ।

तर्कमाधार ने 'असदृ उत्तर जाति' यह लक्षण किया है, अतः उन्होंने असदृ उत्तरत्व की सुप्रणिता को ही आधार मान 'उत्कर्पेसमा' आदि का प्रतिपादन पहले किया ।

पराजयहेतुः निप्रहस्थानम् । तच्च न्यून-अधिक-धपसिद्धान्त-अर्थान्तर-अप्रतिभा-मतानुज्ञा-विरोध-आदिमेदाद् बहुविधमपि विस्तरभयानेह फृत्स्मुच्यते । यद्विवक्षिताऽयं किञ्चिद्गूढं तन्म्यूनम् । विवक्षितात् किञ्चिद्विधिकम् अधिकम् । सिद्धान्तादपध्वंसः अपसिद्धान्तः । प्रकृतेनानभिसम्बन्धार्थवचनम् अर्थान्तरम् । सत्तरापरिस्फूर्तिः अप्रतिभा । पराभिमतस्यार्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेवाभ्युज्ञानं स्वीकारो मतानुज्ञा । इष्टार्थमङ्गो विरोधः ।

फिर प्रश्न हो सकता है कि उक्त कारण से 'उत्कर्षसमा' आदि के क्रम से ही 'ज्ञाति' उत्तरों का निरूपण भले हो पर निरूपण तो सबका किया जाना चाहिये था, किन्तु जैसा न करके केवल दो ही का निरूपण कर उस प्रकरण को ही समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया ? इसके उत्तर में यह कहना उचित प्रतीत होता है कि यह मन्य न्यायदर्शक में बालकों के प्रवेशार्थ ही निर्मित है । अतः सभी अवान्तर विषयों के अविकल वर्णन को आवश्यक न समझ कर 'ज्ञाति' का परिचय दे उसके दो मुख्य अवान्तर भेदों का वर्णन कर विस्तार के भय से अन्यों की ओर संकेतमात्र कर दिया गया है ।

'ज्ञाति' के विषय में अन्य मत—

न्यायदर्शन के समान अन्य दर्शनों में भी 'ज्ञाति' को असहुत्तर माना गया है और उसके अवान्तर भेदों की सड़या न्यायदर्शन में स्वीकृत सम्भवा से अधिक मानी गयी है । जैसे बौद्धदर्शन में (१) कार्यमेद (२) अनुकूल, तथा (३) स्वार्थविशद, यह तीन अधिक हैं । जैनदर्शन में (१) मेदामेद (२) प्रश्नबाहुल्य-उत्तराल्पता (३) प्रश्नाल्पता-उत्तरबाहुल्य (४) हेतुसम (५) व्याप्तिसम (६) विशद (७) अविशद (८) असहय (१०) श्रुतिसम और (११) श्रुतिभिन्न, ये ग्यारह अधिक हैं । इस विषय में विशेष ज्ञानकारी के लिए बौद्धदर्शन के 'प्रामाण्य समुच्चय' और जैनदर्शन के 'उपाय-हृदय' आदि मन्यों का अवलोकन किया जाना चाहिये ।

निप्रहस्थान—

'निप्रहस्थान' का अर्थ है 'पराजय की स्थिति' । जिस स्थिति में पहुँचने पर, जिस बात को कहने पर मनुष्य पराजित समझा जाता है, उसका नाम है 'निप्रहस्थान' । इसी आधार पर उसका लक्षण किया गया है 'पराजयहेतुः निप्रहस्थानम्'—पराजय का हेतु निप्रहस्थान है ।

न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदि के रूप में उसके बहुत भेद हैं । जैसा कि न्यायदर्शन, पञ्चम अध्याव, द्वितीय आद्विक, प्रथम सूत्र में निम्न प्रकार से कहा गया है—

सिद्धान्त—

‘स्वीकृत सिद्धान्त से अनुत होने का नाम है ‘अपसिद्धान्त’।

न्यायदर्शनमें इसका लक्षण किया गया है ‘सिद्धान्तमन्युपेत्य अनियमात् कथा-उक्तः अपसिद्धान्तः ५।२।४४। आशय यह है कि कथा—विचारविनिमय प्रारम्भ ने के पूर्व अपना कोई सिद्धान्त घोषित कर यदि नियम से उस सिद्धान्त के अनुसार प्रा नहीं की जाती किन्तु कथा के बीच उसे स्थाग दिया जाता है तो ‘अपसिद्धान्त’ नामक नियमस्थान होता है।

र्थान्तर—

जिस अर्थ का कहना अभीष्ट है, उसे न कह कर किसी अन्य अर्थ को कहने का म है ‘अर्थान्तर’।

न्यायदर्शन में इसका लक्षण किया गया है ‘प्रदृतादर्थादप्रतिसम्बद्धम् अर्थान्तरम्’ २।७। प्रकृत अर्थ से असम्बद्ध अर्थ का कथन ‘अर्थान्तर’ है। किसी पक्ष को सिद्ध ने के लिए किसी हेतु का प्रयोग करने पर उस हेतु के सम्बन्ध में कुछ कहना प्रकृत —अभीष्ट है, किन्तु उस हेतु के विषय में कुछ न कह कर यदि ‘हेतु’ इस शब्द की देख बनायी जानी लगे या और कुछ असम्बद्ध बात कही जानी लगे तो ‘अर्थान्तर’ नामक नियमस्थान होता है। कथा में इस प्रकार बोलने वाला वादी प्राजित समझा गा है।

अप्रतिभा—

उत्तर न सूझने का नाम है ‘अप्रतिभा’।

न्यायदर्शन में इसका लक्षण किया गया है ‘उत्तरस्य अप्रतिपत्तिः अप्रतिभा’ ३।१।९। जब वादी अपनी स्थापना के खण्डन में कही गयी बातों का उत्तर नहीं दे तो अथवा दूसरे की स्थापना में दोष प्रदर्शन नहीं कर पाता तब उसकी ‘अप्रतिभा’ की जाती है। ऐसी रियति में वादी ‘अप्रतिभा’ नामक नियमस्थान में आ जाने रामित माना जाता है।

तिक्षा—

दूसरे को अभिमत और अपने को अनभिमत अर्थ को स्वयं स्वीकार कर लेने का है ‘मतानुक्ता’।

न्यायदर्शन में इसका लक्षण किया गया है ‘ध्वपचे दोषान्युपगमात् परपचे दोषप्रक्षेपे त्युक्तः ४३।२३।३। एवमा चारणाद्यहै, कि ज्ञात, न्याती, अप्त्यन्ते, एवं, प्रदृश्यत, एवं, दोष का उदार म कर दूसरे के पक्ष में दोष का प्रदर्शन करने लगता है तब ऐसा

मान लिया जाता है कि उसने अपने पढ़ में प्रदर्शित किये गये दोषों को स्वीकार कर लिया। अतः ऐसा करने वाला वादी 'मनानुषा' नामक निग्रहस्थान में आजाने से पराजित समझा जाता है।

विरोध—

अपने अभीष्ट अर्थ का स्वयं खण्डन कर देने का नाम है 'विरोध'। न्यायदर्शन में इसे 'प्रतिशाविरोध' नाम से अभिहित कर इसका लक्षण किया गया है 'प्रतिशाविरोधः विरोधः प्रतिशाविरोधः' प्राराधा आशय यह है कि जब वादी प्रतिशावास्य-द्वारा क्षे गये अर्थ के विरुद्ध अर्थ का हेतुवाक्यद्वारा कथन करता है तब 'प्रतिशाविरोध' नामक निग्रहस्थान होता है। ऐसा करनेवाला वादी अपने इष्ट अर्थ का स्वयं खण्डन कर देने के कारण 'विरोध' नामक निग्रहस्थान में आजाने से पराजित समझा जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि न्यायदर्शन के अनुसार 'प्रतिशावानि' 'प्रतिशावन्तर' आदि के क्रम ने निग्रहस्थानों का निर्देश न कर 'न्यून', 'अधिक' आदि के क्रम से उनके निर्देश करने तथा 'प्रतिशावानि' आदि का लक्षण न बता कर 'न्यून' आदि का लक्षण बताने में अन्यकार का क्या अभिप्राय है। उच्चर में कहा जा सकता है कि विक्षितारभय से समस्त निग्रहस्थानों का वर्णन न कर कुछ ही निग्रहस्थानों का वर्णन करना अभीष्ट है। अतः जिनका निग्रहस्थानत्व सुधृष्ट हो उन्हीं का वर्णन करना उचित है। 'प्रतिशावानि' आदि की अपेक्षा 'न्यून' आदि निग्रहस्थानों का निग्रहस्थानस्थ अधिक सुस्पष्ट है, इस लिये 'प्रतिशावानि' आदि का वर्णन न कर 'न्यून' आदि का ही वर्णन किया गया।

पुनः प्रश्न हो सकता है कि सूत्रकार ने इस औचित्य की उपेक्षा कर 'प्रतिशावानि' आदि के क्रम से निग्रहस्थानों का प्रतिवादन क्यों किया। उच्चर में यह कहा जा सकता है कि निग्रहस्थान 'न्यायवाक्य' पर आधारित होते हैं और 'प्रतिशा' उसका प्रथम अवयव है अतः जो निग्रहस्थान 'प्रतिशा' से संबद्ध हो उनके निरूपण को प्राय-मिक्ता प्रदान करना उचित है। चल, इसी दृष्टि से सूत्रकार ने 'प्रतिशावानि' आदि के क्रम से निग्रहस्थानों का निरूपण किया है।

न्यायदर्शन के समान अन्य दर्शनों में भी निग्रहस्थानों को मान्यता दी गई है। बौद्धदर्शन के विभूत आचार्य 'घर्मस्तीर्ति' ने तथा जैनदर्शन के प्रसिद्ध आचार्य 'अक्षलङ्घदेव' ने इनके सम्बन्ध में कुछ मीलिक विचार प्रस्तुत किये हैं, जिनके कारण निग्रहस्थान के विषय में वैदिकन्याय, बौद्धन्याय और जैनन्याय की स्वतन्त्र तीन परम्पराएँ प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। आयुर्वेद की 'चरकसहिता' में भी इस विषय का प्रतिवादन किया गया है, किन्तु उसने इसी इच्छन्त्र परम्परा की प्रतिष्ठा नहीं मानी जा सकती क्यों कि उसका प्रतिवादन न्यायदर्शन के प्रतिवादन में ही अन्तर्मुक्त हो जाता है।

छल, जाति और निश्चहस्थान का स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादन उनके उपलब्धीण—ज्ञान के लिये किया गया है। जब वे शात रहेंगे तब अपने बाक्य में उनका स्थान किया जा सकेगा और प्रतिपक्षी के बाक्य में उनका पर्यनुयोग-प्रदर्शन किया जा सकेगा। यदि अपने बाक्य में अन्यद्वारा 'जाति' का मिथ्या प्रदर्शन होगा तो उसकी जानकारी रहने पर सरलता से उसका समाधान किया जा सकेगा। अपने बाक्य में उसके व्यभाव का प्रतिपादन किया जा सकेगा, और अपनी ओर से प्रतिपक्षी के बाक्य में उनका प्रदर्शन करने पर यदि प्रतिपक्षी द्वारा अथवा मध्यस्थद्वारा यदि पूँछा जाय कि अमुक बाक्य में कौन सी जाति है? और वह किस प्रकार है? तो उसकी जानकारी रहने पर इस प्रश्न का समाधान सुरक्षित से प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रकार छल, जाति और निश्चहस्थानों के ज्ञान के सम्बोधन होने से अन्यथास्व में तथा प्रस्तुत ग्रन्थ में उनके प्रतिपादन का अचिक्ष्य निर्विवाद है।

छल आदि के विषय में बीदू और जैन भत्—

बीदूधदर्शन के आचार्यबुद्धीण 'धर्महीर्ति' ने अपने 'वादन्याय' ग्रन्थ में तथा जैन-दर्शन के परमोच्च आचार्य 'हेमचन्द्र' ने अपने 'प्रमाणमीमांसा' ग्रन्थ में छल आदि के उक्त प्रयोजन की निश्चारता बताते हुये उनके कथाङ्कत्व का सार्विक निराकरण किया है। 'धर्महीर्ति' के 'वादन्याय' का निम्न वचन ध्यान देने योग्य है—

'तत्त्वरक्षणार्थं उद्दिष्टरहर्तन्यमेव छुलादि विजिगीषुभिरिति चेत्, नभ, चपेट, गलपहार, दीपनादिभिरपीति वत्तथ्यम् । तस्मान्न व्याधानय तत्त्वरक्षणोपायः'।

यह कहना, कि तत्त्ववेत्ताओं को तत्त्व के रक्षण के लिये और विजयेच्छुओं को विजय के लिये छल आदि का प्रयोग करना चाहिये, उचित नहीं है, स्तों कि यदि यही लक्ष्य हो कि किसी भी प्रकार प्रतिपक्षी के कथन का खण्डन कर तत्त्व की रक्षा और विजय की प्राप्ति करनी चाहिये, तब तो जैसे छल आदि के प्रयोग को बैठ कहा गया है उसी प्रकार नव से खरोचने, चमत लगाने, शक्ति से भावात करने, आग लगा देने आदि को भी बैठ कहना चाहिये, क्योंकि उन उपायों से भी प्रतिपक्षी को मूँह कर तत्त्व की रक्षा और विजय की प्राप्ति की जा सकती है। अतः छल आदि के प्रयोग को तत्त्वरक्षण का प्रयोग उपाय नहीं माना जा सकता।

आचार्य 'हेमचन्द्र' की 'प्रमाणमीमांसा' का यह वचन भी स्पष्टीय है कि—

'अस्तुतरैः परप्रतिलेपस्य न्दुम्युत्त्वात् । न हि अन्यायेन चर्य यशो वा महाप्राप्तः सवीहन्ते'।

अस्तु उत्तरों से प्रतिपक्षी के कथन का खण्डन करना उचित नहीं है। क्योंकि मले सोग अन्याय से विजय अथवा यश की कामना नहीं करते।

बौद्ध और जैन आचार्यों की इस समीक्षा के अनुसार छूल आदि की अनुपादेयता प्रतीत होने से ऐसा लगता है कि न्यायसूत्रकार महर्षि गौतम में उच्च कोटि की वह चारित्रिकता, आरिमक पवित्रता, आशुवादिता और सहिष्णुता नहीं थी जो एक तत्त्व-दर्शी के लिये अनिवार्य है तथा जो बौद्ध, जैन दर्शन के तत्त्वज्ञ महापुरुषों में विद्यमान थी, क्यों कि उन्होंने तत्त्वज्ञान के सरकार और प्रतिपद्धि पर विजयलाभ के लिये छूल आदि का प्रयोग करने का उपदेश दिया है। पर ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्यों कि वास्त्यायन ने न्यायदर्शन, चतुर्थ अध्याय, द्वितीय आहिक के उपर्युक्त सूत्र के भाष्य में निम्न बात कह कर उक्त प्रकार के आलोचन और आदेष की सम्भावना ही समाप्त कर दी है। उनका कथन इस प्रकार है—

‘अनुरुपनतत्त्वज्ञानानाम् अप्रहीणदोषाणा तदर्थं घटमानानाम् एतदिति’
जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है, जिनका तत्त्वज्ञान अपरिपक्व है और जिनके राग, द्रेष, मोहरूप दोष नहीं हुये हैं किन्तु तदर्थं प्रयत्नशील हैं, छूल आदि के प्रयोग का यह उपदेश उन्हीं लोगों के लिये है।

आशय यह है कि जिनका तत्त्वज्ञान इतना अधिक दृढ़ हो चुका है कि वह प्रतिपक्षियों के लाल कुचेष्टा करने पर भी किञ्चिन्मात्र भी म्लान नहीं हो सकता, तथा जिन्होंने ने राग, द्रेष, मोहरूप दोषों पर पूर्ण विजय प्राप्त करली है, जिन्हें राग आदि के भोक्ते तनिक भी विचलित नहीं कर सकते, जिन्हें न विजय की कोई अकांड़ा है और न पराजय की कोई चिन्ता है, यह उपदेश उनके लिए नहीं है, उन्हें तो छूल आदि की आया का भी स्पर्श न करना चाहिये, किन्तु जो इस उच्च स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, जिनका तत्त्वज्ञान प्रतिपक्षियों के कुतकों से अभिभूत हो सकता है, जिन्हें विपक्षी पर विजय प्राप्त कर अपने तत्त्वज्ञान की गरिमा के प्रबोधापन की लालसा है, छूल आदि के प्रयोग का उपदेश उन्हीं लोगों के लिए है, जिससे वे कुहेतु, कुतक आदि द्वारा परमतुल्यांडन और स्वमतस्थापन करने वाले प्रतिपक्षियों से ‘जैसे को तैसा’ ‘यथा यज्ञस्तथा वलिः’ ‘शुठे शाल्य समाचरेत्’ ये यथा मा प्रपञ्चन्ते तास्त्यैव भवा-म्यहम्’ इत्यादि नीतियों के अनुसार पूर्ण कृप से निपट सकें।

इस सन्दर्भ में जो यह बात कही गयी कि शास्त्रीय विचारों में यदि छूल आदि का प्रयोग मान्य होगा तो गाली देने, खरोचने, प्रहार करने, कपड़े डतार नगा करने आदि को भी मान्य करना होगा, वह ठीक नहीं है, क्यों कि गाली आदि का प्रयोग लोकगाहित है, किन्तु छूल आदि का प्रयोग लोकगाहित नहीं है, प्रत्युत वह बुद्धिकी तीक्ष्णता और वाचिक प्रवीणता का दोषक है। अतः दोनों को एक तुला पर रख कर दोनों के सम्बन्ध में एक प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं है। ‘न्यायमङ्गरी’ के जातिशक्तण में ‘जयन्तमङ्गु’ का यह कथन सर्वथा समीचीन है कि—

.....असदुत्तरकथने कथ न चपेटादिक प्रयुज्यते ।.....तस्यारथन्तमलौकिक-
त्वात् । लोको हि तदा एवं मन्यते—

नूनमेप न ज्ञानाति वकुं सहयमुत्तरम् ।
अन्यथा वाचमुत्सूच्य पाणिना प्रहरेत् कथम् ॥
खेदथद् वादिन यस्तु हस्तपादादिचापलेः ।
स सप्तशुच्यते सन्दिर्मण्ड एव न पण्डितः ॥
जात्योपकममाणस्तु न तथैव विहस्यते ।
न हि सन्दूषणच्छाया तत्रारथन्तमसङ्गता ॥
तन्म कौपीनवर्णनापासनादिसाम्य जात्युत्तराणामिति ।

इस सन्दर्भमें इस तथ्यको ध्यानमें रखना आवश्यक है कि मुवित्र वादी को ज्ञाति-उत्तर-वादीके प्रति भी समीक्षीय उत्तरका ही प्रयोग करना चाहिये, क्यों कि वैष्ण न उत्तर वादी कभी 'पद्मपदी' कथाभास में पड़ सकता है और उस हितिमें न तो वह अपने पद्म की स्थापना में ही सफल हो सकता और न निप्रहस्यान से मुक्ति ही पा सकता । जैषा कि जयन्तभट्ट ने न्यायमञ्जीरी के ज्ञानप्रकरण में कहा है ।

बाच्यमुत्तरमतो निरवद्य ज्ञातिवादिनमपि प्रति तर्ज्जै ।

कशमलोत्तरगिरा न तु कार्या पद्मशट्कपरिकल्पनगोदी ॥

पट्टपक्षी—

(२) 'पद्मपदी' निम्न-रीतिमें प्रवृत्त होती है ।

वादा अपने पद्मही श्यापना इस प्रकार करता है—‘शब्द अनित्य—नाशवान् है, प्रयापनश्च कार्यं होने से, घट के समान । यदि कथा का प्रयम पद्म है । इसे स्थापनापद्म करा आता है ।

इसके लगानमें प्रतिवादी 'कार्यसमा' ज्ञातिका प्रयोग इस प्रकार करता है ।

प्रयापनश्च कार्यं होने से अनित्यका का वाधन नहीं किया जा सकता, क्यों कि प्रयापन के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं । कोई प्रयापन से उत्पाद्य होता है । और कोई प्रयापन से प्रकाश्य होता है । जो प्रयापन के पूर्व नहीं रहता किन्तु प्रयापन के बाद अस्तित्व में आता है वह प्रयापन से उत्पाद्य होता है, जैसे घट कुम्हारका प्रयापन होने के पूर्व नहीं रहता, किन्तु कुम्हार के प्रयापन के बाद अस्तित्व में आता है । अतः वह प्रयापन से उत्पाद्य है । जो प्रयापन के पूर्व भी रहता है किन्तु अनभिव्यक्त रहता है और प्रयापन के बाद अस्तित्वी अभिव्यक्ति होती है वह प्रयापन से प्रकाश्य होता है । जैसे अन्धकार में विषु घट प्रकाशकमयदक प्रयापन व पूर्व स्थृतेव । यद्यमान दोते हुए भी अनभिव्यक्त रहता है और उस प्रयापन के बाद अभिव्यक्त होता है । अतः वह प्रयापन से प्रकाश्य है । यद्यको प्रयापन के कार्य की

दूसरी श्रेणी में मान लेने पर उसमें प्रयत्नोत्पादत्व नहीं उिछ्व होता और प्रयत्नोत्पादन न होने पर उसे अनियत नहीं माना जा सकता क्यों कि प्रयत्नोत्पादत्व ही अनियतत्व का साधक नहीं है। प्रयत्नप्रकाशयत्व तो नियत में भी सम्भव है। अतः अनियतत्व का व्यभिचारी होने से वह उसका साधक नहीं हो सकता।

स्थापनापद्धति के खण्डन में उपन्यस्त यह पक्ष कथा का द्वितीय पक्ष है। इसे प्रतियेषपक्ष कहा जाता है।

अब बादी अपने पक्ष में प्रदर्शित दोष का परिहार न कर प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत किये गये प्रतियेषपक्ष में यदि इस प्रकार दोष प्रदर्शित करता है कि—

जिस प्रकार स्थापना हेतु प्रयत्नकार्यत्व प्रयत्नप्रकाशयरूप प्रयत्नकार्य में अनियतत्व का व्यभिचारी होने से अनियतत्व का साधक नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रतियेषहेतु व्यभिचारित्व भी स्थापित्यभव से साधक व्यभिचारी में असाधकत्व का व्यभिचारी होने से असाधकत्व का साधक नहीं हो सकता, इस प्रकार स्थापना हेतु और प्रतियेषहेतु दोनों में व्यभिचारित्व अश में कोई विशेष न होने से बादी का यह उत्तर 'अविशेषप्रत्यय' जाति हाता है। यह कथा का तृतीय पक्ष है, इसे विप्रतियेषपक्ष कहा जाता है।

इस तृतीय पक्ष के खण्डन में प्रतिवादी यदि यह कहता है कि इस प्रकार विचार करने पर तो व्यभिचारित्व में असाधकत्व की साधकता का भी खण्डन नहीं किया जा सकता क्यों कि व्यभिचारित्व जब असाधकत्व का व्यभिचारी है तब उससे जैसे प्रतियेषहेतु में असाधकत्व का साधन नहीं हो सकता, उसी प्रकार उससे विप्रतियेषहेतु में भी असाधकत्व की असाधकता का भी साधन नहीं हो सकता। तो प्रतिवादी का यह कथन भी 'अविशेषप्रत्यय' जाति होता है। यह कथा का चतुर्थ पक्ष है, इसे प्रतियेषविप्रतियेष पक्ष कहा जाता है।

इस चतुर्थ पक्ष के खण्डन में बादी प्रतिवादी के प्रति यदि यह कहे कि आप के प्रतियेषहेतु में जो दोष बताया गया उसका उद्धार न कर मेरे विप्रतियेषहेतु में जो आपने दोष प्रदर्शित किया, उससे प्रतीत होता है कि आपने अपने हेतु में बताये गये दोष स्वीकार कर लिये, तो बादीका यह कथन प्रतिवादी के लिये 'मतानुशा' नामक निप्रहस्यान होगा। यह पञ्चम पक्ष है।

इस पञ्चम पक्ष के खण्डन में बादी के प्रति प्रतिवादी यदि यह कहे कि प्रतियेषहेतु में आप द्वारा प्रदर्शित दोष का उद्धार न कर आप के विप्रतियेषहेतु में दोष प्रदर्शन करने से यदि मुझे मतानुशा की प्रशक्ति होती है तो उसी प्रकार स्थापना हेतु में मेरे द्वारा प्रदर्शित दोष का उद्धार न कर आप ने भी मेरे प्रतियेषहेतु में दोषोद्यावन किया है, अतः यह प्रतीत होता है कि आपको अपने स्थापना हेतु में मेरे द्वारा प्रदर्शित किये गये दोष स्वीकार हैं। अतः आप को भी 'मतानुशा' प्रसक्त है, तो प्रतिवादी का यह



इद्वाऽस्यन्तमुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयः प्रतिपादनम् । यदनतिश्रयोजनं तदलक्षणमदोपाय । एतावतैव याल्लब्ध्यत्पत्तिसद्विधेः ।

इति श्रीकेदावमिश्रविरचिता 'तंकंभाषा' समाप्ता ।

कथन वादी के लिये 'मतानुग्रा' नामक निग्रहस्थान होगा । यदृ पक्ष वादी के विशद्व प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी का पष्ठ पक्ष है ।

इन द्वाः पक्षो में यह उद्दिष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी के चतुर्थ और षष्ठ पक्ष एव वादी के तृतीय और पञ्चम पक्ष के बक्क्यों में कोई अन्तर न होने से पुनरुक्त दोष है और तृतीय एव चतुर्थ में मतानुग्रा है, तथा प्रथम और द्वितीय में विशेष हेतुभाव है । इसकिये वादी और प्रतिवादी दोनों के निग्रहस्थान में आ जाने से दोनों में किसी के भी पक्ष की उिद्दिष्ट नहीं हो सकती । इसीलिये 'पट्टपक्षी' को कथा न मानकर कथाभाष माना गया है ।

* यह 'पट्टपक्षी' उस समय होती है जब वादी अपने स्थानाहेतु में बताये गये दोष का उद्धार न कर प्रतिवादी के प्रतिवेदेहेतु में 'प्रतिवेदेऽपि समानो दोषः' कह कर समानदोषव का प्रांखज्ञान करता है, किन्तु यदि वह ऐसा न कर स्थानाहेतु में बताये गये दोष का इस प्रमाणर परिहार करे कि शब्द में प्रयत्नपक्षाश्यत्वरूप प्रयत्नकार्यान्वयन नहीं है किन्तु प्रयत्नोत्पादात्मत्वरूप प्रयत्नकार्यात्म ही है, क्यों कि यदि वह प्रयत्नोपाय न होकर प्रयत्नपक्षाश्यमात्र होता तो उसकी अनभिव्यक्ति का कोई कारण अवश्य उपलब्ध होता, यतः वैसा कोई कारण उपलब्ध नहीं है अतः वह प्रयत्नपक्षाश्य न होकर प्रयत्नोत्पाद्य ही है और जब प्रयत्नोपाय है तो प्रयत्नोत्पादात्ममें अनित्यत्व की व्याप्ति होने से उसके द्वारा शब्द के अनित्यवानुमान का प्रतिच्छब्द नहीं हो सकता । उसके आगे प्रतिवादी यदि और कुछ नहीं कह पाता तो वही—तृतीय पक्ष में ही कथा की समाप्ति हो जाती है ।

प्रश्न होता है कि इस प्रथम में शुद्धिष्व, हेतु, हेत्वाभाष आदि अनेक विषयोंका प्रतिपादन तो कहौं बार किया गया है, किन्तु छुल, जाति, निग्रहस्थान के कतिपय अवान्तर भेदों की पूरी उपेक्षा कर दी गयी है, तो ऐसा करना ग्रन्थकार के लिये कथा अनुचित नहीं है । इस प्रश्नका ग्रन्थकार के ही शब्दों में यदृ उत्तर है कि जो पदार्थ अत्यन्त उपयुक्त है अर्थात् न्यायशास्त्र के गहन बन में प्रवैद्य करने के लिये जिन पदार्थों का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है । स्वरूपभेद से उनका बारबार प्रतिपादन किया गया है और जिन पदार्थों के ज्ञान का वैसा कोई महान् प्रयोगन नहीं है उनका प्रतिपादन नहीं किया गया है । ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, क्यों कि बालकों को न्यायशास्त्रोंक पदार्थों की सामान्य ध्युत्पत्ति कराने के लिये ही इस प्रथम की रचना की गयी है और वह इतने से ही सम्पन्न हो जाती है ।